Thursday, 19 April, 1984

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी-संस्करण

(चौबहवां सत्र)

7th Lok Sabha



(खंड 47 में अंक 31 से 40 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

गुरुवार, 19 अप्रैल, 1984/30 चैत्र, 1906 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

विषय सूची, पृष्ठ (ii), पंक्ति नीचे से 9, "श्री लक्ष्मण वर्मा" के स्थान पर "श्री लक्ष्मण कर्मा" पढ़िये।

पृष्ठ 2, पंक्ति नीचे से 4, "श्रीमती कृष्णा राही" के स्थान पर "श्रीमती कृष्णा साहो" पढ़िये।

पृष्ठ 43, पंक्ति नीचे से 4, कुमारी कुमुदबेदन जोशी" के स्थान पर "कुमारी कुमुदबेन एम0जोशी" पढ़िये।

पृष्ठ 44, पंक्ति 2, "श्री योगेन्द्र झा" के स्थान पर "श्री भोगेन्द्र झा" पढ़िये।

पृष्ठ 83, पंक्ति 10, "अ0प्र0 संख्या "824" के स्थान पर "8244" पढ़िये।

पृष्ठ 178, पंक्ति 13, "श्री रामकृष्ण भोरे" के स्थान पर "श्री रामकृष्ण मोरे" पढ़िये।

पृष्ठ 195, पंक्ति 7, "(साटन)" के स्थान पर "(एटन)" पढ़िये।

पृष्ठ 224, पंक्ति नीचे से 15, "श्री योगेन्द्र झा" के स्थान पर "श्री भोगेन्द्र झा" पढ़िये।

पृष्ठ 236, पंक्ति 7, "श्री काजी जलील अन्नासो" के स्थान पर "श्री काजी जलील अब्बासो" पढ़िये।

पृष्ठ 254, पंक्ति 2, "(पाजो)" के स्थान पर "(पालो)" पढ़िये।

पृष्ठ 275, पंक्ति 10, "सभापति महोदय" के स्थान पर "सभापति महोदया" पढ़िये।

पृष्ठ 299, पंक्ति नीचे से 5, "श्री रामातार शास्त्री" के स्थान पर "श्री रामावतार शास्त्री" पढ़िये।

विषय सूची

सप्तम माला, खण्ड, 47, चौबहवां सत्र, 1984/1906 (शक)

अंक 39, गुरुवार 19 अप्रैल, 1984/30 चैत्र, 1906 (शक)

विषय	पृष्ठ
निधन सम्बन्धी उल्लेख	1—2
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	2—19
*तारांकित प्रश्न संख्या : 740, 741, 744, 745 और 749 से 752 तक	
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	19—184
तारांकित प्रश्न संख्या : 742, 743, 746, 748 और 753 से 759 तक	
अतारांकित प्रश्न संख्या : 8171 से 8343 तक	
सभा-पटल पर रखे गए प—	188—190
प्राक्कलन समिति	190—191
79वां प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश और 68वां प्रतिवेदन	
खाद्यान्न उत्पादन के पुनरीक्षित आंकड़े	191—195
राव बीरेन्द्र सिंह	
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	195—217
विभिन्न अस्पतालों, विशेषकर डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल नई दिल्ली, में डाक्टरों के कदाचारों के समाचार तथा रोगियों के साथ उनका कथित दुर्व्यवहार	
श्री हीरालाल आर० परमार	195
श्री बी० शंकरानन्द	195

*किसी नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
श्री रामलाल राही	197
श्री जयपाल सिंह कश्यप	203
श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री	207
श्रीमती कृष्णा साही	213
नियम 377 के अधीन मामले :	217—219
(एक) चीनी की मूल्य-निर्धारण नीति पर चर्चा करने की आवश्यकता	217
श्री कृष्ण प्रताप सिंह	
(दो) उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर जिले में डाक का त्वरित वितरण सुनिश्चित करने हेतु डाक विभाग को विभागीय परिवहन की सुविधा प्रदान करने की आवश्यकता	217
श्री राम प्यारे पनिका	
(तीन) तीस्ता बांध सिंचाई परियोजना का कार्य शीघ्र पूरा करने हेतु पश्चिम बंगाल सरकार को केन्द्रीय सहायता देने की आवश्यकता	218
श्री सुबोध सेन	
(चार) उर्दू के दर्जे के बारे में सरकार की नीति घोषित करने की आवश्यकता	218
श्री चित्त बसु	
(पांच) निरपराध जनजातीय लोगों की रक्षा करने की आवश्यकता	219
श्री लक्ष्मण वर्मा	
विधेयक	219—236
विचार किये जाने का प्रस्ताव	
श्री राम सिंह यादव	219
श्री भोगेन्द्र झा	224
प्रो० सैफुद्दीन सोज	229
श्री वी० एस० विजयराघवन	235
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति	236
75वां प्रतिवेदन	

विषय	पृष्ठ
श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचारपत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबंध (संशोधन) विधेयक, 1984	237
(धारा 2 और 3 का संशोधन)—पुरःस्थापित	
श्री राम नगीना मिश्र	
पदों तथा सेवाओं में रिक्त स्थानों का (अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के लिए) आरक्षण विधेयक	237—270
विचार किए जाने का प्रस्ताव	
श्री सुन्दर सिंह	237
श्री आर० एन० राकेश	240
श्री जेवियर अरुकल	245
श्री जगपाल सिंह	248
श्री राम प्यारे पनिका	250
श्री राम विलास पासवान	253
श्री चन्द्रपाल शैलानी	258
डा० वी० कुलनदईवेलु	260
श्री अनन्त रामुलु मल्लु	262
श्री अजित बाग	268
देशी भाषा समाचार एजेंसियों में कथित आर्थिक संकट, जिसके फलस्वरूप "समाचार-भारती" में हड़ताल और तालाबंदी तथा "हिन्दुस्तान समाचार" के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल करने का नोटिस	270—305
श्री मोहम्मद असरार अहमद	270
श्री कृष्ण प्रताप सिंह	272
श्री जयपाल सिंह कश्यप	274
श्री डी० पी० यादव	277
श्री रामलाल राही	277
श्री चन्द्रपाल शैलानी	280
प्रो० रूप चन्द पाल	283

विषय	पृष्ठ
आचार्य भगवान देव	285
श्री जे० एस० पाटिल	289
श्री रामावतार शास्त्री	290
श्री जी० एम० बनातवाला	292
प्रो० सैफुद्दीन सोज	295
श्री सत्यनारायण जटिया	297
श्री वीरेन्द्र पाटिल	298

लोक सभा

गुरुवार, 19 अप्रैल, 1984/30 चैत्र, 1906 (शक)

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई ।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

निधन सम्बन्धी उल्लेख

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण। मुझे अपने दो भूतपूर्व सहयोगियों सर्व श्री योगेश चन्द्र मुरमू और शान्तिलाल हरजीवन शाह के दुःखद निधन के बारे में सभा को सूचित करना है।

श्री योगेश चन्द्र मुरमू 1973-77 के दौरान पांचवीं लोक सभा के सदस्य थे और बिहार के राजमहल चुनाव-क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे।

श्री मुरमू की एक किसान होते हुए भी सामाजिक-कार्यों में गहन रुचि थी और जिला परिषद सहित वह अनेक सामाजिक संस्थाओं से सम्बद्ध थे। उन्होंने कमजोर वर्गों के उद्धार एवं प्रगति में विशेष रुचि ली थी।

श्री योगेश चन्द्र मुरमू 44 वर्ष की आयु में 30 मार्च, 1984 को पटना में दिवंगत हो गए।

श्री शान्तिलाल हरजीवन शाह 1967-70 के दौरान चौथी लोक सभा के सदस्य रहे और उन्होंने महाराष्ट्र के बम्बई उत्तर-पश्चिम चुनाव-क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। वह संविधान सभा (विधायी) के भी सदस्य रहे थे।

इससे पहले वे 1937-52 और 1952-66 के दौरान क्रमशः बम्बई (बाद में महाराष्ट्र) विधान परिषद और विधान सभा के सदस्य रहे। वह राज्य सरकार में 1952-66 के दौरान महत्वपूर्ण विभागों में मंत्री भी रहे।

वह एक पुराने स्वतन्त्रता सेनानी थे और उन्होंने स्वतन्त्रता आंदोलन में सक्रिय भाग लिया तथा कई बार जेल गये।

उन्होंने देश-विदेश का विशद भ्रमण किया था और 1952 में जनेवा में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन सम्मेलन में भारतीय शिष्ट-मण्डल का नेतृत्व किया था।

वह एक प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्त्ता और श्रमिक नेता थे और अनेक श्रमिक संघों के अतिरिक्त वह बहुत से शैक्षिक और सामाजिक संगठनों से सम्बद्ध थे।

वह जन्म-भूमि समाचार-पत्र समूह के न्यासी थे।

श्री शान्तिलाल हरजीवन शाह का 8 ० वर्ष की आयु में 5 अप्रैल, 1984 को बम्बई में देहावसान हो गया।

हमें इन मित्रों के निधन पर गहरा दु:ख है और मुझे विश्वास है कि शोक सन्तप्त परिवार को अपनी शोक सम्वेदना प्रेषित करने में सभा मेरे साथ है।

अब सभा अपना दु:ख प्रकट करने के लिए कुछ क्षण मौन रहेगी।

इसके पश्चात सदस्यगण कुछ देर मौन खड़े रहे।

प्रो० मधु दण्डवते : श्री शान्तिलाल शाह 5 अप्रैल को दिवंगत हुए और मैं उसकी ओर पहले ही ध्यान आकर्षित कर चुका हूं। निधन सम्बन्धी उल्लेख पहले क्यों नहीं किया गया? मर्यादा की मांग है कि यह बिला बिलम्ब किया जाना चाहिए। उनका निधन 5 अप्रैल को हुआ था और हम उसका उल्लेख आज कर रहे हैं। भविष्य में इससे बचा जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : एकमात्र समस्या यह थी कि सूचना नहीं मिली थी। हम इस प्रकार के विलम्ब को कम करने के भी उपाय करते हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : यह समाचार तो महाराष्ट्र के सभी समाचार-पत्रों में छपा था।

श्री सतीश अग्रवाल : पुष्टि राज्य सरकार की ओर से होती है? सभी राज्य सरकारों को परि-पत्र द्वारा यह स्थायी आदेश दिए जाने चाहिए कि वे इस प्रकार की सूचना शीघ्र प्रेषित करें।

अध्यक्ष महोदय : प्रथम घटना के बाद परिपत्र भेजा गया था और सूचना एकत्र की जाती है। फिर उसकी पुष्टि होती है। हम ऐसा करेंगे, अन्यथा यह बेढंगा लगता है।

श्री रामविलास पासवान : डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट को पकड़िये।

श्री रामावतार शास्त्री : श्री शिवपूजन शास्त्री का औबिचुअरी हुआ हो नहीं, जबकि वह बहुत पहले ही मारे गए थे, उनकी कोई खबर नहीं आयी। जब मैंने अटेंशन ड्रा की तब हुआ।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

मेडिकल कालेजों के मोबाइल क्लिनिकों की प्रगति रिपोर्ट

*740. **श्रीमती कृष्णा राही** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रिओरिएन्टेशन आफ मेडिकल एजुकेशन स्कीम के अन्तर्गत पूरे देश में मेडिकल कालेजों को 300 से अधिक मोबाइल क्लिनिकों की सप्लाई की गई है;

(ख) क्या सभी मेडिकल कालेजों से मोबाइल क्लिनिकों को प्राप्त करने की पुष्टि प्राप्त हो गई है ;

(ग) क्या ये मेडिकल कालेज मोबाइल क्लिनिकों के उपयोग के सम्बन्ध में स्वास्थ्य मंत्रालय को कोई प्रगति रिपोर्ट भेज रहे हैं ; और

(घ) यदि हां, तो कितने मेडिकल कालेजों ने मोबाइल क्लिनिकों के उपयोग की रिपोर्ट भेज दी है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उप मंत्री (श्रीमती कुमुदबेन एम० जोशी) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) 53 मेडिकल कालेज तिमाही प्रगति रिपोर्ट भेज रहे हैं।

श्रीमती कृष्णा साही : अध्यक्ष महोदय सवाल जितना बड़ा उत्तर उतना ही छोटा है, यह तो अच्छी बात है। मैं जानना चाहती हूं कि रीओरिएन्टेशन आफ मेडिकल एजूकेशन के अन्तर्गत अब तक कितनी राशि भारत सरकार ने खर्च की है और किन किन प्रान्तों में यह स्कीम दी गई और कब दी गई तथा कितनी सम्भावित जनता इससे प्रभावित हुई है और इससे लाभ पहुंचा है ?

कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी : रीओरिएन्टेशन मेडिकल स्कीम 1977 में शुरू हुई और हर मेडिकल कालेज को यह प्रोग्राम दिया गया है। फर्स्ट फौज में रेकरिंग एक्सपेंडिचर 1.29 लाख और नान-रेकरिंग 3.50 लाख रु० था। यह प्रोग्राम जो दिया गया है उसका रिव्यू भी किया गया और यह पाया गया कि 49 मेडिकल कालेज इस प्रोग्राम को अच्छी तरह से इमप्लीमेंट कर रहे हैं। और दूसरे मेडिकल कालेजों की रिपोर्ट आ रही है, वाई एण्ड लार्ज दे आर इमप्लीमेंटिंग दी प्रोग्राम इन दी मेडिकल कालेज। यह प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट अस्पताल और प्राइमरी अस्पताल के साथ मिल कर इस री ओरिएन्टेशन प्रोग्राम को लेना पड़ता है।

श्रीमती कृष्णा साही : अध्यक्ष महोदय, बिहार एक पिछड़ा प्रान्त है और वैसे तो देश की अधिकतर जनता गांवों में ही रहती है, लेकिन बिहार के पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुए वहां की औसतन गरीब जनता को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं हो रही है। जो सेन्टर्स या सब-सेंटर्स है उनकी वहां कमी है और जो हैं भी उनमें डाक्टर वहां नहीं जाते हैं। और अगर डाक्टर हैं भी तो उनको आवास की सुविधा नहीं है इसलिए वहां रहते नहीं हैं, और डाक्टरों की कमी भी बहुत है। इसलिए मैं मंत्री महोदय से जानना चाहती हूं कि बिहार को इस योजना के तहत कितनी राशि भारत सरकार ने आबंटित की है और क्या ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल वैन रखे हैं, या देहातों में भी हैं ? क्योंकि मन्त्री महोदय ने बताया कि जिला अस्पताल और प्राइमरी सेन्टर्स दोंनों मिलकर मोबाइल यूनिट वैन का इस्तेमाल करते हैं।.....लेकिन वस्तुस्थिति यह है कि यह मोबाइल वैन्स देहातों में नहीं जाते हैं, शहरों में ही रहते हैं। क्या मंत्री महोदय बता नहीं सकती हैं कि इसके बारे में उनको क्या प्रतिवेदन मिला है, बिहार से क्या रिपोर्ट प्राप्त हुई है ? अगर सन 70 में यह स्कीम चालू हुई हैं, आपने लिखा कि 53 मेडिकल कालेज ने तिमाही प्रतिवेदन

भेजे हैं, इसके पहले और भी रिपोर्ट्स आई होंगी, उसमें बिहार के बारे में क्या रिपोर्ट प्राप्त हुई है और ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी संख्या इससे लाभान्वित हुई है ?

कुमारी कुमुद बेन एम० जोशी : बिहार के 27 यूनिट्स को ये साधन दिए गए हैं और जो 53 इंस्टीट्यूट्स की रिपोर्ट आई है, उसमें बिहार से कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। मिनिस्ट्री से और भी सरकारों को लिखा गया है कि वह रिपोर्ट दें। जब तक रिपोर्ट नहीं आती है, तब तक पता नहीं लगता है कि इस का कितना यूटिलाइजेशन हुआ है।

लोहे के लदान के लिए वैगनों के आबंटन में कटौती

*741. **श्री मोती भाई आर० चौधरी** :

श्री भीम सिंह :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने लोहे के लदान के लिए वैगनों के आबंटन में कमी करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या कोयले के लदान को प्राथमिकता देने के लिए ऐसा किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो प्राथमिकता के आधार पर लोहे के लदान के सम्बन्ध में क्या स्थिति है ?

रेल मंत्री (श्री ए० वी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

श्री मोती भाई आर० चौधरी : मैं जानना चाहता हूं कि पिछले तीन सालों में लोहे के लदान के लिए कितने वैगन आबंटित किए गए और कोयले के लिए कितने आबंटित किए गए ?

श्री ए० वी० ए० गनी खान चौधरी : अध्यक्ष महोदय प्रश्न यह है कि क्या रेलवे ने लोहे के लदान हेतु वैगनों (मालगाड़ी के डिब्बे) की आबंटन संख्या को कम करने का निर्णय लिया है ? यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ? क्या ऐसा कोयले के लदान को प्राथमिकता प्रदान करने के लिए किया गया है ? यदि हां, तो प्राथमिकता के आधार पर लोहे के लदान के सम्बन्ध में क्या स्थिति है ?

महोदय, योजना आयोग प्रतिवर्ष हमारे पास लक्ष्य भेजता है और हम तदानुसार उस लक्ष्य को पूरा करने का प्रयास करते हैं। अतः, मेरे पास इस वर्ष के कोयले और इस्पात के लदान के आंकड़े हैं। इसके अतिरिक्त, कोयले की ढुलाई के लिए जिस किस्म के बैगन की आवश्यकता होती है वह इस्पात और इस्पात के तैयार माल की ढुलाई वाले वैगन से भिन्न प्रकार का होता है। अतः, इस्पात की ढुलाई कम करने का प्रश्न ही नहीं उठता है क्योंकि वैगन विभिन्न प्रकार के होते हैं।

माननीय सदस्य ने जो कुछ अपने प्रश्न में पूछा है, कहानी उससे अलग ही है वर्ष 1983-84 में,

हम उस लक्ष्य को पूरा नहीं कर सके, जिसे योजना आयोग ने निश्चित किया था। क्योंकि हमें इस्पात, लोहे और उर्वरक की ढुलाई के लिए अनुमानित मांग ही प्राप्त नहीं हुई। उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर, मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि जहां तक इस्पात का सम्बन्ध है, इस वर्ष के आरम्भ में भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के पास जो 15 लाख टन इस्पात का भण्डार था उसे वर्ष के अन्त तक कोयले की ढुलाई का सम्बन्ध है, हमने 1984-85 के दौरान 1060 लाख टन का लक्ष्य रखा है। कोयला विभाग 1170 लाख टन माल हमसे ढुलाना चाहता है। हम योजना आयोग से बातचीत कर रहे हैं कि यह नहीं हो सकता है।

अध्यक्ष महोदय, मुझे अभी-अभी आंकड़े मिले हैं। 1982-83 में, रेलवे ने 83.60 लाख टन इस्पात की ढुलाई की और 1983-84 में लगभग 77.30 लाख टन की ढुलाई की। गत वर्ष के आंकड़े कम हैं, क्योंकि मांग कम थी। मैं आपको यही बात समझाने पर बल दे रहा था कि पहले भी इस्पात से हटाकर कोयले की ढुलाई के लिए वैगन नहीं दिए गए हैं।

श्री मोती भाई आर० चौधरी : लोहे के लिए जो वैगन दिए जाते हैं, प्राथमिकता के आधार पर उनका कौन सा क्रम रहता है ? क्यों इस क्रम में कोई परिवर्तन किया गया है ? क्या इसको पीछे ले लिया गया है ?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा है कि इसमें कोई अन्तर नहीं पड़ा है।

श्री मोती भाई आर० चौधरी : क्रम क्या है, इसका जबाब उन्होंने नहीं दिया है।

अध्यक्ष महोदय : इसकी आवश्यकता नहीं है।

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : अध्यक्ष महोदय, प्राथमिकता मन्त्री मण्डल की मुख्य समिति द्वारा दी जाती है और योजना आयोग के अनुसार प्राथमिकता प्रमुख क्षेत्र को दी जानी चाहिए। प्रमुख क्षेत्र का अर्थ है, जैसाकि आप जानते हैं लोहे और इस्पात कोयला, सीमेंट और उर्वरक।

स्थापना (एस्टब्लिशमेंट) तथा जनता के सम्पर्क में आने वाले अनुमानों में लम्बे समय से काम करने वाले कर्मचारियों का स्थानान्तरण

*744. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे बोर्ड के स्थापना तथा जनता के सम्पर्क में आने वाले अनुमानों के कर्मचारी/अधिकारी लगातार पांच वर्ष से अधिक समय से वहां पर कार्य कर रहे हैं ;

(ख) क्या कोई ऐसे नियम हैं कि किसी भी कर्मचारी/अधिकारी को एक अनुभाग में पांच वर्ष से अधिक समय तक नहीं रखा जाना चाहिए ; और

(ग) यदि हां, तो उन्हें इस प्रकार के महत्वपूर्ण अनुभागों में पाँच वर्ष से अधिक समय तक लगातार एक ही स्थान पर काम करते रहने देने तथा अन्य अनुभागों में स्थानान्तरित न करने के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

1981 में लिए गए निर्णय के आधार पर स्थापना और जनता से सम्पर्क रखने वाले अनुभागों के कर्मचारियों और अधिकारियों को कुल मिलाकर वारी-वारी से तैनात किया गया है। अभी भी थोड़े से ऐसे कर्मचारी/अधिकारी हैं जो 4 से 5 वर्ष से अधिक समय तक अपने पदों पर बने रहे। ये अपवाद मुख्य रूप से ऐसे निदेशालयों/शाखाओं में हुए हैं जहां प्रतिनियुक्ति वाले निदेशक/रेल अधिकारियों ने निरंतरता बनाए रखने के लिए हाल ही में पद को सम्हाला है। रेलवे बोर्ड के स्थापना तथा जनता से सम्पर्क रखने वाले अनुभागों के इन कर्मचारियों/अधिकारियों को भी यथा समय अंतरण करके इन अनुभागों से हटा दिया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : उत्तर से श्री राकेश भी सन्तुष्ट हैं और मन्त्री महोदय भी सन्तुष्ट हैं। उनकी सन्तुष्टि से मेरी भी सन्तुष्टि हो गई है। श्री रामावतार शास्त्री।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या आपने उन्हें विवरण दे दिया है ?

श्री ए० बी० ए० गनी खां चौधरी : जी, हां।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जवाब में स्टैटमैन्ट है।

श्री रामविलास पासवान : तो मन्त्री महोदय को उसे पढ़ना चाहिये।

(व्यवधान)

श्री सतीश अग्रवाल : महोदय, वाद-विवाद में, इसे सम्मिलित करते समय, यह प्रश्न अनुत्तरित रह जायेगा, क्योंकि उन्होंने उत्तर पढ़ा ही नहीं है। उन्होंने तो केवल इतना कहा है कि एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

(व्यवधान)

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : अध्यक्ष महोदय कुछ उत्तर जब बहुत लम्बे होते हैं तो समय को बचाने के लिए हम उन्हें पढ़ते नहीं और कह देते हैं कि एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में उप मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन): यदि सदस्य लोग पढ़ते नहीं हैं, तो हम क्या कर सकते हैं।

*745. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दानापुर और अन्य रेलवे डिवीजनों के उन कर्मचारियों से, जो सेवा-निवृत्ति के

पश्चात् रेलवे आवासों को किन्हीं कारणों से खाली नहीं करते, बाजार भाव पर आवास किराया और बिजली के बिलों की अदायगी की राशि की कटौती करने के साथ-साथ उनकी पेंशन तथा सेवा-निवृत्ति के पश्चात् जारी किए जाने वाले रेलवे पास सहित अन्य भुगतानों को रोक लिया जाता है ;

(ख) क्या सेवा निवृत्त रेलवे कर्मचारियों को जितने मास तक वह रेलवे आवास खाली नहीं करते उतनी ही अवधि के बराबर पास जारी नहीं किए जाते ; और

(ग) यदि हां, तो रेलवे प्रशासत द्वारा उन सेवा-निवृत्त कर्मचारियों के जिन्होंने रेलवे आवास खाली कर दिया है, सभी भुगतानों की तुरन्त अदायगी के लिए क्या कार्यवाही की गई है और सरकार का पहले रोके गए पासों को बहाल करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) से (ग) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) मौजूदा अनुदेशों में व्यवस्था है कि जब कभी कोई सेवानिवृत्त कर्मचारी अनधिकृत रूप से रेलवे के क्वार्टर पर कब्जा किये रहता है तो उसे, उसकी मृत्यु एवं सेवा निवृत्ति उपदान या भविष्य विधि के विशेष अंशदान, जैसा भी मामला हो, में से नियमों के अधीन यथा अनुमेय किराया आदि की वसूलियों के लिए, उचित राशि रोक कर अनन्तिम रूप से पेंशन स्वीकार की जा सकती है। इसके अलावा, अनधिकृत रूप से रेलवे के क्वार्टर पर कब्जा किये रहने के प्रत्येक माह के लिए सेवा निवृत्ति के बाद दिये जाने वाले पासों में से भी प्रतिमाह एक सैट पास रोका जा सकता है।

(ग) नियमों के अनुपालनार्थ, रेल प्रशासन सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बकाया निपटान राशि के शीघ्र भुगतान करने के लिए आवश्यक कार्रवाई कर रहा है। सेवा निवृत्त कर्मचारियों को, जिस समय सेवानिवृत्त रेल कर्मचारी उनके द्वारा अनधिकृत रूप से कब्जा किये गये रेलवे के क्वार्टर खाली कर देते हैं, तो उन्हें सेवा काल के बाद दिये जाने वाले पासों की पूरी सुविधा फिर से दी जाने लगती है, किन्तु, पासों की सुविधा फिर से दिये जाने के समय उन्हें वे पास फिर से जारी नहीं किये जाते, जो उनके द्वारा अनधिकृत रूप से रेलवे के क्वार्टर पर कब्जा किये रहने की अवधि के दौरान समाप्त हो गये थे। जब्त कर लिए गए थे।

श्री रामावतार शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, ऐसे मन्त्री जी ने जो जवाब दिया है उससे कुछ बातों का तो खुलासा हुआ है लेकिन कुछ बातों का खुलासा होना बाकी है। तो मैं उन्हीं बातों का खुलासा चाहता हूं। जिन सेवा-निवृत्त रेल कर्मचारियों ने क्वार्टर नहीं खाली किए हैं उनकी मंडलवार, डिवीजन वाइज संख्या पूर्वोत्तर रेलवे में कितनी है और क्या उनसे मार्केट रेट पर किराया वसूला जाता है जो उनकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए अधिक होता है ? क्या सरकार उन्हें इस दिशा में कुछ सुविधा देने का विचार रखती है और यदि नहीं तो क्यों ?

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : महोदय, किसी सेवा निवृत्त रेलवे कर्मचारी को अपना आवास सामान्य किराये का भुगतान करके दो मास तक अपने पास रखने की अनुमति दी जा सकती है।

हमारी आवासीय स्थिति बड़ी गम्भीर है। आप जानते हैं कि उस दिन भी चर्चा के दौरान मैंने बताया था कि कुल मिलाकर यह केवल 37% है। तो यह स्वाभाविक है कि जब कोई व्यक्ति सेवा निवृत्त होता है तो हम चाहते हैं कि वह यथा सम्भव शीघ्रता से आवास खाली कर दे। आमतौर से हम उन्हें दो मास का समय देते हैं, जिसके लिए हम उनसे दो मास के सामान्य किराये की मांग करते हैं। हम उनसे इससे अधिक नहीं लेते हैं। यदि वह उस निश्चित अवधि में आवास खाली नहीं करता है अर्थात् दो मास के भीतर तो उसे और दो मास की छूट दी जा सकती है। आपवादिक मामलों में कुछ मामले ऐसे हैं और फिर भी यदि वह उन दो महीनों में मकान खाली न करे तो, प्रत्येक मामले के हालात को ध्यान में रखते हुये अनुज्ञेय अवधि से मियाद बढ़ाई जाती है। ऐसा स्वतमेय ही नहीं हो जाता यह मामले के हालात पर निर्भर करता है।

पहले दो महीनों के सम्बन्ध में, जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि सेवा निवृत रेलवे कर्मचारियों को सिर्फ सामान्य किराया देना पड़ता है। अगर अगले दो महीनों के लिये और अनुमति मिलती है तो उन्हें सामान्य से दुगना किराया देना होता है। और उन दो महीनों के पश्चात् उन्हें बाजार दर से किराया देना पड़ता है। हम ऐसा उन्हें हतोत्साहित करने के लिये करते हैं क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि हमारे पास मकानों की अत्यधिक कमी है और हम चाहते हैं कि वे जितना जल्दी से जल्दी हो सके उन्हें खाली कर दें। अत: माननीय सदस्य का यह सुझाव कि हमें बाजार दर से किराया नहीं लेना चाहिये, अध्यक्ष महोदय, हम इसका समर्थन नहीं करेंगे क्योंकि जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि हम दो महीनों के लिये रियायत देते हैं। अगले दो महीनों के लिये हमने शर्त लगाई है कि वे उसी मकान को सामान्य दर से दुगना किराया देकर रख सकते हैं। मेरे विचार से माननीय सदस्य और अधिक छूट के लिये आग्रह नहीं करेंगे।

श्री रामावतार शास्त्री : अध्यक्ष जी, जो रेल कर्मचारी सेवा से निवृत्त हो चुके हैं और जिन्होंने क्वार्टर भी खाली कर दिए हैं, उन्हें अब तक सभी प्रकार के भुगतान जोकि उनको मिलने हैं, जो ड्यूज उनको लेना है वह अभी तक भुगतान न किए जाने का क्या कारण है; रेलवे एम्पलाईज की ऐसी बहुत बड़ी संख्या है जिन्होंने क्वार्टर भी खाली कर दिए हैं लेकिन आपकी तरफ से जो उनको ड्यूज देने हैं वह आपने अभी तक नहीं दिए हैं। तो जो भी उनके ड्यूज हैं वह तो आप उनको समय पर देते नहीं हैं उसका क्या कारण है? दूसरे—आपके यहां ऐसा कोई नियम होगा कि रिटायर होने के बाद इतने दिनों में सारे ड्यूज क्लियर कर दिए जाएंगे? इस तरह का कोई पीरियड फिक्स्ड है या नहीं? अगर है तो उसके अनुसार उनके बकाए का भुगतान क्यों नहीं किया जाता है?

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : विलम्ब होने का मुख्य कारण है 'बेबाकी प्रमाण-पत्र का जारी न होना सरकारी कर्मचारी को सेवा निवृत्त होने से पहले पेंशन एवं अन्य देय राशि लेने से पहले 'बेबाकी' प्रमाण-पत्र लेना होता है। कर्मचारियों से सरकार का बकाया वसूल न होने पर सरकार को पता नहीं चलता कि किसने भुगतान किया है और किसने नहीं किया। इसलिए उन्हें 'बेबाकी' प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होता है। निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि यदि किसी सेवानिवृत्त व्यक्ति के प्रति 15 महीने की अवधि में कोई दावा नहीं किया जाता यह समझा जाएगा कि उसके प्रति कोई दावा बकाया नहीं यह स्वमेव हो जाता है। अगर व्यवसायिक ऋण बकाया तो इसके लिए सेवा निवृत्ति के पश्चात् छह महीने की अवधि है अगर व्यवसायिक बकाया नहीं है तो यह अवधि 15 महीने है मुझे कुछ ऐसा बताया गया है शायद आपको मुझसे अधिक मालूम होगा क्योंकि मुझे अनुभव नहीं है—सामान्यत: अगर

किसी विशेष कर्मचारी की प्रति कोई राशि बकाया नहीं है तो सेवा निवृत्ति के एक महीने के अन्दर उसे देय राशि का भुगतान कर दिया जाता है।

श्री भीकू राम जैन : मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा क्या यह सच है कि सिर्फ वही कर्मचारी जो कुछ पैसा लोगों को देते हैं उन्हें एक महीने में ही भुगतान हो जाता है और दूसरों को महीनों तक इन्तजार करना होता है।

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : यह एक गम्भीर आरोप है, भ्रष्टाचार का आरोप। मैंने इसके बारे में नहीं सुना। मुझे नहीं मालूम। मैं माननीय सदस्य का आभारी होऊंगा यदि वे कुछ मामले मुझे बता सकें और मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि मैं उन लोगों के प्रति कठोर कदम उठाऊंगा।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहूंगा क्या उनके विभाग के पास आंकड़े हैं कि कितने व्यक्तियों को सेवानिवृत्ति के एक महीने में देयराशि का भुगतान कर दिया गया।

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : आंकड़ों के आधार पर ही मैंने यह कहा है कि सामान्यतः ऐसे मामलों में जहां पर कर्मचारी के प्रति कोई राशि बकाया नहीं होती एक महीने का समय लगता है। किन्तु अगर कर्मचारी को कुछ भुगतान करना है जैसे कि बिजली का बिल, भविष्य निधि से लिया गया रुपया आदि-आदि तो इस मामले में कुछ देर भी हो सकती है। इसीलिए हर जगह सरकारी कर्मचारी "बेबाकी प्रमाण-पत्र" लेना होता है। दिक्कत सिर्फ "बेबाकी प्रमाण-पत्र" के सम्बन्ध में है। मैं बता चुका हूं किस प्रकार से "बेबाकी प्रमाण-पत्र" प्राप्त किया जा सकता है।

निजी व्यापारियों को खड़गपुर में रेलवे भूमि का आबंटन

*749. **श्री नारायण चौबे** :

श्री अजित बाग :

क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खड़गपुर दक्षिण पूर्व रेलवे में निजी व्यापारियों को रेलवे भूमि के भूखंडों को पट्टे पर आबंटित करने के सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) क्या रेलवे द्वारा भूमि के आबंटन की याचिका को केवल तभी स्वीकार किया जाता है जब रेलवे के पास प्रति याचिका सौ रुपये की धनराशि जमा करा दी जाती है ; और

(ग) रेलवे के पास इस समय इस तरह की कितनी याचिकाएं लम्बित हैं तथा भूमि के लिए इस प्रकार की याचिकाओं से खड़गपुर में रेलवे द्वारा कितनी धनराशि एकत्रित की गई है ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) से (ग) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) खड़गपुर में रेलवे भूमि का आबंटन के सम्बन्ध में कुछेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ख) जी, हां। दक्षिण पूर्व रेलवे प्रत्येक आवेदन-पत्र के साथ 100 रुपये जमा करने के लिए मांग कर रही है जिससे प्लान तैयार करने और लिपिकीय खर्चों से सम्बन्धित प्रक्रिया प्रभारों को पूरा किया जा सके। इस जमा में से 75 रुपयों को, भूमि का आबंटन हो जाने पर, जमानत की राशि में समायोजित कर लिया जाता है।

(ग) प्राप्त हुए कुल 3015 आवेदनों में से 1655 आवेदकों को पिछले छः वर्षों में भूमि का आबंटन कर दिया गया है। 1360 आवेदन-पत्र लम्बित पड़े हुए हैं जिनकी जमा राशि 1,36,000 रुपये है।

श्री अजित बाग : वक्तव्य में, माननीय मन्त्री जी ने स्वीकार किया है कि कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे इस प्रकार की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं। शिकायतें किस प्रकार की हैं तथा उनके प्रति सरकार ने क्या कार्यवाही की है।

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : रेलवे भूमि के निपटारे के सम्बन्ध में अपनाई जाने वाली नीति के सम्बन्ध में रेलवे सुधार समिति की सिफारिशें प्राप्त होने से पहले हमें विभिन्न शिकायतें प्राप्त होती थीं जैसे कुछ व्यक्तियों ने रेलवे अधिकारियों से सांठ-गांठ करके रेलवे की भूमि पर कब्जा कर रहे हैं। मुझे यह भी पता चला है कि एक सज्जन को नर्सिंग होम खोलने के लिए भूमि दी गई। इस किस्म की कई शिकायतें भी थीं।

हम इस नीति का समर्थन नहीं करते।

रेल सुधार समिति की सिफारिशों को प्राप्त करने के बाद हमने सम्पूर्ण नीति को बदल दिया है।

श्री अजित बाग : माननीय मन्त्री जी ने स्वीकार किया है उन्हें कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। मैं जानना चाहूंगा कि विशिष्ट रूप में इस प्रकार की कितनी शिकायतें माननीय मन्त्री जी को मिलीं और वे किस प्रकार की हैं।

माननीय मन्त्री जी ने केवल एक शिकायत का उल्लेख किया है। क्या माननीय मन्त्री जी इस एक मामले को स्पष्ट करने की स्थिति में नहीं हैं?

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : प्रश्न खड़गपुर के बारे में है। मैंने जवाब दे दिया है कि ये शिकायतें हमें प्राप्त हुई हैं।

रेलवे सुधार समिति की सिफारिशें प्राप्त करने के पश्चात् हमने नीति का संशोधन कर दिया है।

श्री अजित बाग : यह बताया गया है कि जमीन के लिए 3,015 अर्जियां प्राप्त की गयीं और उनमें से 1,655 प्रार्थियों को पिछले छह वर्षों में जमीन दे दी गई। 1360 अर्जियां लम्बित हैं।

क्या मैं माननीय मन्त्री जी से जान सकता हूं कि इन लम्बित अर्जियों का निपटान कितने समय

में कर दिया जाएगा और क्या माननीय मन्त्री जी छोटे व्यापारियों तथा अन्य लोगों को पट्टे पर जमीन देने का विचार करेगी जैसा कि इन मामलों में किया गया है। बागवान, छानगले तथा बोरिया, दक्षिण पूर्वी रेलवे स्टेशन के पास और क्या ये सुविधायें रेलवे के सभी अन्य भागों में जैसे कि पूर्वोत्तर रेलवे में, विस्तारित की जाएंगी ?

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : माननीय सदस्य जो बात कह रहे हैं वह अब एक पुरानी बात हो गई है क्योंकि अब हमने सम्पूर्ण नीति को बदल दिया है। वर्तमान नीति जैसी कि रेलवे सुधार समिति द्वारा निर्धारित की गई है और जिसे की भूमि प्रबन्धन की जांच तथा खाली पड़ी रेल भूमि के आबंटन और उसे अस्थायी लाइसेंस पर देने के बारे में समीक्षा की, में काफी कुछ सुधार किए जाने की गुंजाइश है।

रेल सुधार समिति ने सुझाव दिया है।

(क) पटरी के साथ खाली जमीन पर वृक्षारोपण करना।

(ख) रेल लाइन के लिए निम्नतम लाइसेंस फीस की पुनरीक्षा।

(ग) भूमि विकास प्राधिकरण का गठन जो महानगरों में मूल्यवान भूमि का प्रबन्धन तथा उपयोग करेगा।

यह मूलभूत नीति है। अब हम भूमि प्रबन्धन प्राधिकरण की स्थापना करने जा रहे हैं जो कि हमारे विचाराधीन है और भूमि प्रबन्धन प्राधिकरण के अनुसार अगर भूमि फालतू हुई तो हम भूमि का आबंटन कर देंगे। हमारा उद्देश्य है (क) रेलवे के लिए परिसम्पति बनाना और (ख) अगर मुमकिन हो तो भूमि को खुले बाजार में बेच कर पैसा प्राप्त करना। बहुत से कार्यक्रम धन की कमी के कारण रेलवे में रुके हुए हैं और यहीं इस सम्मानीय सदन में बहुत से माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया है कि हम रेलवे की भूमि को बेचकर और उस पैसे का उपयोग करके क्यों नहीं रेलवे का विस्तार करते। रेलवे सुधार समिति ने बिल्कुल इसी प्रकार का सुझाव दिया है। हम उसके अनुरूप कार्रवाई करने जा रहे हैं।

श्री जेवियर अराकल : माननीय मन्त्री जी ने अभी बताया कि रेलवे लाइन की उपयोगिता का मूल्यांकन करने के लिए एक भूमि प्रबन्धन समिति गठित की जाएगी। मैं जानना चाहूंगा कब और किस प्रकार से यह समिति बनाई जाएगी और इस समिति के सदस्य कौन होंगे। जैसाकि मैं समझता हूं रेलवे की काफी भूमि अतिक्रमणकारियों द्वारा अधिकृत कर ली गई है। इनको निकालने के लिए क्या इस समिति के पास सांविधिक अधिकार होगा अथवा यह समिति किस प्रकार का कार्य करेगी ? माननीय मन्त्री जी से मैं एक और स्पष्टीकरण चाहूंगा। रेलवे में बड़ी संख्या में अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के लोग हैं, विशेष रूप में कुली वर्ग में। क्या इस भूमि प्रबन्धन समिति से उन्हें भी भूमि लेने का अधिकार होगा ? मैं ब्यौरा जानना चाहता हूं क्योंकि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : रेलवे सुधार समिति ने यह सिफारिश की है कि हमें भूमि प्रबन्धन प्राधिकरण बनाना चाहिए। यह सिफारिश विचाराधीन है। भूमि प्रबन्धन प्राधिकरण का गठन जोकि माननीय सदस्य जानना चाहते हैं वह मेरे पास इस समय नहीं है।

प्रो० एन जी० रंगा : हमें बताया गया है कि एक लाख एकड़ से अधिक भूमि, सच तो यह है कि कई लाख एकड़ जमीन रेलवे के कब्जे में है। विशेष रूप में रेल स्थानों के पास और बहुत ही लम्बे अरसे से हम रेलवे अधिकारियों पर दबाव डालते रहे हैं कि अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए भूमि के अभाव को दृष्टिगत रखते हुए उन्हें अस्थायी रूप में यह जमीन पट्टे पर दे दी जाए। और कुछ के लिए अनुसूचित जाति के लोगों को दे दी गई थी और वे भूमि के कुछ भाग में खेती करके कुछ आय कर रहे थे। क्या हम यह समझें कि यह नीति अब बदली की जा रही है? इससे अधिक और क्या है, इससे अनुसूचित जाति के लोगों को क्या लाभ होगा अगर सीमांत भूमि भी, पट्टे पर देने तक के उद्देश्य के लिए, प्रतिस्पर्द्धा मूल्यों पर बेचने के लिए रखी जा रही है?

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : रेलवे की अधिकतर जमीन अतिचारियों द्वारा अधिकृत की गई है, यह एक लाख एकड़ से कम ही होगी। राज्य सरकारों की मदद से हम जमीन को वापस लेने की कोशिश करेंगे। पहली बात, भूमि हमारे कब्जे में नहीं है; यह तो पुरानी बात हो गई है कि सभी जगह अतिचारियों द्वारा भूमि अधिकृत कर ली गई है। कोई भी राज्य सरकार इस मामले में हमारी मदद करने के लिए सक्रिय रूप में आगे नहीं आएगी। कभी-कभी राज्य सरकार कहती हैं, 'आप भूमि वापस करिए।' हम भूमि वापस देने को तैयार हैं बशर्ते कि वे हमें खुली बाजार दरें दें। अन्यथा हम क्यों कर भूमि को वापस करें?

अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के पुनर्वास के सम्बन्ध में, हमारे द्वारा बनाया जा रहा प्राधिकरण नीति निश्चित करेगा। जैसाकि मैंने कहा है, हम रेलवे के लिए एक परिसम्पत्ति का निर्माण करने के लिए यह कह रहे हैं और यदि हम परिसम्पत्तियां नहीं बना सके तो हम भूमि को खुले बाजार में बेचना चाहेंगे, ताकि रेलों में कोई अच्छा कार्य करने के लिए हमारे पास कुछ धनराशि जमा हो सके।

दिल्ली हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस द्वारा 1982-83 के दौरान डीजल इंजनों के साथ औसत मासिक "ट्रिपों" की प्रतिशतता

***750. श्री सूरज भान :**

श्री अटल बिहारी बाजपेयी :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली हावड़ा मार्ग के भारी लागत पर विद्युतीकरण के बावजूद वर्ष 1982-83 और चालू वर्ष के दौरान दिल्ली और हावड़ा के बीच राजधानी एक्सप्रेस के डीजल इंजनों के साथ औसत मासिक ट्रिपों की प्रतिशतता क्या थी;

(ख) उसके क्या कारण हैं और इनमें से कितने प्रतिशत ऐसे ट्रिप विद्युत इंजनों की मोटर के पुर्जों के जल जाने के कारण थे; और

(ग) उपर्युक्त (ख) में उल्लिखित मामलों में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की मोटरों की प्रतिशतता क्या है?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) से (ग) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) दिल्ली और हावड़ा के बीच राजधानी एक्सप्रेस के डीजल और बिजली रेल इंजनों द्वारा कर्षित फेरों का प्रतिशत निम्नलिखित था :—

वर्ष	बिजली रेल इंजनों द्वारा कर्षित फेरों का प्रतिशत	डीजल रेल इंजनों द्वारा कर्षित फेरों का प्रतिशत
1982-83	100%	कुछ नहीं
1983-84	50%	50%

(ख) 1-4-83 से समय सारिणी में संशोधन करके हावड़ा-नयी दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के फेरों को सप्ताह में दो बार के स्थान पर सप्ताह में चार बार तक बढ़ा दिया गया है। ऐसा करने से सेवाओं की आवश्यकता पूरी करने के लिए संपीड़ित हवाई ब्रेक युक्त एक अतिरिक्त रेंक चालू किया गया है जबकि वर्तमान रेंक वैक्यूम ब्रेक सहित चलाये जाते रहेंगे चूंकि संपीड़ित हवाई ब्रेक की व्यवस्था वाले रेंकों को परिचालित करने वाले कोई बिजली रेल इंजन उपलब्ध नहीं थे, सवारी डिब्बों पर संपीड़ित हवाई ब्रेक प्रणाली के संचालन की सुविधा वाले इन रेंकों के लिए डीजल रेल इंजनों का उपयोग किया गया जबकि बिजली रेल इंजनों द्वारा वैक्यूम ब्रेक वाले रेंकों का परिचालन जारी रहेगा। इसलिए हावड़ा-नयी दिल्ली के बीच बिजली रेल इंजनों और डीजल रेल इंजनों द्वारा कर्षित फेरों का प्रतिशत प्रत्येक मामले में 50% है।

राजधानी एक्सप्रेस पर मोटर पुर्जों के जलने और बिजली रेल इंजनों के खराब हो जाने की कोई घटनाएं नहीं हुयीं जिससे कि उन्हें डीजल रेल इंजनों से बदला जाये।

(ग) उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए इसका प्रश्न नहीं उठता।

श्री सूरज भान : अध्यक्ष महोदय, स्टेटमेंट में यह कहा गया है कि 1982-83 में 100 फीसदी इलैक्ट्रिक इंजन से राजधानी एक्सप्रेस चलेगी लेकिन अगले साल 50 फीसदी डीजल इंजन से और 50 फीसदी इलैक्ट्रिक इंजन से चलेगी और उस की वजह यह बताई है कि इलैक्ट्रिक इंजन नहीं हैं। अरबों रुपया खर्च करके दसियों साल में आप ने पूरे ट्रैक को इलैक्ट्रिफाई किया है और तब आप ने यह सोचा कि दो ट्रिप के बजाए चार ट्रिप इस के करेंगे। यह आप ने ओवरनाइट सोच लिया। इसके लिए पहले से कोई प्लान बनाया होगा और चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स को लिखा होगा कि हमें इतने इंजन चाहिए या बगैर प्लान के आपने सब कुछ कर लिया। आप ने चितरंजन लोकोमोटिव वर्कस को लिखा होगा कि इतने इन्जन चाहिए और वे नहीं दे पाया या आपने इनके लिए लेट लिखा। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि इसके लिए कौन जिम्मेवार है। अरबों रुपया आपने इस पर खर्च कर दिया और अब डीजल इन्जन की आप बात करते हैं और उसमें ज्यादा पैसा खर्च होता है। तो कृपा करके यह बताइए कि इसके लिए कौन जिम्मेवार है ?

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : रेल इंजनों या लोको इन्जनों की कमी का कोई प्रश्न नहीं है। बात दरअसल यह है। एयर ब्रेकिंग प्रणाली वैक्यूम ब्रेक प्रणाली से काफी बेहतर मानी जाती है। जब हावड़ा-दिल्ली राजधानी के फेरे दो से बढ़ाकर चार कर दिए गए तो इसके लिए एक अतिरिक्त 'रेंक' की आवश्यकता पड़ी, और उस समय सेवाओं की पूर्ति के लिए इसमें संपीड़ित हवाई ब्रेक लगाए गए। लेकिन इस एयर ब्रेकिंग प्रणाली के लिए हमारे पास कोई ऐसा बिजली इंजन नहीं है जिसमें हवाई ब्रेकिंग प्रणाली को फिट किया जा सके। हमारे पास वैक्यूम प्रणाली है। वैक्यूम ब्रेक वाले विद्युती इंजन हमारे पास कई हैं। इंजनों की कोई कमी नहीं है, जैसाकि माननीय सदस्य सोच रहे हैं। लेकिन यह प्रणाली का प्रश्न है। प्रणाली हवाई ब्रेकिंग प्रणाली है। हम हवाई ब्रेकिंग प्रणाली आरम्भ करना चाहते हैं। मुझे बताया गया है—मैं स्वयं अभियन्ता नहीं हूं और मैं आपको विस्तार से नहीं बता सकता—कि यह अधिक बेहतर प्रणाली है। क्योंकि कोई भी विद्युत इन्जन·····(**व्यवधान**)

कृपया मुझे उत्तर पूरा करने दें। चूंकि किसी भी लोको इन्जन में संपीड़ित ब्रेक वाली रेलगाड़ी के प्रचालन का प्रावधान नहीं था, इस रेंक के लिए एयर ब्रेक प्रणाली की सुविधा से लैस डीजल इन्जनों का प्रयोग किया। बिजली इन्जनों को अब भी वैक्यूम ब्रेक से चलाया जा रहा है। हावड़ा-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के दोनों रेंकों को आगामी तीन महीनों में विद्युत इन्जन द्वारा चलाना सम्भव हो जाएगा क्योंकि तब तक हम दोनों रेंकों में एयर ब्रेकिंग प्रणाली आरम्भ कर देंगे।

श्री सूरजभान : अध्यक्ष महोदय, एयर ब्रेकिंग और वैक्यूम की बात को बीच में आकर आप खुद ही उलझ गए हैं। एक्चुअल रीजन यह नहीं है। आपने खुद माना है कि इलेक्ट्रिक इन्जन नहीं थे इस लिए डीजल इन्जन लाए, यह आप खुद मान रहे हैं।

एक बात मैं और पूछना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि लोड का सवाल है। आज इनकी रेलवे 39 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रही है। परमिलेबल कैंपेसिटी ज्यादा है। अगर इसको 60 किलोमीटर पर आवर कर दिया जाए तो बिना किसी अतिरिक्त खर्चे के जो रैक्स आपके पास हैं, उनका डबल यूज हो जाएगा।

मैं पूछना चाहता हूं कि राजधानी एक्सप्रेस 120 किलोमीटर की स्पीड से एक बार चल चुकी है पहले और आपके इन्जन की कैंपेसिटी है 18 कोचेज ले जाने की। 130 किलोमीटर की स्पीड से वह चल सकता है। आप उसको 105 किलोमीटर की स्पीड से चला रहे हैं और 18 बोगीज के बजाए 8-10 बोगीज ले जा रहे हैं। आपके पास इन्जन भी हैं। ए० डब्ल्यू० पी० वन बना हुआ है, चितरंजन ने बना दिया है। आप उसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं और उसकी पूरी केपेसिटी का इस्तेमाल, लोड का और स्पीड की पूरी केपेसिटी का इस्तेमाल अगर आप कर पाएं तो इससे मुल्क को ज्यादा फायदा होगा। मुल्क को ज्यादा फायदा हो, इसके लिए आप क्या करने जा रहे हैं?

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैंने सारी बात समझा दी है और मैं माननीय सदस्य को एक बार फिर आश्वासन देता हूं कि हमारे पास बिजली इन्जनों की कमी नहीं है। (**व्यवधान**) समय की पाबन्दी के पहलू को ध्यान में रखते हुए मैंने रेल कर्मचारियों को बता दिया है कि किसी भी हालत में समय की पाबन्दी में शिथिलता नहीं आनी चाहिए। अब, आप किसी भी गति की बात करें, समय की पाबन्दी को ध्यान में रहना होगा, सुरक्षा को ध्यान में रखना होगा। मैं आपके सुझाव पर विशेषज्ञों की राय भी लूंगा, लेकिन रेल पट्टी की हालत बहुत खराब है। यदि स्थिति अच्छी नहीं है

तो जोखिम उठाने की कोई फायदा नहीं है। मैं विशेषज्ञों को माननीय सदस्य की चिन्ता से अवगत करा दूंगा और यदि वे गति बढ़ाने में सहमत हो जाएंगे तो गति बढ़ा दी जाएगी।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : महोदय, माननीय मन्त्री ने अपने उत्तर में कहा है कि 1983-84 में 50 प्रतिशत विद्युत इन्जनों से तथा 50 प्रतिशत डीजल इन्जनों से चलाई गई। उन्होंने यह भी कहा है कि सभी विद्युत इन्जनों में एयर ब्रेक प्रणाली नहीं है तथा तीन महीनों में सभी विद्युत इन्जनों में एयर ब्रेक प्रणाली लगा दी जाएगी·····

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : मैंने केवल राजधानी एक्सप्रेस के रेंकों के बारे में उल्लेख किया था न कि सभी गाड़ियों के बारे में।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : मैं भी केवल राजधानी एक्सप्रेस की बात कर रहा हूं। अब राजधानी एक्सप्रेस 50 प्रतिशत विद्युत इन्जनों तथा 50 प्रतिशत डीजल इन्जनों से चलाई जा रही है। 50 प्रतिशत डीजल इन्जनों द्वारा चलाई गई गाड़ियों से कितना अतिरिक्त खर्च हुआ है? 1983 तथा 1984 के दौरान दिल्ली से हावड़ा तक राजधानी एक्सप्रेस की सीटों/शायिकाओं के भरे जाने की प्रतिशतता क्या है? मैं यह जानकारी चाहता हूं।

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : ये सभी प्रश्न मुख्य प्रश्न से उत्पन्न नहीं होते।

श्री लंका द्वारा भारत यात्रा पर पाबन्दियां

*751. **श्री पी० एम० सईद** : क्या **विदेश मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीलंका सरकार भारत यात्रा पर हाल में में लगाई गई पाबन्दियों पर सम्बन्धित अधिकारियों से पुनर्विचार करने के लिए कहने को सहमत हो गई है;

(ख) क्या भारत ने इस सम्बन्ध में श्रीलंका से अनुरोध किया था;

(ग) क्या श्री लंका ने इस सम्बन्ध में कोई निर्णय कर लिया है; और

(घ) यदि हां, तो भारत को वह कब तक सूचित किए जाने की आशा है?

विदेश मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : (क) और (ख) कोलम्बो स्थित हमारे हाई कमीशन ने हाल ही में लगाए गए विदेशी मुद्रा नियन्त्रण प्रतिबन्धों पर पुनर्विचार के प्रश्न को श्रीलंका के सम्बन्धित प्राधिकारियों के साथ उठाया है जो विमान द्वारा उनके यहां से दक्षिण भारत के नगरों में आने वाले उनके राष्ट्रिकों पर लागू होते हैं। इन अनुदेशों के अन्तर्गत दक्षिण भारत आने वाले श्रीलंका के सभी राष्ट्रिकों की "पी" फार्म अनुमति लेनी आवश्यक होगी जो दो वर्ष में एक बार मिलती है। हाल ही में जारी किए गए इन अनुदेशों से पहले इन जगहों के लिए "पी" फार्म अनुमति की जरूरत नहीं थी।

(ग) और (घ) सरकार को श्री लंका के प्राधिकारियों द्वारा इन अनुदेशों पर पुनर्विचार करने के किसी निर्णय की जानकारी नहीं है।

श्री पी० एम० सईद : उनके उत्तर से स्थिति स्पष्ट हो गई है और मैं नहीं समझता कि मैं कोई अनुपूरक प्रश्न पूछने की स्थिति में हूं, लेकिन मैं उनसे केवल एक स्पष्टीकरण मांगना चाहूंगा और वह यह है : उन्होंने कहा है कि यह केवल श्री लंका के नागरिकों पर लागू है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि वहां नागरिकता विहीन व्यक्ति भी हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि श्रीलंका सरकार के अधिकारियों द्वारा अब लगाए गए प्रतिबन्ध इन नागरिकता विहीन व्यक्तियों पर भी लागू होते हैं जो कि लंका के नागरिकों का एक अंग है ?

श्री पी० वी० नरसिंह राव : प्रश्न दक्षिण भारत के गन्तव्य स्थानों तथा देश के अन्य गन्तव्य स्थानों के बीच विभेद का है। नियमों में यह प्रावधान है कि सभी लोगों को पी० फार्म भरने की आवश्यकता है, लेकिन किसी समझौते के अनुसार उन लोगों के मामले में इस नियम की कठोरता से अनुसरण नहीं किया जा रहा है जो दक्षिण भारत के किन्हीं गन्तव्य स्थानों को जाते हैं जबकि अन्य मामलों में यह फार्म भरवाया जाता रहा है और अब भी भरवाया जाता है। अब प्रश्न का अभिप्राय, जैसा कि मैं समझता हूं, यह है कि दक्षिण भारत के गन्तव्य स्थानों के मामले में भी जो कुछ छूट थी या जो समझौता हुआ था उसे श्रीलंका सरकार के सम्बन्धित अधिकारियों ने वापस ले लिया है। ऐसा क्यों किया गया है ? हमने उनके साथ मामला उठाया है। उन्होंने हमें बताया है कि ऐसा श्रीलंका सरकार को विदेशी मुद्रा में होने वाली हानि को रोकने के लिए किया गया है। इस बात का फैसला करना उनके क्षेत्राधिकार में हैं। हम उन्हें केवल राजी कर सकते हैं। हम उन्हें राजी करने का निरन्तर प्रयास कर रहे हैं ताकि पुरानी व्यवस्था फिर कायम हो सके। यह हम एक-एक करके करेंगे। लेकिन इस समय यही उत्तर है जो उन्होंने हमें दिया है। जहां तक श्रीलंका के नागरिकों तथा नागरिकता विहीन व्यक्तियों में विभेद का प्रश्न है, मैं नहीं समझता कि यह यहां प्रासंगिक है। दक्षिण भारत के किसी भी स्थान को जाने वाले किसी भी व्यक्ति को अब पी० फार्म निकासी की आवश्यकता होगी। श्रीलंका से आने वाले किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो दक्षिण भारत के किसी गन्तव्य स्थान में जाना चाहता है, उसे उस व्यक्ति के समकक्ष माना जाएगा जो कहीं और जाना चाहता है। दक्षिणी भारत के स्थानों का यह विभेद समाप्त कर दिया गया है।

श्री पी० एम० सईद : स्पष्टीकरण जानने के पश्चात् मुझे एक अनुपूरक प्रश्न पूछने की जिज्ञासा हुई है। दक्षिण भारत के यात्रियों के लिए जो यह सुविधा दी गई थी उसे वापस ले लिया गया है। उनका कहना है कि यह केवल उनकी विदेशी मुद्रा में बचत के लिए किया गया है। ठीक है, मुझे इस बारे में कोई शिकायत नहीं है। अब जो परिस्थितियां हैं, जैसा कि सभी को मालूम है, श्रीलंका के उत्तरी भाग में स्थिति बहुत तनाव-ग्रस्त है। हाल ही में श्रीलंका के राष्ट्रपति ने अपने देश में तमिली लोगों के सम्बन्ध में भारत सरकार की कार्यवाही के बारे में आशंकाएं व्यक्त की हैं। उन्होंने अपने देश के अधिकारियों को तमिली लोगों से निपटने के लिए निर्देश भी जारी किए हैं। उस दिन मैंने एक समाचार पढ़ा था जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि भारत सरकार उनके देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रही है। समाचार पत्रों में छपे इस समाचार से ऐसा लगता है कि भारत सरकार तथा श्रीलंका सरकार के बीच सम्बन्ध इतने सौहार्दपूर्ण नहीं हैं जितने पहले हुआ करते थे। इसलिए, मौजूदा परिस्थितियों में क्या भारत सरकार श्रीलंका सरकार से यह आग्रह करेगी कि दक्षिण भारत की यात्रा पर आने वाले श्रीलंकाई तमिलियों को जो रियायतें अब तक मिल रही थीं, वे जारी रखी जाएं।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : मैं पहले ही कह चुका हूं कि यह मामला बैंक आफ सीलोन के

गवर्नर के साथ उठाया गया है और उनसे जो उत्तर हमें प्राप्त हुआ है, उसके बारे में मैं अभी-अभी बता चुका हूं। यह उन्हें राजी करने की बात है, उन्हें और आगे मनाने की कोशिश करने की बात है। यह पूरी तरह उनके क्षेत्राधिकार में है। मैं माननीय सदस्य को यह भी सूचित करना चाहूंगा कि कुछ अपवादात्मक मामले भी हैं। उदाहरण के लिए, नौका द्वारा यात्रा अब भी पी-फार्म की शर्तों के अन्तर्गत नहीं आती। वहां इसकी आवश्यकता नहीं है और ऐसे मामलों में जहां निदेश से प्राप्त पूर्व-भुगतान किए गए चैक की सूचना उपलब्ध है, वहां पी-फार्म की आवश्यकता पर जोर नहीं दिया जाता। इसलिए, कुछ मामलों में ये लोग अब भी कुछ रियायत का लाभ उठा रहे हैं। लेकिन हमें उन्हें राजी करने के प्रयास जारी रखने होंगे। यह है स्थिति।

प्रो० के० के० तिवारी : अध्यक्ष महोदय, सारा सदन जानता है कि श्रीलंका सरकार की रक्षा सेवाओं द्वारा किए गए नर-संहार के परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में तमिली हमारे देश के दक्षिणी भाग में चले आए हैं। उनमें से बहुत से शरण लेने या अपने सम्बन्धियों के पास ठहरने के लिए आए हैं। अब, क्या हम यह समझें कि उनका यह कदम तमिल लोगों को दबाने के लिए एक अतिरिक्त कदम है, चाहे वे जाफना तथा अन्य स्थानों पर रहने वाले श्रीलंका के नागरिक हों या नागरिकता विहीन व्यक्ति ? क्या भारत सरकार जितनी जल्दी हो सके इस मामले को उठाएगी ? मैं समझता हूं कि नौका सेवाओं पर भी कुछ अनौपचारिक रोक प्रतिबन्ध लगाए गए हैं और यह सुविधा लगभग अनुपलब्ध है। इसलिए, क्या माननीय मन्त्री जितनी जल्दी हो सके इस ओर ध्यान देंगे और श्रीलंका सरकार को इन प्रतिबन्धों को हटाने के लिए राजी करेंगे, क्योंकि दो वर्ष का समय एक लम्बा समय है।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : यह शीघ्रातिशीघ्र मिलने वाले अवसर का प्रश्न नहीं है। हम इसे पहले ही उठा चुके हैं। उन्होंने अपने उत्तर में कहा है कि वे अपनी विदेशी मुद्रा में होने वाली हानियों को रोकना चाहते हैं और जब बहुत से व्यक्ति आना चाहते हों तो यह मानना पड़ेगा कि इसके लिए काफी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होती है। इसलिए हमें उनसे मित्रतापूर्ण ढंग से निपटना होगा। हमें जल्दीबाजी से काम नहीं लेना चाहिए और यह नहीं कहना चाहिए कि "क्या आप यह कर रहे हैं या नहीं ?" हम पहले ही इसे उठा चुके हैं और हम अपना प्रयास जारी रखेंगे।

रेलवे सुधार सीमित का दूषित जल की सप्लाई के बारे में प्रतिवेदन

*752. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा** :

श्री सतीश अग्रवाल :

क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को रेलवे सुधार समिति का 15वां प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रतिवेदन में यह बताया गया है कि रेलवे द्वारा सप्लाई किया जा रहा पेयजल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में तुरन्त कोई वैकल्पिक व्यवस्था की है ;

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) क्या सप्लाई किए जा रहे जल के नमूनों की विशेषज्ञों द्वारा जांच की गई थी ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी, हां।

(ख) रेलवे सुधार समिति द्वारा इस प्रकार की कोई सामान्य टिप्पणी नहीं की गयी है लेकिन समिति ने यह उल्लेख किया है कि 1981-82 में पानी के जिन नमूनों का परीक्षण किया गया था उनमें से 29.6 प्रतिशत नमूनों को पीने योग्य नहीं पाया गया और उसने उपचारात्मक कार्रवाई करने की सिफारिश की है।

(ग) और (घ) पानी के कुछ नमूनों के परीक्षण का असन्तोषजनक परिणाम मुख्यत: अपर्याप्त क्लोरीनीकरण के कारण अथवा रोगाणुनाशन आदि के अभाव के कारण था। ऐसे मामलों में क्लोरीन, ब्लीचिंग पाउडर की मात्रा बढ़ाने तथा जलाशयों को रोगाणुमुक्त करने के लिए तत्काल उपचारात्मक कार्रवाई की जाती है और जल को पीने योग्य बनाने के लिए इसके नमूनों की पुन: जांच की जाती है। वैकल्पिक व्यवस्था करने का प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी, हां।

श्री सतीश अग्रवाल : महोदय, सभा-पटल पर रखा गया विवरण सन्तोषजनक नहीं है। मुझे यह कहते हुए दु:ख है कि रेलवे स्टेशनों पर पीने योग्य पानी उपलब्ध नहीं है तथा फरवरी, 1984 को सभा-पटल पर रखे गए रेलवे अभिसमय समिति के प्रतिवेदन में रेलवे के कार्य-कलापों की मौजूदा स्थिति के बारे में टिप्पणियां की गई हैं। मैं रेलवे अभिसमय समिति के प्रतिवेदन के कुछ अंश पढ़ूंगा। इसमें यह कहा गया है।

> "(1) कभी-कभी ब्लीचिंग पाउडर या क्लोरीन गैस की अनुपलब्धता के कारण जल-प्रदाय का क्लोरीनीकरण नहीं किया जाता।
>
> (2) जहां क्लोरीनीकरण नियमित रूप से हो भी रहा है, वहां भी इस कार्य को करने वाले कर्मचारी प्राय: इस कार्य में प्रशिक्षित नहीं होते। उन्हें यह भी नहीं मालूम कि अवशिष्ट क्लोरीन अंश का परीक्षण कैसे किया जाता है। वितरण प्रणाली में भेजने से पहले जल को भूमिगत तथा शिरोपरि टंकियों में जमा करना पड़ता है। इन टंकियों को नियमित रूप से साफ तथा रोगाणुमुक्त नहीं किया जाता। इस प्रकार, यदि इन टंकियों में पीने योग्य पानी भी डाला जाए तो वितरण बिन्दुओं पर पहुंचने से पूर्व यह दूषित हो सकता है। ऐसे उदाहरण भी कम नहीं हैं जहां टंकियों के ढक्कन गायब पाए गए जिसके परिणामस्वरूप धूल तथा अन्य गन्दे पदार्थ इन टंकियों में चले जाते हैं।" मध्य रेलवे, पूर्वी रेलवे, पूर्वोत्तर रेलवे, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे तथा पश्चिमी रेलवे में स्थिति बहुत असंतोषजनक है। क्या आप हमें आश्वासन देंगे कि

आप रेल सुधार समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों को तुरन्त कार्यान्वित करेंगे ?

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : समय समाप्त हुआ जा रहा है। जो कुछ माननीय सदस्य ने पढ़कर सुनाया है, वह मेरे पास सब कुछ है। मैं माननीय सदस्य तथा सदन को यह आश्वासन दे सकता हूं कि इस सम्बन्ध में जो कुछ भी करना आवश्यक है, हम करेंगे तथा हम रेल सुधार समिति की सिफारिशों को समग्र रूप में स्वीकार करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न-काल समाप्त होता है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

लाइसेंस प्राप्त कुलियों की मजदूरी में समानता

*742. **श्रीमती उषा वर्मा** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली, हावड़ा, खुर्दा रोड, भुवनेश्वर और बम्बई सैन्ट्रल तथा अन्य रेलवे स्टेशनों पर काम करने वाले लाइसेंस प्राप्त रेल कुलियों की मजदूरी समान नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो उसके सविस्तार कारण क्या हैं ; और

(ग) नौ रेल जोनों में लाइसेंस प्राप्त कुलियों की जोन-वार मजदूरी क्या है ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) से (ग) मजदूरी केवल उन्हीं कामगारों को दी जाती है जिन्हें रेलें नियोजित करती हैं। लाइसेंसधारी भारिक इस कोटि के अन्तर्गत नहीं आते किन्तु वे स्व:नियोजित व्यक्ति होते हैं। यात्रियों द्वारा, उनके सामान की ढुलाई के बाबत लाइसेंसधारी भारिकों को अदा किये जाने वाले भारिक प्रभार, स्थानीय जीवन निर्वाह लागत तथा उनसे कराये जाने वाले कार्य को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की जाती है।

विभिन्न रेलों पर 37/40 कि० ग्राम के प्रति भार की भारिक दरें इस प्रकार हैं :—

मध्य रेलवे

(1)	बम्बई वी० टी०, भायखला, दादर, कुर्ला जं० घाटकोपर, थाणे, मुम्बरा, डोम्बीविली, ठाकुर्ली, कल्याण, पुणे, नासिक रोड, मनमाड, जलगांव, भुसावल, चालीसगांव, धूले, अमरावती, बडनेरा, अकोला, इटारसी, नागपुर, जबलपुर, मदनमहल, कटनी, सतना, सागर, मथुरा, झांसी, आगरा, कैंट, आगरा सिटी, भोपाल, राजा की मंडी, ग्वालियर, अहमदनगर, शोलापुर, गुलबर्गा।	2 रुपये
(2)	सभी अन्य स्टेशन	1.50 रु०

पूर्व रेलवे

(1)	सभी स्टेशन	1 रु०

उत्तर रेलवे

(3)	दिल्ली, नयी दिल्ली, निजामुद्दीन, सब्जीमंडी, दिल्ली सराय रोहिल्ला, दिल्ली किशनगंज, गाजियाबाद, शकूरबस्ती, दिल्ली कैंट, दिल्ली शाहदरा, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, इलाहाबाद, अम्बाला कैंट, जम्मू तवी, अमृतसर।	2 रु०
(2)	अन्य सभी स्टेशन	1.50 रु०

पूर्वोत्तर रेलवे

(1)	लखनऊ जं०, गोरखपुर, गोंडा जं०, छपरा जं०	1.50 रु०
(2)	सभी अन्य स्टेशन	1.00 रु०

पूर्वोत्तर सीमा रेलवे

(1)	कामाख्या	1.25 रु०
(2)	सभी अन्य स्टेशन	1.00 रु०

दक्षिण रेलवे

(1)	मद्रास सेंट्रल, मद्रास, एगम्बूर तथा अन्य जं० स्टेशन जहां तीन से अधिक प्लेटफार्म हैं।	2 रु०
(2)	सभी अन्य स्टेशन	1.50 रु०

दक्षिण मध्य रेलवे

(क)	बड़े स्टेशन : सिकन्दराबाद, हैदराबाद, वारांगल, काजीपेट, सनतनगर, मिरज, हुबली, कोल्हापुर, बेलगाम, होसपेट, वास्को-डिगामा, गडग जं०, काचेगुडा, औरंगाबाद, गुंतकल्लु, रेणिगुंटा, तिरुपति, विजयवाडा, गुन्तूर।	2 रु०
(ख)	मझौले स्टेशन : विकराबाद जं०, पर्लीवैजनाथ, मंचेरियल, सिरपुरकागजनगर, रामगुंडम, बेलमपल्ली, भद्राचेलम रोड, सतारा रोड, कराड, कुर्दाची, गोकेरंड, धारवाड़, लोंडा जं०, अलनावर जं०, बीजापुर, सांगली, वथार, कोरेगांव, किर्लोस्कर-वाडी, घाटप्रभा, बैल्लारी, शोलापुर (मी० ला०) मडगांव, कुर्नुल	1.50 रु०

टाउन, महबूबनगर, निजामाबाद, नांदेड़, परभनी, जालना, अकोला, गुडूर, नेल्लोर, अंगोल, चिराला, वपतिया, निदुवरेलु, तेनाली, एल्लुरू, पोवरपेट, तेडापल्ली गुडम, निडदावोलु, कोव्वूर, राजमुंद्री, गोदावरी, अंकापाले, काकीवाडा टाउन, काकीनाडा पोर्ट, मचलीपत्तनम, भीमवरम जं०, भीमवरम टाउन, नर्सापुर, पालेकोलु, तानुकु, रायचूर, अदोनी, गुत्ती, यारंगुंटाला, कुड्डापाह, अनंतपुर, धर्मावरम, पकाला, चित्तूर, वंदयाल ।

(ग) छोटे स्टेशन 1 रु०

दक्षिण पूर्व रेलवे : सभी स्टेशन 1 रु०

पश्चिम रेलवे :

(क) चर्चगेट, बम्बई सेंट्रल, ग्रांटरोड, दादर, बांद्रा, अंधेरी, बोरीविली, वडोदरा, अहमदाबाद, रतलाम, कोटा, आगरा फोर्ट, सवाई माधोपुर, जयपुर, अजमेर, राजकोट और भावनगर । 2 रु०

(ख) सभी अन्य स्टेशन 1.50 रु०

टूण्डला में सड़क के किनारे रेल भूमि का आबंटन

*743. **श्री बाला साहेब पवार :**

श्री दयाराम शाक्य :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तरी रेलवे में टूण्डला में स्टेशन रोड पर फ्रेण्डस क्लब से बाजार तक सड़क के दोनों ओर कई एकड़ भूमि बेकार पड़ी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार की नीति बेकार पड़ी भूमि का उपयोग करना और सरकार के राजस्व को बढ़ाना है ;

(ग) क्या रेलवे ने टूण्डला में तथा कुछ अन्य स्थानों पर दुकानें चलाने के लिए काफी भूमि का आबंटन किया है और यदि हां, तो क्या सरकार का विचार टूण्डला में फ्रेण्डस क्लब तथा बाजार के बीच सड़क के साथ पड़ी सारी बेकार भूमि को आबंटित करने और उससे अपने राजस्व को बढ़ाने का है ; और

(घ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी नहीं। टूण्डला में स्टेशन के पहुंच मार्ग के दोनों ओर केवल लगभग 900 वर्गमीटर भूमि बेकार पड़ी है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) बहुत पहले टूण्डला में स्टेशन मार्ग पर दुकानें चलाने के लिए रेल कर्मचारियों की विधवाओं को अनुकम्पा के आधार पर केवल दो भूखण्ड लाइसेंस पर दिए गए थे।

(घ) चूंकि भूमि बहुत अधिक नहीं है, इसलिए यात्रियों की सुविधा के लिए तथा पहुंच मार्ग पर भीड़-भाड़ न होने देने के लिए इसे खाली रखा जाना अपेक्षित है।

केरल में रेल लाइनों का विद्युतीकरण

*746. **श्री ए० नीलालोहित दसन नाडार** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सारे भारत में अब तक रेल लाइनों की कितनी लम्बाई का विद्युतीकरण हो चुका है ;

(ख) यह विद्युतिकृत रेल लाइनें कौन-कौन से राज्यों में हैं ;

(ग) क्या केरल राज्य में इस समय कोई विद्युतीकरण रेल लाइन है ;

(घ) यदि नहीं, तो क्या भारत सरकार का विचार ओल्वाकोट-त्रिवेन्द्रम सैक्शन और शोरानूर-मंगलौर सैक्शन के विद्युतिकरण के लिए तुरन्त कार्यवाही करने का है ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) 31-3-1984 को समूचे भारत में विद्युतीकृत रेलवे लाइनों की कुल लम्बाई 6105 मार्ग कि० मी० थी।

(ख) ये विद्युतीकृत लाइनें निम्नलिखित राज्यों में स्थित हैं ; आंध्र प्रदेश, बिहार, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल ।

(ग) जी नहीं।

(घ) ओलवक्कोट-तिरुवनन्तपुरम खण्ड अथवा शोरूवण्णूर-मंगलूर खण्ड का तत्काल विद्युतीकरण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

फ्लुओरोसिस रोग की रोकथामके उपाय

*748. **श्री बी० बी० देसाई** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शरीर में अत्यधिक मात्रा के फ्लुओरोसिस के प्रवेश के कारण अपंग कर देने वाला फ्लुओरोसिस रोग के प्रभाव क्षेत्र में तेजी से वृद्धि हो रही है और 2 करोड़ भारतीयों के इनके शिकार होने की आशंका है, जिनका कोई इलाज नहीं किया जा सकता ;

(ख) यदि हां, तो क्या वैज्ञानिकों द्वारा यह आशंका व्यक्त की गई है कि यह रोग अन्य लोगों में भी फैल सकता है ;

(ग) यदि हां तो क्या यह भी बताया गया है कि इसकी रोकथाम की जा सकती है और वैज्ञानिकों ने इस समस्या के नियंत्रण के लिए विभिन्न उपायों की खोज की है ;

(घ) यदि हां, तो क्या वैज्ञानिकों ने कहा है कि केवल राजनैतिक संकल्प द्वारा इन उपायों की खोज की जा सकती है ;

(ङ) यदि हां तो क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा वैज्ञानिकों के मंतव्यों पर विचार किया गया है ; और

(च) यदि हां, तो भारत के लोग किस सीमा तक फ्लुअोरोसिस रोग के शिकार हुए हैं ;

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी०शंकरानन्द) : (क) से(च) राज्य को इस तथ्य की जानकारी है कि फ्लोरोसिस आंध्र प्रदेश, राजस्थान और पंजाब के कतिपय क्षेत्रों में स्थानिकमारी के रूप में फैला हुआ है। फ्लोरोसिस तब होता है जब पेय जल में फ्लोराइड की मात्रा 3 मि० ग्रा० प्रति लीटर से अधिक हो जाती है। राष्ट्रीय पर्यावर्णिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान, नागपुर ने रासायनिक प्रक्रिया द्वारा फ्लोराइड को दूर करने की विधि तैयार कर ली है। स्थानिकमारी वाले क्षेत्रों में साफ पेयजल के अन्य स्रोतों की व्यवस्था करना ही फ्लोरोसिस की समस्या पर काबू पाने का एक सर्वोत्तम तरीका है। 20 सूत्री कार्यक्रम के आठवें सूत्र के अन्तर्गत पता लगाये गए सभी समस्या प्रधान गांवों को छठी योजना के अन्त तक अर्थात 31 मार्च, 85 तक पीने योग्य पानी का कम से कम एक ऐसा सुरक्षित स्रोत सुलभ करने का विचार है जहां से पूरे वर्ष पानी मिलता रहे।

जिन क्षेत्रों में उपलब्ध पेय जल में फ्लोराइड की मात्रा काफी अधिक है, उनमें साफ पेय जल उपलब्ध करने के लिए भारत सरकार ने द्विपक्षीय सहायता प्राप्त कर ली है। ये कार्यक्रम आंध्र प्रदेश राज्य में नीदरलैंड सरकार की सहायता से तथा पंजाब में ई० ई० सी० सहायता के अधीन चलाए जा रहे हैं।

ग्रामीण तथा पिछड़े क्षेत्रों में स्वयंसेवी संगठनों को बढ़े हुए अनुदान

***753. श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र सरकार ने हाल ही में ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त करने वाले स्वयंसेवी संगठनों के लिए अनुदानों में वृद्धि की है ; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्र तथा राज्यों द्वारा किए जाने वाले व्यय के विवरण सहित उक्त संशोधित योजना का ब्यौरा क्या है तथा इन स्वयंसेवी संगठनों को दिए जाने वाले अनुदानों का विवरण क्या है तथा उसके प्रति इन स्वयं सेवी संगठनों की प्रतिक्रिया क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री बी०शंकरानन्द) : (क)और (ख) सहायता अनुदान की

एक योजना के अन्तर्गत केवल ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पताल/औषधालय खोलने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता देने के पैटर्न में संशोधन कर दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विशेष स्वास्थ्य योजना के नाम से प्रसिद्ध इस नई योजना की मुख्य-मुख्य बातें इस प्रकार हैं :—

1. केवल ग्रामीण क्षेत्रों में नए अस्पताल और औषधालय खोलने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता उपलब्ध होगी।

2. पलंगों की संख्या 30 से अधिक हो।

3. एक तिहाई पलंग नि:शुल्क रखने होंगे।

4. विभिन्न पक्षों के योगदान का अनुपात इस प्रकार होगा :

(1) निर्माण (रिहायशी मकानों को छोड़कर) और उपकरण

केन्द्रीय सरकार	40 %
राज्य सरकार	40 %
संस्थाएं	20 %

(2) रिहायशी मकानों का निर्माण

केन्द्रीय सरकार	50 %
राज्य सरकार	35 %
संस्थाएं	15 %

5. केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के हिस्से का निर्धारित करने के लिए, 30 पलंगों वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण की मानक लागत अथवा परियोजना रिपोर्ट में अनुमानित लागत, जो भी कम हो, को हिसाब में लिया जाएगा।

6. आपवादिक मामलों में ऊपर (4) में बताई गई सीमाओं से अधिक सहायता भारत सरकार द्वारा वित्त मंत्रालय की स्वीकृति से दी जा सकती है।

7. अनुदानग्राही संस्थाएं प्राप्त अनुदानों की राशि और उपलब्ध नि:शुल्क पलंगों की संख्या सम्बन्धी जानकारी स्पष्टत: प्रदर्शित करेंगे।

8. वित्तीय सहायता के लिए स्वैच्छिक संगठनों के आवेदन पत्र राज्य सरकारों के माध्यम से भेजे जाएंगे।

चूंकि यह योजना हाल ही में संशोधित की गई है इसलिए वित्तीय सहायता के लिए कितने स्वैच्छिक संगठन आवेदन करते हैं, इसका पता संशोधित योजना के अन्तर्गत आवेदन पत्र मिलने के बाद ही चल पायेगा।

राज्यों द्वारा अनौपचारिक शिक्षा प्रणाली का अपनाया जाना

*754. **श्री एन० डेनिस** : क्या **शिक्षा और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिन राज्यों ने अनौपचारिक शिक्षा प्रणाली को अपनाया है, उनका ब्यौरा क्या है ;

(ख) जिन राज्यों ने इसे लागू नहीं किया है, उनके नाम क्या हैं ;

(ग) क्या राज्यों में इसे लागू करने में हुई प्रगति की जांच की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) :(क) तथा (ख) केरल, जिसने 1981 में अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम बन्द कर दिया था, को छोड़कर सभी राज्य तथा चार संघ शासित क्षेत्र, गैर औपचारिक शिक्षा कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहे हैं। पांच संघ शासित क्षेत्र जो यह कार्यक्रम लागू नहीं कर रहे, वे हैं :—दादरा तथा नागर हवेली, गोवा, दमन तथा दीव, लक्षद्वीप, पांडिचेरी और अरुणाचल प्रदेश।

(ग) तथा (घ) गैर-औपचारिक शिक्षा जो प्रारम्भिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने के कार्यक्रम का एक भाग है, की प्रगति की समीक्षा, राज्य तथा केन्द्रीय, दोनों स्तरों पर, क्रमशः शैक्षिक रूप से पिछड़े 9 राज्यों के सम्बन्ध में प्रारम्भिक शिक्षा पर राज्य स्तरीय कार्य दलों तथा 20 सूत्री कार्यक्रम के सूत्र 16 से सम्बन्धित राष्ट्रीय समिति की बैठकों में समय-समय पर की जाती है।

रांची-लोहा रडगा लाइन का बड़ी लाइन में बदला जाना

*755. **श्री शिव प्रसाद साहू** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रांची-लोहा रडगा छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलने और इसे टोरी तक बढ़ाने का प्रस्ताव काफी समय से लम्बित है ;

(ख) क्या इस लाइन का चार बार सर्वेक्षण किया गया है ; और

(ग) आदिवासी-बहुल क्षेत्र की इस लाइन को निकट भविष्य में बड़ी लाइन में बदलने के लिए सरकार का विचार कब तक कार्य आरम्भ करने का है ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी, हां।

(ख) रांची-लोहा रडगा छोटी लाइन खंड की बड़ी लाइन में बदलने के लिए 1945-46 में सर्वेक्षण किए गए थे और इसके बाद 1974-76 में पुनः सर्वेक्षण किए गए थे। अब पहले किए गए इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण को अद्यतन किया जा रहा है।

(ग) सर्वेक्षण पूरा हो जाने तथा सर्वेक्षण रिपोर्ट की तकनीकी व्यावहारिकता, वित्तीय अर्थक्षमता

के सन्दर्भ में जांच करने के बाद ही इस लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के बारे में विनिश्चय किया जाएगा, बशर्ते धन उपलब्ध हो और योजना आयोग की स्वीकृति मिल जाए।

मध्य प्रदेश में खुदाई कार्य

*756 **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या **शिक्षा और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के उदयपुर, पठारी और बरोह के प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्थानों में खुदाई का कार्य तेजी से किया जा रहा है और वहां अनेक नए ऐतिहासिक तथ्य प्रकाश में आए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है : और

(ग) उक्त कार्य पर सरकार ने अब तक कितनी धनराशि खर्च की है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में उप मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) और (ख) उदयपुर, जिला विदिशा में प्राचीन उदयेश्वर मंदिर (जिसे नीलकंठेश्वर भी कहा जाता है) में प्राचीन स्थलों की खुदाई के मानदण्डों के अनुसार पुरातत्वीय खुदाई कराई गई है। बढोह और पठारी, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश में कोई उत्खनन नहीं कराया गया है। उदयपुर स्थित उदयेश्वर मन्दिर में कराए गए उत्खनन में नए ऐतिहासिक तथ्य प्रकाश में आए हैं। इस उत्खनन में मन्दिर की कुछ नयी पुरातत्वीय विशेषताएं प्रकट हुई हैं और अनेकों पुरावशेष मिले हैं जिसमें मूर्तियां, उत्कीर्ण द्वार चौखटें, एक लिंग, विद्याधर की आकृति वाली एक पटिया और मानव तथा अन्य आकृतियों वाली विभिन्न प्रकार की अलंकृत पुरातत्वीय कलाकृतियां आदि शामिल हैं।

(ग) उदयेश्वर मंदिर में किए गए उत्खनन पर अब तक 12,354/-रुपये खर्च हुए हैं।

दक्षिणी क्षेत्र में रेल परियोजनाएं

*757 **श्री बापूसाहिब परुलेकर** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार दक्षिणी क्षेत्र में कुछ और रेल परियोजनाएं आरम्भ करने का है ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ;

(ग) उन्हें क्रियान्वित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ; और

(घ) उन पर योजना आयोग की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) से (ग) दक्षिणी क्षेत्र नयी लाइनों/आमान परिवर्तनों के लिए कई सर्वेक्षणों को स्वीकृति प्राप्त है और कुछ मामलों में रेलों से परियोजना

रिपोर्टें प्राप्त हो गयी हैं और इनकी जांच की जा रही है । लेकिन, इस क्षेत्र में चल रहे कार्यों को छोड़ कर, दक्षिणी क्षेत्र में निकट भविष्य में नयी परियोजनाओं का निर्माण कार्य शुरू करने का कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं है ।

दक्षिणी और दक्षिण-मध्य रेलों पर निम्नलिखित रेल परियोजनाओं के लिए सर्वेक्षण प्रगति पर हैं । सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर इनकी तकनीकी व्यावहारिकता, वित्तीय अर्थक्षमता, संसाधनों की उपलब्धता आदि के संबंध में जांच की जाएगी और जहां-कहीं आवश्यक होगा, योजना आयोग के साथ परामर्श किया जाएगा :

(1) धामराजनगर और मेट्टुपालयम के बीच नयी बड़ी लाइन (180 कि० मी०)

(2) मदुरै-बोदिनायक्कनूर-कोच्चिन के बीच बड़ी लाइन का निर्माण/बड़ी लाइन के रूप में आमान परिवर्तन (300 कि० मी०)

(3) येलहंका और बांगरपेट के बीच मौजूदा छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलना (148.21 कि० मी०)

(4) कुशलानगर के रास्ते मैसूर से मरकरा तक नयी बड़ी लाइन (120 कि० मी०)

(5) कडूर से चिकमंगलूर तक नयी बड़ी लाइन (48 कि० मी०)

(6) जगत्याल के रास्ते निजामाबाद से रामगुण्डम तक नयी बड़ी लाइन (55 कि० मी०)

(7) नडिकुडे से गुडूर/कलाहस्ती तक नयी बड़ी लाइन (320 कि० मी०)

(8) कृष्णा से विकाराबाद तक नयी बड़ी लाइन (130 कि० मी०)

(9) गउवाल के रास्ते माचेरला से रायचूर तक बड़ी लाइन (260 कि० मी०)

(10) निडुब्रोलु से निजामपत्तनम तक नयी बड़ी लाइन (25 कि० मी०)

(11) हुबली-कारवाड़ के बीच नयी बड़ी लाइन (191 कि० मी०)

(12) तिरुपति के पाकाला तक मीटर लाइन का बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन और पाकाला से काटपाडि तक समानान्तर मीटर लाइन (105 कि० मी०)

(13) गुंटूर और द्रोणाचलम के बीच मीटर लाइन का बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन और द्रोणाचलम के रास्ते करतूल टाउन से गुंतकल्लु तक समानान्तर बड़ी लाइन (470 कि० मी०)

(14) चेंगन्नूर और कायमकुलम के बीच दोहरी बड़ी लाइन अथवा विकल्प के रुप में पंडालम, अदूर और नेडुमांगदु के रास्ते चेंगन्नूर और तिरुवनन्तपुरम के बीच नयी लाइन

का निर्माण आदि (1984-85 में शुरू करने का विनिश्चय किया गया है) (125 कि० मी०)

निम्नलिखित रेलवे परियोजनाओं के सम्बन्ध में सर्वेक्षण रिपोर्टें प्राप्त हो गई हैं और इनकी तकनीकी दृष्टि से जांच की जा रही है। जांच पूरी हो जाने पर योजना आयोग के साथ परामर्श करके इन परियोजनाओं के निर्माण के सम्बन्ध में विनिश्चय किया जाएगा बशर्ते कि ये व्यावहारिक, वित्तीय दृष्टि से अर्थक्षम पायी जायें और संसाधन उपलब्ध हों :—

(1) सम्बद्ध शाखा लाइनों सहित मिरज-लोंडा-हुबली-आरसी केरे-बेंगलूरु लाइन का बड़ी लाइन में बदलाव (1935 कि० मी०)

(2) गुरुवायूर के रास्ते कुट्टीपुरम से त्रिचूर तक नयी लाइन (56.14 कि० मी०)

(3) सेलम बेंगलूरु मीटर लाइन का बड़ी लाइन में आमान परिवर्तन (232 कि० मी)

(4) मद्रास-बीच-ताम्बरम मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलना (29.14 कि० मी०)

(5) नन्दयाल से येरगुंटला तक नयी बड़ी लाइन का निर्माण (125 कि० मी०)

(6) संगरेड्डी, मेंढक, सिद्दीपेट और करीमनगर के रास्ते पाटनचेरु और पेड्डापल्ली के बीच एक नयी बड़ी लाइन का निर्माण (300.5 कि० मी०)

(घ) ऊपर बतायी गई परियोजनाओं के सम्बन्ध में योजना आयोग के साथ पत्र-व्यवहार नहीं किया गया है।

दिल्ली के अस्पतालों में कार्य की अस्वस्थ परिस्थितियां

*758. **श्री अमल दत्त** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में केन्द्रीय सरकार के नियन्त्रणाधीन अस्पतालों में कार्य की अस्वस्थ परिस्थितियों के लिए उत्तरदायी निम्नलिखित बातों के सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है/जांच की गई है :—

(एक) कैज्युल्टी और इमरजेंसी सेवाओं में उपकरणों तथा मशीनों की कमी ;

(दो) चिकित्सकों तथा छात्रों, दोनों के लिए स्थान की कमी ;

(तीन) प्रशिक्षित तकनीकी कर्मचारियों की पर्याप्त संख्या का अभाव ;

(चार) अत्यधिक भीड़भाड़, जिसके कारण एक बिस्तर पर एक से अधिक रोगियों को रखा जाता है और रोगी फर्श पर भी लेटे रहते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार के नियन्त्रणाधीन अस्पतालों में अपर्याप्त सेवाएं प्रदान करने सम्बन्धी परिस्थितियां अधिकांशतया अत्यधिक भीड़भाड़ के कारण उत्पन्न होती हैं न कि उपकरणों या कर्मचारियों की कमी के कारण। अत्यधिक भीड़-भाड़ का कारण यह है कि रोगी, विशेषकर आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के रोगी, दिल्ली से ही नहीं बल्कि कई पड़ोसी राज्यों से भी इन अस्पतालों में इलाज के लिए आते हैं। काम का अधिक दबाव होते हुए भी केन्द्रीय सरकार के अस्पताल जरूरत मन्द व्यक्तियों को उपचार और अन्य चिकित्सा सुविधाएं देने से इन्कार अथवा वंचित नहीं करते। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय तथा एक उच्च शक्ति प्राप्त अस्पताल नियन्त्रण बोर्ड द्वारा समय-समय पर इस स्थिति की समीक्षा की जाती है और उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के अन्तर्गत आवश्यक उपचारात्मक उपाय किए जाते रहते हैं।

उड़ीसा में हिन्दी अध्यापकों को वेतन का भुगतान न किया जाना

*759. **श्री चिंतामणि जेना** : क्या **शिक्षा और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा राज्य में वर्ष 1981 और 1982 में नियुक्त किए गए सैकड़ों हिन्दी अध्यापकों को उनके वेतनों की अदायगी न किए जाने का एक मात्र कारण अहिन्दी भाषी राज्यों पर लागू योजना के अनुसार केन्द्रीय सहायता का उपलब्ध न होना है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और अहिन्दी भाषी राज्यों को केन्द्रीय सहायता का नियमित भुगतान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में उप मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) और (ख) "अहिन्दी भाषी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में हिन्दी अध्यापकों की नियुक्ति" की योजना के अन्तर्गत राज्य सरकारों से प्रस्ताव और पिछले वर्ष के विभागीय लेखों के प्राप्त होने पर 50.50 की भागीदारी के आधार पर केन्द्रीय सहायता मुक्त की जाती है। इस योजना में नए अध्यापकों की नियुक्ति तथा छठी योजना के दौरान नियुक्त अध्यापकों को जारी रखने की भी व्यवस्था है।

वर्ष 1983-84 के दौरान 100 नए अध्यापकों की नियुक्ति का प्रस्ताव जुलाई, 1983 के अंत में प्राप्त हुआ था और केन्द्रीय सहायता अगस्त, 1983 के पहले सप्ताह में तत्काल मुक्त कर दी गई थी।

पहले नियुक्त 75 हिन्दी अध्यापकों को जारी रखने के लिए अपेक्षित ब्यौरे सहित प्रस्ताव उड़ीसा सरकार से दिसम्बर, 1983 में ही प्राप्त हुआ था और वित्तीय वर्ष के दौरान केन्द्रीय सहायता मुक्त करने के लिए तत्काल कदम उठाए गए थे।

वर्ष 1984-85 के दौरान राष्ट्रीय विद्यालय स्वास्थ्य सेवा योजना का कार्यान्वयन

8171. **प्रो० नारायण चन्द पाराशर** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अगस्त, 1981 में नई दिल्ली में राष्ट्रीय हृदय संस्थान के उद्घाटन के अवसर पर प्रधानमंत्री ने विद्यालयों और महाविद्यालयों के स्तर पर सभी छात्रों की अनिवार्य डाक्टरी जांच के लिए कहा था और श्रीमती रेणुका रे की अध्यक्षता में वर्ष 1980 में गठित विद्यालय स्वास्थ्य समिति ने विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू करने के लिए मार्गदर्शी निर्देशों का सुझाव दिया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या इन सुझावों के परिणामस्वरूप कोई केन्द्रीय प्रायोजित राष्ट्रीय विद्यालय स्वास्थ्य सेवा योजना तैयार कर ली गई है और वर्ष 1984-85 में शुरू की जाएगी ; और

(ग) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है तथा प्रारम्भ में यह योजना किन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में चलाई जाएगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) से (ग) राष्ट्रीय हृदय संस्थान में प्रधानमन्त्री ने अपने भाषण में यह विचार व्यक्त किए थे कि औद्योगिक संस्थानों, स्कूलों, कालेजों तथा अन्य संगठनों, जहां बहुत से लोग साथ-साथ काम करते हैं, में स्वास्थ्य की जांच अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए। श्रीमती रेणुका रे की अध्यक्षता में गठित स्कूल स्वास्थ्य समिति ने लोगों के सामान्य स्वास्थ्य सेवाओं के एक अभिन्न अंग के रूप में प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए स्कूल स्वास्थ्य सेवाओं का विकास करने की सिफारिश की थी। आठ संघ शासित क्षेत्रों द्वारा एक केन्द्र प्रायोजित स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम मार्गदर्शी आधार पर चलाया जा रहा है। 1984-85 के दौरान मार्गदर्शी परियोजना तथा स्कूल स्वास्थ्य सेवाओं का और विस्तार करने का विचार है। इस योजना का ब्यौरा तैयार किया जा रहा है।

मुरादाबाद लोको शेड में रेलवे के सामान की चोरी

8172. **श्री आनन्द पाठक** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान मुरादाबाद लोको शेड में भ्रष्टाचार और रेल के सामान की चोरी के मामलों का पता चला है ;

(ख) क्या इन मामलों की जांच-पड़ताल की गई ;

(ग) क्या मुरादाबाद लोको शेड में भ्रष्टाचार/चोरी आदि के लिए कोई कर्मचारी दोषी पाया गया/पाए गए ;

(घ) ऐसे कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ;

(ङ) क्या यह सच है कि दिनांक 6 अगस्त, 1981 और 9 अगस्त, 1982 को ऐसा लोको शेड और पठेरडीह के दो रेल-कर्मचारियों की हत्या कर दी गई थी ;

(च) क्या इन हत्याओं के मामले में सी० बी० आई० द्वारा जांच किए जाने के आदेश दिये गये हैं ;

(छ) क्या इण्डियन रेलवे लोको मैकेनिकल स्टाफ एसोसिएशन, मुरादाबाद की ओर से दिनांक

8 मार्च, 1984 का कोई ऐसा ज्ञापन प्राप्त हुआ है, जिसमें भ्रष्टाचार और हत्याओं के मामलों की सी० बी० आई० द्वारा जांच करवाए जाने का अनुरोध किया गया है ; और

(ज) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

रेल मन्त्री (श्री ए०बी०ए० गनी खान चौधरी) : (क) से (घ) मुरादाबाद लोको शेड में भ्रष्टाचार और रेल सामग्री की चोरी की कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं। इन शिकायतों की जांच-पड़ताल की गयी थी और निष्कर्षों के आधार पर दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई की गयी है।

(ङ) जी, हां।

(च) राजकीय रेलवे पुलिस/सिविल पुलिस द्वारा फौजदारी के मामले दर्ज किये गये हैं। इन मामलों की जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो नहीं कर रहा है।

(छ) जी, हां।

(ज) इसमें लगाये गये भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच-पड़ताल की जा रही है। उपरोक्त भाग (च) के उत्तर को देखते हुए कत्ल के मामलों की केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच-पड़ताल करवाने का प्रश्न नहीं उठता।

डी० टी० सी० सेन्टर का ए० एल० टी० केन्द्र से सेन्ट्रल, इण्डियन फार्माकोपोसिआ लेबोरेटरी गाजियाबाद तक विस्तार

8173. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या **नौवहन और परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सेन्ट्रल इण्डियन फार्माकोपीसिया लेबोरेटरी गाजियाबाद (भारत सरकार का एक उपक्रम) सहित अनेक प्रतिष्ठानों की ओर से डी० टी० सी० सेन्टर/टर्मिनल को ए० एल० टी० सेन्टर से उपरोक्त लेबोरेटरी तक, जो उसी रोड पर लगभग 1 कि० मी० आगे हैं, बढ़ाये जाने के बारे में अनेक ज्ञापन मिले हैं,

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है, और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) दिल्ली परिवहन निगम, ए० एल० टी० गाजियाबाद और मद्रास होटल के बीच 14 बसें चला रहा है जिनकी फ्रीक्वेंसी 15/30 मिनट है। दिल्ली गाजियाबाद सेवा अन्तर-राज्य सेवा मानी जाती है और उ० प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम तथा दिल्ली परिवहन निगम के बीच हुए समझौते के अनुसार वर्तमान सेवा के अतिरिक्त अन्य किसी सेवा की अनुमति नहीं है। सेंट्रल इण्डियन फार्माकोपेसिया लेबोरेट्री, गाजियाबाद, ए० एल० टी० सेंटर, गाजियाबाद से एक कि० मी० से भी कम दूरी पर स्थित है और इच्छुक यात्री इन बस सेवाओं का आसानी से लाभ उठा सकते हैं।

उड़ीसा कालिजों का असन्तुलित विकास

8174. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और उनके मन्त्रालय द्वारा उड़ीसा में कालिजों के असन्तुलित विकास को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : किसी भी राज्य में उच्च शिक्षा के लिए सुविधाओं के सन्तुलित विकास को सुनिश्चित करने की मुख्य जिम्मेदारी सम्बन्धित राज्य सरकारों की है। न ही केन्द्रीय सरकार तथा न ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस प्रयोजन के लिए कोई कार्यक्रम तैयार किया है। तथापि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पिछड़े क्षेत्रों में स्थित कालेजों को पात्रता की कुछ उन शर्तों के आधार पर जिनमें ढील दी गई है, वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का निर्णय किया है। ऐसे कालेजों से आयोग द्वारा प्राप्त उपयुक्त प्रस्तावों पर विचार किया जाता है तथा विशेष प्रयोजनों के लिए निर्धारित मानदण्डों के आधार पर अनुदान संस्वीकृत किए जाते हैं।

रेलवे अस्पताल में कथित भ्रष्टाचार

8175. **श्री ए० के० राय** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको पूर्व रेलवे कर्मचारी संघ, पतरातु, शारदा से कोयले की भारी मात्रा में लूट, रेलवे अस्पताल में भ्रष्टाचार आदि जैसे गम्भीर आरोपों के संबंध में "रेल मंत्री के नाम में खुला पत्र" शीर्षक से प्रकाशित इश्तहार प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के गैर कानूनी कार्यों और सार्वजनिक धन की भारी हानि को रोकने के लिए उनके मंत्रालय द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्री (श्री ए०बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी, नहीं। बहरहाल, उक्त इश्तहार पूर्व रेलवे को प्राप्त हुआ था।

(ख) रेलवे द्वारा किए गए उपायों में, साइडिंगों पर आवधिक आकस्मिक जांच करना, कोयला रेकों का मार्गरक्षण करना और स्थानीय पुलिस तथा कोयला खानों के प्राधिकारियों के निकट सम्पर्क से रेलवे सुरक्षा बल द्वारा पतरात के भाप लोको शेड की निगरानी को और कड़ा करना शामिल है। उपर्युक्त इश्तहार में बताए गए कदाचार के सम्बन्ध में निवारक जांच करने के भी आदेश दे दिए गए हैं।

एशिया और "पेसिफिक" देशों में उच्चतर शिक्षा के बारे में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का अध्ययन

8176. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एशिया और पेसिफिक देशों में उच्चतर शिक्षा के बारे में अध्ययन किया गया है तथा, उच्चतर शिक्षा को अधिक उद्देश्य पूर्ण बनाने के लिए कुछ सिफारिशें दी गई हैं, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों की राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) यूनेस्को ने लोकतन्त्रीकरण तथा सामाजिक प्रगति के परिप्रेक्ष्य में उच्चतर शिक्षा के मूल्यांकन के लिए पांच क्षेत्रीय अध्ययन किए। इनमें से एशिया और पेसिफिक देशों में उच्चतर शिक्षा का अध्ययन डा० एस० सी० गोयल, संयुक्त सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को सौंपा गया था।

शिक्षा को राष्ट्रीय विकास के साथ जोड़ने के समग्र उद्देश्यों, पाठ्यक्रमों को आधुनिक बनाने, लचीलापन, अनुप्रयोग, प्रासंगिकता, अन्तर-विषयकता, अवसर की समानता, शिक्षा के औपचारिक और अनौपचारिक प्रणालियों के एकीकरण, कार्य तथा उत्पादकता, अनुसंधान और विकास आदि के सन्दर्भ में एशिया और पेसिफिक क्षेत्र में उपरोक्त अध्ययन 28 देशों से सम्बन्धित है।

सुपर फास्ट तथा लम्बी दूरी की गाड़ियों में ट्रेन कंडक्टर के लिए बैठने की स्थान की व्यवस्था

8177. **श्री सत्य नारायण जटिया** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुपर फास्ट तथा इसी प्रकार की लम्बी दूरी की अन्य गाड़ियों में ट्रेन कंडक्टर के लिए बैठने के स्थान की व्यवस्था की गई है,

(ख) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं,

(ग) क्या अपना कार्य समाप्त करने के पश्चात् रेलगाड़ी के कंडक्टर के बैठने के लिए स्थान की व्यवस्था की जाती है, और

(घ) यदि हां तो कहां ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) से (घ) गाड़ी में कन्डक्टरों के लिए सीटें या शायिकाएं विशिष्ट रूप से आरक्षित नहीं होती। अपनी ड्यूटी करने के लिए कन्डक्टर को एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे में जाना पड़ता है। लेकिन वह, जब कभी व्यावहारिक हो तो आराम करने के लिए गार्ड के कक्ष में किसी सीट का अथवा सवारी डिब्बा परिचरों/शयनयान चल टिकट परीक्षकों के लिए खाली रखी गयी सीट का इस्तेमाल कर सकता है।

सेवा में रहते हुए मरने वाले नैमित्तिक श्रमिकों को सेवा-निवृत्ति लाभ

8178. **श्री सत्य साधन चक्रवर्ती** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि सामान्यत: एक नैमित्तिक श्रमिक को नियमित सेवा में रखे जाने में एक दशक से भी अधिक समय लग जाता है,

(ख) क्या यह भी सच है कि जब एक दशक से भी अधिक सेवा करने के बाद किसी नैमित्तिक

श्रमिक को सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाती है, तो उसे पेंशन, ग्रेच्युटी आदि जैसे सेवा निवृत्ति लाभ नहीं मिलते हैं,

(ग) क्या सरकार को किसी नैमित्तिक श्रमिक को सेवा निवृत्ति लाभों से वंचित रखने वाली इस खामी को दूर करने के लिए दक्षिण-मध्य रेल कर्मचारी संघ से सुझाव प्राप्त हुए हैं,

(घ) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है, और

(ङ) क्या सरकार ऐसे उपयुक्त नियम बनाने पर विचार कर रही है जिसमें कि ऐसे नैमित्तिक श्रमिक को जिसकी लगातार दस वर्षों से अधिक समय तक सेवा करने के बाद सेवा में रहते हुए मृत्यु हो जाती है, सेवा निवृत्ति लाभ प्राप्त हो सके ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) नैमित्तिक श्रमिक नियमित नियोजन में समाहित होने के लिए स्क्रीनिंग और पैनल में रखे जाने हेतु 120 दिन की सेवा पूरी कर लेने के पश्चात् पात्र होते हैं। यद्यपि, ऐसे नियमित नियोजन में उनका समाहित होना रिक्तियों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

(ख) अस्थायी स्तर प्राप्त कर लेने के पश्चात् नैमित्तिक श्रमिकों द्वारा की गयी सेवा की आधी उनके नियमित नियोजन में समाहित होने पर ऐंशनीय लाभों के प्रयोजन लिए संगणना की जाती है।

(ग) और (घ) जी, हां। दक्षिण मध्य रेलवे इम्पलाईज यूनियन ने यह मांग की है कि दक्षिण मध्य रेलवे पर सभी नैमित्तिक श्रमिकों को अधिसंख्य पदों का सृजन करके समाहित कर लिया जाये।

(ङ) जी, नहीं। ऐसे श्रमिक केवल उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 जैसे वर्तमान नियमों के अन्तर्गत यथा स्वीकार्य केवल सेवा निवृति लाभों के पात्र हैं।

बम्बई सेंट्रल-निजामुद्दीन होली डे एक्सप्रेस रेलगाड़ी को चोनहला स्टेशन पर रोकना

8179. **श्री चतुर्भुज : क्या रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई सेंट्रल और हजरत निजामुद्दीन के बीच होली डे एक्सप्रेस रेलगाड़ी गर्मियों के दौरान भीड़ के कम करने के उद्देश्य से यात्रा करने वाले लोगों की सुविधा के लिए चलाई गयी थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह गाड़ी 1981-82 के दौरान कोटा और रतलाम के बीच चौमहला स्टेशन पर रुका करती थी ;

(ग) यदि हां, तो अब इस गाड़ी के इस स्टेशन पर न रुकनें के क्या कारण हैं ;

(घ) क्या कोटा के डी० आर० एम० और डी० ओ० एस० चौमहला रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर और स्थानीय जनता और व्यापार संघ द्वारा चौमहला में इस गाड़ी को रोकने की मांग की गई है ;

(ङ) यदि हां, तो क्या स्थानीय लोगों तथा काफी बड़ी संख्या में जैन तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए चौमहला ने इस गाड़ी को रोकने की व्यवस्था की जाएगी ; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) जी, हां ।

(ग) से (ङ) बम्बई सेन्ट्रल-निजामुद्दीन स्पेशल गाड़ी को चौमहला स्टेशन पर ठहराने के लिए मांग की गयी है और इसकी व्यवस्था की जा रही है ।

(च) प्रश्न ही नहीं उठता ।

बाढ़ के कारण रेलवे को हानि

8180. **श्री छोटू भाई वसावा** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में बाढ़ के कारण रेलवे को कुल कितनी हानि हुई, और

(ख) इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) पिछले 3 वर्षों के दौरान रेलों को हुई हानि का ब्यौरा इस प्रकार है :—

1981-82		7.87 करोड़ रुपये ।
1982-83	:	6.70 करोड़ रुपये ।
1983-84	:	15.21 करोड़ रुपये ।

(ख) बाढ़ से होने वाली क्षति की रोकथाम करने के लिए रेलों ने निम्नलिखित उपाय किये हैं :

(1) रेल पथ के नीचे मुहैय्या किये गये जल मार्गों का निरन्तर पुनरीक्षण किया जाता है और जहां कहीं अपेक्षित होता है वहां बाढ़ की निकासी करने के लिए जल मार्ग बढ़ाने के साथ पुलों का पुनर्निर्माण किया जाता है ।

(2) नदियों के बहाव को जलमार्ग से ले जाने के लिए गाइड बान्धों की व्यवस्था की जाती है ।

(3) भेद्य स्थलों पर, शिलाखंड बिछाकर किनारों को सुदृढ़ किया जाता है ।

(4) मानसून से पहले, पुल के सभी द्वारों और नालियों को साफ किया जाता है ताकि बाढ़ का पानी निर्बाध बह सके ।

(5) जहां कहीं पानी किनारों के ऊपर से बहता है वहां रेल पथ को ऊंचा किया जाता है ।

(6) बाढ़ से प्रभावित होने वाले सभी निर्माण कार्यों, जैसे टैंक, बान्ध आदि जो रेलपथ के निकट होते हैं और उसको क्षति पहुंचा सकते हैं, के समुचित रख-रखाव के लिए राज्य सरकार के प्रतिनिधियों के साथ संयुक्त रूप से समय-समय पर उनका निरीक्षण किया जाता है।

"होम्योपैथिक प्रेक्टिशनरों का केन्द्रीय रजिस्टर"

8181. **श्री जगन्नाथ पाटिल** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि होम्योपैथिक प्रेक्टिशनरों का एक केन्द्रीय रजिस्टर तैयार करने में क्या प्रगति हुई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् (पंजीकरण) विनियम, 1982 के विनियम 4 के अनुसरण में केन्द्रीय रजिस्टर के भाग-एक में पात्र उम्मीदवारों के सीधे पंजीयन का काम शुरू हो चुका है। केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद पहले ही राज्य होम्योपैथी बोर्डों से अनुरोध कर चुकी है कि वे होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1973 की धारा 22 की अपेक्षाओं के अनुसार अपने-अपने राज्यों में रखे गये होम्योपैथी के रजिस्टरों की नवीनतम प्रतियां भेज दें। राज्य बोर्डों से केन्द्रीय परिषद में अब तक मिले राज्य रजिस्टरों के आधार पर केन्द्रीय परिषद ने होम्योपैथी के केन्द्रीय रजिस्टर के भाग—II में पात्र उम्मीदवारों के नाम लिखने की कार्यवाही शुरू कर दी है।

दो सामान्तर संस्थानों का विलय

8182. **श्री हरिकेश बहादुर** : क्या **शिक्षा और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि एक ही प्रकार के कार्य में दो समानान्तर संस्थाएं संलग्न हैं जिनमें से एक लखनऊ में सांस्कृतिक सम्पदाओं के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय प्रयोगशाला है तथा दूसरी देहरादून में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के निदेशक (विज्ञान) की प्रयोगशाला है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार फिजूल व्यय को कम करने के उद्देश्य से इन दोनों का विलय करने पर विचार करेगी ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) राष्ट्रीय सांस्कृतिक सम्पत्ति परिरक्षण प्रयोगशाला, लखनऊ मूल अनुसंधानों, अंतरंग प्रयोग और परिरक्षण विज्ञान में प्रशिक्षण कार्य में लगी हुई है, जबकि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, देहरादून की केन्द्रीय विज्ञान प्रयोगशाला स्मारकों, स्थलों और पुरातत्वीय महत्त्व की अन्य वस्तुओं का वास्तविक परिरक्षण कार्य करती है।

(ख) चूंकि दोनों संगठन स्वतन्त्र रूप से भूमिकाएं अदा करते हैं और उनके कार्य अलग-अलग हैं अतः उनके बिलय का प्रश्न नहीं उठता।

एशियाई अस्पताल, नई दिल्ली का बंद किया जाना

8183. **श्री बाबू राव परांजपे** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सीरी गांव एशियाई अस्पताल, नई दिल्ली लगभग एक वर्ष से बंद है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और यह कितने समय और बन्द रहेगा ;

(ख) अस्पताल के बारे में भविष्य की योजना क्या है ; और

(ग) क्या दक्षिण दिल्ली के सी०जी०एच०एस० लाभार्थियों के लिए इसे खोला जाएगा, और यदि हां, तो कब ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी) : (क) से (ग) एशियाई खेलों के दौरान सिरी गांव में एक अस्थायी अस्पताल खोला गया था। इस अस्पताल को खेलों की समाप्ति के बाद बंद कर दिया गया था। इस अस्थायी अस्पताल का दूसरे स्थायी प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल करने के बारे में सरकार विचार कर रही है।

राज्यों में स्वास्थ्य क्षेत्र सर्वेक्षण यूनिट और उन्हें सौंपे गये कार्य

8184. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय के अन्तर्गत कुछ राज्यों में स्वास्थ्य क्षेत्र सर्वेक्षण यूनिट स्थापित किए गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो वे राज्य कौन से हैं और इनका चयन किस प्रकार किया गया था तथा इन यूनिटों को कौन-कौन से कार्य सौंपे गए थे ; और

(ग) क्या इस संबंध में पश्चिमी बंगाल की उपेक्षा की गई है और यदि हां, तो उसके क्या कारण है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुदबेन एस० जोशी) : (क) हां।

(ख) कम से कम 16 क्षेत्रीय फील्ड सर्वेक्षण यूनिटें खोलने की योजना है और इन्हें देश के भिन्न-भिन्न भागों में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के 16 क्षेत्रीय विदेशालयों के कार्यालयों के साथ सम्बद्ध करने का विचार है। शुरू में ये फील्ड सर्वेक्षण यूनिटें पटना (बिहार), बंगलौर, (कर्नाटक) और भुवनेश्वर (उड़ीसा) में खोली गयी हैं। धीरे-धीरे ये फील्ड सर्वेक्षण यूनिटें शेष 13 स्थानों में भी खोली जाएंगी। इन यूनिटों को मौजूदा स्वास्थ्य सूचना पद्धति की कमी को पूरा करने के लिए विशेष सर्वेक्षण/अध्ययन करने सम्बन्धी कार्य सौंपा जा रहा है।

(ग) अन्य क्षेत्रों में और फील्ड सर्वेक्षण यूनिटें खोलने सम्बन्धी प्रस्ताव पर आगे कार्यवाही की जा रही है।

हिन्द महासागर में आस्ट्रेलिया के युद्ध पोतों की गतिविधियां

8185. **श्री के० मालन्ना** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आस्ट्रेलिया सरकार ने अपनी योजना के रूप में कोई ऐसा निर्णय किया है कि हिन्द

महासागर में अपनी भूमिका को बढ़ाने के लिए वहां युद्धपोत तैनात किए जाएं ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में भारत सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए०ए० रहीम) : (क) हिन्द महासागर सम्बन्धी मसलों के बारे में आस्ट्रेलिया सरकार की अनुमोदित नीतियों के दिशा-निर्देशों की घोषणा करते हुए आस्ट्रेलिया के विदेश मन्त्री ने 17 जनवरी, 1984 को अन्य बातों के साथ-साथ यह भी कहा कि इन दिशा-निर्देशों के अनुसार आस्ट्रेलिया अपने तथा अपने सहयोगियों के हितों को ध्यान में रखते हुए अपने स्वतन्त्र परन्तु सम्बद्ध हिन्द महासागर तटीय राज्य के दर्जे के महत्त्व के प्रति सचेत रहेगा और यह भी कि आस्ट्रेलिया समुद्री यात्राओं की प्रणाली की स्थापना के द्वारा हिन्द महासागर द्वीप देशों के साथ सम्बन्धों को विकसित करने पर और ध्यान देने का प्रयास करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि आस्ट्रेलिया यह स्वीकार करेगा कि अपने हितों की रक्षा के लिए आस्ट्रेलिया सरकार इस क्षेत्र में पश्चिमी हितों को समुचित समर्थन देने का प्रयास करेगी।

(ख) सरकार महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा के सन्दर्भ में हिन्द महासागर के सैन्यीकरण के विरुद्ध है क्योंकि इससे इस क्षेत्र में तनाव पैदा होता है और हथियारों की होड़ शुरू होती है जिससे इस क्षेत्र की शान्ति और स्थायित्व पर दुष्प्रभाव पड़ता है।

विश्व विकलांग दिवस पर विकलांगों के कल्याण के लिए स्वीकृत धनराशि

8186. **श्री एन०ई० होरो** : क्या **समाज कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा विश्व विकलांग दिवस के अवसर पर विकलांग लोगों के कल्याण के लिए हाल ही में कुछ धनराशि स्वीकृत की गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) और (ख) समाज कल्याण मंत्रालय ने विश्व विकलांग, 1984 मनाने के सम्बन्ध में दिल्ली प्रशासन को 30,000/- रुपए की धनराशि स्वीकृत की थी दिल्ली प्रशासन ने इस दिवस के अवसर पर दिल्ली में विकलांगों बच्चों के लिए खेलकूद, कौशल और प्रतिभा प्रतियोगिताओं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया।

दक्षिण मध्य रेल कर्मचारी संघ, विजयवाड़ा से प्राप्त हुआ ज्ञापन

8187. **श्री एम० एम० लारेंस** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें दक्षिण मध्य रेल कर्मचारी संघ, विजयवाड़ा से दिनांक 14 मार्च, 1984 का ज्ञापन संख्या एस०सी०आर०ई० यू०/3/84 प्राप्त हुआ है,

(ख) यदि हां, तो ज्ञापन में रखी गई मुख्य मांगें क्या हैं,

(ग) क्या सरकार का मांगों/सुझावों पर सहानुभूतिपूर्वक, विचार करने का है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री ए०बी०ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी, हां।

(ख) यूनियन की मुख्य मांग यह है कि अतिरिक्त पदों का सृजन करके मौजूदा नैमित्तिक श्रमिकों को समाहित कर लिया जाए ताकि वे सेवा निवृत्ति के लाभ पाने के पात्र हो सकें।

(ग) और (घ) 120 दिनों की सेवा पूरी करने के बाद नैमित्तिक श्रमिक नियमित सेवा में समाहित होने के लिए जांच परख/पेनल बद्धता के पात्र होते हैं। इस समय चतुर्थ श्रेणी के अधिकतर सभी सभी पद (कारखानों तथा अनुकम्पा के आधार पर/खिल कूद कोटे में नियुक्ति जैसे कुछ अपवादों को छोड़कर) स्क्रीनिंग किए गये/पैनलबद्ध किए गए नैमित्तिक श्रमिकों में से उनकी सेवा की अवधि के आधार पर भरे जाते हैं। यद्यपि अतिरिक्त पदों का सृजन करके सभी नैमित्तिक श्रमिकों में को समाहित करना व्यवहारिक नहीं समझा गया है लेकिन नैमित्तिक श्रमिक के रूप में की गयी सेवा के सम्बन्ध में विगत में सहानुभूतिपूर्वक विचार किया गया था और यह निश्चय किया गया था कि अस्थायी पद प्राप्त कर लेने के बाद की गयी सेवा की आधी अवधि, उनके नियमित सेवा में अन्ततः समाहित हो जाने पर, पेंशनीय लाभों के प्रयोजन के लिए गिनी जाएगी।

कर्मशियल कोरियर्स का वेतनमान

8188. **श्री सुधीर गिरि** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलवे में कर्मशियल कोरियर्स नाम का कोई कैडर विद्यमान है ;

(ख) यदि हां, तो उनका वेतनमान क्या है ;

(ग) क्या तीसरे वेतन आयोग ने कर्मशियल कोरियर्स के लिए 225-308 रुपये के वेतनमान की सिफारिश की थी ;

(घ) यदि हां, तो क्या भारतीय रेलवे में कार्यरत कर्मशियल कोरियर्स के बारे में यह वेतनमान क्रियान्वित कर दिया गया है ;

(ङ) क्या उत्तर सीमान्त रेलवे के कर्मशियल कोरियर्स की ओर से ये अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि उन्हें यह वेतनमान नहीं दिया गया है ;

(च) क्या रेलवे के अन्य जोनों में कर्मशियल कोरियर्स को उक्त वेतनमान दे दिया गया है ;

(छ) उत्तर-सीमान्त रेलवे के कर्मशियल-कोरियर्स को 225-308 रुपये का वेतनमान प्रदान न करने के क्या कारण हैं ; और

(ज) क्या सरकार उत्तर सीमान्त रेलवे के कर्मशियल-कोरियर्स के साथ हो रहे भेद-भाव को दूर करने के लिए उपाय कर रही है ?

रेल मन्त्री (श्री ए०बी०ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी, हां।

(ख) "कर्मशियल कोरियर्स" 210-270 रुपये (संशोधित) और 225-308 रुपये (संशोधित) के वेतनमान में होते हैं।

(ग) तीसरे वेतन आयोग ने 80-110 रुपये और 105-135 रु० के प्राधिकृत वेतनमानों में काम करने वाले "कर्मशियल कोरियर्स" के लिए 210-270 रुपये और 225-308 रुपये के वेतनमानों की सिफारिश की थी।

(घ) तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार कर्मशियल कोरियर्स को स्थानापन्न वेतन-मान आबंटित किये गए हैं।

(ङ) पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के कर्मशियल कोरियर्स की ओर से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें 225-308 रुपये के संशोधित वेतनमान आबंटित करने की मांग की गयी है।

(च) और (छ) : तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों पर ही कर्मशियल कोरियर्स को संशोधित वेतनमान आबंटित किए गए हैं।

(ज) चौथे वेतन आयोग, जिसका गठन सरकार द्वारा रेल कर्मचारियों सहित केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतनमानों में संशोधन करने के लिए किया गया है, को कर्मशियल कोरियर्स के वेतन-मानों में और संशोधन करने के प्रश्न पर विचार करना पड़ेगा।

अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह महाविद्यालय के प्राध्यापकों के लिए चयन ग्रेड फार्मूला

8189. **श्री मनोरंजन भक्त** : **क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाविद्यालय प्राध्यापकों के लिए डाक्टरेट की उपाधि सहित 10 वर्ष की सेवा और डाक्टरेट की उपाधि के बिना 15 वर्ष की सेवा के लिए 1200-1800 रुपये के वेतनमान का चयन ग्रेड फार्मूला केन्द्र शासित प्रदेश दिल्ली के महाविद्यालयों में कार्यान्वित कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो यह फार्मूला अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह के राजकीय महाविद्यालय के प्राध्यापकों के लिए भी लागू कर दिया गया है और कितने प्राध्यापकों को राजकीय महाविद्यालय, पोर्ट ब्लेयर में इस फार्मूले को कार्यान्वित करने से लाभ हुआ है ;

(ग) राजकीय महाविद्यालय, पोर्ट ब्लेयर में लेक्चररों के कितने स्थायी पद रिक्त हैं और उनमें से कितने पद नियमित आधार पर भरे गए हैं, और कितने तदर्थ आधार पर भरे गए हैं और कब से भरे गए हैं ; और

(घ) नियमित पद विद्यमान होने पर भी उनमें नियमित आधार पर प्राध्यापकों की नियुक्ति न किए जाने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में उप मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथासम्भव शीघ्र सभापटल पर रख दी जाएगी।

नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा आयुर्वेदिक अस्पताल खोलने के लिए भवन का निर्माण

8190. **श्री रामसिंह शाक्य** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा एक आयुर्वेदिक अस्पताल खोलने के लिए 37, भगत सिंह मार्ग पर एक भवन का निर्माण किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो अब तक वहां आयुर्वेदिक अस्पताल न खोलने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) हां ।

(ख) 37, भगत सिंह मार्ग में एक आयुर्वेदिक अस्पताल खोलने सम्बन्धी प्रस्ताव फिलहाल नई दिल्ली नगर पालिका ने नामंजूर कर दिया है ।

रेलवे सेवा आयोग, बम्बई के चेयरमैन के विरुद्ध जांच

8191. **श्री निहाल सिंह** : क्या **रेल मन्त्री** रेलवे सेवा आयोग, बम्बई के चेयरमैन के विरुद्ध आरोप के बारे में 28 जुलाई, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 846 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने रेलवे सेवा आयोग, बम्बई के चेयरमैन के विरुद्ध जांच पूरी कर ली है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ख) भूतपूर्व चेयरमैन द्वारा टिकट कलेक्टर, सहायक स्टेशन मास्टर, गार्ड, बुकिंग क्लर्क आदि के पदों के लिए 19, 20 मार्च, 1983 को साक्षात्कार के लिए बुलाए गए उम्मीदवारों के बारे में सरकार द्वारा क्या निर्णय लिए जाने की सम्भावना है और कब तक ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा अभी भी मामले की जांच की जा रही है। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के निष्कर्ष प्राप्त हो जाने पर उम्मीदवारों के चयन के बारे में निर्णय लिया जायेगा ।

जनकपुरी, नई दिल्ली के "सी" ब्लाक में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना का एक नया औषधालय खोला जाना

8192. **श्री सुभाव चन्द्र बोस अल्लूरी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्लाक "सी" जनकपुरी नई दिल्ली में रहने वाले केन्द्रीय सरकार

स्वास्थ्य योजना के लाभ प्राप्तकर्ताओं को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना का वर्तमान औषधालय इस ब्लाक से काफी दूर स्थित है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार ने ब्लाक "सी", जनकपुरी, नई दिल्ली में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना का एक नया औषधालय खोलने का निर्णय लिया है ; और

(ग) यदि हां, तो यह नया औषधालय कब तक खोले जाने की आशा है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी) : (क) जनकपुरी, नई दिल्ली के "सी" ब्लाक में रहने वाले केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थी जनकपुरी में "ए" और "बी" ब्लाक में स्थित केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों से चिकित्सा सुविधाएं प्राप्त कर रहे हैं। ये दोनों औषधालय "सी" ब्लाक से निर्धारित सीमा अर्थात् 3 किलोमीटर के अन्दर-अन्दर स्थित हैं।

(ख) और (ग) जनकपुरी के "सी" ब्लाक में एक प्लाट खरीद लिया गया है तथा केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालय के भवन का निर्माण कार्य करने के लिए आवश्यक कार्यवाही कर दी गई है।

राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के छात्रों द्वारा प्रदर्शन

8193. **श्री के० ए० राजन** : क्या **शिक्षा और संस्कृति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के छात्रों ने अपनी मांगों के समर्थन में 27 मार्च, 1984 को मन्त्रालय के बाहर प्रदर्शन किया था और एक ज्ञापन प्रस्तुत किया था ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगों का ब्यौरा क्या है तथा उन पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों की राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) जी, हां।

(ख) मांगें निम्नलिखित हैं :

1. विद्यालय के सुचारू कार्यकरण के लिए अलग परिसर।
2. अधिक स्काफ।
3. छात्रवृत्तियों की वृद्धि।
4. रा० ना० वि० का "थिएटर विस्तार (कार्यक्रम) खंड"
5. संस्कृति विभाग और संगीत नाटक अकादमी द्वारा रा० ना० वि० के स्नातकों के लिए निश्चित परियोजनाएं और योजनाएं।

6. (I) सभी विद्यालयों में नाटक विभाग खोलना।

(II) विद्यालयों में थिएटर शिक्षा (अथवा बाल थिएटर) शुरू करना।

7. पूरे देश में "थिएटर वित्त निगम" अथवा थिएटर दलों की सहायता करने के लिए एक निकाय की स्थापना।

8. **अतितत्काल** : राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के कार्य की तत्काल समीक्षा।

राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के परामर्श से मांगों की जांच की जा रही है।

नियमों का उल्लंघन करके जैविक प्रयोगशाला, मद्रास के वर्तमान निदेशक की नियुक्ति

8194. **श्री के० बी० एस० मणि : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जैविक प्रयोगशाला और पशु केन्द्र, राजकीय चिकित्सा भण्डारण डिपो, मद्रास के निदेशक के पद को संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से पहले नवम्बर, 1977 में भरा गया था, तथा अभ्यार्थी कुछ समय तक सेवा करने के पश्चात् पद छोड़ कर चला गया ;

(ख) क्या यह सच है कि जैविका प्रयोगशाला, मद्रास के निदेशक पद के वर्तमान पदधारी की नियुक्ति नवम्बर, 1978 में उसी पेनल में से की गई थी, जिसे संघ लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष 1977 में तैयार किया गया था ;

(ग) क्या यह सच है कि चयन किए गए अभ्यर्थी द्वारा पद ग्रहण करने के पश्चात् संघ लोक सेवा आयोग का पेनल रद्द हो जाता है, यदि हां, तो पेनल में से निदेशक पद के वर्तमान पदधारी की नियुक्ति करके नियमों का उल्लंघन करने के क्या कारण हैं जबकि यह संघ लोक सेवा आयोग के नियमों के अनुसार अवैध है ; और

(घ) क्या यह सच है कि जब पेनल में त्रुटिवश नियुक्ति की गई थी उस समय भर्ती नियमों के अनुसार सभी दृष्टि से योग्य एक विभागीय अभ्यार्थी पदोन्नति के लिए उपलब्ध था और यदि हां, तो प्राधिकारियों द्वारा उसकी पदोन्नति पर विचार न करने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुदबेदन जोशी) : (क) हां।

(ख) हां।

(ग) नहीं।

(घ) पदोन्नति के लिए सभी दृष्टि से योग्य कोई भी विभागीय उम्मीदवार उपलब्ध नहीं था।

छितौनी में रेल पुल

8195. **श्री योगेन्द्र झा** : क्या रेल मन्त्री छितौनी में रेल पुल के बारे में 29 मार्च, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5569 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य सरकारों को गंडक नदी के ऊपर छितौनी पुल की लागत का अपने हिस्सा देने को कहा गया है ;

(ख) यदि हां, तो उनमें से प्रत्येक की स्पष्ट धनराशि अथवा हिस्सा कितना है और केन्द्रीय सरकार का हिस्सा कितना है तथा इस पर राज्य सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या 1977 के बाद से कोसी नदी के बहाव की मुख्य धारा निर्मली से पूर्व की ओर हट गई है और क्या सरायगढ़ निर्मली की दोनों ओर से सुपोल और बीरपुर से जोड़ने के लिए अत्यधिक व्यावहारिक रेलवे स्टेशन हो गया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो पुनर्सर्वेक्षण और नवीनतम तथा सापेक्ष महत्व की स्थिति का पता लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मन्त्री (श्री ए बी ए गनी खान चौधरी) : (क) जी, हां।

(ख) (1) उत्तर प्रदेश सरकार का हिस्सा — 11.4 करोड़ रु०

(2) बिहार सरकार का हिस्सा — 7.6 करोड़ रु०

उनके अंशदान के भुगतान और मूल्यवृद्धि आदि के कारण बढ़ी हुई लागत वहन करने की बचनबद्धता के बारे में उनके उत्तर की अभी प्रतीक्षा की जा रही है।

केन्द्रीय सरकार का हिस्सा :

(3) सिंचाई मन्त्रालय — 19 करोड़ रुपये

(4) रेल मन्त्रालय — 23.56 करोड़ रुपये

(ग) इस सम्बन्ध में रेलवे द्वारा कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया।

(घ) 1977 में इस परियोजना की लागत इस परिकल्पना पर निकाली गयी थी कि नदी के बहाव को नियन्त्रित करने के कार्यों और कोसी नदी के इस स्थान की अस्थिर प्रवृत्ति के कारण नदी नियन्त्रण स्थलों की व्यवस्था करने, की लागत राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी। संसाधनों की अत्यधिक तंगी और राज्य सरकार द्वारा डाकमारा बैरेज आदि के रूप में नियंत्रण स्थलों के नियंत्रण में आगे प्रगति के अभाव में, उक्त रेलवे लाइन के लिए नये सिरे से सर्वेक्षण करने से कोई लाभदायक प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा।

पोलीटैक्नीक पाठ्यक्रमों के लिए नई पाठ्यचर्या

8196. **श्री मोहम्मद असरार अहमद** : क्या **शिक्षा और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली पोलीटैक्नीक कालेजों में सिविल, मैकेनिकल और इलैक्ट्रिकल इंजीनियरी के लिए एक नयी पाठ्यचर्या तैयार की जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह पाठ्यचर्या राष्ट्रीय स्तर पर तैयार की गई पाठ्यचर्या अथवा उत्तर क्षेत्र के लिए टीचर्स इन्स्टीट्यूट चंडीगढ़ द्वारा, विशेषकर गैर-इन्जीनियरी विषयों के संबंध में तैयार की गई पाठ्यचर्या, से काफी भिन्न है ; और

(ग) यदि हां, तो यह गिनती किस सीमा तक है और इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) से (ग) तकनीकी शिक्षा निदेशालय, दिल्ली प्रशासन ने 10+2 प्रणाली को आरम्भ करने के कारण और पौलिटेक्नीको में दाखिले की नीति में किए गए परिवर्तन के परिणाम स्वरूप दिल्ली पोलिटेक्नीक के इन्जीनियरी पाठ्यक्रमों के लिए एक नई पाठ्यचर्या का विकास करने का तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान चंडीगढ़ को सौंप दिया दिया है। पिछली पाठ्यचर्या उच्चतर माध्यमिक के 11 वर्षों पर आधरित थी। तकनीकी, शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, चंडीगढ़ से संशोधित पाठ्यचर्या की की प्रतीक्षा है।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के बायो-कैमिस्ट्री के प्रोफेसर द्वारा सरकारी अनुमति के बिना पुरस्कार प्राप्त किया जाना

8197. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के बायो—कैमिस्ट्री के प्रोफेसर द्वारा एक लाख रुपये का पुरस्कार प्राप्त करने के लिए सरकारी अनुमति के बारे में 22 मार्च, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4271 के उत्तर के सम्बन्ध में बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के नई दिल्ली में गैर-सरकारी न्यासों से सरकारी अनुमति के बिना पुरस्कार प्राप्त करने की अनुमति है ; और

(ख) यदि नहीं, तो संस्थान के बायो-कैमिस्ट्री प्रोफेसर द्वारा एक गैर-सरकारी न्यास से एक लाख रुपए का पुरस्कार प्राप्त करने और उससे लिए सरकारी अनुमति न लेने के कारण उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही किए जाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान द्वारा बताया गया है कि शैक्षिक और वैज्ञानिक योगदानों के लिए पुरस्कार प्राप्त करना शैक्षिक व्यवसाय में एक स्वीकृत विशेषाधिकार है और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के नियम संस्थान के स्टाफ पर ऐसे सम्मान पाने के लिए रोक नहीं लगाते।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

वेल्फेयर इन्सपेक्टरों और पर्सनल इन्सपेक्टरों के कैडर का पुनर्गठन

8198. **श्री बिलास मुत्तेमवार** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रेलवे के अन्तर्गत वेल्फेयर इन्सपैक्टर और पर्सनल इन्सपैक्टर के कैडर के पुनर्गठन दर्जा बढ़ाए जाने से सम्बन्धित मुख्य बातें क्या हैं ;

(ख) क्या इन इन्सपैक्टरों को दिनांक 1 जून, 1974 से दर्जा बढ़ाए जाने का वह लाभ नहीं मिला है जो अन्य श्रेणियों के कर्मचारी प्राप्त कर चुके हैं ; और

(ग) क्या इन इन्सपैक्टरों का दर्जा बढ़ाए जाने की स्वीकृति देने तथा उनकी अन्य शिकायतों को दूर करने का कोई प्रस्ताव है ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) 1-6-79 से कल्याण निरीक्षकों और कार्मिक निरीक्षकों कोटियों की निम्न प्रकार से पुनर्संरचना की गयी है :

ग्रेड	प्रतिशत
425—640	45%
550—750	35%
700—900	20%

(ख) और (ग) जी नहीं। उनके वेतन मान और उनका प्रतिशत संतोषजनक है। बहरहाल, अगली पुनर्संरचना के समय कल्याण निरीक्षकों और कार्मिक निरीक्षकों के संवर्ग की आगे पुनर्संरचना की जाएगी।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना लाभार्थियों के लिए प्रसूति सुविधाएं उपलब्ध करने वाले अस्पताल

8199. **डा० ए० यू० आजमी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजधानी में उन अस्पतालों और अन्य परिवार स्वास्थ्य केन्द्रों के नाम क्या हैं जहां पर केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थी प्रसूति सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि अनेक प्रसूति चिकित्सालयों का कार्यकरण असंतोषजनक है तथा वहां पर दवाओं की कमी है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा दवाओं की कमी को पूरा करने के लिए तथा इन अस्पतालों के कार्यकरण में सुधार लाने के लिए क्या कार्यवही करने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी) : (क) यह सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों को सुविधाएं प्रदान कर रहे प्रसूति अस्पतालों के कार्यों में कोई कमियां नहीं देखी गई हैं। इन अस्पतालों में आम दवाइयां उपलब्ध हैं। इन अस्पतालों में यदि कोई औषधि उपलब्ध नहीं होती हैं तो लाभार्थी को वह औषधि सुपर बाजार-बाजार से खरीदने की अनुमति दे दी जाती है और उस दवा की कीमत लाभार्थी को लौटा दी जाती है।

विवरण

राजधानी में स्थित ऐसे अस्पतालों और अन्य परिवार स्वास्थ्य केन्द्रों के नाम जहां पर केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के कर्मचारी जच्चा-बच्चा सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं :—

सरकारी अस्पताल	प्राइवेट अस्पताल
1. डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल	1. डा० बी० एल० कपूर मेमोरियल अस्पताल, पूसा रोड।
2. सफदरजंग अस्पताल	2. सेंट स्टीफेन्स अस्पताल, तीस हजारी।
3. श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल	3. कस्तूरबा अस्पताल, जामा मस्जिद के निकट
4. सी० जी० एच० एस० जच्चा-बच्चा और स्त्री रोग अस्पताल, आर० के० पुरम	4. गिरधारी लाल प्रसूति अस्पताल, कमला मार्कीट के सामने, अजमेरी गेट।
5. सी० जी० एच० एस० जच्चा-बच्चा केन्द्र श्री निवासपुरी।	
6. सी० जी० एच० एस० जच्चा-बच्चा केन्द्र कालकाजी।	
7. नई दिल्ली नगर पालिका के सभी केन्द्र (जच्चा-बच्चा मामलों के लिए)	
8. दिल्ली नगर निगम के सभी केन्द्र (केवल जच्चा-बच्चा मामलों के लिए)	

चेतक एक्सप्रेस में डूंगरपुर से उदयपुर तक आरक्षण

8200. **श्री भीखा भाई** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उदयपुर और दिल्ली के बीच चलने वाली चेतक एक्सप्रेस में डूंगरपुर से उदयपुर तक कोई आरक्षण सुविधा उपलब्ध नहीं है ;

(ख) क्या यह सच है कि रेलवे स्टेशन मास्टर, डूंगरपुर (राजस्थान) द्वारा यहां से होकर उदयपुर, भीलवाड़ा, जयपुर और दिल्ली की ओर जाने वाली किसी भी रेलगाड़ी के लिए किसी भी आरक्षण के लिए अग्रिम आवेदन पर विचार नहीं किया जाता है, और

(ग) क्या जनता/अधिकारियों को राज्य और राष्ट्र की राजधानी की यात्रा की सुविधा के लिए प्रातः/सांय की रेलगाड़ियों में एक प्रथम श्रेणी का डिब्बा बढ़ाने का प्रस्ताव है ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) 86 डाउन अहमदाबाद-चित्तोड़गढ़-मारवाड़ फास्ट सवारी गाड़ी डूंगरपुर से 12.56 बजे छूटती है और 17.05 बजे उदयपुर पहुंचती है जहां वह 16 डाउन चेतक एक्सप्रेस से मेल लेती है। यह सवारी गाड़ी दिन के समय चलने वाली गाड़ी है, अतः इस गाड़ी में डूंगरपुर में आरक्षण कोटा देने की आवश्यकता नहीं। जहां तक डूंगरपुर से 16 डाउन चेतक एक्सप्रेस में आरक्षण कोटा का प्रश्न हैं 1-4-1984 से 6 महीने की अवधि के लिए प्रयोग के तौर पर इस स्टेशन से इस गाड़ी के लिए द्वितीय श्रेणी में 2 शयिकायें आबंटित की गई है।

(ख) प्रचलित नियमों के अधीन गाड़ी छूटने के निर्धारित समय से 72 घंटे पूर्व अग्रिम आरक्षण के लिए डूंगरपुर में आवेदन प्राप्त किए जाते हैं।

(ग) रेल प्रशासन की नीति के अनुसार शाखा लाइन की सवारी गाड़ियों से प्रथम श्रेणी के डिब्बे हटाए जा रहे हैं।

वैज्ञानिक और पारिभाषिक शब्दावली आयोग के चेयरमैन द्वारा मध्याह्न भोज का आयोजन

8201. **श्री पी० के० कोडियन** : क्या **शिक्षा और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक और पारिभाषिक शब्दावली आयोग के चेयरमैन ने अनुवाद में साहित्य सम्बन्धी प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए, जो कि हाल ही दिल्ली में समाप्त हुआ, आए शिष्ट मंडलों के लिए मध्याह्न भोज का आयोजन किया था और इसमें दक्षिण अफ्रीका के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे समारोहों से स्वयं के सम्बद्ध करने की सरकार की नीति है, जिसमें दक्षिण अफ्रीका की जातिभेद वाली सरकार के प्रतिनिधि शामिल हों ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मन्त्री (श्री पी० के थुंगन) : (क) वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग के आयोग के अध्यक्ष ने अनुवाद साहित्य सम्बन्धी पहले अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन के शिष्ट मंडलों के लिए मध्याह्न भोजन आयोजित किया था, जो हाल ही में नई दिल्ली में समाप्त हुआ, परन्तु दक्षिण अफ्रीका से किसी शिष्ट मंडल को आमंत्रित नहीं किया गया था।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, वाराणसी में स्नातक लिपिकों की पदोन्नति

8202. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे बोर्ड के दिनांक 18 जून, 1981 के आदेश संख्या पी० सी० III/जी० I/बी० I/यू० पी० जी० 7 के बावजूद भी डीडल लोकोमोटिव वर्क्स, वाराणसी के स्नातक लिपिकों को अभी तक वरिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नत नहीं किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा है और इस विसंगति के क्या कारण हैं ;

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) रेल मंत्रालय के 18-6-81 के आदेशानुसार वरिष्ठ लिपिकों (330-560 रु०) के ग्रेड में 13-1/3% रिक्तियां (आदेश में दी गयी शर्तों के अध्यधीन) सेवारत स्नातक लिपिकों द्वारा, रेल सेवा आयोग द्वारा संचालित प्रतियोगी परीक्षाओं के जरिए, भरी जाकी हैं। इस संबंध में कार्रवाई सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए स्थगन आदेश के कारण आस्थगित रखी गयी थी। सर्वोच्च न्यायालय ने स्थगन आदेश रद्द कर दिया है और वरिष्ठ लिपिकों के पदों को सेवारत स्नातक कनिष्ठ लिपिकों से 13-1/3% तक भरने के लिए उपर्युक्त आदेश के कार्यान्वयन के अनुदेश दिए जा चुके हैं। इसी सिलसिले में डीजल रेल इंजन कारखाना ने रेल सेवा आयोग को भेजने हेतु सेवारत स्नातक लिपिकों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए हैं।

पाठ्य पुस्तकों के मूल्यों में वृद्धि

8203. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **शिक्षा और संस्कृति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाठ्य पुस्तकों के मूल्य प्रतिवर्ष बढ़ रहे है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार शिक्षा की बढ़ती लागत को देखते हुए छात्रों को मैट्रिक कक्षाओं तक नि:शुल्क पाठ्य पुस्तकें देने हेतु राज्यों से अनुरोध करने का विचार है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) रा० शै० अ० प्र० परि० अनुमोदित मूल्य निर्धारण सूत्र जो "कोई लाभ नहीं कोई हानि नहीं" के आधार पर तैयार किया गया है, पर आदर्श पाठ्यपुस्तकें तैयार करती है। राज्य, इन पाठ्यपुस्तकों को अपनाने/अप' अनुकूल बनाने अथवा अपनी ही पुस्तकें तैयार करने के लिए स्वतन्त्र है। उचित मूल्यों पर अच्छी पाठयपुस्तकों की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए अधिकांश राज्यों ने स्कूली पाठयपुस्तकों के निर्माण को आंशिक रूप से अथवा पूर्ण रूप से राष्ट्रीयकृत कर दिया है। राज्य सरकारों को कीमतों पर कड़ा नियंत्रण रखने की सलाह दी गई है। तथापि, कागज की लागत मुद्रण और अन्य प्रभारों में सामान्य वृद्धि होने के कारण, यह सही है कि कभी-कभी कुछ पाठ्यपुस्तकों के मूल्य बढ़ जाते हैं।

(ख) स्कूली छात्रों को नि:शुल्क पाठ्यपुस्तकें मुहैया कराने के लिए राज्य सरकारों को राजी करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

केन्द्रीय विद्यालयों की शिक्षा नीति

8204. **श्री चित्त महाटा** : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में केन्द्रीय विद्यालयों की शिक्षा नीति सभी को प्रारम्भिक शिक्षा उपलब्ध कराने के सिद्धान्त पर आधारित नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार सरकारी शिक्षा संस्थाओं अथवा सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं में सभी के लिए प्रारम्भिक शिक्षा का सिद्धान्त लागू करने का है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में उप मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) और (ख) केन्द्रीय विद्यालयों (सेन्ट्रल स्कूल) की योजना का मुख्य उद्देश्य रक्षा और परा-सैनिक कार्मिक, जिनकी सेवा की अपेक्षाओं में एक प्रादेशिक भाषा क्षेत्र से दूसरी प्रादेशिक भाषा क्षेत्र में प्रायःस्थानान्तरण होता रहता है, सहित केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के बच्चों को अविच्छिन्न शिक्षा प्रदान करना है।

(ग) और (घ) संविधान के अनुच्छेद-45 के अनुसार राज्य, इस संविधान के प्रारम्भ होने से दस वर्ष की अवधि के अन्दर सभी बच्चों को, जब तक वे 14 वर्ष की आयु पूरी नहीं कर लेते, निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रयास करेगा।"

विभिन्न सामाजार्थिक कारणों से इस लक्ष्य को परिकल्पना के अनुसार प्राप्त नहीं किया जा सका।

केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों तथा स्थानीय निकायों के संयुक्त प्रयास के माध्यम से इस लक्ष्य को प्राप्त करने के सभी प्रयास किए जा रहे हैं। आशा है कि सांतवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक अर्थात 1990 तक प्रारम्भिक शिक्षा के संवैधानिक लक्ष्य को प्राप्त कर लिया जाएगा।

रेलवे असिस्टेंट स्टेशन मास्टर, शंकर गढ़ पर हमले का समाचार

8205. **श्री रामेश्वर नीखरा** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे असिस्टेंट स्टेशन मास्टर उस समय ड्यूटी पर था जब 11 जुलाई, 1983 को मध्य रेलवे के जबलपुर डिवीजन में रात 2.30 बजे उसके सिर पर लोहे की छड़ों से हमला किया गया था ;

(ख) क्या उसे मानिकपुर अस्पताल और बाद में जबलपुर रेलवे अस्पताल ले जाया गया था और फिर मेडिकल कालेज भेजा गया था और 16 जुलाई, 1983 को उसकी मृत्यु हो गई थी ;

(ग) क्या उस मृतक रेलवे कर्मचारी ने विधवा पत्नी तथा पांच छोटे बच्चे छोड़े हैं ;

(घ) क्या रेलवे प्रशासन रेल दुर्घटना में मरने वाले व्यक्तियों को 1000 रु० से 2000 रु० तक की धनराशि का भुगतान करता है ; और

(ङ) यदि हां, तो मृतक रेल कर्मचारी के परिवार को रेल कल्याण निधि से कोई विशेष अनुग्रह राशि स्वीकृत न करने और उसकी विधवा को देय धनराशि का भुगतान न करने के कारण क्या हैं ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी, हां।

(ख) उन्हें इन अस्पतालों में ले जाया गया था और उनका उचित उपचार किया गया था तथा उनकी मृत्यु उपचार में लापरवाही के कारण नहीं हुई।

(ग) मृतक ने विधवा पत्नी तथा सात छोटे बच्चे छोड़े हैं।

(घ) नीति के मामले के रूप में रेलें, गाड़ी दुर्घटना में मारे गए व्यक्तियों के निकट सम्बन्धी को 1000 रु० अनुग्रह राहत के रूप में भुगतान करती हैं। तथापि कुछ मामलों में अनुग्रह राहत के रूप में इससे बड़ी रकम का भी भुगतान किया जाता है। ये अनुग्रह भुगतान दुर्घटना क्षतिपूर्ति के उन भुगतानों के अलावा होते हैं जो सवारी गाड़ियों की दुर्घटना के कारण मृत्यु होने/ चोट पहुँचने के मामले में भारतीय रेल अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार देय होते हैं।

(ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर दी जाएगी।

भारतीयों के प्रवेश पर ब्रिटेन द्वारा लगाई गई पाबन्दियां

8206. **श्री बृज मोहन महन्ती :**

श्री सुशील भट्टाचार्य :

क्या **विदेश मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलेंडर वर्ष 1984 के दौरान युनाइटिड किंगडम (ब्रिटेन) में प्रवेश के इच्छुक कितने भारतीयों को हवाई अड्डे पर रोका गया ;

(ख) क्या सरकार के ध्यान में यह बात लाई गई है कि युनाइटिड किंगडम (ब्रिटेन) के गृह मन्त्रालय ने आव्रजन अधिकारियों को, यात्रियों को ब्रिटेन में प्रवेश करने से रोकने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के बारे में गोपनीय अनुदेश जारी किए है जो 1971 के आव्रजन अधिनियम की भावनाओं और उद्देश्य का उल्लंघन है ;

(ग) क्या सरकार के ध्यान में यह बात लाई गई है कि अधिनियम के उपबन्धों और उसके अंतर्गत बनाये गए नियमों के अनुसार किसी व्यक्ति को बाहर निकालने से पूर्व उसे अपने मित्रों और रिश्तेदारों अथवा उच्चायोग को टेलीफोन करने का अवसर प्रदान किया जाएगा परन्तु गोपनीय अनुदेशों के अनुसार इस प्रकार अवसर प्रदान नहीं किया जाता है और युनाइटिड किंगडम (ब्रिटेन) की सरकार द्वारा यह स्वीकार भी किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) कैलेण्डर वर्ष 1983 के दौरान, यूनाइटेड किंगडम के हवाई अड्डों पर उस देश में प्रवेश चाहने वाले करीब 1400 भारतीय राष्ट्रिकों को रोक लिया गया।

(ख) हाल ही में अखबारों में इस आशय की कुछ खबरें छपी हैं कि ब्रिटेन के गृह मन्त्रालय ने ब्रिटेन में प्रवेश करने वाले यात्रियों के बारे में निर्णय लेते समय इस्तेमाल की जाने वाली क्रियाविधि के सम्बन्ध में आप्रवासन अधिकारियों को गोपनीय हिदायतें दी हैं। अगर ऐसी कोई हिदायतें जारी की गई हैं तो यह नहीं मालूम कि उनमें क्या लिखा है और इसका स्पष्ट कारण यह है कि ये गोपनीय स्वरूप की मानी गई है। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि क्या इनसे 1971 के आप्रवासन अधिनियम की भावना और विषय का उल्लंघन होता है।

(ग) हमें ब्रिटेन के गृह मंत्रालय के कार्यालय द्वारा जारी की गई किन्हीं ऐसी गोपनीय हिदायतों की जानकारी नहीं है कि जिन लोगों को ब्रिटेन में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी गई है उन्हें अपने मित्रों सम्बन्धियों या हाई कमीशन को टेलीफोन करने की अनुमति नहीं दी गई है हमें इस बात की भी जानकारी नहीं है कि यूनाइटेड किंगडम सरकार ने इस तरह की हिदायतें जारी करना स्वीकार किया है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

फिलस्तीनी मुक्ति मोर्चे के गुटों में मतभेद को दूर करना

8207. **श्री अब्दुल रशीद काबुली** : क्या **विदेश मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एक तरफ फिलस्तीनी मुक्ति मोर्चे के गुटों और दूसरी तरफ फिलस्तीनी मुक्ति मोर्चों के प्रमुख श्री यासर अराफत और सीरिया के बीच विवाद को हल करने में गुट निरपेक्ष राष्ट्रों के अध्यक्ष के रूप में उनके मतभेदों को दूर करने और उनमें एकता स्थापित करने के सम्बन्ध में भारत की क्या भूमिका रही है ; और

(ख) इजराइल द्वारा लेबनान पर किये गए कब्जे से उत्पन्न समस्या के समाधान और लेबनान में विभिन्न धार्मिक और राजनीतिक ग्रुपों में एकता स्थापित करने के लिए भारत क्या उपाय कर रहा है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) पश्चिम एशिया में बिगड़ती हुई स्थिति और उत्तरी लबनान में फिलिस्तीनी स्वतन्त्रता सेनानियों के बीच शत्रुता से उत्पन्न होने वाली घटनाओं के बारे में चिन्ता व्यक्त करते हुए प्राप्त सन्देशों को लेकर प्रधानमन्त्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने गुट-निरपेक्ष आंदोलन की अध्यक्षता की हैसियत से नई दिल्ली में 18 और 19 नवम्बर, 1983 को फिलिस्तीन सम्बन्धी 'नाम' समिति की मंत्रि स्तरीय बैठक तत्काल बुलाई थी। इस समिति की सिफारिश के अनुपालन में प्रधान मन्त्री ने चार सदस्यों के मन्त्री स्तरीय दल से अनुरोध किया कि वे कुछ अरब राजधानियों की यात्रा करके उन्हें रिपोर्ट दें। इस दल का नेतृत्व भारत के विदेश मन्त्री ने किया जिसमें क्यूबा और यूगोस्लाविया के विदेश मन्त्री तथा संयुक्त राष्ट्र में सेनेगल के स्थाई प्रतिनिधि शामिल हैं।

गुट-निरपेक्ष मन्त्री स्तरीय दल कुवैत और दमिश्क गया। कुवैत में यह दल कुवैत के उप प्रधान मन्त्री एवं विदेश मन्त्री महामान्य शेख सबाह अल-जवार से मिला। दमिश्क में इस दल ने सीरिया के विदेश मन्त्री महामान्य अब्दुल हलीम खद्दाम, फिलिस्तीनी राष्ट्रीय परिषद के अध्यक्ष महामान्य खलीद अलू-फाहूम, फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन की कार्यकारिणी समिति के सदस्य एवं सरकारी प्रवक्ता और लेबनान के भूतपूर्व प्रधान मन्त्री श्री रशीद करामे से मुलाकात की। यह मन्त्री स्तरीय दल फिलिस्तीनी राष्ट्रीय परिषद के अध्यक्ष श्री फाहूम, फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन की कार्यकारिणी समिति के सदस्य अबू मैजेर, श्री मुहम्मद खलीफा और श्री तलाल नाजी की उपस्थिति में प्रतिपक्षी दल के अपने आपको "अपहीवल मूवमेंट" कहने वाले नेता अबू सलेह, अबू मूसा, अबू अकबर, कादरी और फिलिस्तीनी संगठनों के प्रतिनिधियों से मिला।

इन बैठकों और विचार-विमर्शों के परिणामस्वरूप प्रतिपक्षी दल ने यह वचन दिया कि वह इस समझौते पर कि दूसरा पक्ष युद्ध-विराम का सम्मान करेगा बिना किसी समय-सीमा के उत्तरी लेबनान में वर्तमान युद्ध-विराम को संरक्षित और सुरक्षित रखेगा। प्रतिपक्षी दल ने इस दल को यह भी आश्वासन दिया कि वे अपने सभी आन्तरिक मतभेदों का फिलस्तीन की रूपरेखा के अन्दर शांतिपूर्ण तरीके से समाधान करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठायेंगे। प्रतिपक्षी दल ने उक्त आश्वासन गुट-निरपेक्ष मंत्री स्तरीय दल के इस अनुरोध के सम्मान में दिया कि त्रिपोली के देशभक्त शहर में और रक्तपात तथा खतरा नहीं होना चाहिए।

उसके बाद से भारत ने अध्यक्ष अराफत से सम्पर्क किया और इस बात का समर्थन किया कि फिलिस्तीनी लोगों की न्यायोचित मांगें पूरी करने के संघर्ष में फिलिस्तीनी एकता अनिवार्य है।

(ख) भारत ने जुलाई, 1982 में लेबनान के विरुद्ध इस्रायलियों के अकारण आक्रमण की निन्दा की है। भारत ने लेबनान से सभी विदेशी सेनाओं के तत्काल और बिना शर्त हट जाने की मांग की है जिसकी शुरुआत इस्रायल से होगी।

भारत ने लेबनान के नेताओं के राष्ट्रीय समाधान पर सभी प्रयत्नों का स्वागत किया है और हमेशा एक संयुक्त मजबूत तथा गुट-निरपेक्ष लेबनान का समर्थन किया है।

उत्तर रेलवे स्टेशनों की आरक्षण सूचियों में केवल हिन्दी का प्रयोग

8208. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सभी उत्तर रेलवे स्टेशनों में आरक्षण सूचियों और रेलवे स्टेशनों में में अन्य सूचना पट्टों में केवल हिन्दी का प्रयोग किया जा रहा है ;

(ख) क्या सरकार का इसके कारण हिन्दी न जानने वाले लोगों को होने वाली कठिनाइयों की जानकारी है, और

(ग) उत्तर भारत में बहुत बड़ी संख्या में यात्रा करने वाले हिन्दी न जानने वाले लोगों को ध्यान में रखते हुए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) से (ग) इलाहाबाद, लखनऊ और कानपुर स्टेशनों को छोड़कर, जहां कर्मचारियों की कमी के कारण अस्थायी तौर पर कई गाड़ियों के चार्ट केवल हिन्दी में प्रदर्शित किये जा रहे हैं, उत्तर रेलवे के स्टेशनों पर आरक्षण चार्ट या तो अंग्रेजी में या अंग्रेजी-हिन्दी दोनों में प्रदर्शित किये जा रहे हैं।

मछली पकड़ने वाली नौकाओं का वित्त पोषित करने के सम्बन्ध में नौवहन विकास निधि समिति का कार्यकरण

8209. **श्री दौलत सिंह जी जदेजा** : क्या **नौवहन और परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौवहन विकास निधि समिति को मछली पकड़ने वाली नौकाओं की खरीद हेतु ऋण के आवेदन पत्रों की मांग के बारे में कोई फैसला करने का अधिकार है ;

(ख) क्या सरकार का ध्यान मछली पकड़ने वाली नौकाओं को वित्त पोषित करने के सम्बन्ध में नए नौवहन विकास निधि समिति के अकुशल कार्यकरण की ओर दिलाया गया है ;

(ग) वर्तमान तंत्र की कमियों को ध्यान में रखते हुए मछली पकड़ने वाली नौकाओं के लिए ऋण देने के लिए अधिक योग्य अधिकारियों की नियुक्ति को सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ; और

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है कि ऋणों के आवेदन पत्रों को बहुत अधिक समय तक विलम्बित न रखा जाए और नौवहन विकास निधि समिति की कठिन वित्तीय परिस्थिति से निपटने हेतु प्रयास किए जाएं ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) नौवहन विकास निधि समिति, मत्स्य उद्योग कम्पनियों को सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों पर ऋण देती है। यह निर्धारित शर्तों के अलावा और कोई शर्त नहीं लगता है।

(ख) सरकार को, मछली ट्रॉलर खरीदने के लिए ऋण देने हेतु चुकता पूंजी, ऋण इक्विटी अनुपात जमानत आदि से सम्बन्धित वित्तीय शर्तों में छूट और वित्तीय शर्तें पूरा न करने पर देरी के बारे में रियायत के लिए कम्पनियों से आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं।

(ग) इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की त्रुटि महसूस नहीं की गई है। सरकार को भी, वर्तमान तंत्र में अधिकारियों की योग्यता के बारे में कोई शिकायत नहीं मिली है।

(घ) सरकार ने नौवहन विकास निधि समिति की प्रलेखन और प्रणाली प्रक्रिया की जांच करने के लिए, नौवहन विकास निधि समिति की एक समिति स्थापित करने का निश्चय किया है। जिससे कि प्रस्तावों का शीघ्रता से अनुमोदन और कार्यान्वयन हो सकें।

हिजली टाइडल नहर और उड़ीसा तटीय नहर का सर्वेक्षण कार्य

8210. **श्री सत्य गोपाल मिश्र** : क्या **नौवहन और परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिजली टाइडल नहर और उड़ीसा तटीत नहर की खुदाई के लिए सर्वेक्षण कार्य पूरा हो चुका है ;

(ख) यदि नहीं, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब होने के क्या कारण हैं ; और

(घ) हिजली टाइडल नहर की खुदाई के लिए उनके मन्त्रालय की योजना और कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) से (घ) सम्पूर्ण कनाल का संयुक्त निरीक्षण किया जा चुका है और इस निरीक्षण की रिपोर्ट उचित कार्रवाई करने के लिए पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की राज्य सरकारों को भेज दी गई है।

यह कहा गया है कि पश्चिम बंगाल वाले अधिकांश भाग में जलयान नहीं चलते हैं और उड़ीसा की सीमा से लगे कुछ भाग में केवल देशी नावें चलती है। उड़ीसा राज्य में जलयान पश्चिम बंगाल की सीमा से सुवर्ण रेखा नदी तक चलते हैं। यहां माल के यातायात की सम्भावना का पता लगाने और हिजली टाइडल कनाल और उड़ीसा कोस्टल कनाल के इस भाग में देशी नावों के परिचालन को फिर से शुरू करने के लिए सीमित मात्रा में यातायात का सर्वेक्षण कराने का सुझाव दिया गया है। यह भी कहा गया है कि मरम्मत किए गए भाग के इस्तेमाल को ध्यान में रखकर कनाल के अन्य भागों के मरम्मत आदि पर पूंजी लगाई जा सकती है। हिजली टाइडल कनाल और उड़ीसा कोस्टल कनाल के सुधार/निकर्षण के लिए ब्यौरेवार स्कीमें संयुक्त निरीक्षक रिपोर्ट में वर्णित तथ्यों को ध्यान में रखकर अब पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा राज्य की सरकारों द्वारा बनाई जानी है।

रेलवे सुरक्षा बल, इलाहाबाद डिवीजन में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सुरक्षा गार्डों की पदोन्नति

8211. **श्री दया राम शाक्य** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मार्च, 1983 में उत्तर रेलवे के इलाहाबाद डिवीजन में रेलवे सुरक्षा बल विभाग में सुरक्षा गार्ड से वरिष्ठ सुरक्षा गार्डों, वरिष्ठ सुरक्षा गार्ड से मुख्य सुरक्षा गार्डों और मुख्य सुरक्षा गार्डों से सहायक उप निरीक्षकों के पदों में पदोन्नतियां की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त प्रत्येक पद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कितने लोगों को पदोन्नत किया गया है और यदि उन्हें पदोन्नत नहीं किया गया है, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या यह भी सच है कि बहुत से वरिष्ठ आर० पी० एफ० कर्मियों को पदोन्नति नहीं दी गई है जबकि कनिष्ठ कर्मचारियों को पदोन्नत कर दिया गया है और यदि हां, तो उसके विस्तृत कारण क्या हैं ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) उत्तर रेलवे के इलाहाबाद मण्डल पर रेलवे सुरक्षा बल में सुरक्षा गार्ड, वरिष्ठ सुरक्षा गार्ड और मुख्य सुरक्षा गार्ड का कोई पद नहीं है। तथापि इस मण्डल पर रेलवे सुरक्षा बल में सहायक उप-निरीक्षकों के पद हैं लेकिन मार्च 1983 में इस पद के लिए किसी की पदोन्नति नहीं की गयी है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

खाड़ी के देशों में धर्म परिवर्तन

8212. **श्री राम कृष्ण मोरे** : क्या **विदेश मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खाड़ी के देशों में कार्य कर रहे बहुत से हिन्दू, बौद्ध और ईसाईयों को, इनका धर्म परिवर्तन करके, मुसलमान बनाया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उनके उक्त धर्म-परिवर्तन के क्या कारण हैं और भारत में उनके परिवारों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ; और

(ग) सरकार द्वारा इस बारे में क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) जी, नहीं। यह सही नहीं है कि खाड़ी के देशों में काम करने वाले भारत के बहुत से हिन्दुओं, बौद्धों और ईसाइयों को मुसलमान बनाया जा रहा है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

कीटनाशी दवाओं की मौजूदगी

8213. **श्री जेवियर अराकल** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाद्य वस्तुओं में कीटनाशी दवाओं की मौजूदगी के बारे में कोई अध्ययन कराया गया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ख) सरकार द्वारा खाद्य पदार्थों की वस्तुओं से कीटनाशी दवाओं की मौजूदगी को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी) : (क) 1. मानव के खाद्य पदार्थों में कीटनाशी दवाइयों के अवशेषों पर अखिल भारतीय स्वास्थ्य विज्ञान और जन

संस्थान के निवारक एवं सामाजिक आयुर्विज्ञान विभाग और केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला, कलकत्ता ने कलकत्ता में एक सर्वेक्षण किया था। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान पत्रिका में अक्तूबर, 80 में प्रकाशित सर्वेक्षण रिपोर्ट में यह बताया गया है कि 400 परीक्षित खाद्य पदार्थों में से 95 (23.7 प्रतिशत) में कीटनाशी दवाइयों के अवशेष पाये गये। 95 नमूनों में से 44 में मैलेथियन, 27 में बी० एच० सी० और 24 में डी० डी० टी० पाई गई। सर्वेक्षण के समय 95 नमूनों में से 35 नमूनों में इनके अवशेष निर्धारित मात्रा से अधिक मात्रा में पाए गए थे। जिन 35 नमूनों में इनके अवशेषों की मात्रा निर्धारित सह्य सीमा से अधिक थे उनका ब्यौरा इस प्रकार है :—

सब्जियां	—	24
खाद्यान्न	—	10
पशु उत्पाद	—	1

(2) विभिन्न खाद्य पदार्थों में कीटनाशी दवाइयों के अवशेषों के बारे में एक और अध्ययन पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना, औद्योगिक विषाक्तता अनुसंधान केन्द्र, लखनऊ, केन्द्रीय खाद्य तकनालॉजिकल अनुसंधान केन्द्र, मैसूर, केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला, कलकत्ता और भारतीय अनाज भण्डारण अनुसंधान संस्थान, हापुड़ के सहयोग से किया गया था। उस अध्ययन के निष्कर्ष इस प्रकार है :—

976 खाद्य पदार्थों का विश्लेषण किया गया जिनमें से 778 नमूनों में कीटनाशी दवाइयों के अवशेष पाए गए। 778 नमूनों में से 137 में ऐसे अवशेष निर्धारित मात्रा से अधिक मात्रा में पाए गए थे। इन 137 नमूनों का ब्यौरा इस प्रकार है :—

अनाज	—	42
डेयरी उत्पाद	—	91
दालें	—	4

(ख) 1. कीटनाशी दवाइयों के अवशेषों की सीमा खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमावली, 1955 के नियम 65 में निर्धारित हैं।

(2) राज्य सरकारों को समय-समय पर यह हिदायतें दी गई हैं कि वे अकसर खाद्य पदार्थों के नमूने भर कर कीटनाशी दवाइयों के अवशेषों पर प्रभावकारी ढंग से नियन्त्रण रखें।

(3) केन्द्रीय सरकार ने विश्लेषकों के लाभ हेतु कुछ प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं ताकि विभिन्न कीटनाशी दवाइयों के विश्लेषण की तकनीकें सुलभ हो सकें। ऐसे चार अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रम खाद्य एवं कृषि संगठन/विश्व स्वास्थ्य संगठन के तत्वावधान में भारत में आयोजित किए जा चुके हैं।

(4) कीटनाशी दवाइयों के पंजीकरण और फसल पर उनके उपयोग की जिम्मेदारी कृषि मन्त्रालय की है। उन्हें यह सलाह दी गई है कि वे अपनी सेवाओं के जरिए किसानों और कृषकों द्वारा ऐसी दवाइयों का सुरक्षित उपयोग सुनिश्चित करें।

(5) विश्व स्वास्थ्य संगठन के धन के माध्यम से उपकरणों की व्यवस्था करके राज्य प्रयोगशालाओं को बेहतर बनाया जा रहा है।

आयुर्वेदिक और यूनानी प्रणालियों का अनुसंधान और विकास

8214. **श्री अमर सिंह राठवा :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार देश में आयुर्वेदिक और यूनानी प्रणालियों के और आगे अनुसंधान और विकास के लिए विचार कर रही है।

(ख) क्या यह भी सच है कि यह प्रणालियां उन दवाओं के निर्माण में मदद देगी जो काफी सस्ती होगी और जिनका उत्पादन भारी मात्रा में किया जा सकेगा ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में और इस प्रणाली को देश में, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में इलाज के लिए लोकप्रिय बनाने के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) **और** (ख) हां।

(ग) राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति देश में स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं में भारतीय चिकित्सा पद्धतियों की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करती है।

भारत सरकार ने क्रमशः आयुर्वेद और सिद्ध तथा यूनानी चिकित्सा पद्धतियों के क्षेत्र में अनुसंधान कार्यों को बढ़ावा देने के लिए केन्द्रीय आयुर्वेद एवं सिद्ध अनुसंधान परिषद और केन्द्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान परिषद नामक दो अलग-अलग अनुसंधान परिषदों की स्थापना की है। ये दोनों अनुसंधान परिषदें अपने-अपने सम्बन्धित क्षेत्रों में विभिन्न अनुसंधान कार्य, जैसे क्लीनिकल अनुसंधान, औषध अनुसंधान, औषध मानकीकरण, औषधीय पौधों का सर्वेक्षण, सचल क्लीनिकल अनुसंधान, साहित्यिक अनुसंधान आदि करती हैं और इन दोनों परिषदों के कार्यकलापों को निरन्तर सुदृढ़ बनाया जा रहा है।

भारत सरकार ने आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी चिकित्सा पद्धति की शुद्ध और सस्ती दवाइयां तैयार करने के उद्देश्य से भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के संयुक्त सहयोग से इण्डियन मेडिसिन फार्मास्युटिकल कारपोरेशन लिमिटेड की स्थापना की है। इसने 1983 84 से दवाइयों का उत्पादन शुरू कर दिया है। भारतीय चिकित्सा की राज्य फार्मेसियों को उपकरण, मशीनरी खरीदने तथा औषध परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करने और जड़ी-बूटी उद्यानों का विकास करने के लिए वित्तीय सहायता भी दी जा रही है।

भारत सरकार ने भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1970 बना दिया है और भारतीय चिकित्सा के केन्द्रीय परिषद की स्थापना कर दी है ताकि देश में भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के शैक्षिक स्तर और चिकित्सा व्यवसाय को विनियमित किया जा सके। देश में समुचित और समान स्तरों को प्राप्त करने के लिए आयुर्वेद, यूनानी और सिद्ध के क्षेत्रों में शैक्षिक मानक निर्धारित कर दिए गए हैं।

आयुर्वेद, यूनानी और सिद्ध चिकित्सा पद्धति के अनेक चिकित्सक, अपने ही स्तर पर प्रैक्टिस शुरू करके देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा कर रहे हैं। सरकार तथा अन्यों द्वारा इन चिकित्सा पद्धतियों के काफी अस्पताल तथा औषधालय देश के ग्रामीण तथा अन्य इलाकों में स्थापित कर दिए गए हैं। कुछेक राज्यों में ग्रामीण लोगों की सेवा के लिए इन चिकित्सा पद्धतियों का एक डाक्टर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में नियुक्त कर दिया गया है।

विकलांगों के लिए स्वयं सेवी संगठन और उनके द्वारा खर्च की गई धनराशि

8215. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या **समाज कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मन्त्रालय के अधीन, देश में इस समय विकलांगों के लिए कितने स्वयं सेवी संगठन कार्य कर रहे हैं और उनकी संख्या 1981-82 और 1982-83 में कितनी थी ;

(ख) उन संस्थाओं द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार और वर्ष-वार कितनी धनराशि खर्च की गई है ; और

(ग) समाज कल्याण में उनकी गतिविधियों के क्षेत्र क्या हैं और उनसे क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में उप मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान समाज कल्याण मन्त्रालय से सहायता प्राप्त करने वाले विकलांगों के स्वयंसेवी संगठनों की संख्या नीचे दी गई है :—

वर्ष	संगठनों की संख्या
1981-82	127
1982-83	138
1983-84	139

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार संगठनों के नीचे दिए अनुसार सहायक अनुदान स्वीकृत किए गए :

(रुपए लाखों में)

क्र० सं०	संगठन का नाम	1981-82	1982-83	1983-84
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	00.04	3.10	4.34
2.	असम	00.13	2.38	1.50
3.	बिहार	00.03	3.38	3.91

1	2	3	4	5
4.	गुजरात	26.02	20.18	17.30
5.	हरियाणा	06.08	3.02	0.61
6.	हिमाचल प्रदेश	02.15	3.24	3.39
7.	जम्मू तथा कश्मीर	01.03	2.57	2.10
8.	कर्नाटक	06.33	10.25	11.89
9.	केरल	09.57	14.36	15.07
10.	मध्य प्रदेश	03.06	2.76	5.50
11.	महाराष्ट्र	54.28	35.70	35.77
12.	मणिपुर	00.67	1.99	0.37
13.	उड़ीसा	01.22	9.90	2.76
14.	पंजाब	01.73	1.87	1.82
15.	राजस्थान	03.51	2.89	2.87
16.	तमिलनाडु	02.36	8.80	7.82
17.	त्रिपुरा	—	—	0.29
18.	उत्तर प्रदेश	14.14	13.29	21.10
19.	पश्चिम बंगाल	18.34	21.92	19.80
20.	दिल्ली	10.81	13.14	16.40
21.	चण्डीगढ़	00.08	—	00.6
22.	पांडिचेरी	00.10	0.24	0.26

(ग) ये संगठन विकलांग व्यक्तियों के लिए शिक्षा, प्रशिक्षण, शारीरिक अविकसितता और रोजगार सेवाएं प्रदान करते हैं। गत तीन वर्षों के दौरान उन्होंने अधिक क्षेत्रों में और देश में और अधिक विकलांग जनसंख्या को सेवाएं प्रदान की हैं।

राज्यों में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का कार्यान्वयन

8216. **श्री विष्णु प्रसाद** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों द्वारा किस सीमा तक राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का कार्यान्वयन किया गया है ;

(ख) क्या भारत में उच्च जन्म दर को ध्यान में रखते हुए सरकार राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के अनुरूप जन्म दर को कम करने के लिए तत्काल कदम उठाएगी ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) से (ग) राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के अनुसार सन् 2000 ईसवी तक शुद्ध प्रजनन दर एक तक ले जाने का लक्ष्य है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

परिवार कल्याण कार्यक्रम के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं :—

(क) इस बात पर जोर दिया जाए कि लोग छोटे परिवार की बात को अपनी मर्जी से अपनाने लगें।

(ख) प्रचार के अनेक तरह से साधनों तथा लोगों के बीच एक दूसरे से बात-चीत जैसे जरिए अपनाकर लोगों में छोटे परिवार के सिद्धान्त के प्रति जागरूकता पैदा करने और उन्हें उसकी ज्यादा जानकारी देने के जोरदार प्रयास किए जा रहे हैं।

(ग) हर दम्पत्ति अपनी मन पसन्द का तरीका छांट सकता है।

(घ) लोगों को सेवायें और सामान दोनों उनके घरों के नजदीक मुहैय्या की जा रही है।

(ङ) इस कार्यक्रम को इस तरह से बनाया गया है कि इसे स्वास्थ्य देख-रेख और समाज के आर्थिक विकास के लिए किए जा रहे प्रयत्नों के अभिन्न अंग के रूप में चलाया जाता रहे।

(च) अधिक से अधिक महिलाओं को पढ़ाने-लिखाने की सुविधाओं और कोशिशों में तेजी लाई जा रही है।

(छ) स्कूलों तथा कालेजों में पढ़ रहे तथा इनसे बाहर के युवक-युवतियों को जनसंख्या की तालीम दी जानी है। सरकारी विभाग एजेंसियां तथा संगठित क्षेत्र (आर्गेनाइस्ड

सेक्टर) मजदूरों की शिक्षा और प्रशिक्षण के जिन कार्यक्रमों को चला रहे इसे उनमें भी शामिल किया जायेगा।

(ज) सभी स्तरों के चाहे वह आम जनता हो, गांवों के गठन हों, स्वयं सेवी संगठन हो, चुने हुए प्रतिनिधियों को इसमें शामिल किया जा रहा है और उन्हें प्रोत्साहन और सहायता दी जा रही है।

(झ) दूसरे सम्बन्धित मन्त्रालयों और विभागों के साथ सम्पर्क बढ़ाया गया है।

(ण) लड़कियों और लड़कों के विवाह की कम से कम आयु के कानून को कारगर ढंग से लागू किया जायेगा।

(ट) गांवों में अथवा समुदाय में हुए सभी विवाहों के रिकार्ड रखे जायेंगे।

(ठ) इस काम में पिछड़ गए राज्यों के लिए उनकी स्थितियों के हिसाब से योजना चलाने का रास्ता अपनाया जा रहा है।

(ड) "ग्राम स्वास्थ्य गाइड योजना" के मुताबिक, जिसे अब पूरी तरह से केन्द्रीय सरकार के खर्च पर चलने वाली योजना बना दिया गया है, स्वास्थ्य गाइड (जो अधिकतर महिला होंगी) को यह काम सौंपा जा रहा है कि वह घर-घर पर परिवार नियोजन के बारे में जानकारी और सूचना दे और नजदीक के लोगों को ऐसा सामान दे जिसका बिना डाक्टर की देख-रेख में इस्तेमाल किया जा सकता है।

2. परिवार कल्याण कार्यक्रम के कार्यान्वयन का विश्लेषण करने और इस कार्यक्रम के कार्य में सुधार करने तथा जनसंख्या के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में नये विचारों और कार्य-नीतियों को शुरू करने और सुझाने के लिए सरकार ने जनसंख्या सलाहकार परिषद् का भी गठन किया है। इस परिषद् के सदस्य संसद सदस्य और जनसंख्या नियन्त्रण से सम्बन्धित क्षेत्रों के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं।

3. इस कार्यक्रम की गति को आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिये हैं जो इस प्रकार हैं :—

(1) परिवार कल्याण कार्यक्रम को अमल में लाने के कार्यों में सक्रियता से जुटे संगठित और सुस्पष्ट पहिचान वाले वर्गों को संजायती सम्पत्ति के रूप में वित्तीय पुरस्कार।

(2) इस दिशा में सर्वोत्तम कार्य करने वाले राज्यों को नगद पुरस्कार दिए जा रहे हैं। पुरस्कार इस की राशि का उपयोग परिवार कल्याण कार्यक्रम को आगे बढ़ाने और प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं का विस्तार करने के लिए किया जाना है।

(3) अभियानों के आधार पर खास-खास क्षेत्रों में नवीनता लाने वाले, प्रचार कार्य प्रारम्भ किए जा रहे हैं। सेवाओं और सामग्री के साथ इसका उपयुक्त सामंजस्य स्थापित किया जाएगा।

(4) परिवार नियोजन तथा माताओं और शिशुओं के स्वास्थ्य सम्बन्धी सेवाओं के संगठनात्मक तन्त्रकों और दूर-दूर तक इन सेवाओं को पहुंचाने के तन्त्र को अधिक क्रियाशील बनाने के उद्देश्य से शहरों की गन्दी बस्तियों और घने बसे क्षेत्रों में स्वास्थ्य चौकियां खोली जाएंगी जिनमें नर्स, मिडवाइफें और स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता काम करेंगे ।

(5) दो बच्चों के बाद गर्भ के अवसानक तरीकों को अपनाने वालों को मान्यता के तौर पर उनकी ओर प्राथमिकता से ध्यान दिए जाने के प्रमाण स्वरूप "हरा कार्ड" देने की एक योजना शुरू की गई है । कार्ड को दिखाकर ऐसे व्यक्तियों को उन योजनाओं में जिनमें प्राथमिकता दिए जाने का विधान हो, प्राथमिकता मिल सकेगी ।

(6) राज्यों से अनुरोध किया गया है कि वे नसबन्दी कराने वाले व्यक्तियों को अगली ड्रा के 5 राज्य लाटरी टिकट दे दें ।

(7) नसबन्दी कराने वाले व्यक्तियों को दिए जाने वाले मुआवजे की राशि 30 रुपये बढ़ा दी गई है ताकि उन्हें वर्तमान समय में मिल रहे 70 रुपये के स्थान पर 100 रुपये मिलने लगें ।

(8) गर्भाशयी गर्भरोधक लगवाने वाली माताओं को इस समय मिलने वाली राशि को 6 रुपये से बढ़ाकर 9 रुपये कर दिया गया है ।

बालगोंडा-नाडीकुडी रेल परियोजना

8217. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नाल गोंडा-नाडीकुडी रेल परियोजना की अनुमानित लागत क्या है ; और

(ख) उक्त परियोजना के लिए अब तक कितनी धनराशि स्वीकृति की गई है ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) नालगोंडा और नडिकुडे के बीच नयी बड़ी लाइन का निर्माण मुख्य कार्य परियोजना अर्थात् नालगोंडा के रास्ते बी० बी० नगर और नडिकुडे के बीच एक नयी बड़ी लाइन के निर्माण कार्य का एक भाग है । सम्पूर्ण परियोजना की अनुमानित लागत 30.49 करोड़ रुपये हैं और मार्च 1984 के अन्त तक प्रत्याशित खर्च 22.59 करोड़ रुपये हैं । नालगोंडा और नडिकुडे के बीच लाइन निर्माण पर अनुमानित लागत 14.97 करोड़ रुपये आयेगी ।

उप-महाद्वीप में संयुक्त राज्य अमेरिकी कार्य दल द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्रों का अध्ययन

8218. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या **विदेश मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अति गोपनीय अमेरिकी कृतिक बल ने नवम्बर, 1983 से जनवरी,

1984 की अवधि के दौरान उपमहाद्वीप में सुरक्षा की दृष्टि से विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों का गहन अध्ययन और आकलन किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है।

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० ए० रहीम) (क) सरकार को ऐसे किसी अध्ययन की जानकारी नहीं है ; और

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

राष्ट्रीय शैक्षणिक परीक्षण एकक की स्थापना

8219. **श्रीमती जयन्ती पटनायक :**

श्री नवीन रावणी :

क्या **शिक्षा और संस्कृति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक राष्ट्रीय शैक्षणिक परीक्षण एकक स्थापित करने का सरकार का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार का एकक स्थापित करने का क्या प्रयोजन है ;

(ग) क्या इस प्रस्ताव को 1984-85 में कार्यान्वित किए जाने की आशा है ;

(घ) यदि हां, तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ; और

(ङ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों की राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एक राष्ट्रीय परीक्षण एकक स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है जिसका उद्देश्य विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा दिए जाने वाले अंकों की तुलनात्मकता की समस्या का समाधान करना, विशेष प्रयोजनों के लिए परीक्षा की विश्वसनीयता और उद्देश्यपरकता में वृद्धि करना और सामान्यत: विश्वविद्यालय प्रणाली में पाठ्यचर्या एवं शिक्षण/मूल्यांकन की पद्धतियों में सुधार के लिए पेस सेंटर के रूप में कार्य करना।

(ग) से (घ) और (ङ) शुरू में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का मानविकी, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में स्नातकोत्तर स्तर पर कनिष्ठ अनुसंधान शिक्षा वृत्तियां प्रदान करने के लिए उम्मीदवारों के चयन हेतु अगस्त, 1984 में एक परीक्षा आयोजित करने का प्रस्ताव है। प्रस्तावित परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होंगे, एक प्रश्न पत्र विवेचन योग्यता अध्ययन के क्षेत्र से सम्बन्धित ज्ञान की समझ और व्यापक आधार की जांच करने और दूसरा प्रश्न पत्र सम्बन्धित विषय तथा अध्ययन के विशेष क्षेत्र और पाठ्यचर्या की समझ और उसके ज्ञान की जांच करने के लिए तैयार किया गया है।

अलीपुर स्थित बाल गृह से भागे बच्चे

8220. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **समाज कल्याण मंत्री** अलीपुर जेल से भागे बच्चों के बारे में 15 मार्च, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3078 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अलीपुर स्थित दिल्ली के दो बालगृहों से भागने वाले बच्चों की संख्या पिछले दो वर्षों की तुलना में तिगुनी हो गई है ;

(ख) 1983-84 के दौरान बालगृहों से भागे बच्चों की संख्या कितनी है ; और

(ग) उनके वहां से बच निकलने के जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उपमन्त्री (श्री पी०के० थुंगन) : (क) और (ख) जी, नहीं। गत तीन वर्षों के दौरान गृहों से भागे संवासियों की संख्या नीचे किए अनुसार है :—

	1981-82	1982-83	1983-84
लड़कों हेतु बाल गृह-1, अलीपुर	124	455	258
लड़कों हेतु बाल गृह-2, अलीपुर	78	250	143

(ग) जहां कहीं भी लापरवाही के बरतने के मामलों का पता चला है। सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करनी प्रारम्भ की गई है।

गाड़ियों के समबद्धता सम्बन्धी आंकड़े रखने और डीजल मायलेज यूटिलाइजेशन की गणना करने में हेराफेरी

8221. **श्री कृष्ण चन्द्र पांडे** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गाड़ियों की समयबद्धता से सम्बन्धित आंकड़ों में हेराफेरी की जाती है और उन्हें बढ़ा-चढ़ा कर दिखाया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या समबद्धता संबंधी आंकड़ों की सच्चाई का पता लगाने के लिए कोई अकस्मात-चेकिंग की जा रही है ; और

(ग) क्या इसी प्रकार का कदाचार "डीजल-मायलेज यूटिलाइजेशन" की गणना करने में किया जाता है ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : (क) जी नहीं।

(ख) अकस्मात जांच की जाती है और इससे किसी हेरा-फेरी का पता नहीं चला है।

(ग) किसी प्रकार का कदाचार नहीं होता।

पैलेस आन व्हील्स की पर्यटक यातायात क्षमता और आय

8222. **प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पैलेस आन व्हील्स गाड़ी की कुल पर्यटक क्षमता क्या है और पिछले दो वर्षों के दौरान इस पर कितने पर्यटकों ने यात्री की ; और

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान इसमें कितना लाभ कमाया ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) इस विशेष गाड़ी की प्रति फेरे कुल पर्यटक ले जाने की क्षमता 102 शायिकायें हैं। यह गाड़ी अक्तूबर से मार्च के बीच चलती है और इस गाड़ी ने 1982-83 में 26 तथा 1983-84 में 26 फेरे लगाए पिछले दो मौसमों के दौरान 1982-83 और 1983-84 में इस विशेष गाड़ी में यात्रा करने वाले पर्यटकों की कुल संख्या 2,295 थी।

(ख) पिछले दो मौसमों के दौरान सकल आमदनी 159.40 लाख रुपए थी और कमीशन तथा छूट को निकाल कर शुद्ध आय-127.72 लाख रुपये थी।

"कन्टेनर" यातायात कार्य के लिए कोचीन पत्तन का विकास

8223. **श्री बी० के० नायर** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान हमारे पत्तनों पर कितने "कन्टेनर" यातायात कार्य किया गया ;

(ख) बम्बई, मद्रास और अन्य स्थानों पर इस इस कार्य के लिए क्या विशेष सुविधाएं प्रदान की गई हैं ;

(ग) क्या इस प्रकार की सुविधाएं और उपकरण कोचीन में भी प्रदान किए गए हैं ;

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) "कन्टेनर" यातायात कार्य के लिए कोचीन पत्तन के विकास के लिए क्या कार्यक्रम है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) पिछले तीन वर्षों में प्रमुख पत्तनों में हैंडिल किए गए कंटेनर यातायात का ब्यौरा निम्नलिखित सारणी में दिया गया है :—

(हजार में)

पत्तन	1981-82		1982-83		1983-84 जनवरी 1984 तक	
	टी०ई०यू०	टन	टी०ई०यू०	टन	टी०ई०यू०	टन
कलकत्ता	21	142	28	204	22	175
हल्दिया	7	45	5	27	6	37
बम्बई	132	1455	131	1460	115	1268
मद्रास	15	141	19	197	23	165
कोचीन	30	147	31	165	27	160

(ख) बम्बई और हल्दिया में कंटेनर यातायात की हैंडलिंग के लिए अलग से बर्थ की व्यवस्था की गई है। मद्रास में 18 दिसम्बर 1983 से एक नया कंटेनर टर्मिनल को चालू किया गया है। इन प्रमुख पत्तनों में कंटेनर हैंडलिंग क्रेन्स जो खड़ा किए जा चुके हैं। खड़ा किए जा रहे हैं, सूचना नीचे दी गई है : —

पत्तन	ट्रान्सफर क्रेन		क्वेसाइड गैंट्री क्रेन	
	पहले ही से खड़ा किए गए	खड़ा किए जा रहे हैं	पहले ही से खड़ा किए गए	खड़ा किए जा रहे हैं
हल्दिया	1	—	1	—
बम्बई	3	—	—	2
मद्रास	2	—	2	—

(ग) से (ङ) कोचीन से कंटेनर हैंडलिंग सुविधा की व्यवस्था की, जिसमें 2 ट्रान्सफर क्रेन शामिल है, संस्वीकृति 8-11-1983 को दी गई है। इस पर 5.10 करोड़ रुपये के अनुमानित व्यय की संभावना है। काम चल रहा है।

बड़े बन्दरगाहों पर भीड़-भाड़

8224. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय कुछ बड़े बन्दरगाहों को भारी भीड़भाड़ का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) यदि हां तो उन बन्दरगाहों के क्या नाम हैं जिन्हें भारी भीड़-भाड़ का सामना करना पड़ रहा है ; और

(ग) बड़े बन्दरगाहों पर भीड़-भाड़ को कम करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) देश के सभी महापत्तनों को 16 मार्च से 11/12 अप्रैल, 1984 तक पत्तन और गोदी श्रमिकों की हड़ताल के कारण भीड़भाड़ का सामना करना पड़ रहा है ।

(ग) पत्तनों पर भीड़भाड़ कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं :—

(1) भीड़भाड़ कम करने के लिए प्रयोक्ता मंत्रालयों/विभागों/चैनेलाईजिंग एजेंसियों को अपने उतारे गए कार्गो को पत्तन से जल्दी बाहर ले जाने का अनुरोध किया गया है।

(2) जहाजों पर कार्गो चढ़ाने-उतारने में लगने वाले समय में सुधार लाने के लिए नौवहन कम्पनियों, नौवहन एजेंटों आदि से अनुरोध किया गया है कि वे पत्तनों पर तेजी से कार्गो चढ़ाने-उतारने के काम में हर संभव सहयोग दें ।

(3) समुद्र में ही कार्गो निकासी के काम को प्रोत्साहन देने के लिए बंबई पोर्ट ट्रस्ट ने आंशिक निकासी के लिए सबसिडी 30 रुपए से बढ़ाकर 45 रुपए प्रति टन और पूरे जहाज के कार्गो की निकासी के लिए सबसिडी 60 रुपए से बढ़ाकर 90 रुपए कर दी है ।

(4) बम्बई में जहाजों के पंजीकरण और पत्तन में प्रतीक्षा की पंक्ति में शामिल होने के लिए 21 दिन की अवधि बढ़ाकर 35 दिन कर दी गई है ।

खोकारोपड़-मुनाबाओं रेल मार्ग पुन: खोला जाना

8225. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार के खोकारोपड-मुनाबाओं रेल मार्ग को पुन: खोले जाने के मामले को उठाया है ; और

(ख) यदि हां, तो चर्चा के क्या परिणाम रहे ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

10-2-1984 को बहादुरगढ़ में हुई रेल दुर्घटना होने के कारण

8226. **श्री माधवराव सिंधिया** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 10 फरवरी, 1984 को बहादुरगढ़ रेलवे स्टेशन पर हुई रेल दुर्घटना के कारणों का पता लगा लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना के मुख्य कारण क्या थे ; और

(ग) इसके लिए उत्तरदायी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) से (ग) रेलवे सुरक्षा आयुक्त, उत्तरी क्षेत्र जिन्होंने इस दुर्घटना की जांच की थी के अनन्तिम निष्कर्षों के अनुसार यह दुर्घटना दिल्ली-रोहतक सवारी गाड़ी के बहादुरगढ़ स्टेशन के (जिस पर 38 डाउन पंजाब मेल खड़ी थी) आदान सिगनल 'आन' हालत में डाउन लूप लाइन पर प्रवेश करने के कारण हुई। इस दुर्घटना का कारण रेल कर्मचारियों की चूक है लेकिन अभी तक व्यक्तिगत उत्तरदायित्व निर्धारित नहीं किया गया है।

सेंट्रल विश्वविद्यालय, हैदराबाद में छात्रों की संख्या

8227. **श्री अशफाक हुसैन** : क्या **शिक्षा और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेन्ट्रल विश्वविद्यालय, हैदराबाद में छात्रों की कुल संख्या क्या है ?

(ख) प्रत्येक विभाग में स्नातकोत्तर, एम० फिल तथा पी० एच० डी० शोध छात्रों की संख्य कितनी है ;

(ग) प्रत्येक विभाग में कितने स्नातकोत्तर छात्रवृत्तियां रखी गयी हैं ;

(घ) प्रत्येक विभाग में कितने कनिष्ठ तथा वरिष्ठ अनुसन्धान फैलोशिप रखे गए हैं ;

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक विभाग में कितने छात्रों को प्रवेश दिया गया ; और

(च) इस अवधि के दौरान कितने छात्रों में स्नातकोत्तर परीक्षाएं उत्तीर्ण की हैं तथा प्रत्येक विभाग में कितने छात्रों द्वारा एम० फिल और पी० एच० डी० की थीसिस प्रस्तुत की गई हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) हैदराबाद विश्वविद्यालय में छात्रों की कुल संख्या 1-9-1983 की यथास्थिति के अनुसार 690 थी।

(ख) सूचना संलग्न विवरण-I में दी गई है ।

(ग) वर्ष 1983-84 के दौरान 31 योग्यता छात्रवृत्तियां (125/-रुपये प्रतिमाह), 89 योग्यता-व-साधन छात्रवृत्तियां (12:/-रुपये प्रतिमाह) और 50 एम० फिल अधिछात्रवृत्तियां (600/- प्रतिमाह) प्रदान की जा रही थी।

(घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालय को 40 अनुसंधान अधिछात्रवृत्तियां आबंटित की हैं, जिनमें से 3/5 विज्ञान विषयों में पी० एच० डी० अध्येताओं को तथा शेष मानविकी विषयों और समाज-विज्ञान में प्रदान की जानी है।

(ङ) और (च) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण-II में दी गई है।

विवरण—I

(1-9-1983 को)

विभाग/स्कूल का नाम	एम० ए० एम० एस० सी०	एम० फिल०	पी० एच० डी०
गणित और संगणक/सूचना विज्ञान विद्यालय	61	16	7
भौतिकी विद्यालय	37	1	18
रसायन विद्यालय	35	4	22
जीव विज्ञान विद्यालय	72	8	35
अंग्रेजी विभाग	45	2	3
हिन्दी विभाग	28	7	10
दर्शन विभाग	7	2	4
अर्थशास्त्र विभाग	38	5	3
इतिहास विभाग	32	5	3
राजनीतिशास्त्र विभाग	43	6	5
समाज विज्ञान तथा मानव विज्ञान विभाग	30	3	6
क्षेत्रीय अध्ययन केन्द्र			
(क) तेलुगु	42	6	8
(ख) उर्दू	13	6	12
कुल योग	483	71	136—690

विवरण—II

विभाग/स्कूल का नाम	पिछले 3 वर्षीय में दाखिला			पिछले तीन वर्षों में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या								
	1981-82	1982-83	1983-84	1981			1982			1983		
				एम.ए.;एम./एस. सी. एस.फिल,पी.एच.डी.			एम./ए.एम.एस.सी. एम.फिल,पी.एच.डी.			एम.ए.एम.एस.सी. एम.फिल,पी.एच.डी.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
गणित	21	24	19	6	1	—	5	3	—	15	4	1
भातिकी	25	42	22	12	3	—	8	2	1	13	1	3
रसायन	18	33	29	13	3	—	11	3	1	12	6	3
जीव विज्ञान	50	61	49	25	4	—	25	4	1	26	5	6
संगणक विधि	14	12	45	—	—	—	—	11	—	—	11	—
अंग्रेजी	20	32	26	22	4	—	21	2	—	8	3	—
दर्शन	12	13	8	10	1	—	4	2	—	2	1	—
हिन्दी	18	32	23	14	7	—	12	5	—	5	10	6
अर्थशास्त्र	21	30	26	10	—	—	8	2	—	14	—	—
इतिहास	13	29	22	15	—	—	10	1	—	8	1	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
राजनीतिक शास्त्र	25	31	30	6	2	—	12	1	—	11	—	1
समाज विज्ञान	16	29	21	11	—	—	9	2	—	9	3	—
तेलुगु	24	40	31	6	8	—	19	9	—	11	10	2
उर्दू	20	21	16	9	7	—	6	4	—	9	5	—
कुल योग	297	429	367	159	40	—	150	51	2	143	60	21

भोपाल उज्जैन सेक्शन में रेल लाइन में दरारें

8228. **श्रीबसन्त कुमार पंडित** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम रेलवे की भोपाल उज्जैन सेक्शन के 185 किलोमीटर लम्बे मार्ग में लगभग 75 स्थानों पर रेल लाइनों के निरन्तर दबाव में रहने के कारण दरारें पड़ गयी हैं ;

(ख) इस रेल लाइन का नवीनतम निरीक्षण कब किया गया था और उसके क्या निष्कर्ष थे ;

(ग) क्या यह सच है कि भोपाल और कालापीपल स्टेशनों के बीच केवल 20 स्थानों पर दरारों वाली अथवा टूटी रेल लाइनों को बदला गया है ; और

(घ) इस सेक्शन में यात्रियों की सुरक्षा के लिए सभी टूटी/दरारें पड़ी रेल लाइनों को बदलने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) उज्जैन-भोपाल खंड पर परिचालन रेल पथ की कुल लम्बाई लगभग 231 कि० मी० है, टूटने वाली पटरियों का पता लगाने के लिए पराश्रव्य पटरी दोष संसूचक द्वारा इस खंड का पिछला निरीक्षण फरवरी, 83 से जनवरी, 84 तक की अवधि के दौरान किया गया था। निरीक्षण के परिणामस्वरूप आन्तरिक दोष वाली ऐसी 175 पटरियों का पता लगाया गया जिन्हें हटाया जाना था।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त सभी पटरियां, जिनमें आन्तरिक दोष पाये गये, पहले ही हटा दी गयी हैं।

ईरान में भारतीयों की दयनीय स्थिति

8229. **श्री हरीश रावत** : क्या **विदेश मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको यह जानकारी है कि ईरान सरकार वहां पर रहने वाले भारतीयों से ईरान में ठहरने के लिए अनुमति देने के लिए उनसे धन वसूल करती है ;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत में रहने वाले ईरानी राष्ट्रिकों से भी इस प्रकार धन वसूल किया जाता है ;

(ग) यदि नहीं, तो क्या भारत सरकार ने इस सम्बन्ध में ईरान सरकार से विरोध प्रकट किया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) जी, हां।

(ख) भारत में रहने वाले ईरानियों से ऐसा कोई प्रभार नहीं वसूल किया जाता।

(ग) और (घ) चूंकि ईरान द्वारा आवास परिमिटों के नवीकरण के लिए लगाए जाने वाले ये प्रभार उनके राष्ट्रीय विनियमों के अनुसार होते हैं, इसलिए विरोध प्रकट करने का कोई प्रश्न नहीं उठता।

पांडिचेरी में केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना

8230. **श्री सी० टी० दण्डपाणि** : क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांडिचेरी में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या प्रस्तावित विश्वविद्यालय के ढांचे और स्वरूप का गहराई से अध्ययन करने के लिए कोई समिति नियुक्त की गई है ;

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) नए विश्वविद्यालय में उपलब्ध किए जाने वाले अध्ययन पाठ्यक्रमों का तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालय की राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) जी, हां।

(ख) प्रस्ताव में संसद-अधिनियम के अन्तर्गत पांडिचेरी में एक अध्यापन व सम्बद्ध विश्वविद्यालय स्थापित करने की परिकल्पना है जिसका क्षेत्राधिकार संघ शासित प्रदेश होगा।

(ग), (घ) और (ङ) 1974 में सरकार द्वारा स्थापित समिति ने विश्वविद्यालय के लक्ष्य तथा उद्देश्यों, आकार तथा प्रकार, शैक्षिक संरचना, विशिष्टीकरण के क्षेत्रों तथा अन्य सम्बद्ध पहलुओं के बारे में जांच पहले ही कर ली है तथा सिफारिशें दे दी हैं। प्रस्तावित विश्वविद्यालय द्वारा चलाये जा रहे अध्ययन कार्यक्रमों के ब्यौरे अभी तक तैयार नहीं किए गए हैं।

स्वतंत्रता सेनानियों को रेलवे पास

8231. **श्री रामनगीना मिश्र** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोक सभा में उनके द्वारा की गई घोषणा के अनुसार इस बीच के स्वतन्त्रता सेनानियों की रेलवे पास जारी कर दिए गए हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो ये पास कब तक दे दिए जाने की सम्भावना है ; और

(ग) क्या स्वतन्त्रता सेनानियों को पास देने के सम्बन्ध में कोई विशेष नियम है और यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी०ए० गनी खान चौधरी) : (क) से (ग) यह विनिश्चय किया गया है कि प्रत्येक स्वतन्त्रता सेनानी और उसकी पत्नी/पति को या पत्नी/पति न होने की स्थिति में उनके साथ जाने वाले एक परिचर को उनके निवास स्थान से ऐसे विभिन्न दर्शनीय स्थानों, जिन्हें स्वतन्त्रता सेनानी देखना चाहते हों, तक और वापसी के लिए पहले दर्जे का एकसेट मानार्थ पास जारी किया जाए।

इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इसमें विलम्ब और स्वतन्त्रता सेनानियों को असुविधा न होने पाये, स्वतन्त्रता सेनानियों से अनुरोध प्राप्त होने, जिसमें आवेदकों के नाम, उनका पेंशन भुगतान आदेश का नम्बर, पति पत्नी/परिचर का नाम तथा आयु, जिन स्टेशनों के बीच वे यात्रा विराम करना चाहते हों, विवरण दिया गया हो और इसके साथ उनके पेंशन भुगतान आदेश की सत्यापित फोटो प्रति संलग्न करने पर उन्हें ये पास जारी करने के लिए विभिन्न क्षेत्रीय रेलों के मण्डल रेल प्रबन्धकों को प्राधिकृत किया गया है।

उपर्युक्त नीति विषयक निर्णय के अनुसार, स्वतन्त्रता सेनानियों को पास जारी किये जायेंगे जब कभी वे सम्बन्धित अधिकारियों को उपर्युक्त तरीके से अनुरोध करें।

मुलुन्ड स्टेशन के उत्तर की ओर फलाई ओवर पुल

8232. **डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई नगर निगम ने मुलुन्ड स्टेशन के उत्तर को और मध्य रेलवे लाइनों के पार एक फ्लाई ओवर पुल के निर्माण को परियोजना को स्वीकृति दे दी है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यह पुल कब तक तैयार हो जाएगा ?

रेल मन्त्री (ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) मुलुन्ड स्टेशन की उत्तरी दिशा में ऊपरी सड़क पुल बनाने का प्रस्ताव निक्षेप आधार पर बम्बई नगर निगम द्वारा भेजा गया है।

(ख) प्रस्तावित ऊपरी सड़क पुल के लिये सामान्य नक्शा रेलवे द्वारा तैयार कर लिया गया है और बम्बई नगर निगम को अनुमोदनार्थ भेज दिया गया है जिसका इन्तजार है।

(ग) चूंकि यह प्रस्ताव अभी प्रारम्भिक अवस्था में है अत: पूर्ण होने की तारीख बताना संभव नहीं है। बम्बई नगर निगम द्वारा नक्शे और अनुमानित लागत के अनुमोदन और लागत की राशि जमा करा देने पर ही इसकी प्रगति निर्भर करेगी।

सैनिक गुटों के साथ गठबंधन रखने वाले गुट-निरपेक्ष आंदोलन के सम्बद्ध देश

8333. **श्री बृज मोहन महन्ती** : क्या **विदेश मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुट निरपेक्ष आंदोलन से सम्बद्ध कितने देशों का अमरीका और सोवियत संघ के सैनिक गुटों से गठबन्धन था और उनका विस्तृत विवरण क्या है ;

(ख) क्या उन देशों ने ऐसे सैनिक गुटों के साथ अपना सुरक्षा गठबन्धन समाप्त कर दिया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या वह गुटनिरपेक्ष आंदोलन के मूल सिद्धांत के अनुरूप है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) से (ग) गुटनिरपेक्ष आंदोलन द्वारा अपनी सदस्यता के लिए स्वीकृत मानदंडों में **अन्य बातों के साथ-साथ** यह भी उल्लेख किया गया है कि कोई देश, बड़ी शक्तियों के संघर्ष के सन्दर्भ में की गई हो। बहुपक्षीय सैनिक सन्धि का सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि, किसी देश ने बड़ी शक्ति के साथ बहुपक्षीय सैनिक समझौता किया हो या वह किसी क्षेत्रीय रक्षा सन्धि का सदस्य हो, तो ऐसा समझौता या सन्धि, बड़ी शक्तियों के संघर्ष में न की गई यदि किसी देश ने किसी विदेशी शक्ति को सैनिक अड्डे दिए हों, तो ऐसी रिआयत, बड़ी शक्तियों के संघर्ष के संदर्भ में न दी गई हो। ये मानदंड जिन्हें पहले 1961 में काहिरा में आयोजित गुटनिरपेक्ष देशों के राज्याध्यक्षों या शासनाध्यक्षों के पहले सम्मेलन के लिए तैयारी बैठक में स्वीकार किया गया था, की बाद में होने वाले शिखर सम्मेलनों में भी पुनः पुष्टि की गई, जिन में मार्च, 1983 में नई दिल्ली में हुआ सातवां गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन भी शामिल है।

नई दिल्ली अन्तिम घोषणा में यह भी जिक्र किया गया था कि किसी भी देश द्वारा आंदोलन के सिद्धान्तों का उल्लंघन हर हालत में अनुचित है और सर्वथा अस्वीकार्य है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और उप-केन्द्रों में आक्सीजन-सिलेंडर आदि की व्यवस्था

8234. **श्री सी०पलानी अप्पन** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत के विभिन्न राज्यों में कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और उपकेन्द्र काम कर रहे हैं और उनमें से कितने केन्द्रों के आक्सीजन सिलैंडर सेरेक्षन एपरेट्स और रिसुसिएशन इक्विपमेंट की व्यवस्था है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : उपलब्ध सूचना के अनुसार देश में कार्यरत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और उपकेन्द्रों की सं० संलग्न विवरण में दी गई है। अधिकांश प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र आक्सीजन सिलिंडरों और पुनरुज्जीवन सुविधाओं से सुसज्जित हैं। ये उपकरण उपकेन्द्रों को नहीं दिए जाते हैं।

विवरण

भारत के विभिन्न राज्यों में कार्यरत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और उपकेन्द्रों की संख्या

राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र का नाम	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	उप केन्द्र
1 2	3	4
1. आंध्र प्रदेश	426	5624
2. असम	148	1006

1 2	3	4
3. बिहार	615	6548
4. गुजरात	271	3200
5. हरियाणा	93	1076
6. हिमाचल प्रदेश	101	882
7. जम्मू व कश्मीर	90	398
8. कर्नाटक	315	3752
9. केरल	187	2096
10. मध्य प्रदेश	680	6420
11. महाराष्ट्र	682	5268
12. मणिपुर	36	231
13. मेघालय	27	123
14. नागालैंड	19	133
15. उड़ीसा	325	3787
16. पंजाब	130	2435
17. राजस्थान	236	2440
18. सिक्किम	16	59
19. तमिलनाडु	420	4846
20. त्रिपुरा	35	185
21. उत्तर प्रदेश	954	1,3124
22. पश्चिम बंगाल	335	4529
23. अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	4	13

1	2	3	4
24.	अरुणाचल प्रदेश	47	शून्य
25.	चण्डीगढ़	शून्य	7
26.	दादर व नगर हवेली	3	1
27.	दिल्ली	8	32
28.	गोवा, दमन व दीव	15	158
29.	लक्षद्वीप	7	8
30.	मिजोरम	18	152
31.	पांडिचेरी	3	52
	योग :	6259	68597

नोट :—आंकड़ें अनन्तिम हैं।

201/202 दिल्ली-अहमदाबाद मेल का देरी से चलना

8235. **श्री विरदाराम फुलवारिया** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 201 अप और 202 डाउन दिल्ली-अहमदाबाद मेल दिल्ली स्टेशन पर अकसर दो घण्टे देर से पहुंचती है जिसके परिणामस्वरूप यात्रियों को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ;

(ख) क्या सरकार ने इस रेलगाड़ी के देर से पहुंचने के कारणों का पता लगाया है ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इस महत्वपूर्ण रेलगाड़ी को समय पर चलाने के लिए कोई कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ; और

(घ) वर्ष 1983-84 के दौरान यह रेलगाड़ी कितनी बार दिल्ली स्टेशन पर दो घण्टे से अधिक देरी से पहुंची, तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) से (घ) 201/202 दिल्ली-अहमदाबाद मेल की समय-पालन की स्थिति प्राय: सन्तोषजनक है। 1983-84 में 202 डाउन अहमदाबाद-दिल्ली मेल 22 बार दिल्ली पर 2 घण्टे से अधिक देरी से पहुंची, जिसका मुख्य कारण दुर्घटनाएं, टूट-फूट/भारी वर्षा और यांत्रिक दोष आदि थे।

यह वह गाड़ी है जिसे रेलवे बोर्ड के स्तर पर मानीटर किया जाता है और सभी परिहार्य विलम्बों पर कार्रवाई की जाती है। इस गाड़ी को समय पर चलाने के लिए पूरा प्रयास किया जाता है।

भुवनेश्वर और बंगलौर के बीच सीधी रेल सेवा

8236. **श्री हरिहर सोरन** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भुवनेश्वर और बंगलौर के बीच कोई सीधा रेल सम्पर्क नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या भुवनेश्वर और बंगलौर के बीच सीधी रेल सेवा उपलब्ध कराने सम्बन्धी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ग) यदि हां, तो उपर्युक्त प्रस्ताव को कार्यान्वित करने के लिए क्या उपाय किये गये हैं ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी, हां।

(ख) इन दोनों नगरों के बीच सीधी गाड़ी चलाने के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

मुजफ्फरपुर-बेतिया लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

8237. **श्री कुंवर राम** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने बेतिया में एक कागज मिल की स्थापना की सुविधा के लिए मुजफ्फरपुर-बेतिया लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के लिए भारत सरकार से अनुरोध किया है ;

(ख) क्या इस बारे में व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार कर ली गई है ; और

(ग) अगली योजना में इसे स्वीकृति किये जाने की क्या सम्भावनाएं हैं ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) से (ग) बेतिया में कुमारबाग के निकट एक कागज संयंत्र स्थापित करने के सम्बन्ध में मार्च, 1982 में किसी समय बिहार सरकार ने पूर्वोत्तर रेलवे को लिखा था।

1981 में मुजफ्फरपुर-सिगौली रक्सौल मीटर लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित करने के लिए एक सर्वेक्षण किया गया गया था और 1982 में बेतिया और नरकटियागंज के रास्ते सिगौली बाल्मीकि नगर रोड मीटर लाइन खण्ड को बड़ी लाइन में परिवर्तित करने के लिए एक दूसरा सर्वेक्षण किया गया था। सर्वेक्षण रिपोर्टों के अनुसार परिवर्तन परियोजनाओं को वित्तीय दृष्टि से व्यावहार्य नहीं पाया गया और इसलिए तथा विशेष रूप से संसाधनों की अत्यन्त तंगी को ध्यान में रखते हुए, इन पर आगे विचार नहीं किया गया।

मद्रास में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का क्षेत्रीय कार्यालय खोलना

8238. **श्री एन० सेलवाराजु** : क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु में विश्वविद्यालयों और कालेजों को, लम्बी दूरी, संचार समस्या, अनेक श्रेणियों के अन्तर्गत अनुदान हेतु आवेदन करने के लिए प्रक्रियाओं और मार्गनिर्देशों की अनभिज्ञता के कारण तथा धनराशि को स्वीकृति और उसे जारी करने में होने वाली असाधारण देरी के कारण, परियोजनाओं पर शीघ्र कार्रवाई करवाने में भारी कठिनाई होती है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अनुदान राशि के बारे में प्रभावपूर्ण ढंग से निगरानी रखने के लिए मद्रास में आयोग का एक क्षेत्रीय कार्यालय खोलने का है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों की राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) जी, नहीं ।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

खेलों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालयों को सहायता अनुदान

8239. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह** : क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को खेलों के लिए दिए जा रहे सहायता अनुदान को गत तीन वर्षों के दौरान कम कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य के लिए गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार अनुदान दिया गया था ; और

(ग) अनुदान को कम करने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों की राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) सरकार द्वारा खेल सुविधाओं की व्यवस्था के लिए विश्वविद्यालयों तथा कालेजों को अनुदान, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को उपलब्ध कराई गई निर्धारित धनराशि में से संस्वीकृत किया जाता है । 1982-83 तथा 1983-84 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को ऐसी धनराशि उपलब्ध नहीं कराई गई थी ।

(ख) गत 3 वर्षों के दौरान आयोग द्वारा खेल सुविधाओं के विकास के लिए संस्वीकृत अनुदान इस प्रकार है :—

1981-82	3,04,724.13 रु०
1982-83	2,35,221.07 रु०
1983-84	1,27,467.16 रु० (अस्थायी)

(ग) विश्वविद्यालयों तथा कालेजों को आयोग द्वारा अनुदान प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर तथा अनुमोदित योजनाओं पर उनके द्वारा बताए गए व्यय की प्रगति के आधार पर दिए जाते हैं।

जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में शिक्षकों को सेवा-निवृत्ति की आयु के बाद उनके सेवा-काल में वृद्धि

8240. **श्री ए० नीलालोहित दसन नाडार :** क्या **शिक्षा और संस्कृति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में शिक्षकों द्वारा सेवा निवृत्ति की आयु प्राप्त कर लिए जाने के बाद, उनके सेवा काल में बिना सोचे-समझे वृद्धि करने की विश्वविद्यालय की नीति है ; और

(ख) यदि हां, तो जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में गत पांच वर्षों के दौरान कितने शिक्षकों ने सेवा निवृत्ति की आयु प्राप्त की और उनमें से कितनों का सेवा काल बढ़ाया गया ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों की राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) जी, नहीं। जिन शिक्षकों की सेवा-निवृत्ति की आयु हो गई है उनकी कोई सेवा अवधि नहीं बढ़ाई जाती। तथापि, विश्वविद्यालय ने सेवा-निवृत्त संकाय सदस्यों के पुनः रोजगार की व्यवस्था की है। इस प्रावधान के अनुसार, पुनः रोजगार पहली बार तीन वर्ष से अधिक का नहीं होना चाहिए और 65 वर्ष की आयु के बाद किसी शिक्षक को पुनः नियुक्त नहीं किया जाता।

पिछले 5 वर्षों के दौरान सेवा-निवृत्त 8 शिक्षकों में से 6 को पुनः रोजगार दिया गया। इनमें से एक की सेवा अवधि अब समाप्त हो गई है।

मुगलसराय, पूर्व रेलवे में कण्डक्टरों की नियुक्ति में कथित अनियमितताएं

8241. **श्री आर० एन० राकेश :** क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको कण्डक्टरों नियुक्ति में की जा रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में टिकट कलेक्टरों की ओर से डिवीजनल वाणिज्यिक अधीक्षक, मुगलसराय, पूर्व रेलवे के विरुद्ध, एम० आर० संख्या 1466/बी०-83 और एम० आर० संख्या 3094/बी०-83 के अधीन अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या सरकार का विचार इस प्रकार के भ्रष्ट तरीकों में लगे रेल अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने का है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) से (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

रेल कर्मचारियों को औद्योगिक कामगारों के रूप में मानना

8242. **श्री ए० के० राय** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत रेलवे को एक उद्योग माना गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या रेल कर्मचारी औद्योगिक कर्मचारी हैं, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं, और यदि हां, तो वेतन आयोग के प्रयोजन के लिए इन्हें केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के साथ जोड़ने के क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी, हां।

(ख) औद्योगिक विवाद अधिनियम के प्रावधान अधिकांश रेल कारखानों पर लागू होते हैं। इस तथ्य से इस मूल मुद्दे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि वे सरकारी विभाग में कार्यरत सभी सरकारी कर्मचारी हैं और इस कारण सरकारी नियमों से शासित होते हैं।

जनजाति क्षेत्रों के लिए उत्पादन शुल्क सम्बन्धी नीति

8243. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या **समाज कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय द्वारा तैयार किए प्रस्तावों की सावधानीपूर्वक जांच के बाद आदिवासी क्षेत्रों के लिए उत्पादन शुल्क सम्बन्धी नीति तैयार की है,

(ख) यदि हां, तो आदिवासी सूत्रों के लिए नई उत्पादन शुल्क नीति क्या है, और

(ग) क्या राज्यों को मन्त्रालय के उक्त नीति सम्बन्धी मार्ग निर्देशों की जानकारी है और उन्होंने उसे सैद्धान्तिक और व्यवहारिक रूप में कार्यान्वित किया है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में उप मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय मद्यनिषेध समिति ने 6 दिसम्बर, 1982 को हुई अपनी पिछली बैठक में आदिवासी क्षेत्रों में आबकारी नीति के लिए निम्नलिखित दिशानिर्देश अपनाए जाने की सिफारिश की :—

(क) जिन आदिवासी क्षेत्रों में मद्यनिषेध लागू नहीं है, आदिवासियों को व्यक्तिगत और सामाजिक प्रयोजनों के लिए मादक द्रव्य तैयार करने की अनुमति प्रदान की जानी चाहिए परन्तु व्यावसायिक प्रयोजनों के लिए अनुमति न दी जाए।

(ख) आदिवासी क्षेत्रों में शराब को ठेके-पद्धति पर बेचना समाप्त करना चाहिए।

(ग) मद्यनिषेध नीति को आदिवासियों को अधिक कारगर ढंग से प्रचारित किया जाए और इसके लिए शैक्षिक प्रचार का माध्यम अपनाया जाए ताकि आदिवासियों को इस

बुराई से दूर रखने के लिए उन्हें शराब के कुप्रभावों के बारे में जानकारी दी जा सके और कल्याण कार्यकलापों को बढ़ावा दिया जा सके।

(घ) जिन आदिवासी क्षेत्रों में मद्यनिषेध लागू है वहां पर कोई भी प्रेरक कार्यवाही की जानी आवश्यक नहीं है।

(ङ) आदिवासी क्षेत्रों में मद्यनिषेध के क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी एजेन्सियों और कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन दिया जाए और सहायता प्रदान की जाए।

(ग) चूंकि यह विषय राज्य सूची के अन्तर्गत आता है इसलिए इन दिशानिर्देशों को सभी राज्य सरकारों को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दिया गया है।

छठी योजना के दौरान आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों के लिए स्वास्थ्य सम्बन्धी नीति

(8245) **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने छठी योजना अवधि के दौरान देश के पिछड़े क्षेत्रों के लिए कोई स्वास्थ्य नीति तैयार की है,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मूल स्वास्थ्य नीति क्या है,

(ग) क्या आदिवासी उप योजना क्षेत्रों के कार्यक्रमों में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत अपनाए गए मानदण्डों में परिवर्तन किया गया है,

(घ) यदि हां, तो इसके लिए पुराने मानदंडों को जारी रखने के क्या कारण हैं,

(ङ) क्या उनके मन्त्रालय ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति अपनाने के बाद आदिवासी क्षेत्रों के लिए अपनायी जाने वाली स्वास्थ्य नीति के बारे में राज्यों और संघ क्षेत्रों को इस बारे में लिखा है, और

(च) यदि हां, तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) से (च) राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का उद्देश्य स्वास्थ्य परिचर्या की एकीकृत सेवाएं प्रदान करना है जिसमें रोग रोधी, स्वास्थ्य बढ़ाने और पुर्नवास पहलुओं पर विशेष बल दिया जाता है। इसके अतिरिक्त इसमें यह बात भी की गयी है कि पुनर्गठित सेवाओं की व्यवस्था में पहली प्राथमिकता आदिवासी, पहाड़ी और पिछड़े हुए क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के साथ-साथ स्थानिकमारी वाले स्थानों में रहने वाले रोग-ग्रस्त लोगों को तथा समाज के उन वर्गों के लोगों को दी जाये जिन्हें रोग लगने का खतरा अधिक होता है।

जहां तक आदिवासी उप-योजना क्षेत्रों का सम्बन्ध है, छठी योजना अवधि में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत अपनाये गए प्रतिमानों को शिथिल कर दिया गया है। आदिवासी/पहाड़ी क्षेत्रों के आधारभूत ढांचे में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और उप-केन्द्र शामिल हैं जो क्रमशः 20 हजार और 3

हजार लोगों को सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं जबकि अन्य क्षेत्रों में ये केन्द्र 30 हजार और 5 हजार आबादी को सेवाएं प्रदान करते हैं। राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को संशोधित प्रतिमान अपनाने की सलाह दी गई है।

परिवार कल्याण कार्यक्रम के लिए 1983-84 के दौरान राज्य-वार निर्धारित धन-राशि और विदेशी सहायता

8245. **श्री नवीन रावणी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य के लिए वर्ष 1983-84 के दौरान परिवार कल्याण कार्यक्रम के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई थी,

(ख) क्या वर्ष 1983-84 के दौरान इस कार्यक्रम के लिए कोई विदेशी सहायता भी प्राप्त हुई है, यदि हो, तो उसका ब्यौरा क्या है,

(ग) उक्त अवधि के दौरान नए 20 सूत्रीय कार्यक्रम के कार्यान्वयन पर प्रत्येक राज्य में परिवार नियोजन के सम्बन्ध में किए गए कार्य का ब्यौरा क्या है, और

(घ) देश में वर्ष 1984-85 के लिए परिवार नियोजन और परिवार कल्याण कार्यक्रम के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) और (ख) 1983-84 के दौरान परिवार कल्याण कार्यक्रम के लिए किया गया राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। विदेशी सहायता क्षेत्रीय विकास परियोजनाओं, प्रसवोत्तर कार्यक्रम, नसबन्दी कार्यक्रम आदि जैसी विभिन्न योजनाओं के लिए नकद और सामग्री के रूप में मिली थी।

(ग) परिवार नियोजन के विभिन्न तरीकों के अन्तर्गत किए गये काम का राज्य वार ब्यौरा संलग्न विवरण II में दिया गया है

(घ) वर्ष 1984-85 के लिए केन्द्रीय योजना में 438.00 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया जा रहा है।

विवरण-I

1983-84 के दौरान परिवार कल्याण कार्यक्रम, एक केन्द्र प्रायोजित योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्य वार आबंटन

राज्य	(रुपये लाखों में) 1983-84 का आबंटन
1	2
1. आंध्र प्रदेश	2907.53
2. असम	638 11

1	2
3 बिहार	2331.32
4. गुजरात	1987.61
5. हरियाणा	892.05
6. हिमाचल प्रदेश	705.60
7. जम्मू व कश्मीर	226.07
8. कर्नाटक	1740.00
9. केरल	936.71
10. मध्य प्रदेश	2704.95
11. महाराष्ट्र	3225.06
12. मणिपुर	162.08
13. मेघालय	98.95
14. नागालैंड	65.42
15. उड़ीसा	2108.01
16. पंजाब	1111.02
17. राजस्थान	1425.92
18. सिक्किम	52.22
19. तमिलनाडु	2152.78
20. त्रिपुरा	80.07
21. उत्तर प्रदेश	5005.70
22. पश्चिम बंगाल	1880.63

विवरण II

1983-84 के दौरान परिवार नियोजन का कार्य

क्रम सं०	राज्य	नसबन्दी लक्ष्य (सैकड़ों में)	उपलब्धि 1983-84 अप्रैल, 1983 से फरवरी, 84)	आई. यू. डी. लक्ष्य (सैकड़ों में)	प्रचलित उपलब्धि 1983-84 अप्रैल, 1983 से फरवरी, 84)	प्रचलित लक्ष्य (सैकड़ों में)	गर्भ निरोधक उपलब्धि 1983-84 (अप्रैल,83 से जनवरी, 84)	खाई जाने वाली गोलियों के उपयोगकर्ता लक्ष्य 1983-84 (सैकड़ों में)	खाई जाने वाली गोलियों के उपयोगकर्ता 1983-84 की उपलब्धि (अप्रैल, 83 से जनवरी, 84)
1.	आन्ध्र प्रदेश	5300	305830	1400	45542	3710	118798	950	20893
2.	असम	1250	97973	370	13911	530	20121	200	1215
3.	बिहार	5710	317403	1740	50218	1600	58055	590	5661
4.	गुजरात	2840	190933	2000	91752	4720	278437	740	31647
5.	हरियाणा	1080	91995	530	74075	1550	262355	180	4497
6.	हिमाचल प्रदेश	360	28686	150	9493	190	13054	80	1218
7.	जम्मू व कश्मीर	480	14650*	170	6313*	120	8671	50	1268
8.	कर्नाटक	4170	219460	1720	82968	1700	108983	630	21523

9. केरल	1900	150082	1090	33235	1610	37035	600	5519
10. मध्य प्रदेश	5220	290357	1380	78314	3700	250055	740@	20840
11. महाराष्ट्र	5010	491922	2950	425720	4540	382462	1480	82147
12. मणिपुर	128	4225*	62	2670*	26	4497	9	133
13. मेघालय	114	368*	36	371*	14	1031	5	353
14. नागालैंड	4	101*	103	105*	7	18	4	55
15. उड़ीसा	2380	155153	760	33159	1100	94765	420	9676
16. पंजाब	1285	108090	1000	150576	1480	172639	280	8150
17. राजस्थान	2940	156294	850	26742	840	85714	350	2906
18. सिक्किम	5	402	6	706	0.5	42	1	1162
19. तमिलनाडु	3990	427565	1680	41121	2440	43807	900	9635
20. त्रिपुरा	144	3256*	40	664*	30	1609	11	1101
21. उत्तर प्रदेश	8490	335283	4700	238587	2320	463931	750	47230
22. पश्चिम बंगाल	4880	304874	1080	37373	2560	99017	960	7251

* आंकड़े जनवरी, 1984 तक के हैं।

@ आंकड़े दिसम्बर, 1983 तक के हैं।

रतलाम जंक्शन से अजमेर-नीमच-चित्तौड़गढ़ मार्ग पर छोटी लाइन पर चलने वाली रेलगाड़ियों के समय में परिवर्तन करना

8246. **श्री सत्य नारायण जटिया** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रतलाम जंक्शन से अजमेर-नीमच-चित्तौड़गढ़ मार्ग पर छोटी लाइन पर चलने वाली रेलगाड़ियों के नाम और समय क्या हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि इस मार्ग पर दोपहर 2 बजे के बाद कोई रेलगाड़ी उपलब्ध नहीं है ;

(ग) क्या यात्रियों की सुविधा के लिए रेलगाड़ियों के समय में परिवर्तन करने के सुझाव प्राप्त हुए हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) नीमच-चित्तौड़गढ़ जं० अजमेर खण्ड के भीतर आमान लाइन पर चलने वाली गाड़ियों के नाम एवं समय का विवरण संलग्न सूची में दिया गया है।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) मण्डल रेल उपयोगकर्ता परामर्श समिति के साथ परामर्श करके गाड़ियों के समय में परिवर्तन के सुझाव की जांच की गई थी लेकिन इसे औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया।

जातीय भेदभाव पर अभिसमय का अनुसमर्थन

8247. **श्री आर० पी० गायकवाड़** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सभी तरह के जातिवाद के उन्मूलन पर अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय का सभी देशों द्वारा अनुसमर्थन कर दिया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) और (ख) सितम्बर, 1983 तक निम्नलिखित 121 देशों ने सभी प्रकार के जातीय भेदभाव को समाप्त करने से सम्बद्ध अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमय का अनुसमर्थन किया है : अफगानिस्तान, अल्जीरिया, अर्जन्टीना, आस्ट्रेलिया, आस्ट्रिया, बहमास, बंगलादेश, बारबडोस, बेल्जियम, बोलिविया, बोत्सवाना, ब्राजील, बल्गारिया, बुरुंडी, बेलोरूसियन एस० एस० आर०, कनाडा, केप परडे मध्य अफ्रीकी गणराज्य, छाद, चिली, चीन, कोलम्बिया, कोस्टा रिका, क्यूबा, साइप्रस, चेकोस्लोवाकिया, लोकतांत्रिक यमन, डेनमार्क, डोमीनिकन गणराज्य, इक्वाडोर, मिस्र, अल सल्वाडोर, इथियोपिया, फिजी, फिनलैंड, फ्रांस, गबोन, गाम्बिया, जी० डी० आर० एफ० आर० जी०, घाना, ग्रीस, ग्वाटेमाला, गिनी, गुयाना, हैती, होली सी, हंगरी, आइसलैंड, भारत, ईरान, इराक, इस्रायल, इटली, आइवरी कोस्ट, जमैका, जोर्डन, कुवैत, ताओं जन लोकतांत्रिक गणराज्य,

विवरण

90क फास्ट पैं०	74 फास्ट पैं०	72 एक्सप्रेस	70 एक्सप्रेस	582 पैंसेजर	स्टेशन	71 एक्प्रेस	89क फास्ट पैं०	73 फास्ट पैं०	69 एक्सप्रेस	581 पैं०
10.40	13.55	22.00	02.45	07.15 छू०	रतलाम प०	06.05	12.15	13.45	21.00	20.15
15.00	18.23	00.34	05.50	11.08 प०	निमच छू०	03.02	08.10	09.24	17.26	16.19
15.15	18.36	00.46	06.05	11.23 छू०	प०	02.49	07.57	09.09	17.14	16.04
17.40	20.20	01.58	07.13	13.00 प०	चित्तौड़गढ़ छू०	01.27	06.05	07.25	16.10	14.30
—	—	02.23	07.23	13.27 छू०	प०	01.02	—	—	16.00	14.02
		17.30	12.20	18.45 प०	अजमेर छू०	20.15			11.00	09.05

लबनान, लेसेथो, लाइबेरिया, लीबिया अरब जम्हूरिया, लक्समबर्ग, मेडागास्कर, माली, माल्टा, मारीशस, मेक्सिको, मंगोलिया, मोरक्को, मोजाम्बीक, नामीविया, नेपाल, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, निकारागुआ, नाइजर, नाइजीरिया, नार्वे, पाकिस्तान, पनामा, पापुआ न्यू गिनी, पेरु, फिलीपीन्स, पोलैंड, पुर्तगाल, कातार, कोरिया गणराज्य, रूमानिया, रूआंडा, सेंट विन्सेंट और ग्रेनाडिन्स, सेनेगल, सेशेल्स, सियरा लिओन, सोलोमन द्वीप समूह, सोमालिया, स्पेन, श्रीलंका, सूडान, स्वाजीलैंड, स्वीडन, सीरियाई अरब गणराज्य, टोगो, टोंगा, त्रिनिदाद एवं टोबागो, ट्यूनीशिया, उगांडा, उकरेनियन एस० एस० आर०, सोवियत संघ, संयुक्त अरब अमीरात, यू० के० केमेरून संयुक्त गणराज्य, तंजानिया संयुक्त गणराज्य, अपर वोल्टा, उरुग्वे, वेनेजुएला, वियतनाम, यूगोस्लाविया, जाईर, जाम्बिया ।

संयुक्त राष्ट्र संघ शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन को सहायता प्राप्त कार्यक्रम

8248. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन ने भारत में चालू वित्तीय वर्ष सहित पिछले तीन वर्षों के दौरान किन कार्यक्रमों में तकनीकी अथवा वित्तीय उल्लेखनीय सहायता प्रदान की है ;

(ख) क्या पूरे हो गए कार्यक्रमों का कोई मूल्यांकन भी किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो वे कार्यक्रम किस प्रकार के हैं और उनके क्या परिणाम रहे हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों की राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) यूनेस्को ने शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति, सामाजिक विज्ञान और जन संचार के क्षेत्रों में व्यापक स्तर के कार्यक्रमों में भारत के साथ सहयोग किया है। यूनेस्को ने भारत में अनेक अन्तर्राष्ट्रीय/क्षेत्रीय/उप-क्षेत्रीय सम्मेलन, गोष्ठियां कौर कार्यशालाएं प्रायोजित की । पिछले तीन वर्षों के दौरान जिन विभिन्न कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त हुई थी वे संलग्न विवरण I में दिए गए हैं ।

यूनेस्को, यू० एन० डी० पी० द्वारा वित्त पोषित कुछ परियोजनाओं के सम्बन्ध में संचालन एजेंसी भी है ऐसी परियोजनाओं की सूची संलग्न विवरण II में दी गई है ।

(ख) और (ग) सभी यूनेस्को कार्यक्रमों का मूल्यांकन करना एक अभिन्न अंग है ताकि कार्यकलापों के पुनरीक्षण और निष्पादन के मूल्यांकन के लिए लगातार पुनर्निवेशन उपलब्ध किया जा सके। यू० एन० डी० पी० सहायता प्राप्त परियोजनाएं जो यूनेस्को द्वारा निष्पादित की जाती है, के लिए भी छमाई प्रगति रिपोर्टों और मध्य-कालीन पुनरीक्षण की व्यवस्था है ताकि अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए यदि आवश्यक हो तो ये परियोजनाएं उपयुक्त रूप से संशोधित की जा सके ।

विवरण I

वह परियोजना जिसके लिए 1981-1983 के दौरान यूनेस्को से सहायता प्राप्त हुई

1981-83

1. 1,98,750 रुपए	1981 के दौरान यूनेस्को कूयरियर के हिन्दी तथा तमिल संस्करण के प्रकाशन के लिए ।

2. 45,750 रुपए	भारतीय समुद्री क्षेत्र में तुलनात्मक सामाजिक भाषायी अध्ययन शुरू करने के लिए।
3. 5000 डालर	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास में कम लागत के तकनीकी उपस्कर बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन।
4. 8000 डालर	राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिक संस्थान, बंगलौर में तन्त्रिका विज्ञान में नई तकनीकों पर कार्यशाला का आयोजन।
5. 4500 डालर	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर में दक्षिण और केन्द्रीय एशिया के विकास के लिए संगणक तकनिकों के प्रयोग पर क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन।
6. 2,23, 125 रु०	1982 के दौरान यूनेस्को कूयरियर के हिन्दी और तमिल संस्करणों का प्रकाशन।
7. 43,200 रु०	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा शान्ति के लिए युवकों की शिक्षा में महिलाओं की भूमिका पर विशेषज्ञ बैठक का आयोजन।
8. 18,610 रु०	"थिंकिंग एण्ड डूइंग" शीर्षक यूनेस्को की पुस्तक का हिन्दी संस्करण का प्रकाशन।
9. 25,868 रु०	राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद द्वारा समकालीन विश्व समस्याओं के अध्ययन पर प्रयोगात्मक कार्यकलापों के लिए।
10. 32,48,925 रु०	विकास सिद्धान्तों और विकल्पों पर क्षेत्रीय प्रशिक्षण कार्यकलापों के लिए एक सेमिनार के आयोजन के लिए।
11. 4605.00 रु०	"ए० बी० सी० आफ कापिराइट" नामक यूनेस्को की पुस्तक का हिन्दी में अनुवाद और प्रकाशन।
12. 1,74,250	1982 के दौरान यूनेस्को कूयरियर के हिन्दी और तमिल संस्करण का प्रकाशन।
13. 3,500 डालर	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बम्बई में सिस्टम एनेलिसिस एज एप्लाइड टू इंजीनियरिंग प्रोबलम्स पर क्षेत्रीय कार्यशाला का आयोजन।

14. 1,000 डालर — राष्ट्रीय शैक्षणिक आयोजन तथा प्रशासन संस्थान द्वारा ब्लाक तथा संस्थात्मक स्तरों पर समस्याओं तथा पद्धतियों का शुरू करना।

15. 1,200 डालर — राष्ट्रीय शैक्षणिक आयोजन तथा प्रशासन संस्थान द्वारा भारत के दो अध्ययनों में शैक्षणिक वित्त पोषण और समानता पर तुलनात्मक नीति अध्ययन शुरू करना।

16. 2,000 डालर — सांस्कृतिक संसाधन तथा प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा भारत में परम्परागत प्रौद्योगिकीयों के अध्ययन की तैयारी।

17. 5,000 डालर — ग्रामीण क्षेत्रों में नवसाक्षरों के लिए अनुवर्ती प्रौढ़ शिक्षा सेवाएं की एक पाक्षिक पत्रिका का प्रकाशन।

18. 5,000 डालर — गुंगे व्यक्तियों की कलात्मक मौलिकता और सांस्कृतिक तथा सामाजिक जीवन में उनकी एकता पर राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन।

19. 5,000 डालर — वाई० एम० सी० ए० द्वारा भारत में साक्षरता कार्यक्रमों का कार्यान्वयन।

20. 2,500 डालर — प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय द्वारा सम्पूर्ण जीवन शिक्षा के सापेक्ष महत्व में प्रकट उत्तर साक्षरता नीतियों का अध्ययन तैयार करना।

21. 500 डालर — राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा आलेखी संचार पाठ्यक्रम का आयोजन।

22. 8,000 डालर — प्रैस सूचना ब्यूरो, नई दिल्ली द्वारा यूनेस्को रूपरेखा के हिंदी रूपान्तर का प्रकाशन।

23. 2,500 डालर — भारतीय प्रबन्ध संस्थान, बंगलौर द्वारा समेकित विज्ञान और प्रौद्योगिकी दक्षताओं का निर्माण करने की संभावना पर विशेष ध्यान देते हुए प्रौद्योगिकीय अवस्थापना के तरीके का अध्ययन।

24. 700 डालर — भौतिक विज्ञान के चुने हुए विषयों पर मोडुलर यूनिट के विकास के लिए शक्ति तथा गति पर कार्य तैयार करना।

25. 1,500 डालर — ऊनी कृष्णन, प्रैस ट्रस्ट आफ इन्डिया द्वारा एशियन ब्यूज नेट वर्क पर तकनीकी अध्ययन की तैयारी।

26. 1,500 डालर	इन्टर डिसिप्लिनरी एप्रोचिज एण्ड मैथड पर अध्ययन शुरू करना ।
27. 3,000 डालर	सामाजिक कार्रवाई परियोजनाओं के मूल्यांकन में प्रयुक्त पद्धतियां तथा तकनीकी के अध्ययन की तैयारी।
28. 5,000 रु० डालर	भारत में जीवन की कोटि नापने का अध्ययन शुरू करना, विभिन्न सांस्कृतिक विषयवस्तुओं में मूल्य पद्धति की भूमिका
29. 250 डालर	माध्यमिक स्कूलों में रसायन शास्त्र अध्ययन पर स्टेच्यु अध्ययन की तैयारी।
30. 4,300 डालर	'गाइड फार बायोलोजी टीचिंग इन एशिया' के लिए अध्याय लेखन।
31. 2,500 डालर	आर्थिक तथा सामाजिक सांस्कृतिक असमानताओं को कम करने के लिए योरूप में 1982 में आयोजित बैठक के लिए कार्यकारी दस्तावेज तैयार करना।
32. 2,500 डालर	भारत में पुस्तक तथा पठन स्थिति पर राष्ट्रीय मोनोग्राफ तैयार करना ।
33. 700 डालर	विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी शिक्षा के लिए यू० एन० सी० एस० टी० डी० की कठिनाइयों के विश्लेषण पर पेपर्स तैयार करना।
34. 5,000 डालर	भारत में विज्ञापन के अध्ययन की तैयारी
35. 200 ,,	स्कूल जनसंख्या शिक्षा के बाहर प्रशिक्षण प्रदान करने वाली संस्थाओं की निर्देशिका तैयार करना।
36. 1,000 ,,	शैक्षिक योजना से सम्बन्धित प्रशिक्षण मापदण्ड तैयार करना।
37. 250 ,,	यूनेस्को पत्रिका "म्यूजियम" के विशेष अंक के लिए दो रचनाएं लिखना।
38. 2,000 ,,	शैक्षिक व्यय में प्रवृत्ति से सम्बन्धित अध्ययन तैयार करना- एक क्षेत्रीय विश्लेषण।
39. 350 ,,	अन्तर्राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान पत्रिका के लिए सामग्री तैयार करना।

40.	400 डालर	एशिया में सांस्कृतिक नीतियों से सम्बन्धित अन्तर राजकीय सम्मेलन की सिफारिशों के प्रभाव का मूल्यांकन।
41.	3,000 ,,	व्यक्ति और एशियाई लोगों के साम्प्रदायिक जीवन के संबंध में बदलते धार्मिक कृत्यों पर अध्ययन।
42.	4,000 ,,	युवा और अन्तर्राष्ट्रीय सूझ-बूझ से सम्बन्धित प्रदर्शनी।
43.	10,000 ,,	शैक्षिक परियोजनाओं के अनुश्रवण और मूल्यांकन (प्राथमिक शिक्षा का सर्वव्यापीकरण)।
44.	6,700 ,,	आपटेकान के उपयोग में दृष्टिहीनों का प्रशिक्षण।
45.	11,000 ,,	आंशिक रूप से बहरे बच्चों के लिए स्कूल, हैदराबाद के श्रवण-विज्ञान एकक को स्तरोन्नत करना।
46.	10,000 ,,	यूनेस्को के अन्तर्राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान पत्रिका से चुनी हुई रचनाओं का हिन्दी में अनुवाद।
47.	3,000 ,,	भारतीय राष्ट्रीय आयोग का बुलेटिन "न्यूजलेटर" का प्रकाशन।
48.	2,000 ,,	यूनेस्को के साथ सहयोग के लिए भारतीय राष्ट्रीय आयोग के सचिवालय के दो अधिकारियों का अध्ययन दौरा।
49.	10,000 ,,	राष्ट्रीय शैक्षिक आयोजना व प्रशासन संस्थान द्वारा शैक्षिक आयोजना और प्रशासन की समस्याओं और शैक्षिक भविष्य से सम्बन्धित संगोष्ठी।
50.	2,000 ,,	जल की गुणवन्ता पर परिस्थितिक तक बाधाओं के प्रभाव और अमरावती नदी प्रणाली के साथ प्रभाव से सम्बन्धित अध्ययन।
51.	10,000 ,,	विकास में महिलाओं में सम्बन्धित सामाजिक विज्ञान साहित्य का संग्रह, प्रलेखन और प्रसार।
52.	10,000 ,,	शान्ति और सुरक्षा के लिए निरस्त्रीकरण से सम्बन्धित मासिक ग्रन्थ सूची और समाचार समीक्षा का प्रकाशन।
53.	3,000 ,,	राष्ट्रीय दृष्टिहीन संस्थान, देहरादून के लिए पुस्तक प्रोन्नति
54.	3,000 ,,	विकासशील देशों में विज्ञान संग्रहालयों से सम्बन्धित सेमिनार-अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की सम्भावनाएं।

55. 3,000 ,, दृष्टिहीनों के पुनर्वास से सम्बन्धित अन्तरर्राष्ट्रीय संगोष्ठी।

56. 10,000 ,, एशिया में यूनेस्को के लिए राष्ट्रीय आयोग की बैठक

57. 47,300 रु० ऐतिहासिक शहर कांचीपुरम का अध्ययन।

58. 42,570 रु० महिलाओं और सांस्कृतिक मूल्यों का अध्ययन।

मेहतपुर रेलवे स्टेशन पर निर्माण कार्य

8249. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में नांगल-तलवाड़ी रेल लाइन पर मेहतपुर रेलवे स्टेशन का निर्माण कार्य आरम्भ हो गया है ;

(ख) यदि हां तो निर्माण कार्य किस तारीख को आरम्भ हुआ था ;

(ग) रेलवे स्टेशन किस तारीख तक तैयार हो जायेगा ; और

(घ) रेलवे द्वारा इस लाइन के निर्माण के लिए किस स्थान तक की भूमि का अर्जन करने के लिए उपायुक्त, ऊना को सूचना दी गई है?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी हां।

(ख) फरवरी, 1984

(ग) इस वर्ष के मध्य तक नंगल डैम से पहले स्टेशन अर्थात मेहतपुर तक, एक साईडिंग के रूप में लाइन खोलने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

(घ) भूमि अधिग्रहण करने के लिए रेल प्रशासन द्वारा राज्य सरकार को 17.5 कि०मी० तक (अर्थात ऊना तक) भूमि का सीमांकन दे दिया गया है।

नांगल-तलवाड़ा लाइन के लिए आबंटित धनराशि का अन्य कार्य के लिए उपयोग किया जाना

8250. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1982-83 अथवा 1983-84 में नांगल-तलवाड़ा रेल लाइन के निर्माण के लिए आबंटित धनराशि में से 25 लाख रुपए की धनराशि को किसी अन्य परियोजना पर खर्च किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो धनराशि को अन्य कार्यों के लिए उपयोग करने के क्या कारण हैं तथा इस

विवरण-II

यू० एन० डी० पी० के माध्यम से सहायता प्राप्त यूनेस्को की संचालित परियोजनाओं की सूची

क्रम सं०	परियोजना सं०	परियोजना का शीर्षक	अवधि	यू० एन० डी० पी० निवेश यू० एस० डालर	टिप्पणियां
1.	आई० एन० डी०/78/056	स्नातकोत्तर हाइड्रोलाजिकल शिक्षा और अनुसंधान, रूड़की।	3 वर्ष (1981-84)	422,542	समाप्ति तिथि मार्च, 1984
2.	आई० एन० डी०/74/013	इण्डस्ट्रीयल डिजाईन सेन्टर आई० आई० टी०, बम्बई	5 वर्ष (1979-83)	717,166	समाप्ति तिथि दिसम्बर, 1983
3.	आई० एन० डी०/77/013	तकनीकी शिक्षा के लिए पाठ्यचर्या विकास (फेज-1)	3 वर्ष (1979-81)	1,219,596	परियोजना 1983 में समाप्त हुई। चरण-II विचाराधीन।
4.	आई० एन० डी०/80/031	स्नातकोत्तर इन्जीनियरी शिक्षा और अनुसन्धान, कोयम्बटूर।	2 वर्ष (1982-84)	678,200	समाप्ति तिथि मार्च, 1984
5.	आई० एन० डी०/80/030	स्नातकोत्तर इन्जीनियरी शिक्षा और अनुसन्धान, बड़ोदा।	2 वर्ष 7 महीने (1982-84)	1,270,000	समाप्ति तिथि दिसम्बर, 1984
6.	आई० एन० डी०/75/009	सांस्कृतिक सम्पत्तियों के परिरक्षण के लिए राष्ट्रीय अनुसन्धान प्रयोग शाला, लखनऊ।	3 वर्ष (1978-81)	436,423	समाप्ति तिथि दिसम्बर 1983 (राजकीय समन्वय एजेंसी, संस्कृति)

7. आई० एन० डी०/81026	कम्प्रेसिविलिटी वायोसिटी, एण्ड सालिडफिकेशन विहेवियर आफ लिक्वोड्स एट अल्टा हाई प्रेसर	2 वर्ष 5 महीने (अगस्त 83-दिसम्बर 83)	166,360	———
8. आई० एन० डी०/82/036	सांस्कृतिक सम्पत्ति पर वातावरण के प्रभाव से सम्बन्धित अध्ययन	3 वर्ष	206,710	———
9. आई० एन० डी०/78/001	चुने गए विश्वविद्यालय विभाग (चरण-II) को विशेष सहायता	5 वर्ष (1979-83)	2,918,853	समाप्ति तिथि दिसम्बर, 1983, राजकीय समन्वय एजेंसी, वि० अनु० आयोग
10. आई० एन० डी०/82/047	शैक्षिक आयोजना और प्रशासन (आई० आई० ई० पी०) में उच्च प्रशिक्षण	———	111,6000	———
11. आई० एन० डी०/74/045	राष्ट्रीय हाईड्रोलोजी संस्थान रूड़की	5 वर्ष (1978-83)	913,716	समाप्ति तिथि दिसम्बर, 1983, राजकीय समन्वय एजेंसी, सिंचाई मन्त्रालय
12. आई० एन० डी०/82/036	जल और ऊर्जा सूचना प्रणाली पुणे।	3 वर्ष.	839,766	राजकीय समन्वय एजेंसी, सिंचाई मन्त्रालय

प्रकार धनराशि को अन्य कार्यों के लिए उपयोग करने के आदेश किस अधिकारी द्वारा दिए गए थे ; और

(ग) इस निर्णय के कारण इस लाइन के निर्माण की प्रगति पर वास्तव में कितना प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और इसके लिए अतिरिक्त आबंटन करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

रेल प्रयोक्ता का गठन

8251. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय राष्ट्रीय जोनल और डिवीजनल स्तरों की रेल प्रयोक्ता समितियां हैं :

(ख) यदि हां, तो आज राष्ट्रीय उत्तर जोन और फिरोजपुर और दिल्ली डिवीजन स्तरों के लिए उन समितियों के सदस्य कौन-कौन हैं और इनमें से प्रत्येक समिति कब गठित की गई थी ; और

(ग) यदि नहीं, तो प्रयोक्ता समितियों का गठन किस तारीख तक किए जाने की संभावना है ?

रेल मंत्री (ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) से (ग) 1-9-83 से 31-12-85 तक की अवधि के लिए मध्य, पूर्व, उत्तर, पूर्वोत्तर, पूर्वोत्तर सीमा और पश्चिम रेलवे पर मण्डल रेल उपयोगकर्त्ता परामर्श समितियों का पुनर्गठन पहले ही किया जा चुका है । दक्षिण, दक्षिण मध्य और दक्षिण पूर्व रेलों पर मण्डल रेल उपयोगकर्ता परामर्श समितियों और नौ क्षेत्रीय रेलों पर क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्श समितियों के पुनर्गठन की कार्यवाही की जा रही है । इन समितियों का गठन हो जाने पर, राष्ट्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्श परिषद का भी पुनर्गठन किया जाएगा ।

फिरोजपुर और दिल्ली मण्डलों में मण्डल रेल उपयोगकर्ता परामर्श समितियों के गठन का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

विवरण

उत्तर रेलवे के फिरोजपुर मण्डल में मण्डल रेल उपयोगकर्ता परामर्श समिति में मनोनीत व्यक्तियों की सूची

हित	जिनको प्रतिनिधित्व दिया गया	मनोनीत व्यक्ति का नाम और पता
1	2	3
चैम्बर्स आफ कामर्स ट्रेड इण्डस्ट्री एण्ड	अबोहर काटन एण्ड ग्रेन मर्चेन्टस एसोसिएशन (रजि०) अबोहर	श्री एम० पी० नवाटिया, मैसर्ज टेक चन्द दौलतराय,

1	2	3
एग्रीकल्चरल एसोसिएशन		पी० बी० नम्बर 23, अबोहर
	दि टैक्सटाइल मैनुफैक्चर्स एसोसिएशन, अमृतसर	श्री एन० एन० कक्कर, मार्फत मैसर्ज रामसरन दास एण्ड ब्रदर्ज 48, गांधी बाजार, अमृतसर
	पंजाब कोल मर्चेन्टस, एसोसिएशन क्लाक टावर, लुधियाना	श्री एच० एल० अग्रवाल, प्रैजीडैन्ट, पंजाब कोल मर्चेन्टस एसोसिएशन, नजदीक क्लाक टावर लुधियाना
	चैम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री, जम्मू	श्री कृष्ण कान्त, मार्फत, 65,
	वूल एण्ड वूलन एक्सपोर्टिंग प्रीमशन काउन्सिल, लुधियाना	निटकू लेन, क्लाब टीलू, जम्मू तवी
	इंजी० एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल नार्दन जोन	श्री डी० पी० धीर, सैन्ट्रल वूलन मिल्ज, 422, इण्डस्ट्रीयल एरिया "ए" लुधियाना
पैसेंजर एसोसिएशन	1. दि पैसेंजर ट्रैफिक रिलीफ एसोसिएशन (रजिस्टर्ड) लुधियाना	श्री ए० एस० राना, नेशनल ब्रारा एण्ड इन्जी० फाउन्ड्रीज, एफ-35, इण्डस्ट्रीयल एरिया,जलन्धर सिटी ।
	2. रेलवे डेसी ट्रैवलर्स एसोसिएशन अमृतसर	श्री इन्द्रराज सेठी, मार्फत मैसर्ज चड्ढा सेठी एण्ड कम्पनी, 47, न्यू साइकिल मार्किट, लुधियाना। श्री जे० सी० धींगड़ा, आनरेरी जनरल सैक्रेटरी, रेलवे डेली ट्रैवलर्ज एसोसिएशन 62, कटरा शेरसिंह, अमृतसर
विशेष हित	रेल मन्त्री द्वारा मनोनीत	1. श्री मोहिद्र सिंह कल्याण, 15, न्यू बस स्टैण्ड, लुधियाना
		2. श्री विप्लव ठाकुर, संयुक्त सचिव, एच० पी० सी० सी० (आई) शिमला
		3. श्री विनोद डोगरा, सचिव, डी० सी० सी० (आई०) धर्मशाला, जिला कांगड़ा ।

1	2	3
		4. डा० मंगतसम, लीडर, पौंग-डैम आउस्टील, गांव एवम् डा० जस्सार, तहसील नूरौर, जिला कांगड़ा
		5. श्री कुलदीप चौफला, भूतपूर्व प्रैजीडेंट म्युनिसपल कमेटी जि० काँगड़ा
		6. कर्नल शिवकिशोर (रिटायर्ड) सलाहकार ट्रांसपोर्ट एण्ड टूरिजम हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला।
विशेष हित (जारी)	महाप्रबन्धक द्वारा मनोनीत	श्री एस० एस० चावला, स्पेशल कारसपौडैंट 'दि ट्रिब्यून, सैक्टर 29-सी, चंडीगढ़-110020
राज्य सरकारें	जम्मू और कश्मीर	श्री एस० डी० पंजाबी, निदेशक, रेल मूवमैंट, फूड सप्लाईज एण्ड ट्रांसपोर्ट विभाग, जम्मू एण्ड कश्मीर सरकार, श्रीनगर
	पंजाब	उपनिदेशक (आई० एस०) उद्योग निदेशालय पंजाब सरकार चण्डीगढ़
	हिमाचल प्रदेश	(नाम आना है)
राज्य विधानमण्डल	जम्मू एण्ड कश्मीर	(नाम आना है)
	पंजाब	श्री सजन कुमार एम० एल० ए० ग्राम एवम् डा० पंजकोसी, जिला फिरोजपुर
	हिमाचल प्रदेश	(नाम आना है)
संसद सदस्य	लोक सभा	श्री हाकम सिंह, संसद सदस्य ग्राम मियां, डा० जारकियां, तहसील मनसा, जिला भटिण्डा एण्ड 115, नार्थ एवेन्यू, नयी दिल्ली

2	3
राज्य सभा	सरदार जे० एस० तलवण्डी, संसद् सदस्य ग्राम एवम् डाक० तलवण्डी राय, तह० जगरांव जिला लुधियाना एंड 3, माहादेव रोड, नयी दिल्ली

उत्तर रेलवे के दिल्ली मण्डल में मण्डल रेल उपयोगकर्ता सलाहकार समिति के नामजद सदस्यों की सूची

हित	जिनको प्रतिनिधित्व दिया गया	मनोनीत व्यक्ति का नाम और पता
1	2	3
चैम्बर आफ कामर्स ट्रेड इण्डस्ट्रीज एण्ड इग्रीकल्चरल एसोसिएशन	1. पंजाब, हरियाणा और दिल्ली चैम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री, नई दिल्ली	श्री अरुण कपूर दि एटलस साइकिल इण्डस्ट्रीज लि० एवन-ए-गालिव बिल्डिंग, द्वितीय मंजिल माता सुन्दरी मार्ग नयी दिल्ली-2
	2. रि-रालर काउन्सिल आफ इण्डिया, मण्डी गोविन्दगढ़	श्री बलराम सूरज, उद्योगपति, पोस्ट बाक्स नं० 18, गुरु नानक मिल्ज बिल्डिंग, मण्डी गोविन्दगढ़ (पंजाब)
	3. दिल्ली पैट्रोलियम प्रोडैक्टस डीलर्ज एसोसिएशन, दिल्ली	श्री राम सरन अग्रवाल, 274, सत्य निकेतन मोती बाग, रिंग रोड नयी दिल्ली-21
	4. वैस्टर्न यू० पी० चैम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री, मेरठ।	श्री राम किशन अग्रवाल, मैसर्ज हंस इंजी० वर्क्स प्राईवेट लि०, 72-ए, सूरजकुण्ड मेरठ
	5. नार्दन इण्डिया काटन एसोसिएशन, भटिण्डा	श्री रामधनदास सेठी, मैसर्स हरबंस लाल सुभाषचन्द्र, मण्डी डबवाली।
	6. नेशनल फर्टिलाइजर्स लि० भटिण्डा।	श्री एम० एस०सक्सेना, एडीशनल मैनेजर (ट्रांसपोर्ट) नेशनल फर्टिलाइजर लि० सिवियान रोड, भटिण्डा

1	2	3
पैसेंजर एसोसिएशन	1. रेलवे पैसेंजर एसोसिएशन, नरेला	(नाम आना है)
	2. दि गाजियाबाद-नयी दिल्ली (वाया जी० ए० एल०) डेली रेल पैसेंजर एसोसिएशन, गाजियाबाद	श्री एस० बी० एल० सक्सेना, 37, नया गंज, गंज गाजियाबाद।
विशेष हित	1. रेलवे मंत्री द्वारा मनोनीत	1. श्री जी० एस०गुप्ता, निदेशक, एस० के० कारपोरेशन, गोविन्द भवन, 57 साकेत मेरठ।
		2. श्री प्रेम गोयल, ई-20, पूर्वी मार्ग, बसन्त बिहार, नयी दिल्ली।
		3. श्री हरप्रसाद, 6 मार्डन स्कूल, वाराखम्भा रोड, नयी दिल्ली
		4. श्री रामपाल सिंह राठौर, 74 कल्याणवास, दिल्ली।
		5. श्री विजय कुमार विज, 8177 आरक्षण रोड, पहाड़गंज, नयी दिल्ली
		6. कर्नल शिवकिशोर (रिटायर्ड) सलाहकार ट्रांसपोर्ट एण्ड टूरिजम, शिमला
		7. चौ० नानू, नखरा, वरगांव, जिला सहारनपुर
	ित	1. श्री श्रीकृष्ण, पी० टी० आई० नयी दिल्ली।
संसद	लोक सभा	1. श्री सूरज भान, संसद् सदस्य गांव मौहल्ला वाली, तहसील जगाधरी, जिला अम्बाला (हरियाणा) और 178, नार्थ एवेन्यू, नयी दिल्ली

1	2	3
	राज्य सभा	श्री सुजान सिंह, संसद् सदस्य, सुरजन सिंह पार्क, सोनीपत और 12 तालकटोरा रोड, नयी दिल्ली।
राज्य सरकारें और राज्य विधान मण्डल	उत्तर प्रदेश सरकार	श्री हरप्रसाद शर्मा, एडीशनल रैजीडैंट कमीशनर, उत्तर प्रदेश सरकार, 23-वी, टैलीग्राफ लेन, नयी दिल्ली।
	हिमाचल प्रदेश सरकार	अवर सचिव (सीमा) हिमाचल सरकार
	पंजाब सरकार	(नाम आना है)
	दिल्ली प्रशासन	श्री वी० पी० मिश्रा, आई० ए० एस०, सचिव और निदेशक (उद्योग)दिल्ली प्रशासन, कश्मीरी गेट, दिल्ली।
	हरियाणा सरकार	श्री बी० वी०वीरमानी, एडीशनल डायरैक्टर इण्डस्ट्रीज हरियाणा सरकार, चण्डीगढ़
	चण्डीगढ़ प्रशासन	नाम आना है
	विधायक उत्तर प्रदेश	श्री भूपसिंह केन, एम० एल० ए० मौहल्ला चांद, हापुड़, जिला गाजियाबाद
	विधायक पंजाब	नाम आना है
	विधायक हरियाणा	श्री सगन राम गुप्ता, एम० एल० ए० लहोअर बाजार, भिवानी
	महानगर पार्षद दिल्ली	श्री मनोहर लाल, सदस्य महानगर पार्षद, 8635, ईस्ट पार्क रोड, करोल बाग, नयी दिल्ली।

अवध एक्सप्रेस को चौमहला और भवानी मण्डी स्टेशनों पर रोकने की व्यवस्था करना

8252. **श्री चतुर्भुज** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अवध एक्सप्रेस को कोटा से ओखा (गुजरात) तक बढ़ाकर सुपर फास्ट रेलगाड़ी

बनाया जा रहा है और यदि हां, तो इसे कोटा से सुपर फास्ट रेलगाड़ी बनाने के कारण क्या हैं ;

(ख) क्या चौमहला और भवानी मण्डी और भीड़भाड़ वाले दो स्टेशन कोटा और रतलाम जंकशन के बीच पड़ते हैं जहां पर अनेक बड़े उद्योग और नागेश्वर मन्दिर भी हैं जिसकी पूरे देश से जैन समुदाय द्वारा पूरे वर्ष यात्रा की जाती है ;

(ग) यदि हां, तो इन दो स्टेशनों पर अवध एक्सप्रेस को रोकने की व्यवस्था, करने में रेलवे बोर्ड को क्या आपत्ति है ;

(घ) क्या स्थानीय जनता की मांग को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार उन रेलगाड़ियों को भी कोटा और रतलाम जंक्शन के बीच रोकने की व्यवस्था करने का है जो इस समय वहां नहीं रुकती हैं ताकि आम रेल यात्रियों को राहत दी जा सके ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं ;

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी नहीं, इस समय नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

(घ) और (ङ) चौमहला और भवानी मण्डी स्टेशन पर चार जोड़ी गाड़ियां ठहरती हैं जिनमें 2 जोड़ी मेल/एक्सप्रेस गाड़ियां शामिल हैं। लम्बी दूरी की मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों को केवल चुनिंदा स्टेशनों पर ही ठहराया जाता है। इन गाड़ियों को अधिक स्टेशनों पर ठहराने से इनकी गति कम हो जायेगी और लम्बी दूरी के यात्रियों के लिए असुविधाजनक होगी जो वांछनीय नहीं है।

पुस्तकों का संयुक्त लेखन, अनुवाद और अंगीकरण के क्षेत्र में भारत-सोवियत सहयोग

8253. **श्री जी०वाई० कृष्णन्** : क्या **शिक्षा और संस्कृति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और रूस के बीच संयुक्त लेखन, अनुवाद और पुस्तकों के अंगीकरण के क्षेत्र में संलेख पर सरकार द्वारा कोई पहल की गई है ;

(ख) यदि हां, तो संस्कृति, विज्ञान और शिक्षा सम्बन्धी किसी रूसी प्रतिनिधिमण्डल ने भारत का और भारत के प्रतिनिधिमण्डल ने रूस का दौरा किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उपमन्त्री (श्री पी के० थुंगन) : (क) से (ग) भारत और सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ के बीच सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और शैक्षिक विनिमय कार्यक्रम के अन्तर्गत एक पाठ्य-पुस्तक कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु व्यापक नीति निर्धारित करने के लिए 1965 में एक संयुक्त भारत-सोवियत पाठ्य-पुस्तक बोर्ड स्थापित किया गया था जिसके अन्तर्गत सोवियत विश्वविद्यालय स्तर की मानक पाठ्य और संदर्भ पुस्तकें कम कीमत वाले संस्करणों में उपलब्ध कराई जाती हैं। संयुक्त बोर्ड में प्रत्येक पक्ष के 5-5 सदस्य होते है और कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा

करने के लिए 18 महीनों में एक बार बैठक होती है और ये बैठकें बारी-बारी से मास्को और नई दिल्ली में आयोजित की जाती हैं।

संयुक्त बोर्ड की 14वीं बैठक दिसम्बर, 1983 में नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। 14वीं बैठक के संलेख में कार्यक्रम के कार्यान्वयन की समीक्षा की गई और इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रकाशित पुस्तकों के अनुवाद/अनुकूलन के लिए भारतीय और सोवियत अध्येताओं के बीच संयुक्त लेखन की संभावना पर भी विचार किया गया। भ्रमणकारी प्रतिनिधिमण्डल के नेता और अन्य सदस्यों के नाम और पदनाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं। क्योंकि बैठक भारत में हुई थी इसलिए इस प्रयोजन के लिए किसी भारतीय प्रतिनिधिमण्डल ने रूस का दौरा नहीं किया।

विवरण

पुस्तकों के संयुक्त लेखन, अनुवाद और अंगीकरण के क्षेत्र में भारत-सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ सहयोग के सम्बन्ध में दिनांक 19-4-1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 8253 के उत्तर में संदर्भित विवरण

1. प्रोफेसर एन० एस० इगोरोव उप मन्त्री सोवियत रूस उच्च तथा विशेषज्ञता माध्यमिक शिक्षा	नेता
2. श्री वी० पी० कर्तसेव निदेशक मीर प्रकाशन गृह	सदस्य
3. श्री एम० के० एवेलित्चेव मुख्य सम्पादक प्रोग्रस प्रकाशन गृह	सदस्य
4. श्रीमती एस० वी० अंड्रीवा मुख्य, सोवियत रूस के उच्च तथा विशेषज्ञता माध्यमिक शिक्षा मन्त्रालय के क्रमबद्ध विभाग।	सदस्य
5. श्री जी० ए० ओरलोव, मुख्य, अंग्रेजी भाषा विभाग, मास्को विदेशी भाषा संस्थान।	सदस्य

एम्बुलेंस गाड़ियों की उपलब्धता

8254. **श्री दिगम्बर सिंह :**

डा० ए० यू० आजमी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 27 मार्च, 1984 के इण्डियन एक्सप्रेस नई दिल्ली में प्रकाशित "डोन्ट डायल फोर एन एम्बुलेंस" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों की एम्बुलेंस के शीघ्र उपलब्ध होने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि उनमें आई खराबियां तुरन्त दूर हों और किसी भी मरम्मत को अविलम्ब किया जाए सरकार क्या कदम उठा रही है ; और

(ग) क्या दिल्ली में एम्बुलेंस के सुचारु कार्य को सुनिश्चित करने के लिए सरकार सम्बद्ध अस्पतालों के चिकित्सा अधीक्षकों पर उसकी जिम्मेदारी निर्धारित करेगी और उनके ठीक-ठीक होने के बारे में आवधिक जांच करने को कहेगी तथा अस्पतालों के चिकित्सा अधिकारियों द्वारा ऐसे मामलों में कठोर व्यवहार किए जाने के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उप-मंत्री (कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी) : (क) हां।

(ख) और (ग) दिल्ली में एम्बुलेंस सेवाओं के लिए सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में एक केन्द्रीय नियंत्रण कक्ष (टेली० 102) कार्य कर रहा है। अनुरोध करने पर यहां से एम्बुलेंस सेवाएं प्राप्त की जा सकती हैं। एम्बुलेंसों के खराब हो जाने पर यथाशीघ्र उनकी मरम्मत की जाती है। केंद्रीय सरकार के अस्पतालों के चिकित्सा अधीक्षकों को अस्पतालों में समग्र चिकित्सा सेवाओं को सुचारू ढंग से चलाने का दायित्व पहले से ही सौंपा हुआ है जिनमें एम्बुलेंसों की उपलब्धता भी शामिल है। अशिष्ट व्यवहार संबंधी शिकायतों की चिकित्सा अधीक्षकों द्वारा विधिवत् जांच की जाती है।

रेल कर्मचारियों को दोहरी तदर्थ पदोन्नतियां

8255. **श्री अजित बाग** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या रेल कर्मचारियों को दोहरी तदर्थ पदोन्नति देने पर कोई प्रतिबन्ध है :

(ख) क्या इस सम्बन्ध में रेलवे बोर्ड द्वारा जोनल रेलों को कोई अनुदेश जारी किए गये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) से (ग) रेल मंत्रालय की नीति है कि तदर्थ आधार पर पदोन्नतियों को बढ़ावा न दिया जाए। तदनुसार, अनुदेश मौजूद हैं कि तदर्थ आधार पर पदोन्नति के बहुत ही कम आदेश दिए जायें। सेवा की दृष्टि से आवश्यक होने पर ही अगर जरूरत हो

तो, कुछ दोहरे तदर्थ पदोन्नति के आदेश देने पड़ सकते हैं, लेकिन इन्हें अग्रता के आधार पर ठीक कर दिया जाना चाहिए।

माल जहाज चालकों के विरुद्ध उठाए गये कदम

8256. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **नौवहन और परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या विदेशी पोत मलिक जहाज द्वारा माल लाने ले जाने वाले को अनुकूल रूप से बहुत ही कम भाड़ा दरों की पेशकश करने और अन्य प्रोत्साहनों को प्रलोभन देने के कदाचारों में लगे हुए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इन माल जहाज चालकों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या प्रभावी कदम उठाएं गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) ऐसी सूचना है कि कुछ विदेशी जहाज कार्गो प्राप्त करने के लिए भाड़ा दरों में कटौती, पिछली तारीख के लदान पत्र देना और वित्तीय प्रोत्साहन आदि कदाचार कर रहे हैं ;

(ख) यदि सिद्धान्त रूप में निर्णय किया गया है कि नौवहन एजेंटों के लिए लाइसेंस की पद्धति शुरू की जाए। उन्हें नौवहन एजेंट (लाइसेंसिंग व विनियम) अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों में निर्दिष्ट कानूनी शर्तों का पालन करना होगा। आशा है कि इस कानून से नौवहन एजेंटों और जहाज-मालिकों के बीच जिसके वे एजेंट हैं, परस्पर बेहतर सद्भाव हो जाएगा।

नौवहन विकास निधि समिति द्वारा परिवर्ती खण्ड लागू किया जाना और ऋण लेने वाली कम्पनियों में नामांकित निदेशकों की नियुक्ति

8257. **श्री सनतकुमार मंडल** : क्या **नौवहन और परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौवहन विकास निधि समिति ने हाल ही में जारी किए गए परिवर्ती खंड मार्गनिदर्शों, जो देश में अन्य सरकारी वित्त संस्थानों पर लागू है, को लागू करने का निर्णय लिया है ;

(ख) क्या नौवहन विकास निधि समिति ने ऋण लेने वाली कम्पनियों में नामांकित निदेशकों की नियुक्ति का सिद्धांत भी स्वीकार कर लिया है ;

(ग) यदि हां, तो नौवहन विकास निधि समिति द्वारा वित्त घोषित वे कम्पनियां कौन-सी हैं, जिनको मामले में इसके परिवर्ती खण्ड लागू करने का निर्णय और अपने नामांकित निदेशक नियुक्त करने का निर्णय लिया है ; और

(घ) उन कम्पनियों में विशेषकर कलकत्ता स्थित कम्पनियों में, नियुक्त ऐसे निदेशकों का विवरण क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्यमन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख) चूंकि नौवहन विकास निधि समिति द्वारा दिए गए ऋण उदार नीति पर आधारित हैं अत: परिवर्ती खंड मार्गनिदेश नौवहन विकास निधि समिति पर लागू नहीं होते। नौवहन विकास निधि समिति और ऋण लेने वाली अन्य कम्पनियों के बीच करार की शर्तों के अनुसार अभी भी नौवहन विकास निधि समिति ऋण लेने वाली सभी कम्पनियों के निदेशक मंडल में निदेशक नामित करती है।

(ग) उपरोक्त (क) और (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं होता।

(घ) कलकत्ता स्थित कम्पनियों के निदेश मंडल में नामित निदेशक का विवरण निम्नलिखित हैं जिन्हें नौवहन विकास निधि समिति ऋण देती है :—

1. इण्डिया स्टोमशिप कम्पनी	संयुक्त सचिव आर्थिक कार्य विभाग और नौवहन विकास निधि समिति के कार्यकारी उपनिदेशक
2. रत्नाकर नौवहन कम्पनी	नौवहन विकास निधि समिति के कार्यकारी निदेशक और कार्यकारी उप निदेशक
3. सुरेन्द्र ओवरसीज	विधि मंत्रालय का सोलिसीटर और नौवहन विकास निधि समिति का कार्यकारी उप निदेशक
4. राज लाइन्स	नौवहन विकास निधि समिति का कार्यकारी निदेशक और कार्यकारी उप निदेशक

अन्य कम्पनियों के निदेशक मण्डलों में नामित निदेशकों का विवरण नीचे दिया गया है जिन्हें नौवहन विकास निधि समिति सहायता प्रदान करती है :—

1. चौगले स्टीमशिप कम्पनी	संयुक्त सचिव, आर्थिक कार्य विभाग और नौवहन विकास निधि समिति का अपर कार्यकारी निदेशक
2. सेवेन सीज ट्रांसपोर्टेशन	—वही—
3. दामोदर वल्क कैरियर्स	कार्यकारी निदेशक और कार्यकारी उप निदेशक नौवहन विकास निधि समिति
4. डेम्पों स्टीमशिप्स	—वही—
5. सागर नौवहन कम्पनी	—वही—
6. सिन्धिया स्टीम नेवीगेशन	—वही—
7. निर्वाण नौवहन कम्पनी	—वही—
8. इजर बल्क कैरियर्स	कार्यकारी अपर निदेशक और कार्यकारी उप निदेशक नौवहन विकास निधि समिति

9. गरवाड़े नौवहन निगम	कार्यकारी अपर निदेशक और कार्यकारी उप निदेशक नौवहन विकास निधि समिति
10. हेड़े नेवीगेशन	—वही—
11. इन्डोसैनिक नौवहन कम्पनी	—वही—
12. डेकोन नौवहन कम्पनी	—वही—
13. स्टीम लाइन नौवहन कम्पनी	—वही—
14. ठाकुर नौवहन कम्पनी	—वही—
15. तोलानी नौवहन कम्पनी	—वही—
16. हिनेंगी लाइन्स लि०	कार्यकारी अपर निदेशक नौवहन विकास निधि समिति
17. ग्रेट इस्टर्न शिपिंग कम्पनी	कार्यकारी अपर निदेशक और नौवहन विकास निधि समिति का सदस्य सचिव
18. दरबाश कटशेटजी सन्स	नौवहन विकास निधि समिति का कार्यकारी उप निदेशक
19. मंगला बल्क कैरियर्स	अध्यक्ष लेखा अधिकारी नौवहन विकास निधि समिति
20. वरुण नौवहन कम्पनी	आर्थिक कार्य विकास का संयुक्त सचिव और नौवहन विकास निधि समिति का सदस्य सचिव
21. दक्षिण भारत नौवहन कम्पनी /	आर्थिक कार्य विभाग के संयुक्त सचिव और नौवहन विकास निधि समिति का कार्यकारी अपर निदेशक

इसमें उन कम्पनियों के बारे में सूचना नहीं दी गई है जिस पर नौवहन विकास निधि समिति ने पहले ही मुकदमा दायर कर दी है।

निर्माण-कार्यों से सम्बन्धित नैमित्तिक श्रमिकों को खपाया जाना

8258. **श्री मोहम्मद इस्माइल :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड ने निर्माण कार्यों में संलग्न नैमित्तिक श्रमिकों को खपाने के लिए परियोजनाओं में 40 प्रतिशत अस्थाई अराजपत्रित पदों को निर्माण सम्बन्धी आरक्षण में तब्दील करने के लिए जोनल रेलवे को आदेश जारी किया है ;

(ख) यदि हां, तो कितने जोनल रेलवे ने आदेशों को क्रियान्वित किया है ;

(ग) कितने पदों को स्थायी पदों में बदला गया है ;

(घ) कितने जोनल रेलवे ने उक्त आदेशों को क्रियान्वित नहीं किया है ;

(ङ) कुल रेलवे द्वारा रेलवे बोर्ड के आदेशों को क्रियान्वित न करने के क्या कारण हैं :

(च) क्या जोनल रेलवे द्वारा बोर्ड के आदेशों की समयबद्ध क्रियान्वित को सुनिश्चित करने हेतु कोई कार्यवाही कर रहे हैं ;

(छ) क्या उत्तर सीमावर्ती रेलवे प्रशासन ने निर्माण परियोजनाओं में नैमित्तिक श्रमिकों की सीधी भर्ती की है और वहां पर वर्तमान निर्माण कार्यों के श्रमिकों की अवहेलना करते हुए उन्हें स्थायी पदों पर खपाया जा रहा है ; और

(ज) यदि हां, तो इस कदाचार को समाप्त करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) सभी क्षेत्रीय रेलों को अनुदेश जारी किए गए थे कि निर्माण विभाग में विनिर्दिष्ट कोटियों के प्रत्येक ग्रेड में अस्थाई अराजपत्रित पदों के 40 प्रतिशत पद निर्माण आरक्षित पद के रूप में स्वीकृत किए जाने चाहिए। इन निर्माण आरक्षित पदों के अन्तर्गत 4 लाख रुपए से अधिक लागत के कार्यों से सम्बन्धित चालू लाइन के कार्यों सहित परियोजनाओं सम्बन्धी कार्य आते हैं। निर्माण आरक्षित पदों से सम्बन्धित पदों को मात्र उन नैमित्तिक श्रमिकों की स्क्रीनिंग करके भरना होता है, जो एक या एक से अधिक परियोजनाओं पर कुल 5 वर्ष से अधिक की अवधि से सतत् प्रकृति के पदों पर कार्य कर रहे होते हैं।

(ख) से (ज) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

खानपान सेवा (कैटरिंग सेवा) में गिरावट और खाद्य पदार्थों की दरों में वृद्धि

8259. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे में खानपान सेवा (कैटरिंग सर्विस) में गिरावट आई है तथा इसके अन्तर्गत दिए जाने वाले खाद्य पदार्थों की दरों में भी वृद्धि हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का खानपान सेवा (कैटरिंग सर्विस) में सुधार लाने तथा खाद्य पदार्थों की दरों में कटौती करने का प्रस्ताव है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) रेलें, खान-पान सेवाओं का अच्छा स्तर बनाए रखने के लिए सदा प्रयत्नशील रही है और वे इसमें सुधार करने की सदैव कोशिश करती रहती है, ताकि जनता की बेहतर सेवा की जा सके।

विभिन्न खाद्य सामग्रियों ईंधन तथा स्थापना व्यय के मूल्यों में लगातार वृद्धि हो रही है। इसे देखते हुए, समय-समय पर मूल्यों के अनुरूप टैरिफ प्रभार में ऊर्ध्वगामी संशोधन करना पड़ता है। जब मानक थाली भोजन के लिए 1-11-1981 से लागू टैरिफ का पिछली बार संशोधन किया गया था, तो व्यंजन सूची में भी मामूली सा संशोधन किया गया था। परांठे और पूड़ियों के वजन को 90 ग्राम से बढ़ाकर 100 ग्राम कर दिया गया था तथा एक सब्जी के स्थान पर दो सब्जियों की व्यवस्था की गई

थी। इसके साथ ही, उत्पादन और सेवा की बढ़ी हुई लागत के प्रभाव को निष्प्रभाव करने के लिए रेलों को समय-समय पर फुटकर भोज्य पदार्थों के टैरिफ में भी वृद्धि करनी पड़ती है।

बक्सर और मोकामा के बीच अतिरिक्त रेलवे लाइन

8260. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पूर्व रेलवे के अन्तर्गत बक्सर और मोकामा स्टेशनों के बीच उपनगरीय रेलगाड़ी सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इन दोनों स्टेशनों के बीच अतिरिक्त रेलवे लाईन बिछाने से सम्बन्धित कार्य शुरू करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी नहीं।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। साथ ही संसाधनों की तंगी भी है।

'भद्रक लोकल' रेलगाड़ियों में डीजल इन्जनों का पुन: लगाया जाना

8261. **श्री चिन्तामणि जैना** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 205/206 भद्रक लोकल रेलगाड़ियों में डीजल इन्जन लगाए जाते थे ;

(ख) यदि हां, क्या यह भी सच है कि यह डीजल इन्जनों द्वारा लिए गए थे और उनके स्थान पर भाप इन्जन लगा दिए गए हैं यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि पहले इन गाड़ियों में भाप इन्जन लगाने के विरुद्ध एक आन्दोलन हुआ था और अत: डीजल इन्जन लगाया जाना पुन: शुरू किया गया था ;

(घ) यदि हां, तो क्या यात्रियों के आन्दोलन से बचने के लिए इन गाड़ियों से भाप इन्जनों को हटाकर उनके स्थान पर डीजल इन्जन लगाने का विचार किया गया है ; और

(ङ) यदि हां, तो कब ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी, हां।

(ख) जी हां। परिचालनिक कारणों से डीजल रेल इन्जनों के स्थान पर भाप रेल इन्जन लगाए गए हैं।

(ग) और (घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

चल टिकट परीक्षकों (टी० टी० ई०) को सुविधाएं

8262. **श्री बालासाहिब पवार** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चल टिकट परीक्षकों को चलती हुई रेलगाड़ियों में ड्यूटी पर रखा जाता है और यदि हां, तो उन्हें संगचल कर्मचारी (रनिंग स्टाफ) के रूप में न मानने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि जब चल टिकट परीक्षक अपना मुख्यालय छोड़ते हैं और उन्हें रेलगाड़ी में ड्यूटी पर रखा जाता है तो उन्हें अन्य मुख्यालयों पर वे सुविधाएं नहीं दी जाती हैं जो संगचल कर्मचारियों को दी जाती हैं ; और

(ग) क्या गार्ड, ड्राइवरों और सहायक ड्राइवरों को संगचल कर्मचारी कमरों में खाना पकाने के लिए रसोइये मिलते हैं, जबकि चल टिकट परीक्षकों को रसोइये नहीं मिलते हैं और यदि हां, तो इस प्रकार के भेदभाव बरते जाने के क्या कारण हैं और इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) से (ग) चलती गाड़ियों में चल टिकट परीक्षक टिकटों की जांच करते हैं। नियमों के अन्तर्गत, "रनिंग कर्मचारी" की अभिव्यक्ति उन कर्मचारियों से अभिप्रेत है, जो गाड़ियों के प्रत्यक्षत: प्रभारी होते हैं और गाड़ियों के संचलन के लिए उत्तरदायी होते हैं और ऐसे कर्मचारी कुछ सुविधाओं के पात्र हैं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ रनिंग भत्ता, रनिंग रूम आदि शामिल हैं। चूंकि चल टिकट परीक्षक "रनिंग कर्मचारी" के रूप में वर्गीकृत नहीं हैं क्योंकि ये गाड़ियों के संचालन के जिम्मेवार नहीं होते हैं और न ही वे गाड़ी के प्रभारी होते हैं, अत: वे इन सुविधाओं के पात्र नहीं हैं।

अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह के समुद्री विभाग और समुद्री गोदी के समुद्रगामी कर्मचारियों के वेतन ढांचे और अन्य लाभों पर विचार करने के लिए समिति

8263. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय ने अन्दमान और निकोबार द्वीपसमूह के समुद्री विभाग और समुद्र गोदी समुद्रगामी कर्मचारियों के वेतन ढांचे और अन्य लाभों पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया है ;

(ख) यदि हां, तो यह समिति कब गठित की गई थी ;

(ग) क्या इस समिति को अपनी सिफारिशें चौथे वेतन आयोग से पहले प्रस्तुत करनी हैं ;

(घ) यदि हां, तो इस समिति ने अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह का कब दौरा किया था ;

(ङ) यदि नहीं, तो उनका द्वीपसमूह की यात्रा करने का विचार है ; और

(च) यदि हां, तो कब ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख) अण्डमान और निकोबार प्रशासन के समुद्री नौवहन विभाग के कर्मचारियों के वेतनमान और सेवा शर्तों की जांच करने के लिए अगस्त, 1983 में एक समिति गठित की गई थी।

(ग) जी, हां।

(घ) समिति ने अब तक अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह का भ्रमण नहीं किया है।

(ङ) और (च) समिति की पहली बैठक नई दिल्ली में 28 अप्रैल, 1984 को होने वाली है और उसके बाद समिति अपना भविष्य का कार्यक्रम तैयार करेगी।

अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में मध्याह्न भोजन योजना

8264. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **शिक्षा और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ राज्य क्षेत्र अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में मध्याह्न भोजन योजना चल रही है ;

(ख) इस योजना के अन्तर्गत कितने विद्यालय हैं और लाभान्वित होने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी है ;

(ग) इस योजना के अन्तर्गत प्रति छात्र व्यय कितना है ;

(घ) 31 मार्च, 1984 तक पिछले तीन वर्षों के दौरान कुल कितना भुगतान किया गया ;

(ङ) क्या सरकार योजना को अधिक अर्थपूर्ण बनाने के लिए धन-राशि बढ़ाने पर विचार करेगी ; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा सम्भव शीघ्र सभा पटल पर रख दी जाएगी।

मलेरिया उन्मूलन के लिए अतिरिक्त धनराशि का आबंटन

8265. **छोटू भाई गामित** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने हाल ही में मलेरिया उन्मूलन के लिए राज्यों को विशेष कर उन राज्यों को जहां परम्परागत रसायनों के प्रति रोगवाहकों के निरोधक हो जाने की रिपोर्ट मिली है, अतिरिक्त धन राशि आबंटित की है ; और

(ख) यदि हां, तो धनराशि आबंटन का ब्यौरा क्या है और उन राज्यों तथा उनके जिलों के नाम क्या है जहां चालू वित्त वर्ष के दौरान मेलाथियोन का छिड़काव किया जाएगा?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा मलाथियन 25 प्रतिशत डब्ल्यू डी० पी० (ऐसे क्षेत्रों में इस्तेमाल की जाने वाली कीटनाशक औषधि जहां पर वैक्टर में डी० डी० टी० और बी० एच० सी० दोनों को हजम कर लेने की शक्ति आ गई हो) की खरीद के लिए शत-प्रतिशत केन्द्रीय सहायता दिए जाने संबंधी निर्णय के फलस्वरूप राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत इस कीटनाशी की लागत को पूरा करने के लिए 1983-84 के दौरान गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा और तमिलनाडु, सरकारों को 10.54 करोड़ रुपये की नकद सहायता दी गई थी। इसके अतिरिक्त केन्द्र ने इन राज्यों के साथ-साथ दूसरे राज्यों अर्थात् पंजाब, कर्नाटक, और केन्द्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली को भी मलाथियन 25% डब्ल्यू० डी० पी० की सप्लाई की थी। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान भी मलाथियन 25 प्रतिशत डब्ल्यू० डी० पी० के खर्च को पूरा करने के लिए पर्याप्त प्रावधान करने का प्रस्ताव किया गया है।

इन राज्यों केन्द्र शासित प्रदेशों के निम्नलिखित जिलों में मलाथियन का छिड़काव किया गया है अथवा करने का विचार है।

1. गुजरात :—वाडोदरा, पंचमहल, सूरत, बलसार, भड़ोंच, डांग, अमरेली और जूनागढ़।

2. हरियाणा :—अम्बाला, फरीदाबाद, गुड़गांव, जींद, करनाल, कुरुक्षेत्र, रोहतक और सोनीपत।

3. कर्नाटक :—हसन, तुमकुर और चिकमंगलूर।

4. महाराष्ट्र :—जलगांव-I, जलगांव-II, ढोल, नासिक, थापे, पालघर और रेगाड़।

5. तमिलनाडु :—जिला स्वास्थ्य इकाइयां—
तिरुवन्नमलाई, कल्लाकुरिची, धर्मपुरी, तिरुचेन्गोदे और काकिकोद।

6. पंजाब :—पटियाला और संगरूर।

7. केन्द्र शासित क्षेत्र दादरा और नगर हवेली।

रेल सेवा आरम्भ करने के लिए मापदंड

8266. **श्री भीखा भाई** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980 से कितनी नई रेलगाड़ियों को आरम्भ किया गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि उन स्थानों के लिए नई रेल सेवायें आरम्भ की गई हैं जहां पहले ही से अच्छी रेल सुविधाएं मौजूद है ;

(ग) यदि हां, तो ऐसी रेल सेवायें आरम्भ किए जाने के कारण क्या हैं ; और

(घ) रेलगाड़ियां आरम्भ करने के लिए क्या मापदंड अपनाए गए हैं ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) 1980-81 से 1983-84 तक चलाई गयी सवारी गाड़ियों (उपनगरीय को छोड़कर) की संख्या इस प्रकार है :—

वर्ष	चलाई गयी गाड़ियों की संख्या
1980-81	84
1981-82	44
1982-83	61
1983-84	141

(ख) से (घ) यातायात के औचित्य, कोचिंग स्टाक, रेल इंजन, लाइन क्षमता और टर्मिनल सुविधाओं आदि की उपलब्धता पर विचार करने के पश्चात् नयी गाड़ियों को चलाया जाता है।

अहमदाबाद और उदयपुर के बीच चलने वाली गाड़ियों के समय का चेतक एक्सप्रेस और मारवाड़ जंक्शन ट्रेन के साथ तालमेल करना

8267. **श्री भीखा भाई** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अहमदाबाद और उदयपुर के बीच चलने वाली गाड़ियों के समय को इस प्रकार निर्धारित किया गया है कि चेतक एक्सप्रेस और मारवाड़ जंक्शन ट्रेन के साथ उनका तालमेल हो सके ; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) 85/86 अहमदाबाद-उदयपुर सिटी एक्सप्रेस उदयपुर में दोनों तरफ से 15/16 उदयपुर—दिल्ली चेतक एक्सप्रेस के साथ मेल लेती है। 86 डाउन अहमदाबाद—उदयपुर सिटी एक्सप्रेस उदयपुर में 220 डाउन उदयपुर सिटी—मारवाड़ पैसेंजर से भी मेल लेती है। लेकिन, 219 अप मारवाड़ जंक्शन—उदयपुर पैसेंजर 85 उदयपुर सिटी—अहमदाबाद एक्सप्रेस के साथ मेल नहीं लेती है। इन दो गाड़ियों के बीच मेल का प्रावधान करने के लिए मारवाड़ जंक्शन से 219 मारवाड़ उदयपुर पैसेंजर को सवेरे छूटना होगा जो व्यावहारिक नहीं है क्योंकि इससे मारवाड़ में अनुरक्षण का समय कम हो जाएगा।

मध्यप्रदेश में पश्चिमी जर्मनी की सहायता से पोलिटेक्निक की स्थापना

8268. **श्री बाबू राव परांजपे** : क्या **शिक्षा और संस्कृति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश में पश्चिम जर्मनी की सहायता से एक पोलिटेक्निक स्थापित करने का प्रस्ताव अभी भी विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां तो, उक्त संस्थान द्वारा कब तक कार्य आरम्भ किए जाने की सम्भावना है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों की राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) जी, नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय परिसर में एक परमाणु अनुसंधान केन्द्र की स्थापना

8269. **डा० ए० यू० आजमी** : क्या **शिक्षा और संस्कृति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय परिसर में अनुसन्धान के लिए एक परमाणु विज्ञान केन्द्र स्थापित करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर कितना धन व्यय किया जाएगा ; और

(ग) इसके प्रस्तावित ढांचे तथा उद्देश्य का ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मंत्री(श्रीमती शीला कौल) : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालय क्षेत्र में एक परमाणु विज्ञान केन्द्र स्थापित करने का एक प्रस्ताव अनुमोदित किया है, जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के परिसर में स्थित होगा।

(ख) छठी योजना में परियोजना की अनुमानित लागत 2.66 करोड़ रुपये है और सातवीं योजना में 11.30 करोड रुपये है।

(ग) यह केन्द्र, विश्वविद्यालयों और संस्थाओं के एक संघ द्वारा संचालित होगा। यह भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, औषधी और विभिन्न प्रायोज्यताओं के कुछेक क्षेत्रों में अनुसंधान के लिए सुविधाएं प्रदान करेगा। केन्द्र वैज्ञानिक और तकनीकी जनशक्ति के सन्तुलित विकास को भी सुनिश्चित करेगा और सीमान्त क्षेत्रों में कुछेक अन्तरालों को दूर करने में सहायता करेगा।

ग्रामीण स्वास्थ्य मार्गदर्शक योजना तथा बहु-उद्देशीय कामगार योजना के लिए दी गई केन्द्रीय सहायता का उपयोग

8270. **श्रीमती कृष्णा साही** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण स्वास्थ्य मार्गदर्शक योजना और बहु-उद्देशीय कामगार योजना के अन्तर्गत राज्यों को दी गई केन्द्रीय सहायता का राज्यों द्वारा उपयोग किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य सरकारों ने केन्द्रीय सहायता के उपयोग प्रमाणपत्रों को भेज दिया है ;

(ग) क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय द्वारा ग्रामीण स्वास्थ्य मार्गदर्शकों की नियुक्ति के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया है ; और

(घ) यदि हां, तो उसकी क्या उपलब्धि हुई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) हां ।

(ख) राज्य सरकारें केवल व्यय रिपोर्टें भेजती हैं। भारत सरकार द्वारा दी गई राशि अस्थायी होती है जिसका समायोजन सम्बन्धित महालेखाकार द्वारा व्यय के लेखा परीक्षित आंकड़ों के आधार पर किया जाता है।

(ग) और (घ) वैकल्पिक योजना द्वारा कवर किए गए राज्यों अर्थात् जम्मू व कश्मीर, केरल, तमिलनाडु और अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को स्वास्थ्य गाइड योजना के अन्तर्गत कवर करने का लक्ष्य है। इस योजना के अन्तर्गत 4810 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र लाने का लक्ष्य रखा गया है जिसमें से 31-3-1984 तक 4523 केन्द्रों को कवर किया जा चुका है। आशा है कि बिहार के शेष 287 केन्द्र चालू वर्ष के दौरान कवर कर लिए जाएंगे।

नौ राज्यों में अध्यापकों की नियुक्ति

8271. **श्री मोती भाई आर० चौधरी :**

श्री भीम सिंह :

श्री रवीन्द्र वर्मा :

क्या **शिक्षा और संस्कृति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 3 फरवरी, 1984 के दैनिक "जनसत्ता" में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि नौ राज्यों में 26 हजार अध्यापकों तथा अध्यापिकाओं की नियुक्ति पर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में उन राज्य सरकारों से कोई बातचीत की है तथा उन राज्यों के क्या नाम हैं ; और

(ग) उस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालय की राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) शिक्षा मन्त्रालय ने 1983-84 से 1986-87 तक की अवधि के दौरान 26,000 प्राथमिक स्कूलों में महिला अध्यापकों की नियुक्ति के लिए शैक्षिक रूप से पिछड़े नौ राज्यों आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, जम्मू व काश्मीर, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल को सहायता प्रदान करने के लिए एक योजना बनाई थी। छठी योजना के दौरान इस योजना को 80 : 20 की भागीदारी के आधार पर कार्यान्वित करने और तत्पश्चात् सातवीं योजना के दौरान इसको कार्यान्वित करने के लिए पुन: विचार करने का निर्णय किया गया था। सम्बन्धित राज्यों के परामर्श से

यह निर्णय किया गया था कि 1983-84 में इस योजना के अन्तर्गत केवल 2000 शिक्षकों को नियुक्त करना सम्भव था और ग्राह्य केन्द्रीय सहायता मुक्त की गयी थी।

रेल दुर्घटनाओं को रोकने के सम्बन्ध में हाल के निर्णय

8272. **श्री मोती भाई आर० चौधरी :**

श्री भीम सिंह :

श्री रवीन्द्र वर्मा :

क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके द्वारा हाल में क्षेत्रीय महाप्रबन्धकों और रेलवे बोर्ड की लखनऊ बुलाई गयी बैठक में बढ़ती हुई रेल दुर्घटनाओं को रोकने के लिए की जाने वाली कार्यवाही के बारे में कोई निर्णय किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उन कार्यवाहियों को क्रियान्वित किए जाने सम्बन्धी योजना का ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी०ए० गनी खान चौधरी) : (क) से (ग) यद्यपि 1982-83 की तुलना में 1983-84 के दौरान गाड़ी दुर्घटनाओं की संख्या में कमी आई है, फिर भी, संरक्षा कार्य निष्पादन की समीक्षा करने और दुर्घटना निरोधक प्रयासों को और कारगर बनाने के लिए रेल मन्त्री द्वारा महा प्रबंधकों और रेलवे बोर्ड के अधिकारियों की बैठक आयोजित की गयी थी। जिन महत्वपूर्ण उपचारात्मक उपायों के बारे में बैठक में विचार किया गया, वे इस प्रकार थे :—

1. उपयुक्त स्तर पर दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदारी निर्धारित करना।
2. गहन निरीक्षणों के द्वारा क्षेत्र में कार्य करने वाले कर्मचारियों के बीच संरक्षा की भावना जागृत करने हेतु अभियान चलाना।
3. अधिकारियों और पर्यवेक्षकों द्वारा प्रभावी एवं पर्याप्त निरीक्षणों पर निगरानी रखना।
4. संरक्षा सम्बन्धी अनुदेशों के कार्यान्वयन की वास्तविक स्तर पर निगरानी करना।
5. रेल संरक्षा आयुक्तों की सिफारिशों की समीक्षा करना।
6. रनिंग रूमों की हालत में सुधार करना।

'वेस्टीब्यूल कनक्शन रहित' मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों के प्रत्येक प्रथम श्रेणी तथा स्लीपर कोच में कन्डक्टरों की व्यवस्था करना

8273. **श्री बाला साहिब पवार** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 'वेस्टीब्यूल कनेक्शन रहित' पैसेंजर/मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों के प्रथम श्रेणी के कोचों तथा स्पीलरों के प्रत्येक कोच तथा स्लीपर के लिए पृथक कन्डक्टर की व्यवस्था नहीं होने के कारण अत्यधिक असुविधाओं का सामना करना होता है तथा सभी यात्रियों की जांच करना भी संभव नहीं होता है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का इस प्रकार की गाड़ियों के प्रत्येक प्रथम श्रेणी के कोच तथा स्लीपर में कन्डक्टर की व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव है ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) वर्तमान अनुदेशों के अनुसार उन मेल और एक्सप्रेस गाड़ियों में, जिनके पहले दर्जे के पांच से अधिक सवारी डिब्बों की देखभाल करनी पड़ती है, दो संवाहक होने चाहिए और जिन गाड़ियों में पांच तक सवारी डिब्बे होते हैं उनमें एक संवाहक होने चाहिए और जिन गाड़ियों में पांच तक सवारी डिब्बे होते हैं उनमें एक संवाहक होता है। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक गैर-गलियारेदार दूसरे दर्जे के सवारी डिब्बों के लिए एक सवारी डिब्बा परिचर की व्यवस्था की गयी है। जब सवारी डिब्बे गलियारेदार होते हैं, तो इस प्रकार के दो सवारी डिब्बों के लिए एक परिचर की व्यवस्था की गयी है। इसी प्रकार प्रत्येक गैर-गलियारेदार दूसरे दर्जे के शयानयान के लिए एक चल टिकट परीक्षक तथा इस प्रकार के दो सवारी डिब्बों के लिए जब गलियारेदार हों तो एक टिकट परीक्षक की व्यवस्था की गयी है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

रेलवे बोर्ड में निम्न श्रेणी लिपिकों की वरीयता सूची

8274. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या **रेल मन्त्री** रेलवे बोर्ड में निम्न श्रेणी लिपिकों की वरीयता सूची के बारे में 15 मार्च 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3132 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे बोर्ड के कार्यालय में इस समय उच्च श्रेणी लिपिकों के कितने पद रिक्त पड़े हैं :

(ख) वर्ष 1973 और 1976 से निरन्तर कार्यरत निम्न श्रेणी लिपिक पदोन्नति के लिए विचारित होने हेतु किस तारीख से पात्र माने जायेंगे और इस समय वे योग्यता के लिए निर्धारित मानदण्डों के अन्तर्गत पदोन्नति की कौन सी शर्तें पूरी नहीं करते हैं ;

(ग) क्या 1975-76 में सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबन्ध संस्थान के माध्यम से नियुक्त निम्न श्रेणी लिपिकों की पदोन्नति के अलावा अन्य स्रोतों से नियुक्त निम्न श्रेणी लिपिकों को भी पदोन्नत कर दिया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका अलग-अलग ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) इस समय इस मन्त्रालय में उच्च श्रेणी लिपिक के ग्रेड के 12 पद रिक्त पड़े हैं।

(ख) 1973 और 1976 में सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबन्ध संस्थान (अब कर्मचारी चयन

आयोग) के माध्यम से नियमित आधार पर भर्ती किए गए निम्न श्रेणी लिपिकों को उच्च श्रेणी लिपिक के रूप में पदोन्नत कर दिया गया है। हिन्दी टंकण जानने वाले निम्न श्रेणी लिपिक, जिन्हें 1973 और 1976 में तदर्थ आधार पर भर्ती किया गया था और नवम्बर, 1981 में इसी ग्रेड में इस मंत्रालय में समाहित किया गया था। निम्न श्रेणी लिपिक की 3 वर्ष की अनुमोदित सेवा के बाद तदर्थ आधार पर तथा 8 वर्ष की अनुमोदित सेवा के पश्चात् नियमित आधार पर उच्च श्रेणी लिपिक के रूप में, अपनी वरिष्ठता के अनुसार और अनुपयुक्त होने पर अस्वीकृत की शर्तों के अध्याधीन पदोन्नति के पात्र होंगे।

(ग) जी, हां।

(घ) 1973-76 में सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबन्ध संस्थान के माध्यम से भर्ती किए गए 83 निम्न श्रेणी लिपिकों तथा क्षेत्रीय रेलों से लिए गए 32 निम्न श्रेणी लिपिकों को उनकी बारी पर उच्च श्रेणी लिपिक के रूप में तदर्थ आधार पर पदोन्नत कर दिया गया है।

भारतीय विदेश सेवा (ख) के लिए पदोन्नति सूची

8275. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय विदेश सेवा (ख) हेतु पदोन्नति के बारे में सूची जारी करने में असाधारण विलम्ब के कारण व्यापक असन्तोष व्याप्त है ;

(ख) क्या इस प्रकार का विलम्ब केवल भारतीय विदेश सेवा (ख) के मामले में ही होता है और भारतीय विदेश सेवा (क) की पदोन्नति सूची तत्परता से और समय पर जारी कर दी जाती है ; और

(ग) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कि भारतीय विदेश सेवा (ख) की पदोन्नति सूची भी समय पर जारी की जाये, क्या उपचारात्मक कदम उठाने का विचार है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) विदेश मन्त्रालय की संयुक्त सलाहकार समिति की क्षेत्रीय परिषद के कर्मचारी पक्ष की ओर से यह कहा गया है कि भारतीय विदेश सेवा (ख) के पदोन्नति पैनल जारी करने में विलम्ब होता है।

(ख) पदोन्नति पैनल तैयार करने में भारतीय विदेश सेवा (क) और भारतीय विदेश सेवा (ख) दोनों में विलम्ब हुआ है।

(ग) भारतीय विदेश सेवा (ख) के पदोन्नति पैनल के मामले में आम तौर पर विलम्ब का एक कारण तो यह रहा है कि इसके लिए विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक जरूरी होती है जो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा बुलाई जाती है, दूसरे अद्यतन गोपनीय रिपोर्टें उपलब्ध नहीं हो पातीं और तीसरे इस बात की भी जानकारी नहीं रह पाती कि रिक्तियों की ठीक-ठीक संख्या क्या है। ये विलम्ब इस तन्त्र और प्रक्रिया में ही निहित हैं। इनमें से कई बातें भारतीय विदेश सेवा (क) पर लागू नहीं होतीं, जो अपेक्षाकृत बहुत छोटा संवर्ग है। इस बात के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि पैनल तैयार करने में कम से कम विलम्ब हो।

त्रिवेन्द्रम-एर्णाकुलम लाइन पर प्लेटफार्म बनाने और स्टेशन भवनों का आधुनिकीकरण

8276. **श्री ए० नीला लोहित दसन नाडार** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिणी क्षेत्र रेल प्रयोक्ता परामर्श समिति की बैठक में त्रिवेन्द्रम-एर्णाकुलम लाइन पर प्लेटफार्म बनाने और स्टेशन भवनों के आधुनिकीकरण का मामला उठाया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उन पर कार्यवाही की गई है ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) दक्षिण क्षेत्रीय रेल उपयोकर्त्ता परामर्श समिति में सन् 1981 से ऐसा कोई मामला नहीं उठाया गया है। बहरहाल, 8-2-1984 को आयोजित रेल मन्त्रालय के लिए संसद सदस्यों की परामर्श समिति की बैठक में बहस के लिए इस आशय का एक सुझाव प्राप्त हुआ था कि हालांकि तिरुवनन्तपुरम एर्णाकुलम लाइन को बड़ी लाइन में बदल दिया गया है लेकिन इस लाइन के प्लेटफार्मों को बड़ी लाइन की जरूरतों के अनुसार ऊंचा नहीं किया गया है तथा इनमें तदनुसार सुधार नहीं किया गया है और स्टेशन भवनों में भी सुधार नहीं किया गया है।

ऊंचे किये गये प्लेटफार्मों और स्टेशन भवनों के पुनर्निर्माण/सुधार से सम्बन्धित स्थिति निम्न प्रकार है :—

तिरुवनन्तपुरम-एर्णाकुलम खण्ड के ऐसे सभी महत्वपूर्ण स्टेशनों पर जहां मेल/एक्सप्रेस गाड़ियां रुकती हैं, बड़ी लाइन के स्तर के अनुरूप कम-से-कम एक ऊंचे सतह वाले प्लेटफार्म की व्यवस्था की गई है। तिरुवल्ला, कायनकुलम और चेंगन्नूर स्टेशनों में अभी हाल ही में अतिरिक्त प्लेटफार्म बनाये गये हैं जबकि मावेलिकारा, चेंगूनाचेरी और पिरवम रोड पर अतिरिक्त प्लेटफार्मों की सतहों को ऊंचा करने का काम चल रहा है। इन निर्माण कार्यों के पूरा हो जाने पर उन सभी महत्वपूर्ण स्टेशनों पर जहां मेल/एक्सप्रेस गाड़ियां रुकती हैं, दोनों प्लेटफार्म ऊंची सतह वाले हो जायेंगे।

जहां तक स्टेशनों के पुनर्निर्माण का सम्बन्ध है, तिरुवनन्तपुरम-एर्णाकुलम खण्ड का आमान परिवर्तन करते समय निम्नलिखित स्टेशनों का पुनर्निर्माण किया गया था :—

1. विरयिकिल
2. कडकावूर
3. वर्कला
4. परवूर
5. कोल्लय

निम्नलिखित स्टेशनों की स्टेशन इमारतों में भी सुधार किया गया है :—

1. चेंगन्नूर

2. कोट्टयम

3. एर्णाकुलम टाउन

4. एर्णाकुलम जं०

5. तिरुवल्ला

तिरुवल्ला, चेंगन्नाचेरी और मावेलिकारा पर आगे और सुधार करने से सम्बन्धित निर्माण कार्यों को निष्पादन करने के लिए भी अनुमोदित किया जा चुका है और पहले में निर्माण कार्य पहले से ही हो रहा है।

भारत-सिंगापुर सम्बन्ध

8277. **श्री बी० वी० देसाई :**

श्री एम० बी० चन्द्रशेखर मूर्ति :

क्या विदेश मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और सिंगापुर इस बात पर सहमत हो गए हैं कि कम्पूचिया पर उनके भिन्न दृष्टिकोण दोनों देशों के मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम करने में बाधक नहीं होने चाहिए ;

(ख) क्या भारत के विदेश सचिव और सिंगापुर के उप-प्रधानमन्त्री तथा विदेश मन्त्री के बीच इस मामले पर बातचीत हुई है ;

(ग) यदि हां, तो बातचीत के क्या परिणाम निकले ; और

(घ) भारत और सिंगापुर सरकार के साथ किस सीमा तक सम्बन्ध सुधारने पर सहमत हुआ है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) जी, हां।

(ख) विदेश मन्त्रालय में सचिव (पूर्व) श्री के० नटवर सिंह ने मार्च, 1984 में सिंगापुर की अपनी राजकीय यात्रा के दौरान उप प्रधानमन्त्री श्री राजरत्नम और विदेश मन्त्री श्री धनबलन तथा सिंगापुर सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मुलाकात की और उनके साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय मसलों पर विचार-विमर्श किया जिनमें कम्पूचिया का मसला भी शामिल है।

(ग) और (घ) यह विचार-विमर्श सौहार्दपूर्ण और मैत्रीपूर्ण वातावरण में हुआ। दोनों देशों ने यह स्वीकार किया कि यद्यपि कम्पूचिया के सम्बन्ध में उनके विचार और राष्ट्रीय स्थितियां अलग-अलग हैं लेकिन इससे उनके मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। इस विचार-विमर्श के परिणाम-स्वरूप दोनों देशों के सम्बन्धों में बहुत सुधार हुआ है और उम्मीद की जाती है कि द्विपक्षीय सहयोग और बढ़ेगा।

लेटेक्स प्रौद्योगिकी विदों की नियुक्ति के बारे में हिन्दुस्तान लेटेक्स लेबर यूनियन का अनुरोध

8278. **श्री ए० नीला लोहित दसन नाडार** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान लेटेंक्स लेबर यूनियन ने उत्पादों की किस्म में सुधार हेतु अनुसन्धान और विकास अनुभाग को सक्रिय बनाने के लिए वरिष्ठ प्रबन्धकीय सवर्ग में "लेटेक्स प्रौद्योगिकी विद" नियुक्त करने हेतु सरकार से अनुरोध किया था ; और

(ख) यदि हां, तो इस अनुरोध का क्या ब्यौरा है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में **राज्य मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई)** : हिंदुस्तान लेटेक्स लेबर यूनियन ने हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड, त्रिवेन्द्रम के अनुसन्धान और विकास अनुभाग में एक अनुभवी और अर्हता प्राप्त लेटेक्स प्रौद्योगिकी को नियुक्त करने का सुझाव दिया है। हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड ने बताया है कि उन्होंने तकनीकी प्रबन्धक के पद को विज्ञापित करने के लिए कार्यवाही कर दी है।

उत्तर रेलवे के जाखल-भटिण्डा अनुभाग में मानसा और सदासिंहवाला के बीच रेल पटरी का उड़ाया जाना

8279. **श्री बी० वी० देसाई** :

श्री अर्जुन सेठी :

श्री एन० ई० होरो :

श्री के० प्रधानी :

क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 23 मार्च, 1984 को उत्तर रेलवे के जाखल भटिण्डा अनुभाग में मंसा और सदासिंहवाला स्टेशनों के बीच उग्रवादियों ने रेल पटरी को उड़ाया था ;

(ख) यदि हां, तो घटना का ब्यौरा क्या है ;

(ग) उग्रवादियों ने पिछले तीन वर्षों के दौरान रेलवे में तोड़फोड़ की इस प्रकार की कितनी घटनाएं की हैं ;

(घ) क्या उग्रवादियों द्वारा रेल पटरी उड़ाने की घटनाओं में वृद्धि हो रही है ; और

(ङ) यदि हां, तो इनकी रोकथाम के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है और रेलवे ने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए हैं ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) जी, हां। 23-3-84 को लगभग 2 बजकर 20 मिनट पर कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा मानसा और सदासिंहवाला स्टेशनों के बीच के रेलपथ को उड़ा दिया गया था। मानसा के रेलपथ निरीक्षक ने घटना-स्थल की जांच की थी और यह पाया कि कि०मी०सं० 248/11-12 के बीच रेलपथ को क्षति पहुंची थी। काष्ठ स्लीपर और बेयरिंग प्लेट टूटी हुई पाई गयीं और रेलपथ सामग्री का एक छोटा सा लोहे का टुकड़ा कुछ दूरी पर पड़ा हुआ पाया गया। जली हुई तारों के कुछ टुकड़े तथा स्थल के नजदीक गुरुमुखी लिपि में 4 पोस्टर भी पाए गए। भारतीय रेल अधिनियम की धारा 126 के अधीन राजकीय रेलवे पुलिस, भटिण्डा ने दिनांक 23-3-84 को मामला सं० 56 दर्ज किया है और जांच-पड़ताल कर रही है।

(ग) पिछले 3 महीनों के दौरान उत्तर रेलवे पर ऐसे केवल 2 मामलों का पता चला है।

(घ) जी, हां।

(ङ) उग्रवादियों की गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

(1) चौबीसों घण्टों के दौरान रेल सुरक्षा योजना आरम्भ की गई है।

(2) गैंगमैनों तथा पंजाब होम गार्ड द्वारा रेलपथ पर चौबीसों घण्टों गश्त लगाना।

(3) प्रभावित खण्डों पर गश्त करने वाले गैंगमैनों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रात्रि के दौरान राजकीय रेलवे पुलिस के कर्मचारियों को भी रेलपथ की गश्त पर लगाया गया है।

(4) पुलिस और सिविल प्राधिकारियों के साथ निकट सम्पर्क बनाए रखा जा रहा है।

(5) फिश बोल्टस को चपटा करके तोड़-फोड़ रोधी उपाय अपनाए गए हैं।

(6) राजकीय रेलवे पुलिस, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा गाड़ियों का मार्गरक्षण भी किया जा रहा है और जहां आवश्यक होता है वहां इस प्रयोजन के लिए रेल सुरक्षा बल के कर्मचारियों की व्यवस्था भी की जाती है।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के टेलीफोन आपरेटर्स

8280. **श्री दया राम शाक्य** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे उन टेलीफोन आपरेटर्स पदोन्नति के लिए जो कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हैं, 40 सूत्री रोस्टर कार्यान्वित कर दिया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) टेलीफोन आपरेटर्स की ग्रेड-वार और डिवीजन-वार संख्या क्या है और उसमें से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की संख्या क्या है ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) पदोन्नति कोटि में, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की संख्या को मिलाकर टेलीफोन आपरेटरों की कुल संख्या ग्रेडवार और मण्डलवार नीचे दी गई है :—

मण्डल	ग्रेड	स्वीकृत संख्या	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
दिल्ली	550-750 रु०	9	2	—
	425-700 रु०	17	2	—
	330-560 रु०	55	9	—
मुरादाबाद	550-750 रु०	2	1	1
	425-700 रु०	4	—	—
	330-560 रु०	13	2	2
इलाहाबाद	550-750 रु०	4	—	—
	425-700 रु०	7	2	—
	330-560 रु०	24	5	—
फिरोजपुर	550-750 रु०	4	1	1
	425-700 रु०	8	1	1
	330-560 रु०	27	5	2
लखनऊ	550-750 रु०	5	—	—
	425-700 रु०	8	1	—
	330-560 रु०	27	1	1
बीकनेर	550-750 रु०	1	—	—
	425-700 रु०	1	—	—
	330-560 रु०	4	1	—
जोधपुर	550-750 रु०	1	—	—
	425-700 रु०	1	—	—
	330-560 रु०	3	1	—

रेलवे बोर्ड का कार्यालय में नि:संवर्ग पदों के लिए कर्मचारियों का चयन

8281. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड ने बोर्ड के कार्यालय के लगभग 100 कर्मचारियों के जो पिछले चार से अधिक वर्षों से नि:संवर्ग पदों पर कार्य कर रहे हैं प्रत्यावर्तन हेतु अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इन पदों का चयन कब तक किए जाने की सम्भावना है ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी, हां । यह निर्णय लिया गया है कि इस मन्त्रालय में 4 वर्ष की अवधि से अधिक संवर्ग-बाह्य पदों पर कार्य कर रहे कर्मचारियों को अपने मूल संवर्गों में प्रत्यावर्तन कर दिया जाए ।

(ख) इस मन्त्रालय के संवर्ग-बाह्य पदों के लिए नये चयन को तभी हाथ में लिया जाएगा जब इस नीति के विरुद्ध रेलवे बोर्ड मिनिस्टियल स्टाफ एसोसिएशन से प्राप्त अभ्यावेदन का निपटारा हो जाएगा ।

नए केन्द्रीय विद्यालय खोलना

8282. **श्री लक्ष्मण मलिक** :

श्री गुलाम मोहम्मद खां :

श्री चिन्ता मणि जैना :

क्या **शिक्षा और संस्कृति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने 1982-83 के दौरान केन्द्रीय विद्यालय संगठन के के माध्यम से देश के कई भागों में हाल ही में कई केन्द्रीय विद्यालय खोले हैं ; और

(ख) यदि हां, तो 1982-83 के दौरान खोले गए विद्यालयों का राज्यवार और जिलावार ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में उप मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी, हां ।

(ख) वर्ष 1982-83 के दौरान देश में खोले गए 38 केन्द्रीय विद्यालयों के स्थानों को दर्शाने वाला विकरण संलग्न है ।

विवरण

आन्ध्र प्रदेश

1. बेगमपीठ, जिला हैदराबाद,

असम

2. नामरूप, जिला डिबरूगढ़

3. कुम्भीग्राम, जिला सिल्चर, बिहार

बिहार

4. मोकमाघाट, जिला पटना

गुजरात

5. दन्तीवादा, जिला बानस कान्थां

6. वडसार, जिला मेहसाना

7. बडोदरा, जिला बडोदरा

हरियाणा

8. सिरसा, जिला सिरसा

हिमाचल प्रदेश

9. बाकलोह, जिला चम्बा

कर्नाटक

10. बी० ई० एम० एल० नगर, जिला कोलर

मध्य प्रदेश

11. रायपुर, जिला रायपुर

12. रीवा, जिला रीवा

13. जबलपुर, जिला जबलपुर

महाराष्ट्र

14. वारंगांव, जिला जलगांव

15. पूणे, जिला पूणे

16. देवलाली, जिला नासिक

मणिपुर

17. इम्फाल, जिला मणिपुर केन्द्रीय

उड़ीसा

18. भुवनेश्वर, जिला पुरी,

19. राउरकेला, जिला सुन्दरगढ़।

राजस्थान

20. जयपुर,

21. उदयपुर, जिला उदयपुर।

22. उत्तरलाई, जिला बारमेड़

23. जलिपा छावनी, जिला बारमेड़

उत्तर प्रदेश

24. मुक्तेश्वर, जिला नैनीताल

25. बनवासा, जिला नैनीताल

26. बमरौली, जिला इलाहाबाद

27. कानपुर कैन्ट, कानपुर

28. शाहजहांन पुर, जिला शाहांजानपुर

29. रैवाला, जिला सहारनपुर

30. हिंडन, जिला गाजियाबाद

पश्चिम बंगाल

31. खारीमाला, जिला कूच बिहार

32. कलकत्ता

33. कनंकीनारा, 24 परगना

34. फरूका, जिला मुरशीदाबाद

35. अलीपुर, जिला कलकत्ता

दिल्ली

36. शालीमार बाग

37. तुगलकाबाद

गोवा दमन और दीव

मंडोवी, वेरम

मध्य प्रदेश में ऐतिहासिक और धार्मिक स्मारकों का अनुरक्षण

8283. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के विदिशा और रायसेन जिलों के उन प्राचीन ऐतिहासिक और धार्मिक स्मारकों के नाम क्या हैं जिनकी देख भाल और अनुरक्षण केन्द्र सरकार पुरातत्व विभाग द्वारा किया जा रहा है ;

(ख) इन् स्मारकों के अनुरक्षण पर प्रतिवर्ष कितनी धनराशि खर्च की जाती है ;

(ग) इन स्थानों पर पर्यटकों के लिए सुविधाएं कराने हेतु पिछले वर्षों में किए गए विकास कार्य का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार इन सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार को कोई वित्तीय सहायता देती है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में उपमन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) मध्य प्रदेश के विदिशा और रायसेन जिलों के केन्द्रीय परिरक्षित प्राचीन ऐतिहासिक और धार्मिक संस्मारकों/स्थलों की एक सूची संलग्न है।

(ख) इन संस्मारकों के अनुरक्षण पर वर्ष 1982-83 के दौरान 1,15,451 रुपये और वर्ष 1983-84 (नवम्बर, 83 तक) के दौरान 53,645 रुपये की धनराशि खर्च की गई।

(ग) और (घ) ऐसी सुविधाएं पर्यटन विभाग द्वारा प्रदान की जाती हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने सभी स्थानों पर पेय जल की सुविधा प्रदान की है। सांची में शौच सुविधाएं भी हैं। विदिशा को मध्य प्रदेश भ्रमण परिपथ में शामिल कर लिया गया है जिसे पर्यटन विभाग ने केन्द्र, राज्य और निजी क्षेत्रों के माध्यम से धन की उपलब्धता के आधार पर चरणबद्ध रीति से समन्वित विकास के लिए मान्यता दे दी है राज्य सरकार के अनुरोध पर पर्यटन विभाग द्वारा विशिष्ट परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है।

विवरण

क्र०सं०	अवस्थिति	संस्मारक/स्थल का नाम
	रायसेन जिला	
1.	भोजपुर	शैव मन्दिर
2.	रायसेन	किला
3.	सांची	बौद्ध संस्मारक
4.	सेनारि	बौद्ध स्तूप
5.	बावलिया और हकीमखेड़ी	बौद्ध स्तूप और अवशेष
6.	मुरेल खुर्द	बौद्ध स्तूप
	विदिशा जिला	
7.	बढोह	दशावतार मन्दिर
8.	बढोह	गदरमल मन्दिर
9.	बढोह	जैन मन्दिर
10.	बेसनगर	प्राचीन स्थल
11.	बेसनगर	खम्भ बाबा (हेलीडोरस स्तंभ)
12.	ग्यारसपुर	अठखंभा
13.	ग्यारसपुर	बज्रमठ
14.	ग्यारसपुर	बौद्ध स्तूप
15.	ग्यारसपुर	हिंडोला तोरण
16.	ग्यारसपुर	मालादेवी मन्दिर
17.	पठारी	भीमगज
18.	पठारी	गुफाएं
19.	उदयगिरि	गुफाएं 1 से 20 तक
20.	उदयगिरि	गुप्तकालीन मन्दिरों के अवशेष
21.	उदयपुर	वड़ खम्बी
22.	उदयपुर	उदयेश्वर महादेव मन्दिर
23.	विदिशा	बीजमण्डल मस्जिद
24.	विदिशा	लोहंगी पहाड़ी का शीर्ष

मध्य प्रदेश के सामाजिक संगठनों को वित्तीय सहायता

8284. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के उन सामाजिक संगठनों के नाम क्या है, जिन्हें प्रतिवर्ष केन्द्रीय सरकार से वित्तीय सहायता मिलती है ; और

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान उन्हें वर्षवार कितनी धनराशि स्वीकृत की गई?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में उप मन्त्री (श्री पी के थुंगन) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

नीलाचल एक्सप्रेस में वातानुकूलित 2-टियर स्लीपर कोच को जोड़ना

8285. **श्री चिन्तामणि जैना** : क्या तेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्थान की अत्यधिक कमी को ध्यान में रखते हुए 175/76 नीलाचल एक्सप्रेस के साथ एक और वातानुकूलित 2-टियर स्लीपर कोच को जोड़ने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्री (श्री ए०बी०ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

विश्वविद्यालय स्तर की पाठ्य पुस्तकों का क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशन

8286. **श्री के०ए० स्वामी** : क्या शिक्षा और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय स्तर की पाठ्य पुस्तकों के क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशन के लिए कोई कदम उठाए गए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री पी०के० थुंगन) : (क) जी, हां।

(ख) वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग ने विज्ञान, मानविकी, औषधि, कृषि, इंजीनियरी, फार्मेसी, पशु चिकित्सा विज्ञान आदि से सम्बधित 3,87,500 शब्द तैयार किए हैं। मंत्रालय की विभिन्न पुस्तक निर्माण एजेंसियों के माध्यम से हिन्दी तथा क्षेत्रीय भाषाओं में विज्ञान तथा मानविकी के विभिन्न विषयों से सम्बन्धित लगभग 7730 पुस्तकें भी प्रकाशित की गई हैं।

विवरण

पिछले तीन वर्षों की अवधि में मध्य प्रदेश के सामाजिक संगठनों के नाम और उनको विमुक्त की गई अनुदान की धनराशि

क्रम सं०	संगठनों का नाम	स्वीकृत की गई धनराशि (रुपयों में)		
		1981-82	1982-83	1983-84
	(क) अपंग व्यक्तियों के लिए सहायता की योजना			
1.	एम० पी० वेल्फेयर ऐसोसिऐशन फार दी ब्लाइंड, इन्दौर	1,38,315	1,31,400	3,05,403
2.	महेशदृष्टिहीन कल्याण संघ, इन्दौर	23,945	—	—
3.	ब्लाइन्ड एण्ड डिसेबल्ड वेल्फेयर चेरीटेबल ट्रस्ट, रेवा	1,00,000	1,00,00L	40,000
4.	ब्लाइन्ड रिसिफ ऐसोसिएशन, भोपाल	40,000	—	30,000
4.	फुल भोपाल (प्रोटेस्टैंरचर्च) मेल-भोपाल	—	44,703	74,232
6.	संजीवनी सेवा संघ, इन्दौर	—	—	1,00,000
	(ख) स्वयं सेवी संगठनों को संगठनात्मक सहायता की योजना			
1.	एम० पी० वेल्फेयर एसोसिएशन, इन्दौर	10,655	30,000	38,719
2.	कस्तूरबा गांधी नेशनल मेमोरियल ट्रस्ट, इन्दौर	30,000	30,000	—
	(ग) सहायक यंत्र/उपकरण खरीदने/फिटिंग के लिए अपंग व्यक्तियों को सहायता की योजना			
1.	इण्डियन रेड क्रास सोसायटी, एम० पी०, स्टेटस, रेड क्रास प्लाट, लिक रोड, नं० 2, शिवाजी नगर, भोपाल	2,00.000	—	—

2.	एम० पी० वेल्फेयर ऐसोसिएशन फार दी ब्लाइण्ड, इन्दौर	1,00,000	1,00.00	—
	(घ) संकटग्रस्त महिलाओं के पुनर्वास हेतु महिला प्रशिक्षण केन्द्र/संस्थान स्थापित करने की योजना			
1.	गायत्री हा० से० स्कूल एजूकेशनल सोसायटी, उज्जैन	26,460	—	—
2.	श्रीमद् दयानन्द वैदिक संस्थान, रायगढ़	29,160	—	—
	(ङ) अल्प आवास गृहों की योजना			
1.	ग्वालियर शार्ट स्टे होम, मध्य प्रदेश	59,309	73,029	83,00
	(च) देखभाल और सुरक्षा के जरूरतमंद बच्चों की कल्याण की योजना			
1.*	उषा किरन महिला सिलाई कढ़ाई और बाल कल्याण केन्द्र, इन्दौर			
2.*	बाल शिक्षा केन्द्र, इन्दौर			
3.*	मुनिसीपल कौंसिल, सेरोनी, एम० पी०			
4.*	वैदिक एजूकेशन सोसायटी, सिपत रोड, बिलासपुर, एम० पी०			
5.*	एम० पी० वन वासी सेवा मण्डल, महाराजपुर			
6.*	कस्तूरबा महिला उद्योग शिक्षा मण्डल, धार			
7.*	स्मृति बाल मन्दिर, बिलासपुर, मध्य प्रदेश			
8.*	महिला सभा भवन, खारगांव			

1	2	3	4	5
9.*	मुनिसीपल कौंसिल, गुना			
10.*	मुनिसीपल कौंसिल महासुमंद, रायपुर			
11.*	सरस्वति शिशु मन्दिर, दामोली	1,94,568*	2,60,713*	90,511*
12.*	एम० पी० वन वासी सेवा मण्डल, महाराजपुर			
13.*	बाल निकेतन संघ, इन्दौर			
14.*	श्रीमद् दयानन्द वैदिक मिशन, रायगढ़			
15.*	महिला सभा समिति, रेवा			
16.*	भारतीय ग्रामीण महिला संघ, इन्दौर			
17.*	महादेव बाल निकेतन लक्षमीगंज, ग्वालियर			
18.*	महिला सभा खारगांव निराश्रित बाल गृह, निरवार			
	(ख) बालवाड़ी पोषाहार कार्यक्रम			
1.	इण्डियन कौंसिल फार चाइल्ड वेल्फेयर हे० क्वाटर, नई दिल्ली			
2.	हरिजन सेवक संघ, हे० क्वाटर, नई दिल्ली			
3.	भारतीय आदिमजाति सेवक संघ, हे० क्वाटर, नई दिल्ली			

4. कस्तूरबा गांधी नेशनल मेमोरियल ट्रस्ट, हे० क्वाटर, इन्दौर

5. सेन्ट्रल सोशल वेल्फेयर बोर्ड, हे० क्वाटर, नई दिल्ली

---

*वर्ष 1981-82, 1982-83 और 1983-84 के दौरान स्वीकृत की गई सहायता की धनराशि को सभी 18 संगठनों में वितरित कर दिया गया था। इस योजना के अन्तर्गत इन 5 राष्ट्रीय स्तर के स्वयंसेवी संगठनों को देश में कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए सीधे ही सहायक अनुदान दिया जाता है। ये संगठन आगे-अपने राज्य/एककों/स्थानीय स्वयंसेवी संगठनों को मध्य प्रदेश सहित देश के विभिन्न भागों में बालवाड़ी केन्द्रों को चलाने के लिए अनुदान वितरित करते हैं।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के कार्यकरण की जांच हेतु उप-समिति की नियुक्ति

8287. **श्री मनोहर लाल सैनी :**

श्रीमती किशोरी सिन्हा :

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी :

क्या **शिक्षा और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कार्यकरण की जांच करने के लिए एक उप-समिति की नियुक्ति की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस समिति द्वारा अपना अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया गया है ;

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) उक्त प्रतिवेदन की मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) से (घ) जी, नहीं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के कार्यकरण की जांच करने के लिए कोई उप-समिति नियुक्त नहीं की थी। तथापि, आयोग ने जनवरी, 1982 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय सहित सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के कार्यकरण की जांच करने के लिए एक समिति नियुक्त की थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। सरकार को अभी रिपोर्ट की जांच करनी है और सिफारिशों पर दृष्टिकोण अपनाना है। समिति की रिपोर्ट सदस्यों के संदर्भ और उपयोग के लिए संसद पुस्तकालय में रख दी गई है।

दिल्ली परिवहन निगम का बेड़ा, ले जाये गए यात्रियों की संख्या, बसों का खराब होना, समयाबद्धता, दुर्घटनायें, घाटा, जलाई गई और क्षतिग्रस्त हुई बसें

8288. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** दिल्ली परिवहन निगम के बारे में गत दो वर्षों के दौरान वर्ष-वार वाहनों की कुल संख्या, ले जाये गए यात्रियों की कुल संख्या, बसों में खड़े होकर यात्रा करने वाले यात्रियों की औसत संख्या, बसों के रूट, प्रति 10,000 किलोमीटर खराब होने वाली बसों की संख्या, समयबद्धता प्रतिशतता (चलने और पहुंचने के समय), घातक दुर्घटनाओं की संख्या, हानि, जनता द्वारा जलाई गई या क्षतिग्रस्त बसों की संख्या सम्बन्धी जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे।

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : प्रश्न में निर्दिष्ट मदों के सम्बन्ध में उपलब्ध सूचना संलग्न विवरण में दी गयी है।

विवरण

क्रम संख्या	मद	1982-83	1983-84
1.	अंतिम तारीख को बसों का बेड़ा		
	दिल्ली परिवहन निगम	4044	4135
	प्राइवेट ओपरेटर	801	980
	कुल	4845	5115
2.	ले जाए गए कुल यात्रियों की संख्या (लाख)		
	दिल्ली परिवहन निगम	11066.31	11385.96
	प्राइवेट ओपरेटर	1476.64	2384.24
	कुल	12542.95	13770.20
3.	खड़े यात्रियों की औसत संख्या	22.4	21.6
4.	अंतिम तारीख को रूटों की संख्या		
	सिटी	581	621
	अंतर-राज्य	60	67
5.	प्रति 10000 कि०मी० पर ब्रेक डाउन		
	दिल्ली परिवहन निगम	4.08	3.76
	प्राइवेट ओपरेटर	6.30	4.13
	कुल	4.40	3.83
6.	घातक दुर्घटनाओं की संख्या		
	दिल्ली परिवहन निगम	219	228
	प्राइवेट ओपरेटर	23	23
	कुल	242	251
7.	हानि (करोड़ रुपये)		
	(क) कार्यकारी	31.82	43.82
	(ख) निवल	73.49	99.13

क्रम सं०	मद	1982-83	1983-84
8.	व्यक्तियों द्वारा जलाई गई या छतिग्रस्त बसें		
	(क) जलाई गई	6	4
	(ख) क्षतिग्रस्त	494	263

टिप्पणी : 1. नियमितता प्रतिशतता (प्रस्थान और आगमन) अर्थात् ट्रिपों के समय पर देरी से आगमन/प्रस्थान की प्रतिशतता की सूचना नहीं रखी जाती है।

2. खड़े होने वाले यात्रियों की औसत संख्या, बस में ले जाये जाने वाले यात्रियों की औसत संख्या में से औसत बैठक क्षमता अर्थात् 36 में कटौती लाकर पूरी कर ली गई है। बस में ले जाए जाने वाले यात्रियों की औसत संख्या का अनुमान, प्रतिशतता भार लक्ष्य द्वारा बस/यात्रियों के ले जाने की कुल क्षमता अर्थात् 66 को बढ़ाकर लगाया गया है।

विधि तथा संधि प्रभाग के अधिकारियों द्वारा विदेश यात्रा

8289. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मन्त्रालय के विधि और संधि प्रभाग के अधिकारियों ने पिछले तीन वर्षों के दौरान, कितनी बार विदेश यात्राएं कीं, प्रत्येक वर्ष में प्रत्येक अधिकारी ने कितनी बार विदेश यात्रा की और प्रत्येक अधिकारी प्रत्येक वर्ष कितने कितने दिन यात्रा पर रहा ;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन यात्राओं पर कुल कितना धन व्यय किया गया ; और

(ग) इनमें से कितने अधिकारियों द्वारा बार-बार यात्रा की गई है।

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए०ए० रहीम) : (क) 1981 के दौरान विधि एवं संधि प्रभाग के 9 अधिकारियों ने कुल 444 दिन की अवधि के लिए 23 बार विदेशों की यात्रा की जिसका ब्यौरा संलग्न विवरण I में दिया गया है।

1982 के दौरान 6 अधिकारी कुल 333 दिन के लिए 15 बार विदेश गए जिसका ब्यौरा संलग्न विवरण II में दिया गया है।

1983 के दौरान 6 अधिकारी 214 दिन के लिए 13 बार विदेश गए जिसका ब्यौरा संलग्न विवरण III में दिया गया है।

(ख) विभिन्न स्रोतों से सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त तथा संकलित होते ही सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

(ग) विवरण I, II और III में बताए गए अधिकारियों में से 1981 में 3 अधिकारी 1982 में 2 अधिकारी और 1983 में एक अधिकारी एक वर्ष में दो बार से अधिक विदेश गये।

विवरण I

वर्ष 1981

विधि एवं संधि प्रभाग के अधिकारियों की विदेश-यात्राएं

अधिकारी का पद नाम	यात्रा की संख्या	कितने दिन यात्रा की	टिप्पणी
अपर सचिव	6	163	इसमें संयुक्त राष्ट्र महासभा के अधिवेशन के लिए 31 दिन की न्यूयार्क की यात्रा शामिल है।
निदेशक	6	49	
उप निदेशक	2	33	
उप निदेशक	1	9	
उप निदेशक	2	33	
विधि सलाहकार, भारत का स्थायी मिशन, न्यूयार्क	1	33	न्यूयार्क से जेनेवा तक
विधि सलाहकार, भारत का हाई कमीशन, लंदन	3	22	लंदन ने जेनेवा/वाशिंगटन/ स्टाकहोम
सहायक विधि सलाहकार	1	47	
विधि अधिकारी	1	55	
	23	444	

टिप्पणी :—एक विधि अधिकारी प्रबन्ध एवं संरक्षण संबंधी प्रशिक्षण के वास्ते 69 दिन के लिए माल्टा एवं पश्चिम जर्मनी गए। इनका खर्च इन्टरनेशनल ओसन इन्स्टीट्यूट, माल्टा ने वहन किया।

विवरण II

वर्ष 1982

विधि एवं संधि प्रभाग के अधिकारियों की विदेश-यात्राएं

अधिकारी का पदनाम	यात्रा की संख्या	कितने दिन यात्रा की	टिप्पणी
अपर सचिव	5	117	
निदेशक	4	50	
विधि सलाहकार भारत का स्थायी मिशन, न्यूयार्क	1	7	न्यूयार्क से जमैका
उप निदेशक	2	62	
सहायक विधि सलाहकार	1	39	
सहायक विधि सलाहकार	2	58	
	15	333	

टिप्पणी—एक विधि अधिकारी प्रबन्ध एवं संरक्षण सम्बन्धी प्रशिक्षण के वास्ते 70 दिन के लिए कनाडा गया। इनका खर्च इन्टरनेशनल औसन इन्स्टीट्यूट माल्टा ने वहन किया।

विवरण III

वर्ष 1983

विधि एवं संधि प्रभाग के अधिकारियों की विदेश-यात्राएं

अधिकारी का पदनाम	यात्रा की संख्या	कितने दिन यात्रा की	टिप्पणी
अपर सचिव	1	53	
निदेशक	5	48	
उप निदेशक	2	48	
उप निदेशक	2	29	
सहायक विधि सलाहकार	1	6	
विधि अधिकारी	2	30	
	13	214	

"रिटायर एण्ड डू रिसर्च" शीर्षक से समाचार

8290. **श्री मूलचन्द डागा :** क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 20 फरवरी, 1984 के "इकानामिक टाइम्स" के संपादकीय "रिटायर एण्ड डू रिसर्च" की ओर दिलाया गया है ;

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्यकरण को सुचारू बनाने और धन के दुरुपयोग तथा जनशक्ति की बर्बादी को रोकने के लिए कदम उठाए गए हैं ;

(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार और राज्यवार अलग-अलग कितने सेवानिवृत्त प्राध्यापकों को अनुसंधान कार्य के लिए नियुक्त किया गया ; और

(घ) प्रत्येक मामले में कितनों ने बीच में ही कार्य छोड़ दिया और इन मामलों में वर्ष-वार कुल कितनी हानि का आंकलन किया गया है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों की राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) जी, हां।

(ख) अधिकांश विज्ञान परियोजनाओं के मामले में आयोग ने परियोजनाओं की वार्षिक प्रगति की जांच करने और अन्तिम रिपोर्टों का मूल्यांकन करने के लिए पद्धतियां तैयार की हैं। इस प्रकार की जांच और मूल्यांकन मानविकी और सामाजिक विज्ञान में अधिकांश परियोजनाओं के मामले में चयनात्मक आधार पर किया जाता है। विज्ञान में प्रमुख परियोजनाओं की लगभग 20% ही मूल्यांकन में असन्तोषजनक पाई गई।

(ग) आयोग विश्वविद्यालयों और कालेजों के संकाय सदस्यों को सुपरिभाषित अनुसंधान परियोजनाएं शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। आयोग इस प्रकार की परियोजनाओं के लिए सेवा निवृत्त शिक्षकों का प्रमुख अन्वेषकों के रूप में सहायता करने के लिए भी सहमत हो गया है जिन्हें 1000/=रु० प्रति माह का मानदेय दिया जा सकता है। ऐसे मामलों में आयोग कोई नियुक्तियां नहीं करता। आयोग द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान सहायता प्राप्त सेवा निवृत्त शिक्षकों की परियोजनाओं की वर्षवार और राज्य वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) आयोग को पिछले तीन वर्षों के दौरान सेवा निवृत्त शिक्षकों को संस्वीकृत अनुसंधान परियोजनाएं बन्द करने के बारे में कोई सूचना नहीं प्राप्त हुई है।

विवरण

क्रम संख्या	राज्य का नाम	सहायता प्राप्त कर रहे शिक्षकों की संख्या			
		1981-82	1982-83	1983-84	योग
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	2	1	3	6
2.	असम	1	—	—	1

1 2	3	4	5	6
3. बिहार	4	5	—	9
4. गुजरात	3	—	2	5
5. कर्नाटक	8	1	2	11
6. केरल	2	1	—	3
7. मध्य प्रदेश	2	—	1	3
8. महाराष्ट्र	4	1	3	8
9. उड़ीसा	—	1	2	3
10. पंजाब	2	—	—	2
11. राजस्थान	4	2	3	9
12. तमिलनाडु	3	2	4	9
13. उत्तर प्रदेश	16	10	12	38
14. पश्चिम बंगाल	1	—	3	4
15. दिल्ली	—	—	1	1

राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्रियान्वयन

8291. **श्री विष्णु प्रसाद : क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में केन्द्र ने राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को कौन से मार्ग निर्देश जारी किए हैं ; और

(ख) राज्यों ने नीति के क्रियान्वयन में कितना सहयोग दिया है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों की राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) राज्यों को जारी की गई मार्गदर्शी रूपरेखाएं, शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रीय नीति, 1968 पर आधारित हैं। इन रूप रेखाओं में शिक्षा को सर्व सुलभ बनाने की आवश्यकता तथापि प्रौढ़ निरक्षरता को दूर करना भी शामिल है। इनमें 10+2 स्कूल पद्धति के लिए एक सामान्य पाठ्यचर्या और शिक्षा के व्यावसायिकरण पर भी बल दिया गया है।

(ख) राष्ट्रीय शिक्षा नीति में निहित सिफारिशें कुल मिलाकर सभी राज्यों द्वारा कार्यान्वित की जा रही हैं और वे कार्यान्वयन के विभिन्न स्तरों पर हैं प्रारम्भिक शिक्षा को सर्व सुलभ बनाने और प्रौढ़ निरक्षरता उन्मूलन के कार्यक्रमों पर नए 20 सूत्री कार्यक्रम और न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत अपेक्षित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अधिकांश राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में शिक्षा की 10+2+3 की पद्धति लाग कर दी गई है।

हुगली नदी में मलवा डालने का कार्य

8292. **श्री सत्य गोपाल मिश्र** : क्या **नौवहन और परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हल्दिया के नजदीक हुगली नदी के बहाव को बनाये रखने के लिए इस नदी में मलवा डालने का कार्य रुक गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) हाल ही में हुगली नदी में (महानेवार) मलवा डालने के कार्यों का ब्यौरा क्या है ;

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) हल्दिया के निकट हुगली नदी में मलवा डालने का कार्य पत्तन में हड़ताल के कारण 15 मार्च, 1984 से ठप्प पड़ गया। यद्यपि अब पत्तन प्रचालन का काम शुरू हो गया है, लेकिन इस क्षेत्र में तेज लहर और हवा के कारण इस मौसम के लिए आगे कार्य रुक गया है।

(ग) परियोजना की मंजूरी अगस्त, 1982 में दी गई थी और मलवा डालने का कार्य जो मौसमी होता है, दिसम्बर, 1982 में शुरू हुआ। दिसम्बर, 1982 के बाद माहवार मलवा डालने के कार्य का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

माह	केज (मात्रा संख्या में)	ब्रिस्क ब्लाक
दिसम्बर, 1982	4,000	10,000
जनवरी, 1983	21,000	51,000
फरवरी, 1983	2,800	—
मार्च, 1983	17,000	80,000
अप्रैल, 1983	18,000	78,000
मई, 1983	—	55,000
	62,800	2,74,000

दिसम्बर, 1983	1,000	5,500
जनवरी, 1984	2,300	23,500
फरवरी, 1984	6,000	20,000
मार्च, 1984	4,000	8,000
	13,300	57,000

भुवनेश्वर और मोहिसाबाद बाजार रेलवे स्टेशनों का खोला जाना

8293. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मन्त्रालय के पास दक्षिण-पूर्व रेलवे के पंसकुरा हल्दिया सम्भाग में यात्री परिवहन के लिए भुवनेश्वर (तोमलुक मोनिकटला के निकट) और मोहिसाबाद बाजार (हुगली ज्वार नहर पर पुल के निकट) के दो नये रेलवे स्टेशन खोलने का कोई प्रस्ताव विचारधीन है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) यदि नहीं, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) निर्णय लेने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ) तामलुक और रघुनाथवाड़ी स्टेशनों के बीच भुवनेश्वर/मानिकटोला और महिसाडल स्टेशन के नजदीक गुंखाली बस लाइन पर यात्री हाल्ट खोलने से सम्बन्धित प्रस्तावों की दक्षिण पूर्व रेलवे द्वारा जांच की जा रही है । इस सम्बन्ध में प्रस्तावों के औचित्य और वित्तीय लाभप्रदत्ता प्रमाणित होने पर निर्णय लिए जाने की सम्भावना है ।

केन्द्रीय विद्यालय के नये क्षेत्र

8294. **श्री बाबू राम परांजपे** : क्या शिक्षा और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय विद्यालय संगठन केन्द्रीय विद्यालय के तीन नये क्षेत्र बनाने पर विचार कर रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो यह क्षेत्र कौन से हैं और क्या इस सम्बन्ध में बंगलौर के दावे पर भी विचार किया गया है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में उप मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) और (ख) केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने निम्नलिखित चार नये क्षेत्र सृजित करने का निर्णय किया है :—

(1) भुवनेश्वर

(2) जयपुर

(3) सिल्चर

(4) जम्मू, और वर्तमान रुड़की क्षेत्र को समाप्त करने का निर्णय किया गया है।

इस निर्णय को लेने से पूर्व संगठन द्वारा बंगलौर सहित अन्य स्थानों की उपयुक्तता पर विचार किया गया था।

रानीघुटा में कैरिज रिपेयर वर्कशाप

8295. **श्री राजगोपाल नायडू** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रानीघुटा में उस भूमि को समतल करने का कार्य पूरा हो गया है, जहां कैरिज रिपेयर 'वर्कशाप' की स्थापना की जायेगी ; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) रेणिगुंटा में सवारी डिब्बा मरम्मत कारखाने के लिए भूमि को समतल बनाने का कार्य पूर्ण रूप से पूरा नहीं हुआ है।

(ख) तिरुपति में दक्षिण क्षेत्र के लिए बड़ी लाइन के सवारी डिब्बों के लिए नये सवारी डिब्बा मरम्मत कारखाने की स्थापना के सम्बन्ध में भूमि को समतल बनाने का कार्य राज्य सरकार की लागत पर करना होगा। राज्य सरकार ने स्थूल अनुमान के अनुसार इस प्रयोजन के लिए 53 लाख रुपये की राशि जमा कराई थी। 113.57 लाख रुपये की राशि का एक संशोधित अनुमान स्वीकृति के लिए राज्य सरकार को भेजा गया है। राज्य सरकार द्वारा अभी 60.57 लाख रुपये की शेष राशि जमा करायी जानी है।

घातक बीमारियों के रोगियों का निःशुल्क इलाज करने के लिए राष्ट्रीय नीति

8296. **श्री छोटूभाई गामित** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा कैंसर, कुष्ठ, ल्यूकोरिया, तपेदिक और अन्य घातक रोगों से पीड़ित रोगियों को निःशुल्क इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने कराने के लिए कोई राष्ट्रीय नीति तैयार की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) और (ख) राष्ट्रीय क्षय रोग कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला क्षय रोग केन्द्रों/क्षयरोग क्लिनिकों और क्षय

रोग संस्थाओं आदि में क्षयरोग के दरिद्र रोगियों को निदान और उपचार सेवाएं नि:शुल्क उपलब्ध कराई जा रही जा रही है।

कैंसर के सम्बन्ध में देश में लगभग 150 ऐसे अस्पताल हैं जहां पर कैंसर के रोगियों के लिए उपचार की नि:शुल्क सेवाएं उपलब्ध हैं ।

कुष्ठ रोग के सम्बन्ध में देशभर में स्थापित सभी परिधीय एककों/केन्द्रों/अस्पतालों द्वारा प्रत्येक रोगी का मुफ्त उपचार किया जा रहा है।

राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत गुजरात को देय शेष अनुदान की अदायगी

8297. **श्री छीतू भाई गामित :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य-वार कुल कितना वार्षिक अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है ;

(ख) क्या ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुदान अलग-अलग शीर्ष के अन्तर्गत उपलब्ध कराया जाता है ; और

(ग) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान उपर्युक्त अनुदान शीर्ष के अन्तर्गत गुजरात को दी जाने वाली अनुदान की कितनी शेष राशि देय है और इस अनुदान की बकाया राशि की अदायगी नहीं किए जाने के क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) से (ग) 1979-80 से राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम एक केन्द्रीय प्रायोजित (श्रेणी-II) योजना के रूप में चलाया जा रहा है। भारत सरकार के पैटर्न के अनुसार इस कार्यक्रम पर होने वाला खर्च केन्द्र और राज्यों के बीच बराबर-बराबर आधार पर वहन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को अलग-अलग शीर्षकों के अन्तर्गत अनुदान दिया जाता है। 1983-84 के दौरान इस पैटर्न के अनुसार राज्यों को राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम (ग्रामीण) के लिए लगभग 68.40 करोड़ रुपये और राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम (शहरी) के लिए 59.10 लाख रुपये का अनुदान दिया गया। इसके अलावा, 1983-84 से मलेथियन 25 प्रतिशत डब्ल्यू० डी० पी० को शत-प्रतिशत केन्द्रीय सहायता घटक बना दिया गया है। वर्ष 1984-85 के लिए उक्त सहायता पैटर्न के अन्तर्गत राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम (ग्रामीण) के लिए लगभग 81.76 करोड़ रुपये तथा राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम (शहरी) के लिए लगभग 2.23 करोड़ रुपये के अनन्तिम आबंटन की व्यवस्था की गई है। इस पैटर्न के अनुसार गुजरात को राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम (ग्रामीण) और राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम (शहरी) दोनों के लिए आवश्यक केन्द्रीय सहायता दी गई है/दी जा रही है।

1983-84 के दौरान नए खोले जाने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था

8298. **श्री अमर सिंह राठवा :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में वर्ष 1983-84 के दौरान राज्य-वार कितने नए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले गए हैं ; और

(ख) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में उपलब्ध कराई गई चिकित्सा सुविधाओं का ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) अपेक्षित सूचना का एक विवरण संलग्न है ।

(ख) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में जो सेवाएं प्रदान की जा रही हैं वे इस प्रकार हैं :—

(1) स्वास्थ्य शिक्षा के जरिए रोग निवारक और स्वास्थ्य संवर्धक कार्य

(2) संचारी रोगों की रोकथाम/उन्मूलन ।

(3) परिवार कल्याण कार्यक्रम के लिए परिवार नियोजन की शिक्षा प्रेरणा तथा सेवाओं की व्यवस्था ।

(4) रोग प्रतिरक्षण, पोषण की कमी से हो जाने वाली अरक्तता और विटामिन "ए" की कमी से होने वाले रोग से बचाव के साथ-साथ जच्चा-बच्चा स्वास्थ्य परिचर्या ।

(5) पर्यावरणिक सफाई ।

(6) उपचारात्मक सेवाएं तथा

(7) दाइयों, स्वास्थ्य गाइडों और बहुद्देशीय कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण ।

विवरण

1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	5
2.	असम	रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है
3.	बिहार	शून्य
4.	गुजरात	रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है
5.	हरियाणा	3
6.	हिमाचल प्रदेश	13

1	2	3
7.	जम्मू व कश्मीर	शून्य
8.	कर्नाटक	13
9.	केरल	7
10.	मध्य प्रदेश	5
11.	महाराष्ट्र	200
12.	मणिपुर	5
13.	मेघालय	2
14.	नागालैंड	1
15.	उड़ीसा	5
16.	पंजाब	शून्य
17.	राजस्थान	शून्य
18.	सिक्किम	1
19.	तमिलनाडु	15
20.	त्रिपुरा	7
21.	उत्तर प्रदेश	10
22.	पश्चिम बंगाल	शून्य
23.	अडमान व निकोबार द्वीप समूह	2
24.	अरुणाचल प्रदेश	शून्य
25.	चण्डीगढ़	शून्य
26.	दादरा व नगर हवेली	शून्य
27.	दिल्ली	शून्य
28.	गोवा, दमन व द्वीप	शून्य
29.	लक्षद्वीप	शून्य
30.	मिजोरम	शून्य
31.	पाण्डिचेरी	शून्य
	योग	300

पारादीप पत्तन पर वेगन टिप्पलर व्यवस्था को बन्द किया जाना

8299. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **नौवहन और परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पारादीप पत्तन पर अयस्क हैन्डलिंग संयंत्र के आधुनिकीकरण पर 12 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं ;

(ख) क्या इस आधुनिकीकरण योजना के पूरा होने में 6 वर्ष से अधिक समय लगा है ; और

(ग) क्या यह भी सच है कि बेगन टिप्पलर के चालू होने के तत्काल बाद, जो कि आधुनिकीकरण योजना का एक भाग है, मशीनी खराबी के कारण बेगन टिप्पलर प्रणाली का एक भाग बन्द कर दिया गया है।

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) 11.74 करोड़ रुपये की लागत से पारादीप पत्तन में आयरन और हैंडलिंग प्लांट में सुधार और संशोधन के लिए एक स्कीम शुरू की गयी है। इस स्कीम पर अब तक 10.44 करोड़ रुपये व्यय किये जा चुके हैं।

(ख) नवम्बर, 1979 में संस्वीकृत स्कीम के कार्य को फरवरी, 1984 में पूरा किया जा चुका है।

(ग) वैगन ट्रीपलर्स का लोड ट्रायल्स 22.1.84 से 31.1.84 तक किया गया था और इस दौरान पाई गई त्रुटियों में सुधार किया गया।

कलकत्ता डाक लेबर बोर्ड की कर्मचारी व्यवस्था

8300. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **नौवहन और परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कलकत्ता डाक लेबर बोर्ड को 31 मार्च, 1983 तक कुल कितना घाटा हुआ था और 31 मार्च, 1984 को समाप्त हो रहे वर्ष में कुल कितना घाटा होने का अनुमान है ;

(ख) क्या कलकत्ता डाक लेबर बोर्ड से पिछले तीन वर्षों के दौरान अनेक कर्मचारियों का कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट को स्थानान्तरण किया गया था, यदि हां, तो श्रेणी-वार और वर्ष-वार कितने स्थानान्तरण किए गए थे ;

(ग) कलकत्ता डाक लेबर बोर्ड में पिछले तीन वर्षों के दौरान श्रेणी-वार कुल कितने कर्मचारी और अधिकारी भर्ती किए गए ;

(घ) क्या कुछ ऐसे कर्मचारी, जिन्होंने त्यागपत्र दिए थे, उन्हें पुनः बहाल किया गया था ;

(ङ) यदि हां, तो ऐसे कितने कर्मचारी थे और क्या वे अभी अपने पदों पर बने हुए हैं ;

(च) यदि नहीं, तो क्या वे स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति अथवा सामान्य सेवा निवृत्ति पर चले गए हैं ;

(छ) क्या मन्त्रालय की व्यय सम्बन्धी एक स्टाफ इन्सपेक्शन यूनिट ने कलकत्ता डाक लेबर बोर्ड की कर्मचारी व्यवस्था का निरीक्षण किया था ; और

(ज) यदि हां, तो उनके मुख्य निष्कर्ष क्या थे ;

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) 31 मार्च, 1983 तक 593.45 लाख रु० (लगभग) का घाटा संचित हो चुका था। अनुमान लगाया गया है कि 31.3.1984 को समाप्त वित्तीय वर्ष में 20 लाख रु० (लगभग) का राजस्व घाटा होगा।

(ख) कलकत्ता डाक लेबर बोर्ड के निम्नलिखित स्टाफ तथा मजदूरों को वर्ष 1982, 1983 और 1984 के दौरान कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट में प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरित किया गया है।

वर्ग	1982	1983	1984
वर्ग III	18	134	817
वर्ग IV	3	21	3
मजदूर	18	28	51

(ग) वर्ष 1982 और 1983 के दौरान कलकत्ता डाक लेबर बोर्ड ने निम्नलिखित भर्तियां की :

	1982	1983
अधिकारी	1	—
स्टाफ	4	8

1984 के दौरान कोई भर्ती नहीं की गई।

(घ) और (ङ) एक अवर श्रेणी लिपिक और एक सामान्य कार्य मजदूर को, जिन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया था, बाद में बहाल कर दिया गया और वे आज भी कार्यरत हैं।

(च) प्रश्न नहीं होता।

(छ) वित्त मन्त्रालय के स्टाफ निरीक्षण एकक ने वर्ष 1983 के दौरान कलकत्ता डाक लेबर बोर्ड की स्टाफ-पद्धति का निरीक्षण किया।

(ज) स्टाफ निरीक्षण एकक के मुख्य निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं :—

(i) कर्मचारियों की कुल संख्या अर्थात् 1469 में कटौती लाकर 953 करना तथा 516 को फालतू घोषित करना।

(ii) विशेष कार्य अधिकारी, उप मुख्य लेखा अधिकारी (दो), उप प्रशासनिक अधिकारी (दो) और आशु-लिपिकों (तीन) के पदों का सृजन करना।

(iii) कलकत्ता डाक लेबर बोर्ड के विभिन्न स्थानों पर स्थित विभिन्न कार्यालयों का केन्द्रीकरण।

(iv) मजदूर युक्तियुक्त वर्गीकरण करना।

(v) स्टाफ का अभीष्ट तम उपयोग करने के लिए बोर्ड के अस्पताल के बहिरोगी विभाग में काम के समय को फिर से निर्धारित करना।

(vi) अस्पताल स्टाफ की संख्या की आवधिक समीक्षा।

(vii) कर्मचारियों की यथा सम्मत संख्या का अधिकतम उपयोग करने के लिए 953 व्यक्तियों की अनुमोदित संख्या के आधार पर वर्तमान मानकों और मानदंडों का संशोधन करना।

संयुक्त राज्य अमेरिका में रोजगार प्राप्त करने वाले भारतीय विदेश सेवा के वरिष्ठ अधिकारी

8301. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **विदेश मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेश मन्त्रालय के अनेक वरिष्ठ अधिकारियों ने सेवा निवृति अथवा समयपूर्व सेवा निवृत्ति के पश्चात संयुक्त राज्य अमेरिका की बहुराष्ट्रीय कम्पनियों में रोजगार प्राप्त कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान इस प्रकार रोजगार प्राप्त करने वाले अधिकारियों का विवरण क्या है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है !

विदेश मंत्रालय में राज्य मन्त्री श्री ए० ए० रहीम : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

नाइजीरिया में भारतीयों की दशा

8302. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **विदेश मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लागोस में भारी संख्या में डकैतियां पड़ रही हैं और भारतीय मूल के लोगों को धन और सम्पत्ति की हानि हो रही है ;

(ख) क्या सरकार ने नाइजीरिया सरकार के साथ इस मामले को उठाया है ;

(ग) वहां भारतीय उच्चायोग द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं और क्या भारतीय उच्चायोग ने इस संबंध में अपनी रिपोर्ट भेजी है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) कानून और व्यवस्था की हालत बिगड़ जाने से लागोस में सशस्त्र डकैती की वारदातें हुई हैं, जैसा कि संसार के और भी बहुत से शहरों में हुआ है, और इन वारदातों के जो लोग शिकार हुए हैं उनमें कुछ भारतीय मूल के लोग भी हैं। लेकिन, इन सशस्त्र डकैतियों में अभी तक किसी भारतीय के मरने की खबर नहीं मिली है।

(ख) से (घ) जी, हां। उपद्रवी तत्वों से रक्षा के मामले को भारतीय हाई कमीशन ने संबंधित प्राधिकारियों से उठाया है और उन्होंने कहा है कि वे समुचित कार्रवाई कर रहे हैं।

समस्तीपुर-हावड़ा और जयनगर-वाराणसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस गाड़ी चलाने का प्रस्ताव

8303. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समस्तीपुर के लिए हावड़ा से तीन युगल एक्सप्रेस रेलगाड़ियों और नई दिल्ली से एक एक्सप्रेस गाड़ी चलती थी जबकि इस समय एक भी नहीं चलती है ;

(ख) क्या दरभंगा, मधुबनी, निर्माली और सीतामढ़ी जिलों के यात्री रेल से समस्तीपुर होकर मुजफ्फरपुर जाते थे, जबकि अब ऐसा कोई नहीं करता है ;

(ग) क्या निर्माली-थारभीठा और छितौनी बांध के बीच सीधा रेल सम्पर्क था ;

(घ) क्या बिहार के मिथिला क्षेत्र में अब उपरोक्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं और इस कारण पहले की अपेक्षा यह क्षेत्र रेलवे की सबसे कम सुविधाओं वाला क्षेत्र रह गया है ;

(ङ) यदि हां, तो क्या समस्तीपुर-हावड़ा (या सियालदह) सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जयनगर-वाराणसी सुपर फास्ट एक्सप्रेस चलाने और दरभंगा और जयनगर की रेल लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने और निर्माली थारभीठा और छितौनी-बांध को जोड़ने के लिए रेल पुल बनाने का प्रस्ताव है, और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) हावड़ा के लिए दो जोड़ी एक्सप्रेस गाड़ियां और एक जोड़ी सवारी गाड़ी तथा नयी दिल्ली के लिए सप्ताह में दो बार चलने वाली एक जोड़ी एक्सप्रेस गाड़ियां समस्तीपुर में समाप्त होती हैं/से प्रारम्भ होती हैं।

(ख) जी, नहीं। वहां यातायात अभी भी है, यद्यपि सड़क यात्रा अपेक्षाकृत छोटी और तेज होने के कारण यात्रियों की संख्या कम हो गयी है।

(ग) जी, हां।

(घ) जब समस्तीपुर बड़ी लाइन के लिए टर्मिनल था तो गाड़ियां समस्तीपुर पर समाप्त होती थी और वहां से आरम्भ होकर चलती थी। बड़ी लाइन को मुजफ्फरपुर और आगे तक बढ़ाने से, इन

गाड़ियों को समस्तीपुर के आगे बढ़ाना स्वाभाविक था। ये गाड़ियां अभी भी समस्तीपुर से होकर चलती हैं। पिछले डेढ़ वर्षों के दौरान समस्तीपुर मंडल में, जिनमें मिथिला क्षेत्र शामिल है, गाड़ी सेवाओं में वृद्धि हुई है। जयन्ती जनता एक्सप्रेस, जो पहले सप्ताह में दो दिन चलती थी, के फेरों को जनवरी, 1984 से बढ़ाकर सप्ताह में चार दिन कर दिया गया है।

(ङ) और (च) संसाधनों की उपलब्धता और पर्याप्त यातायात के औचित्य को ध्यान में रख कर अतिरिक्त गाड़ियां चलाने पर विचार किया जाएगा।

समस्तीपुर-दरभंगा मीटर लाइन खण्ड को बड़ी लाइन में बदलना तथा छितौनी-बगहा रेल सम्पर्क का पुनः स्थापन दोनों अनुमोदित परियोजनाएं हैं। बहरहाल, रेल मन्त्रालय के नियंत्रण से बाहर अनेक कारणों से अधिक प्रगति करना सम्भव नहीं हुआ है। संसाधनों की अत्यधिक तंगी के कारण आमान परिवर्तन परियोजना की प्रगति नहीं हो सकी। जहां तक छितौनी-बगहा पुनःस्थापन का संबंध है यह काम न केवल रेलवे क्षेत्र में संसाधनों की भारी तंगी के कारण प्रभावित हुआ है बल्कि उत्तर प्रदेश और बिहार की राज्य सरकारों द्वारा नदी के बहाव को नियंत्रित करने तथा नियंत्रण स्थलों आदि के निर्माण की लागत से सम्बन्धित अपना शेष हिस्सा देने के लिए अभी तक सहमति न होने के कारण, भी प्रभावित हुआ जो कि परियोजना की लागत का एक महत्वपूर्ण भाग है। निरमली-थारभिट्ठा रेल लाइन के निर्माण का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

दरभंगा-जयनगर मीटर लाइन खण्ड को बड़ी लाइन में बदलने के लिए अभी हाल ही में एक सर्वेक्षण किया गया था। सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है और उसकी संवीक्षा की जा रही है। इस परियोजना पर विनिश्चय, इसकी तकनीकी व्यावहारिकता, अर्थक्षमता, संसाधनों की उपलब्धता को ध्यान में रखकर और योजना आयोग की स्वीकृति मिलने पर यथा समय किया जाएगा।

मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम

8304. **श्री वृद्धि चंद्र जैन** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ख) क्या मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम विश्व के किसी भी भाग, विशेषकर दक्षिण-पूर्व एशिया के किसी भाग में सफल रहा है ; और

(ख) इस रोग का भारत से कब तक पूर्णतः उन्मूलन हो जाएगा ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) और (ख) विश्व स्वास्थ्य संगठन से प्राप्त सूचना के अनुसार पश्चिमी गोलार्ध के सभी देशों के अतिरिक्त दक्षिणी अमेरिका तथा पश्चिमी प्रशान्त के सिंगापुर जैसे एक या दो देश वास्तव में मलेरिया का उन्मूलन करने में सफल हुए हैं। दक्षिण-पूर्व एशियाई क्षेत्र में मालद्वीप को इस कार्य में महत्वपूर्ण सफलता मिली है।

इस समय उलपब्ध तकनीकी साधनों द्वारा यह भविष्यवाणी करना कठिन है कि स्थानिकमारी वाले देशों, जिनमें भारत भी शामिल है, से मलेरिया का पूर्ण उन्मूलन कब होगा। भारत में राष्ट्रीय

मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत फिलहाल मलेरिया पर काबू पाने और इस रोग से होने वाली मौतों का निवारण करने पर जोर दिया जा रहा है, हालांकि अन्ततः हमारा उद्देश्य इस रोग का उन्मूलन करना ही है।

बस मार्ग संख्या 611 को बदलने के सम्बन्ध में अभ्यावेदन

8305. **श्री भीखा भाई** : क्या **नौवहन और परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सी० जी० ओ० काम्पलेक्स में कार्य कर रहे सरकारी कर्मचारियों ने आर० के० पुरम और दयालसिंह कालेज के बीच कार्यालय आने के समय के दौरान अर्थात् प्रातः 8.30 बजे से 10 बजे तक मार्ग संख्या 727 और 705 पर बसों के उपलब्ध न होने के कारण, लोदी रोड से नेहरू स्टेडियम तक बस मार्ग संख्या 611 के बदलने हेतु दिल्ली परिवहन निगम के चेयरमैन को अभ्यावेदन दिया था ;

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउ रहमान अंसारी) : (क) से (ग) इस प्रकार के अभिवेदन समय-समय पर प्राप्त होते रहे हैं। तथापि विभिन्न परिचालनात्मक कठिनाइयों के कारण और मौजूदा प्रबन्ध से बड़े पैमाने पर यात्रियों के हित को देखते हुए रूट सं 611 में किसी प्रकार का परिवर्तन करना उचित नहीं समझा गया है।

इसके अलावा, मौजूदा रूट की बसें दयाल सिंह कालेज के पास होकर गुजरती हैं। जहां से सी० जी० ओ० कम्प्लेक्स तक आसानी से पैदल जाया जा सकता है। जवाहर लाल नेहरु स्टेडियम से रामकृष्ण पुरम के बीच रूट सं० 705 और 727 द्वारा पहले ही से व्यवस्था की गई है।

इस रूट पर यातायात सम्बन्धी हाल के सर्वेक्षण से यह पता चलता है कि यात्रियों की परिवहन सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मौजूदा सेवाएं पर्याप्त हैं।

कस्तूरबा नगर रेल फाटक का खोला जाना

8306. **श्री हरीश रावत** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली में जंगपुरा स्थित रेल फाटक को यातायात के लिए खोल दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उसी आधार पर कस्तूरबानगर रेल फाटक को खोलने के प्रश्न पर भी विचार किया जाएगा ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी हां।

(ख) सेवानगर रेलवे स्टेशन के समीप का समपार संख्या 3 जो कस्तूरबा नगर कालोनी के उपयोग में आता है, भी 31-3-84 से जनता के उपयोग के लिए पुनः खोल दिया गया है।

कुमाऊं और गढ़वाल विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता

8307. **श्री हरीश रावत :** क्या **शिक्षा और संस्कृति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश के कुमाऊं और गढ़वाल विश्वविद्यालयों को सहयोगी विश्वविद्यालय मान कर मान्यता प्रदान कर दी गई है ;

(ख) यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार का विचार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा पिछड़े पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित विश्वविद्यालयों को मान्यता देने के लिए परिसम्पत्तियों सम्बन्धी मापदंड में कोई छूट देने का है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों की राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, जिसके अंतर्गत राज्य विधान के अन्तर्गत स्थापित विश्वविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता देना अपेक्षित होता है। तथापि, ऐसे विश्वविद्यालय, यदि 17 जून, 1972 के बाद स्थापित किए गए हैं, तो उन्हें केन्द्रीय संसाधनों से सहायता प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 12-क के अंतर्गत पात्र घोषित करना होगा। ऐसी घोषणा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 12-क के अंतर्गत बनाए गए नियमों में निर्धारित शर्तें पूरी करने की शर्त होगी।

कुमाऊं और गढ़वाल विश्वविद्यालय को पहले ही इन प्रावधानों के अंतर्गत पात्र घोषित कर दिया गया है, लेकिन शर्त यह है कि सामान्य संस्थात्मक विकास अनुदान केवल नियम की सभी अपेक्षाओं को पूरा करने के बाद ही संस्वीकृत किया जाएगा।

(ग) और (घ) इन दोनों विश्वविद्यालयों द्वारा जो अपेक्षा अभी पूरी की जानी है, वह है विश्वविद्यालयों के विभागों में पर्याप्त अध्यापन कर्मचारियों की नियुक्ति करना। इस अपेक्षा में छूट देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

दिल्ली-कोटद्वार और लखनऊ-काठगोदाम सीधी विशेष रेलगाड़ियां आरंभ करना

8308. **श्री हरीश रावत :** क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बद्रीनाथ, केदारनाथ, नैनीताल और उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों के अन्य स्थानों को जाने वाले पर्यटकों की सुविधा के लिए दिल्ली-कोटद्वार और लखनऊ-काठगोदाम के बीच समूचे वर्ष में सीधी विशेष रेल गाड़ियां चलाए जाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इन क्षेत्रों को जाने वाले पर्यटकों की सुविधा के लिए मन्त्रालय द्वारा कौन से वैकल्पिक प्रबन्ध किए जा रहे हैं ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) संसाधनों की कमी के कारण फिलहाल दिल्ली और कोटद्वार के बीच एक सीधी गाड़ी चलाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। बहरहाल, दिल्ली और कोटद्वार के बीच उद्भूत यातायात की निकासी करने के लिए पांच थ्रू सवारी डिब्बे नियमित रूप से चलाये जा रहे हैं।

लखनऊ और काडगोदाम के बीच पूरे वर्ष चलने वाली एक जोड़ी गाड़ी अर्थात् 7/8 नैनीताल एक्सप्रेस पहले से ही है। इसके अतिरिक्त 25/26 मिलानी एक्सप्रेस भी लखनऊ और काठगोदाम के बीच चलायी जा रही है ताकि मौसमी भीड़-भाड़ को सम्हाला जा सके।

सफदरजंग अस्पताल के डाक्टरों और उनके जबाव में कर्मचारियों द्वारा हड़ताल करना

8309. **श्री सनत कुमार मंडल :**

श्री मनोहर लाल सैनी :

श्रीमती किशोरी सिन्हा :

श्री के० ए० राजन :

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :

श्री रामविलास पासवान :

श्री दिगम्बर सिंह :

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत मह राजधानी में सफदरजंग अस्पताल के डाक्टरों ने हड़ताल कर दी थी जिससे आपातकालीन और बहिरंग रोगी विभाग की सेवा अस्त-व्यस्त हो गई ;

(ख) क्या इसके जबाव में अस्पताल के कर्मचारियों ने भी हड़ताल कर दी थी ;

(ग) यदि हां, तो क्या इस बारे में कोई जांच की गई है और उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया है ; और

(घ) डाक्टर, पैरा मेडिकल स्टाफ और कर्मचारियों के बीच अक्सर होने वाले ऐसे टकराव और उसके परिणामस्वरूप हड़ताल करने, जिससे रोगियों को भारी असुविधा होती है, की स्थिति को समाप्त करने, के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी) : (क) से (घ) सफदरजंग अस्पताल के रेजिडेंट डाक्टरों ने 24 मार्च, को दोपहर बाद से हड़ताल कर दी थी जो 2 अप्रैल, 1984 (सांयकाल) तक चली। इस अवधि के दौरान आपात्तिक सेवाओं और अन्त: और बाह्य रोगी विभागों का कार्य इस अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों और केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के वहां भेजे गए चिकित्सा अधिकारियों ने किया।

इस अस्पताल द्वारा इस मामले को छान-बीन करने तथा सुधारात्मक उपाय सुझाने के लिए एक शिकायत समिति गठित की जा रही है।

नैमित्तिक मजदूरों को नियमित किया जाना

8310. **श्री ए० के० राय** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि भारत के उच्चतम न्यायालय ने 1979 की सिविल अपील संख्या 1613-एल० राबर्ट डिसूजा बनाम कार्यकारी अभियन्ता, दक्षिण रेलवे तथा एक अन्य के मामले में 16 फरवरी, 1982 के अपने निर्णय में यह टिप्पणी की है कि नियम 2501, जो किसी व्यक्ति को 10, 20 अथवा 30 वर्ष तक बिना किसी व्यवधान के लगातार दैनिक मजदूरी पर सेवा में रखने की अनुमति देता है, सामाजिक आर्थिक न्याय के सर्वथा विपरीत है और मद समयोचित है कि रेलवे प्रशासन नियमों के उपबन्धों के इस भाग को राज्य के नीति निदेश क सिद्धान्तों के अनुकूल बनाए ; और

(ख) यदि हां, तो निर्माण विभाग, जिसे न्याय ालय ने रेलवे का एक स्थाई विभाग माना है, में एक दशक से अधिक समय से काम कर रहे नैमित्तिक मजदूरों की सेवाओं को नियमित करने के लिए उनके मन्त्रालय द्वारा क्या कार्रवाई की गई है ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी, हां।

(ख) इस समय वस्तुतः चौथी श्रेणी पदों में सभी रिक्तयां (कारखाना और अनुकम्पा नियुक्तियों के कुछ अपवादों को छोड़कर) रेल परियोजनाओं/निर्माण कार्यों में नियुक्त श्रमिकों सहित नैमित्तक श्रमिक की स्क्रीनिंग करने और उसे समाहित करने पर भरी जाती है।

ब्रिटेन में भारतीय राजनयिक की हत्या

8311. **श्री दिगम्बर सिंह** : क्या **विदेश मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बरमिंघम में भारतीय सहायक उच्चायुक्त का अपहरण करके उनकी हत्या करने वाले अपराधियों को पकड़ने में ब्रिटेन की सरकार ने कोई सफलता प्राप्त की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सफलता प्राप्त की है ; और

(ग) क्या समाचारों के अनुसार भारतीय राजनयिक के हत्यारे ब्रिटेन से बच निकले हैं ; यदि हां, तो क्या सरकार ने यह मामला ब्रिटेन सरकार के साथ उच्चतम स्तर पर उठाया है ; यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) और (ख) स्वर्गीय श्री म्हात्रे के अपहरण और हत्या के मामले की जांच-पड़ताल अभी चल रही है। तथापि ब्रिटिश पुलिस ने इस अपराध के सिलसिले में अपहरण करने, सहायता करने तथा उकसाने के आरोप में छह व्यक्ति गिरफ्तार किये हैं।

(ग) विश्वास किया जाता है कि कुछ अन्य ऐसे व्यक्ति यूनाइटेड किंगडम से बच निकले हैं,

जिनका इस अपराध से सम्बन्ध हो सकता है। यह मामला ब्रिटिश सरकार के साथ उठाया गया है और अब यह देखना है कि आगे क्या होता है।

बम्बई एयर टर्मिनलों को रेलवे लाइन से जोड़ना

8312. **डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बम्बई के इण्टरनेशनल टर्मिनल तथा नेशनल टर्मिनल को एक रेलवे लाइन द्वारा जोड़ने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इस विमान पत्तन को मध्य रेलवे तथा पश्चिम रेलवे तन्त्र से भी जोड़ा जायेगा ; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) से (घ) जी, नहीं। ऐसे कुछ सुझाव मिले हैं परन्तु कोई प्रस्ताव तैयार नहीं किये गये हैं। नगरीय यातायात सुविधाओं की व्यवस्था करने के विषय पर निर्माण और आवास मन्त्रालय द्वारा कार्रवाई की जानी है।

इन्ट्रावीनस सौल्यूशनस के गम्भीर प्रतिकूल प्रभाव

8313. **श्री जी०वाई० कृष्णन** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि देश में उत्पादित अनेक इन्ट्राबीनस सौल्यूशनस के गम्भीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं ;

(ख) क्या सरकार को मालूम है कि इन्ट्राबीनस चिकित्सा के बाद कंपकंपी होने के कारण गरीब मरीजों की दशा शोचनीय होती है ;

(ग) क्या सरकार को यह भी मालूम है कि देश में अच्छी किस्म के ऐस्प्रीन तक उपलब्ध नहीं हैं ;

(घ) क्या यह भी सच है कि विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है जहां औषधियों की निर्बाध बिक्री और काउण्टर बिक्री की जा सकती है ; और

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में अध्ययन कराना चाहेगी और नकली दवाओं की बिक्री को समाप्त करने के लिए कार्यवाही करेगी क्योंकि अधिकांश केमिस्ट बीमारी अथवा औषधि की परवाह किए बिना भोले-भाले लोगों को औषधियां बेचते हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उपमन्त्री (कुमारी कुमुदबेन एम०जोशी) : (क) और (ख) औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम तथा नियमों के उपबन्धों के अन्तर्गत औषधियों के निर्माण

और बिक्री पर राज्य औषध नियन्त्रण अधिकारियों द्वारा नियन्त्रण रखा जाता है। इन अधिकारियों ने सूचित किया है कि ट्रांसफ्यूजन सौल्यूशन दिये जाने के परिणामस्वरूप कुछ रोगियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के मामले उनके ध्यान में आये हैं।

(ग) नहीं। यह सही नहीं है कि अच्छी किस्म की ऐस्प्रीन देश में उपलब्ध नहीं है।

(घ) औषध और प्रसाधन सामग्री नियमों के अन्तर्गत औषध और प्रसाधन सामग्री नियमों की एच० और एक्स० अनुसूची में शामिल किये गए औषध योगों को केवल पंजीकृत चिकित्सकों के नुस्खों पर खुदरा दवा विक्रेताओं द्वारा बेचा जाना होता है। अन्य औषध योगों को डाक्टरी नुस्खे के बगैर बेचा जा सकता है। भारत जैसे सभी देशों में दो श्रेणी की औषधियां होती हैं जो खुदरा दवा विक्रेताओं द्वारा बेची जाती हैं अर्थात नुस्खों पर मिलने वाली औषधियां तथा काउण्टर (ओ०टी०सी) पर मिलने वाली औषधियां।

(ङ) उपर्युक्त भाग (क) से (घ) में दी गई सूचना को ध्यान में रखते हुए इन पहलुओं पर सरकार द्वारा कोई अध्ययन किया जाना आवश्यक प्रतीत नहीं होता है।

जहां तक नकली औषधियों पर रोक लगाने के लिए किए गए उपायों का सम्बन्ध है, घटिया और नकली औषधियों के निर्माण और बिक्री पर रोक लगाने के लिए हाल ही में कुछ विशेष कदम उठाये गये हैं जो इस प्रकार हैं :—

1. नकली दवाइयों की बुराई का मुकाबला करने के लिए और अधिक प्रभावकारी उपायों की व्यवस्था करने के लिए 1982 में औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम को संशोधित किया गया था।

2. केन्द्रीय औषधि मानक नियन्त्रण संगठन देश में नकली दवाइयों के निर्माण और बिक्री सम्बन्धी रिपोर्टों की मानीटरिंग का कार्य करता है। जब कभी जरूरी हो तो राज्य सरकारों को सचेत कर दिया जाता है और ऐसी रिपोर्टों की छानबीन के मामले में केंद्रीय औषधि मानक नियन्त्रण संगठन के क्षेत्रीय कार्यालय उनकी मदद करते हैं।

3. केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री की ओर से सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य मन्त्रियों को और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय की ओर से स्वास्थ्य सचिवों को पत्र भेजे गये और उनका ध्यान नकली दवाइयों के बढ़ते हुए निर्माण एवं बिक्री की तरफ आकृष्ट किया गया है। तथा उन्हें इस सम्बन्ध में आवश्यक कदम उठाने और अपने औषधि नियन्त्रण प्रशासनों को मजबूत बनाने का अनुरोध किया गया है।

4. केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण उपमन्त्री ने 3 मई, 1983 को सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के स्वास्थ्य मन्त्रियों को पत्र भेजे जिनमें उन्होंने राज्यों का ध्यान संसद और अखबारों में हुई आलोचना की ओर आकृष्ट किया था और उन्हें नकली और घटिया दवाइयों की समस्याओं को प्रभावशाली ढंग से हल करने का आग्रह किया था। अपने पत्र में उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि केन्द्रीय सरकार ने एक कार्यदल की नियुक्ति की थी जिसने राज्य औषधि नियन्त्रण संगठनों की कमियों का पता लगाया

है। उन्होंने यह सुझाव दिया है कि राज्य नकली दवाइयों की समस्याओं को प्राथमिकता दें और राज्यों के औषधि मानक नियन्त्रण तन्त्र को इस समस्या से निपटने के लिए समुचित रूप से समुन्नत और सुदृढ़ बनाया जाये।

5. सरकार द्वारा नियुक्त कार्य दल ने विभिन्न ऐसे पहलुओं का पता लगाया है जिनके बारे में राज्यों को नकली और घटिया दवाइयों की बुराई का मुकाबला करने हेतु कार्यवाही करनी है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय ने राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों को भी पत्र भेजे हैं जिनमें उक्त कार्यदल की सिफारिशों-विशेष तथा उन पर की जाने वाली कार्रवाई की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया है।

6. राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे नकली दवाइयों की समस्या के समाधान के लिए आसूचना व विधि-तन्त्र स्थापित करें।

7. नकली दवाइयों और औषधि-अपमिश्रण के मामले पर केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद और केन्द्रीय परिवार कल्याण परिषद की विभिन्न बैठकों में विचार-विमर्श किया जा चुका है जिनमें केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री अध्यक्ष के रूप में तथा राज्यों के स्वास्थ्य मन्त्री सदस्यों के रूप में शामिल होते हैं। इन संयुक्त बैठकों में उक्त परिषद ने "औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम का प्रवर्तन" विषय पर संकल्प पारित किए हैं। इन संकल्पों में राज्य सरकारों से यह आग्रह किया गया है कि वे घटिया व नकली दवाइयों की समस्या को हल करने के लिए औषधि नियन्त्रण तन्त्र को सुदृढ़ और कारगर बनाने के वास्ते आवश्यक कार्रवाई करें।

डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, वाराणसी में कार्य करने वाले कर्मचारियों को मकान

8314. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, वाराणसी में कुल कितने कर्मचारी कार्य कर रहे हैं और क्या इन सभी कर्मचारियों को रेलवे क्वार्टर आवंटित कर दिए गए हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो कितने कर्मचारियों को रेलवे क्वार्टर नहीं दिए गए हैं और इन क्वार्टरों का आवंटन किस प्रकार किया जाता है तथा इस बारे में क्या नीति है ;

(ग) क्या सरकार को रेलवे क्वार्टरों के आवंटन में अधिकारियों द्वारा की गई अनियमितताओं की सूचना प्राप्त हुई है जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि जो कर्मचारी 15 वर्षों से कार्य कर रहे हैं उन्हें क्वार्टर नहीं दिए गए हैं जबकि 3-4 वर्षों की सेवा अवधि वाले कर्मचारियों को क्वार्टर आवंटित कर दिए गए हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्रवाई की गई है या की जा रही है ?

रेल मन्त्री (श्री ए०बी०ए० गनी खान चौधरी) : (क) 8086। जी, नहीं।

(ख) 61.23।

रेल कर्मचारियों को रेलवे क्वार्टरों का आवंटन उनकी बारी आने पर पंजीकरण की तारीख से मानी गई प्राथमिकता के अनुसार किया जाता है। कुछ आपवादिक मामलों में, अनुकम्पा, चिकित्सा और प्रशासनिक आधार पर भी बिना बारी के आवंटन किये जा सकते हैं।

(ग) इस प्रकार का कोई मामला सरकार के ध्यान में नहीं लाया गया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

भिखारियों पर अनुसन्धान और भिक्षावृत्ति के उन्मूलन के लिए मार्गनिर्देश और वित्तीय सहायता

8315. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या **समाज कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भिखारियों पर कोई अनुसन्धान आयोजित कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो कब से और इस परियोजना पर अभी तक कितना व्यय किया गया है और इस परियोजना के पूरा होने के समय सहित इस सम्बन्ध में पूर्ण ब्यौरा क्या है ;

(ग) भिक्षावृत्ति के उन्मूलन की दिशा में किन-किन राज्य सरकारों ने न तो कोई कार्यवाही आरम्भ की है और न ही कोई कानून बनाया है ; और

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार ने देश के भिक्षावृत्ति के उन्मूलन हेतु कोई मार्ग निर्देश अथवा वित्तीय सहायता प्रदान की है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में उपमन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) और (ख) जी, हां। समाज कल्याण मन्त्रालय ने आठ बड़े नगरों अर्थात बम्बई, मद्रास, कलकत्ता, लखनऊ, आगरा, तिरुपति, अजमेर और दिल्ली में अनुसन्धान अध्ययन प्रायोजित किए। दिल्ली का अध्ययन वर्ष 1981 में इस मन्त्रालय के एक अधीनस्थ कार्यालय राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान द्वारा अपने नियमित अनुसन्धान कार्यकलापों के अन्तर्गत किया गया और इस पर कोई खर्च नहीं हुआ। शेष अध्ययन वर्ष 1982-83 में प्रायोजित किए गए और प्रमुख समाज कल्याण संगठनों/समाज कार्य स्कूलों को समाज कल्याण मन्त्रालय द्वारा प्रत्येक अध्ययन के लिए 4000 रु० की स्वीकृति प्रदान की गई। आठ अनुसन्धान अध्ययनों में से छः अध्ययनों की अन्तिम रिपोर्टें प्राप्त हो गई हैं। आगरा और लखनऊ शहरों के अध्ययनों की रिपोर्टें प्राप्त होनी शेष हैं। सम्बन्धित अनुसन्धान संस्थानों को शीघ्र रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।

(ग) पांच राज्यों अर्थात मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा ने न तो कोई विधान तैयार किया है और न ही कोई कार्यवाही करनी शुरू की है। उन्होंने रिपोर्ट दी है कि उनके राज्यों में भिक्षावृत्ति की समस्या विद्यमान नहीं है।

(घ) राज्य सरकारों को कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जाती है। तथापि समाज कल्याण मन्त्रालय के अधीन कार्यरत राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान इस क्षेत्र में सेवाओं के प्रगामी विकास पर राज्य सरकारों और केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासनों को सलाह प्रदान कर रहा है।

आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली का विकास और आयुर्वेदिक महाविद्यालय खोलना

8316. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली के विकास के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार का देश में कुछ आयुर्वेदिक महाविद्यालय खोलने का विचार है ;

(ग) यदि हां, तो इस समय ऐसे महाविद्यालयों की संख्या कितनी है और कितने महाविद्यालय खोले जाने का विचार है ; और

(घ) इन महाविद्यालयों में एलोपैथी, यूनानी और आयुर्वेदिक दवाओं पर अलग-अलग कितने प्रतिशत धनराशि खर्च की जाती है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय ने पिछले तीन वर्षों के दौरान आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति में शिक्षा, अनुसन्धान और दवाइयों के मानकीकरण एवं निर्माण की विभिन्न सतत योजनाएं कार्यान्वित की हैं। कुछेक उठाए गए कदम इस प्रकार हैं :—

(1) आयुर्वेद के क्षेत्र में अनुसन्धान कार्य को तेज करने के लिए केन्द्रीय आयुर्वेद और सिद्ध अनुसन्धान परिषद के साधनों को बढ़ाया गया है।

(2) भारतीय चिकित्सा पद्धति में स्नातकोत्तर प्रशिक्षण और अनुसन्धान के विभागों का दर्जा बढ़ाने की केन्द्र पोषित योजना के अन्तर्गत आयुर्वेद के 25 समुन्नत विभागों के रख-रखाव के लिए विभिन्न राज्य सरकारों को सहायता दी गई है। पिछले तीन वर्षों में आयुर्वेदिक के छह विभागों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें स्नातकोत्तर विभाग बना दिया गया है।

(3) स्वैच्छिक संगठनों द्वारा चलाये जा रहे 20 स्नातकपूर्व कालेजों को पिछले तीन वर्षों में प्रयोगशाला उपकरण खरीदने और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा समाज के कमजोर वर्गों के छात्रों के लिए पुस्तक-बैंक खोलने के लिए 30.00 लाख रुपये दिये गये हैं।

(4) स्नातकपूर्व कालेजों के अध्यापकों को समयअनुकूल प्रशिक्षण देने के लिए देश के विभिन्न आयुर्वेदिक कालेजों में छह सप्ताह और दो सप्ताह की अवधि के पुनश्चर्या-पाठ्यक्रम आयोजित किये गये हैं।

(5) भारतीय चिकित्सा भेषजसंहिता प्रयोगशाला, गाजियाबाद में जिसकी स्थापना भारतीय चिकित्सा पद्धतियों की औषधियों के मानक निर्धारित करने के लिए की गई है, कर्मचारियों और उपकरणों की संख्या में वृद्धि की गई है। आयुर्वेदिक भेषज-संहिता समिति का पुनर्गठन किया गया है ताकि चिकित्सा की इस पद्धति का सरकारी फार्मूलरी/भेषजसंहिता के प्रकाशन से सम्बन्धित कार्य तेजी से किया जा सके।

(6) भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से शुरू किए गए भारत सरकार के एक उपक्रम इण्डियन मेडिसन फार्मास्युटिकल कार्पोरेशन ने 1983-84 के दौरान आयुर्वेदिक दवाइयों का उत्पादन शुरू कर दिया।

(ख) से (घ) भारत सरकार ने राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर को देश में आयुर्वेदिक शिक्षा को एक आदर्श संस्था के रूप में स्थापित किया है। इस संस्था में दवाइयों पर होने वाला खर्च मूलतया आयुर्वेदिक दवाइयों पर होने वाला खर्च है। भारत सरकार द्वारा कोई और आयुर्वेदिक कालेज खोलने का प्रस्ताव नहीं है। इस समय देश में 98 आयुर्वेदिक कालेज हैं।

मंत्रालय के प्रत्येक विभाग में ट्रेड "क" से "ग" में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारी

8317. **श्री भीखाभाई** : क्या **विदेश मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय में (प्रशासनिक और गैर-प्रशासनिक) 1 जनवरी, 1982 को ग्रेड "क" से "ग" में अलग-अलग कुल कितने सरकारी कर्मचारी (अनुसूचित जाति/जनजाति को छोड़कर) और अनुसूचित जाति/जनजाति के कर्मचारी थे ; और

(ख) 1 जनवरी, 1982 से 31 दिसम्बर, 1982 और 1 जनवरी, 1983 से 31 दिसम्बर, 1983 तक उपर्युक्त में कुल कितने सरकारी कर्मचारी (अनुसूचित जाति/जनजाति) और अनुसूचित जाति/जनजाति से सम्बन्धित कर्मचारी नियुक्त और पदोन्नत किए गए ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) और (ख) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

पद/समूह का नाम	1-1-82 को कर्मचारियों की कुल संख्या	1-1-82 को अनु.जा./अनु.जन.जा. के कर्मचारियों की कुल संख्या अनु.जा.अनु.जन		1-1-82 से 31-12-82 तक समूहवार भर्ती			1-1-82 से 31-12-82 तक समूहवार पदोन्नति		
				सामा.	अनु.जा.	अनु.जन.	सामा.	अनु.जा.	अनु.जन.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
समूह "क"									
भा. वि. से. के वर्ग I से वर्ग IV	189	12	8	—	—	—	22	1	—
भा. वि. से. का प्रवर वेतनमान	220	26	13	—	—	—	23	2	2
भा. वि. से. का अवर वेतनमान	79	16	8	12	2	1	—	—	—
भा. वि. से. (ख) का वर्ग 1	113	18	2	—	—	—	13	5	1
समूह "ख"									
अनुभाग अधिकारी	301	43	3	2	1	—	30	2	2
सहायक	583	39	8	19	5	1	36	6	2
बीजांक सहायक	175	13	1	15	—	—	—	—	—
निजी सचिव	46	5	—	—	—	—	10	4	—
वरिष्ठ निजी सहायक	74	13	—	—	—	—	13	2	—
निजी सहायक	389	16	—	26	5	—	5	5	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
समूह "ग"									
आशुलिपिक	85	2	—	15	(भर्ती को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है)				
अपर श्रेणी लिपिक	220	15	12	—	—	—	21	4	1
अवर श्रेणी लिपिक	320	59	27	53	11	2	7	—	—
शोफर	69	6	—	16	—	—	—	—	—
डिस्पेच राइडर	12	2	—	1	—	—	—	—	—
वरिष्ठ गैस्टेटनर आपरेटर	7	—	—	—	—	—	—	—	—
मशीन मैन	1	—	—	—	—	—	—	—	—
जिल्द साज	1	—	—	—	—	—	—	—	—
मुद्रक	1	—	—	—	—	—	—	—	—
कम्पोजीटर	1	—	—	—	—	—	—	—	—
इम्पोजिटर	1	—	—	—	—	—	—	—	—
लाइनो आपरेटर	1	—	—	—	—	—	—	—	—
बढ़ई	1	—	—	—	—	—	—	—	—
प्रोजेक्टर आपरेटर	1	—	—	—	—	—	—	—	—

टिप्पणी : वर्ष 1982 के लिए सहायकों और अवर श्रेणी लिपिकों की सीधी भर्ती अभी खुली है। आशुलिपिक वर्ग में सीधी भर्ती को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

1-1-83 से 31-12-83 तक समूहवार भर्ती			1-1-83 से 31-12-83 तक समूहवार पदोन्नति			मंत्रालीय है या गैर-मंत्रालीय
सामा.	अनु. जा.	अनु. जन.	सामा.	अनु. जा.	अनु. जन.	
1	2	3	4	5	6	7
—	—	—	15	1	1	]
—	—	—	42	6	4	]

1	2	3	4	5	6	7
9	2	1	—	—	—	
—	—	—	2	4	—	
2	—	—	31	2	—	गैर-मंत्रालीय
43	4	—	87	4	—	
12	—	—	—	—	—	
—	—	—	10	1	—	
—	—	—	29	2	—	
25	3	—	8	—	—	
(भर्ती को अन्तिम रूप नहीं दिगा गया है)						
—	—	—	14	—	—	
106	—	—	5	—	—	
10	2	—	—	—	—	
1	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	मंत्रालीय
—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	
—	—	—	—	—	—	

नई दिल्ली नगर पालिका में आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक चिकित्सकों के लिए उच्च वेतनमान

8318. **श्री निहाल सिंह :**

श्री रामसिंह शाक्य :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या नई दिल्ली नगर पालिका में आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक चिकित्सकों के लिए उच्च वेतनमान का कोई प्रावधान नहीं है :

(ख) क्या एलोपैथिक चिकित्सकों को पांच वर्ष के पश्चात पदोन्नत कर दिया जाता है और नई दिल्ली नगर पालिका के आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक चिकित्सक जो 650-1200 रुपये के वेतन-

मान में नियुक्त किए जाते हैं, उसी वेतनमान में सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उन्हें स्थायी भी नहीं किया जाता है जबकि केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना में उनके समकक्षों को 1100-1600 रुपये का वेतन-मान दिया जाता है ; और

(ग) यदि हां, तो उपर्युक्त अन्तर को मिटाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) से (ग) नई दिल्ली नगर पालिका के अधीन आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक डाक्टरों के मौजूदा पद 650-1200 रुपये के वेतनमान में हैं। इस समय इन डाक्टरों के लिए उच्च-वेतनमान वाला कोई पद नहीं है।

नई दिल्ली नगर पालिका के अधीन 700-1300 रुपये के वेतनमान वाले एलोपैथिक डाक्टर पांच वर्ष की सेवा के बाद 1100-1600 रुपये के वरिष्ठ वर्ग-1 के वेतनमान के पात्र हो जाते हैं। वैसे, इस उच्च वेतनमान में पदोन्नति इस वेतनमान के उपलब्ध पदों पर निर्भर करती है। एलोपैथिक डाक्टरों के 59 पदों में से 20 पद-1100-1600 रुपये के वेतनमान में हैं और शेष पद 700-1300 रुपये के वेतनमान में हैं। नई दिल्ली नगरपालिका अपने आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक डाक्टरों को स्थायी करने पर विचार कर रही है।

केन्द्रीय सरकार के अधीन आयुर्वेद और होम्योपैथी के वरिष्ठ फिजिशियनों के उच्च पदों की मंजूरी देने बात उचित कार्यवाही के लिए नई दिल्ली नगर पालिका के ध्यान में लाई जा रही है।

नई दिल्ली नगर पालिका के अस्पताल और "पोली क्लीनिक" को स्वास्थ्य अधिकारी के अन्तर्गत लाया जाना

8319. **श्री निहाल सिंह** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली नगर पालिका के अस्पताल और पोली क्लीनिक को स्वास्थ्य अधिकारी के अन्तर्गत न रखे जाने के क्या कारण हैं और उन्हें नई दिल्ली नगर पालिका के चिकित्सा अधीक्षक के अन्तर्गत क्यों रखा गया है ; और

(ख) नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा कोई भी आयुर्वेदिक अस्पताल न खोले जाने के क्या कारण हैं और क्या नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा कई आयुर्वेदिक अस्पताल चलाए जा रहे हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी) : (क) इस अस्पताल और पोलीक्लिनिक की अच्छी तरह से देखभाल करने के लिए इन्हें नई दिल्ली नगर-पालिका के चिकित्सा अधीक्षक के अधीन रखा गया है क्योंकि स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी सफाई, औषधालयों, जलमल निकास आदि के काम की देखभाल करने में व्यस्त रहते हैं।

(ख) नई दिल्ली नगरपालिका के क्षेत्र में रह रहे अधिकांश लोग केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अन्तर्गत आते हैं और नई दिल्ली नगरपालिका के क्षेत्र में एक आयुर्वेदिक अस्पताल पहले से ही चल रहा है। नई दिल्ली नगरपालिका द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में 9 आयुर्वेदिक औषधालय चलाए जा

रहे हैं जबकि दिल्ली नगर निगम के अधीन 2 आयुर्वेदिक अस्पताल और 61 आयुर्वेदिक औषधालय चल रहे हैं।

नई दिल्ली नगर पालिका के औषधालयों में दवाइयों का उपलब्ध न होना और उसके लिए बजट-प्रावधान

8320. **श्री निहाल सिंह :**

श्री राम सिंह शाक्य :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली नगर पालिका के आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक औषधालयों में दवाइयां उपलब्ध नहीं होती हैं और उनके लिए बजट आबंटन भी दिन-प्रतिदिन कम किया जा रहा है ; और

(ख) यदि नहीं, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान एलोपैथिक आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक दवाइयों के लिए कितना बजट प्रावधान किया गया और इस प्रावधान के अनुसार उपयुक्त अवधि में खरीदी गई दवाइयों का ब्योरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मोहसिन किदवई): (क) नहीं।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा एलोपैथिक, आयुर्वेदिक एवं होम्योपैथिक दवाइयों के लिए किए गए बजट प्रावधान इस प्रकार है :—

(रुपये लाखों में)

	1981-82	1982-83	1983-84
एलोपैथिक	50.00	50.00	55.00
आयुर्वेदिक	3.00	3.00	4.00
होम्योपैथिक	0.50	1.00	3.00

दवाइयों की खरीद रोगियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर की जाती है।

येरकाड एक्सप्रेस में नए डिब्बे जोड़ना और सेलम टाउन स्टेशन पर आरक्षण बुकिंग काउंटर खोलना और सेलम जंकशन पर वर्थ के वर्तमान कोटे को दोगुना करना

8321. **श्री सी० पलनीअप्पन** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) येरकाड एक्सप्रेस में नए डिब्बे जोड़ने और केरल एक्सप्रेस की भांति गद्देदार सीटें उपलब्ध कराने के लिए क्या कार्रवाई करने का विचार है ;

(ख) सेलम टाउन स्टेशन पर प्रथम श्रेणी और वातानुकूलित आरक्षण की सुविधा देना, और सेलम जंकशन से गुजरने वाली वोंगाईगांव जैसे गाड़ियों में सेलम के लिए कोटा उपलब्ध कराकर दोनों स्टेशनों पर आरक्षण बुकिंग काउन्टर खोलने और जनता के हित के लिए वर्तमान कोटे को दोगुना करने, क्योंकि सेलम जंकशन पर थोड़े से काउन्टर हैं और वह शहर से दूर हैं ; के लिए क्या कार्रवाई करने का प्रस्ताव है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार शैक्षिक रूप से पिछड़े सभी क्षेत्रों में छोटे मार्गों की गाड़ियां चलाने का है ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) कुशन वाले सवारी डिब्बों की उपलब्धता के अनुसार बिना कुशन वाले सवारी डिब्बों को उत्तरोत्तर कुशन वाले सरकारी डिब्बों से बदला जा रहा है ।

(ख) एक विवरण संलग्न है ।

(ग) गाड़ी सेवाओं की व्यवस्था, प्राप्त होने वाले यातायात और संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर की जाती है ।

विवरण

(ख) सेलम जंकशन पर एक पूर्ण रूपेण आरक्षण कार्यालय है जिसमें 3 आरक्षण काउन्टर हैं । इसी प्रकार, सेलम टाउन में 2 आरक्षण काउन्टर कार्य कर रहे हैं । इन आरक्षण सुविधाओं को पर्याप्त समझा जाता है ।

यातायात के वर्तमान स्तर तथा गाड़ियों में उपलब्ध स्थान के आधार पर, सेलम जंकशन तथा सेलम टाउन पर वातानुकूलित दूसरे दर्जे स्लीपर और पहले दर्जे में निम्नलिखित आरक्षण कोटे की व्यवस्था की गयी है ।

सेलम जंकशन

गाड़ी	आबंटित कोटा	
	पहला दर्जा	वातानुकूलित दूसरा दर्जा स्लीपर
901 न्यू वोंगाईगांव एक्सप्रेस	—	2
6 नीलगिरी एक्सप्रेस	2	—
70 येरकाड एक्सप्रेस	20	—
125 केरल एक्सप्रेस	2	—
26 आइसलैंड एक्सप्रेस	2	—
41 कोचीन एक्सप्रेस	3	—

सेलम टाउन

274	बागोर-बेंगलूरू फास्ट पैसेजर	2	—

विभिन्न स्टेशनों को आबंटित आरक्षण कोटे की समय-समय पर समीक्षा की जाती है और सेलम जंकशन और सेलम टाउन के कोटे को बढ़ाने के प्रश्न पर जून, 1984 में होने वाली अगली समीक्षा के समय विचार किया जाएगा।

जैपोर-मलकोनगिरी रेल लाइन का निर्माण

8322. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में जैपोर मलकोनगिरी रेल लाइन के निर्माण में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ;

(ख) उपर्युक्त रेल लाइन का निर्माण कार्य का आरम्भ किए जाने की आशा है ; और

(ग) उपर्युक्त प्रस्ताव को कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) रेलवे द्वारा जैपोर—मलकोनगिरी के बीच नयी लाइन के लिए इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है। बहरहाल, औद्योगिक विकास निगम, उड़ीसा लि० द्वारा प्रस्तावित सीमेंट संयंत्र को सेवित करने के लिए एक निजी साइडिंग बनाने का प्रस्ताव था। दक्षिण पूर्व रेलवे के कोट्टवलासाकिरनदुल खंड पर लाइन क्षमता की तंगी के कारण परिवहन की दृष्टि से इस सीमेंट संयंत्र की स्वीकृति नहीं दी जा सकती है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

छठी योजना के दौरान विभिन्न पत्तनों के लिए स्वीकृत कार्गो बर्थ और उनकी प्रगति

8323. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या नौवहन और परिवहन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने छठी योजना के दौरान विभिन्न पत्तनों पर कुछ कार्गो बर्थ के निर्माण की स्वीकृति दी है ;

(ख) यदि हां, तो कितने कार्गो बर्थ की स्वीकृति दी गई है और छठी पंचवर्षीय योजना में पत्तन-वार कितनी बर्थों का निर्माण कार्य शुरू हो गया है ;

(ग) विभिन्न पत्तनों में कार्गो बर्थ के निर्माण का कार्य पूरा करने में क्या प्रगति हुई है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) (क) जी, हां।

(ख) और (ग) संस्वीकृत ड्राई कार्गो बर्थों की संख्या और उसके पूरा किए जाने की वास्तविक/संभावित तारीख नीचे दी गई है :—

पत्तन/स्कीम	पूरा किए जाने की वास्तविक/संभावित तारीख
मद्रास	
1. कंटेनट टर्मिनल	18-12-1983 को चालू किया गया।
2. जवाहर डाक का विस्तार	18-12-1983 को पूरा किया गया।
विशाखापतनम	
1. बल्क-कम-जनरल कार्गो बर्थ का निर्माण	दिसम्बर, 1984
पत्तन/स्कीम	**पूरा किए जाने की वास्तविक/संभावित तारीख**
परादीप	
1. थर्ड जनरल कार्गो बर्थ	मार्च, 1985
2. फर्टिलाइजर बर्थ	दिसम्बर, 1985
टूटीकोरिन	
2 जनरल कार्गो बर्थ	1-10-1983 को एक बर्थ चालू किया गया और एक अन्य 30-12-1983 को चालू किया गया।
कांडला	
छठे जनरल कार्गो बर्थ	मई, 1984
मुरगांव	
बहुद्देशीय जनरल कार्गो बर्थ	अक्तूबर, 1984
न्यू मंगलोर	
अतिरिक्त जनरल कार्गो बर्थ	फरवरी 1984 में बर्थ को चालू किया गया।

भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड और तिरूची जंकशन के बीच रेल सेवा प्रारम्भ करना

8324. **श्री एन० सेलवाराजू** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या दैनिक यात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड तथा तिरुचि जंकशन के बीच रेल सेवा प्रारम्भ करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : जी नहीं।

500 और 501 रूट नम्बर वाली दिल्ली परिवहन निगम की बसों को साकेत से पुष्प बिहार होकर अम्बेडकर नगर तक बढ़ाना

8325. **श्री चतुर्भुज** : क्या **नौवहन और परिवहन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली परिवहन निगम रूट नम्बर 80, 85, 801, 803, 804, 806, 807, 811, 812 और 815 को मोतीनगर से कर्मपुरा टर्मिनल, रुट नम्बर 3, 39, 103, 150, 318, 823 और 916 को आई० पी० डिपो से प्रगति मैदान टर्मिनल, रुट नम्बर 410, 412, 418, 450 और 454 को लाजपत नगर से ज़ल बिहार टर्मिनल, रुट नम्बर 430 और 444 को गोविन्द पूरी से नेहरू प्लेस टर्मिनल और रूट नंबर 516, 517, 519 को आई० आई० टी० गेंट से सफदरजंग टर्मिनल तक बढ़ाये जाने से लाखों यात्रियों को लाभ हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार दिल्ली परिवहन निगम की बसों के रूट नम्बर 500 और 501 को साकेत से पुष्प विहार सेक्टर 3 होते हुए, अम्बेडकर नगर टर्मिनल तक, जो साकेत से मुश्किल से 3 किलोमीटर दूर है, बढ़ाने का है ; और

(ग) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) दिल्ली परिवहन निगम ने नोडल सिस्टम के अधीन जो टर्मिनल बनाये हैं उनका प्रयोजन बसों की पार्किंग के लिए उत्तम सुविधा देना, बसों के परिचालन को नियन्त्रित करने के लिए केन्द्रों की स्थापना और बस बदलने में यात्रियों को सहायता प्रदान करना है ; ये टर्मिनल केवल उन क्षेत्रों में स्थापित किए गए हैं जहां ऐसी सुविधाएं नहीं हैं और नई व्यवस्था में मूल टर्मिनल प्वाइंट से लगभग 1 कि० मी० के अन्दर यात्रियों को इससे अधिक लाभ प्रदान नहीं किया जा सकता।

(ख) और (ग) जहां तक रूट नं० 500 और 501 का सम्बन्ध है ये सेवाएं, साकेत से यहां के और मार्ग के बीच में पड़ने वाली कालोनियों के निवासियों की विशेष मांग पर प्रारम्भ की गई हैं। चूंकि साकेत में बसों के खड़े होने की पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हैं, इसलिए किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने से बस परिचालन समस्या होने और इससे प्रभावित क्षेत्रों के यात्रियों में रोष उत्पन्न होने की संभावना है। इसके अतिरिक्त अंबेडकर नगर टर्मिनल अभी तक पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है।

संयुक्त अरब अमीरात की जेलों में बंद मलयालम भाषी

8326. **श्री एम० एम० लारेंस** : क्या **विदेश मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 28 मार्च, 1984 के "टाइम्स आफ इण्डिया" में छपे इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि संयुक्त अरब अमीरात की जेलों में लगभग 4,000 मलयालम भाषी है ;

(ख) यदि हां, तो भारतीय दूतावास ने उन्हें रिहा कराने के लिए क्या प्रयास किए हैं ; और

(ग) उन्हें रिहा कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) जी, हां। 18 मार्च, 1984 के टाइम्स आफ इण्डिया में छपी यह खबर सरकार ने देखी है कि संयुक्त अरब अमीरात की जेलों में लगभग 4000 मलयाली कैद हैं। लेकिन इस खबर में जो आंकड़े दिए गए हैं, वे सही नहीं हैं। इस संबंध में हमारे राजदूतावास द्वारा उपलब्ध कराई गई अद्यतन सूचना के अनुसार आमतौर पर जेलों में कैद भारतीयों की संख्या 200 या 250 से अधिक नहीं होती जो मुख्यत: स्थानीय कानूनों का उल्लंघन करने वाले होते हैं। कभी-कभार इस संख्या में कुछ वृद्धि हो सकती है लेकिन इस दावे का कोई आधार नहीं है कि 4000 मलयाली संयुक्त अरब अमीरात की जेलों में कैद हैं।

(ख) और (ग) प्रत्येक मामले में दोषों अथवा स्थानीय कानूनों के उल्लंघन को ध्यान में रखते हुए हमारे मिशन आवश्यक सलाह और सहायता देते हैं, और जहां जरूरी हो संबंधित प्राधिकारियों से सम्पर्क भी करते हैं। कैदियों के कल्याण के बारे में पूछताछ करते और इस बात में उनकी सहायता करने के लिए हमारे अधिकारी जेलों का दौरा करते हैं ताकि उन पर निष्पक्ष और शीघ्र मुकदमा चलाया जाय। जहां हमारे मिशनों के प्रयास पर्याप्त न हों और सरकार के लिए हस्तक्षेप करना जरूरी हो वहां सरकार सम्बद्ध मामले को समुचित रूप से उठाती है।

तिरोदी-काटांगी रेल लाइन का सर्वेक्षण

8327. **श्री बाबूराव परांजपे** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के कालाघाट जिले में दक्षिण रेलवे में नई तिरोदी काटांगी रेल-लाइन के निर्माण के लिए सर्वेक्षण कार्य पूरा हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण कार्य का ब्योरा क्या है और उसमें कितना खर्च होने की सम्भावना है ; और

(ग) रेलवे विभाग द्वारा इस रेल लाइन का निर्माण कार्य कब तक पूरा कर लिया जायेगा ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) से (ग) जबलपुर-गोंदिया और बेलाघाट – कटंगी छोटी लाइन खंड को बड़ी लाइन में बदलने के लिए 1980 में किए गए प्रारम्भिक इन्जीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण के सम्बन्ध में, बड़ी लाइन को तिरोड़ी से कटंगी (18.7 कि० मी०) तक बढ़ाने की सम्भावना पर दक्षिण-पूर्व रेलवे के सर्वेक्षण दल ने विचार किया था। यह समग्र परियोजना लाप्रद नहीं पायी गयी। संसाधनों की भारी तंगी को देखते हुए, इस मामले पर आगे कार्यवाही नहीं की गयी है।

दानापुर डिवीजन में बाक्स पोर्टरों को पगड़ी और गर्म और ठंडी वर्दी की सप्लाई

8328. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्व रेलवे में बाक्स पोर्टरों को पगड़ी और गर्म तथा ठंडी वर्दियां सप्लाई की जाती हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि दानापुर डिवीजन में बाक्स पोर्टरों को सप्लाई की जाने वाली पगड़ी और वर्दी पिछले 3-4 वर्षों से सप्लाई नहीं की जा रही हैं ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का उन्हें यह लाभ पुनः बहाल करने का विचार है और यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

ताजमहल पर तेजाबी वर्षा के सम्बन्ध में पूर्व उपाय

8329. **श्री दिगम्बर सिंह** : क्या **शिक्षा और संस्कृति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ पर्यावरण विशेषज्ञों ने आगरा पर तेजाबी वर्षा होने की सम्भावना के विरुद्ध चेतावनी दी है और कहा है कि ताज तहल पर इसका प्रभाव विनाशकारी होंगे, और

(ख) यदि हां, तो इस सम्भावित विपदा से बचने के लिए सरकार का क्या पूर्व-उपाय करने का विचार है ?

शिक्षा तथा संस्कृति और समाज कल्याण मन्त्रालयों में उप मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी, हां। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा वर्षा के जल में तेजाब की मात्रा को निश्चित करने के लिए भिन्न-भिन्न दशाओं में किए गए उसके विश्लेषण से भारी मात्रा में उसमें तेजाब के होने का कोई संकेत नहीं मिला है ।

(ख) उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश पर विभिन्न अभिकरणों द्वारा विशिष्ट उपाय किए गए हैं जैसे दो तापीय संयंत्रों को बन्द करवाना, रेलवे मार्शलिंग यार्ड में वाष्प चालित इन्जन के स्थान पर डीजल चालित इन्जन बदलवाना और ढलाईघरों को स्थानान्तरित किए जाने के लिए वैकल्पिक स्थल की व्यवस्था करना। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र में उद्योग चलाने के लिए नये लाइसेंस नहीं दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार के वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण के जरिये हरित पट्टी बनाने का कार्य प्रगति पर है।

खान-पान सेवा विभाग में संवर्गों का पुनर्गठन

8330. **श्री मोहम्मद इस्माइल** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड ने भारतीय रेल विभाग के संवर्गों का पुनर्गठन करने के लिए 29 जुलाई, 1983 को आदेश जारी किए थे ;

(ख) यदि हां, भारतीय रेल विभाग में कितने संवर्गों का पुनर्गठन किया गया है ; और

(ग) क्या रेलवे के खान-पान विभाग में संवर्ग पुनर्गठन किया गया है ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) जी, हां ।

(ख) 29 जुलाई, 1983 के पुनर्संरचना सम्बन्धी आदेशों के अन्तर्गत वर्ग "ग" और वर्ग "घ"

की 24 कोटियों के कर्मचारी आते हैं और इनमें वाणिज्य (खान पान) विभाग के कर्मचारी भी सम्मिलित हैं।

(ग) पिछली बार 1976 के दौरान की गयी पुनर्संरचना में खान-पान विभाग के कर्मचारियों को शामिल किया गया था। खान-पान विभागों की ऐसी अन्य कोटियों, जिन्हें जुलाई, 1983 के पुनर्संरचना आदेशों में शामिल नहीं किया गया है, की आगे पुनर्संरचना करने पर यथोचित समय में विचार किया जायेगा।

क्षेत्रीय पार-पत्र कार्यालय नई दिल्ली में कार्यरत कर्मचारियों की लापरवाही

8331. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या **विदेश मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 14 मार्च, 1984 के "स्टेट्समैन" में क्षेत्रीय पार-पात्र कार्यालय, नई दिल्ली में कार्यरत कर्मचारियों की लापरवाही के बारे में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो पार-पत्र कार्यालय के गलती करने वाले कर्मचारियों द्वारा की जाने वाली ऐसी चूकों और लापरवाही की रोकथाम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) सरकार ने 14 मार्च, 1984 के "स्टेट्समैन" में छपी इस खबर को देखा है।

इस मामले की वास्तविकता यह है कि एक पासपोर्ट पुस्तिका, जो अधूरी भरी हुई थी, भूल से पासपोर्ट आवेदक को भेज दी गई थी। आवेदक से तत्काल संपर्क किया गया और जो जरूरी बातें उनके पासपोर्ट में छूट गई थीं उन्हें 21 मार्च, 1984 को ही पूरा कर दिया गया। दिल्ली स्थित क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी ने सभी अधिकारियों और अमले को एक बार फिर अनुदेश दिए हैं कि वे पासपोर्ट सम्बन्धी सेवाएं प्रदान करने में अधिक सावधानी बरतें।

(ख) इस मन्त्रालय ने समूचे देश में तथा विदेशों में पासपोर्ट आवेदकों को प्रदान की जा रही सुविधाओं में सुधार लाने के आवश्यक उपाय बरते हैं। हाल ही में आयोजित अखिल भारतीय पासपोर्ट अधिकारी सम्मेलन में इस बात की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया कि पासपोर्ट अधिकारी न केवल ऐसी सेवाएं शीघ्र प्रदान करने पर बल्कि इन सेवाओं में सुधार लाने पर भी निरन्तर ध्यान दें। पासपोर्ट आवेदकों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं की आम तौर से सराहना की गई है।

डा० के० एस० सरीजीनी के सुझाव के अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का पुन: स्थापना

8332. **श्री अमरसिंह राठवा** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक सुविख्यात डाक्टर के० एस० सरीजीवी ने देश में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का पुन: स्थापना करने की मांग की है ;

(ख) यदि हां, तो देश में प्रत्येक व्यक्ति को और खास तौर पर ग्रामीण तथा आदिवासी क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए दिए गए सुझावों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इन सुझावों को कार्यान्वित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) से (ग) सरकार को किसी सुविख्यात डा० सरीजीवी के बारे में कोई जानकारी नहीं है। वैसे, एक डा० के० एस० संजीवी ने प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करने के लिए स्थानीय लोगों के सहयोग से लघु स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के बारे में सुझाव दिए थे। इस योजना को प्रायोगिक आधार पर तमिलनाडु के कुछेक क्षेत्रों में क्रियान्वित किया जा रहा है।

निरक्षर जनता को प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत लाने के लिए राज्यों को निदेश

8333. **श्री नवीन रावणी** : क्या **शिक्षा और संस्कृति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने छठी योजना अवधि के दौरान निरक्षर जनता को प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत लाने का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कार्य चालान योजनाओं का प्रस्ताव करने के निदेश दिए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो जारी किए गए निदेशों और राज्यों की प्रतिक्रिया का ब्यौरा क्या है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों की राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) और (ख) अप्रैल, 1982 में सभी राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों से 1990 तक निरक्षरता उन्मूलन के लिए विस्तृत संचालन योजनाएं तैयार करने के लिए अनुरोध किया गया था। जैसी कि न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम और नए 20 सूत्री कार्यक्रम की परिकल्पना की गई है। उन सामान्य मार्गदर्शी रूप रेखाओं को ध्यान में रखते हुए, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ राष्ट्रीय साक्षरता स्तर से नीचे के जिलों में प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों को खोलने, महिलाओं तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के नवजीवियों को व्यापक रूप से शामिल करना, अनुसूचित जातियों की बस्तियों में केन्द्र स्थापित करना तथा स्वैच्छिक एजेंसियों और छात्रों को शामिल करने की परिकल्पना है। जम्मू और कश्मीर, अण्डमान, निकोबार द्वीपसमूह, अरुणाचल प्रदेश, दादरा तथा नगर हवेली, दिल्ली, और मिजोरम को छोड़कर सभी राज्यों से संचालन योजनाएं प्राप्त हो गई हैं। इन राज्यों से अपनी संचालन योजनाएं शीघ्र भेजने के लिए अनुरोध किया गया है।

विद्यालयों के भवनों के निर्माण के लिए विश्व बैंक से अनुदान

8334. **श्री मोहनलाल पटेल** : क्या **शिक्षा और संस्कृति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार विभिन्न राज्यों में विद्यालयों के भवनों के निर्माण के लिए विश्व बैंक और अन्य देशों से अनुदान प्राप्त करती रही है ;

(ख) यदि हां, तो अब तक प्राप्त ऐसे अनुदानों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) विभिन्न राज्यों को कितनी धनराशि वितरित की गई है और गुजरात को कितनी धनराशि का आबंटन किया गया है ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों की राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) से (ग) विश्व बैंक से कोई अनुदान प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, अप्रैल, 1983 में हस्ताक्षर किए गए एक करार के अन्तर्गत यू० के० सरकार केवल आन्ध्र प्रदेश में ही प्राथमिक स्कूल भवन के निर्माण के लिए प्रथम चरण में 10 लाख पौंड स्टर्लिंग की वित्तीय सहायता देगी। प्रथम चरण, में प्राप्त निष्कर्ष पर ही एक उत्तरवर्ती चरण की परिकल्पना की गई है। इस करार के अन्तर्गत किसी अन्य राज्य को वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं कराई जाएगी।

कुछ औषधों पर प्रस्तावित नियन्त्रण समाप्त करने का राष्ट्रीय योजना पर प्रभाव

8335. **श्री के० प्रधानी** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उर्वरक और रसायन मन्त्रालय द्वारा उनके मन्त्रालय से कहा है कि वह कुछ औषधों पर नियन्त्रण न रखने के प्रस्ताव का राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करें ; और

(ख) यदि हां, तो दिन-प्रति-दिन के उपयोग में ऐसे कौन-कौन से औषध आते हैं, जिनको अनियन्त्रित करने का सुझाव दिया गया है तथा इस सम्बन्ध में उनके मन्त्रालय द्वारा क्या दृष्टिकोण अपनाया गया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (कुमारी कुमुदबेन एम० जोशी) : (क) नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

योग्यता प्राप्त व्यक्तियों को विदेशों को भेजा जाना

8336. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **विदेश मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार तथा सऊदी अरब जैसी कुछ सरकारों के बीच विवाद के कारण सम्बन्धित सरकारों की इच्छा के बावजूद तकनीकी दृष्टि से योग्यता प्राप्त लोगों, जैसे चिकित्सक आदि, को इन देशों को भेजा जाना सम्भव नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विभेद दूर करने और उन देशों को तकनीकी दृष्टि से योग्य व्यक्तियों को भेजने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० ए० रहीम): (क) जी, नहीं। यह सही नहीं है कि

भारत सरकार और सऊदी अरब जैसी कुछ सरकारों के साथ मतभेदों के कारण सम्बन्धित सरकारों की इच्छा के बावजूद डाक्टरों आदि तकनीकी योग्यता प्राप्त व्यक्तियों को इन देशों में भेजना सम्भव नहीं हो सका है। डाक्टरों और अन्य विशेषज्ञों की भर्ती सन्तोषजनक ढंग से जारी है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड की भर्ती नीति

8337. **श्री ए० नीललोहितदसन नाडार** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड द्वारा विद्यमान नियमों के अनुसार भर्ती की जा रही है ;

(ख) क्या सरकार को ऐसी कोई शिकायत मिली है कि हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड का प्रबंध मण्डल इन नियमों का उल्लंघन कर रहा है, और

(ग) यदि हां, तो शिकायत का ब्यौरा क्या है और उन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) से (ग) हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड की एक यूनियन से कतिपय नियुक्तियां करने में नियमों, विनियमों आदि के कथित उल्लंघन के बारे में एक शिकायत मिली थी। हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड ने सूचित किया है कि इन नियुक्तियों के करने में ऐसा कोई उल्लंघन नहीं किया गया है।

भारत और चीन के बीच स्वास्थ्य और परिवार नियोजन के क्षेत्र में द्विपक्षीय आदान-प्रदान

8338. **श्री रामकृष्ण भोरे** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत और चीन स्वास्थ्य और हाल ही में समाप्त हुए जनसंख्या और विकास पर एशियाई संसद मंच के सम्मेलन में स्वास्थ्य और परिवार नियोजन के क्षेत्र में द्विपक्षीय आदान-प्रदान पर सहमत हो गए हैं, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती मोहसिना किदवई) : (क) और (ख) 17 से 20 फरवरी, 1984 को नई दिल्ली में हुए जनसंख्या और विकास पर सांसदों के एशियन मंच के पहले सम्मेलन के बाद चीन और भारत के सांसदों के प्रतिनिधि मण्डल ने दोनों देशों के बीच परिवार नियोजन और जीव-चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्रों में आपसी सहयोग को बढ़ावा देने और सुविज्ञता तथा जानकारी का आदान-प्रदान करने के बारे में विचार-विमर्श किया। भारतीय और चीनी प्रतिनिधिमण्डल के बीच हुए द्विपक्षीय विचार-विमर्श के सारांश की एक प्रतिलिपि संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

जनसंख्या और विकास पर सांसदों के एशियन मंच के पहले सम्मेलन में भारतीय और चीनी प्रतिनिधिमंडल के बीच हुए द्विपक्षीय विचार-विमर्श का सारांश

23 फरवरी, 1984

17 से 20 फरवरी, 1984 को नई दिल्ली में एशियन मंच के पहले सम्मेलन में भाग ले रहे एशिया और प्रशान्त के 25 देशों के प्रतिनिधिमण्डलों को इस सम्मेलन के फलस्वरूप पारस्परिक ज्ञान और जानकारी को बढ़ावा देने का अवसर मिला।

इस सम्मेलन में सर्वसम्मति से एक घोषणा-पत्र पारित किया गया जिसमें एशिया और पैसिफिक राष्ट्रों के संसदीय संगठनों की अधिक शिरकत और आपसी सहयोग पर बल दिया गया।

इसके अनुसरण में एशियन क्षेत्र के अत्यधिक आबादी वाले दो देशों, चीन और भारत के सांसदों के प्रतिनिधिमंडल ने परिवार नियोजन और जीव चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान के क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग और विचारों के आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए विचार-विमर्श किया।

दोनों प्रतिनिधिमंडलों की इस बात पर एक राय थी कि जनसंख्या सम्बन्धी समस्याएं समाजार्थिक विकास और लोगों के कल्याण स्तर को सीधा प्रभावित करती हैं और दोनों प्रतिनिधिमण्डलों का विश्वास था कि परिवार नियोजन का विशेष महत्व है क्योंकि वे ऐसा समझते हैं कि निरन्तर बढ़ती हुई आबादी का समग्र विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

भारत और चीन, दोनों राष्ट्रों ने जीव चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान और परिवार नियोजन के क्षेत्रों में काफी प्रगति की है।

दोनों देशों के बीच उपर्युक्त क्षेत्रों में प्रभावी सहयोग स्थापित करने के उद्देश्य से चीन राष्ट्रीय जन कांग्रेस के प्रतिनिधियों और भारतीय संसद सदस्यों, जिन्होंने कि नई दिल्ली में जनसंख्या और विकास पर सांसदों के एशियन मंच के सम्मेलन में भाग लिया था, इस बात से सहमत थे कि निम्न-लिखित विषयों में दोनों देशों के सम्बन्धित निकायों और व्यक्तियों के बीच सांसदों, विज्ञानियों सहित शैक्षिक एवं अनुसंधान कार्मिकों, सामाजिक वैज्ञानियों और एन० जी० ओ० एस० के द्विपक्षीय विचार-विमर्श को बल और बढ़ावा दिया जाए :—

1. परिवार नियोजन कार्य के प्रति सांसदों के विचारों का आदान-प्रदान।
2. जीव चिकित्सा विज्ञान और परिवार नियोजन तकनीक में हुई प्रगति के परिणाम की जानकारी और अनुसंधान का आदान-प्रदान।
3. सेवाएं प्रदान करने की सम्प्रेषण पद्धति और लोगों की भागीदारी के सम्बन्ध में निचले स्तर पर परिवार कल्याण कार्यक्रम के कार्यान्वयन के अनुभव का आदान-प्रदान।
4. जनसंख्या शिक्षा और परिवार नियोजन प्रशिक्षण के कार्य में लगे परा-चिकित्सा तथा प्रबन्धक एवं क्षेत्रीय कार्मिकों के कार्य का आदान-प्रदान।

दोनों प्रतिनिधि-मंडल यह आशा करते हैं कि विचारों के आदान-प्रदान से उनके अपने-अपने देशों के परिवार नियोजन कार्यक्रमों के विकास को तेज करने और समाजार्थिक विकास को मजबूत बनाने के लिए जीव चिकित्सा अनुसंधान करने में सुविधा हो सकती है।

दोनों प्रतिनिधि मंडलों का यह विश्वास है कि इन क्षेत्रों में जो अनुभव प्राप्त हुए हैं उनसे समग्र क्षेत्र के लोगों को लाभ होगा।

चीन प्रतिनिधि-मंडल के उप-नेता श्री हु केशी, संसद सदस्य, स्थायी समिति के सदस्य तथा चीन गणराज्य के शैक्षिक, वैज्ञानिक सांस्कृतिक और स्वास्थ्य समिति के उपाध्यक्ष ने भारतीय प्रतिपक्ष के प्रतिनिधि श्री सत पाल मित्तल संसद सदस्य, अध्यक्ष इण्डियन एसोसियेशन आफ पार्लीयामेंटरियन्स आन पापुलेशन एण्ड डेवलपमेंट (आई० ए० पी० पी० डी०) से विचार-विमर्श करने के लिए चीनी प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया। चीन प्रतिनिधि-मंडल के नेता श्री हुयां हुआ, संसद सदस्य, एन० के० स्थायी समिति के उपाध्यक्ष, तथा चीन गणराज्य के भूतपूर्व वाइस-प्रिमियर तथा विदेश मन्त्री विचार-विमर्श के अन्त में पहुंचे और उसके बाद ही रात्रि-भोज का समय हो गया। बीजिंग के भारतीय राजदूत श्री वेंकेटेस्वरन भी रात्रि-भोज में उपस्थित थे। दोनों प्रतिनिध-मंडलों में निम्नलिखित सदस्य थे।

चीन	भारत
1. श्री हु केशी, संसद सदस्य	1. श्री सतपाल मित्तल, संसद सदस्य, आई० ए० पी० पी० डी० के अध्यक्ष
2. श्री यन रेनयंग, संसद सदस्य	2. श्री के० लक्कप्पा, संसद सदस्य
3. श्री यंग योंगी, संसद सदस्य	3. श्री जे० के० जैन, संसद सदस्य
4. श्री मेडम हि लिलियंग, संसद सदस्य	4. श्रीमती प्रोमला दण्डवते, संसद सदस्य
5. श्री जियंग तियनशुई, संसद सदस्य	5. श्री रफीक जकारिया, संसद सदस्य
6. श्री डांग यूचांग, संसद सदस्य	6. श्री भाई महावीर, संसद सदस्य
7. श्री तियन जिक्सियंग	7. श्री अरकल जेवियर, संसद सदस्य
8. श्री हुयांग यूलिन	8. श्री कमालुद्दीन अहमद, संसद सदस्य
9. श्री जेंग जिगलेन	9. श्री डी० सी० जैन
10. श्री जायों झिपे	10. श्री रामलाल पारिख
11. श्री जांग डिलियांग	
12. श्री पेंग सेंन	

केन्द्रीय विद्यालय सैक्टर-II आर० के० पुरम में मानविकी के पाठ्यक्रम को समाप्त करना

8339. **श्री बाबू राव परांजपे** : क्या **शिक्षा और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय विद्यालय सैक्टर-II आर० के० पुरम में 8 फरवरी 1983 तक विज्ञान, वाणिज्य शास्त्र और मानविकी पाठ्यक्रम चल रहे थे ;

(ख) क्या यह भी सच है कि वर्ष 1982-83 सत्र से उसमें से मानविकी पाठ्यक्रम को समाप्त कर दिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में उप मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) फरवरी, 1983 में केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने यह निर्णय किया था कि यदि किसी स्थान पर दो अथवा अधिक केन्द्रीय विद्यालय हों तो उनमें से एक या दो का प्रत्याशित दाखिलों के आधार पर उन्हें स्तरोन्नत किया जा सकता है और यदि सम्भव हो तो पाठ्यक्रमों को उनमें बांट दिया जाए। तदनुसार, शैक्षिक सत्र 1983-84 से केन्द्रीय विद्यालय सैक्टर-II, रा० क्र० पुरम से मानविकी पाठ्यक्रम को समाप्त कर दिया गया था और केन्द्रीय विद्यालय सैक्टर-II/, रा० क्र० पुरम में शामिल कर दिया गया था। वास्तव में रा० क्र० पुरम में 2-3 किलोमीटर की दूरी के अन्दर 3 केन्द्रीय विद्यालय हैं, एक सैक्टर-II में स्थित है, दूसरा सैक्टर-II/ और तीसरा सैक्टर I/III में, इन सभी विद्यालयों में जमा दो (अर्थात् ×I और ×II) कक्षाएं चल रही हैं। इन कक्षाओं में संस्वीकृत पाठ्यक्रम इस प्रकार हैं :—

केन्द्रीय विद्यालय सैक्टर-II रा० क्र० पुरम	विज्ञान और वाणिज्य
केन्द्रीय विद्यालय, सैक्टर II/रा० क्र० पुरम	विज्ञान और मानविकी
केन्द्रीय विद्यालय, सैक्टर I/III, रा० क्र० पुरम	विज्ञान और मानविकी

इराक-ईरान युद्ध में रासायनिक हथियारों का प्रयोग

8340. **श्री रामकृष्ण मोरे** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ईरान सरकार ने इराक द्वारा युद्ध में रासायनिक हथियारों के प्रयोग की निर्गुट सम्मेलन द्वारा जांच करने का निवेदन किया है ;

(ख) यदि हां, तो ईरान सरकार के निवेदन पर निर्गुट सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में प्रधान मंत्री की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) क्या तथ्यों का पता लगाने के लिए कोई आयोग भेजा जायेगा ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) जी, हां।

(ख)और (ग) इस तरह के किसी अनुरोध पर गुट-निरपेक्ष आंदोलन के सदस्यों की आम सहमति से ही कोई निर्णय लिया जा सकता है। तथापि यह अनुरोध मिलने के फौरन बाद ही संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने इस मामले की जांच करने के लिए संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों का एक दल ईरान भेजा। यह दल अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर चुका है जिसे संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने सुरक्षा परिषद को भेज दिया है।

गैर-हिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी शिक्षण

8341. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या **शिक्षा और संस्कृति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गैर हिन्दी भाषी राज्यों विशेषकर उड़ीसा में हिन्दी शिक्षण की क्या नीति है; और

(ख) गैर-हिन्दी भाषी राज्यों और विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में हिन्दी शिक्षा को लोकप्रिय बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में उप मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : (क) और (ख) राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1968 में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित व्यवस्था की गई है :—

> "हिन्दी के विकास को बढ़ावा देने के लिए हर प्रकार का प्रयास किया जाना चाहिए। सम्पर्क भाषा के रूप में हिन्दी का विकास करने में यह सुनिश्चित करने के लिए कि संविधान के अनुच्छेद-351 में की गई व्यवस्था के अनुसार भारत की संयुक्त संस्कृति के सभी घटकों के लिए हिन्दी अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में काम करेगी। अहिन्दी भाषी राज्यों में कालेजों तथा उच्चतर शिक्षा की अन्य संस्थाओं की स्थापना, जो शिक्षा के माध्यम के रूप में हिन्दी का प्रयोग करती हैं, को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।"

उपर्युक्त के अतिरिक्त भारत सरकार की त्रिभाषा सूत्र सम्बन्धी नीति इस प्रकार है :—

> "राज्य सरकारों को माध्यमिक स्तर पर त्रिभाषा सूत्र को अपनाना चाहिए तथा इसे तत्परता से लागू करना चाहिए जिसमें हिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी और अंग्रेजी के अलावा अधिमानतः एक दक्षिणी भाषा सहित आधुनिक भारतीय भाषा का अध्ययन शामिल है और अहिन्दी भाषी राज्यों में प्रादेशिक भाषा और अंग्रेजी सहित हिन्दी का अध्ययन शामिल है। निर्धारित विश्वविद्यालयीय मानकों तथा इन भाषाओं के छात्रों की प्रवीणता को सुधारने की दृष्टि से विश्वविद्यालयों और कालेजों में हिन्दी और/अथवा अंग्रेजी में उपयुक्त पाठ्यक्रम भी उपलब्ध होना चाहिए।"

अहिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी को लोकप्रिय बनाने की दृष्टि से शिक्षा और संस्कृति मन्त्रालय अहिन्दी भाषी राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों में हिन्दी के शिक्षण के लिए निम्नलिखित सुविधा प्रदान करता है :—

(i) अहिन्दी भाषी राज्यों को उनके स्कूलों में हिन्दी शिक्षकों की नियुक्ति के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना ;

(ii) स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करना ताकि वे हिन्दी शिक्षण कक्षाएं आयोजित कर सकें, पुस्तकालयों तथा वाचनालय कक्षों का अनुरक्षण कर सकें, तथा हिन्दी आशुलिपि और टंकण आदि की कक्षाएं चला सकें।

(iii) हिन्दी शिक्षक प्रशिक्षण कालेज स्थापित करने के लिए सहायता प्रदान करना ;

(iv) मैट्रिक स्तर के बाद हिन्दी के अध्ययन के लिए अहिन्दी भाषी राज्यों के छात्रों को छात्रवृत्तियां प्रदान करें ;

(v) हिन्दी के शिक्षण के लिए पत्राचार पाठ्यक्रम आयोजित करने के कार्यक्रम चलाना तथा उनका विस्तार करना ;

(vi) विभिन्न संगठनों को हिन्दी की पुस्तकें उपलब्ध कराना ; और

(vii) केन्द्रीय हिन्दी शिक्षण मण्डल, आगरा के माध्यम से हिन्दी के शिक्षण के प्रणाली विज्ञान पर अनुसंधान आयोजित करना।

लिपिकों के पद के लिए अर्हता

8342. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड ने अपने विज्ञापन नोटिस संख्या 1,1982 के द्वारा लिपिक और अन्य पदों के लिए आवेदन पत्र आमन्त्रित किए थे ;

(ख) यदि हां, तो क्या इन पदों के लिए आवश्यक निर्धारित अर्हता 50 प्रतिशत न्यूनतम अंकों सहित मेट्रिकुलेशन थी ; और

(ग) यदि हां, तो यह सीमा लगाने के कारण क्या हैं और क्या इसके परिणामस्वरूप बेरोजगारी में वृद्धि नहीं होगी ?

रेल मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) उच्च अर्हता वाले व्यक्तियों की तुलना में जो आवेदन देते हैं उसकी रोकथाम के उपाय के रूप में यह सीमा लगायी गयी है। इससे बेरोजगारी में कोई बढ़ोत्तरी नहीं होती है क्योंकि रिक्तियों की संख्या कहीं अधिक होती है जो अपेक्षाएं पूरी करते हैं।

भारत अमेरिकी सम्बन्धों में सुधार

8343. **श्री बी० वी देसाई** :

श्री एन० के० शेजवलकर :

क्या **विदेश मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत के साथ बेहतर सम्बन्धों पर जोर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत के राजदूत का स्वागत करते हुए यह भी महसूस किया था कि दोनों देशों के बीच सम्बन्धों में सुधार की आवश्यकता है ;

(ग) यदि हां, तो क्या दोनों देशों के मध्य सम्बन्धों में कोई सुधार हुआ है ;

(घ) यदि हां, तो क्या दोनों के बीच सम्बन्धों में सुधार में अमेरिकी सरकार द्वारा पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई करते रहना और हिन्द महासागर में अड्डों के बारे में अमेरिकी दृष्टिकोण ही एकमात्र बाधा है ;

(ङ) यदि हां, तो विवाद के विषय क्या हैं ; और

(च) सरकार दोनों देशों के मध्य सम्बन्धों में सुधार के प्रति किस सीमा तक आश्वस्त है। में

विदेश मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० ए० रहीम) : (क) और (ख) अमरीका स्थित भारतीय राजदूत द्वारा प्रत्यय-पत्र प्रस्तुत करने के अवसर पर अमरीका के राष्ट्रपति रीगन ने कहा था कि 'विशेषकर 1982 में आपकी प्रधान मन्त्री द्वारा अमरीका की यात्रा के बाद से हमने अमरीका और भारत के बीच सहयोग को सुदृढ़ करने में विशेष रूप से महत्वपूर्ण प्रगति की है। मेरा विश्वास है कि यदि इस मामले में यथार्थवादी दृष्टिकोण से तरीके से काम लें कि जिससे आपसी भरोसे और विश्वास का निर्माण हो तो यह सहयोग और भी सुदृढ़ हो सकता है। आपने जो कुछ कहा है उससे लगता है कि भारत का ऐसा ही करने का इरादा है और इसके जवाब में अमरीका भी जो कुछ कर सकता है, अवश्य करेगा।

(ग) से (च) विश्व के अन्य अनेक देशों की तरह ही अमरीका के साथ भी बहुत सी बातों हमारी समान दिलचस्पी है। इसके साथ ही ऐसे सवाल और मसले भी हैं जिनपर भारत और अमरीका के दृष्टिकोण भिन्न हैं। इनमें एक सवाल यह भी है कि अमरीका पाकिस्तान को उसकी वाजिब जरूरतों से अधिक जो अत्युन्नत शस्त्रास्त्र दे रहा है उनके निहितार्थ क्या होंगे। तथापि भारत सरकार का प्रयास है कि अमरीका के साथ सम्बन्धों के वातावरण को सुधारा जाए और सरकार उम्मीद करती है कि अमरीका सरकार भी भारत की प्रमुख चिन्ताओं और उसके हितों का पर्याप्त ध्यान रखेगी।

12.00

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : अध्यक्ष महोदय, मेरा पौइन्ट आफ आर्डर है। मैंने काम रोको प्रस्ताव दिया था। पाकिस्तान के हवाई जहाज दो दफा पजाब में आए। आप पूरा सुन लें मुझे और अभी कश्मीर में वायलेशन किया है दो दफा हवाई जहाज ने। यह स्टेटमेंट है पहले वाले के बारे में। अब जो हवाई जहाज के पायलट पकड़े गए हैं उनसे हथियार पकड़े गए हैं.....

अध्यक्ष महोदय : ऐसा है मनीराम जी, जब आपने मुझे दिया है तो मैंने देख लिया, मैंने पढ़ा है।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : महोदय, अपना विनिर्णय मत दीजिए हम एक उदाहरण उद्धृत

करेंगे। वह जो कहना चाहते हैं, उन्हें कहने दीजिए। श्री बागड़ी के समर्थन में मैं भी कुछ करना चाहता हूं ·····(**व्यवधान**)·····

श्री राम विलास पासवान : मैंने भी स्थगन प्रस्ताव दिया है·····(**व्यवधान**)·····

श्री मनीराम बागड़ी : अभी वायलेशन हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : उसी की बात कर रहा हूं।

श्री मनीराम बागड़ी : पहले हम बरूआ का·····

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : यह बहुत गम्भीर मामला है। क्या सरकार को इस मामले पर चर्चा करने में कुछ आपत्ति है ?

संसदीय कार्य, खेल और निर्माण तथा आवास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : माननीय रक्षा मन्त्री इस बारे में अध्यक्ष महोदय को पहले ही लिख चुके हैं। वह वक्तव्य देने जा रहे हैं और तत्पश्चात् हम चर्चा कर सकते हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : कृपया मुझे एक निवेदन करने की अनुमति दीजिए। मैं बताना चाहता हूं कि हममें से कई सदस्यों ने इस विषय पर स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है ; पाकिस्तान के दो जहाज आए और उन्होंने हमारी वायु सीमा का उल्लंघन किया तथा उनमें से एक जहाज पंजाब में उतरा।

मेरे पास लोक सभा के 19 नवम्बर, 1963 का कार्यवाही वृत्तांत हैं। नाथ पाई ने सदन से इसी विषय पर, जब बालकॉट्र ने भागने का प्रयत्न किया, स्थगन प्रस्ताव की अनुमति मांगी थी। वह विदेश से एक हवाई जहाज लाया था ; वह यहां उतरा, ट्रक में कारतूस भरे और भाग निकला। अध्यक्ष ने कहा कि सत्ताधारी दल के सदस्यों को भी स्थगन प्रस्ताव पर आपत्ति नहीं हैं और 19 नवम्बर को नाथ पाई के. स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की गई और अन्ततः उसे नामन्जूर कर दिया गया। मैंने पूर्वोदाहरण उद्धृत किया है। यह सही मामला है·····

अध्यक्ष महोदय : उनमें कोई समानता नहीं·····

श्री जयपाल सिंह कश्यप (अंबाला) : उसी दिन फिरोजपुर में दो जगह·····

अध्यक्ष महोदय : मैंने कहा फायदा क्या है।

मैं भी यही बात कह रहा हूं। यदि 10 या 50 लोग एक ही बात कहते हैं, तो यह एक ही बात है। मेरे पास यह है। रक्षा मन्त्री ने इसी बारे में लिखा है, जो आप कह रहे हैं अर्थात् कल पाकिस्तान के छोटे हवाई जहाज का मुकेरियां, होशियारपुर में उतरना।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : वह वक्तव्य कब देने जा रहे हैं ? आज ?

अध्यक्ष महोदय : नहीं, उन्हें सूचना एकत्र करनी है।

श्री चन्द्रजीत यादव : इन मामलों पर जब देश को चिन्ता होती है, इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उन्हें आज ही वक्तव्य क्यों नहीं देना चाहिए ?

अध्यक्ष महोदय : यह कुछ है ; वह कुछ और है।

(व्यवधान)

श्री मनीराम बागड़ी : लोक-सभा में रक्षा के सवाल पर काम रोको प्रस्ताव पहले आ चुका है।

श्री चन्द्रजीत यादव : महोदय, कृपया सुनिए। राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रश्न पर, सरकार को प्राथमिकता देनी ही चाहिए। **(व्यवधान)**

श्री सतीश अग्रवाल : एक ओर सरकार स्वयं कह रही है कि भारत के चारों ओर अन्य देशों ने बहुत कड़ी सुरक्षा की है ; बाहरी खतरे हैं **(व्यवधान)** जब हम यह मामला उठा रहे हैं, तो सरकार को इस पर आपत्ति क्यों है और उन्हें वक्तव्य अभी ही क्यों नहीं देना चाहिए और वह इसी वक्त चर्चा करने पर सहमत क्यों नहीं होते ? **(व्यवधान)**

प्रो० मधु दण्डवते : मैं व्यवस्था के प्रश्न पर कह रहा हूं। मैं व्यवस्था के प्रश्न पर आपका विनिर्णय चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं केवल इतना कह सकता हूं कि मन्त्री महोदय मुझे, और मेरे माध्यम से पूरे सदन को यह आश्वसन देने के लिए बहुत उत्सुक हैं कि वह वक्तव्य देने जा रहे हैं।

श्री सतीश अग्रवाल : कब ?

अध्यक्ष महोदय : उस समय वह यह नहीं जानते थे कि 21 तारीख को हमारी बैठक होने वाली है। क्या ऐसा नहीं है ? फिर उस दिन छुट्टी थी और वह मद्रास चले गए थे, लेकिन उन्होंने इस पत्र में मुझे लिखा कि वह 23 को वक्तव्य देने जा रहे हैं। लेकिन चूंकि सदन की बैठक 21 तारीख को हो रही है। अतः मैं संसदीय कार्य मन्त्री से अनुरोध कर रहा हूं कि वक्तव्य 21 तारीख को दिया ही जाना चाहिए। **(व्यवधान)**

श्री सतीश अग्रवाल : यह एक महत्वपूर्ण मामला है। प्रधानमन्त्री भी उपस्थित हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं व्यवस्था के प्रश्न के सम्बन्ध में कह रहा हूं। **(व्यवधान)**

श्री चन्द्रजीत यादव : राष्ट्रीय सुरक्षा के इतने महत्वपूर्ण मामले पर, सब कुछ मन्त्री महोदय की सुविधानुसार नहीं किया जा सकता। हम यह सब सुनने नहीं जा रहे। कोई अन्य मन्त्री यह कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : उन्हें सूचना एकत्र करनी है। श्री यादव, क्या आप मेरी बात से सहमत होंगे कि उन्हें सूचना प्राप्त करनी है। उन्हें आपके समक्ष तथ्य रखने हैं।

(व्यवधान)

श्री चन्द्रजीत यादव : इतना ही पर्याप्त नहीं है कि वह आपको पत्र लिखते हैं।

अध्यक्ष महोदय : यदि हम इस मामले पर 2-3 को चर्चा कर सकते हैं तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं इस मामले पर व्यवस्था का प्रश्न पूछ रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं जानता। आप मुझसे यह आशा कैसे कर सकते हैं कि मैं बिना पूर्व सूचना के नियम लागू करूंगा ? ऐसा नहीं हो सकता।

(व्यवधान)

श्री चन्द्रजीत यादव : हम इस पर इस तरह चर्चा नहीं कर सकते।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं व्यवस्था के प्रश्न पर बोल रहा हूं।

श्री राजेश कुमार सिंह (फिरोजाबाद) : वह राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : क्या रक्षा मन्त्री सूचना एकत्र कर रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : जी, हां।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : तब यह बहुत खतरनाक बात है क्योंकि दो हवाई जहाजों ने अतिक्रमण किया है। उनके पास इस सम्बन्ध में सूचना होगी। या तो उन्हें इसकी पुष्टि करनी चाहिए या इससे इंकार कर देना चाहिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इससे इन्कार नहीं है। यह कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है।

(व्यवधान)

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : 45 मिनट तक ये जहाज यहां रहे।

प्रो० मधु दन्डवते : मैं व्यवस्था के प्रश्न पर बोल रहा हूं। जहां तक स्थगन प्रस्तावों के नियमों का सम्बन्ध है, आपके मार्ग दर्शन के लिए कुछ नियम बने हुए हैं। मुझे अपना व्यवस्था का प्रश्न पूरा करने दीजिए। जैसा कि आपको कुछ पूर्वोदाहरण दिए गए हैं, 19 नवम्बर को·····(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने किसी स्थगन प्रस्ताव को अनुमति नहीं दी है। किसी स्थगन प्रस्ताव का प्रश्न ही नहीं है। मैंने किसी को स्थगन प्रस्ताव की अनुमति नहीं दी है।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : आप मेरे द्वारा उद्धृत किए गए पूर्व-उदाहरण के अनुसार क्यों नहीं चलते ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने उसे देखा है।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : क्या आप मुझे कारण बता सकते हैं ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सभा-पटल पर पत्र रखे जाएंगे ।

श्री जेड० आर० अंसारी ।

(व्यवधान)

12.08 म० प०

सभा-पटल पर रखे गए पत्र

कलकत्ता डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) दूसरा संशोधन स्कीम 1983, हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापत्तनम, और दिल्ली परिवहन निगम के वर्ष 1982-83 के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखे, आदि

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं ।

(1) डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन) अधिनियम, 1948 की धारा 8 क के अंतर्गत, कलकत्ता डाक कर्मकार (नियोजन का विनियमन दूसरा संशोधन स्कीम, 1983 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो 12 नवम्बर, 1983 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 4171 में प्रकाशित हुई थी तथा तत्संबंधी शुद्धिपत्र, जो 11 फरवरी 1984 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 447 में प्रकाशित हुआ था ।

[ग्रन्थालय में रखी गयी । **देखिए**, संख्या एल० टी० 8192/84]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत, निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) हिन्दुस्तान शिपयार्ड, लिमिटेड, विशाखापत्तनम, के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(दो) हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापत्तनम का वर्ष 1982-83 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियन्त्रक-महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रन्थालय में रखी गईं । **देखिए**, संख्या एल० टी० 8193/84]

(3) (एक) सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की धारा 33 की उपधारा, (4) के अन्तर्गत, दिल्ली परिवहन निगम, नई दिल्ली, के वर्ष 1982-83 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(दो) दिल्ली परिवहन निगम, नई दिल्ली के वर्ष 1982-83 के लेखाओं की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए, संख्या एल० टी० 8194/84]

(व्यवधान)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 1982-83 के वार्षिक लेखे

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : श्रीमती शीला कौल की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 19 की उपधारा (4) के अन्तर्गत, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली, के वर्ष 1982-83 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभापटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए, संख्या एल० टी० 8195/84]

(व्यवधान)

केन्द्रीय विक्रय कर (पंजीकरण तथा आवर्त) (संशोधन) नियम, 1984 और सीमाशुल्क अधिनियम 1962 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

वित्त मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री जनार्दन पुजारी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 की धारा 13 की उपधारा (2) के अन्तर्गत केन्द्रीय विक्रय कर (पंजीकरण तथा आवर्त) (संशोधन) नियम, 1984 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 1 अप्रैल, 1984 के भारत राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 264 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए, संख्या एल० टी० 8196/84]

(2) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत, निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) सा० का० नि० 278 अ), जो 12 अप्रैल, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसके द्वारा 9 जून, 1978 की अधिसूचना संख्या 117-सी० शु० में कतिपय संशोधन किया गया है, ताकि शुल्क छूट योजना, परिशिष्ट 19 आयात-निर्यात नीति 1984-85 के अन्तर्गत पशु-चर्बी और पशुओं की ऐसी ही वस्तुओं के आयात पर रोक लगाई जा सके।

(दो) सा० का० नि० 279 (अ), जो 12 अप्रैल, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जो तत्संलग्न पुनरीक्षित अनुसूची में विनिर्दिष्ट कतिपय कच्चे माल को, आयात-निर्यात नीति 1984-85 के परिशिष्ट 21 की शर्तों के अनुसार जारी किए गए आयात और पुनर्पूर्ति लाइसेंसों के अन्तर्गत भारत में आयात करते समय, उन पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण सीमाशुल्क से छूट देने के बारे में है।

(तीन) सा० का० नि० 280 (अ), जो 12 अप्रैल, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो 12 अप्रैल, 1984 को अधिसूचना संख्या 107/84-सी० शु० के अन्तर्गत आने वाले कच्चे माल को, आयात और पुनर्पूर्ति लाइसेंसों के अन्तर्गत आयात करते समय, उपसंगी सीमाशुल्क से छूट देने के बारे में है।

[ग्रन्थालय में रखी गईं। देखिए, संख्या एल० टी० 8197/84]

(व्यवधान)

12.09 म० प०

प्राक्कलन समिति

79वां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही-सारांश और की-गई-कार्यवाही के बारे में 68वां प्रतिवेदन

श्री बंसी लाल (भिवानी) : मैं प्राक्कलन समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन और कार्यवाही-सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :—

(एक) रेल मन्त्रालय-रेल क्रय के बारे में समिति का 79वां प्रतिवेदन और तत्संबंधी बैठकों के कार्यवाही सारांश।

(दो) ऊर्जा मन्त्रालय—पेट्रोलियम विभाग के बारे में समिति के 51वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 68वां प्रतिवेदन।

———————

(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : अगर रक्षा मन्त्री उपस्थित नहीं हैं तो प्रधान मन्त्री को··· (व्यवधान)

कृषि मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : श्रीमन्, आपकी अनुमति से मैं एक वक्तव्य देना चाहता हूं। माननीय सदस्यों को याद होगा···(व्यवधान)

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : मैं समझता हूं कि आप भी हमारे इस मत से सहमत होंगे कि देश की सुरक्षा की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसे महत्व दिया है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : इससे आप सहमत है। इसलिए क्या हमें अधिकार नहीं हैं कि हम रक्षा मन्त्री से या उनकी अनुपस्थिति में प्रधान मन्त्री से तथ्यों की जानकारी प्राप्त करें?

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : जब सभा का सत्र चालू हो तो वे ऐसा कैसे कर सकते हैं?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सभा की कल बैठक नहीं हो रही है।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) कार्य करने का यह ढंग नहीं होता।

(व्यवधान)

———————

12.10-1/2 म० प०

खाद्यान्न उत्पादन के पुनरीक्षित आंकड़े

कृषि मन्त्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : माननीय सदस्यों को याद होगा कि इस महीने की 3 तारीख को अपने मन्त्रालय की अनुदानों की मांगों पर बहस के दौरान मैंने सूचित किया था कि हमें आशा है कि 1983-84 के दौरान 1463 लाख मीटरी टन खाद्यान्नों का रिकार्ड उत्पादन होगा। उसके बाद राज्यों से हमें कुछ पक्के अनुमान मिले हैं, जिसके आधार पर मुझे यह घोषित करते हुए खुशी हो रही है कि ताजे अनुमानों के अनुसार 1983-84 के दौरान 1497.6 लाख मीटरी टन खाद्यान्न का उत्पादन होने की उम्मीद है। इसमें 878.1 लाख मीटरी टन की रिकार्ड खरीफ फसल भी शामिल है। इस अनुमान के

मुताबिक चावल के 593.3 लाख मीटरी टन, मोटे अनाजों के 330.6 लाख मीटरी टन तथा गेहूं के 445.6 लाख मीटरी टन के उत्पादन के अनुमान अब तक के सबसे अच्छे रिकार्ड होंगे। ये अनुमान राज्यों से अब तक प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर सावधानीपूर्वक तैयार किए गए हैं।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : यह अत्यन्त खेद की बात है, वह विपक्ष के साथ तर्क करने से मना कर रहे हैं। मैं सभा में पूर्वोदाहरण उद्धृत कर रहा हूं। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : यह कई दफा क्या है ?

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : अगर रक्षा मन्त्री उपलब्ध नहीं हैं तो, आप किसी अन्य मंत्री या प्रधान मन्त्री को वक्तव्य देने के लिए बुला सकते हैं। यह एक गम्भीर मामला है, जिससे देश की एकता और अखण्डता का प्रश्न जुड़ा हुआ है। आप प्रधान मन्त्री को बुलाइये। उन्हें वक्तव्य देने दीजिए।

(**व्यवधान**)

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) : एक मिनट।

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : आप इस पर चर्चा नहीं चाहते हैं ; आप इसका विरोध कर रहे थे।

(**व्यवधान**)

प्रो० के० के० तिवारी : मुझे यह समझ नहीं आ रही कि सदस्य ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। कल जब मैं विदेशी हस्तक्षेप और विशेषकर पाकिस्तान के हाथ होने की बात कर रहा था, जिसको कि माननीय मन्त्री ने भी स्वीकार किया है ; तो वे मेरा उपहास कर रहे थे ; वे मेरी बात तक सुनने को तैयार नहीं थे। अब क्योंकि मन्त्री महोदय ने वक्तव्य देना स्वीकार कर लिया है, इस मामले को 23 तारीख को उठाना चाहिए ; और इस पर निष्पक्षता से विचार किया जाना चाहिए। हमें इस पर गहराई से विचार करना चाहिए, न कि जल्दबाजी में। जैसाकि मन्त्री महोदय ने खुद वक्तव्य देने का आश्वासन दिया है ; आइए इस मामले पर उसी दिन चर्चा करें। (**व्यवधान**) मैं भी इस पर चर्चा चाहता हूं। लेकिन इस पर अभी चर्चा नहीं हो सकती है।

श्री चन्द्रजीत यादव : सरकार की ओर से किसी अन्य मन्त्री को वक्तव्य देना चाहिए। हम मंत्री महोदय के लिए इन्तजार नहीं कर सकते हैं। (**व्यवधान**)

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : (कलकत्ता दक्षिण) : यह एक पंगु सरकार है। (**व्यवधान**) अन्यथा उन्हें आगे आकर वक्तव्य देना चाहिए। यह पूर्णतः पंगु सरकार है। (**व्यवधान**)

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : आपने ठीक ही कहा है कि माननीय रक्षा मन्त्री ने पहले ही आपको लिखा है कि वह इस घटना से सम्बन्धित और आंकड़े इकट्ठे कर रहे हैं।

(**व्यवधान**)

श्री सतीश अग्रवाल : और अन्य क्या आंकड़ें आपको चाहिए ? **(व्यवधान)**

श्री बूटा सिंह : कृपया मुझे बात पूरी कर लेने दें **(व्यवधान)** मुझे अपना वक्तव्य पूरा करने की अनुमति दी जाये। अध्यक्ष महोदय, जैसाकि आपने मुझे कहा, मैं माननीय रक्षा मन्त्री से ट्रंक काल द्वारा बात करने की कोशिश करूंगा। मैं माननीय रक्षा मन्त्री से बात करूंगा, कि वह 21 तारीख को यहां उपस्थित रहें ताकि वह इस पर वक्तव्य दे सकें।

(व्यवधान)

श्री सतीश अग्रवाल : यह बहुत हास्यास्पद बात है। स्थगन प्रस्ताव के बारे में क्या निर्णय है ?

अध्यक्ष महोदय : वह अलग बात है, यह एक अलग बात है।

श्री सतीश अग्रवाल : आप स्थगन प्रस्ताव पेश करने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। इसीलिए हम पिछले 20 मिनट से इस पर बहस कर रहे हैं ; जोर दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं देता।

श्री बूटा सिंह : वह इस तरह बोल रहे हैं, जैसे उन्होंने सुना ही न हो।

अध्यक्ष महोदय : पहली बात तो यह है···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

प्रो० मधु दण्डवते : कृपया हमें कारण बतायें। पूर्वोदाहरण उद्धृत किए जाने के बाद भी, ध्यानाकर्षण क्यों अस्वीकृत किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : आप तो सुनते नहीं हैं, सुनाते चले जा रहे है। यह प्रेसिडेंट इसके ऊपर लागू नहीं होता। वह बालकॉट्ट यहां से भाग निकला है। वह तो ठीक है। यहां वह भाग नहीं सका है। उसे पकड़ लिया गया है।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : उसे भाग निकलने दिया गया था।

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे धमका नहीं सकते। मैं तो आपसे दरख्वास्त कर रहा हूं। मैं धमकी की परवाह नहीं करता। मैं परवाह नहीं करता इसकी।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : मैं तो मात्र वक्तव्य के बारे में कह रहा हूं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं भी यही कहना चाहता हूं। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि मैंने उनको कहा,

उन्होंने कहा कि 23 तारीख को मैं करूंगा। उस वक्त उनको शायद ख्याल नहीं था कि 21 को हाउस होगा। तो मैंने उनको कहा 23 के बजाय परसों हाउस बैठेगा, आप परसों कर दीजिए, तो परसों वह स्टेटमेंट कर देंगे। मैं तय नहीं कर सकता। हमें कुछ तथ्य प्राप्त करने होंगे।

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या आपका इससे कोई सम्बन्ध नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मैं सम्बन्धित हूं। आप हवा में बातें नहीं कर सकते। आप किसी बात के बारे में हवा में बात नहीं कर सकते। वक्तव्य देने से पहले आपके पास जानकारी होनी चाहिए।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : अगर सरकार गम्भीर है तो उसे वक्तव्य देना चाहिए। यह आवश्यक नहीं है कि हम ही मांग करें। यह सरकार का कर्तव्य है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री हीरा लाल परमार।

श्री बूटा सिंह : हम काफी गम्भीर हैं। अगर माननीय सदस्य कहते हैं कि वे गम्भीर हैं तो हम कहते हैं कि हम अधिक गम्भीर हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री हीरा लाल परमार।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री परमार

(इस समय कुछ सदस्य सभा-भवन से बाहर चले गए)

अध्यक्ष महोदय : श्री परमार

(व्यवधान)

श्री चन्द्रजीत यादव : मुझे डर है कि इसे पूर्वोदाहरण के रूप में नहीं लिया जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में इसे पूर्वोदाहरण के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में हमें भारत सरकार की अपेक्षा समाचार पत्रों से अधिक सूचना मिल जाती है।

अध्यक्ष महोदय : क्या ?

श्री चन्द्रजीत यादव : उन्हें ज्यादा जानकारी होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मुझे पहले ही प्राप्त हो चुकी है। मैं पहले ही इस पर कार्यवाही कर रहा हूं। मैंने पहले ही उन्हें बता दिया है।

श्री चन्द्रजीत यादव : यह काफी गम्भीर मामला है। क्योंकि हम बाहर जा रहे हैं, क्योंकि सरकार 'राष्ट्रीय सुरक्षा' के मामले पर गम्भीर नहीं है।

(इस समय श्री चन्द्रजीत यादव सभा-भवन से बाहर चले गए)

अध्यक्ष महोदय : हां, श्री परमार।

(व्यवधान)

12.19-1/2

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

विभिन्न अस्पतालों, विशेषकर डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली में डाक्टरों के कदाचारों के समाचार तथा रोगियों के साथ उनका कथित दुर्व्यवहार

श्री हीरा लाल परमार [सांटन] : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री का ध्यान आकृष्ट करता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वह इसके बारे में एक वक्तव्य दें :

> "विभिन्न अस्पतालों, विशेषकर डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली, में डाक्टरों के कदाचारों के समाचार तथा रोगियों के साथ उनके कथित दुर्व्यवहार और इसके सम्बन्ध में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही।"

अध्यक्ष महोदय : हां, स्वास्थ्य मन्त्री महोदय।

राजेश पाइलट (भरतपुर) : ऐसे अवसरों पर सरकार की तरफ से यह आश्वासन अवश्य आना चाहिए कि सरकार को मामले की गम्भीरता के बारे में पता है और उन्हें इस बात की पूरी जानकारी है।

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : मैंने पहले ही बताया है कि हमें स्थिति की गम्भीरता का पता है। माननीय रक्षा मन्त्री ने माननीय अध्यक्ष महोदय को लिखा है। हम इस मामले के प्रति काफी गम्भीर हैं। हम प्रचार नहीं चाहते। हम कार्यवाही में विश्वास करते हैं।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ सम्मिलित नहीं किया जायेगा। ये आदमी बाहर जाकर बतायेंगे कि ये भले आदमी यहां पर ऐसा करते हैं।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : अध्यक्ष महोदय, दिल्ली में चिकित्सा परिचर्या की सुविधाएं उतनी तेजी से नहीं बढ़ी हैं, जितनी तेजी से उसकी जनसंख्या बढ़ गई है। पिछले दशक में दिल्ली की जनसंख्या 40 लाख से बढ़ कर 62 लाख हो गई है। लेकिन सभी

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अस्पतालों के पलंगों की संख्या 10,300 से बढ़कर 13,300 ही हुई है। इसके परिणामस्वरूप हर समय इन अस्पतालों में काफी भीड़-भाड़ रहती है और अक्सर ये अस्पताल अनुकूलतम चिकित्सा सुविधाएं सुलभ नहीं करा पाते।

12.22 म० म० **(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)**

दिल्ली में बाहर से आकर बसते रहने वाले लोगों के कारण यह स्थिति और बिगड़ जाती है। बाह्य रोगियों की औसत दैनिक संख्या सफदरजंग अस्पताल में 4,083, डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल में 3,836, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में 3,478 श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल में 1,029 और कलावती सरण बाल अस्पताल में 956 है। चूंकि इन अस्पतालों में बहुत भीड़ रहती है, इसलिए रोगियों और उनके साथ आने वाले लोगों तथा अस्पताल के डाक्टरों और कर्मचारियों के बीच सेवाएं काफी न होने या दवाइयों की कमी के कारण झगड़ा हो सकता है या वे क्षुब्ध हो सकते हैं। इस कारण कई बार रोगियों और जनता से ही नहीं वरन् अस्पताल के कर्मचारियों से भी शिकायतें मिलती हैं। सरकारी अस्पतालों के प्राधिकारी इन शिकायतों की जांच करके आवश्यक कार्यवाही करते हैं। ऐसी शिकायतों से निपटने के लिए स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में एक सैल भी है।

केन्द्रीय स्वास्थ्य सचिव की अध्यक्षता में अस्पताल नियन्त्रण बोर्ड और दिल्ली के उप-राज्यपाल की अध्यक्षता में दिल्ली अस्पताल बोर्ड दिल्ली के अस्पतालों के काम काज की जांच करते हैं। अस्पतालों को इस बात के विशेष निदेश दिए गए हैं कि वे लोगों की बढ़ती हुई जरूरतों को पूरा करने के लिए उन्हें अनुकूलतम सेवाएं देना सुनिश्चित करने की दृष्टि से भावी योजनाएं तैयार करें। मौजूदा चिकित्सा परिचर्या सेवाओं को बढ़ाने और अस्पतालों में रोगी परिचर्या सम्बन्धी कार्यभार को कम करने के लिए दिल्ली के बाहरी क्षेत्रों अर्थात् शाहदरा और हरिनगर में 500-500 पलंगों वाला एक-एक अस्पताल और मंगोलपुरी, खिचड़ीपुर और जफरपुर में 100-100 पलंगों वाला एक-एक अस्पताल खोलने की कार्यवाही की जा रही है।

सरकार इस तथ्य से वाकिफ है कि दिल्ली के अस्पतालों की सेवाओं में सुधार की गुंजायश है। सदन इस बात को मानेगा कि ये अस्पताल कठिनाइयों के बावजूद रोगियों को बढ़िया परिचर्या सेवाएं प्रदान करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हम सदैव यह सुनिश्चित करने के प्रयास करते रहे हैं कि ये अस्पताल लोगों को यथासम्भव अच्छी सेवाएं प्रदान करें।

श्री हीरालाल आर० परमार : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी ने जवाब तो बहुत लम्बा दिया और समस्या को कबूल भी कर लिया। उनके आश्वासन को देखते हुए मुझे देहात की एक बात याद आ गई — एक व्यापारी को किसी आदमी से 40 रु० लेना था। व्यापारी बार-बार उस व्यक्ति के पास जाता था। एक दिन उस व्यक्ति ने व्यापारी से कहा रसीद दो और पैसा ले लो। व्यापारी ने कहा पैसा तो दो मैं रसीद देता हूं। व्यक्ति ने कहा—नोट कर लो, दस देंगे, दस दिलायेंगे, दस का वायदा और दस का क्या लेना-देना। मन्त्री जी ने कहा है कि 500-500 और 100-100 पलंगों वाला अस्पताल खोलने की कार्यवाही की जा रही है। तो क्या यह बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए, समस्या हल हो जाएगी ?

मैं मन्त्री महोदय का ध्यान राम मनोहर लोहिया अस्पताल की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं। धनी और वी०आई०पी० लोग तो प्राइवेट अस्पतालों में चले जाते हैं या डाक्टर को घर भी बुला

लेते हैं। गरीबों के लिए जो अस्पताल आपने बनाए हैं, मैं उनकी हालत की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। वहां गरीब लोगों को जो सामग्री दी जाती है, जैसे अण्डे, दूध, फल वगैरह, वे वहां कर्मचारी लोग आपस में बांट लेते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि पूरी सुविधा वहां के गरीबों को नहीं मिल पाती है। वहां के मरीजों को पेशाब व दैनिक कार्य के लिए जो बर्तन दिए जाते हैं, वे टूटे-फूटे होते हैं और अस्पताल में बहुत गन्दगी रहती है। जब हमारे देश की राजधानी के अस्पताल में यह हालत है तो डिस्ट्रिक्ट और छोटे-छोटे गांवों के अस्पताल की क्या हालत होगी, यह अन्दाजा आप स्वयं लगा सकते हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि हम गरीबों को न्याय देने की बात कर रहे हैं, लेकिन हम उनको न्याय दिला नहीं सकते हैं, उनके साथ अन्याय हो रहा है, इस ओर आपको ध्यान देना चाहिए।

एक उदाहरण मैं आपको और देना चाहता हूं। हमारे गुजरात में ओ०एन०जी०सी०का प्रोजेक्ट चल रहा है, जो कि मेरे क्षेत्र में है। उस जगह पर ओ० एन० जी० सी० का अस्पताल है, लेकिन इस अस्पताल के लिए जितनी दवाइयां खरीदी जाती हैं, वे बाद में सब मैडिकल स्टोर पर चली जाती हैं। मैडिकल सर्टिफिकेट देने के नाम पर सैंकड़ों-हजारों रुपयों की दवाइयां किताबों में लिखने के बाद मैडिकल स्टोर पर चली जाती हैं। मैं माननीय मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि यह गम्भीर समस्या है, इससे निपटने के लिए आपको गम्भीर रूप से ठोस कदम उठाना चाहिए ?

श्री बी० शंकरानन्द : उपाध्यक्ष महोदय, इस सभा में, मैंने कई दफा इन अस्पतालों के निर्माण में हो रही प्रगति के बारे में बताया है। शाहदरा और हरि नगर में 500-500 बिस्तरों वाले दो अस्पतालों और 100-100 बिस्तरों वाले तीन अस्पताल निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं ; — मुझे अधिक बिस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि माननीय सदस्य ने पूछा है कि ये अस्पताल निर्माण के किस चरण में हैं। यह मात्र वायदा ही नहीं है, बड़े अस्पताल पूरा होने ही वाले हैं और अन्य अस्पतालों के बारे में भी कार्यवाही की जा रही है।

जहां तक अस्पतालों के कर्मचारियों पर खाद्य पदार्थों, दवाइयों और अन्य सामान के दुरुपयोग के आरोपों का सम्बन्ध है ; माननीय सदस्य के कुछ आरोप अस्पष्ट हैं। इन आरोपों को मान लेना मुश्किल है, जब तक कि वह मेरे सामने कुछ विशिष्ट और ठोस मामलों को नहीं लाते जिन पर कि कार्यवाही की जा सके। मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि प्रत्येक अस्पताल में शिकायत-पुस्तिका रखी हुई है, उनमें शिकायतें दर्ज की जाती हैं और माननीय सदस्य गण और जनता भी मन्त्रालय और स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक को सीधे ही विभिन्न शिकायतें भेजती है।

जहां तक मेरी जानकारी है, रोगियों के भोजन के बारे में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। जहां तक बर्तनों आदि का सम्बन्ध है, इन्हें अस्पताल की अनुरक्षण शाखा द्वारा नियमित रूप से बदला जाता है।

श्री राम लाल राही (मिसरिख) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी का जो लिखित बयान मुझे देखने को मिला, उसको पढ़कर मुझे इस बात की प्रसन्नता हुई है कि माननीय मन्त्री जी ने अस्पतालों में जो परिस्थितियां हैं, मरीजों के साथ जैसा दुर्व्यवहार हो रहा है, जो वहां पर अभाव है—उसको इन्होंने स्वीकार किया है। माननीय मन्त्री जी ने अपने जवाब में कहा है कि दिल्ली की आबादी बढ़ रही है और इस बढ़ती हुई आबादी को दृष्टि में रखकर हम अभी उतनी मात्रा में चिकित्सा सेवा उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, हालांकि इन्होंने उसको बढ़ाने की बात कही है। मैं जानना चाहता हूं—इसका जिम्मेदार कौन

है ? आज गांवों की तरफ से लोग शहरों की तरफ भाग रहे हैं, शहर बढ़ रहे हैं, इन शहरों के बढ़ने के लिए कौन जिम्मेदार है ? इसका क्या कारण है ? क्या यह सही नहीं है कि गांवों के रहने वाले अपने को असुरक्षित अनुभव करते हैं ? क्या यह सही नहीं है कि बीमारी होने पर गांवों के लोगों को कोई देखने वाला नहीं है और दवाएं नहीं मिलती हैं ? आपकी सैकड़ों पी एच०सी० में डाक्टर नहीं हैं, नर्सें नहीं हैं, दवाएं नहीं हैं। जहां तक मुझे मालूम है—आपके एक पी० एच० सी० में तनख्वाहों पर कम-से-कम 10 हजार रुपये माहवार खर्च होते होंगे, जिनमें डाक्टर, नर्स, वार्ड-ब्वाय, हैल्थ विजिटर आदि की तनख्वाहें शामिल हैं।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : ज्यादा खर्च होता है।

श्री राम लाल राही : लेकिन दवाओं पर साल भर में डेढ़ हजार रुपया खर्च होता होगा जब गांव का आदमी यह देखता है कि डेढ़ हजार रुपया दवाओं पर, 60-70 हजार की आबादी पर साल भर में खर्च होता है और शहरों में इसके मुकाबले ज्यादा सुविधाएं हैं, तो क्या वह शहरों की तरफ नहीं भागेगा ? क्या आपने इस पर विचार किया है और यदि विचार किया है तो आप बतलाइये कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है ? आप जिम्मेदार हैं या नहीं हैं ?

आपने कहा है कि शहरों के अस्पतालों में बाह्य मरीजों की संख्या बढ़ रही है और अंतरंग मरीज जिनको वार्ड में जगह देते हैं, चारपाई और बिस्तर देते हैं, उनकी संख्या भी बढ़ी है। क्या कभी-कभी आपने इस बात का पता लगाने की कोशिश की है कि जितना बजट हिन्दुस्तान का दवाओं पर देश की जनता के लिए निर्धारित करते हैं, उस बजट में से मिनिस्टर, एम०एल०ए०, एम०पी०, आई०ए०एस०, पी०सी०एस०, आइ०पी०एस०, अफसरों तथा अन्य विशिष्ट लोगों के लिए दवाओं के लिए निर्धारित धनराशि का तीन-चौथाई खर्च हो जाता है और बाकी का एक-चौथाई 70 करोड़ जनता के लिए खर्च होता है ? मैं अपने कथन में सही हूं, लेकिन यदि यह बात गलत लगती है तो क्या इस बात की जांच कराएंगे और जांच रिपोर्ट सदन को विश्वास में लेने के लिए सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

मन्त्री जी ने कहा है कि जो कदाचार या भ्रष्टाचार अस्पतालों में होता है, उसकी जांच के लिए हमारे पास कई मीडिया हैं। उन्होंने कहा है कि केन्द्रीय स्वास्थ्य सचिव की अध्यक्षता में अस्पताल नियन्त्रण बोर्ड और दिल्ली में उप-राज्यपाल की अध्यक्षता में दिल्ली अस्पताल बोर्ड है और ये समय-समय पर जांच करते हैं। मेरा आरोप यह है कि ये जांच नहीं करते हैं। यह बोर्ड आपने बनाया जरूर है लेकिन ये वी०आई०पी० की हैसियत से अस्पताल में जाते हैं और अस्पताल का जो विशिष्ट व्यक्ति होता है, सुपरिन्टेन्डेंट जिसे कहते हैं, वह इनको माला पहनाकर गेट पर अच्छी खातिरदारी करके वहीं से उनको लौटा देता है और कोई जांच नहीं करते हैं। अगर वह जांच करते हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अस्पतालवार इनका ब्यौरा क्या है। एक साल का, एक महीने का या बीच में छोड़-छोड़ कर तीन महीने का आप यह ब्यौरा इस सदन को विश्वास में लेने के लिए यहां पेश कर सकते हैं। आपका यह कथन क्या सही है कि वे जांच करने के लिए जाते हैं। अगर जाते हैं तो यह बताइए कि वे जांच करने के लिए कहां-कहां गये और क्या उन्होंने कोई जांच रिपोर्ट दी है और अगर दी है, तो उस पर आपने क्या कार्यवाही की है क्या इसका ब्यौरा आप सदन को विश्वास में लेने के लिए देंगे और उसकी रिपोर्ट यहां पेश करेंगे और आश्वासन देंगे कि आपने जो यह लिखा है, यह 100 फीसदी सही है और उसका प्रमाण यह है।

मन्त्री जी को मालूम नहीं है। मन्त्री जी दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली राजधानी को लोग

इण्डिया कहते हैं। इसके दो रूप के अनुसार दो नाम हैं, जो लोग गांव में रहते हैं, वह हिन्दुस्तानी हैं और जो दिल्ली में हैं, उनको इण्डिया वाले कहते हैं हालांकि हम भी और आप भी गांव से आए हैं लेकिन यहां दिल्ली में आकर चकाचौंध में पड़ गये। आज गांवों की हालत बड़ी बदतर है और इतनी बदतर है जैसे कि मैंने पहले बताया कि वहां पर 1500 रुपये की कुल दवाई जाती है और 10 हजार रुपये तनख्वाह में देते हैं। डाक्टरों की भी शहरों की चकाचौंध में कुछ दिखाई ही नहीं देता है। डा० राम मनोहर लोहिया सहित दिल्ली के अस्पतालों का बुरा हाल है। मेरा आरोप है कि डा०लोहिया अस्पताल में जब***

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सीतापुर से आता हूं। सीतापुर जनपद उत्तर प्रदेश में है। सीतापुर में एक गोदाम है दवाओं का। लाखों रुपये की दवाएं बिल्डिंग सहित जल गयीं। एक करोड़ रुपए का नुकसान हुआ होगा। सीतापुर में यह हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं उस स्थान, सीतापुर को जानता हूं। मैं लक्ष्मण हूं।

श्री रणवीर सिंह (कैसरगंज) : श्रीमन्, वह राम हैं।

श्री राम लाल राही : सीतापुर बहुत मशहूर जगह है। वहां पर एशिया का मशहूर आंखों का अस्पताल है। उपाध्यक्ष महोदय, कहा यह जाता है कि आग कैसे लगी, क्यों लगी, आग लगने का कारण क्या है। मैं मन्त्री जी से चाहूंगा कि क्या वे इस बात की जांच कराएंगे।

कहा जाता है कि सुपरिन्टेन्डेंट ने कुछ जाली वाउचर बनवाए थे मार्च के महीने में और वे चाहते थे कि स्टोर इन्चार्ज उन वाउचरों को शामिल कर ले अपने स्टोर में ताकि वे जस्टीफाई हो जाएं और पैसा वे हजम कर जाएं। स्टोर इन्चार्ज कोई गरीब हरिजन लड़का था। वह तैयार नहीं हुआ। उसने कहा कि मैं गरीब आदमी हूं। मुझे इस पाप में मत सानिए। तो आग रात के 12 बजे लगी। बताया यह जाता है कि बिजली से आग लग गई और यह जल गया। मेरा आरोप है कि यह जान-बूझकर घटना कराई गई है और जो जाली पर्चे बनवाए गए थे वे सुपरिन्टेन्डेंट के दफ्तर में आज भी मौजूद हैं, उनको जस्टीफाई कराने की वे कोशिश कर रहे हैं। श्रीमन्, ये आपके देश के अस्पतालों की हालत है। मरीज के साथ कैसा व्यवहार हो रहा है। चाहे मेडिकल इन्स्टीट्यूट में चले जाइए, सफदरजंग अस्पताल में चले जाइए, डा० लोहिया अस्पताल में चले जाइए, सब जगह एक ही स्थिति है। यह सब क्यों है। जैसा कि मैंने कहा कि एक के इर्द-गिर्द जब सब चलने लगते हैं तो लोकतन्त्र की परम्पराएं टूटने लगती हैं। अगर मन्त्री जी के इर्द-गिर्द लोग घूमने लगेंगे तो वे कानून पर नहीं चलेंगे। कानून पर नहीं चलेंगे तो लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। आज इसलिए लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं जानता हूं कि दवाओं का अभाव है। अस्पतालों में मरीजों की तादाद बढ़ रही है। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि क्या यह बात सही नहीं है कि आपके यहां हजारों डाक्टर बेकार घूम रहे हैं और पी०एच०सी० गांव में खाली पड़ी हैं। ट्रेंड नर्सेस आपके यहां घूम रही हैं बेकार और गांव में पी०एच०सी० खाली पड़ी है। आपके पास डाक्टर हैं, नर्सेस हैं तो क्या आप अगर दवाई नहीं दे सकते हैं तो क्या आप लोगों को सलाह देने के लिए डाक्टर और नर्स भी नियुक्त नहीं कर सकते। यह कितने शर्म की बात है कि अस्पताल आपने खोल दिया लेकिन डाक्टर आपके पास नहीं हैं। बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे देश में व्यक्ति की जिन्दगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इसलिए, स्वास्थ्य विभाग को आप ठीक से देखें जिससे व्यक्ति की जिन्दगी से खिलवाड़ न हो। मुझे मालूम है, महावीरदास जी, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी व राज्य सभा के सदस्य भी रहे हैं, दवाओं के अभाव व लापरवाही के कारण उनकी मृत्यु हुई थी। वह तो एक्स० एम०पी० थे, लेकिन न मालूम रोज कितने गरीब आदमी मरते होंगे। गरीब आदमी को चोट लग जाए और एक बोतल खून की जरूरत हो तो वह नहीं मिलेगी। मिनिस्टर, आइ०ए०एस, आइ०पी०एस०, इन्जीनियर आदि जो अपनी जेब से पैसे लगाकर अच्छी-से-अच्छी दवाई और बढ़िया-से-बढ़िया खून प्राप्त कर सकते हैं, उनको तो आप दे देते हैं लेकिन गरीब आदमी को नहीं। इस नीति में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। आप लोग बहुत समाजवाद की बात करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आप इस नीति में परिवर्तन करने की बात सोच

रहे हैं या नहीं ? कि दवाएं उन लोगों को मिलनी चाहिए जो खरीद नहीं सकते, जो गरीबी के शिकार हैं और अस्पताल के दरवाजे से दुत्कार दिए जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए क्या कोई नीति बनाना चाहते हैं या नहीं ?

उपाध्यक्ष महोदय : अब आपको अपना भाषण समाप्त करना होगा। आपने केवल 10 मिनट मांगे थे। आपने एक सज्जन व्यक्ति की तरह वायदा किया था और अब आप 17 मिनट ले चुके हैं।

श्री रतन सिंह राजदा (बम्बई दक्षिण) : आज तो वह बहुत ही ठोस तर्क दे रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : उनके तर्क प्रतिदिन उचित होते हैं। मन्त्री महोदय उन्हें क्या उत्तर देंगे मैं नहीं जानता। उन्होंने मन्त्री महोदय से प्रश्न ही नहीं पूछा है।

श्री राम लाल राही : मैं, सही तो नहीं कह सकता लेकिन अपनी जानकारी के आधार पर कह रहा हूं। आपका जो विलिंग्डन अस्पताल यानी जिसको डा० लोहिया अस्पताल कहते हैं, वहां तीन करोड़ का बजट है। सन् 1980 में जो वहां सुपरिंटेंडेंट थे यानी इनसे पहले जो आज हैं, उन्हीं के जमाने से घोटाला प्रारम्भ हुआ था···(**व्यवधान**) यह बात मैं पहले बतला चुका हूं जब इस घोटाले का भंडाफोड़ हुआ तो उनके साथ दो और अधिकारियों को मुअत्तिल किया गया। आज के सुपरिंटेंडेंट साहब भी उस घोटाले में शामिल थे। कुछ सामान और दवाओं की खरीद के बारे में यह घोटाला था। एक बच गया बाकी सजा पा गए। क्या इसलिए कि वह देश के किसी विशिष्ट व्यक्ति का निजी डाक्टर है या इसलिए कि विशिष्ट व्यक्ति से संरक्षण मिल रहा है? अगर, नहीं मिल रहा है तो उसको भी मुअत्तिल होना चाहिए था। वह मुअत्तिल नहीं होता है तो बाकी डाक्टर भी जानते हैं कि चाहे कितना ही अपराध करो और किसी बड़े की शरण में चले जाओ। उन्हें पता है कि वे बच जायेंगे। इसलिए अब डाक्टर हम जैसे लोगों का इलाज नहीं करते, हमें दवाई नहीं देते। अब तो बड़े नेताओं के दरवाजे झांकते घूमते हैं और इस तलाश में रहते हैं कि किस बड़े नेता की शरण में रहें, किसकी छत्रछाया में रहें ताकि मौज-मस्ती करें। इसलिए मैंने ये जो कुछ सवाल उठाए हैं, मैं चाहता हूं कि मन्त्री जी गम्भीरता से उनका उत्तर देंगे, हंसी-मजाक में नहीं।

श्री बी० शंकरानन्द : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा है उसका सम्बन्ध ध्यानाकर्षण प्रस्ताव से हो, जरूरी नहीं है। अतः मुझे उस पहलू और उनकी ऐसी टिप्पणियों का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उन्होंने सीतापुर, सासाराम और अन्य प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का उल्लेख किया है।

श्री रामलाल राही : सर आन ए प्वाइन्ट आफ आर्डर। जैसा मन्त्री जी ने कहा, हमारे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में स्पष्ट लिखा हुआ है—विभिन्न अस्पतालों, विशेषकर डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल इसलिए प्रस्ताव में विभिन्न अस्पतालों का शब्द है, इसके माने केवल डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल नहीं है। फिर आप तो स्वास्थ्य मंत्री हैं हम जैसे छोटे आदमियों की बात अलग है, आप ऐसा कहें तो लोग हंसेंगे।

श्री रतनसिंह राजदा : महोदय, यदि आप ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के शब्दों को देखें तो आप पाएंगे कि इसमें लिखा है "विभिन्न अस्पताल-विशेषरूप से डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल।"

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने यह तो बिल्कुल नहीं कहा कि उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। वह कहीं का भी उल्लेख कर सकते थे, यहां तक कि कन्याकुमारी का भी। उन्होंने यह तो बिल्कुल नहीं कहा कि उन्हें ये सब बातें नहीं कहनी चाहिए थी।

श्री बी० शंकरानन्द : महोदय, आपने माननीय सदस्य को बोलने की अनुमति दी और वह बोले। मैंने तो केवल यही कहा कि मैं केवल ध्यानाकर्षण प्रस्ताव से सम्बन्धित बातों का उत्तर दूंगा।

सर्वप्रथम, मैं यह कह सकता हूं कि उन्होंने कुछ निराधार आरोप लगाए हैं जो तथ्यों पर आधा-नहीं हैं, विशेष रूप से कुछ व्यक्तियों के बारे में। मैं केवल यह कह सकता हूं कि माननीय सदस्य को कुछ व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप लगाने से पूर्व तथ्यों का पता लगाना चाहिए था। अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने कुछ डाक्टरों के विरुद्ध आरोप लगाए हैं। मैं केवल यह कह सकता हूं कि ये आरोप आधारहीन और तथ्यों पर आधारित नहीं हैं।

जहां तक डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल के कुछ डाक्टरों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का सम्बन्ध हैं, वह मामला बिल्कुल भिन्न है। वह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की विषय-वस्तु से संबंधित नहीं है। अतः मुझे उस पहलू में जाने की आवश्यकता नहीं है। हमने दोषी डाक्टरों के विरुद्ध कार्यवाही की है। जांच चल रही है। जो भी दोषी पाया जाएगा, उसे सजा दी जाएगी। मैं सभा को यह आश्वासन दे सकता हूं कि जिन्होंने वास्तव में भ्रष्टाचार या अन्य कोई गलत काम किया है हम उनके साथ नरमी नहीं बरतेंगे। हम उनके विरुद्ध कार्यवाही करेंगे परन्तु। जांच पूर्ण होने से पूर्व, संभवतः हमारे लिए यह बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं होगा कि उन डाक्टरों के विरुद्ध आरोप लगाएं जिनका ऐसे पहलुओं से कोई सम्बन्ध नहीं है।

इसके पश्चात्, उन्होंने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में डाक्टरों तथा अन्य कुछ सेवाओं की कमी का आरोप लगाया है। देश में लगभग 6000 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं। हमारे पास उपलब्ध सूचना के अनुसार 1000 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में से केवल 36 ऐसे केन्द्र हैं जिनमें डाक्टरों तथा अन्य सेवाओं की कमी है। माननीय सदस्य का यह आरोप कि हम प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को केवल 1000 रुपये की औषधियां देते हैं।

श्री रामलाल राही : मेरे जिले सीतापुर में ही केवल 15 चिकित्सालय ऐसे हैं, जहां डाक्टर बिल्कुल नहीं जाते। क्या व्यवस्था कराने को तैयार हैं।

श्री बी० शंकरानन्द : हो सकता है यह उन 36 केन्द्रों में से एक हो। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को 12,000 रुपये की औषधियां उपलब्ध कराई जाती हैं।

माननीय सदस्य संभवतः ऐसे क्षेत्र में रहते हों जहां प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में डाक्टर नहीं है और देश में ऐसे 36 केन्द्र हैं और संभवतः उनका संबंध ऐसे क्षेत्रों से हो।

माननीय सदस्य ने एक निराधार आरोप यह लगाया है कि कुछ अस्पतालों के पास टूथ-पेस्ट होते हैं। कोई भी अस्पताल टूथ-पेस्ट नहीं खरीदता। यदि माननीय सदस्य के पास ऐसी कोई जानकारी है तो वह तथ्य प्रस्तुत करें और हम उसके विरुद्ध कार्यवाही करेंगे।

अस्पतालों में जब पुराना फर्नीचर या बिस्तर काम के लायक नहीं रहते तो उनकी जगह नया सामान ला दिया जाता है।

मैंने सोचा था कि माननीय सदस्य हमें दुर्व्यवहार और दवाइयों के दुरुपयोग के बारे में कुछ जानकारी देंगे जिसका सम्बन्ध ध्यानाकर्षण प्रस्ताव से है। परन्तु माननीय सदस्य ने अपने लम्बे भाषण में ऐसी कोई जानकारी नहीं दी।

मैं सभा को यह आश्वासन दे सकता हूं कि यदि भ्रष्टाचार अथवा का दुर्व्यवहार कोई मामला मेरे ध्यान में लाया जाता है तो मैं निश्चय ही उस पर कार्यवाही करूंगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित न करें इसकी अनुमति नहीं से जाती है।

श्री जयपाल सिंह कश्यप (आंवला) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे मंत्री जी के साथ रहने का बहुत ही सौभाग्य प्राप्त है। कई पागलखानों में हम लोग साथ-साथ गए हैं। एक पागलखाने में जब प्रवेश किया चादरें, गद्दे नए थे, खाना भी बढ़िया था, दवायें भी थीं और देखभाल भी अच्छी थी। वहां एक पागल ने मंत्री जी से हाथ जोड़कर अनुरोध किया था कि मंत्री जी आप परमानेन्टली यहां रुक जाइए उससे कम से कम हमारी देखभाल अच्छी होती रहेगी।

मंत्री जी आपने जो उत्तर दिया, आपने जो अपनी असफलता मानी है भीड़ तो बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है ? क्योंकि दिल्ली में इलाज अच्छा होता है। गांवों में, कस्बों में वह सुविधा नहीं है। अब तो जिला सेन्टर्स में भी नहीं है, बिजली नहीं जिसकी वजह से औपरेशन नहीं हो सकता, ऑक्सीजन प्लाण्ट नहीं है, दूसरी मशीनें नहीं हैं। नतीजा यह होता है कि लोग भागते हैं दिल्ली के बड़े अस्पतालों की तरफ। तो भीड़ तो होगी ही, और आपने स्वयं माना है आप असफल रहे हैं लोगों को जो चिकित्सा सुविधाएं मिलनी चाहिएं वह उपलब्ध नहीं हो पायी हैं। यह आपकी असफलता हमारे देश के लिए बड़ी दुखदाई है और उसका नतीजा यह हो रहा है कि हर जगह, सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने यह हो जाती है कि कोई दिन नहीं जाता जबकि देश के किसी न किसी कोने में, और कोई महीना, हफ्ता नहीं जाता दिल्ली में कोई न कोई हड़ताल न हो कभी डाक्टरों की, कभी जूनियर डाक्टरों की, कभी कंपाउंडरों की, कभी नर्सों की और कभी दूसरे अस्पताल के कर्मचारियों की हड़ताल न हो। हड़ताल मरीजों की नहीं हो पाती क्योंकि उनका सिलसिला बराबर बढ़ रहा है।

अव्यवस्था इतनी है कि खून की जरूरत, एमरजेंसी में मरीज है उसे खून चाहिए, खून आपके यहां मिलता नहीं। कह दिया जाता है लाओ अपने ग्रुप का तलाश करके तीमारदार बेचारा 3-4 आदमियों को तलाश करके लाता है उसमें से अगर एक का भी खून मरीज के ग्रुप से नहीं मिला तो सबको वापस कर दिया जाता है यह कहकर कि ग्रुप नहीं मिला। आगे वह और लोगों को ग्रुप टेस्ट नहीं करते कहते हैं कि एक जांच पर 35 रु० खर्च होता है, इसी बिना पर दूसरे लोगों के खून की जांच नहीं होती है। और इसलिए मरीज को खून नहीं मिलता है।

1.00 म० प०

जो खून लिया जाता है, अगर 24 घंटे तक उसका प्रयोग न हो तो उसे अलग से रिजर्व कोटे में

रख दिया जाता है और कहा जाता है कि दूसरे आदमी को ढूंढ़ लाओ उसी तरह का जो ग्रुप वाला हो। 24 घंटे पहले जिसका खून लिया था उसी को ले आओ उसी का खून चाहिए, एमर्जेन्सी में हमें जरुरत है। रेडक्रास में खून मिल जाता है, लेकिन रडक्रास वाले कहते हैं कि डाक्टर से लिखवा लाइये। हस्पताल का डाक्टर लिखता नहीं है इसलिए रेडक्रास से खून मिलता नहीं है। वहां बड़ी दिक्कत होती है। अगर डाक्टर लिखकर दे दे तो उसे खून मिलने में सहूलियत हो जाती है।

छुट्टी वाले दिन भी खून मिल जाया करे, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। मौत छुट्टी का दिन नहीं देखती है इसलिए कोई न कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि छुट्टी वाले दिन भी रेडक्रास से खून उपलब्ध हो सके। इसके साथ ही जितने लोग खून देने के लिए टेस्ट कराना चाहते हैं, यदि एक का खून नहीं मिले तो दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें का खून भी टेस्ट होना चाहिए। यह नहीं होना चाहिए कि एक खून टेस्ट कर लिया और वह अगर ग्रुप से नहीं मिला तो बाकियों को भी चले जाने के लिए कह दिया जाए, यह कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है।

पता लगा है कि आपने नर्सेज को वायरलेस सेट्स दिए हैं कि डाक्टर की जब जरूरत हो उसके द्वारा बुला लें। मालूम नहीं कि वह सैट्स काम कर रहें हैं या नहीं, इस्तेमाल हो रहे हैं या नहीं, कितना उन पर खर्चा हुआ है और उनमें से कितने काम कर रहे हैं और कितने बेकार पड़े हैं?

बहुत से आपरेशन इसलिए नहीं हो पाते कि दिल्ली के हस्पतालों में आक्सीजन नहीं मिल पाती है। कहा जाता है कि खत्म हो गई है। इसके साथ ही यह भी दुर्भाग्य है कि बिजली विभाग भी साथ नहीं देता है। समाचार-पत्रों में कई बार आया है, संसद में भी चर्चा हो चुकी है कि मरीज आपरेशन की टेबल पर लेटा है और लाइट चली गई और इसी कारण मरीज मर गया। यह बहुत सारी समस्याएं हैं।

डाक्टरों के कदाचार की बात को बहुत ही गंभीरता से लेना चाहिए। हस्पतालों में गरीबों को दवा नहीं मिल पाती, उनमें मिलावट होती है और बहुत सी जीवन रक्षक दवाओं के बहुत ज्यादा मूल्य लोगों से लिए जाते हैं और अगर वह मिल भी जाती हैं तो उसमें से बहुत सी मिलावटी होती हैं, जिनका प्रभाव उलटा होता है और मरीज मर जाते हैं। जीवन रक्षक दवाएं सस्ती दर पर मुहैय्या हों और हस्पतालों में ये मिल सकें, ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि लोगों को दूर न जाना पड़े। एक आदमी दिल्ली के हस्पताल में जाता है, एमर्जेन्सी के मामले में उसे टैक्सी से जाकर दूर से दवा लानी पडती है। जितने की दवा नहीं होती है उससे ज्यादा 20-30 रुपये उसके टैक्सी के भाड़े में लग जाते हैं। जीवन रक्षक दवाएं जल्दी उपलब्ध हो सकें, इसकी व्यवस्था बहुत जरूरी है।

रोगियों के साथ जो घर के लोग आते हैं, उन बेचारों को ठहरने की कोई व्यवस्था नहीं होती है, धर्मशालाओं में उन्हें जगह नहीं मिलती। देहात और कस्बों के लोग जो आते हैं उन्हें ठहरने के साथ-साथ खाना बनाने की भी बहुत दिक्कत होती है। वह होटलों में खाना खा नहीं सकते, क्योंकि बहुत महंगा होता है। हस्पतालों में उन्हें सस्ती दर पर खाना मिल सके, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए।

इसके साथ ही जब तक आप स्वास्थ्य सेवाओं का केन्द्रीयकरण नहीं करेंगे, काम चलने वाला नहीं है। हरेक प्रदेश की अलग-अलग समस्याएं हैं और डाक्टर जिस ढंग से काम करते हैं वह सबको पता है। हमारे माननीय सदस्यों के साथ भी डाक्टर काम करते हैं, उनकी योग्यता की क्या बात कहें? हमारे माननीय सदस्य श्री जगपाल सिंह जी का एक्सीडेंट हो गया। एक सरदार और सरदारनी का

झगड़ा हो गया। सरदार कह रहे थे कि इधर जाना है, सरदारनी कह रही थीं कि इधर जाना है, बीच में जगपालसिंह जी आ गए और इनके हाथ का फ्रैक्चर हो गया। ये हस्पताल में गए, पट्टी बंधवाई। हस्पताल में कहा गया कि आपकी हड्डी जोड़ दी गई है लेकिन वह गलत जोड़ दी गई। उनको दोबारा अपने क्षेत्र में जाकर हड्डी तुड़वाकर फिर जुड़वानी पड़ी। आपके हस्पताल में हड्डी कायदे से नहीं जोड़ी गई। एस० एस० वर्मा के लड़के के साथ क्या हुआ? मंत्री महोदय जांच कराएं कि पिछले तीन सालों में कितने लोगों की हड्डियां गलत जोड़ी गईं और उन्हें दोबारा तोड़ना पड़ा। बहुत लापरवाही से काम होता है।

एलोपैथी की दवाओं पर से लोगों का विश्वास हटता जा रहा है। उनमें मिलावट बहुत ज्यादा है। यूनानी और आयुर्वेदिक दवाओं पर लोगों का विश्वास बढ़ रहा है। अधिक से अधिक दवाओं को उपलब्ध करने के साथ साथ उनकी स्क्रीनिंग अच्छी तरह से करनी चाहिए ताकि उनमें मिलावट न हो।

मेरे क्षेत्र में बरेली जिले में जिला परिषद के 16 यूनानी और आयुर्वेदिक अस्पताल हैं। उनमें डाक्टर, नर्स, चौकीदार और चपरासी हैं। बिल्डिंग का किराया और स्टाफ की तन्खाहें दी जाती हैं, फरनीचर है। लेकिन वहां पर 1974 से एक पैसे की भी दवा नहीं दी गई है। वे कहते हैं कि हम दवा के बिना कैसे इलाज करें। उनकी सेवाएं समाप्त नहीं हो सकतीं, क्योंकि वे पर्मानेन्ट हैं। उन्हें मुफ्त की तन्खाह दी जाती है।

चूंकि देहात में अस्पताल नहीं हैं, इसलिए लोग बहुत दिन तक बीमारी का इलाज नहीं करा पाते। इससे रोग बढ़ जाता है। उनको दिल्ली के अलावा कहीं जगह नहीं मिलती है। डाक्टर और डाक्टरनी गांवों में रहने के लिए तैयार नहीं हैं। इसलिए यह व्यवस्था करनी चहिए कि व्हीकल्ज में मोबाइल हास्पिटल बनाए जाएं, जिसमें डाक्टर, नर्स, कम्पाउण्डर और दवाओं की व्यवस्था हो और वे सप्ताह में एक बार गांव में जाएं। ऐसा करने से ही हम गांवों के लोगों को चिकित्सा-सुविधा दे सकेंगे, वर्ना 100 साल तक भी उन्हें यह सुविधा नहीं मिल पाएगी।

हर गांव में स्वास्थ्य रक्षक नियुक्त किए गए हैं और उनको एनलजीन और क्लोरेक्विन की गोलियां दे दी गई हैं। उनसे भी बहुत लाभ होता है। पीछे बदायूं, शाहजहांपुर और बरेली में बाढ़ के समय बहुत लोग बीमार हो गए। राज्य के एक मन्त्री ने कहा कि जब आबादी बढ़ेगी, तो वह किसी न किसी तरीके से घटेगी ही। लेकिन उस समय इन मामूली दवाओं से मरीजों को बहुत फायदा हुआ। इस व्यवस्था को और अच्छा बनाया जाए। उड़ीसा में जो अध्यापक और अध्यापिकाएं गांवों में पढ़ाती हैं, उनको डाक्टरी की ट्रेनिंग दी जाती है। अगर गांव में किसी महिला या बच्चे को कोई तकलीफ हो, तो वे लोग फौरन दवाएं मुहैया करते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार कब तक गांव-गांव में यह व्यवस्था कर पाएगी। डाक्टरों को ऐसी प्रेरणा और रहने की अच्छी सुविधाएं दी जाएं कि पैसे से उनका मोह हटे। आज वे लोग मरीजों से अप्रत्यक्ष रूप से पैसा लेते हैं। सरकार इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए क्या व्यवस्था कर रही है?

डा० राम मनोहर लोहिया हास्पिटल के इमर्जेन्सी वार्ड में बड़ी दुर्दशा है। एक मरीज का एक्सिडेंट हो गया है और दूसरे को बुखार से सरसाम हो गया है। उन दोनों की हालत अलग है, सिम्पटम्ज और इलाज भी अलग-अलग हैं। लेकिन उन दोनों को एक ही वेड पर लिटाया गया है। मंत्री महोदय जल्दी से जल्दी ऐसी व्यवस्था करें कि वहां पर एक वेड पर एक ही मरीज रखा जा सके। देश

के करोड़ों करोड़ जन के लिए कब तक इसकी सेवा उपलब्ध कर सकेंगे ? जिससे कि उसे कभी दर्द हो, तकलीफ हो, परेशानी हो तो फौरन डाक्टरी सुविधा मिल सके ? यह आप कब तक कर पाएंगे ?

ऐम्बुलेंस आपकी कितनी चल रही हैं, कितनी खराब हैं, किस हालत में हैं शायद मंत्री जी को उसकी पूरी जानकारी भी नहीं है। ऐम्बुलेंस लोगों को उपलब्ध नहीं हो पाती है। वी० आई० पीज को उपलब्ध हो जाय, ऐसा तो हो सकता है लेकिन आम जनता को ऐम्बुलेंस उपलब्ध नहीं होता है।

मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय कोई ऐसी संसदीय कमेटी बनाएंगे जो वहां जाकर इन सब बातों की जांच कर सके ? वहां पर फैले हुए कदाचारों के सम्बन्ध में बहुत से अखबारों में जो घटनाएं छपती हैं और जो तथ्य उनमें दिए गए हैं यदि वह सही हैं तो बड़े शर्म की बात है। कब तक आप ऐसी व्यवस्था कर सकेंगे जिससे कि इनको रोका जा सके ? हमको अच्छी चिकित्सा सुविधा और अच्छी स्वास्थ्य सेवा मिल सके इसकी कब तक आप व्यवस्था कर सकेंगे ?

श्री बी० शंकरानन्द : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है कि एक मानसिक अस्पताल के दौरे के समय वह मेरे साथ गए थे। यह सच है कि हमने जब मानसिक अस्पताल का दौरा किया तब हो सकता है हमारी मौजूदगी की वजह से, सब कुछ ठीक हो। माननीय सदस्य ने इसी से अपनी यह व्याख्या बना ली है—

उपाध्यक्ष महोदय : उनकी शिकायत यह है कि उन्हें वहां ठहरने के लिए क्यों नहीं कहा गया जबकि आप से कहा गया था।

श्री बी० शंकरानन्द : उन्होंने सोचा उनके वहां रहने से स्थिति और भी बिगड़ जाएगी। चाहे जो कुछ भी हो, मैं अवश्य ही यह कहूंगा कि इन अस्पतालों में कार्य हमारी आशा के अनुरूप नहीं चल रहा है। उनमें सुधार की अत्यधिक गुंजाइश है चाहे वह चिकित्सा सेवा हो या दैनिक आहार हो। परन्तु हम निर्धन लोगों को उपलब्ध कराई जा रही चिकित्सा सेवा बिल्कुल नकार नहीं सकते। मैंने आंकड़े दिए हैं। दिल्ली के अस्पतालों में हजारों गरीब लोग आते हैं और उनका इलाज किया जाता है। माननीय सदस्य इससे सहमत होंगे कि डाक्टरों और कर्मचारियों की संख्या जनसंख्या में वृद्धि के अनुरूप नहीं बढ़ी है। डाक्टरों तथा अन्य कर्मचारियों के हम धन्यवादी हैं जो कठिन स्थितियों में बीमार लोगों की सेवा कर रहे हैं। मैं यह नहीं कहता हूं कि वे गलती नहीं करते हैं परन्तु जिन परिस्थितियों में ये लोग काम कर रहे हैं, उसकी सराहना की जानी चाहिए।

माननीय सदस्य ने आपात वार्ड का उल्लेख किया है जहां एक बिस्तर पर दो मरीज होते हैं। महोदय, हमें इस बात की सराहाना करनी चाहिए कि हम केवल स्थानाभाव के कारण रोगियों को दाखिल करने से इन्कार नहीं करते हैं। निर्धन लोग आपात इलाज के लिए अस्पतालों में आते हैं। क्या अस्पताल यह कह सकते है कि बिस्तर नहीं है इसलिए हम आपको दाखिल नहीं करते ? अतः आपको इसकी सराहाना करनी चाहिए कि किन कठिन परिस्थितियों में बीमार लोगों को चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराई जाती है और तत्काल ध्यान दिया जाता है। मैं माननीय सदस्य द्वारा व्यक्त की चिन्ता को समझता हूं। हमें आपात वार्डों में बिस्तरों की संख्या बढ़ानी होगी और तब घन के अभाव का प्रश्न उत्पन्न होता है। अब हम दिल्ली के इर्द-गिर्द पांच अस्पतालों का निर्माण करा रहे हैं ताकि मौजूदा अस्पतालों में भीड़-भाड़ कम की जा सके और मुझे आशा है कि स्थिति में सुधार होगा और ये पांच अस्पताल बन कर तैयार हो जाएंगे।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं लोक सभा के माननीय अध्यक्ष महोदय को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर यह ध्यानाकर्षण स्वीकार किया है। मैं माननीय मन्त्री जी को भी बधायी देता हूं कि उन्होंने बड़ी इमानदारी से यह स्टेटमेंट दिया है। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि मन्त्री जी के मन में पीड़ा है, मन्त्री जी के मन में स्वास्थ्य के मामले में कुछ करने की इच्छा है लेकिन हमें खेद है कि मन्त्री जी की यह पीड़ा और इच्छा उनके दिल में ही है, उनको बाहर की दुनिया का कुछ भी पता नहीं है। मुझे अफसोस हो रहा है कि जितनी इमानदारी से उन्होंने उत्तर दिया है, उतना ही भुलावा देने वाला उत्तर बाद के उत्तरों में दिया है।

सबसे पहले तो मैं मन्त्री जी से यह निवेदन कर दूं कि इस ध्यानाकर्षण में पांच प्वाइन्ट हैं—एक तो देश के विभिन्न अस्पताल, दूसरा विशेष कर डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल, तीसरे डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल में डाक्टरों द्वारा किए जा रहे कदाचार, चौथे रोगियों के साथ अस्पताल में दुर्व्यहार और पांचवें, इन सारी बातों के ऊपर सरकार ने क्या कार्यवाही की है। ये पांच मुद्दे हैं।

हमारे साथियों ने देश के विभिन्न अस्पतालों की यहां पर चर्चा की है। अस्पतालों में रोगियों के सम्बन्ध में चर्चा की है, दवाओं में हेरा-फेरी की चर्चा की है और इस तरह से बहुत सारी चर्चायें की हैं। मैं माननीय मन्त्री जी को अखबार की कुछ फोटो दिखाना चाहता हूं। यह मैं आपको बाद में दे भी दूंगा। यह अखबार है इण्डियन एक्सप्रेस, इसमें हेडिंग हैं :

'टेटनस से मरने के लिए जन्मे'

एक मां बैठी है और उसके साथ में दो-तीन मायें अलग बैठी हैं—यह मैटरनिटी वार्ड का चित्र है। एक ही बिस्तर पर तीन औरतें बच्चों को लेकर बैठी हुई हैं, एक का बच्चा गिर गया है और उसकी मृत्यु हो गई है। और यह सुचेता कृपालानी अस्पताल की तस्वीर है, इसके डिटेल्स नहीं पढ़ूंगा क्योंकि टाइम नहीं है। यह दूसरा चित्र सफदरजंग अस्पताल का है जिसकी हेडिंग है :

'नवजात शिशुओं के जीवित रहने में बाधाएं'

इसमें अस्पताल के गलियारे में बहुत बड़े कूड़े का ढ़ेर दिखाया गया है। इसी तरह से और भी खबरें हैं जैसे दिल्ली के डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल की खबर है :

'जीवित रहने के लिए संघर्ष'

इसी संदर्भ में डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल का एक डाकूमेंट मेरे हाथ में है लेकिन इसको मैं बाद में पढ़ूंगा अभी मैं यह बता रहा था कि देश के अस्पतालों में क्या दुर्दशा है। हमारे बनारस में सर सुन्दरलाल अस्पताल और कबीर चौरा अस्पताल है जिनकी स्थिति बहुत ही गम्भीर है। श्री कमलापति त्रिपाठी जी यहां पर बैठे हुए हैं, उनके पास उनके सम्बन्ध में लाखों शिकायतें पहुंची होंगी। सर सुन्दर लाल अस्पताल तो नरक का अड्डा बना हुआ है। मैं स्वास्थ्य मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि केवल कहने की बात नहीं है बल्कि फील करने की बात है कि आज अस्पतालों में क्या दुर्दशा हो रही है। चाहे कलकत्ता हो, मद्रास हो, बेलगाम हो, दिल्ली हो या कोई भी स्थान हो वहां पर अस्पतालों की व्यवस्था ठीक नहीं है। मैं डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल की विशेष चर्चा करूंगा। और जैसा मैंने आरम्भ में बताया है, इस काल अटेंशन के पांच भाग हैं जिनमें एक भाग डाक्टरों

के कदाचार से सम्बन्धित है। डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल के सम्बन्ध में मेरे पास एक लेटर है, इसके अनुसार वहां पर सूचना प्रसारित की गई थी :

> "आम जनता को बहिरंग रोगी विभाग से निम्नलिखित दवाइयां इस अस्पताल के बहिरंग रोगी विभाग के क्लर्कों के नुस्खे पर ही 1 अप्रैल, 1983 से दी जाएंगी।"

इसमें 49 मैडिसिन के नाम दिए हैं और कहा गया है ये दवाइयां राम मनोहर लोहिया अस्पताल में रहेंगी। समय कम होने की वजह से मैं इनको पढ़ूंगा नहीं। राम मनोहर लोहिया अस्पताल का तीन करोड़ रुपए का बजट है। लेकिन मुझे ताज्जुब होता है कि कल शाम तक वहां पर सल्फाडाइजीन, टैट्रासाइक्लिन, विटामिन—बी कामपलैक्स और विटामिन—सी और लगभग 13 दवाइयां वहां पर नहीं थी। ताज्जुब है कि वहां पर ये दवाइयां न मिलें और आप कह रहे हैं कि आरोप निराधार है। मेरे मन में आ रहा था कि मैं मन्त्री जी के खिलाफ प्रिवलेज मोशन का नोटिस लाऊं। यहां पर सब बातें रिकार्ड हो रही हैं। मैं जानना चाहता हूं कि ये दवायें कब से नहीं हैं, क्यों नहीं हैं और क्या इन दवाओं को खरीदने का बजट में प्रावधान है या नहीं है? अगर है, तो किस व्यक्ति की लापरवाही की वजह से ये दवायें नहीं थीं? इसका उत्तरदायित्व किस व्यक्ति के ऊपर है और उसके खिलाफ क्या कार्यवाही कर रहे हैं?

इस सन्दर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि राम मनोहर लोहिया अस्पताल बहुत बढ़िया अस्पताल है। मैं समझता हूं कि ज्यादातर लोगों को मालूम नहीं है कि उस अस्पताल में लोगों को पॉप म्यूजिक भी सुनवाया जाता है। हृदय रोग विशेषज्ञ में पॉप म्यूजिक सुनवाया जाता है। मन्त्री जी कह देंगे कि इसलिए सुनवाया जाता है ताकि मैंटल सन्तुलन ठीक रहे। मैं कहना चाहता हूं कि इस अस्पताल में जली हुई औरतें आती हैं, ऐक्सीडेंट हुए लोग आते हैं जो जिन्दगी और मौत का सामना करते हैं, बिस्तर पर तड़पते रहते हैं, आप उनको रामायण क्यों नहीं सुना सकते हैं, क्या गीता उनको नहीं सुनवा सकते हैं, क्या उनको गुरुवाणी नहीं सुनवा सकते हैं या कुरान की आयतें नहीं सुनवा सकते हैं? मैं पूछना चाहता हूं कि पॉप म्यूजिक जरूरी है या गीता-रामायण जरूरी है? हृदय रोग के अन्दर पॉप म्यूजिक की क्या जरूरत हैं? इस अस्पताल में चार करोड़ रुपए की लागत से एक विशेष कक्ष हृदय रोग की जांच के लिए बनाया गया है। इस कक्ष में आधुनिक मशीने और कारपैट लगे हुए हैं और दीवारों पर पेपरिंग की गई है, लेकिन इस विभाग के चारों डाक्टर योग्य नहीं हैं। एक भी डाक्टर योग्य नहीं है, जिसको हिन्दुस्तान की किसी एकादमी से सर्टिफिकेट मिला हो या कोई डिप्लोमा मिला हो। वे साधारण एम० बी० बी० एस० या एम० डी० हैं, लेकिन हृदय रोग की विशेषता हासिल नहीं है।

मान्यवर, एक बार मैं और कश्यप जी वहां गये थे। हमको बहुत अच्छे ढंग से दिखाया गया और बहुत अच्छे-अच्छे डिमांस्ट्रेशन दिए गए। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको बतला दूं कि यहां के जो डाक्टर इन्चार्ज हैं, मैं उनका नाम नहीं जानता और नाम यहां पर लेना ठीक भी नहीं है, लेकिन मन्त्री जी इसकी छानबीन करायें—उनके पास कोई डिग्री हृदय-रोग विशेषज्ञता की नहीं है। जब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में उनका चयन हो रहा था, उन्होंने वहां पर एक झूठी डिग्री पेश की और मैं चुनौती देता हूं—वह डिग्री इस हाउस में लाई जाए। माननीय मन्त्री जी ने राही जी के प्रश्न के उत्तर में कहा है कि यह आरोप निराधार है। यदि यह आरोप निराधार है तो कल से मैं इस लोकसभा में बैठने काबिल नहीं रहूंगा और न बैठूंगा—यह चुनौती देता हूं।

यहां एक महिला डाक्टर हैं उन्होंने तीन अन्य लोगों के साथ मिलकर एक शोध-प्रबन्ध प्रस्तुत किया। हमारे पास एक बड़े जाने-माने अखबार "ब्लिट्ज" की कटिंग है जिसे मैं मन्त्री जी को दे देता हूं ताकि वे इसकी छान-बीन करायें। यह शोध-प्रबन्ध एक विदेशी डाक्टर के शोध-प्रबन्ध की नकल करके दे दिया गया और इससे हमारे मुल्क के लोगों की इतनी तौहीन हुई, यह बात तमाम अखबारों में छप गई, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। हमारे मन्त्री जी को शायद इसका ज्ञान नहीं है। मैं यह नहीं कहता हूं कि उनको जानकारी है, लेकिन वे इसका पता लगायें। स्वास्थ्य विभाग के नियमों तथा अन्य इंस्टीचूशन्ज के नियमों के अनुसार यदि कोई ऐसा कदाचार करता है तो उसको नौकरी से मुअत्तिल कर दिया जाना चाहिए। लेकिन मुझे खेद के साथ इस सदन को अवगत कराना पड़ रहा है कि उस डाक्टर को हैड-आफ-दि डिपार्टमेन्ट बना दिया गया है और तब बनाया गया जब यह घटना प्रत्यक्ष में आई। इस महिला डाक्टर ने अब इन आरोपों को दूसरों पर मढ़ने का प्रयास किया है, यदि आप जांच करेंगे तो सब बातें सामने आ जाएंगी। मैं अखबारों की कटिंग पर बहुत ज्यादा विश्वास नहीं करता हूं, लेकिन यदि आप जांच करायेंगे तो सब तथ्य माननीय मन्त्री जी के सामने आ जाएंगे।

हमारे मन्त्री महोदय—माननीय शंकरानन्द जी—भोले-भाले शंकर जी हैं। हम काशी के रहने वाले हैं, हमारा और आपका बड़ा साथ है। हमारे काशी में 25 लाख जनता रहती है—वह कहती है कि आप जरूर भोले शंकर हैं, आपका का यह भोलापन देश को ठग रहा है, पार्लियामेन्ट को धोखा दे रहा है। इस डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल में सामानों की खरीद में इतना बड़ा घोटाला हुआ है जितना पिछले तीन वर्षों में देश के किसी भी अस्पताल में नहीं हुआ होगा। हृदय रोग कक्ष जिसका मैंने पहले जिक्र किया है—उस काम के लिए दो प्रकार की मशीनें आती हैं। एक—"ईको" नाम की मशीन है—विदेशों में जब इसका अविष्कार हुआ तो यह दो साइज की थी। एक की कीमत 25 लाख रुपये थी जो ब्लैक-एण्ड-व्हाइट टेलीविजन की तरह की है और दूसरी रंगीन टेलीविजन की तरह की है। वहां के हृदय रोग विशेषज्ञ ने 25 लाख रुपये वाली ब्लैक-एण्ड-व्हाइट मशीन मंगा ली। फिर जैसा मैंने कहा, चार महीने के अन्दर, तीन महीने के बाद, यह कहा गया कि ब्लैक-एण्ड-व्हाइट बेकार मंगा लिया, हमें तो रंगीन चाहिए और उसके लिए तुरन्त आर्डर दे दिया और लगभग 45 लाख रुपये का रंगीन मंगा लिया। मन्त्री जी को शायद इसकी जानकारी नहीं है क्योंकि ये तो भोले शंकर हैं लेकिन मुल्क का पैसा बरबाद किया गया। यह मशीन मंगाने की क्या जरूरत थी और हम ब्लैक एण्ड-व्हाइट से ही काम चला लेते। ऐसी बात नहीं है कि इससे काम नहीं चल सकता था क्योंकि हमने टेक्नीशियन्स से पूछा है कि इससे भी काम चल सकता है। इसके अलावा यह बात भी है कि अगर रंगीन ले लिया था, तो फिर ब्लैक-एण्ड-व्हाइट क्यों वापस नहीं किया गया। उसको वापस कर देते लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। मैं यह बता रहा हूं कि इको मशीन में लाखों रुपयों का घपला हुआ है और हेराफेरी की गई है। श्री राम लाल राही ने बताया ही है कि 12 हजार रुपये का टूथ पेस्ट बाहर से मंगाया है। यह बिल्कुल सही बात है। केवल इस अस्पताल के अन्दर विदेशी टूथ पेस्ट 12 हजार रुपये का बाहर से मंगाया गया है। तो यह सब क्या हो रहा है और कैसे यह चलेगा। मैं मन्त्री जी से कह रहा हूं और मेरा यह आरोप है कि वर्तमान जो मेडिकल सुपरिन्टेन्डेंट हैं, ये निहायत भ्रष्टाचारी हैं। मेरा इन पर आरोप है। ये मेडिकल सुपरिन्टेन्डेंट 1983 में हुए हैं और इसके पहले ये किसी कमेटी में कन्सलटेन्ट थे। मुझे पता नहीं, इसको क्या कहते हैं और मन्त्री जी इसके बारे में अच्छी तरह से जानते होंगे। उसमें जो खरीद और बेच होती थी, वह इन्हीं की मर्जी से होती थी और उसमें बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। 5 करोड़ 80 लाख रुपये का सामान खरीदा गया है और उसमें से करीब 2 करोड़ रुपये की चोरी की गई है।

मेरे पास यह 'माया' मेगजीन है। इसमें जो तथ्य दिये हैं, वे मैं हाऊस के सामने रखना चाहता

हूं। चोरी में एक आदमी का ही हाथ नहीं है बल्कि एक और व्यक्ति का हाथ है। वह व्यक्ति गुट-निरपेक्ष सम्मेलन का महासचिव था। यह 'माया' पत्रिका सितम्बर, 1983 की है और इसमें यह लिखा है कि 30 सितम्बर, 1982 को उन्होंने एक पत्र लिखा, जिसका नम्बर है 292 गो० की० पी० सी० 182 और इसमें उन्होंने हवाला दिया था कि वे क्यूबा गये थे जहां छटा गुटनिरपेक्ष सम्मेलन हुआ था, तो उन्हें यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ था कि क्यूबा-सरकार ने विभिन्न राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्षों और उनके प्रतिनिधियों के लिए चिकित्सा की कितनी भव्य व्यवस्था की थी।

इसमें आगे लिखा है :

> "हम किसी भी मायने में उनसे कम नहीं रह सकते···मेरा आग्रह है कि इस सम्बन्ध में आप कदम उठायें और उन विभिन्न होटलों में, जहां प्रतिनिधियों को ठहराने की व्यवस्था की गयी है, आपातकालीन चिकित्सा कक्ष खुलवायें और अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरणों की भी व्यवस्था करायें।"

यह एक लेटर है। मैं माननीय मन्त्री जी से पूछूंगा कि क्या आपकी निगाह में यह आया है या नहीं और क्या यह लेटर इस अखबार वाले ने गलत छापा है? अगर गलत छापा है, तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि पार्लियामेंट के द्वारा इस अखबार वाले पर, इस पत्रिका पर कार्यवाही होनी चाहिए क्योंकि यह एक सेनसेटिव मामला है और यह एक ऐसे व्यक्ति पर आरोप लगाता है जोकि हमारे डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल का मेडीकल सुपरिन्टेन्डेंट है और हमारी आदरणीय प्रधान मन्त्री का वह प्राइवेट चिकित्सक है। इससे हमारी प्रधान मन्त्री जी की छवि भी धूमिल होगी, मुझे इस बात की चिन्ता है। मैं यह जानना चाहूंगा कि वह कौन-सा व्यक्ति है, जिसने ऐसा किया है।···**(व्यवधान)**··· गर्दन क्यों हिलाते हो। आपकी प्रधान मन्त्री हैं, तो हमारी भी प्रधान मन्त्री हैं।

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : वह किसी का नाम नहीं ले रहे हैं। मैं जानता हूं कि अनुमति कैसे और किसको दी जाती है। यदि आवश्यक हुआ तो मन्त्री महोदय इसका उत्तर देंगे।

आप क्यों खड़े होते हैं?

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : वह जो कुछ भी कह रहे हैं रिकार्ड नहीं किया जाएगा।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : ये जो लैटर आया है, इस लैटर के आधार पर 6 होटलों में हास्पिटल खोले गए। मौर्या होटल, अशोका होटल, ओबेराय होटल, ताज होटल, कनिष्का होटल, सम्राट होटल, विज्ञान भवन और एयर पोर्ट पर अस्पताल खुलवाए गए। बहुत अच्छे उपकरणों के प्रबंध किए गए। इतना ही नहीं नान अलायंस के लिए जो संस्था थी, कमेटी जो इसको डील कर रही थी, उसने भी डेढ़ करोड़ रुपया इन सामानों को खरीदने के लिए डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल के

**कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

फण्ड में दिया और यह सामान खरीदा गया। ताज्जुब है कि हमारे मन्त्री जी को मंत्रालय ने लैटर लिखा, उसकी कापी भी मेरे पास है। उसमें लिखा गया है कि चार मार्च, 1983 तक यह सामान हिन्दुस्तान में आ जाना चाहिए और जबकि मेरे पास इस बात का पक्का प्रमाण है कि 11 मार्च, 1983 तक सामान आता रहा। सामान की फर्जी ढंग से एंट्री होती रही। यह सब इसलिए होता रहा कि क्योंकि करोड़ों रुपए का इसमें लाभ था। और हमारे मन्त्री जी भोले बनकर बैठे हुए थे।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप यह अनुभव करते हैं कि यह एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मामला है तो आपने आधे घंटे की चर्चा के लिए कहा होता। आपको यह समय ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में लगाने की आवश्यकता नहीं है।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : मैं आपके सुझाव से सहमत हूं। जैसा कि मैंने कहा कि इतने बड़े घपले में एक मामूली से *** नाम के पुराने मेडिकल सुपरिन्टेन्डेण्ट को मुअत्तल किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया नाम मत लीजिए।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : ठीक है, आप नाम को एक्सपंज करवा दीजिए। लेकिन जो सबसे बड़ा यहां बैठा था, उस पर आपने कोई कार्यवाही नहीं की। जो मेडिकल सुपरिन्टेन्डेण्ट यहां हैं, उनके बारे में मैं मन्त्री जी को बताना चाहता हूं। सन् 1964 में सफदरजंग अस्पताल में मद्रास की एक महिला का इलाज किया था। उस महिला के पति को निमोनिया हुआ था और उसका टी०बी० का इलाज किया गया और उसका पति मर गया। उस महिला ने मद्रास हाईकोर्ट में मुकद्दमा दाखिल किया। मेरे पास डाकूमेंट हैं। मद्रास हाईकोर्ट ने फैसला दिया इस डाक्टर के बारे में और 5000 रुपये का जुरमाना इस पर किया। फिर इसके बाद जज ने कहा था फैसले में कि इस आदमी की पदोन्नति रोक दी जाए, इसको मुअत्तल कर दिया जाए और यह पब्लिक सर्विस कमीशन को लिखा था। लेकिन बड़े खेद की बात है कि आज वह आदमी मेडिकल सुपरिन्टेन्डेण्ट बन गया और रिटायर होने के बाद बना। मेरे पास मन्त्री जी का और प्रधानमन्त्री जी का स्टेटमेंट है जिसमें उन्होंने कहा है कि रिटायर होने के बाद किसी को पुनः सेवा में नहीं लिया जाएगा। मैं जानना चाहता हूं कि इस आदमी के इतना भ्रष्ट होते हुए, जिसके खिलाफ हाईकोर्ट ने निर्णय दिया हो, क्यों सेवा में लिया गया। इस आदमी में ऐसी कौन-सी खासियत या गुण आ गया जिससे इसको वहां पर मेडिकल सुपरिन्टेन्डेण्ट बनाया गया। इतना ही नहीं, सीनियोरिटी में उसका 116 नम्बर था जबकि 54, 55 और 88 नम्बर वालों को छोड़ दिया गया और इतने जूनियर आदमी कोवहां पर रखा गया। जब आदमी रिटायर हो जाता है, तो उसकी कोई सीनियोरिटी नहीं रहती है। लेकिन, यह आदमी कैसे मेडिकल सुपरिन्टेन्डेण्ट बन गया ? उपाध्यक्ष जी, बार-बार आप घन्टी बजा रहे हैं इसलिए मैं चाहूंगा कि जो प्रश्न मैंने पूछे हैं, उनका एक-एक करके उत्तर दिया जाए ; जिससे रूल-222 के अन्तर्गत दूसरे ढंग से इस गंभीर मामले को न लाना पड़े। इन सारी बातों से मैंने स्पीकर साहब को भी लिखित में अवगत करा दिया है। इसलिए, इस विषय पर कालिंग अटेंशन लिया गया था। मन्त्री जी बहुत जिम्मेदारी की पोस्ट पर बैठे हुए हैं। देश की 70 करोड़ जनता के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी इनके ऊपर है। कुछ ऐसा काम आप कीजिए जिससे इस इस देश के लोग अच्छे ढंग से सुखी जीवन व्यतीत कर सकें। आप कहते हैं कि आबादी बढ़ रही है। हम यह कहना चाहेंगे कि आप परिवार नियोजन भी तो करते जा रहे हैं। परिवार नियोजन विभाग में मैंने

**कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

कुछ दिनों तक काम भी किया है। आबादी और परिवार नियोजन में अब बहुत ज्यादा अन्तर नहीं रह गया है। इन शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री बी० शंकरानन्द : उपाध्यक्ष महोदय, मानवीय सदस्य ने कुछ विषयों पर तथा डा० राम मनोहर लोहिया के कुछ डाक्टरों के बारे में चर्चा करने के लिए विशेष रूप से इस अवसर को चुना है। परन्तु अपनी सारी बातें, जो वह कहना चाहते थे, कह चुकने के बाद, मेरे विचार में इसी विषय पर अब आधे घंटे की चर्चा के अन्तर्गत चर्चा करने की आवश्यकता नहीं होगी।

उन्होंने आरोप लगाया है कि जिन वार्डों में हृदय रोगियों का इलाज किया जाता है उनमें सुयोग्य डाक्टर नहीं है। यह सही नहीं है। इसी सभा में मुझ से कई सदस्यों ने अनुरोध किया है कि उनके हृदय रोग के इलाज के लिए मैं कोई कक्ष लेकर दूं। एक ओर तो लोग इस अस्पताल में इलाज कराना चाहते हैं तथा दूसरी ओर मानवीय मदस्य यह कहते हैं कि हृदय रोगों का इलाज करने के लिए वहां कोई सुयोग्य डाक्टर नहीं है। उन्होंने कहा है कि कुछ डाक्टरों के पास अहर्ता नहीं है। कुछ विभागों में डाक्टरों की नियुक्ति हेतु कुछ प्रक्रिया है। उनका चयन संघ लोक सेवा आयोग द्वारा किया जाता है। उनका चयन चयन-विशेषज्ञों द्वारा सुयोग्य पाए जाने पर ही किया जाता है। केवल उनके चयन के आधार पर सरकार इनकी नियुक्ति का निर्णय लेती लेती है। हम उच्च विशिष्टता प्राप्त क्षेत्रों में डाक्टरों की तदर्थ आधार पर नियुक्ति तब तक नहीं करते हैं जब तक उनका इस प्रकार चयन नहीं हो जाता और और पर्याप्त सुयोग्य नहीं पाए जाते। परन्तु आम तौर पर संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से नियुक्ति की जाती है। सरकार संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश अथवा चयन के अनुसार चलती है।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : यू० पी० एस० सी० में उस डाक्टर ने गलत सर्टिफिकेट पेश किया है।

श्री बी० शंकरानन्द : अब वह यह कह रहे हैं कि डाक्टर ने संघ लोक सेवा आयोग के समक्ष गलत काम किया। मैं यह कैसे जान सकता हूं कि संघ लोक सेवा आयोग के समक्ष क्या किया गया ?

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : मैं आपकी नालिज में ला रहा हूं।

श्री बी० शंकरानन्द : मैं भी यही कह रहा हूं। हम संघ लोक सेवा आयोग अथवा विभागीय पदोन्नति समिति की चयन समिति की सलाह के अनुसार कार्य करते हैं और डाक्टर इस प्रकार नियुक्त किये जाते हैं। सरकार इन कदाचारों में, यदि कोई हुआ भी है तो शामिल नहीं होती। परन्तु मेरे विचार में डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डाक्टरों की नियुक्ति में कोई कदाचार नहीं हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग सक्षम है।

श्री बी० शंकरानन्द : उन्होंने एक ऐसे मामले का भी उल्लेख किया है जिसमें एक महिला डाक्टर को उसके द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रमाण-पत्र के अनुसार अनुसंधान का अनुभव नहीं था।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : वह रिसर्च नकल करके की थी।

श्री बी० शंकरानन्द : यदि कोई ऐसा मामला है तो माननीय सदस्य मुझे बताएं, मैं निश्चय ही उसकी जांच कराऊंगा।

गुट-निरपेक्ष शिखर सम्मेलन के दौरान राम मनोहर लोहिया अस्पताल द्वारा खरीदे गए उपकरणों का जहां तक सम्बन्ध है, सभा और देश को इस बात का गर्व होना चाहिए कि यदि किसी राष्ट्र अध्यक्ष के आपातकालीन इलाज की जरूरत पड़ती तो हमने उस अवसर के लिए सारी व्यवस्था अवश्य कर रखी थी। यदि इस प्रकार की व्यवस्था करने में हमारी ओर से कोई त्रुटि रह जाती है तो यह सभा भी सरकार की आलोचना करती। हमने कुछ व्यवस्था की थी और हमें उस पर गर्व है। यह भी सच है कि हमने उन होटलों में भी कुछ व्यवस्था की थी जिनमें राष्ट्राध्यक्ष ठहरे हुए थे। हमने सभी पूर्वोपाय किए थे। हम इस देश या विदेश में आलोचना की कोई गुंजाइश नहीं रहने देना चाहते थे। इस पर मुझे गर्व है और सभा को भी गर्व होना चाहिए। यदि उपकरणों की खरीद में कोई कदाचार हुआ है तो हम निश्चय ही उसकी जांच कराएंगे।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : आपने मैडिकल सुपरिन्टेन्डेण्ट के बारे में कुछ स्पष्ट नहीं किया।

श्री बी० शंकरानन्द : उन्होंने चिकित्सा अधीक्षक के विरुद्ध कुछ आरोप लगाए हैं। उन्होंने 1964 के किसी मामले का उल्लेख किया जब न तो वह न ही मैं यहां उपस्थित थे। मेरे विचार में सभा इसका यकीन करेगी कि कोई भी व्यक्ति योग्यता के बिना यहां नहीं आया है। वह 20 साल की सेवा के बाद यहां तक पहुंच है। मैं माननीय सदस्य के उस बयान में शुद्धि करना चाहता हूं जिसमें उन्होंने यह कहा है कि मौजूदा चिकित्सा अधीक्षक सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा अधीक्षक बने हैं। यह सही नहीं है। सेवाकाल में वृद्धि से पूर्व भी वह चिकित्सा अधीक्षक थे क्योंकि हमने उन्हें सभी मामलों को सम्भालने में पाया। वह एक सुयोग्य डाक्टर हैं। इसी कारण वह प्रधान मन्त्री के निजी चिकित्सक रहे हैं। माननीय सदस्य के लिए ऐसे डाक्टर की कार्यकुशलता की आलोचना करना सही नहीं है जो सभी ऐसे कामों में जिनके लिए हमने उसकी कार्यकुशलता पर भरोसा किया है, सुयोग्य पाया गया हो। वह चिकित्सा अधीक्षक इसलिए रहे क्योंकि वह चिकित्सा की दृष्टि से तथा अन्यथा भी सुयोग्य पाए गए थे।

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मलित नहीं किया जा रहा है।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : आपने जो बयान दिया है, वह तथ्यों पर आधारित नहीं है। हमने उनके बारे में जितने आरोप लगाए हैं, हम जब भी उन पर दृढ़ हैं और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप उनकी जांच करवाएं क्योंकि यह मैडिकल सुपरीन्टैन्डेंट बिल्कुल गड़बड़ आदमी है।

श्रीमती कृष्णा साही (वेगूसराय) : उपाध्यक्ष जी, समस्त देश के लोग राजधानी के विभिन्न अस्पतालों में इलाज के लिए आते हैं। स्वतंत्रता के बाद से जब हमारे यहां ज्ञान-विज्ञान का प्रचार और प्रसार हुआ है, उसी के साथ-साथ लोगों में आशाएं और आकांक्षाएं भी जग गई हैं। हमारे अस्पतालों में जब जिलास्तर पर या अनु-मण्डल स्तर पर विशेषज्ञों या साधनों की कमी होती है तो लोगों को कठिनाई

**कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

का सामना करना पड़ता है। क्योंकि सभी लोग चाहते हैं कि अस्पतालों में उनका सुन्दर से सुन्दर और अच्छे से अच्छा इलाज हो और इसीलिए लोग राजधानी में आते हैं। यह खुशी की बात है मंत्री जी ने कहा है कि दिल्ली के बाहर पांच अस्पतालों का निर्माण होने जा रहा है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूं कि हमारी जिन्दगी की जो न्यूनतम आवश्यकताएं हैं, उनके लिए इंसान प्रतीक्षा नहीं कर सकता। जब अस्पताल बनेंगे तो उनमें इलाज किया जाएगा, यह अच्छी बात है। मैं मानती हूं कि वर्तमान हालात से भी मंत्री जी भली भांति परिचित होंगे। और जैसा उन्होंने अपने बयान में कहा है कि दिल्ली के अस्पतालों की व्यवस्था में सुधार लाने के लिए कोई कमेटी गठित की गई है परन्तु पहले भी कई कमेटियां गठित की जा चुकी हैं और उनमें से कुछ के प्रतिवेदन मन्त्रालय को प्राप्त भी हो चुके हैं। मैं नहीं जानती कि स्वास्थ्य विभाग उन प्रतिवेदनों पर क्या कार्यवाही कर रहा है। क्योंकि उनमें जोनल अस्पताल खोले जाने का भी विवरण दिया गया है। हमारे देश में जिस तरह से आबादी बढ़ती जा रही है, हमारी मांगें भी बढ़ती जा रही हैं, हमारी जरूरतें भी बढ़ती जा रही हैं, यह कोई आकस्मिक घटना नहीं। यह बरसों बरस में हो रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए तो जोनल अस्पताल खोलने की बात उससे की जा रही थी। अगर काम्स एलमेंट के लिए अस्पताल होते तो यह स्थिति न होती और स्पेशलाइज्ड अस्पताल रेफरल अस्पताल हो जाते।

यहां के विभिन्न अस्पतालों में मरीजों की ओवरक्राउडिंग है और उसके अनुपात में डाक्टरों की कमी है। नर्स और पैरा-मैडिकल स्टाफ नहीं है और इमरजेंसी वार्ड के अलावा भी एक पलंग पर दो, दो मरीज सोते हैं। मेरे क्षेत्र से लोग आते है, आये दिन उनको अस्पताल में हम लोग भर्ती करवाते है और जब कभी उनको अस्पताल में देखने गये तो उनको जमीन पर या वरन्डे में सोए हुए देखा है। इसी तरह जो इन्वेस्टीगैशन होता है तो जिस दिन प्रारम्भ होता है। और जब तक प्रेस्क्रिप्शन डाक्टर लिखते हैं उसमें काफी समय लग जाता है। मरीजों की 10, 15 दिन बाद ऐक्सरे और इन्वेस्टीगेशन के लिए बुलाते हैं। इस तरह अगर दो महीने का समय ट्रीटमेंट की पर्ची लिखने में लगेगा तो बीमारी तब तक इन्तजार नहीं करेगी। इसलिए आप कुछ ऐसा उपाय करें जिससे इन्वेस्टीगैशन से लेकर और जब तक डाक्टर फाइनल पर्ची इलाज की बनाएं उसकी अवधि कम हो सके।

डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल राजधानी की नाक है और हमें गर्व है। वी० आई० पी० अस्पताल है, लेकिन मुझे दुख है कि उस अस्पताल में सभी बीमारियों के विशेषज्ञों का सर्वथा अभाव है, जैसे न्यूरोलाजिस्ट, किडनी स्पेशलिस्ट, गैस्ट्रो ऐंट्रोलाजिस्ट और यूरोलाजिस्ट विभागों के विशेषज्ञ नहीं हैं।

इसी तरह से कैट स्कैनिंग के लिए कितना हंगामा होता है। आल इंडिया इंस्टीट्यूट में 6, 6 महीने लोगों को इन्तजार करना पड़ता है, सारे देश से लोग कैट स्कैनिंग कराने के लिए आते हैं। राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भी कैट स्कैनिंग मशीन आयी थी एशियन गैम्स के समय, लेकिन तब से उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। आखिर क्यों? जब सरकार ने इतना पैसा खर्च किया है फिर उसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता है? प्राइवेट नर्सिंग होम्स में जहां कैट स्कैनिंग मशीन है वहां आम जनता अफार्ड नहीं कर सकती है क्योंकि बहुत महंगा पड़ता है। इसी तरह से अल्ट्रा साउन्ड मशीन का इस्तेमाल नहीं होता है अगर उसका इस्तेमाल होता तो लोगों को लाभ होता। मेरी जानकारी है कि इसका भी विशेषज्ञ नहीं है और इसीलिए इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है। यह बड़ी-बड़ी मशीनें विशेषज्ञों के लिए हैं छोटे-मोटे डाक्टर जो आयेंगे वह अगर इनका इस्तेमाल करेंगे तो वह आप मरीजों पर गिनी पिग्स की तरह इस्तेमाल करेंगे। आप देखें कि इन मशीनों का इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा है।

आउटडोर में ई० एन० टी० और औरथोपेडिक्स विभागों के बारे में मेरा निजी अनुभव है कि वहां बैठते ही नहीं हैं। डाक्टरों की कमी है, 3, 4 दिन डाक्टर बैठते ही नहीं है, मंत्री जी इस ओर विशेष ध्यान दें कि ऐसा क्यों है। मैं मानती हूं कि भीड़ हो गई है, आबादी बढ़ गई है, लेकिन डाक्टरों और विशेषज्ञों की क्यों कमी है। उस कमी को तो आप पूरा कर सकते हैं। लेकिन एक चिकित्सक दो-दो पदों परयहां कार्यरत है, ऐसा क्यों होता है? दो जगहों पर अगर एक डाक्टर कार्यभार संभालेगा तो वह अपने कर्तव्य के प्रति कैसे न्याय करेगा? उनके पास कहां से समय आयेगा कि वह इस तरह दो-दो जगहों पर कार्यभार संभाल सकें?

मैं कहना चाहती हूं कि अभी एडीशनल डायरेक्टर जनरल आफ हैल्थ सर्विसेज के पद पर जो व्यक्ति है उसके साथ वह डायरेक्टर आफ सी० जी० एच० एस० भी हैं। इसी तरह एडीशनल डायरेक्टर जनरल हैल्थ सर्विसेज के साथ ही डिप्टी डायरेक्टर जनरल (आर० एच० एस०) भी हैं। डायरेक्टर इन दी मिनिस्ट्री आफ हैल्थ भी शायद दो पद संभाल रहे हैं। इस तरह से अगर एक डाक्टर दो-दो पदभार संभालते हैं तो उनके कर्तव्य में और कार्य-क्षमता में ह्रास होता है।

इस समय सफदरजंग हस्पताल और डा० राममनोहर लोहिया हस्पताल में बहुत से बड़े ऊंचे डाक्टरों के पद रिक्त हैं। सफदरजंग हस्पताल में पोस्ट आफ डायरेक्टर, सी० आई० ओ० 1983 से रिक्त है। इन रिक्त स्थानों को क्यों नहीं भरा जाता है? अगर इन पदों को नहीं भरा जायेगा तो एक चिकित्सक या एक व्यक्ति दो-दो पदों पर काम करेंगे और उसमें प्रशासनिक त्रुटिया होंगी, अव्यवस्था होगी। इससे चिकित्सकों में घोर असंतोष होगा। जब उनकी प्रोन्नति का एवेन्यु समाप्त हो जायेगा तो उनकी काम करने की उत्कंठा भी नहीं रहेगी।

हमारे राजधानी के अस्पतालों की बात तो और है, लेकिन अगर हम अपने प्रान्तों के हस्पतालों की बात कहेंगे तो उसमें बहुत समय चाहिए। आप भी कहेंगे कि यह राज्य का विषय है। बात सही भी है कि वह राज्य का विषय होगा लेकिन हमारी स्वास्थ्य के बारे में कोई राष्ट्रीय नीति होनी चाहिए जिससे प्रान्त और केन्द्र दोनों एक प्रकार की नीति अपना सकें।

जनरल वार्ड में रहने वाले लोगों के प्रति यदि अवेहलना होगी, उनकी उपेक्षा होगी तो आम जनता में हमारे शासन के प्रति रोष होगा, आक्रोश होगा। इसलिए हमारी एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति होनी चाहिए।

मैं अपने माननीय मन्त्री जी से बड़े लिहाज और अदब से कहना चाहती हूं कि उन्हें तो हस्पतालों के सब डाक्टर पहचानते हैं इसलिए आपका राजधानी के हस्पतालों को अचानक देखना संभव नहीं है। जब आप गाड़ी से उतरेंगे तो सब आपको देखेंगे और आपके साथ लग जायेंगे। लेकिन वास्तविकता यह है कि यहां आंकड़े देने से, सदन में आरोप और प्रत्यारोप करके हम इसका समाधान नहीं कर सकते। अगर विरोधी पक्ष के लोग कुछ कहते हैं तो वह आरोप की नियत से कहते हैं, अगर किसी की भर्त्सना करते है तो उससे समस्या का समाधान नहीं हो सकता है।

डा० राम मनोहर लोहिया हस्पताल के डाक्टर्स व सुपरिन्टैडैंट बहुत अच्छे हैं, बड़े कुशल हैं, हम लोगों को उन पर नाज है, लेकिन फिर भी जितना काम उनको दिया जा रहा है, उसके बोझ से बोझिल होकर वह काम करने की चेष्टा कर रहे हैं।

प्राइवेट नर्सिंग होम में बड़ी केअर होती है, बड़ी देखरेख होती है। हम वी० आई० पीज हैं, लेकिन इससे कुछ काम नहीं होता हैं। सबसे पहले जनरल वार्ड के लोगों को देखना चाहिए।

कहा जाता है, हस्पतालों में मुफ्त दवाएं दी जाती हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। विभिन्न हस्पतालों में दवाएं भी मुफ्त नहीं दी जाती हैं। कई डाक्टर्स प्रैस्क्रिप्शन देते हैं और कहते है कि बाहर से दवा ले आइए तब आपको लाभ होगा। हस्पतालों में घटिया किस्म की दवाएं दी जाती हैं। खुद डाक्टर कहते हैं कि प्रैस्क्रिप्शन आपको दे रहे हैं लेकिन खरीदकर दवा खाइए। यहां की दवा मत खाइए, दूसरी कम्पनी की दवा लेकर खाइये। यह बात मैं सिर्फ डा० राम मनोहर लोहिया हस्पताल या सफदरजंग हस्पताल की नहीं कहती हूं बल्कि सारे हस्पतालों की कहती हूं जहां तरह-तरह की घटिया किस्म की दवाएं दी जाती हैं। दवाओं पर नाम भी नहीं होता, ड्रम में भरी गोलियां होती हैं। भगवान जाने क्या डाक्टर देते हैं और क्या खिलाया जाता है। इसकी ओर मैं मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं।

बढ़ती आबादी के बोझ की बात कहीं आती है। यह सही है कि आबादी बढ़ रही है, इसके लिए दीर्घकालीन योजना अपनी जगह है। इससे जनता की आवाज बन्द नहीं होगी। आपको कोई शार्ट-टर्म पालिसी अपनानी होगी जिससे हस्पतालों की सेवाओं में सुधार हो, प्रशासन में सुधार हो।

मरीजों के प्रति चिकित्सकों का जो व्यवहार होता है, उसका मैं एक उदाहरण आपको देना चाहती हूं। कुष्ठ रोग के लिए इतनी बातें कहीं जाती है और इतना पैसा भारत सरकार देती है। मेरे यहां एक छोटा सा लड़का रहता है, उसको कुष्ठ रोग का सन्देह हो गया। वह 3 महीने से विलिंगडन हस्पताल के चक्कर लगा रहा है। मैंने कुछ दिन पहले मंत्री महोदय को कहा है कि इस तरह की बीमारियों को लेकर इतने लम्बे अरसे तक इलाज की प्रारम्भिक इनवेस्टीगेशन चलता रहता है, जब एम० पीज के साथ ऐसी बातें होती हैं, तो आम जनता की स्थिति के बारे में क्या कहा जा सकता है?

मैंने कुछ मुख्य बातों की ओर मन्त्री महोदय का ध्यान दिलाया है। वह कर्तव्य-निष्ठ हैं, वह काम करना चाहते हैं, लेकिन परिस्थितियां ऐसी हैं कि उनके सामने कठिनाइयां उपस्थित होती हैं।

2.00 म० प० **(श्री सोमनाथ चटर्जी पीठासीन हुए)**

श्री बी० शंकरानन्द : सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने कुछ आरोप लगाए हैं कि रोगियों को घटिया दवाइयां और औषधियां दी जाती हैं और औषधियां देने वाले डाक्टर ही यह कहते हैं। क्या मैं माननीय सदस्या से यह अनुरोध कर सकता हूं कि क्या उन्हें ऐसी किसी दवाई का नाम ज्ञात है जिसे किसी डाक्टर ने घटिया कहा हो? मेरे विचार में इस प्रकार बताने से मैं मामले के विस्तार में जा सकूंगा और इसके लिए जिलेवार व्यक्तियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही कर सकूंगा।

महोदय यह प्रसिद्ध है कि राममनोहर लोहिया अस्पताल में संसद सदस्यों और अन्य अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों का इलाज किया जाता है और अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों की ओर ध्यान न देने की कोई मिसाल अथवा कोई त्रुटि अथवा घटिया दवाइयां देने के मिसाल मिलना कठिन है। इसकी हमें अवश्य ही सराहना करनी चाहिए। राम मनोहर लाल लोहिया अस्पताल में काम करने वाले डाक्टर और कर्मचारी अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों को सन्तोष जनक सेवा प्रदान कर रहे हैं।

महोदय, सदस्य और विपक्ष के वरिष्ठ नेता श्री मनी राम बागड़ी ने इस अस्पताल में डाक्टरों और विशेवज्ञों की कमी के बारे में विशेष चिन्ता प्रकट की है। इस प्रश्न पर विचार करने की आवश्यकता है परन्तु में माननीय सदस्यों को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि हम सदस्यों को सन्तोषजनक सेवा प्रदान करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करेंगे। यदि डाक्टरों और विशेषज्ञों की कोई कमी है तो हम उसका ध्यान रखेंगे। परन्तु मैं माननीय सदस्यों को यह बताना चाहता हूं कि डाक्टरों और विशेषज्ञों की संख्या में वृद्धि मात्र से समस्या हल नहीं होगी। उपकरणों को रखने के लिए कुछ स्थान या बुनियादी सुविधाएं होना जरूरी है इनके बिना डाक्टरों और विशेषज्ञों की संख्या में वृद्धि से समस्या हल नहीं होगी।

महोदय, माननीय सदस्या ने इस ओर ध्यान आकर्षित किया है कि कैटसकन और ऊँची लागत पर खरीदे गए अन्य उपकरण अनुपयुक्त पड़े हैं। मैं माननीय सदस्यों को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि ऊंची लागत पर खरीदे गए उपकरण अनुपयुक्त नहीं पड़े रहेंगे।

2.04 म० पं०

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) चीनी की मूल्य-निर्धारण नीति पर चर्चा करने की आवश्यकता

श्री कृष्णप्रताप सिंह (महाराज गंज) : इस समय भी चीनी उद्योग पर गन्ना उत्पादकों को गन्ने की कीमत के रूप में 200 करोड़ रुपये भी अधिक बकाया है। इसमें विलम्बित भुगतान आदि के कारण लगने वाले ब्याज आदि की राशि सम्मिलित नहीं है। इस उद्योग की लगभग 60 प्रतिशत फैक्ट्रियां, पुनर्वास, आधुनिकीकरण अथवा विस्तार नहीं कर सकती हैं। उद्योग अब तक हुए कुल 1000 करोड़ रुपये की हानि से दुःखी है और उपभोक्ता चीनी के उच्च मूल्य के कारण दुःखी हैं जो कि उन्हें उचित दर की दुकानों पर 5.25 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मिलती है। निश्चय ही स्थिति को सही परिप्रेक्ष्य में नहीं देखा गया है, और नियोजित ढंग से काम नहीं किया गया है तथा न ही मामले को ठीक ढंग से सम्भाला गया है।

ऐसा प्रतीत होता है कि मूल्य आदि के मामले में चीनी सम्बन्धी नीति का झुकाव बड़े उद्योगों और बड़े एककों की ओर है। औसत पर आधारित चीनी के क्षेत्रीय मूल्य के कारण लाभ कम मिलों को और हानि अधिक मिलों को हो रही है। इस नीति के अन्तर्गत जहां सरकार करोड़ रुपयों की हानि उठा कर रुग्ण अथवा रुग्ण हो रही इकाइयों का प्रबन्ध सम्भाल रही है, वहां कुछ व्यक्ति इन रुग्ण इकाइयों का अनुचित लाभ उठा रहे हैं। इस विशेष उल्लेख द्वारा मैं चीनी मूल्य के महत्वपूर्ण विषय पर। जिसके कारण धीरे-धीरे 80 प्रतिशत उद्योग रुग्ण और 20 प्रतिशत समृद्ध बनते जा रहे हैं वाद-विवाद कराए जाने का अनुरोध करता हूं।

(दो) उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर जिले में डाक का त्वरित वितरण सुनिश्चित करने हेतु डाक विभाग को विभागीय परिवहन की सुविधा प्रदान करने की आवश्यकता

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्टस गंज) : उत्तर प्रदेश के मीरजापुर जनपद में विशेषकर उसके औद्योगिक एवं आदिवासी क्षेत्रों में डाक एवं तार की व्यवस्था अत्यन्त असन्तोषप्रद होने के कारण गहरी

चिन्ता का प्रश्न हो गया है। औद्योगिक क्षेत्रों में और दूर-दराज के इलाके में काफी दिनों के बाद ही चिट्ठियां तथा मनीआर्डर और तार आदि मिल पाते हैं। परिणामस्वरूप औद्योगिक आधार संरचना, संचार व्यवस्था ठीक न होने के कारण नहीं बन पा रहा है। यहां पर देश के कोने-कोने से अधिकारी एवं श्रमिक आकर कार्यरत हैं परन्तु उनकी चिट्ठियां हफ्तों बाद ही मिलती हैं। इसका मुख्य कारण हैड-क्वार्टर मीरजापुर से सुदूरता है और दूसरा कारण डाक के लिए कोई अलग परिवहन की व्यवस्था न होना है। डाक लाने व ले जाने की जो व्यवस्था है वह उत्तर प्रदेश के परिवहन विभाग को सौंपा गया है जो समय से डाक नहीं पहुंचाता और जो इन्टीरियर भागों में डाक ले जाने व ले आने की व्यवस्था है वह भी मैन्युअल ही हैं।

अत: उपर्युक्त समस्या पर संचार मंत्री का ध्यान आकर्षित करता हूं कि इस जिले की विशेष परिस्थिति को देखते हुए विभागीय परिवहन की व्यवस्था का आदेश दें जिससे औद्योगिक क्षेत्रों में डाक समय से पहुंच सके।

(तीन) तीस्ता बांध सिंचाई परियोजना का कार्य शीघ्र पूरा करने हेतु पश्चिम बंगाल सरकार को केन्द्रीय सहायता देने की आवश्यकता

श्री सुबोध सेन (जल पई गुड़ी) : पश्चिम बंगाल का उत्तरी भाग एक पिछड़ा इलाका है और स्वतन्त्रता के पश्चात् वहां कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ है। विशेष रूप से कृषि की दशा सिंचाई सुविधाएं न होने से असन्तोषजनक है। तीस्ता बांध परियोजना उत्तरी बंगाल के पांच जिलों को सिंचाई सुविधाएं प्रदान करने हेतु बनाई गई थी। पश्चिम बंगाल सरकार की वित्तीय कठिनाइयों के कारण इस परियोजना के चरण I के उप चरण I को शीघ्र पूरा करने में कठिनाई हो रही है। इसके अतिरिक्त, गर्मी के मौसम में इस पानी का प्रवाह भारत-बंगला देश संयुक्त नदी आयोग में चर्चा का विषय बन गया है। इन परिस्थितियों में इसे पूरा करने में विलम्ब के कारण कठिनाइयां पैदा हो जाएंगी। इन सभी बातों के प्रकाश में केन्द्रीय सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल सरकार को वर्ष 1984-85 के लिए कम से कम 35 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की जानी चाहिए और परियोजना के कार्य को तेज करने हेतु और सीमेंट, इस्पात तथा रेलवे बैगन की सुविधाओं सहित अन्य उपकरण भी उपलब्ध कराए जाने चाहिए ताकि इसके द्वारा वर्ष 1984-85 में कमान क्षेत्र में सिंचाई आरम्भ की जा सके।

(चार) उर्दू के दर्जे के बारे में सरकार की नीति घोषित करने की आवश्यकता

श्री चित्त बसु (बारसाट) : उर्दू भारत की समृद्ध, अत्युत्तम और सुन्दर भाषाओं में से एक है। इसलिए सरकार द्वारा संस्कृति और शिक्षा के क्षेत्र में प्रायोजित कार्यक्रमों में उर्दू की उन्नति को उच्च प्राथमिकता देनी चाहिए।

श्री इन्द्र कुमार गुजराल की अध्यक्षता में 1973 में एक समिति गठित की गई थी। समिति ने 1974 में एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जिसमें शिक्षा के सभी स्तरों पर, समाचार-माध्यमों में और राज्य प्रशासन के विभिन्न स्तरों पर उर्दू की भूमिका स्पष्ट की गई। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल ने 1975 में प्रतिवेदन पर विचार किया परन्तु सरकार ने इसकी सिफारिशों पर कार्यवाही नहीं की और न ही इसे प्रकाशित करना पसन्द किया। बहरहाल, 1978 में तत्कालीन जनता सरकार ने इसे लोक सभा पटल पर रखा परन्तु इसके साथ की गई कार्यवाही प्रतिवेदन सभा पटल पर नहीं रखा। अब भी प्रतिवेदन पर

सरकारी अलमारियों में धूल चढ़ रही है। वर्तमान शासक दल द्वारा 1980 के चुनावों के समय किए गए चुनाव वायदोंह के बावजूद उर्दू के दर्जे के बारे में एक विवाद चल रहा है।

इस प्रतिवेदन के बारे में सरकार द्वारा अपना निर्णय घोषित करने का यह उचित समय है।

अतः इन परिस्थितियों में मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह और अधिक विलम्ब किए बिना उर्दू के दर्जे के बारे में अपनी नीति घोषित करे और इसे क्रियान्वित करने के लिए प्रभावी कदम उठाये।

(पांच) निरपराध जनजातीय लोगों की रक्षा करने की आवश्यकता

श्री लक्ष्मण कर्मा (बस्तर) : महोदय, समाचार-पत्र समय-समय पर देश के कुछ आदिवासी क्षेत्रों में नक्सलवादियों की गतिविधियों और उन भोले-भाले आदिवासियों पर उसके प्रभाव के बारे में समाचार देते रहे हैं, जो कि अन्ततः इस प्रकार की गतिविधियों के शिकार हैं। नक्सलवादी नेता स्वयं को छुपाने के लिए और इस आन्दोलन को सक्रिय बनाने के लिए सातवें दशक से पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्रों को चुनते रहे हैं। उग्रवादी अन्य क्षेत्रों में अपनी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए भोले-भाले आदिवासियों का उपयोग कर रहे हैं।

नक्सलवादी आन्दोलन को सातवें दशक में मध्य प्रदेश के बस्तर जिले की, उड़ीसा के कोरापुट जिले की, आन्ध्र प्रदेश के श्री काकुलम जिले की आदिवासी बस्तियों में, और देश के आदिवासी बहुल जिलों में आरम्भ किया गया था। भारत सरकार ने इन क्षेत्रों में आदिवासी विकास सेवाएं प्रारंभ की। आदिवासियों पर इसका कुछ प्रभाव पड़ा। परन्तु इन क्षेत्रों में संचार की कमी और अन्य कारणों से, दबी हुई नक्सलवादी गतिविधियां धीरे-धीरे बढ़ती जा रही हैं।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह राष्ट्र और आदिवासियों के हित में, सामाजिक, आर्थिक और विधिक संरक्षणात्मक उपाय करके भोले-भाले आदिवासियों को संरक्षण प्रदान करे।

सभापति महोदय (श्री सोमनाथ चटर्जी) : श्री लक्ष्मण वर्मा जी आपने सूचना अंग्रेजी में दी थी, परन्तु आपने पढ़ा हिन्दी में है। अतः कार्यवाही वृतान्त में तो आंग्ल स्वरूप ही सम्मिलित किया जायेगा।

2.14 म० प०

वित्त विधेयक—जारी

सभापति महोदय : अब हम वित्त विधेयक पर फिर से चर्चा आरम्भ करते हैं। श्री रामसिंह यादव अपना भाषण जारी रखेंगे। वह 7 मिनट पहले ही बोल चुके हैं।

श्री रामसिंह यादव (अलवर) : सभापति महोदय, मैं सबसे पहले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते की तीन किश्तें देने की सभा में कल की गई उनकी घोषणा के लिए वित्त मन्त्री महोदय को बधाई देता हूं।

महोदय, यह समय की मांग है कि निवेश कर्त्ता लोगों को वह छूट प्रदान करने के लिए वित्त

मन्त्री महोदय के प्रति अपना आभार प्रकट करूं, जिसके द्वारा उन्होंने उन लोगों को जो कि निवेश कर रहे हैं प्रोत्साहन देते हुए वर्ष 1987 तक राहतों की अनुमति प्रदान की है। यह सन्तोष का विषय है कि वर्ष 1984-85 के बजट में मुख्य बल उत्पादन, रोजगार पैदा करने और बचतों को प्रोत्साहन देने पर दिया गया है।

यह सच है कि वित्त मन्त्री महोदय द्वारा गत वर्ष 1983-84 के बजट में किए उपायों के शुभ परिणाम रहे हैं और उन्होंने राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को गति प्रदान की है।

जहां तक हमारे देश में औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि का सम्बन्ध है, मैं यहां कहूंगा कि अप्रैल-नवम्बर, 1983 के दौरान औद्योगिक उत्पादन के सामान्य वृद्धि सूचकांक में 4.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। आधारभूत उद्योगों की वृद्धि दर का औद्योगिक उत्पादन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। छः आधारभूत उद्योगों का यथा विद्युत, कोयला, बिक्री योग्य इस्पात, पेट्रोलियम तेल शोधक उत्पाद, कच्चे पेट्रोलियम पदार्थ और सीमेंट के संयुक्त सूचकांक में अप्रैल-दिसम्बर, 1983 के दौरान 5.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि चालू वर्ष (अप्रैल-दिसम्बर 1983) के प्रथम सात मास में कुल 4.5 प्रतिशत की औद्योगिक वृद्धि हुई है।

मैं यह भी बता देना चाहूंगा कि लघु उद्योगों के क्षेत्र में सर्वोत्तम उपाय किए गये हैं। छठी पंच वर्षीय योजना के दौरान, लघु-उद्योगों के क्षेत्र में, उत्पादन में 8.7 प्रतिशत, रोजगार में 5.8 प्रतिशत और निर्यात में 12 प्रतिशत की मिश्र वृद्धि की आशा की गई है। यह सन्तोष की बात है कि कृषि के क्षेत्र में उत्पादन उस लक्ष्य से कहीं अधिक हुआ है, जो कि छठी योजना में निश्चित किया गया था। खाद्यान्नों का लक्ष्य 13 करोड़ 20 लाख टन का रखा गया था। इसका उत्पादन इसी वर्ष 14 करोड़ 70 लाख टन पहुंच गया है। उस क्षेत्र को भी और प्रोत्साहनों की आवश्यकता है, जिससे कि उत्पादन और अधिक हो। विद्युत, कच्चे माल, उर्वरक और बीजों की सप्लाई किसानों को उचित दरों पर की जानी चाहिये। उर्वरकों, बीजों और कृषि-उपकरणों की वर्तमान दर कम की जानी चाहिये। मैं माननीय वित्त मन्त्री महोदय को यह भी सुझाव दूंगा कि किसानों को धान, जौ, गेहूं, चने और बाजरे के लाभकारी मूल्य में वृद्धि करके प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये।

मुझे यह देखकर प्रसन्नता हुई है कि वित्त मन्त्री महोदय ने अपने बजट भाषण में, भाग क, पृष्ठ 17 पर निम्नलिखित बात का विशिष्ट रूप से उल्लेख किया है कि अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में कृषि उत्पादन में हुई भारी वृद्धि का महान योगदान रहा है। यहां पर वित्त मन्त्री महोदय ने यह स्वीकार किया है कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को विशेष रूप से कृषि क्षेत्र से गति मिली है। किसान को गेहूं के लिए क्या मूल्य मिल रहा है? यह 132 रुपये प्रति क्विंटल है। कभी-कभी यह इससे भी कम होता है। बाजार में धान का क्या मूल्य है? कोई भी इसे क्रय नहीं कर रहा है। बाजरे का भी यही हाल है।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुन्टुर) : आलू का भी।

श्री रामसिंह यादव : जैसा कि प्रो० रंगा ने कहा है, यही हाल आलू का भी यही हाल है। यह बाजार में सड़ रहा है और इसका कोई खरीददार नहीं है?

अतः आपको यह सोचना होगा कि मूल्य किसान के लिए लाभकारी है या नहीं। यदि मूल्य लाभकारी नहीं है तो किसान की सहायता करने का बजट में कुछ प्रावधान होना चाहिए। अभी तो आपने

बजट में इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं किया है। किसान की सहायता कैसे की जा सकती है? क्या आप यह आशा करते हैं कि किसान उसी दयनीय और अनिवर्चनीय परिस्थितियों में पड़ा रहे जिनमें वह पिछले हजारों-हजार वर्षों से फंसा हुआ है?

कृषि को 'उद्योग' माना जाना चाहिये। आप बीमार उद्योगों का अधिग्रहण करने को तो तैयार हैं तो फिर इसी प्रकार किसानों की ओर भी ध्यान क्यों नहीं देते हैं? आप तो जानते ही हैं कि आज कल किसान उत्पादन के लिए जो निवेश करता है, और उत्पादन चाहे गेहूं का हो, या जौ अथवा कपास या गन्ने का, उसका मूल्य बाजार में उस उत्पाद से प्राप्त मूल्य से कहीं अधिक होता है। किसान के पास अपने उत्पाद को घाटे में बेचने के सिवाय कोई चारा नहीं है और ऐसा उसे इसलिए करना पड़ता है क्योंकि उसे उन सहकारिताओं और बैंकिंग संस्थाओं को पैसा लौटाना पड़ता है, जिनके ऋणों से वह खेती के लिए जरूरी सामान की खरीद करता है और बिजली के बिल का भुगतान भी करता है। उसे यह सभी प्रकार का भुगतान अप्रैल, मई और जून के महीनों में करना पड़ता है। अतः किसान को अपनी उपज घाटे में बेचने को बाध्य होना पड़ता है।

अतः बजट में यह विशिष्ट प्रावधान किया जाना चाहिये कि यदि कीमतें गिरती हैं तो किसान की सहायता की जानी चाहिये और उनको प्रोत्साहन देने के लिए विशिष्ट प्राबधान होना चाहिये।

सरकार अभी तक इस बात में पीछे है। आज यह देश की प्रमुख आवश्यकता है तथा वित्त मंत्री महोदय को इसका खास ध्यान रखना चाहिये।

आज बाजार में खाद्यान्नों की कीमतें गिर रही हैं, इसलिए वित्त मन्त्री महोदय को यह देखने के लिये विशेष कदम उठाने चाहिये कि खाद्यान्नों की कीमतें एक उचित स्तर तक बनाये रखी जाएं।

मैं वित्त मन्त्री महोदय को सुझाव दूंगा कि वह भारतीय खाद्य निगम राज्य भाण्डारण निगमों तथा अन्य अभिकरणों को गेहूं, जौ, चने, धान और अन्य खाद्यान्नों की बड़े पैमाने पर खरीद करने की सलाह दे जिससे कि उस किसान को, जिस पर सारे देश की अर्थ व्यवस्था निर्भर है, सरकार का संरक्षण प्राप्त हो सके।

सरकार किसान पर कोई विशेष ध्यान नहीं दे रही है, क्योंकि उसे बिजली की महती आवश्यकता है। और उसे बिजली दी ही नहीं जाती है। विशेषकर, राजस्थान के मामले में, गत दो-तीन वर्षों से बिजली की सप्लाई में लगातार कटौती की जा रही है। यही स्थिति इस वर्ष हरियाणा और उत्तर प्रदेश की भी रही है। किसानों को बिजली उपलब्ध नहीं कराई गई, विशेषकर, फसल की बुआई और कटाई के समय और जब फसल को सिचाई की अत्यधिक आवश्यकता थी। जिसका परिणाम यह हुआ कि किसानों को भारी हानि हुई।

अतः, मैं वित्त मन्त्री महोदय को सुझाव दूंगा कि अनिवार्य फसल बीमा योजना लागू की जानी चाहिये।

यह अनिवार्य फसल बीमा योजना प्रत्येक राज्य सरकार के लिए अनिवार्य बनाई जानी चाहिये और इस सम्बन्ध में राज्यों को किसी प्रकार की छूट नहीं दी जानी चाहिए। योजना को राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया जाना चाहिए और इसमें सभी राज्यों को सम्मिलित किया जाना चाहिए। फसल बीमा

योजना का अर्थ है सरकार द्वारा किसानों को फसल खराब होने की क्षति पूर्ति। बजट में इस उद्देश्यार्थ भी प्रावधान किया जाना चाहिए।

प्रो० एन० जी० रंगा : बजट में तो प्राकृतिक विपदाओं से हुई क्षति की क्षति पूर्ति का भी प्रावधान नहीं है।

श्री रामसिंह यादव : मैं प्रो० एन० जी० रंगा को धन्यवाद देता हूं, जिन्हें इस क्षेत्र का व्यापक अनुभव है और जो गरीब किसानों की कठिनाइयों से भली-भांति परिचित हैं।

प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए बजट में प्रावधान होना चाहिए, विशेषकर, किसानों और ग्रामीणों के लिए।

मैं वित्त मन्त्री महोदय का धन्यवादी हूं कि उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए विशेष आबंटन किए हैं। इसके लिए बजट में 284.15 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है विस्तार कार्यक्रम के अन्तर्गत समन्वित ग्रामीण विकास खंडों, मशीनरी निगरानी सेलों, जिला मुख्यालयों के लिए 216/- करोड़ रुपये का आबंटन किया गया है।

ग्रामीण युवकों के स्वरोजगार के प्रशिक्षण के लिए केवल 1.5 करोड़ रु० ही रखे गए हैं। असल में मन्त्रालय द्वारा इस योजना को पूरे मन से नहीं चलाया जा रहा है। आज आवश्यकता इस बात की है कि किसानों के बाद सबसे अधिक जोर इस देश के युवकों पर दिया जाना चाहिए। उन्हें दो श्रेणियों में बांटना चाहिए—शिक्षित और अशिक्षित। कुछ व्यवसाय ऐसे हैं, जिन्हें अशिक्षित युवकों के लिए आरक्षित किया जा सकता है। इसी प्रकार कुछ व्यवसाय ऐसे हैं जिन्हें शिक्षित युवकों के लिए आरक्षित किया जा सकता है। इस सन्दर्भ में, मैं सुझाव देना चाहूंगा कि वित्त मंत्रालय, शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय, उद्योग मंत्रालय और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इन तीनों मंत्रालयों में समन्वय स्थापित करना चाहिए। आप स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण के लिए सहायता देते हैं। लेकिन ग्रामीण युवकों के प्रशिक्षण के लिए क्या सुविधाएं हैं? उनको कोई भी सुविधा प्राप्त नहीं है—कोई आई० टी० आई० नहीं है, कोई भी पोलिटेक्निक नहीं है, कोई अन्य प्रशिक्षण संस्थान भी नहीं हैं। इसलिए मैं सुझाव देता हूं कि प्रत्येक ब्लाक स्तर पर एक पालिटेक्निक और प्रत्येक पंचायत मुख्यालय में एक आई० टी० आई० होना चाहिए। जब तक आप यह आधारभूत ढांचा नहीं उपलब्ध करवाते, तब तक कार्यक्रम के इस मद, यानि ग्रामीण युवकों के लिए स्वनियोजन का सही कार्यान्वियन नहीं सकता। हमारे पास एक अन्य कार्यक्रम भी है--बेरोजगार शिक्षित युवकों के लिए स्वरोजगार योजना, जिसकी घोषणा 15-8-83 को हमारी माननीय प्रधान मन्त्री ने की थी। इन दोनों कार्यक्रमों को एक साथ लिया जाना चाहिए। हमें ग्रामीण और शहरी युवकों में अन्तर नहीं करना चाहिए। वे युवक हैं, युवक एक शक्ति है और आपको उनका विशेष ध्यान रखना है। उनके लिए बजट में विशेष प्रावधान किया जाना चाहिए, हमें उन्हें शिक्षित करना होगा, उन्हें प्रशिक्षित करना होगा। मैंने शिक्षा मन्त्रालय की अनुदान की मांगें देखी हैं; तकनीकी शिक्षा के लिए केवल 7 करोड़ रु० का ही प्रावधान है। इस तरह आपको प्रशिक्षण संस्थानों के लिए विशेष प्रावधान करना होगा। बेरोजगार शिक्षित युवकों के लिए स्वरोजगार कार्यक्रम सफल नहीं रहा है, क्योंकि हमने युवाओं के रोजगार, व्यवसाय, ट्रेडों के लिए प्रशिक्षण की मूल सुविधाएं ही नहीं जुटाई हैं। अगर आप चाहते हैं कि वह स्वरोजगार में सफल हो तो आपको प्रशिक्षण के लिए आधारभूत ढांचा भी बनाना होगा और यह केवल संस्थाओं द्वारा ही हो सकता है। हमें इन

संस्थानों को स्थापित करना है, इसलिए मैं कहूंगा कि उद्योग, शिक्षा और संस्कृति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और वित्त मंत्रालयों में समन्वय होना चाहिए।

मुझे यह जानकर खुशी हुई है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय की अनुदानों की मांगों में ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यक सेवाओं, महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए प्रावधान किया गया है। इस बजट में इसके लिए 5.05 करोड़ रु० का प्रावधान किया गया है। इस समय सारे देश में केवल 53 जिलों को चुना गया है, जिनमें यह कार्यक्रम लागू किया जाएगा। हमें महिलाओं और बच्चों के बारे में विशेष ध्यान देना होगा। लेकिन आपने केवल 5 करोड़ रु० ही रखे हैं। यह मामूली रकम है। इसके अलावा इस कार्यक्रम को लागू करने के लिए 53 जिलों को ही लिया गया है। इसलिए मैं, माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि इस कार्यक्रम को सारे राष्ट्र में लागू किया जाए और इसके लिए अधिक धन राशि का प्रावधान किया जाए। यह एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। आज हमारे समाज की क्या दशा है ? इसमें परित्यक्त महिलायें हैं ; ऐसी महिलाएं हैं जिनका कि आजीविका का कोई साधन नहीं है ; वे काफी मुश्किल सामाजिक हालातों में रह रही हैं। इसलिए, इस कार्यक्रम में इन्हें पुनर्वासित किया जा सकता है, इसके अलावा ऐसे बच्चे हैं जोकि अनाथ हैं, जिन्हें शिक्षा नहीं दी जा सकती, जिनके पास खाने के लिए भोजन और पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं ; इसलिए इन बच्चों और महिलाओं के लिए यह कार्यक्रम काफी महत्वपूर्ण है। इसलिए, मैं कहूंगा कि इस कार्यक्रम के लिए विशेष धन का प्रावधान किया जाना चाहिए।

माननीय मंत्री को इस बात की अच्छी प्रकार से जानकारी है कि माननीय प्रधान मंत्री के इस बेरोजगार शिक्षित युवाओं के लिए स्वनियोजन कार्यक्रम को बैंक अधिकारियों द्वारा असफल किया जा रहा है। देश के सभी कोनों से ये शिकायतें मिल रही हैं कि बैंक अधिकारी सहयोग नहीं दे रहे हैं। अपने जिले में मुझे इसका व्यक्तिगत अनुभव रहा है। जिला उद्योग केन्द्र के महाप्रबन्धक द्वारा 3000 से अधिक प्रार्थना पत्र भेजे गए, लेकिन 315 से अधिक लोगों को ऋण नहीं दिया गया। इसलिए, अगर आप इन लोगों को ऋण नहीं मुहैया करायेंगे तो इन युवाओं की क्या प्रतिक्रिया होगी ? वे निराश हो जायेंगे और उनके मन में जो आशा जगाई गई है वह समाप्त हो जाएगी। इसलिए आपको इस कार्यक्रम पर खासकर सरकार के हित में अच्छी प्रकार से निगरानी रखनी होगी, युवाओं के हित में और राष्ट्र के हित में निगरानी रखनी होगी और प्रधान मंत्री द्वारा इसे जो गति दी गयी है और देश के युवाओं के मन में प्रधान मन्त्री के वक्तव्य द्वारा आशा की जो किरण जागी है, वह बुझ न पाए। यह गति बनी रहनी चाहिए और बैंक अधिकारियों से कहा जाना चाहिए कि वे इस कार्यक्रम में सहयोग दें, क्योंकि यह ऐसा कार्यक्रम है जिसके अन्तर्गत युवा शक्ति का उपयोग किया गया, जोकि राष्ट्र की सही शक्ति है। अगर हमारी आशाएं धूमिल हो जाती हैं और जो बादे हम उनसे करने जा रहे हैं उन्हें पूरा नहीं कर पाते तो उस स्थिति में असन्तोष ही होगा जोकि राष्ट्र हित में अच्छा नहीं है।

इसके अलावा आपने बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण में समायोजन के लिए केवल 25 करोड़ रु० की राजसहायता की व्यवस्था की है। लेकिन सारे राष्ट्र, यानि 23 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र के लिए यह 25 करोड़ रु० की राशि बहुत कम है ; हालांकि आपने वायदा किया है कि आप कुछ और राशि दे पायेंगे। किन्तु सरकार को बैंकों और राज्यों को विशिष्ट निर्देश जारी करने चाहिए कि उन्हें एक माह में इतने प्रार्थना पत्रों पर निर्णय लेना है और एक वर्ष के भीतर इतने प्रार्थना पत्रों का निपटारा करना है मैं एक घटना का जिक्र करने जा रहा हूं। मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र गया। वहां एक

युवा मेला लगा हुआ था। रोजगार निदेशक द्वारा कालेज और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के सभी युवाओं को बुलाया गया था। उनको उनके प्रार्थना पत्र दिए गए थे और उनसे पूछा गया था कि क्या उन्होंने पहले आवेदन किया था। उस समय एक युवा ने शिकायत की थी कि उसे आटे की चक्की लगाने के लिए ऋण की मंजूरी नहीं दी गई। हमने बैंक प्रबन्धक से पूछा कि उसने ऋण क्यों नहीं दिया है। उसने कहा कि उसके पास पक्का घर नहीं है। मैंने उनसे कहा कि आटे की चक्की लगाने के लिए पक्के घर की कोई आवश्यकता नहीं है। गांव में वह झोपड़ी या टीन शेड में भी आटे की चक्की लगा सकता है। अत: बैंक प्राधिकारियों का ऐसा रवैया है। वे ऋण देना नहीं चाहते हैं। इसलिए आपको यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष निगरानी रखनी चाहिए कि ऋण दिए जाएं।

जहां तक इस आई० आर० डी० पी० कार्यक्रम का सम्बन्ध है, मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। यह एक बहुत अच्छा कार्यक्रम है। छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक करीब 1-1/2 करोड़ परिवारों को इसका लाभ मिलेगा। देश के करीब 8 करोड़ लोग जोकि गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं, इससे लाभ प्राप्त करेंगे। इसके अन्तर्गत जो ऋण हम राजसहायता के साथ उन्हें देते हैं, वह राजसहायता समाप्त की जानी चाहिए इस राजसहायता को ब्याज में परिवर्तित अथवा समाजित किया जाना चाहिए; क्योंकि इस सम्बन्ध में भ्रष्टाचार के व्यक्तिगत मामले और नियमित मामले होते हैं, इसलिए इस राज-सहायता की व्यवस्था को समाप्त करके, ऋण ब्याज-मुक्त किया जाना चाहिए।

श्रीमन्, माननीय मंत्री ने आयकर अधिनियम, 1964 में कुछ संशोधन करने का प्रस्ताव रखा है। मैं सुझाव देना चाहूंगा कि कुछ एक रियायतें जोकि विशेषकर औद्योगिक और निगमित क्षेत्र से सम्बन्धित लोगों को दी गई हैं, उन पर पुन: ध्यान देने की आवश्यकता है और ऊंची आमदनी वाले ग्रुप पर आयकर दरों में वृद्धि की जानी चाहिए।

इन कुछ एक सुझावों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री योगेन्द्र झा (मधुबनी) : सभापति महोदय, मेरे पूर्व वक्ता जिन्होंने इस विधेयक का समर्थन किया है का अनुसरण करना अच्छा होता लेकिन दुर्भाग्यवश मेरे लिए ऐसा कर पाना सम्भव नहीं है। हमारे संविधान की प्रस्तावना में शुरू में ही कहा गया है कि समाजवाद हमारा लक्ष्य होगा और इस सरकार और पिछली सरकार ने बार-बार यही दोहराया है—और मैं समझता हूं कि सभी राजनैतिक दल ऐसा ही कहते हैं कि हमारा लक्ष्य है कि इस देश में असमानता को कम किया जाए ताकि एकाधिकार न पनप सके और देश की गरीबी में कमी आ सके।

अगर आप बजट को इस दृष्टि से देखें तो पायेंगे कि निराशा ही आपके हाथ लगी है और मैं समझता हूं कि इस बारे में दो राय नहीं हो सकती। वित्त मन्त्री का सारा भाषण और सारे वित्त विधेयक में इस पहलू की उपेक्षा की गई है, यानि कि इस बात की कोई कोशिश ही नहीं की गई है कि कम से कम असमानता में कमी आए। विधेयक में एक भी संशोधन नहीं रखा गया है, नहीं इस संबंध में कोई उपाय किया गया है, जिससे कि हमारे समाज के अमीर लोग, थोड़ा सा कम अमीर बने और गरीब लोगों को ऊपर उठने में कोई सहायता मिल सके। इसलिए इस दृष्टि से और काफी व्यावहारिक दृष्टि से, मैं देखता हूं कि बजट एक पूर्ण रूप से पूंजीवादी बजट है और इसको हमारे संविधान या राष्ट्रीय उद्देश्यों को पूरा करने से कोई सरोकार नहीं है। इस पहलू को देखते हुए इस विधेयक का विरोध किया जाना चाहिए और इसे रद्द किया जाना चाहिए।

महोदय वित्त मंत्री महोदय ने बार-बार जोर देकर कहा है कि मुद्रास्फीति की दर घटाकर 8.8 पर लाई गई है और यह उनकी सफलता का मापदण्ड है या शायद आगामी चुनावों के लिए कोई एक झण्डा है। बुनियादी तौर पर इसका क्या अर्थ है ? इसका अर्थ यह है कि आपको केवल थोक बाजार की चिंता है। सामान्य रूप से उपभोक्ता को थोक बाजार की कोई चिन्ता नहीं होती । उनका सम्बन्ध खुदरा बाजार से होता है। इसे आप बहुत आराम से भूल गए हैं। आप देश के प्रत्येक व्यक्ति की आय में से कम से कम एक मास के वेतन की कटौती कर रहे हैं। वास्तव में यह सरकार घोषणा करती है कि यह प्रत्येक व्यक्ति की जेब में से कम से कम एक माह की आय निकाल लेगी। 8.8 प्रतिशत मुद्रास्फीति की दर का अर्थ है प्रत्येक कमाने वाले के एक माह के वेतन की पाकेटमारी। क्या यह गर्व की बात है ? क्या यह शर्म की बात नहीं है ? यदि जनता को कोई पाकेटमार मिल जाए तो सम्बन्धित लोगों और जो सम्बन्धित नहीं हैं उनके द्वारा उसकी खूब पिटाई करने के पश्चात् उसे पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। परन्तु यह सरकार घोषणा करती है, मुद्रास्फीति है और रहेगी लेकिन इसकी दर नीचे कर दी जाएगी। इसलिए मुद्रास्फीति इस देश के लोगों के जीवन का एक अंग बन गई है। इसका अर्थ है, पाकेट-मारी जीवन का एक भंग बन गई है। यह उनकी वास्तविक आय पर कटौती है ; यह उनकी क्रय शक्ति की कटौती है। यह मुद्रा की, क्रय शक्ति में कटौती है, जिसे राजकोष या सरकार अर्थ व्यवस्था के किसी क्षेत्र में निवेश करती है या व्यय करती है। मुद्रा स्फीति को स्थायित्व देने के लिए या यह सुनिश्चित करने के लिए मुद्रा स्फीति नहीं हो, कोई उपाय नहीं किया गया। इसलिए यह एक उदाहरण है कि सरकार किस तरह वित्त विधेयक द्वारा गैर-उत्पादक पूंजीवादी वर्ग की जो जखीरेबाजी करते हैं, और कुछ भी उत्पादन नहीं करते—की सहायता करने का प्रस्ताव कर रही है। वे वास्तविक उपभोक्ता नहीं हैं। सम्पूर्ण समाज को नुकसान पहुंचाकर वे खूब धन कमा रहे हैं। यही कारण है कि मेरा इस सदन से निवेदन है कि यदि वित्त मंत्री महोदय बुर्जुआ और पूंजीवादी समाज के किसी पूंजीवादी राज्य के शासन व्यवस्था कर रहे हैं तो वे व्यवस्था कुछ बेहतर ढंग से करें, वे स्वयं को कम से कम इस पूंजीवादी प्रणाली का एक कुशल प्रबन्धक प्रमाणित करें। कृषि जिन्सों के लिए अधिक मूल्य की मांग हो रही है। साथ ही इन्हीं जिन्सों की उपभोक्ता के लिए कम मूल्य की मांग की गई है। इसके अतिरिक्त कृषि आदानों के लिए कम मूल्य की मांग की गई है। दूसरी तरफ कर्मचारियों की बोनस, महंगाई भत्ते और अधिक मजदूरी की मांग हैं, जो न्याय संगत भी हैं। ये परस्पर विरोधी मांगें हमारी अर्थव्यवस्था को अस्त-व्यस्त कर देती हैं। इस सबके लिए सरकार की नीति ही मुख्यतः उत्तरदायी है मैं यह मालूम करने का प्रयत्न कर रहा था कि क्या यह सरकार कोई व्यापक, व्यवस्थित मूल्य नीति बनाने पर विचार कर रही है ? नहीं, यह कहीं नहीं दिखाई देता। व्यापक तथा व्यवस्थित मूल्य नीति क्या होनी चाहिए ? मैं प्राथमिक उत्पादक के विषय में कह रहा हूं। थोक बाज़ार के मूल्यों से लोगों का कोई सम्बन्ध नहीं होता बल्कि उनका संबंध प्राथमिक उत्पादक को दिए गए वास्तविक मूल्य से होता है। और वह अवश्य ही लाभकारी होनी चाहिए। कृषि उत्पादों और औद्योगिक वस्तुओं के मूल्य के बीच एक समानता होनी चाहिए। पूरे देश में और पूरे वर्ष में प्राथमिक उत्पादक को दिए गए मूल्य और वास्तविक उपभोक्ता से लिए गए मूल्य के बीच के अन्तर की एक अधिकतम सीमा होनी चाहिए। यह अधिकतम सीमा 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके लिए सरकार को अनिवार्य जिन्सों का थोक व्यापार अपने हाथ में लेना होगा और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से उपयुक्त सार्वजनिक वितरण सुनिश्चित करना होगा। एक व्यवस्थित मूल्य नीति होनी चाहिए जो हमारे रुपए की कीमत में स्थायित्व प्रदान करे, जो प्रत्येक परिवार या प्रत्येक वेतन-भोगी के लिए यह सुनिश्चित कर सके कि जो कुछ भी उसके अपने हाथ में है उससे अगले दिन इतनी आसानी से कोई छीन कर न ले जाए। परन्तु यहां तो लक्ष्य भी प्राप्त करने के लिए प्रयत्न नहीं किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि माननीय मन्त्री महोदय अपने उत्तर

में कुछ समाधान अर्थात् एक व्यवस्थित मूल्य नीति बनाने का प्रयत्न करेंगे ताकि मेहनतकश वर्गों की परस्पर विरोधी मांगों में सामंजस्य स्थापित किया जाए।

अन्य मुद्दों के विषय में, मैं इस बात पर बल देना चाहूंगा कि एक पूंजीवादी समाज में सम्पत्ति उन लोगों के हाथ रहती है जो इसका उत्पादन नहीं करते और निर्धनता उन लोगों के पास रहती है जो सम्पत्ति का उत्पादन करते हैं। पूंजीवादी समाज का यह एक मूलभूत नियम है। अब एक ऐसे समाज में, क्या राष्ट्रीय नीति होनी चाहिए ? नीति यह होनी चाहिए : उन लोगों से ले लीजिए जिनके पास अधिक है और इसे उन लोगों को दीजिए जिनके पास कम है या अपर्याप्त है। कराधान की यही नीति होनी चाहिए। परन्तु जो नीति हमारे वित्त मन्त्री महोदय ने अपनाई है वह है आयकर सीमा के प्रत्येक खण्ड में पांच प्रतिशत की कमी की जाए। अत: 1,00,000 रुपये और 40,000 रुपये और 25,000 रुपए की आयकर सीमा के बीच कोई अन्तर नहीं है। यानि ये सभी बराबर हैं। क्या यह कोई सुसंगत आयकर नीति है ? क्या इस नीति से राजकोष में अधिक धन आ जाएगा और वह भी जनता के अल्प वर्गों से ? महोदय मेरे पास इस पर कोई संशोधन नहीं है और मैं इसके सम्बन्ध में कहना नहीं चाहूंगा। परन्तु मैं समझता हूं माननीय वित्त मंत्री महोदय इस पर विचार करेंगे और इसे अपनी प्रतिष्ठा का विषय नहीं बनायेंगे और अपने प्रस्तावों में कुछ संशोधन करेंगे क्योंकि मेरे विचार से इससे राजकोष पर प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। बल्कि इसके साथ ही यह करदाता की रक्षा करेगा।

मेरे पास प्राप्त सूचना के अनुसार ऐसे करदाताओं की संख्या जिनकी कर योग्य आय 1980-81 में 25,000 रुपये से अधिक थी कुल करदाताओं की संख्या का केवल 24.2 प्रतिशत थी। और इनसे लिया जाने वाला आयकर किस आयकर का 90.2 प्रतिशत था। यदि आप इस श्रेणी को हटा दें तो इस प्रकार आपको करदाताओं के लगभग 76 प्रतिशत को छूना भी नहीं करना पड़ेगा। आप श्रम से भी बच जायेंगे और इसके साथ आपको केवल 9.8 प्रतिशत की ही हानि होगी। परन्तु जो वैकल्पिक प्रस्ताव मैंने दिया है वह आपके राजकोष में और अधिक धन जुटायेगा। इसलिए इसे नीति से जो वित्त मंत्री महोदय द्वारा अपनाई गयी है और जिसे वर्तमान वित्त विधेयक में सम्मिलित कर लिया गया है। केवल 1 प्रतिशत राजस्व की ही आय होगी। इसके अनुसार, हो सकता है इसमें मेरी कुछ त्रुटि हो, सीमा-शुल्क से केवल 17 प्रतिशत, उत्पाद शुल्क से—15 प्रतिशत, गैर कर राजस्व से—15 प्रतिशत, निगम कर से—6 प्रतिशत, ऋण वसूलियों से 9 प्रतिशत, अन्य करों से 4 प्रतिशत, अन्य आवृतियां-7 प्रतिशत, बाजार ऋण, पूंजी निवेश बोर्डों, अल्प बचत, भविष्य निधि, भारतीय जीवन बीमा निगम, सामान्य बीमा निगम और अन्य योजनाओं से 20 प्रतिशत, घाटा 4 प्रतिशत आयकर 1 प्रतिशत प्राप्त होता है। वित्त मंत्री द्वारा किए गए अप्रत्यक्ष करों के प्रस्ताव हमारे देश के आम आदमी पर चोट करेंगे और हमारे राष्ट्र की औद्योगिक प्रगति प्रभावित होगी क्योंकि लोगों की क्रय शक्ति को भी चोट पहुंचेगी। यदि क्रय शक्ति घट जाती है तो उद्योगों का आन्तरिक बाजार भी घट जाता है। यदि पूंजीवादी प्रणाली की अच्छी व्यवस्था भी हो फिर भी यह वित्त विधेयक पूरी तरह से असफल है।

हम यह आशा कर रहे हैं कि वर्तमान वित्त विधेयक या बजट न्यायालयों में मुकदमेबाजियों के का कारण रुके पड़े व्यापक बकाया करों के विषय में कुछ करेगा। 15,000 करोड़ रुपये तक की कर राशि बकाया हैं। ऐसे कौन से कानूनी उपाय या वित्तीय उपाय किए जाने का प्रस्ताव है या किए जाने हैं जिनसे बकाया राशि में कमी सुनिश्चित की जाये ; यदि यह पूरी तरह से समाप्त नहीं किए जा सकते तो कम से कम कुछ तो किए जा सकते हैं। पन्द्रह हजार करोड़ रुपये कोई नगण्य राशि नहीं है। परन्तु

मैं समझता हूं कि वित्त विधेयक, वित्त मन्त्री महोदय के बजट भाषण और उन्होंने जो प्रस्ताव और रियायतें कल दी हैं उनसे हर व्यक्ति निराश ही होगा।

अनिवार्य लेखा परीक्षा का प्रस्ताव किया गया है। व्यापारी समुदाय, विशेषकर थोक व्यापारी और कुछ वकीलों, क्योंकि वकील भी अपने आप में एक वर्ग है, ने बहुत शोर मचाया है। वे उस नियत वेतन आय की श्रेणी में नहीं आते जिनकी आय का सही निर्धारण किया जा सके मैं अनिवार्य लेखा परीक्षा के विरोध में नहीं हूं परन्तु एक बात तो सोचनी ही पड़ेगी कि हमारे देश में चार्टर्ड एकाउंटैंटों की संख्या बहुत कम है। अब तक वे कम्पनियों के केवल 55,600 मामले ही देखते रहे हैं। अब वित्त विधेयक के वर्तमान प्रस्ताव के अनुसार उन्हें 20 लाख और मामलों को देखना पड़ेगा। क्या यह सम्भव होगा? यदि हां तो कैसे? क्या कोई विकल्प भी सोचा गया है? एक मांग की गई थी कि बी० काम (आनर्स) उत्तीर्ण व्यक्तियों को कुछ प्राथमिक प्रशिक्षण देकर यह काम सौंपा जाये ताकि शिक्षित बेरोजगार को रोजगार देने का उद्देश्य भी आंशिक रूप से पूरा हो, और सम्पत्ति भी चार्टर्ड एकाउंटैंट या वरिष्ठ अधिवक्ताओं या कुछ अन्य बहुत थोड़े से लोगों के हाथों में संकेन्द्रित नहीं हो, आशा है, वित्त मन्त्री महोदय इस पर विचार करेंगे और यह भी सुनिश्चित करेंगे कि किस प्रकार इसे अच्छी से अच्छी तरह से क्रियान्वित किया जा सकता है।

दो महत्त्वपूर्ण पहलू ऐसे हैं जिनके विषय में बजट का सम्बन्ध होना चाहिए, और थोड़ा सा कार्य इसमें किया गया है, परन्तु उस मुद्दा के बारे में अर्थात् उत्पादक-उद्यम हेतु स्वयं नियोजित के विषय में पूर्ण असफलता रही है। आप व्यापार, चाय की दुकान और अन्य वस्तुओं के लिए ऋण देते हैं परन्तु वे फिर भी भिखारी बने रहते हैं क्योंकि उत्पादक उद्यम पर कोई बल नहीं दिया जाता। मैंने इस सदन में अपने भाषणों को प्रश्नों के माध्यम से और वित्त मन्त्री महोदय को सम्बोधित पत्रों में बार-बार कहा है कि इस सरकार के लिए उत्पादक और गैर-उत्पादक उद्यम बराबर हैं। और अपने व्यक्तिगत ज्ञान के आधार पर मेरा यह निवेदन है कि देश के अधिकतर भागों में, विशेषकर पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार सहित पूर्वी भारत में और समस्त पूर्व में—जहां से हम, महोदय, आप, मैं स्वयं और वित्त मन्त्री महोदय आये हैं, यही स्थिति है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और मध्य भारत में इस धन का अधिकतम भाग गैर उत्पादक कार्यों में न कि किसी रोजगार हेतु, बल्कि धन की खातिर धन प्राप्त करने हेतु, जा रहा है। मैं नहीं जानता अर्थव्यवस्था पर क्या गुजरेगी।

मैंने ऐसे बीसियों मामले बताये हैं जहां कमजोर वर्गों को ऋण केवल कागजों पर दिया जाता है। परन्तु धन वितरित नहीं किया जाता। एक वर्ष बाद, लोगों को पहली और दूसरी किश्त जमा कराने के लिए जब नोटिस भेजा जाता है तभी इन बेचारों को मालूम होता है कि उन्हें पिछले वर्ष ऋण प्रदान किए गए थे। मैंने बीसियों मामले प्रस्तुत किए हैं परन्तु मेरा विचार है कि पूरा का पूरा वित्त मन्त्रालय और देश का राजनैतिक और प्रशासनिक नेतृत्व इस विषय में कुछ नहीं सुनता है। आमतौर पर इस पर विश्वास नहीं किया जायेगा। ये सबसे बुरी किस्म के मामले हैं। ऐसे भी बड़ी संख्या में मामले हैं जिनमें ऋण की राशि बांट ली जाती है।

इस बात को ध्यान में रखते हुए यदि लोकप्रियता को ध्यान में रखते हुए सामूहिक स्तर पर ऋण वितरण किए जाते हैं तो मुझे कोई ईर्ष्या नहीं होगी। मैंने स्वयं ऐसे समारोहों में भाग लिया है, जहां रिश्वत चल ही नहीं सकती, जहां देश के निर्वाचित प्रतिनिधि किसी एक या दो व्यक्तियों की ओर से नहीं बल्कि खुले रूप में भाग ले सकते हैं। परन्तु वित्त मन्त्री महोदय ने अपने बजट भाषण में ऐसा कोई

उल्लेख नहीं किया है कि हमारी उत्पादक उद्यम को बढ़ावा देने में हमारे समाज के कमजोर वर्गों को उठाने वाली हमारी विभिन्न योजनाओं में निर्वाचित प्रतिनिधियों की सेवाओं को वे किस प्रकार संगठित करेंगे और उनका उपयोग करेंगे। इसके लिए कोई प्रस्ताव नहीं है। यहां तक कि शिक्षित बेरोजगारों के लिए परियोजना के कार्यान्वयन के लिए भी केवल तीन अधिकारियों की एक समिति बनाई गई है। जब तक कोई व्यक्ति किसी उत्पादक कार्य के लिए ऋण लेने के लिए आवेदन करता है, तो यह कहा जाता है कि निधि समाप्त हो चुकी है। कई व्यक्तियों के नाम अनुमोदित किए जाते हैं, लेकिन उनमें 10% लोग भी किसी उत्पादक कार्य के लिए पूंजी निवेश करने नहीं जा रहे हैं।

मेरे मित्रों ने नौकरी के लिए प्रशिक्षण देने के लिए कहा। वह ठीक है लेकिन सूअर-पालन, दुग्ध-उद्योग, मुर्गी पालन, बकरी पालन आदि के लिए जटिल प्रशिक्षण देने का आवश्यकता नहीं है। पंजाब तथा हरियाणा में कुछ लोग करोड़पति बन गए हैं। लेकिन अधिकांश भागों में ऐसा नहीं हो रहा है। ऐसे मामलों में व्यापक आन्दोलन करना होगा। लेकिन नीति स्तर पर भी सरकार न केवल झिझक रही है अपितु यह हमारी जनता की, जिसमें युवा भी शामिल है, जो केवल नौकरी चाहते हैं ; नौकरी के लिए प्रशिक्षण चाहते हैं, पिछड़ी और सामन्तवादी भावनाओं के अनुरूप कार्य कर रही है। वे भूमि के लिए कहते हैं लेकिन खेती बाड़ी के लिए नहीं वे मात्र उसका मालिक बनना चाहते हैं। अतः यह सरकार पूंजीवादी और अर्ध सामन्तवादी प्रवृत्ति को प्रोत्साहन दे रही है। उसे प्रोत्साहन दिया जा रहा है न कि किसी आधुनिक औद्योगिक प्रवृत्ति को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

जहां तक बिजली का सम्बन्ध है। यह एक महत्त्वपूर्ण मुद्दा है। पूरा देश कठिनाई का सामना कर रहा है। उत्पादन कम हो रहा है। बिहार जैसे पिछड़े राज्य को कुछ विशेष तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को यह बताना चाहता हूं कि इस समय पूरे देश में औसत विद्युत उत्पादन 140 किलोवाट के करीब है पूरे बिहार में 88 किलोवाट बिजली का उत्पादन होता है और उत्तरी बिहार में करीब 14 किलोवाट। आप स्थिति का अनुमान लगा सकते हैं। आप इसे उपेक्षा या पक्षपात कह सकते हैं। मैं प्रयोग किए गए शब्दों को महत्व नहीं देता हूं। लेकिन क्या यह सरकार इसके लिए एक अभियान नहीं चला सकती ? बिजली इन सब का मूल तत्त्व है। प्रयोगकर्त्ता यह अच्छी तरह जानते हैं और मैं समझता हूं कि वित्त मन्त्री को भी इसकी जानकारी है। अक्तूबर क्रांति के बाद जब ब्रिटेन के महान विद्वानों द्वारा लेनिन से इस बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि साम्यवाद का अर्थ है—सोवियत शक्ति+विद्युतीकरण। केवल सोवियत शक्ति का अर्थ ही साम्यवाद नहीं है। विद्युतीकरण अधिक महत्त्वपूर्ण है।

3.00 म० प०

इस बजट में समूचे देश में बिजली की इस असामान्य कमी तथा देश के कुछ भागों में बिजली के बिल्कुल न होने की स्थिति का सामना करने के लिए कुछ असाधारण कदम उठाए गए हैं। लोगों को कई दिनों के बाद कुछ घण्टे के लिए बिजली मिलती है। इस स्थिति में सरकार हिमालय की जल विद्युत परियोजना लागू करने के लिए तेजी से कार्य कर रही है, इससे पीढ़ियों तक हमारे देश को इस समस्या को समाधान हो सकता है।

प्रो० एन० जी० रंगा : बिहार की जनता और आपकी सरकार पिछड़ रही है।

श्री भोगेन्द्र झा : मैं उनसे सहमत हूं कि विशेषकर बिहार में तथा समूचे पूर्व भारत में हम इस

मामले में पिछड़े हैं। दिल्ली से एक नोट जाने के बाद बिहार के मुख्यमन्त्री को जाना पड़ता है। दिल्ली से दूसरा नोट जाने पर वह विद्युत बोर्ड बना सकते हैं और हम उसमें आपत्ति नहीं करेंगे। यदि बिहार में आप विद्युत बोर्ड बनाते हैं और उसे कुशलता कम से कम देश की सामान्य औसत स्तर पर से चलाते हैं तो हम मना नहीं करेंगे। वहां सरकार है ; इस विधानमण्डल में बहुमत, अल्पमत का कोई अर्थ नहीं है।

भूमि सम्बन्धी सुधार में बार-बार विलम्ब किया गया है। अब नवीनतम लक्ष्य मार्च 1985 रखा गया है। लेकिन बहुत से मामले न्यायालय में पड़े हैं। क्या यह सरकार कम से कम केन्द्र प्रशासित राज्यों अथवा अन्य राज्यों में यह सुनिश्चित करने की कुछ जिम्मेदारी लेती है कि क्या राज्यों द्वारा भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारण और वहां के अन्य कानूनों को पूरी तरह से कार्यान्वयन किया जा रहा है। यहां बंगाल का विधेयक लम्बित पड़ा है। कोई भी मन्त्री उस सम्बन्ध में सदन में उत्तर नहीं देता। वे इतना भी नहीं कह सकते कि बंगाल में भूमि सुधार में कुछ गतिरोध हैं ; वे इसका प्रतिनिधित्व नहीं करेंगे ऐसा वे नहीं कहते लेकिन वे ऐसा करते हैं। उन्होंने बिहार भूमि सुधार संशोधन अधिनियम 1982 पर, जिसने 1950 से टाटा को जमींदारी का अधिकार दे रखा है, राष्ट्रपति की सहमति दे दी है। यह सरकार पहले से ही ऐसा कर चुकी है। अतः वे इतिहास को दोहरा रहे हैं। राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के पश्चात् जमशेदपुर में जमीनें, बिल्डिगें और उद्योगों के हजारों मालिक अब टाटा के किरायेदार बन गए हैं।

हमारे देश में शीर्षक और शोषित दो वर्गों में विभाजित हो गया है और श्रमिक वर्ग एक दिन जाग पड़ेगा और जाति सम्प्रदायवाद, धर्म, और पिछड़ेपन पर आधारित कई बुर्जुआ वर्गों को मिटा देगा। इस देश ने श्रीमती इन्दिरा और जनता दोनों का शासन देखा है। एक लहर आ रही है, देश श्रमिकों की, निर्धनों की लहर देखेगा जो कि शोषक वर्ग तथा उस वर्ग को बहा ले जायेगी जो सत्तारुढ़ सरकार के समर्थन है। ऐसे कुछ लोग निश्चय ही विपक्ष में भी है। अतः प्रश्न शोषक वर्ग का है। प्रश्न यह नहीं कि यदि मैं वहां हुआ तो मैं सत्तारुढ़ दल में आ जाऊंगा और यदि यहां हुआ तो विपक्षी दल में आ जाऊंगा। मैं उस बारे में या जनता के उस वर्ग के बारे में नहीं कह रहा हूं।

यह विधेयक देश के निर्धनों एक दृढ़ निश्चय लेने के लिए उत्तेजित कर रहा है जो शोषण तथा इस उभरते हुए वर्ग को, जो पूंजीवादी राज्य और पूंजीवादी समाज में उभर रहा है। को समाप्त कर सकता है।

3.06 म० प० **(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)**

उपाध्यक्ष महोदय, अन्त में मैं कहना चाहूंगा कि इस पीड़ित देश के निर्धन व्यक्ति जो खेतों और कारखानों या कार्यालयों में काम कर रहे हैं, वे एकजुट होकर इस व्यवस्था को जिसमें इस तरह का वित्तीय बजट प्रस्तुत किया गया है, समाप्त करके सफलता हासिल करेंगे।

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री भोगेन्द्र झा को बधाई देता हूं कि उन्होंने वित्तीय विधेयक पर इतनी व्यापक रूप से टिप्पणियां की हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : और आपको भी कुछ समय दिया है। हमें चर्चा 3.30 बजे तक समाप्त करनी है।

प्रो० सैफुदीन सोज : निश्चय ही मुझे उनके द्वारा दिए गए बहुमूल्य सुझाव दोहराने नहीं हैं।

माननीय वित्त मन्त्री ने मेरे इस सुझाव का कोई उत्तर नहीं दिया है कि भविष्य में जब कभी भी बजट पेश करना होगा तब, राज्य के वित्त मन्त्रियों का सम्मेलन बुलाया जाना चाहिए ताकि बजट प्रस्तावों के माध्यम से भारत सरकार जो भी उपाय करने जा रही है, सम्बन्धित राज्यों के प्रभारी मंत्रियों द्वारा इन प्रस्तावों की जटिलताओं की जांच की जायेगी। लेकिन सम्भवत: वह इस सुझाव को स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि वह स्वयं भी चाहते हैं कि राज्य उनके पास भिक्षा पात्र लेकर आएं।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : आपको बजट प्रस्तावों की जानकारी नहीं है।

प्रो० सैफुदीन सोज : क्या आपके पास बजट प्रस्ताव देखने का समय था? कम से कम मैंने उन्हें देखा है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अध्यक्ष पीठ को सम्बोधित कीजिए।

प्रो० सैफुदीन सोज : मैं आपके माध्यम से उन्हें सम्बोधित कर रहा हूं।

मैं यह सुझाव दे रहा था कि वित्त में मन्त्रियों का सम्मेलन होना चाहिए ताकि यह केवल केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता देने की बात नहीं। उन्हें जो मंहगाई भत्ता दिया जाता है, वे उसे प्राप्त करने के अधिकारी हैं क्योंकि मूल्यों में वृद्धि हुई है, यद्यपि वित्त मन्त्री को बहुत सन्तोष है कि उन्होंने मुद्रा स्फीति पर नियन्त्रण कर लिया है। लेकिन मैं उनसे सहमत नहीं हूं। उन्होंने केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को जो भी दिया है, इसका निश्चय ही प्रभाव पड़ेगा। अत: जब बजट प्रस्तुत किया गया था, मैंने नम्र निवेदन किया था कि भविष्य में संसद में बजट पेश करने से पहले इसके सम्बन्ध मे वित्त मन्त्रियों का सम्मेलन बुलाया जाना चाहिए ताकि संसद के जो भी प्रस्ताव रखे जाते हैं, राज्यों में उनकी जो भी जटिलताएं हों उनकी जांच की जा सके। लेकिन सम्भवत: वह ऐसा नहीं चाहते क्योंकि वे चाहते हैं कि यथा समय राज्य भिक्षा पात्र लेकर उनके पास आएं।

उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में एक दो बातें हैं जिनके लिए मैं समझता हूं कि वित्त मन्त्री बधाई के पात्र हैं। मैंने इसे नरम बजट कहा है और यह अच्छा बजट है। और मैं उन लोगों से भी सहमत, जिन्होंने कहा कि यह चुनाव बजट है और जो रियायतें दी गई हैं उनसे केवल यही पता चलता है। मंहगाई भत्ते को किश्तें प्रदान किए जाने का स्वागत है तथा करों में कमी किए जाने का भी स्वागत है।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आपने बजट पर भी कुछ कहा है?

प्रो० सैफुदीन सोज : मैं कुछ मुद्दे स्पष्ट कर रहा हूं क्योंकि अन्तत: उन्हें उन पर ही टिप्पणी करनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको अनुमति नहीं देता। जो भी हो अब आप आगे कहिए।

प्रो सैफुदीन सोज : जैसा भी है। जहां तक करों में कमी करने का सम्बन्ध है, निम्नतम आय वर्ग को सबसे कम लाभ मिला है। मैं जानता हूं उन्हें इसकी जानकारी होगी और हमें विश्वास में लेना चाहिए और बताना चाहिए कि उस खण्ड में निम्नतम आय वर्ग को सबसे कम लाभ मिला है। श्री

सोमनाथ चटर्जी कहते हैं कि उन्हें 0.4% लाभ हुआ है। मैंने इसका हिसाब नहीं लगाया है। मुझे आशा है इसका प्रतिशत कुछ अधिक है। लेकिन निम्नतम क्या है? उन्हें यह भी बताना चाहिए कि अधिभार में बिलकुल कमी क्यों नहीं हुई है क्योंकि इसमें एक प्रकार का षड्यन्त्र देखते हैं कि वे शक्तिशाली होने के लिए अपनी निधि में वृद्धि करना तथा इसे दृढ़ बनाना चाहते हैं और राज्यों को चाहे कितना भी धन दिया जाये वे राज्यों को सक्षम बनने देना नहीं चाहते। हर समय वे कहते हैं कि वे बहुत शक्तिशाली केन्द्र बनाना चाहते हैं। हम उससे सहमत हैं। लेकिन हम सक्षम राज्य चाहते हैं। लेकिन वे वित्तीय एकाधिकार चाहते हैं। और इसका राजनैतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हैं। मैं नहीं जानता कि एक विद्वान और बुद्धिमान वित्त मन्त्री को इस षडयन्त्रकारी नाटक पर सहमति देनी चाहिए थी।

"अपने मुख पर बड़ी मुस्कान लिए, वित्त मन्त्री ने बजट पेश करते हुए हमें सरकार द्वारा की गई उपलब्धियों के बारे में बताया। लेकिन मेरा कथन उनसे भिन्न है। उन्हें इतना खुश नहीं होना चाहिए था क्योंकि सरकार प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं बना सकती। सरकार कुछ क्षेत्रों में सफल हो सकती है और कुछ क्षेत्रों में असफल भी हो सकती है। और जहां कहीं वे असफल हुए हैं, वे कह सकते हैं कि वहां हमें सफलता नहीं मिली है। वह कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने सभी समस्याओं का समाधान कर लिया है। वह एक ही अंक में मुद्रास्फीति को रोकने से बहुत प्रसन्न है। उसे चुनौती दी जा सकती है क्योंकि अधिकांश लोग अर्थात् 99% लोगों को खुदरा मूल्यों की चिन्ता है। क्या वह फुटकर मूल्यों के बारे में निश्चित है? मूल्यों में निरन्तर तीव्र वृद्धि हो रही है और हमारे वित्त मन्त्री अब भी सन्तुष्ट हैं कि उन्होंने मूल्यों पर नियन्त्रण पा लिया है। जहां तक बेरोजगारी का सम्बन्ध है, यह देश में बढ़ रही है। स्वरोजगार योजना का उपयोग राजनीतिक उद्देश्यों से किया जाता है। जब सार्वजनिक समारोहों में सिलाई-मशीनों आदि का वितरण किया जा रहा था, तब हमने यह नाटक खूब देखा। इसमें भिन्न-भिन्न लोगों को भिन्न-भिन्न उद्देश्य नजर आए। देश में कमर तोड़ गरीबी और मूल्य वृद्धि का रोग विद्यमान है और अब भी वित्त मन्त्री कहेंगे कि सरकार की बहुत सी उपलब्धियां रही हैं। समझ में नहीं आता कि वह यह क्यों नहीं मानते कि कुछ क्षेत्रों में वे विफल हुए हैं। इसके साथ उन्होंने देशवासियों से कहा था कि बहुत अच्छी फसल हुई है। अभी दो ही दिन पहले मैंने संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट पढ़ी जिसमें कहा गया है कि रक्षित भन्डार बनाने के लिए भारत 5 लाख टन खाद्यान्न का आयात कर रहा है। इसका अर्थ यह है कि रक्षित भण्डार समाप्त हो गया है और उसे बनाए रखने के लिए वे खाद्यान्न का आयात कर रहे हैं। किन्तु राजनीतिक मंच पर वे कहते हैं कि खाद्य के क्षेत्र में हमने आत्म-निर्भरता प्राप्त कर ली है। ये बातें उनके द्वारा की जा रही घोषणाओं के अनुरूप नहीं है।

मैं देश में निर्धनता के बारे में भी एक बात कहना चाहता हूं। यह कहा गया है कि 51 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा से नीचे हैं। वित्त मन्त्री का यह कर्त्तव्य है कि या तो वह इस आंकड़े को स्वीकार कर लें या अस्वीकार कर दें। किन्तु उन्हें सन्तोषजनक आंकड़े प्रस्तुत करने चाहिए।

भारत में गन्दी बस्तियां बढ़ रही हैं। गन्दी बस्तियों में जाने और उनके विस्तार को मापने का समय किसी भी मन्त्री के पास नहीं है। गन्दी बस्तियों में परिवार नियोजन कार्यक्रम पूरी तरह से विफल हो चुका है और वहां जनसंख्या बढ़ रही है। शिक्षित वर्ग तो परिवार नियोजन को अपना लेता है। अब गन्दी बस्तियों की ओर ही हमें ध्यान देना है। और इन दोनों स्थितियों में बड़ा विरोधाभास है। समृद्ध परिवार, जो अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, भोजन भी दे सकते हैं, वे तो जन्म पर नियन्त्रण कर रहे हैं। गन्दी बस्तियों में गरीबी-रेखा से नीचे के लोग रहते हैं फिर भी परिवार नियोजन कार्यक्रम वहां अपनी

जड़ें जमा नहीं पाया है। इस कार्यक्रम को जितनी अधिक सफलता अन्य क्षेत्रों में मिली है उतनी गन्दी बस्तियों में नहीं मिल पाई है। बढ़ती हुई गन्दी बस्तियों पर उनका ध्यान नहीं गया है। और इस बजट में भी कोई क्रांतिकारी कार्यक्रम दिखाई नहीं देता है। जब कोई बीमार पड़ता है तो आप उसे दवा दे सकते हैं किन्तु जब बीमारी दवा से ठीक नहीं होती है तो उसके बाद आपको शल्यक्रिया करनी ही होगी। जब गन्दी बस्तियां बढ़ रही हैं, जब 51 प्रतिशत लोग गरीबी-रेखा से नीचे रह रहे हैं, तब वित्त मन्त्री को संसद के सामने, इस देश के सामने इस समस्या का अन्तिम समाधान प्रस्तुत करना चाहिए। उन्होंने ऐसा नहीं किया है। जब कुछ लोग सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं, तब वे उन लोगों को एजेण्ट कहते हैं यद्यपि वे सच्चे भारतीय ही होंगे। मैं कभी भी 'डेविड सेलबोर्न' का उल्लेख नहीं करूंगा। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी—"ऐन आइ टू चाइना" और उसके बाद उन्होंने एक और पुस्तक लिखी "ऐन आइ टू इण्डिया" इसमें उन्होंने हमारे देश की निर्धनता का चित्रण किया है। किन्तु गत सप्ताह, लगभग चार दिन पहले मैं शष्टिव्रत का एक लेख पढ़ रहा था और वह अब भी हमें कलकत्ते के एक परिवार के बारे में याद दिला रहे हैं। यह केवल कलकत्ता के एक परिवार की बात नहीं है, यह केवल कलकत्ता या मद्रास या बम्बई का प्रश्न नहीं है वरन् सारे भारत में यही स्थिति है। कलकत्ता के बारे में वह कहते हैं कि पुराने धनी परिवार में जितना एक दिन में बर्बाद हो जाता है, दरिद्र लोग अपने जीवन-काल में उतना पाने की सोच ही सकते हैं। भारत की यह स्थिति है। मैं नहीं जानता कि बजट किस प्रकार तैयार किया गया है? इन बातों पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया? हमारे बुद्धिमान वित्त मन्त्री इस स्थिति से अवगत हैं। उन्हें उत्तर देना चाहिए और आपके तथा हमारे माध्यम से देश को सन्देश देना चाहिए कि निर्धनता की समस्या का समाधान वह कैसे करना चाहते हैं।

जहां तक आबंटन का सम्बन्ध है, ऐसा नहीं है कि वित्त मन्त्री उस समय तक टालमटोल करते रहेंगे जब तक कि अन्य मन्त्रालय अपने प्रस्ताव नहीं रखेंगे। एक बुद्धिमान वित्त मन्त्री वे गलतियां और कमियां बता सकता है जिनसे कोई विशेष मन्त्रालय परेशान है और किस मन्त्रालय को कम धन दिया जा रहा है। उन्होंने शिक्षा की कोई चिंता नहीं की है। शिक्षा के लिए कुल बजट का 3 प्रतिशत से भी कम आबंटित किया गया है और हो सकता है कि इस कारण शिक्षा मन्त्रालय स्थिति के अनुरूप कार्य न करें। अधिक धन के लिए वर्तमान प्रस्तावों के लिए आबंटन कम-से-कम छह प्रतिशत होना चाहिए। जब हमने शिक्षा मन्त्रालय की मांगों पर चर्चा की तो हमने पाया कि मन्त्रालय भारत के संविधान की बात कर रहा था और संविधान के अनुसार शिक्षा को सर्वजननीकरण करने के लिए धन की मांग कर रहा था। वे उस समय तक शिक्षा का सर्वजननीकरण नहीं कर सकते हैं जब तक वे प्रारम्भिक शिक्षा को अनिवार्य नहीं बनाएंगे। किन्तु इसके लिए क्या उनके पास धन है? उनके पास कुछ नहीं है और अनौपचारिक शिक्षा के द्वारा वे बहुत धन बर्बाद कर चुके हैं। अतः माननीय वित्त मन्त्री को ही स्थिति के अनुरूप कार्य करना चाहिए और शिक्षा को वरीयता देनी चाहिए।

अब मैं अपने राज्य के बारे में कुछ शब्द कहूंगा। वित्त मन्त्री से मुझे अपेक्षा थी कि वह इस देश के असन्तुलित विकास की प्रक्रिया पर ध्यान देंगे। जहां तक इन असन्तुलनों का सम्बन्ध है, मेरा राज्य इससे सर्वाधिक पीड़ित है। उनके द्वारा दिया गया आंकड़ा ही मैं उद्धृत करने जा रहा हूं। मेरे लिखित प्रश्न के लिखित उत्तर में उन्होंने बताया कि गत तीस वर्षों में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में कुल पूंजी निवेशन 25,550 करोड़ रु० किया गया था और मेरे राज्य का हिस्सा मात्र 0.06 प्रतिशत था। पहले पाकिस्तान के कारण इस राज्य के विकास के बारे में केन्द्रीय सरकार ने मौन नीति अपनायी हुई थी। अब पाकिस्तान के कारण कुछ नहीं होता है। जम्मू व कश्मीर, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या किसी अन्य

प्रदेश की तरह ही देश का अभिन्न अंग है। वे एजेण्ट अब चले गए जिन्हें नई दिल्ली से पट्टी पढ़ाकर भेजा जाता था। हमारे वहां 1977 से सही मायनों में चुनाव हो रहे हैं। आज वहां लोकप्रिय सरकार है। पाकिस्तान की इसमें कोई भूमिका नहीं है इसलिए हमें कुछ भी छिपाना नहीं चाहिए। मैं आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि हमारा प्रदेश उपेक्षित है। आज स्थिति ऐसी है कि वहां पर कोई भी सरकारी क्षेत्र के उद्योग नहीं हैं। अभी जब कल ही मैंने इस बारे में एक प्रश्न किया था तो प्रधानमन्त्री जी ने कहा था कि हिमाचल और जम्मू व कश्मीर जैसे पर्वतीय प्रदेशों में इलेक्ट्रोनिकी उद्योग लगाए जाएंगे क्योंकि इनमें कम-से-कम पूंजी की आवश्यकता है और बिजली की भी बहुत कम खपत होती है। लेकिन श्री संजीवी राव इस बारे में हिचकिचा रहे थे। वह इतना कहने को भी तैयार नहीं हैं कि जब बहु-उद्देश्यीय अंकीय टेलीविजन भारत में आएगा तो जम्मू व कश्मीर में फैक्टरी लगाने पर विचार किया जाएगा। वह बहुत अनिच्छुक थे। अभी-अभी श्री भोगेंद्र झा ने विद्युत की कमी के सम्बन्ध में प्रश्न उठाया था। हमारे यहां से पानी पाकिस्तान की ओर बेकार बह रहा है। आप उसका सदुपयोग नहीं कर रहे हैं। उसे केवल जम्मू व कश्मीर के ही काम में नहीं लाना है। हमारे देश की विद्युत क्षमता 20,000 मेगावाट है, यह शर्मनाक स्थिति है कि जम्मू व कश्मीर में केवल 177 मेगावाट बिजली काम में लाई जा रही है। भारत के रेल मानचित्र पर अभी हमारा कोई स्थान नहीं है। (**व्यवधान**) मेरा सुझाव और निवेदन है कि माननीय वित्त मन्त्री को इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। मैं उन्हें मई के महीने में श्रीनगर आने का निमन्त्रण देता हूं। उन्हें श्रीनगर आना चाहिए जो मई के महीने में अति सुन्दर होता है। उन्हें बेहिचक हमारे राज्य के वित्त मन्त्री और अन्य लोगों से मिलना चाहिए और बैठक बुलाकर हमारी आर्थिक समस्याओं को समझने का प्रयास करना चाहिए।

मैंने उनका ध्यान बड़े मसलों की ओर दिलाया है। मैं यहां पर एक या दो और तथ्यों का उल्लेख करूंगा। मैं सरकार द्वारा दिए गए आंकड़ों से उद्धृत करूंगा जिनका कोई खण्डन नहीं कर सकेगा। जहां तक राष्ट्रीयकृत बैंकिंग क्षेत्र का प्रश्न है जब से इनका प्रादुर्भाव हुआ जम्मू व कश्मीर में इन बैंकों में जमा 92 प्रतिशत राशि बाहर के प्रदेशों में लगाई जा रही है बैंक क्षेत्र तो वित्त मन्त्री के अधिकार में हैं। वह स्वतन्त्र अथवा स्वायत्त शासी नहीं है। यह वित्त मन्त्री का संवैधानिक उत्तरदायित्व है कि वह इन मामलों की जांच-पड़ताल करें। मैं इस बात को दोहराता हूं कि हमारे राज्य में बैंकों में जमा राशि का 92 प्रतिशत बाहर के राज्यों में उपयोग किया जाता है।

इस सम्बन्ध में मैंने 27 फरवरी, 1984 को राज्य को राहत देने का प्रश्न उठाया था। मेरे राज्य में 1982 में तूफान, बर्फबारी और वर्षा से भारी नुकसान हुआ था। जम्मू व कश्मीर एवं हिमाचल ने 1982 में राहत के लिए प्रस्ताव भेजे थे। हिमाचल प्रदेश को 6 करोड़ रु० प्रदान किए गए जबकि जम्मू व कश्मीर को एक नया पैसा भी नहीं दिया गया। जब मैंने यह बात उठाई तो श्री राव वीरेन्द्र सिंह ने कहा कि जम्मू व कश्मीर को 100.04 लाख रु० की सहायता दी गई है। दो महीने के बाद मैंने पुनः यह प्रश्न माननीय वित्त मन्त्री से पत्र द्वारा किया कि रेडियो और टेलीविजन यह प्रसारित कर रहे हैं कि 1 करोड़ रु० राहत कार्यों के लिए जम्मू व कश्मीर को प्रदान किया गया है जबकि हमें 100 पैसे भी नहीं मिले। जब इस सम्बन्ध में मैंने फिर फरवरी में एक प्रश्न सभा-पटल पर रखा तो कृषि मन्त्री वित्त मन्त्री के सम्पर्क में आए। वास्तव में जो 1 करोड़ रु० दिया गया था वह तो जम्मू व कश्मीर सरकार ने छोटी और सामान्य आपदाओं पर खर्च कर दिया था। हमने 13 करोड़ रु० का प्रस्ताव भेजा था। हिमाचल ने भी इसी प्रकार का आग्रह किया था। उन्हें 6 करोड़ रु० मिले। जम्मू व कश्मीर को कुछ नहीं मिला···(**व्यवधान**)

श्री पी० नामग्याल (लद्दाख) : हम उस धन राशि को, जो भारत सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं के शिकार बने लद्दाख के लोगों के लिए राहत कार्यों हेतु दी है, आपकी सरकार से बचाना चाहते हैं। हम उनको वह राशि हजम नहीं करने देंगे।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : मैं हिमाचल प्रदेश को राहत कार्यों के लिए दिए गए अनुदान का समर्थन करता हूं। मुझे कोई शिकायत नहीं है। उन्हें राहत मिलनी चाहिए क्योंकि उन्होंने कष्ट भुगता है। हमारे प्रदेश में राहत कैसे बांटी जाती है मैं इस बड़े प्रश्न को नहीं उठाऊंगा क्योंकि वो राजनीति वाली बात हो जाएगी। मैं यहां राजनीति की बात नहीं कर रहा हूं। इस समय मैं अपने प्रदेश की आर्थिक प्रगति की बात कर रहा हूं।

कश्मीर भारत के रेल मानचित्र पर नहीं है। आप हर बार थोड़ा बहुत देकर हमें टालकर यह नहीं कह सकते हैं कि आगे बहुत अच्छा होगा। फिर आप इस बारे में अत्यधिक प्रचार-प्रसार करते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके यह अनुदान हमारी आवश्यकताओं से कहीं कम हैं। यह मेरा मत है। अतः मैं आपके द्वारा वित्त मन्त्री से नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि वे मेरे प्रश्नों का उत्तर दें। यदि जम्मू व कश्मीर देश का अभिन्न अंग रहते हुए गरीब रहे तो उसके परिणाम भी उन्हें समझने चाहिएं।

वित्त मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : महोदय, इससे पहले कि आप अगले सदस्य को बुलाएं मैं निवेदन करूंगा कि जब मैं उत्तर दूं तो कृपया माननीय सदस्य उपस्थित रहें। कई बार देखने में आया है कि सदस्य प्रश्न तो उठाते हैं लेकिन जब मैं उत्तर देता हूं तो वे उपस्थित नहीं रहते। अतः मैं उनसे निवेदन करता हूं कि जब मैं उत्तर दूं तो वे सभा में उपस्थित रहें।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : मैं हर समय उपस्थित रहता हूं।

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : महोदय, यह साबित करता है कि हमारे वित्त मन्त्री कितने गतिशील हैं और माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए प्रश्नों और चर्चा में कितनी रुचि रखते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : जहां तक माननीय सदस्य का सम्बन्ध है उन्हें हमने इस मामले में अनुगृहीत किया है। उनका नाम काफी नीचे था। उन्होंने कहा कि वह आज बोलना चाहते है तो हमने इसकी अनुमति दे दी। मैं माननीय वित्त मन्त्री से पूरी तरह से सहमत हूं कि माननीय सदस्यों को उपस्थित रहना चाहिए। श्री सोज यह मैं केवल आपसे ही नहीं अपितु उन सब माननीय सदस्यों से भी कह रहा हूं जिन्होंने आज इस विषय पर बोला, कि जब वित्त मन्त्री उत्तर दें तो आप सब उपस्थित रहें।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : महोदय, उस दिन उनके सदस्य अनुपस्थित थे।

आचार्य भगवान देव (अजमेर) : प्रायः यह देखा गया है कि गाड़ी को पटरी से उतारकर चले जाते हैं।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : महोदय, मुझे एक आपत्ति है। उस दिन जब श्री राय ने कटौती प्रस्ताव पर जोर दिया था तो सत्ताधारी पक्ष के सदस्यों ने कटौती प्रस्ताव और मांगों पर बोला था और तत्पश्चात वे चले गए थे।

*श्री बी० एस० विजयराघवन (पालघाट) : महोदय, मैं वित्त विधेयक का समर्थन करता हूं। इस वर्ष के बजट के विभिन्न प्रस्तावों पर सदन में और सदन के बाहर काफी चर्चा हुई है। विपक्षी दल के सदस्यों ने बजट के बारे में सदन में जो कुछ भी कहा उससे एक बात तो स्पष्ट है कि उनके पास बजट के मुख्य प्रस्तावों के सम्बन्ध में आलोचना का कोई उचित आधार नहीं था। यह बजट मुख्य रूप से अर्थ-व्यवस्था के सभी क्षेत्रों की प्रगति के लिए है। इसके कई प्रस्तावों का लक्ष्य विभिन्न वर्गों के लोगों को राहत पहुंचाने का है। इस कथन के लिए मैं वित्त मन्त्री को शुभकामनाएं देता हूं। यह जो रियायतें दी गई हैं चाहे वह आयकर अथवा नैगमिक करों से सम्बन्धित है, उनका चारों ओर स्वागत किया गया। इस विषय में मैं माननीय वित्त मन्त्री के विचार के लिए एक सुझाव देना चाहता हूं। निजी आयकर की छूट की सीमा को 15,000 रु० से नहीं बढ़ाया गया। निश्चित आय वर्ग यह आशा लगाए बैठा था कि छूट की यह सीमा बढ़ाकर 25,000 रु० तक कर दी जायेगी। मुद्रास्फीति के समय निश्चित आय वर्ग के लोग ही सबसे ज्यादा कष्ट भुगतते हैं। एक अनुमान के अनुसार रुपये की कीमत अब केवल 18 पैसे से कुछ ज्यादा रह गई है। अत: वास्तविक रूप में वर्तमान आयकर छूट अर्थहीन रह गई है। इस वर्ग को इस स्तर पर कर की दर में पांच प्रतिशत की छूट कोई विशेष लाभ प्रदान नहीं करती है। अतः सरकार को इस पर पुनः विचार करना चाहिए और आयकर की छूट को 15,000 रु० से बढ़ाकर कम से कम 25,000 रु० कर देना चाहिए। केवल यही बात निश्चित आय वर्ग को राहत पहुंचा सकती है।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह महंगाई भत्ते पर कर के सम्बन्ध में है। महंगाई भत्ता मुद्रास्फीति के प्रभाव का निराकरण करता है। आयकर लगाते समय इसे किसी की आय का भाग नहीं माना जाना चाहिए। महंगाई भत्ते की वर्तमान दर, 30% से अधिक निष्प्रभावीकरण करने में असमर्थ है। मैं सरकार से यह आग्रह करूंगा कि वह इस प्रश्न पर गम्भीरता से विचार करें और महंगाई भत्ते को आयकर से छूट दिलाएं।

इन बातों से निपटने के बाद मैं अब केरल राज्य के अत्यावश्यक समस्याओं का उल्लेख करूंगा। महोदय, केरल सदा समस्याग्रस्त राज्य माना जाता रहा है। यह राजनीतिक मायनों में सही था। लेकिन राज्य की राजनीतिक स्थिति में आमूल परिवर्तन आ गया है जब से श्री करुणाकरण के नेतृत्व में "डेमोक्रेटिक फ्रंट" सत्ता में आया है। अब राज्य में राजनीतिक स्थिरता आ गई है। किन्तु अभी भी आधारभूत आर्थिक समस्याएं सुलझानी शेष हैं।

श्री ए० के० बालन (ओट्टापालम) : **(व्यवधान)**

श्री बी० एस० विजयराघवन (पालघाट) : श्री बालन, आप मेरे बीच में क्यों बोल रहे हैं? आपको जब अवसर दिया जाएगा तब आप बोल सकते हैं **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : श्री बालन, आप बाद में बोल सकते हैं। मैं आपको अधिक समय दूंगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया शनिवार को आइये। मैं आपको अवसर दूंगा।

*मलयालम में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

श्री वी० एस० विजयराघवन : महोदय, वह नाराज हैं क्योंकि वह अच्छी तरह जानते हैं कि श्री करुणाकरण पूरी अवधि समाप्त कर लेंगे ।

श्री ए० के० बालन : (**व्यवधान**) उन्होंने 3 करोड़ रुपये का दुरुपयोग किया है और सरकार की तिजोरी को खाली किया है । (**व्यवधान**) उन्होंने तीन मकान बनाए हैं । (**व्यवधान**)

श्री वी० एस० विजयराघवन : महोदय, मैं जोरदार रूप में इन आरोपों का खण्डन करता हूं । वह नाराज हैं क्योंकि उनके मुख्यमन्त्री श्री नायामर को अपनी अवधि पूरी किये बिना ही जाना पड़ा । वह सरकार को नहीं चला सके । (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री विजयराघवन आप अपना भाषण कल जारी रख सकते हैं । अब गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य को लिया जाएगा ।

(**व्यवधान**)**

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही में सम्मिलित मत करिये ।

(**व्यवधान**)

3.30 म० प०

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

75वां प्रतिवेदन

श्री काजी जलील अब्बासी (डुमरियागंज) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सदन 18 अप्रैल, 1984 को प्रस्तुत किये गये गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के 75वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सदन 18 अप्रैल, 1984 को प्रस्तुत किये गये गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के 75वें प्रतिवेदन से सहमत है ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

** कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

3.32 म० प०

श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबन्ध (संशोधन) विधेयक, 1984

(धारा 2 और 3 का संशोधन)

श्री राम नगीना मिश्र (सलेमपुर) : मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1955 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1955 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री राम नगीना मिश्र : मान्यवर, मैं इस विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

3.35 म० प०

पदों तथा सेवाओं में रिक्त स्थानों का (अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए) आरक्षण विधेयक

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सूरज भान द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव पर हम और आगे चर्चा करेंगे । श्री सुन्दर सिंह बोल रहे थे । श्री सुन्दर सिंह आपने पहले ही 7 मिनट ले लिए हैं । आप 5-6 मिनट और ले सकते हैं ।

श्री सुन्दर सिंह (फिल्लोर) : उपाध्यक्ष जी, यह दिल बहुत शानदार है । इसमें कोई शक नहीं कि हर पहलू में हरिजनों को उनके रिजर्व कोटे के हिसाब से नहीं रखा जाता है । जो उन्होंने फिगर्स बताये हैं जहां 50 आदमी लेने हैं वहां 2 ही लिए जाते हैं और कोई हरिजनों का ख्याल नहीं रखता है । महात्मा गांधी हरिजनों के लिए अच्छा सोचते थे, मगर जो उनके फोलोवर्स हैं वह कैसे उनका मुकाबला कर सकते हैं । यह बड़ी मुश्किल बात है । एक शायर इकबाल ने कहा है :

"शूद्र के लिए हिन्दुस्तान गमखाना है, इस बस्ती का दिल दर्द इन्सान से बेगाना है ।"

जहां तक गरीबों का ताल्लुक है अगर किसी के दिल में दर्द हो तब तो ठीक है । लेकिन ऐसा है

नहीं। "सारे जहां से अच्छा हिन्दोस्तां हमारा" यह भी इकबाल ने कहा था। यहां लोगों के दिल में कोई दर्द नहीं है। अगर दर्द हो तो देश में से गरीबी दूर हो सकती है। लोगों को गरीबों की मदद करने में बड़ी मुश्किल होती है। महात्मा गांधी ने कहा था कि वह ऐसा हिन्दुस्तान चाहते है जहां गरीब महसूस करे कि यह उनका कन्ट्री है। ऐसा हिन्दुस्तान चाहिए जहां कोई कम्युनल रांइट न हो, न कोई ऊंचा हो, न कोई नीचा हो। मगर हालात यह है कि यहां हर एक आदमी अपना-अपना कब्जा जमाने की कोशिश करता है। कोई कहता है हाय चंडीगढ़, कोई कहता है हाय अबोहर। मगर हरिजन क्या कहता है? हाय रोटी। इनको कब्जे की पड़ी हुई है। गरीबों को तो पता ही नहीं कि कब्जा क्या चीज है। हिन्दुस्तान वाकई हरिजनों का है। जो बाहर से लोग आए हुए हैं उन्होंने कब्जा जमा रखा है। हमारा हिन्दुस्तान है, हमारी नेशनेलिटी है। जो दर्द हरिजनों को हिन्दुस्तान के लिए है वह किसी को नहीं हो सकता। क्यों? लोग आपस में लड़ रहे हैं और कब्जे के लिए लड़ते हैं। मन्दिरों, गुरुद्वारों में जाते हैं पता नहीं वहां क्या सीखते हैं। एक-दूसरे से लड़ाई कब्जे के लिए। जो आदमी कब्जा जमाता है:

> उनका पतन हो रहा है। विशाल हृदयता ही प्रेम है संकुचित दृष्टि मृत्यु का पर्याय है। प्रेम ही उदार हृदयता है। केन्द्रित संकुचन है। अतः प्रेम ही जीवन का विधान है। जो स्वयं से ही प्रेम करता है अथवा स्वयं तक ही सीमित है उसका अन्त हो रहा है निस्वार्थ प्रेम जीवन का आदर्श है।

हिन्दुस्तान में जो हरिजन है वह महात्मा गांधी के फोलोवर्स हैं। सबसे कम लेते हैं और सोसाइटी को सबसे ज्यादा देते हैं। ऐसे ही आदमी इस मुल्क के रूलर होंगे, उन्हें कोई नहीं रोक सकता। इसलिए कोई जरूरत नहीं है परमात्मा का डंडा अपने आप चल रहा है, आपस में लड़-लड़कर मर रहे हैं और आखिर में हरिजनों का राज होगा। वह शासक बनेगा।...(व्यवधान)...बुराई का स्वतः अन्तः होगा। नौकरियां, मिनिस्ट्रीज और जमीन सब अमीर लोगों के लिए हैं और सारी बदमाशियां भी इनके लिए ही हैं। ये सारी चीजें करते हैं और फिर मन्दिर गुरुद्वारे जाते हैं। मन्दिर गुरुद्वारों के खिलाफ महात्मा गांधी थे। वहां ईविल प्रैक्टिस होती है, वहां बुरी हालत है इसलिए मैं मन्दिरों में नहीं जाता हूं। पता नहीं यह सोसाइटी क्या करेगी और हिन्दुस्तान का क्या बनेगा?

हिन्दुस्तान हरिजनों का है। सूरजभान जी, आपको हिन्दुस्तान का मालिक बनना है। यहां हमारी जगह है, दूसरे बाहर से आये हैं और आपस में लड़ रहे हैं। ये आपस में लड़कर मर जायेंगे, खत्म हो जायेंगे। ये कब्जा जमाना चाहते हैं। हम असली हिन्दुस्तान के मालिक हैं। जो नेशनेलिटी हम में है, वह दूसरों में हो नहीं सकती। वह कामयाब हो सकता है जो सोसाइटी से कम लेकर गुजारा करे, जो सोसाइटी को खा ही जायेगा, वह कुछ काम नहीं कर सकेगा। वह नीचे चला जायेगा। महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानन्द, गुरु नानक सबका यही उसूल है, पर ये उसूल पर चलते नहीं हैं। परमात्मा के बारे में कहा गया है—

> राम किसी को मारे नहीं, ना हत्यारा राम
> अपने आप मर जायेंगे, कर-कर खोटे काम॥

जाट कब्जा जमाना चाहते हैं, ये कबरिस्तान बनता जायेगा। हिन्दू पैसे के पुत्र हैं। सिवाय पैसे के और इन्हें कुछ काम नहीं है। जहां लड़ाई हुई नहीं, ये दौड़े नहीं।

ये हमारे साथी बड़े अच्छे आदमी हैं, गवर्नमेंट की बड़ी मदद करते हैं। ये समझते हैं जैसे गवर्नमेंट इनके वगैर चलती नहीं। कल ये बड़ा निकम्मा बोले। ऐसे बोले कि गवर्नमेंट डूबने लगी है और ये ही बचायेंगे। अगर गवर्नमेंट का दोस्त ऐसा हो तो दुश्मन की कोई जरूरत नहीं है।

अच्छी बात को सुनना चाहिए। अपोजिशन अच्छा बोलती है। गवर्नमेंट को उसे सुनकर अपने आप को ठीक करना चाहिए। ये कहते हैं कि हम ही ठीक हैं। चाहे बेड़ा डूब जाये, तुम ही ठीक हो ? अपोजिशन इजए हैल्दी साइन। अगर अपोजिशन कमजोर होगा तो गवर्नमेंट गलती करेगी।

जहां तक हमारा ताल्लुक है, होपफुल हैं। लोग जायदाद, कब्जे और अपने इलाके पर लड़-लड़कर मर रहे हैं।

ये लोग सबसे पहले गुरुद्वारे जायेंगे माथा टेकने। रास्ते में कोई मर जाए तो उसकी इनको परवाह नहीं, इन्होंने गरीब को रोटी नहीं देनी है, गुरुद्वारे पहुंचना है। साथ में बदमाशियां करनी हैं और शाम को माथा टेकने मन्दिर में जाना है। जो मन्दिर-मस्जिद जाते हैं, आपस में ही लड़ रहे हैं, देख नहीं रहे कि क्या हालत हो रही है। ईश्वर सच्चा है, वह इनको ठीक करेगा। ईश्वर गरीबों की सुनेगा। जो हमारे साथ बेइन्साफी करता है, वह खुद मरता है, दुनिया की कोई ताकत उसको बचा नहीं सकती।

मैं 10, 15 साल मिनिस्टर रहा हूं। मैं हरिजनों को यही कहता रहा हूं कि तुमको चाहिये कि जो सिख और हिन्दू बदमाशियां करते हैं, वह तुम न करो ताकि जब मौका मिले तो वह कहें कि हरिजन अफसर लाओ वह जान बचायेगा। सांई अफसर अच्छे होते थे। मैं गांवों में हरिजनों को कहता था—दूसरे लोगों को मैं नजदीक नहीं आने देता था ; कुछ लोगों ने पंडित जवाहरलाल नेहरू से शिकायत कर दी कि सुन्दर सिंह हरिजनों की बात करता है, मैंने जवाब दिया कि जब मैं हरिजन हूं, तो हरिजनों की ही बात करूंगा—कि यही तुम्हारे दुश्मन हैं। उस वक्त आपोजीशन नहीं थी। उस वक्त सिर्फ कांग्रेस ही थी। उस वक्त कांग्रेस में कई निकम्मे, अमीर, धनाढ्य आदमी थे, जो लैंड रिफार्म्ज और दूसरे तरक्की के कामों के खिलाफ थे।

श्री बूटा सिंह : अब वे अपोजीशन में चले गए हैं।

श्री सुन्दर सिंह : अपोजीशन में शानदार आदमी हैं। उनमें से मैजारिटी हमारे साथ है। हरिजनों को अपने आप में कान्फिडेंस होना चाहिए। उनको अपने जमीर के मुताबिक चलना चाहिए।

आत्मा के प्रति द्रोह (विश्वासघात) न करिये। निष्ठारहित, आत्मा के स्वर के अनुसार कार्य कीजिए। और आपको असंदिग्ध रूप में सफलता मिलेगी। हमारी कान्शेंस बता देती है कि हम ठीक काम कर रहे हैं या गलत काम कर रहे हैं। वही शख्स आगे बढ़ सकता है, जो अपनी कान्शेंस के मुताबिक काम करता है। महात्मा गांधी की तरह हमें अपने आप को ठीक करना चाहिए, अपने आपको सुधारना चाहिए, तभी हम दूसरों का मुकाबला कर सकते हैं।

हरिजन सबसे कम लेते हैं और सबसे ज्यादा देते हैं। बड़ी-बड़ी किताबें पढ़ने वाले लोग बातें बहुत करते हैं, लेकिन अमल कुछ नहीं करते। उत्तम चरित्र के अभाव में ज्ञान ऐसी शक्ति है जो हमें केवल बुराई की ओर ले जाती है। इसका प्रमाण देश में अनेक चालाक ठग और प्रत्यक्ष रूप में भद्र दीखने

वाले शैतानों में मिलता है। जिस आदमी में कैरेक्टर नहीं होता, वह दूसरों को एक्सप्लायट करता है। परमात्मा देख रहा है कि हमारा एक्सप्लायटेशन हो रहा है। मगर अब हमारी बारी आ रही है। अब हमने आगे बढ़ना है। परमात्मा ने कभी उस काम की हालत को नहीं बदला, जिसे अपनी हालत का खुद खयाल न हो। अपनी तरक्की के लिए हमें खुद काम करना होगा। मुझे खुशी है कि ये लोग हमारे साथ ज्यादती करते हैं। इन्होंने खुद मरना है, दुनिया की कोई ताकत इनको नहीं बचा सकती।

लोग सोशलिज्म की बात करते हैं, मगर उनके खाने में चार-चार सब्जियां होती हैं और वे रोज नये कपड़े पहनते हैं। वे लोग गरीबों की बात करते हैं, लेकिन गरीब बेचारे सड़कों पर पड़े रहते हैं। जो लोग मकान बनाते हैं, उनके लिए टट्टी जाने की जगह नहीं है। यह कितने दुख की बात है। कहा जाता है कि भारत ऋषि-मुनियों की भूमि है। यह तो एक चिंगड़ मुहल्ला है। ये लोग लाफजनी करते हैं। जो किसी को मारता है, वह खुद मरेगा। दुनिया की कोई ताकत उसको नहीं बचा सकती।

मैंने कल पंजाब की डिसकशन में हिस्सा नहीं लिया। मैं कहना चाहता हूं कि पंजाब में जो सिख हैं, उनका यह फर्ज है कि वह सिचुएशन को ठीक करें। और हरिजन खराब हैं, तो मैं उनको ठीक करूंगा। मैं हमेशा उन्हें गालिया देता हूं, क्योंकि मुझमें कान्फिडेंस है। जिनके पास कान्फिडेंस है, वे लोंगोवाल और भिंडरांवाले के पीछे क्यों भागते हैं? इसका मतलब है कि उनमें कमजोरी है। वे उस कमजोरी को दूर करें। कहते हैं कि मेजारिटी है। मेजारिटी क्या है? मेजारिटी उनकी है जो लड़ाई करते हैं। तुम्हारी मेजारिटी कहां है? सिखों का मामला है तो सिख ही उसको ठीक करें, हिन्दुओं का मामला हिन्दू ही ठीक करें और हरिजनों का मामला होगा तो हम उसको ठीक करेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं यही कहना चाहता हूं कि जो बिल लाया गया है वह बहुत अच्छा बिल है। एक अलग से मिनिस्ट्री बननी चाहिए। लेकिन जो मिनिस्ट्री आयेगी वह भी नहीं करेगी इसलिए मैं कहता हूं अपनी गवर्नमेंन्ट ही बननी चाहिए।

श्री आर० एन० राकेश (चैल) : दुनिया की डिक्शनरी में रिजर्वेशन शब्द का मतलब कुछ भी हो लेकिन यहां सरकारी डिक्शनरी में शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड टाइब्ज, माइनारिटीज और बैकवर्ड क्लासेज के लिए रिजर्वेशन का मतलब है धोखा देना, झांसा देना···इससे अधिक कुछ भी नहीं है। डाक्टर गोपाल सिंह कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 6 महीने पहले सरकार को दे दी, सरकार की ओर से इस सदन में यह आश्वासन भी दिया गया, 1983 के अन्तिम सत्र में, कि डा० गोपाल सिंह रिपोर्ट पेश कर दी जायेगी लेकिन वह सत्र चला गया, साल चला गया वह रिपोर्ट पेश नहीं की गई। आज मुल्क के करोड़ों अल्पसंख्यक डा० गोपाल सिंह कमीशन रिपोर्ट का अंजाम पाने के लिए इस सदन की ओर देख रहे हैं लेकिन इस सरकार ने गांधी के तीन बन्दरों की तरह आंख, मुँह और कान बन्द कर लिए हैं। मण्डल कमीशन की रिपोर्ट का अंजाम भी आपके सामने है। गांधी के तीनों बन्दर कहते थे—बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत कहो। रिजर्वेशन शब्द शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्ज, माइनारिटीज और बैकवर्ड क्लासेज के लिए शायद बुरा हो इसीलिए तीनों बन्दरों की तरह सरकारी पक्ष की ओर से आंख, मुँह और कान बन्द कर लिए गए हैं।

बलिहारी है डा० अम्बेदकर की जिन्होंने शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज के आरक्षण की बात संविधान में रखवा दी थी वरना इस आरक्षण की हालत भी शायद वही हुई होती जोकि आज

माइनारिटीज और बैकवर्ड क्लासेज के आरक्षण की हो रही है। संविधान में मोहर लगने के बाद भी आज 37 साल की आजादी के बाद यह सरकार शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज के आरक्षण के प्रति कितनी सजग है उसके उदाहरण इस बिल को पेश करते समय सूरजभान जी ने यहां पर कई विभागों के आंकड़ों के साथ पेश किए थे।

मैं और चीजों के ब्योरे में न जाकर बैंकों में आरक्षण की स्थिति की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा :

सेंट्रल बैंक आफ इण्डिया	**प्रतिशतता**
अनुसूचित जाति	
अनुसूचित जातिय अधिकारी	1.398
लिपिक	12.87
अधीनस्थ कर्मचारी (जमादारों को हटाकर)	14.47
अनुसूचित जनजाति	
अनुसूचित जनजातिय अधिकारी	0.27
लिपिक	2.43
अधीनस्थ कर्मचारी (जमादारों को हटाकर)	2.64

बैंक आफ इण्डिया : अनुसूचित जाति के अधिकारीगण 8.418 प्रतिशत, लिपिक 11.13, अधीनस्थ कर्मचारी जमादरों को छोड़कर 17.58 प्रतिशत।

अनुसूचित जनजाति : अधिकारी 3.00, लिपिक 3.36, अधीनस्थ कर्मचारी 4.29 प्रतिशत।

पंजाब नेशनल बैंक : अनुसूचित जाति — अधिकारी 7.099, लिपिक 14.54, अधीनस्थ कर्मचारी 17.38।

अनुसूचित जनजाति—अधिकारी 1-31, लिपिक 1.50, अधीनस्थ कर्मचारी 3.70।

बैंक आफ बड़ौदा : अनुसूचित जाति — अधिकारी 6.412, लिपिक 12.48, अधीनस्थ कर्मचारी 19.03।

अनुसूचित जनजाति—अधिकारी 0.87, लिपिक 1.30, अधीनस्थ कर्मचारी 4.92।

यूनाईटेड कमर्शियल बैंक : अनुसूचित जाति—अधिकारी 3.035, लिपिक 8.25, अधीनस्थ कर्मचारी जमादारों को छोड़कर 18.45।

अनुसूचित जनजाति—अधिकारी 0.55, लिपिक 1.17, अधीनस्थ कर्मचारी 2.58

3.57 म० प० **(श्री चिन्तामणि पाणिग्रही पीठासीन हुए)**

केनरा बैंक : अनुसूचित जाति—अधिकारी 4.323, लिपिक 13.68, अधीनस्थ कर्मचारी जमादारों को निकाल कर 16.00

अनुसूचित जनजाति—अधिकारी 1.40, लिपिक 2.95, अधीनस्थ कर्मचारी 2.97

यूनाईटेड बैंक आफ इण्डिया : अनुसूचित जाति—अधिकारी 5.527, लिपिक 17.31, अधीनस्थ कर्मचारी 12.96

अनुसूचित जनजाति—अधिकारी 0.88, लिपिक 0.95, अधीनस्थ कर्मचारी जमादरों को हटाकर 1.44

देना बैंक : अनुसूचित जाति—अधिकारी 4.190, लिपिक 13.30, अधीनस्थ कर्मचारी जमादारों को निकालकर 25.73

अनुसूचित जनजाति—अधिकारी 1.47, लिपिक 3.44, अधीनस्थ कर्मचारी 8.07

सिंडीकेट बैंक : अनुसूचित जाति—अधिकारी 6.384, लिपिक 11.95, अधीनस्थ कर्मचारी जमादारों को निकालकर 24.54

अनुसूचित जनजाति—अधिकारी 1.22, लिपिक 3.28, अधीनस्थ कर्मचारी 5.88

यूनियन बैंक आफ इण्डिया : अनुसूचित जाति—अधिकारी 2.967, लिपिक 15.33, अधीनस्थ कर्मचारी 28.11

अनुसूचित जनजाति—अधिकारी 0.55, लिपिक 1.16, अधीनस्थ कर्मचारी 2.71

इलाहाबाद बैंक

अनुसूचित जाति :	अधिकारी	—	3.029
	लिपिक	—	12.99
	अधीनस्थ कर्मचारी	—	20.58 (जमादारों को मिलाकर)

अनुसूचित जनजाति :	अधिकारी	—	0.52
	लिपिक	—	0.97
	अधीनस्थ कर्मचारी	—	1.57

इण्डियन बैंक

अनुसूचित जाति :	अधिकारी	—	6.866
	लिपिक	—	13.00
	अधीनस्थ कर्मचारी	—	28.96 (जमादारों को मिलाकर)
अनुसूचित जनजाति :	अधिकारी	—	2.43
	लिपिक	—	2.99
	अधीनस्थ कर्मचारी	—	4.25

सभापति महोदय : क्या सब पढ़ेंगे ?

श्री आर० एन० राकेश : मैं जल्दी खत्म करूंगा, यह बहुत गम्भीर चीज है। ये सारे बैंकों के आंकड़े हैं। इस प्रकार :

अधिकारियों की कुल संख्या	—	1,61,631
अनुसूचित जाति के अधिकारियों की कुल संख्या	—	7,463
प्रतिशतता	—	4.6
अनुसूचित जनजातियों की कुल संख्या	—	1,741
प्रतिशतता	—	1.09
लिपिक		
अनुसूचित जाति	—	कुल 12.9%
अनुसूचित जनजाति	—	2.06%
अधीनस्थ कर्मचारी		
अनुसूचित जाति	—	22.4%
अनुसूचित जनजाति	—	4.2%

4.00 म० प०

रेल विभाग केन्द्रीय सरकार का सबसे बड़ा महकमा है, लेकिन इसमें भी किसी क्लास और किसी भी कैटेगरी में शेडयूल्ड कास्ट्स और शेडयूल्ड ट्राइब्स का कोटा पूरा नहीं है। खुद रेलवे विभाग में 26 रेलवे सर्विस कमीशन हैं लेकिन किसी भी कमीशन का चेयरमैन शेडयूल्ड कास्ट्स और शेडयूल्ड ट्राइब्स का आदमी नहीं है। अभी हाल में मौजूदा रेल मन्त्री ने कुछ नाम रिकमेण्ड किये हैं जिनसे आप को मालूम हो जायगा कि शेडयूल्ड कास्ट्स और शेडयूल्ड ट्राइब्स के प्रति वे कितने जागरूक हैं। इन्होंने पिछले दिनों 6 रेलवे सर्विस कमीशनों के लिए चेयरमैनों के नाम रिकमेण्ड किये, लेकिन उनमें एक भी शेडयूल्ड कास्ट्स और शेडयूल्ड ट्राइब्स का आदमी नहीं है। सारे हिन्दुस्तान में इनको एक भी शेडयूल्ड कास्ट्स और शेडयूल्ड ट्राइब्स का कम्पीटेन्ट आदमी नहीं मिला। कैसे-कैसे लोगों को रिकमेण्ड किया है—उसको भी सुन लीजिए। एक आदमी का नाम दो बार रिजेक्ट हो चुका है—अन्डर-एज होने के कारण, लेकिन फिर भी उसके नाम को रिकमेण्ड किया गया। एक आदमी के बारे में मैं दावे के साथ कहता हूं—उसका नाम थाने में हिस्ट्री-शीटर के रूप में दर्ज है, पाकेटमारी में 6 महीने की सजा काट चुका है, लेकिन उसका नाम भी रेलवे सर्विस कमीशन का चेयरमैन बनाने के लिए यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को एप्रूवल के लिए भेजा गया।

श्री सूरज भान (अम्बाला) : जब कैण्डीडेट्स आयेंगे तो उनकी जेब काटेगा।

श्री आर० एन० राकेश : अब जहां तक जुडीशियरी का सवाल है—जहां लोगों को इन्साफ मिलता है, वहां सर्विस में शेडयूल्ड कास्ट्स और शेडयूल्ड ट्राइब्स के लोगों को इन्साफ नहीं मिल पाया है। सुप्रीम कोर्ट से लेकर किसी भी हाई कोर्ट में शेडयूल्ड ट्राइब्स के लोगों का नौकरी में आरक्षण का कोटा पूरा नहीं है। मैं एक छोटा-सा उदाहरण इलाहाबाद हाई कोर्ट का देता हूं। वहां जजेज के बीच में यह तय कर लिया गया है कि शेडयूल्ड कास्ट का कोई भी जज वहां आने नहीं देंगे। वहां पर 20 जजेज की नियुक्ति के लिए नाम रिकमेण्ड हुए हैं लेकिन उनमें शेडयूल्ड कास्ट्स के एक भी आदमी का नाम रिकमेण्ड नहीं किया गया है। 1971 में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दे दिया था कि शैडयूल्ड कास्ट्स के लोगों को प्रमोशन में भी रिजर्वेशन दिया जाएगा।

मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि वे एक भी महकमे का नाम बता दें, सैन्ट्रल गवर्नमेंट के किसी भी एक महकमे का नाम बता दें, जिसमें सीनियर क्लास 1 में प्रोमोशन में रिजर्वेशन दिया गया हो। कहीं नहीं दिया जा रहा है। यू० पी०, हरियाणा और राजस्थान की सरकारों ने तो जैसे इस पर बैन लगा दिया हो कि प्रोमोशन में रिजर्वेशन नहीं देना है।

एफीशियेन्सी के बारे में आर्टीकिल 335 की बात कही जाती है कि शेडयूल्ड कास्ट्स के लोगों के रिक्रूटमेंट से वर्क की एफीशियेन्सी में कमी आ जाती है लेकिन मैं कहता हूं कि संविधान में जिस समय यह बात रखी गई थी, तो एक पाक इरादे से रखी गई थी लेकिन उस इरादे को आज लोगों ने नापाक कर दिया है। मैं पूछना चाहता हूं कि डा० अम्बेडकर जब कांस्टीटुयैन्ट एसेम्बली के चेयरमैन बनाए गये थे, तो वर्क में कौन सी इनएफीशियेन्सी आ गई थी और बाबू जगजीवनराम जी जिस भी महकमे में गये, वहां उनको फार्चूनेट मिनिस्टर कहा जाता था और उनको एक फार्चूनेट मिनिस्टर के रूप में प्रसिद्धि मिली। उनके मिनिस्टर रहने से कौन से काम में इनएफीशियेन्सी आ गई थी और इस सदन में

भी आप देखें। हमारे राम विलास पासवान जी हैं, जगपाल सिंह जी हैं और श्री सूरज भान हैं और चाहे इधर के सदस्य हों और चाहे उधर के सदस्य हों, जो आरक्षित सीटों पर लड़ कर आए हैं, उनसे क्या पार्लियामेंट के काम में कोई इनएफीशियेन्सी आई है।

मैं आपको बता देना चाहता हूं कि तेनसिंह का एवरेस्ट की चोटी पर सबसे पहला कदम पड़ा और वह आदिवासी था। 1965 में पाकिस्तान के 6 अमरीकी बोम्बर जैट्स को जिसने मार गिराया था, वह करन सिंह राजू था और वह शेडयूल्ड कास्ट का था। जब आप इनएफीशियेन्सी की बात करते हैं, तो मुझे वही बात याद आ जाती है कि सास स्टोर को बन्द करके चली जाती है और बहू से कहती है कि तुम खाना बना लेना। जब स्टोर का दरवाजा खुलेगा, तभी बहू खाना बना सकती है। इसी तरह से मेरा कहना यह है कि आप हमारे लिए दरवाजा तो खोलिए, आप हमारे लिए कानून बनाइए और हम अच्छे ढंग से उसको चला सकते हैं। रूल बनाना कठिन है और रास्ते पर चलना आसान है। मेरा तो कहना यह है कि सरकार शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेडयूल्ड ट्राइब्स के कोटे को पूरा ही नहीं करना चाहती है। आप सेन्ट्रल गवर्नमेंट के किसी भी विभाग का नाम बता दीजिए, जिसमें शेड्यूल्ड ट्राइब्स का पूरा कोटा भरा गया हो। आप बीस सूत्री कार्यक्रम की बात करते हैं और इसके लिए बड़ा हंगामा मचाते हैं। आप यही बता दीजिए कि बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत हिन्दुस्तान में किसी भी शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब्स के आदमी को भर्ती किया गया हो और उसको रिजर्वेशन का फायदा पहुंचा है। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि इस आरक्षण को भरने के लिए, जिन लोगों ने संविधान की अवहेलना की है और शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के कोटे को नहीं भरा है, आप बता सकते हैं कि इन 37 सालों में आपने किसी भी अधिकारी को दंडित किया हो या सिम्पिल वार्निंग दी हो। इसलिए मेरा कहना यह है कि जिन लोगों ने ऐसा नहीं किया है, उनको आप दंड दीजिए। 37 वर्षों के बाद शेड्यूल्ड कास्ट्स का कोटा कितना भरा जाना चाहिए, किस कैटेगिरी में भरा जाना चाहिए था और कितना अभी तक नहीं भरा गया है और क्यों नहीं भरा गया है और कौन इसके लिए जिम्मेवार है और कितने लोगों को दंडित किया गया है, इसके बारे में एक व्हाइट पेपर निकालिए। डा० अम्बेडकर ने इस हालत से दु:खी होकर अपने अन्तिम समय में कहा था कि इस संविधान को मैंने मन्दिर के लिए बनाया था लेकिन यह संविधान मन्दिर में न पहुंच कर शैतान के हाथों में पहुंच गया है। इसलिए आरक्षण के हितों की रक्षा नहीं हो पा रही है।

अन्त में मैं सूरज भान जी को बधाई देता हूं कि वे एक ऐसा विधेयक लाए क्योंकि सरकार ऐसे बिल को लाने में नाकामयाब रही है।

लेकिन आपने इस बिल को पेश करके सोती हुई सरकार को जगाने का काम किया है। मेरा निवेदन है कि गांधी के बन्दर न बनो। आंखें, कान और मुंह बन्द मत करो। हालत को देखो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री जेवियर अराकल (अर्णाकुलम) : श्री सभापति महोदय, इस देश में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति तथा पिछड़े समुदायों के लिए नौकरी आरक्षण की विधा के इतिहास में काफी उतार-चढ़ाव आता रहा है।

हमारी धरती जातियों और वर्गों की धरती है। इस संदर्भ में हमें यह जांच करनी होगी कि इन समुदायों के साथ कितना न्याय किया जाता है, क्योंकि हमारे देश में लगभग 85 प्रतिशत जनता अनु-

सूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े समुदायों की है।

महोदय, यदि आप भारतीय समाज के इस मुख्य अंग के इतिहास को परखें तो आप देखेंगे कि वर्ष 1873 में महाराष्ट्र में अनुसूचित जातियों एवम् अनुसूचित जन जातियों तथा पिछड़े समुदायों के लिए नौकरी आरक्षण हेतु संघर्ष हुआ था।

यदि आप 1873 के बाद के इतिहास का विश्लेषण करें तो आप पाएंगे कि वर्ष 1880 में मैसूर राज्य में मैसूर के महाराज ने नौकरियों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े समुदायों के लिए 75 प्रतिशत आरक्षण का आदेश दिया था। यदि आप तत्कालीन मद्रास राज्य के इतिहास को देखें तो तब भी आप देखेंगे कि वर्ष 1960 में श्री० पी० टी० चेत्तियार और डा० टी०एम० नायर ने इन समुदायों को न्याय दिलाने के लिए जन आन्दोलन एक बहुत ही व्यापक आन्दोलन की शुरूआत की। इसके फलस्वरूप एक 'जस्टिस' पार्टी की रचना हुई, जो वर्ष 1920 में सत्ता में आ गई। जब यह पार्टी सत्ता में आ गई तो उसने भारतीय जनता के इस मुख्य भाग के लिए नौकरी आरक्षण हेतु विभिन्न आदेश जारी किए।

किन्तु वे आदेश कार्यान्वित नहीं किये जा सके क्योंकि ऊँची जाति के हिन्दुओं ने इनका कड़ा विरोध किया और आपत्ति उठाई। पर वर्ष 1920 में वस्तुतः ई० वी० आर० ने इस आन्दोलन में जान डाल दी

यदि आप नौकरी-आरक्षण के मामले में उत्तर और दक्षिण के इतिहास की तुलना करें तो आप पाएंगे कि उत्तर में व्याप्त स्थिति के मुकाबले, कमजोर वर्गों के लिए नौकरी आरक्षण के मामले में दक्षिण काफी आगे रहा है।

कुछ लेखों को पढ़ने के पश्चात् मुझे पता चला है कि जब तक डा० राम मनोहर लोहिया ने हमारे समाज के इस वर्ग को कुछ राहत पहुंचाने के लिए गंभीर प्रयास आरम्भ नहीं किए थे तब तक, उत्तर में, वास्तव में, स्थिति बहुत ही खराब रही। फिर भी सफल नहीं हो सके। बिहार, उत्तर-प्रदेश, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों ने इस क्षेत्र में कुछ खास नहीं किया है। ऐसा क्यों हुआ है ? दक्षिण में बहुत कुछ हुआ किन्तु उत्तर में कुछ अधिक नहीं हुआ। वास्तव में इस बात की जांच की जानी चाहिए।

महोदय, अब यदि आप घटनाओं को फिर से स्मरण करें तो आप पाएंगे कि दक्षिण को ईसाई मिशनरियों की समर्पित सेवाओं के कारण काफी पहले शिक्षा प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।

इसलिए वहां एक सामाजिक चेतना आई और एक भावना जागी कि वहां अधिकांश जनता अर्थात् अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़े समुदायों के साथ अन्याय हो रहा है।

यदि आप केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र जैसे राज्यों पर ध्यान दें तो आप देखेंगे कि वहां इन वर्गों के लिए नौकरी आरक्षण के क्षेत्र में बेहतर कार्य हुआ है।

महोदय, हमारा संविधान भेद-भाव को समाप्त करने और जनता को न्याय, स्वतन्त्रता,

समानता और भाईचारा देने के मूल उद्देश्य से बनाया गया था। इस संदर्भ में यदि आप संविधान के अनुच्छेद 15, 16, 388, 340, 341 और 342 तथा इसके बाद संविधान की अनुसूचियां पांच और छः उठाकर देखें तो आपको पता लगेगा कि जनता के विभिन्न वर्गों अर्थात् अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए नौकरियों में आरक्षण करने हेतु संविधान ने बहुत ही व्यवहारिक ढंग से राज्य सरकारों पर केन्द्र सरकार पर तथा अन्य प्राधिकरणों पर जोर डाला है। परन्तु आज विवाद का प्रश्न तो यह है कि इसे किस हद तक कार्यान्वित किया गया है। जनता के इस लाभ के लिए नौकरी आरक्षण किस हद तक किया जा सकता है? यदि आप स्मरण करें, स्वतन्त्रता आन्दोलन के दौरान, और स्वतन्त्रता आन्दोलन के बाद भी, जनता का यह वर्ग, और उनके नेता भी, उनके लिए न्याय की मांग करते आए हैं क्योंकि प्रजातन्त्र की मूल भावना का अर्थ यह है कि देश के प्रशासन में अर्थात् सरकार में सबको बराबर का हिस्सा अथवा भूमिका मिले। प्रजातन्त्र का अर्थ केवल यह नहीं कि केवल रुपये पैसे का ही लाभ हो। यह भी सच है कि उन्हें रुपए पैसे का बराबर का लाभ मिलना चाहिए किन्तु सबसे पहले वे सरकार के लिए देश के आर्थिक कार्यकलापों में भाग लेने के लिए अपने आपको शामिल करना चाहते हैं। इस संदर्भ में, मैं यह बता दूं कि हम अभी तक लक्ष्य के पास नहीं पहुंचे हैं।

मेरे माननीय मित्रों ने यहां विभिन्न वर्गों के लोगों को दी गई नौकरियों के बहुत ही मामूली प्रतिशत के बारे में उल्लेख किया है। मैं इस बात की गहराई में नहीं जाना चाहता। किन्तु यह प्रश्न रह जाता है कि हमारी जो गति है, इसके साथ हम कहां तक जा सकते हैं?

वे कब्र तक प्रतीक्षा करेंगे? यह एक गंभीर प्रश्न है जिस पर हमें, वर्तमान् परिस्थितियों में, विचार करना होगा। अब, देश के कुछ भागों में क्या हो रहा है? यह देश के पतन के चिह्न हैं, और कुछ भी नहीं। यदि बहुसंख्यक लोगों को न्याय नहीं दिया जाता, यदि बहुसंख्यक लोग सरकार के प्रशासन में भाग नहीं ले सकते हैं, यदि बहुसंख्यक लोगों को सरकार से कोई लाभ नहीं मिलता है तो इन लोगों के लिए कितने भी कानून बनाए जाएं, उनका कोई अर्थ नहीं होगा। इस लिए मैं महसूस करता हूं कि इस संदर्भ में इस बिल की, वास्तव में, बहुत-बहुत महत्ता है।

महोदय, इस सम्बन्ध में मेरे दो बुनयादी सुझाव हैं। एक सुझाव तो सामान्य शिक्षा का है जो आम लोगों में चेतना जागृत करने के लिए उन लोगों की प्राथमिक आवश्यकता है। जैसा कि मैंने पहले कहा है, दक्षिण भारत शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे है। अब, इस सम्बन्ध में मैं एक प्रासंगिक प्रश्न पूछना चाहता हूं। राज्य सरकारें शिक्षा के मामले में कब तक अपना राजस्व खर्च करती रहेंगी। उदाहरण के लिए केरल सरकार अपने राजस्व का लगभग 47 प्रतिशत केवल शिक्षा पर खर्च कर रही है। क्या किसी अन्य सरकार ने शिक्षा पर इतना खर्च करने का निश्चय किया है? कब तक वे इतना खर्च कर सकते हैं? यह एक क्षेत्र है जहां केन्द्र सरकार को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों की शिक्षा के लिए पर्याप्त सहायता द्वारा बहुत कुछ करना चाहिए। यदि आप इस क्षेत्र में प्रयत्न करते हैं तो हम बहुत सुधार कर सकते हैं, विशेषकर कमजोर वर्गों की हालत का।

अन्य महत्वपूर्ण बात जिसकी हमें जांच करनी होगी, वह है जनता के कमजोर वर्गों की आर्थिक मुक्ति। मैं जानता हूं कि इस वर्ग के उत्थान के लिए विभिन्न योजनाएं हैं। परन्तु इनमें से कई योजनाएं राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जा रही हैं। हमें पूछना यह है; क्या हमारे पास कोई निगरानी

व्यवस्था है जो यह देख सके कि जनता के इस वर्ग के लाभ के लिए आर्थिक योजनाएं, कहां तक, गंभीरतापूर्वक कार्यान्वित की जा रही है ? लाभ प्राप्त करने वाले कौन हैं ? अत: शिक्षा की बात से जुड़ा हुआ प्रश्न है अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा पिछड़े समुदायों की आर्थिक मुक्ति की आवश्यकता। इस संदर्भ में 20-सूत्री कार्यक्रम महत्वपूर्ण योगदान देगा। इन 20 सूत्रों में से 18 सूत्र राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित किये जाएंगे। यदि इन सूत्रों को गंभीरतापूर्वक कार्यान्वित किया गया तो इस वर्ग को बहुत लाभ पहुंचेगा और इसके साथ-साथ हमें अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों की संस्कृति एवं परम्पराओं को भी बनाए रखने का प्रयत्न करना चाहिए। इस समय, विभिन्न कारणों से इसका तेजी से क्षय हो रहा है किन्तु हमारा देश महान् है हमारी संस्कृति महान् है और हमें इन लोगों की सांस्कृतिक परम्पराओं को बनाए रखना चाहिए।

इसके साथ-साथ, हमें उचित कार्य प्रशिक्षण देना चाहिए और किसी एक क्षेत्र पर ध्यान देने की बजाए हमें नौकरियां बराबर-बराबर बांटनी चाहिएं। मेरे विचार से यदि हम ऐसा करें तो अपने विधेयक में मेरे मित्र ने जो बातें कही हैं उनमें से कई प्रभावशाली रूप से कार्यान्वित की जा सकती हैं। उन्होंने केवल अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के लिए पदों तथा सेवाओं में रिक्तियों के आरक्षण के बारे में उल्लेख किया है। पिछड़े वर्गों का क्या होगा ? मेरा अनुरोध यह है कि विधेयक की मूल भावना को समझना चाहिए और मैं आशा करता हूं कि सरकार इन तीन वर्गों, अर्थात् अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और पिछड़े समुदायों के लिए नौकरियों का उचित आरक्षण करने के लिए और ठोस कदम उठाएगी।

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक की भावना का समर्थन करता हूं।

श्री जगपाल सिंह (हरिद्वार) : सभापति जी सबसे पहले मैं माननीय श्री सूरज भान जी को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने इतना महत्वपूर्ण बिल इस सदन में प्रस्तुत किया है और जिसका सम्बन्ध इस मुल्क की लगभग एक चौथाई आबादी से है। माननीय मंत्री जी यहां पर बैठे हुए हैं, मैं उनके ध्यान में लाना चाहूंगा कि यदि सरकार ने इस बिल को पास करने की कोशिश नहीं की तो इस मुल्क में इसकी रिपरकशन बड़ी भयानक होगीं। क्योंकि संविधान को बनाने वाले स्वर्गीय बाबा साहेब डा० अम्बेडकर ने इस मुल्क की एकता के लिए जो बलिदान दिया था, माननीय मंत्री जी को भी मालूम है कि इस देश में मेहनतकश लोग रहते हैं और बाबा साहेब डा० अम्बेडकर ने इस मुल्क की इस देश में मेहनतकश लोग रहते हैं और बाबा साहेब डा० अम्बेडकर के सतत संघर्ष के बाद अंग्रेजी ने यहां कम्यूनल एवार्ड घोषित किया था, उस कम्यूनल एवार्ड का मकसद यही था कि इस मुल्क में जो लोग हजारों-हजारों साल से दबे-पिसे चले आ रहे हैं उनको भी कुछ संविधान के अंदर अधिकार दिए जाएं हमारे संविधान में उनका प्रावधान हो और रिजर्व्ड सीट से चुनकर आने वाले लोगों को सिर्फ हिन्दुस्तान के शैडयूल्ड कास्टस और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग ही चुनें। गांधी जी के जीवन को बचाने के लिए डा० अम्बेडकर ने जो बलिदान दिया, वह स्मरणीय घटना है। यदि उन्होंने वह बलिदान न किया होता तो जहां एक ओर पाकिस्तान हमारे मुल्क में बना, दूसरी ओर अछूतिस्तान की बुनियाद भी पड़ चुकी थी। परन्तु उन्होंने बड़ी समझदारी से काम लिया। लेकिन अफसोस है कि संविधान बनने के बाद, जिस पार्टी की भी सरकार इस देश में रही, उन सरकार में बैठने वाले लोगों के दिमाग में इस मुल्क की एक-चौथाई जनता को उन्नत करने की आज तक कोई मंशा या इरादा नहीं है। इसलिए मैं शुरू में ही कहना चाहता हूं, मैं जानता हूं कि आप माननीय

सूरज भान के इस बिल को पास नहीं करेंगे। तो आप ही ऐसा बिल ले आयें। आज सर्विसेज में इनके साथ क्या हो रहा है इसको अछूत वर्ग के लोग अच्छी तरह से समझते हैं। चाहे अपोंइन्टमेंट हो, प्रोमोशन हो सब जगह उनके साथ अन्याय किया जाता है। हम लोग शेड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स कमेटी के सदस्य रहे हैं, उस नाते देश के हर संस्थान में देखा है, इनके साथ न्याय करने के लिए कोई अधिकारी तैयार नहीं है। इसलिए माननीय सदस्य के बिल को पास करके एक्ट बनाना जरूरी है। एस० सी० टी० सी० ने डिमान्ड किया था कि ओ० एन० जी० सी० बोर्ड की तरह इस कमेटी को भी पावर होनी चाहिए ताकि अगर किसी विभाग के अन्दर रिजर्वेशन पूरा नहीं हुआ है तो उस विभाग के अधिकारी के खिलाफ यह कमेटी ऐक्शन ले सके। इस बिल में 15 दिन की सजा का प्रावधान है। मैं नमझता हूं कि जो अधिकारी इस देश की एक बटे चार पोपुलेशन को जानवरों की तरह रखना चाहता है ऐसे अधिकारियों के खिलाफ 15 दिन की सजा कम है। लेकिन चूंकि माननीय सूरज भान का कहना है कि कंडक्ट रुल्स के मुताबिक अगर किसी अधिकारी को एक दिन भी सजा हो जाय तो वह सर्विस में नहीं रह सकता, इसलिए मैं इस प्रोवीजन से सहमत हूं। ऐसे लोगों को तो अवश्य ही जेल भेजा जाय।

ऐंटी रिजर्वेशन मूवमेंट देश में चला और शेड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्स लोगों का देश की नौकरियों में क्या परसेंटेज है? हायर सर्विसेज में 2, 3 परसेंट से ज्यादा लोग नहीं है। चौथी लोक सभा में श्री पेरुमल कमेटी की संस्तुति थी कि एक ऐक्ट बनना चाहिए जिसमें रिजर्वेशन की गारन्टी हो, और जो इमप्लीमेंट न करे उसको सजा दी जानी चाहिए। शेड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स कमिश्नर की 26 वीं रिपोर्ट सरकार के पास है उन्होंने कहा है कि ऐसा ऐक्ट इमप्लीमेंटेशन रिजर्वेशन का करने के लिए बनना चाहिए। लेकिन अभी तक नहीं बना। हमारी पार्लियामेंटरी कमेटी की रिपोर्ट में सिफारिश है कि रिजर्वेशन को पूरा करने के लिए कानून बनना चाहिए। 3 प्रदेशों की सरकारों ने ऐसा बना रखा है—उड़ीसा, मणिपुर और वेस्ट बंगाल। जो सरकारें केन्द्र के अधीन चल रही हैं वह कानून बना सकती हैं। लेकिन नहीं। मन्त्री जी खुद इस जाति से सम्बन्धित हैं आप ही ऐसा काम्प्रिहैसिव बिल लायें ताकि आने वाले समय में शेड्यूल्ड कास्ट्स की सर्विसेज में सुरक्षा हो।

मैं नाम नहीं लेना चाहता, जो गवर्नर संविधान के खिलाफ भाषण देता हो, वह चाहे गवर्नर संविधान के खिलाफ भाषण देता हो, वह चाहे गवर्नर हो या मन्त्री हो, ऐसा प्रावधान होना चाहिए कि ऐसे आदमी को हथकड़ी लगाकर के तुरन्त जेल भेजा जाए। लेकिन सरकार इस मामले में चुपचाप बैठी देखती रहती है।

आर्टिकिल 335 पर जब डिबेट चल रही थी डा० अम्बेडकर ने खुद कहा था कि रिजर्वेशन सिर्फ सर्विसेज में नहीं, पोस्ट में होना चाहिए। और मन्त्री जी यहां बैठे हुए हैं हमने शेड्यूल्ड कास्ट्स और टाइब्स कमेटी के सामने एक मिलिटरी अफसर को तलब किया वह यह कहकर चला जाय कि रिजर्वेशन देकर इस मुल्क की एकता को खतरा हो सकता है औ हम कुछ नहीं कर सकें, कितने अफसोस की बात है। उस वक्त हमें पावर नहीं थी। अगर हमें पावर होती तो उस अधिकारी के खिलाफ हम उसी वक्त एक्शन ले सकते थे। लेकिन पार्लियामेंटरी कमेटी के सामने अफसर रेफ्यूज करके चला जाए...रेफ्यूज करके चला जाये। अगर हायर सर्विसेज में हिन्दुस्तान में आदिवासियों को पोस्ट देंगे तो मुल्क को खतरा होगा? खतरा इससे नहीं है। अगर आपने एक-चौथाई पापूलेशन को बराबर का इंसानियत का दर्जा नहीं दिया तो यह मुल्क आज नहीं तो कल टूट जायेगा। खालिस्तान की मांग करने वाले लोग इस मुल्क को तोड़ें

या न तोड़ें लेकिन एक-चौथाई पापूलेशन जानवरों की तरह पैदा होगी और जानवरों की तरह मर जायेगी तो इस मुल्क को खतरा उससे हो सकता है।

आर्टिकल 335 के बारे में सुप्रीम कोर्ट के जजमैंट में सुप्रीम जस्टिस सुब्बा राव और जस्टिस कृष्णा अय्यर ने बाकायदा फैसला दिया था ओर कांस्टीट्यूशन के आर्टिकल के अगेन्स्ट जो ये लोग गए हैं, आर्टिकल 335 में "कंपीटेन्सी सब्जैक्ट टू मेन्टेनिंग एफीशियेन्सी" इसके खिलाफ जजमैंट है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि कांस्टीट्यूशन के इस आर्टिकल में से ये शब्द में से ये शब्द हटाए जाएं। कंपीटेंसी और एफीशियेंसी मेन्टेन करने के नाम पर अगर शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के साथ इस मुल्क में ज्यादती होगी तो इस मुल्क का संविधान भी ज्यादा दिन नहीं बच सकता।

रिजर्वेशन के बारे में कांस्टी ट्यूशनली इस पार्लियामेंट को पावर है, पार्लियमैंट सौवरन है। कांस्टीटयूशन के आर्टिकल 246 के 17वें शिड्यूल के अनुसार हमारी पार्लियामैंट बिल्कुल कम्पीटैंट है कि ऐसा बिल लेकर आये और ऐसा कानून बनाए कि शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों को सर्विसेज में अपमान का सामना न करना पड़े। मैं आंकड़े नहीं देना चाहता, लेकिन हमारी शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज कमेटी की रिपोर्ट है जो पार्लियामैंट को दी गई है। उसने रिकमैंड किया है कि ऐसा एक्ट बनना चाहिए जिसमें पावर हो हिन्दुस्तान की इन हायर कम्युनिटी के अफसरों के खिलाफ एक्शन लेने की।

मिलेट्री में बाबा साहेब डा० अम्बेडकर के जमाने में महार और चमार रैजीमैंट थी। मैं मांग करता हूं कि इस मुल्क में जाति के नाम पर रेजीमैंट नहीं रहनी चाहिएं। चाहे वह सिख हो, जाट हो, डोगरा हो, हमारे मुल्क में बिरादरी और धर्म के नाम पर अगर रेजीमैंट बनें तो मैं उसका विरोध करता हूं लेकिन अगर सरकार जातियों के नाम से रेजीमेंट रखना चाहती है तो जो रेजीमैंट महार और चमार खोले गए थे, जिनकों खत्म कर दिया गया था, मेरा निवेदन है कि सरकार उनको दोबारा खोले ताकि मिलेट्री में हमारे लोग जाएं, हथियार चलाना सीखें, घरों पर आने पर अपने घरों की सुरक्षा करें। रिटायर होने के बाद उनमें हौसला होगा और जो हरिजनों पर एट्रोसिटीज, दमन, कत्ल और जिन्दा जलाने की घटनाएं होती हैं, वह खुद उनका मुकाबला करें।

इसलिए मैं इस बिल का समर्थन करता हूं, माननीय सूरजभान जी ने जो हिम्मत की है, ऐसा बिल लाने की मैं उनका समर्थन करता हूं और उमीद करता हूं कि सरकार इस बिल को पास करेगी।

श्री राम प्यारे पनिका (राबर्टस गंज) : सभापति महोदय, मैं इस बिल पर जब से बहस शुरू हुई है, तब से माननीय सदस्यों के विचारों को सुना रहा है। मैंने इस बिल को लाने वाले माननीय श्री सूरजभान जी को भी सुना है। इसलिए बहुत आंकड़ों में न जाकर मैं कुछ बुनियादी बातों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

कुछ कहने के पहले मैं माननीय सूरजभान जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि वह इस बिल को लाए और हम लोगों को ऐसे विषय पर बहस करने का मौका दिया। आज देश में काफी संख्या में ऐसे लोग हैं। हमारे भाई श्री जगपालसिंह जी ने 25 प्रतिशत कहा हैं। मैं इसमें उनको भी शामिल करता हूं जो माइनोरिटी में हैं और अत्यन्त पिछड़े वर्ग के हैं। सब को मिलाया जाए तो इनकी संख्या 50 प्रतिशत से ज्यादा हो जाती है। क्योंकि मुख्यत: शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज पर ज्यादा ध्यान है, इसलिए इनकी बात भी किसी हद तक सही है।

यह सही है कि पिछले 37 वर्षों में रिजर्वेशन को पूरा करने के लिए कई प्रयास हुए हैं और इस सम्बन्ध में जो कमियां तथा खामियां है, उनकी जांच करने के लिए केन्द्रीय सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा बहुत सी समितियां भी बनाई गई हैं। शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के कमीशनों की रिपोर्ट भी जाती रही है। लेकिन दुख है कि अभी हम सर्विसिज की किसी भी कैटेगरी में निर्धारित 18 प्रतिशत और 7-1/2 प्रतिशत रिजर्वेशन पूरा नहीं कर सके हैं। केन्द्रीय विभागों और विभिन्न राज्य सरकारों ने इस सम्बन्ध में उपेक्षापूर्ण रवैया अपनाया है।

आज हमारे लिए सब से बड़ी समस्या यह हो गई है कि एक तरफ दूसरे वर्षों के लोगों में यह भावना फैलाई जा रही है कि हरिजनों और आदिवासियों को सब सुविधाएं दी जा रही हैं और दूसरी तरफ रिजर्वेशन के प्रावधानों को पूरा नहीं किया जा रहा है। हम ईर्ष्या-द्वेष के भाजन बन रहे हैं। ट्रेन, बस और होटल में कई लोग कहते हैं कि सारी सुविधाएं शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज वाले ले जा रहे हैं। लेकिन जो हकीकत है, वह आपने आंकड़ों से देख ली है। अभी हम बहुत पीछे हैं। दो साल पहले गुजरात में क्या हुआ ? एडमिशन को लेकर मामला उठा और कितना खून-खराबा हुआ।

श्री डागा ने कहा है कि मिनिमय क्वालिफिकेशन रखनी चाहिए। इसमें कौन डिफर करता है ? लेकिन क्या वह भूल गए हैं कि इस देश में इंजीनियरिंग और मेडिकल कालेजों में डोनेशन्ज से भी एडमिशन होते हैं ? उसमें छात्रों के मार्क्स नहीं देखे जाते। लेकिन जब शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज का मामला आता है, तो माननीय सदस्य कहते है कि उनके लिए कम्पीट करना बहुत जरूरी है। मैं उसे भी मानता हूं, परन्तु यह तब होना चाहिए, जब सब के लिए समान शिक्षा की व्यवस्था हो जाए। क्या आप अपेक्षा कर सकते हैं कि दूर-दराज रहने वाले हरिजन और आदिवासी, जो ऐसे स्कूलों में पढ़े हैं, जिनका स्तर बहुत निम्न है, उन लोगों के सामने प्रतियोगिता में टिक सकेंगे, जो पब्लिक स्कूल या कनवेन्ट में पढ़े हैं ? क्या आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से सक्षम लोगों से की तुलना उन लोगों से की जा सकती है, जो सदियों से दलित, पीड़ित और शोषित रहे हैं ?

हमने संविधान में समता का अधिकार दिया है। लेकिन जब तक उस अधिकार को प्राप्त करने का साधन समान न हो जाए, तब तक रिजर्वेशन की व्यवस्था को जारी रखना पड़ेगा।

अभी माननीय सदस्य ने कहा कि इस सम्बन्ध में कुछ सांविधानिक कदम उठाने चाहिए। केवल कानून बना देने से काम नहीं चलेगा। डा० अम्बेडकर ने संविधान बना दिया। आज आवश्यकता इस बात की है कि समाज की नीयत और सोचने के तरीके में परिवर्तन लाया जाए। देश में बहुत से कानून हैं, जिनका पालन नहीं हो रहा है। इस बारे में बड़े कदम उठाने होंगे।

माननीय सदस्य ने इस बिल में जो दंड देने की व्यवस्था की है, वह कम है, शायद इसलिए कि कहीं ज्यादा कड़ा दंड रखने से लोगों की भावनाएं और न भड़क उठें और हमारा जीना भी दूभर हो जाए। एडमिनिस्ट्रेटिव आर्डर्ज के द्वारा कड़ाई की जा सकती है। विभिन्न विभागों द्वारा ऐसे जी ओज जारी किए गए हैं, जिनमें कहा गया है कि जो अधिकारी शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के रिजर्वेशन को पूरा नहीं करेगा, उसको दंडित किया जाएगा, उसकी चरित्र-पंजिका में एन्ट्री की जाएगी। हमें सारे हिन्दुस्तान का दौरा करने और विभिन्न विभागों की जांच-पड़ताल करने का अवसर मिला है। हमने कहीं यह नहीं पाया कि किसी भी अधिकारी की चरित्र-मंजिका में एन्ट्री की गई हो कि उसने

रिजर्वेशन पूरा नहीं किया है। मन्त्री महोदय को इस स्थिति में कड़े कदम उठाने होंगे। रिजर्वेशन को अनिश्चित काल तक जारी नहीं रखा जा सकता। सरकार इस बारे में टाइम-बाउंड प्रोग्राम बनाए और रितर्वेशन को पूरा न करने वाले अधिकारियों के लिए दंड की व्यवस्था करें।

जहां तक प्रमोशन में रिजर्वेशन की बात है उसके सम्बन्ध में भी मैं एक बात कहना चाहूंगा। तीन साल तक तो इनके करैक्टर रोल ठीक रहते हैं लेकिन ई बी क्रास कर लेने के बाद उनके करैक्टर रोल में लिख दिया जाता है "अनसेटिसफैक्टरी।" अभी बाम्बे में एक रेलवे कर्मचारी था जोकि बहुत अच्छा काम कर रहा था, 4-5 साल तक उसका करैक्टर रोल बहुत अच्छा था लेकिन उसके बाद प्रमोशन के टाईम पर उसके करैक्टर रोल में लिख दिया गया कि उसका वर्क सेटिसफैक्टरी नहीं है और उसकी बिना पर उसका प्रमोशन रोक दिया गया। श्रम मन्त्री ने भी एक बार यह कहा था कि प्रमोशन के लिए स्टीयरिंग कमेटी का निर्माण होना चाहिए ताकि इस तरह से उनके करैक्टर रोल खराब करके प्रमोशन रोके जा सके।

इनकी आर्थिक उन्नति कैसे की जाए—इस सम्बन्ध में भी मैं कुछ निवेदन कर देना चाहता हूं। आज सेन्ट्रल गवर्नमेंट की ओर से इनके उत्थान के लिए जो विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं—आई० आर० डी० पी०, एन० आर० ई० पी०, स्पेशल कांम्पोनेन्ट प्लान, सब ट्राइबल प्लान वगैरह—उनकी मानिटरिंग होम मिनिस्ट्री की तरह से नहीं की जा रही है। मैं इस बात को मानता हूं कि इन कार्यक्रमों के लक्ष्य पूरे करने में कांपिटीशन राज्यों में चल रहे हैं लेकिन जो हम वास्तव में उन लोगों तक सुविधाएं पहुंचाना चाहते है वह उन तक नहीं पहुंच पा रही हैं। इस साल इन कार्यक्रमों का बड़ा अच्छा टैम्पो बना है लेकिन इनकी सफलता के लिए यह आवश्यक है कि इनकी मानिटरिंग यहां होम मिनिस्ट्री की ओर से की जाए। हम यह भी चाहते है कि शेड्यूल्ड ट्राइब्ज के लिए एक अलग से फुलफ्लेल्ड मन्त्रालय की स्थापना की जाए।

इसी के साथ-साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि कई वर्षों से शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्ज की लिस्ट को संशोधित करने का प्रश्न चल रहा है। 15 सालों से केन्द्रीय सरकार राज्यों से रिपोर्ट मंगवा रही है लेकिन अभी भी 6 राज्यों ने रिपोर्ट नहीं भेजी हैं। मैं समझता हूं केन्द्र को ताकत अपने हाथ में लेनी चाहिए और इस तरह से राज्यों के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। अगर उत्तर प्रदेश से लिस्ट आ गई है और कोई झगड़ा नहीं है तो उसको मान लेना चाहिए। इसके अलावा विरोधी दल के लोग जो राजनीतिक प्रश्न उठाते हैं, जैसे मण्डल कमीशन की बात है तो उसकी भी जिन संस्तुतियों को माना जा सकता है, उनको मान लिया जाना चाहिए। दक्षिण भारत तथा अन्य कई राज्यों में भी इस के आधार पर रिजर्वेशन मिल रहा है तो सारे देश के स्तर पर भी इसको मान लेने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।

इसी प्रकार हमारे देश में प्राइवेट सेक्टर में जो औद्योगिक प्रतिष्ठान हैं, जिनमें हमारे देश की वित्तीय संस्थाओं, बैंकों का 30 हजार करोड़ रुपया लगा हुआ है वह अभी कोई रिजर्वेशन नहीं दे रहे हैं। मैं कहता हूं कि कम से कम जिन निजी उद्योगों में लोन या अनुदान दिया गया हो, हमारी वित्तीय संस्थाओं की ओर से वहां पर सरकारी विभागों की तरह से आरक्षण लागू करने के लिये दबाव डाला जाना चाहिए।

जहां तक इस बिल का सम्बन्ध है, इसकी कुछ धाराओं से तो मैं सहमत नहीं हूं लेकिन अगर यह उड़ीसा में हो गया है, बंगाल में हो गया है तो यहां पर भी कोई न कोई व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिससे कि समयबद्ध रिजर्वेशन पूरी कराने के लिए आपको पावर मिल सके वरना आप जानते ही है आज यह प्रम्न बड़ा संवेदनशील होता जा रहा है और आज राष्ट्रीय एकता की दृष्टि से भी इस बात की आवश्यकता है कि 70 करोड़ लोगों में जिसको जिस प्रकार की दवा की आवश्यकता हो वह दवा उसको दी जाए ताकि सभी समान रूप से इस देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे सकें। इन पिछड़े हुए लोगों को ऊपर उठाने के लिए आपको अधिक करना पड़ेगा। जैसे कि परिवार में जब एक आदमी बीमार पड़ जाता है, तो उसको अच्छी दवायें और टोनिक दिए जाते हैं, ठीक इसी प्रकार आपको इनको टोनिक देना पड़ेगा। यह उस का प्रजातान्त्रिक हक है।

इन शब्दों के साथ माननीय सदस्य जिस भावना से बिल लाए हैं, उस ओर मन्त्री महोदय को निश्चित तौर से कदम उठाने पड़ेंगे। उधर के लोग कुछ राजनीति करते हैं, हम राजनीति नहीं करते हैं। राजनीति के लिए तो देश की सबसे बड़ी नेता श्रीमती इंदिरा गांधी हैं, जब रिजर्वेशन समाप्त हो रहा था, तब हमारे देश की नेता द्वारा ही इसको बचाया गया था। जितने राष्ट्रीय कार्यक्रम, चाहे आइ० आर० डी०, एन० आर० पी०, स्पेशल कम्पोनेंट प्लान, सब ट्राइबल प्लान, हैं, ये सब हमने दिए हैं। ये सब गरीब लोगों को ऊपर उठाने के लिए कार्यक्रम हैं। इस बात को उधर के सदस्य भी जानते हैं।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : सभापति महोदय, हमारे साथी पनिका जी ने जो कहा हैं, मैं उनकी भावना का स्वागत करता हूं। लास्ट लाइन का भी स्वागत करता हूं, क्योंकि उसके बगैर तो भाषण पूरा नहीं होता है। उन्होंने जो भावना व्यक्त की है, मुझे खुशी है कि पूरा सदन इस बात से सहमत है।

सभापति महोदय, जब आरक्षण दिया गया था, तो संविधान के मुताबिक इसको दस साल का समय दिया गया था। मैं एक बात सभी सदस्यों से कहना चाहता हूं कि यह आरक्षण किसी पार्टी की देन नहीं है, यह कोई क्लेम नहीं कर सकता है कि जब कांग्रेस पार्टी हकूमत में आई, तब से आरक्षण शुरू हुआ, हिन्दुस्तान जब आजाद हुआ, तब से यह आरक्षण शुरू हुआ। आरक्षण की शुरूआत बहुत पहले से हो गई थी। हां यह ठीक है कि पहले आरक्षण कम था, अब उसको बढ़ाया गया है।···(व्यवधान)··· मैं कह रहा था कि आरक्षण बहुत पहले से हुआ। हमें खुशी है कि आजादी से लोग निकले थे, उनको राष्ट्र से प्रेम था, उन्होंने इस बात को महसूस किया कि हिन्दुस्तान में जो दबे हुए लोग हैं, उनको समाज में प्रतिष्ठा दिलाने का प्रावधान किया गया। यदि आप संविधान के प्रियेमबल को देखेंगे तो उसमें पहला शब्द सोशियल लिखा हुआ है। हम सामाजिक समता के लिए, आर्थिक समता के लिए और राजनीतिक समता के लिए कमिटेड हैं। इसलिए पहला शब्द है, सामाजिक समता का। संविधान के निर्माता इस बात को मानकर चले थे कि यदि नीयत साफ हो तो किसी भी कार्यक्रम को पूर्ण करने के लिए दस साल का समय काफी है। चाहे अम्बेडकर जी हो या कोई भी हो, दस साल का समय दिया गया था। इसके पीछे यह नीयत थी कि दस साल के अन्दर देश में पूर्ण रूप से समानता आ जाएगी। जात-पांत की दीवार टूट जाएगी। सब लोग बराबर स्तर पर आ जायेंगे। उन्हें क्या पता था जैसे-जैसे समय बीतता जाएगा, वैसे-वैसे असमानता और बढ़ती जाएगी, चाहे सामाजिक क्षेत्र में हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र में हो या चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो। पहले एक-दो लोगों की हत्या हुआ करती थी, लेकिन अब गांव के गांव जला दिए जाते हैं, कास्ट के नाम पर। इस होली की बात मैंने उसी दिन कही थी कि एक तरफ लोग रंग की

होली खेल रहे थे और दूसरी तरफ इन लोगों के साथ खून की होली खेली गई। चाहे महाराष्ट्र में हो या दूसरी जगहों पर हों। नतीजा यह हुआ कि हमारी नीयत साफ नहीं है। अगर सरकार की नीयत साफ हो भी, तो जो मशीनरी काम करती है, जिस के द्वारा हम काम करवाते हैं उसकी नीयत साफ नहीं है।

मैंने डागा जी का भाषण सुना। डागा साहब एक बात पर जोर देते हैं और उनकी उस बात में दम हैं। जो आई० ए० एस० का लड़का हो, जो बड़े मिनिस्टिर का लड़का हो, उसको रिजर्वेशन क्यों मिले ? ठीक है, नहीं मिलना चाहिए। लेकिन यह मामला कब उठेगा ? तब उठेगा जब शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स का दोनों को मिलाकर 25 परसेन्ट का कोटा पूरा हो जाएगा। तब आप इकानामिक क्राइटेरिया लागू कीजिए, सब से पहले जो गरीब है उसको मिलेगा, अगर अभी से करेंगे तो जो फूल धीरे-धीरे बढ़ रहा है, वह मुरझा जायगा।

इस देश में दिक्कत यह है कि जब हमारे जैसे लोग बोलते हैं तो कहते हैं कि गुस्से में क्यों बोलते हो। दुनिया के किसी भी देश में ऐसा नहीं है, सिर्फ हिन्दुस्तान में है, यहां गरीब अमीर हो सकता है, अमीर गरीब हो सकता है, लेकिन डागा साहब या रंगा साहब यह चाहें कि वे शेड्यूल्ड कास्ट बन जाए तो यह समाज परमिट नहीं करेगा। अगर कोई शेड्यूल्ड कास्ट यह चाहे कि वह ऊपर कास्ट बन जाए तो वह नहीं हो सकता है। अमीर गरीब हो सकता है, गरीब अमीर हो सकता है, लेकिन एक जाति का आदमी दूसरी जाति में नहीं जा सकता है। लोग धर्म परिवर्तन कर सकते हैं, हिन्दू मुसलमान हो सकता है, हिन्दू बौध हो सकता है, जैन हो सकता है, क्रिश्चियन हो सकता है लेकिन एक जाति का आदमी दूसरी जाति में नहीं जा सकता है। यह इस देश में सब से बड़ी विडम्बना है। हमारे जैसे लोग हमेशा यह मान कर चलते हैं कि आप ऐसी व्यवस्था कर दीजिए कि आप टोटल पोस्ट्स में से 50 परसेन्ट पोस्ट्स "इन्टर कास्ट मैरिज" वालों के लिए रिजर्व कर दीजिए, फिर उसका परिणाम देखिए। यह जाति व्यवस्था घटनी शुरू हो जाएगी। आप बी० ए० क्वालिफिकेशन मांगते हैं आप बी० ए० क्वालिफिकेशन रखिए, दूसरी सभी चीजें रखिए, लेकिन कह दीजिए कि प्राथमिकता उसको देंगे जो इन्टर-कास्ट मैरिज करके आयेगा—यह जाति व्यवस्था टूटने लग जायगी। लेकिन हमारी नीयत साफ नहीं है, हम ऐसा नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जाति व्यवस्था मजबूत होती जाय। नतीजा क्या है—आजादी के बाद, गुजरात में जिग ढंग का आन्दोलन हुआ, वैसा कभी नहीं सुना था। गुजरात में जो वाक्यात हुए ओर जिस ढंग से हुए—वे इसके उदाहरण हैं।

डागा साहब, आप के मध्य प्रदेश में **

उनको वहां संविधान की रक्षा के लिए भेजा गया था, लेकिन उन्होंने खुद संविधान के ऊपर प्रश्नवाचक चिह्न लगा दिया—संविधान में जो आरक्षण दिया गया है, वह गलत है। मैं नहीं समझता हूं कि यह सिर्फ···**···की खोली है, इसके पीछे दूसरों की बोली भी हो सकती है।···**···उनका भी यही हाल है। एक महानुभाव—आई० आई० टी० के डायरेक्टर हैं—···**···। वह कहता है···

श्री मूल चन्द डागा (पाजी) : भगवत दयाल शर्मा को तो आप ने मुकर्रिर किया था।

श्री रामविलास पासवान : जिस समय हम हमने मुकर्रिर किया था, उस समय उसकी इस तरह

**कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

बोलने की हिम्मत नहीं थी। लेकिन आज आपके मुख्य मन्त्री की भी हिम्मत होती है और गवर्नर की भी हिम्मत होती है। मैं आपसे ही एक बात पूछता हूं—आप राजस्थान से आते हैं। राजस्थान में जगन्नाथ पहाड़ियां को क्यों हटा दिया गया ?···(**व्यवधान**)···ऐसे-ऐसे मुख्य मन्त्री आप के यहां है जो कलण्डर में टांगने लायक हैं, शीशे में लगाने लायक हैं।

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बैय्या) : श्री संजीवैया पहले हरिजन मुख्य मन्त्री थे। क्या आप इसके लिए हमारी प्रशंसा नहीं करेंगे ?

श्री रामविलास पासवान : मैं इसके लिए आप को धन्यवाद देता हूं। मैं इस बात को भी मानता हूं—कामराज नाडार सबसे अच्छे मुख्य मन्त्री साबित हुए। कामराज नाडार अब आपकी पार्टी के प्रेसिडेन्ट हुए, चुनाव जीत गए, तो उनको प्रधानमन्त्री बना दिया जाना चाहिए था, लेकिन नहीं बनाया गया। हिन्दुस्तान में इस पद की कुर्सी किस के पास जाती है, वह मुझे मालूम है।

···(**व्यवधान**)···

मैं यह कह रहा था कि जाति व्यवस्था आज भी कितनी जटिल है। मैं जब भागलपुर जेल में था।

सभापति महोदय : एक मिनट सबसे पहले इसके लिए 2 घण्टे का समय दिया गया था। उसके बाद इसे दो घण्टे और बढ़ा दिया गया। अब चार घण्टे समाप्त हो चुके हैं।

कई माननीय सदस्य : इसके लिए दो घण्टे का समय और दिया जाए।

सभापति महोदय : सभा का क्या मत है ?

कई माननीय सदस्य : दो घण्टे और क्योंकि ऐसे बहुत से माननीय सदस्य हैं जो बोलना चाहते हैं।

श्री आर० एन० राकेश : महोदय, यह देश की एक बटा पांच जनता का सवाल है।

सभापति महोदय : तो दो घण्टे समय और बढ़ाया जाता है।

श्री राम विलास पासवान : इस जाति व्यवस्था के तहत चाहे कांग्रेस पार्टी के लोग हों और चाहे जनता पार्टी के लोग हों, मैं इसको पार्टी की बात नहीं बनाना चाहता हूं, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं कि हिन्दुस्तान की जो जाति व्यवस्था है, उसने बहुत खराबी पैदा की है। ऐसी बात नहीं है कि हम अपोजीशन वाले लोग बहुत क्रान्तिकारी हैं और आप जो ट्रेजरी बैंचेज पर हैं, आपके पास में दिल नहीं है। जो लोग इन समुदायों से आते हैं, उनके दिल में इन समुदायों के प्रति दर्द है और इसीलिए जब भी ऐसा मामला आता है, मंडल कमीशन का मामला आता है, तो दोनों पक्ष के लोग अपनी पार्टी के दायरे को तोड़ कर उसका समर्थन करते हैं लेकिन इन्होंने जो कहा है, वह एक सीधा सा सवाल है।

मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि अभी मैंने सरकार से एक सवाल किया था और उस

क्वैश्चन के मुताविक चार साल के अन्दर 1980, 1981, 1982 और 1983 में 24,787 पोस्टें डि-रिजर्व की गई हैं। यह कोई मामूली बात नहीं है। 36 साल की आजादी के बाद 85 हजार पोस्टें डि-रिजर्व की गई हैं इक्लूडिंग क्लास 4 पोस्ट। आप कहते हैं कि क्लास 4 में भी योग्य शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हैं और यदि यही मेन्टीलिटी है, तो हमारे साथियों ने जैसा कहा और मैंने भी उस दिन कहा था कि अंग्रेज भी यही तर्क देते थे। हिन्दुस्तानियों के प्रति कि तुम क्लास 4 के लायक भी नहीं हो। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यह एक बहुत ही गंभीर मामला है और यह पार्टी-पालीटिक्स का मामला नहीं है। इन्होंने एक सीधी सी बात कही है कि एक पीनेल क्लाज लगा दीजिए। 25 हजार पोस्टें डि-रिजर्व की गई और क्या आपने 25 अधिकारियों को भी सेंसर किया है, दंडित किया है। नहीं किया है और इसलिए उनमें कोई भय नहीं है और चाहे वे कांस्टीट्यूशन को तोड़ दें और उसको मरोड़ दें। उम्मीदवारों के रहते हुए भी वे लिख देते हैं।

> "यदि अनुसूचित जाति का उचित उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होगा तो पद को अनारक्षित कर दिया जाएगा।"

इनको यह लिखने का अधिकार है और वे कांस्टीट्यूशन को तोड़ रहे हैं और कांस्टीट्यूशन को जलाने का काम कर रहे हैं और ब्लैम किस पर लगाते हैं। वे अपने पाप का भागीदार हमें बनाते हैं और कहते हैं कि शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के उम्मीदवार योग्य नहीं हैं।

प्रधान मन्त्री जी उस दिन यहां पर बैठी हुई थी और मैंने एक छोटा सा सवाल उस दिन किया था कि 36 साल के बाद भी आप यह नहीं कर सकी हैं कि सिर पर पाखाना उठाने का जो सिस्टम है, उसको खत्म किया जाए। यह भी अभी तक नहीं हो सका है।

श्री मूल चन्द डागा : हेड लोड कम दिया गया है। 80 पर सेन्ट हेड लोड कम हो गया है।

श्री राम विलास पासवान : 80 प्रतिशत-क्यों चल रहा है।

श्री सूरज भान (अम्बाला) : एक प्रतिशत भी नहीं होना चाहिए।

श्री राम विलास पासवान : आजादी के 36 साल के बाद भी, जहां हम स्पेस में जा रहे हैं, अन्तरिक्ष में जा रहे हैं, वहां इतना तक नहीं कर सके हैं और हमारे अभागे नागरिक को आज भी यही करना पड़ रहा है। आज जाति के नाम पर वह पाखाना सिर पर उठाता है। मैं कहता हूं कि हायर कास्ट वाले को कहा जाए कि हम 5 हजार रुपया महीना देंगे और तुम पाखाना सिर पर उठाओ। मैं कहता हूं कि आप जैन धर्म के मानने वाले लोग है, बुद्ध और हिन्दू धर्म को मानने वाले लोग हैं, आप जरा यह बताइए कि किसी धर्म का पुजारी अगर हड़ताल कर दे, मन्दिर, मस्जिद और गुरुद्वारे का पुजारी अगर हड़ताल कर दें दो महीने के लिए और सिर पर पाखाना उठाने वाला 2 महीने हड़ताल कर दे, तो देश को किससे नुकसान होगा। इसलिए मैं मन्त्री महोदय से कहना चाहता हूं कि डिगनिटी आफ लेवर आप रखिये। अब देश आजाद हो चुका है और अब ऐसी बात नहीं है और अब हमको मूर्ख बनाकर ज्यादा दिनों तक नहीं रखा जा सकेगा। हमारे साथियों और हमारे मन में गुस्सा है गुस्सा इसलिए है कि अभी तक वही व्यवस्था प्रीवेल कर रही है। मुल्क का जो नौजवान हमारे यहां पैदा हुआ है, वह देखता है कि आजादी के 36 साल

के बाद भी हमको नहीं रखा जाता है जबकि हमारी ऊंचाई 5 फुट 8 इंच है और हमारी छाती 36 की है।

5.00 म० प०

हम बी० ए० पास हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम एक सिपाही में भरती नहीं हो सकते। मैं आंकड़ों में नहीं जाना चाहता। एक प्रश्न मैंने पूछा था। उसके जवाब में बताया गया है कि कोई मिनिस्ट्री ऐसी नहीं है जिसमें रिजर्वेशन का कोटा पूरा हो गया हो। प्रश्न पूछा था 14 मार्च को उद्योग मन्त्रालय से। क्या उद्योग मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि गैर-सरकारी क्षेत्र में उद्योग स्थापित करने के लिए लायसेंस धारी व्यक्तियों में कुल संख्या क्या है और शेड्यूल कास्ट और ट्राइब्स के कितने लोग हैं। जवाब मिला कि 1761 संख्या है और शेड्यूल कास्ट और ट्राइब्स का कोई विशेष नंबर नहीं है। इसलिए कोई नम्बर नहीं रखा जाता है। कोई रिजर्वेशन नहीं है। क्या आप खाली सरकारी नौकरी में रिजर्वेशन देकर जिम्मेदारी पूरी करना चाहते हैं। सरकारी नौकरी में तो ईमानदारी से काम करने पर मरने के बाद कफन के लिए पैसा भी नहीं होता। यह सिर्फ इसलिए किया जाता है कि समाज में इनके लिए सम्मान पैदा किया जाए। शिक्षा मन्त्रालय से पूछा तो जवाब मिला कि 124 विश्वविद्यालय हैं। और इनमें एक भी कुलपति शेड्यूल कास्ट या ट्राइब्स का नहीं है। पूरी की पूरी लिस्ट मेरे पास है, मैं वेंकटसुब्बैया साहब से आग्रह करना चाहूंगा। ये 44 स्वय सेवी संस्थाएं हैं जिनको शेड्यूल कास्ट और ट्राइब के नाम पर पैसा दिया जाता है; यह एक हरिजन सेवक संघ है, और भी कई हैं। इसको एक-एक महीने में 22 लाख रुपया दिया गया है। ये संस्था क्या काम कर रही है इसके बजाए आप लोगों को एजूकेशन दीजिए, सर्विस जो बैकलाग रह गया है, उसको पूरा कीजिए। एक और प्रश्न के जवाब में मन्त्री महोदय ने बताया कि में 1979 में जो मजदूर थे, अनुसूचित जाति, जनजाति के उनकी संख्या में वृद्धि हुई है और किसानों की संख्या में कमी हुई है।

इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस सदन में बार-बार चर्चा की जाती है। प्रत्येक सेशन में इस पर चर्चा होती है। अगर सरकार की नीयत साफ है तो इस ओर कदम उठाए। उत्तर प्रदेश में देखिए कि कितना हंगामा चल रहा है। स्पीकर जो कि शेड्यूल कास्ट का है उसको पुलिस अधिकारी, कलेक्टर ने बेइज्जत किया है कास्ट के नाम पर। एक एम० एल० ए० राजस्थान का बिहार के स्पीकर के पांव पकड़ता है कि हमारी रक्षा कीजिए। जाति के नाम पर हमको मारा जा रहा है। इसी सदन में चाहे इस पक्ष के चाहे उस पक्ष के, पुलिस ने जिन-जिन को बेइज्जत किया है वे हंडरेड परसेंट शेड्यूल कास्ट या ट्राइब्स के सदस्य हैं। ऐसा क्यों होता है। जाति व्यवस्था यहां पर क्यों घर कर रही है। यहां तो बचपन से बच्चा सुपारियरिटी कांप्लेक्स लेकर पैदा होता है या इन्फीरियरिटी कांप्लेक्स लेकर पैदा होता है। दूसरे देशों में ऐसा नहीं होता। डागाजी जो कहते हैं वह मामला लागू तब होगा जब आप कृपा करके सरकार पर दबाव डाल करके शेड्यूल कास्ट का 25 परसेंट का कोटा जो है इसको आप पूरा करवा देंगे। अगर यह पूरा हो जाता है तो आप सीलिंग लगा दीजिए। जो सबसे गरीब है। शेड्यूल कास्ट में उसको पहले मिले। अभी भी यह सीलिंग है। जो इनकम टैक्स देते हैं, उनके बच्चों की फीस माफ नहीं है।

सभापति महोदय, सरकार सिर्फ दो तीन काम कर दे। आप रक्षा मन्त्री से कहिए कि वे जाति के नाम पर रिजर्वेशन समाप्त कर दें। हिस्ट्री की अब कोई बात नहीं रही है। हम आजाद मुल्क में पैदा हुए है। हम अपनी हिस्ट्री बनाने के लिए तैयार हैं। हम भी सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। किसी से कम

नहीं है। तो या तो जाति के नाम पर रिजर्वेशन को खत्म कर दीजिए। यदि नहीं कर सकते हैं तो शेड्यूल कास्ट और ट्राइब्स, मायनारिटी और बैकवर्ड क्लासेस, सबके नाम पर रेजीमेंट बना दीजिए। सभी में कम्पीटीशन होगा कि देश के प्रति कौन वफादार है? मण्डल कमीशन की सिफारिशों को आप लागू कीजिए।...(व्यवधान)

श्री मूल चन्द डागा : मण्डल कमीशन में 3,620 जातियां हैं, उनका क्या होगा ?

श्री राम विलास पासवान : उत्तर प्रदेश में जो बैकवर्ड क्लास में है, वह बिहार में शेड्यूल्ड कास्ट में माना जाता है। इसी प्रकार जो बिहार में शेड्यूल्ड कास्ट है, वह उत्तर प्रदेश में बैकवर्ड क्लास में माना जाता है। इसी तरह फिशरमैन और पासी, कहीं पर शेड्यूल्ड कास्ट्स और कहीं पर बैकवर्ड क्लास में माने जाते हैं। इसलिए, मण्डल कमीशन की सिफारिशों को लागू कीजिए। पश्चिम बंगाल सरकार ने दण्ड का विधान बनाया है। जो आफिसर रिजर्वेशन पालिसी को इम्पलीमेंट नहीं करेगा, उसको दण्डित किया जाएगा। जो आफिसर जान-बूझकर रिजर्व्ड पोस्ट्स को डी-रिजर्व करते हैं, उनके लिए पेनल्टी क्लाज होना चाहिए। उनकी सी० आर० में भी लिया जाए तथा ऐसे लोगों को जो भी सजा दी जाए, वह कम होगी। आज, इस सदन में इस बात की घोषणा होनी चाहिए। इन शब्दों के साथ, मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री चन्द्र पाल शैलानी (हाथरस) : माननीय सभापति जी, सूरज भान जी ने जो विधेयक प्रस्तुत किया है, उसका मैं समर्थन करता हूं और उनकी भावनाओं की कद्र करता हूं। भारत के संविधान को लागू हुए लगभग 34 वर्ष से अधिक हो गए हैं। इस संविधान के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है, उसका कोटा अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। इसके पीछेजो कारण हैं, उस संबंध में मेरे साथियों ने अपने विचार प्रकट किए हैं। इन जातियों के आरक्षण के कोटे को कानून के द्वारा पूरा किया जाए, इसी सम्बन्ध में यह विधेयक पेश किया गया है। बड़े खेद का विषय है कि जितने परसेंट रिजर्वेशन होना चाहिए था, वह नहीं हो पाया है। प्रथम श्रेणी की नौकरियों में चार या पांच परसेंट, द्वितीय श्रेणी में दस या ग्यारह परसेंट तृतीय श्रेणी में 12 या 13 परसेंट कोटा भी पूरा नहीं हो पाया है। चतुर्थ श्रेणी में चाहे सफाई कर्मचारी, चौकीदार, सिपाही या दूसरे किस्म के सरकारी मुलाजिम हो, इन सेवाओं में रिजर्वेशन का कोटा अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। देश में बहुत से भारत सरकार और राज्य सरकारों के कार्यालय हैं। इसके अलावा पब्लिक अन्डर टेकिंग्स, डवलमेंट अथारिटीज, बैंक्स, हायद सेकेण्डरी स्कूल्स व इंटरमीडियेट कालेज हैं, जहां पर कि शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं के बराबर है। इसके पीछे क्या कारण हैं, यह एक विचारणीय प्रश्न है। इस सदन के माध्यम से इस देश की जनता को समझाया जाए कि इसके पीछे यह कारण हैं तो मैं समझता हूं, माननीय सदस्यगण जो आलोचना कर रहे हैं, वह नौबत नहीं आएगी। जब तक जुल्म और ज्यादतियां इस समाज के लोगों पर बन्द नहीं होगी, तब तक यह आलोचना होती रहेगी। यह कोटा पूरा नहीं हुआ है। श्रीमन्, जहां तक सरकारी नौकरियों का प्रश्न है, उनके बारे में तो मेरे साथियों ने यहां बहुत कुछ बता दिया है, लेकिन बहुत से ऐसे सरकारी विभाग हैं, बहुत से ऐसे सरकारी संस्थान हैं, जहां पर शेड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों का कोटा नहीं के बराबर है। उदाहरण के लिए हाई कोर्टस को ले लीजिए, सुप्रीम कोर्ट को ले लीजिए, राज्यपाल के पदों में, विदेशों में स्थित अम्बेसेडर या हाई कमिश्नर के पदों में इनका कोटा नगण्य है। आज आजादी मिलने के 37 सालों के बाद यह सोचना, मान्यता स्थापित कर लेना अथवा यह तय कर लेना कि शायद शेड्यूल्ड कास्टस के लोगों में समझदार आदमी

नहीं है, या उनमें स्यूटेबल कैन्डीडेटस नहीं मिलते, इस समाज के लोगों में कोई ज्यादा सभ्यता या तहजीब नहीं है जो इन पदों की आवश्यकता को पूरा कर सके, तो मैं उस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूं। जब इस देश के संविधान को शैड्यूल्ड कास्ट से संबंधित परम पूजनीय बाबा साहेब डा०अंबेडकर बना सकते हैं तो दूसरे छोटे पदों के लिए मैं नहीं समझता क्यों नहीं उन्हें लिया जाता। यदि आप प्रयास सही रूप में करें तो उपर्युक्त व्यक्ति अवश्य मिल जायेंगे। बल्कि वे तो हजारों की तादाद में मिल जाएंगे क्योंकि आजकल तो इस समाज में हजारों लोग एम० ए०, एल० एल० बी०, पी० एच० डी०, डी०एस० सी० और ग्रेजूएट हैं। इस तरह के लोगों की देश में कोई कमी नहीं है। यदि आप ढूंढ़े तो हजारों की संख्या में आपको मिल जाएंगे जो बड़े काबिल और क्वालिफिकेशन से युक्त होंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जब स्यूटेबल और अनस्यूटेबल का सवाल हमारे सामने आता है तो उसका एक कारण यह है कि इस समाज के लोग हजारों सालों से गुलामी का जीवन बसर करते आ रहे हैं। आजादी मिलने के बाद शैड्यूल्ड कास्टस और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिला, उनके लिए शिक्षा के मन्दिर के दरवाजे खुले और आज स्थिति यह है कि ये लोग बड़ी अच्छी अच्छी जगहों पर लगे हुए हैं। लेकिन जिस गति से उनका कोटा भरा जाना चाहिए था, अभी तक नहीं भर पाया है। कितने अफसोस की बात है कि लोकसभा, राज्यों की विधान सभाओं में एक भी ऐसी सीट नहीं है, जो इन लोगों से न भरी जाती हो, इनमें आप कहीं भी बैकलौग नहीं पायेंगे, इन जाति के लोगों के लिए जितने पद आरक्षित हैं सब भरे जाते हैं, कैसी विडम्बना है कि लोकसभा और राज्य विधान सभाओं जैसी कानून बनाने की जगह पर शैड्यूल्ड कास्टस का आदमी बैठ सकता है, उसमें क्वालिफिकेशन पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता कि स्यूटेबल है या नहीं है, चाहे वह काना है, अंधा है, लूला है, लंगड़ा है, कुबड़ा हो बुद्धिहीन है और वह एम० पी०, एम० एल० ए० या मिनिस्टर आदि कुछ भी बन सकता है, परन्तु जज नहीं बन सकता? किस कारण वह हाई कोर्ट का जज नहीं बन सकता? भले ही उसकी प्रैक्टिस 20 साल या उससे ऊपर हो गई हो, चाहे वह डिस्टिक्ट एण्ड सैशन जज ही क्यों न रहा हो, परन्तु सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं बन सकता। न कभी अम्बैसैडर बन सकता है, न कभी हाई कमिश्नर बन सकता है। यह गुत्थी मेरी अक्ल से परे है और मैं आज तक नहीं समझ सका हूं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि कानून बनाने वाली पोस्टस पर जब शैड्यूल्ड कास्टस का आदमी बैठ सकता है, तो अन्य नौकरियां तो उससे छोटी हैं, उनको भी इस समाज के लोगों से भरा जाना चाहिए। जहां तक स्यूटेबल और अनस्यूटेबल का प्रश्न है, मैं उसका दोष अपनी शिक्षा पद्धति देता हूं। हमारी शिक्षा का स्तर एक समान नहीं है। हमारे यहां बड़े लोग, पैसे वाले लोग, चाहे वे किसी भी तरीके से पैसा पैदा करते हैं और बड़े आदमी बन जाते हैं, वे सब अपने बच्चों को बड़े बड़े कन्वेंट स्कूलों और पब्लिक स्कूलों में पढ़ाते हैं, मिलिटरी स्कूलों में पढ़ाते हैं। लेकिन गरीब का बच्चा, किसान का बच्चा, मजदूर का बच्चा झोंपड़ियों में टिमटिमाते चिराग में पढ़ता है भूखे पेट रहता है। उसे ठीक से खाने को नहीं मिलता, पहनने को नहीं मिलता, अच्छा वातावरण नहीं मिलता, ताकि वह उन्नति कर सके, तो वह कैसे उन बच्चों का मुकाबला कर पायेगा। मैं सरकार और अपनी माननीय नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी जी को दाद देता हूं, पण्डित जवाहर लाल नेहरू और देश के दूसरे कर्णधारों को दाद देता हूं, जिन्होंने शैड्यूल्ड कास्टस और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों के उत्थान के बहुत काम किए। उनकी मन्शा अब भी यही है कि इस समाज के लोगों को आगे बढ़ाया जाए और उन्हें तरह तरह की सहूलियतें दी जाएं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यदि हमारे देश में शिक्षा का स्तर एक समान कर दिया जाए तो स्यूटेबल कैण्डीडेटस न मिलने की समस्या का सदा के लिए अन्त हो जाएगा। श्रीमन्, इस समाज के लोग सरकारी और दूसरी नौकरियों में इसलिए भी नहीं आ पाते हैं कि उनको उचित मार्गदर्शन नहीं मिलता। हमारे देश में दिल्ली, इलाहाबाद आदि स्थानों पर इनके लिए कोचिंग सैंटर्स और

ट्रेनिंग सैंटर्स तो खोल दिए हैं, मगर फिर कंपटीटिव एग्जामिनेशन्स में शैड्यूल्ड कास्टस के लोग कम नंबर पाते हैं। और जब इण्टरव्यू के लिए जाते हैं तो नम्बर कम पाते हैं इसलिए उनकी ट्रेनिंग और कोचिंग के लिए और इंस्टीट्यूशन्स की संख्या बढ़ायी जाय।

सरकारी नीतियां और हमारी पार्टी का मैनीफेस्टो अपनी जगह पर सही है, लेकिन गड़बड़ी अफसर करते हैं जिनकी तंग मनोवृत्ति है जो इन गरीबों को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते और जानबूझ कर रिजर्व जगहों की डीरिजर्व कर देते हैं। इसलिए ऐसे कानून बनायें कि जितनी भी शेड्यूल्ड कास्टस और ट्राइब्स की जगहें हैं उनको डीरिजर्व न किया जाय और शैड्यूल्ड कास्ट न मिले तो शैड्यूल्ड ट्राइब का आदमी उसकी जगह रखा जाय और यदि वह भी न मिले तो बैकवर्ड क्लास का आदमी रखा जाय। लेकिन जगह को डीरिजर्व न किया जाय। यह ऐसी बाधायें नौकरशाह ही पैदा करते हैं। इस बिल की स्पिरिट सही है, मैं चाहता हूं कि काश वह दिन आए जब सरकार ऐसे बिल लेकर यहां आये जिससे सर्वहारा लोग लाभान्वित हों और जो उनका हक है वह उन्हें मिले।

इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

***डा० वी० कुलनदईवेलु** (चिदम्बरम) : सभापति महोदय, सबसे पहले मैं अपने माननीय मित्र, श्री सूरजभान का आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने इस बात की ओर सभा का ध्यान आकर्षित करने के लिए यह विधेयक प्रस्तुत किया है कि अधिकतर सरकारी अधिकारियों द्वारा, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के उत्थान के लिए पदों तथा सेवाओं में आरक्षण के संवैधानिक प्रावधानों को कार्यान्वित करने में, उदासीनता तथा अनिच्छा दिखाई जा रही है। स्वाधीनता के 37 वर्षों के बाद भी, किसी भी मन्त्रालय, विभाग, सार्वजनिक उपक्रम आदि में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों का कोटा पूरा नहीं किया गया है।

हम सभी डा० अम्बेडकर के प्रति अत्यन्त आभारी हैं जिन्होंने आरक्षित चुनाव-क्षेत्रों का मार्ग प्रशस्त किया ताकि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े हुए वर्गों आदि के प्रतिनिधि देश के प्रतिनिधि-मंचों के माध्यम से प्रभावी रूप से कार्य कर सकें। तमिलनाडु के प्रख्यात समाज-सुधारक थनथई पेरियर रामास्वामी, जिनका समस्त जीवन दलितों के उद्धार के लिए समर्पित रहा, उन्हें भी इस समय याद किया जाना चाहिए। आज, यदि हम, इस सभा के मंच पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों की सच्ची शिकायतों को सामने ला रहे हैं, तो यह पूर्ण रूप से इन दो प्रमुख अग्रदूतों की दूरदर्शिता का ही परिणाम है।

इस विधेयक को लाने वाले, श्री सूरजभान और मेरे माननीय मित्र राकेश ने, इस बात को विशेष रूप से सामने लाने के लिए कि हमारे देश में संवैधानिक सरकार तीन दशकों और इससे अधिक समय में, आरक्षण नीति प्रभावशाली रूप से कार्यान्वित नहीं की है, जोरदार तर्क दिए हैं। अनुसूचित जातियों के लिए 18 प्रतिशत आरक्षण तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए 3 प्रतिशत आरक्षण है। परन्तु खेद की बात है। कि सरकार के किसी भी कार्यालय में, अभी तक यह प्रतिशतता प्राप्त नहीं की गई है। यहां तक कि गृह मन्त्रालय में भी; जो कि इन दलित लोगों के कल्याण के लिए उत्तरदायी है, श्रेणी-1 के पदों में

* तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

अनुसूचित जाति के लोगों का प्रतिनिधित्व 3.83 प्रतिशत, अनुसूचित जनजातियों का 1.57 प्रतिशत है ; श्रेणी-2 के पदों में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों की प्रतिशतता 6.51 प्रतिशत तथा अनुसूचित जातियों की 1.32 प्रतिशत है ; श्रेणी-3 में, अनुसूचित जातियों की प्रतिशतता 11.76 प्रतिशत और अनुसूचित जनजातियों की 6.36 प्रतिशत है। यह सफाई देकर, कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के समुदायों से योग्य एवं अनुभवी उम्मीदवार उपलब्ध नहीं हो रहे हैं, अनुसूचित जातियों के लिए 18 प्रतिशत तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए 3 प्रतिशत के इस आरक्षण को, किसी भी मंत्रालय अथवा विभाग में, प्राप्त नहीं किया गया है। मुझे यह आरोप लगाना है कि, हालांकि कांग्रेस दल, जनता शासन के 3 वर्षों के संक्षिप्त व्यवधान को छोड़कर, पिछले 30 वर्षों से इस देश पर राज्य कर रहा है, परन्तु कांग्रेस दल की सरकार, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को प्रदान की गई संवैधानिक संरक्षण के प्रति केवल झूठी सहानुभूति दिखा रही है। केन्द्रीय सरकार अपने आपको इस आरोप से मुक्त नहीं कर सकती। मैं, श्री आर० आर० भोले तथा श्री ए० सी० दास की अध्यक्षता में, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की कल्याण सम्बन्धी संसदीय समिति का दो दफा सदस्य रहा हूं। मैं जानता हूं कि यह समिति, समाज के विभिन्न वर्गों, जिनमें सरकार के प्रतिनिधि भी शामिल हैं, का मौके पर जाकर गहन अध्ययन तथा सावधानीपूर्वक परीक्षण करने के बाद, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों का आर्थिक तथा सामाजिक उद्धार सुनिश्चित करने के लिए बहुमूल्य रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। परन्तु समिति की रिपोर्टों में की गई सिफारिशों को उतनी गम्भीरता से नहीं लिया गया है, जितनी गम्भीरता से उन्हें लिया जाना चाहिए। यदि इनमें से केवल कुछ ही सिफारिशों को तेजी से क्रियान्वित किया जाता, तो इस समय स्थिति बेहतर होती।

मुझे एक अन्य असंगति का उल्लेख करना है। अब तक इतने वर्ष हो चुके हैं लेकिन भारत सरकार ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त की संवैधानिक प्राधिकारी के रूप में नियुक्ति नहीं की है। बल्कि, इसकी बजाय, सरकार ने एक कांग्रेस नेता को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर दिया है, जिसे ना तो संवैधानिक मान्यता और ना ही सांविधिक अधिकार प्राप्त है। यदि इस अराजकतावाद को जारी रहने दिया जाता है, तो इन लोगों को दी गई संवैधानिक सुरक्षा, किसी भी प्राधिकारी द्वारा प्रभावशाली रूप में सुनिश्चित नहीं की जा सकती। मैं चाहता हूं कि माननीय गृह मन्त्री इस बारे में ध्यान दें और इस संवैधानिक पहेली को सुलझाने के लिए तत्काल कार्यवाही करें।

5.28 म० प० (डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी पीठासीन हुईं)

मेरे माननीय मित्र, श्री जेवियर अराकल ने अपने भाषण में दक्षिण के सामाजिक सुधार आन्दोलन के बारे में बताया और 1919 में जस्टिस पार्टी की भूमिका के सम्बन्ध में उल्लेख किया, जिसने थनथई पेरियर के नेतृत्व में, तत्कालीन मद्रास प्रदेश में सामाजिक समानता के लिए शान्तिपूर्ण संघर्ष आरम्भ किया था। बाद में, मद्रास उच्च न्यायालय ने स्वतन्त्र लोगों के मौलिक अधिकारों को वैध ठहरा कर बुद्धिमता का परिचय दिया। सरकार का साम्प्रदायिक सरकारी आदेश, दलित लोगों के इतिहास में आधारशिला बन गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू, यह कहने में नहीं झिझके कि अपने समाज के इन दलित वर्गों की संवैधानिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उन्हें इस सरकारी आदेश से प्रेरणा मिली। उन्होंने तमिलनाडु में सामाजिक सुधारों के अग्रणी मंच द्रविड़ कणगम की भूमिका को सराहा। सामाजिक

समानता के प्रबल समर्थक तथा पेरियर थनथई पेरियर रामास्वामी के कट्टर अनुयायी, मेरे नेता, डा० कलईग्नार करुणानिधि ने तमिलनाडु में मुख्यमन्त्री के अपने कार्यकाल के दौरान, मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर श्री वर्द्धराजन—राज्य के इस उच्चतम न्यायायिक पद को सुशोभित करने वाले पहले आदि द्रविड़—की नियुक्ति करके सामाजिक समानता के स्वर्ण-युग का आरम्भ किया। देश में कहीं भी अभी तक ऐसा कीर्तिमान स्थापित नहीं हुआ है। डा० कलईग्नार करुणानिधि ने अपना समस्त जीवन हमारे समाज के दलित वर्गों के उत्थान की वेदी पर समर्पित कर दिया है। स्वर्गीय श्री देवराज अर्स एवं अन्य ऐसे यशस्वी नेता हुए हैं, जिनकी, हमारे समाज के कमजोर वर्गों के हितों के प्रति वचन-बद्धता, प्रशंसनीय है। कर्नाटक के मुख्यमन्त्री के रूप में उन्होंने अपने राज्य में, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गों के बहुमुखी विकास के लिए निरन्तर प्रयास किया।

हम 20-सूत्रीय कार्यक्रम के बारे में और हमारे समाज के निम्नतम वर्ग के कल्याण तथा आर्थिक विकास के लिए इसे प्रभावशाली रूप से कार्यान्वित किए जाने के बारे में सुन रहे हैं। परन्तु वे, जो सत्ता में हैं, जो कि हमारे समाज के कमजोर वर्गों को संवैधानिक सुविधाएं देने के लिए, सामाजिक असमानता की बजाय आर्थिक मापदण्ड का उल्लेख करते हैं, मंडल आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के प्रयासों को निष्फल करने में सफल रहे हैं। इस प्रकार, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों को, जिसमें अल्पसंख्यक समुदाय शामिल है, जो कि हमारे देश की जनसंख्या का 80 प्रतिशत भाग है, उनके मौलिक अधिकारों से वंचित रखा जा रहा है। सरकार यदि मण्डल आयोग की सिफारिशों को अब सख्ती से क्रियान्वित नहीं करती, तो उसे भयंकर परिणामों का सामना करना पड़ेगा। सरकार, 80 प्रतिशत जनसंख्या के साथ, सदैव के लिए, गूंगे जानवरों जैसा व्यवहार नहीं कर सकती।

इन शब्दों के साथ ही, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री अनन्त रामुलु मल्लु (नगर कुरनूल): हमारे बहुत से मित्रों ने बातचीत में भाग लिया है और देश की अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के हितों की सुरक्षा के लिए विभिन्न उपाय करने का सुझाव दिया है। मैं, गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री, श्री वेंकटसुब्बय्या का इस उदारता के लिए अत्यन्त आभारी हूं कि उन्होंने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के काम करने के हालातों पर गौर करने तथा अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के समक्ष आने वाली विभिन्न समस्याओं पर विचार-विमर्श करने और विभिन्न उपायों, विशेषरूप से भर्ती तथा प्रोन्नतियों के सम्बन्ध में, का सुझाव देने के लिए वर्ष 1980 में एक कार्यकारी दल की नियुक्ति की। मैं, इस बात के लिए उनका अत्यन्त आभारी हूं कि उन्होंने इतने अधिक प्रयास किए और एक कार्यकारी दल की नियुक्ति की।

श्री सूरजभान ने, माननीय मन्त्री द्वारा नियुक्त दल के दिए गए सुझावों की चर्चा भी की है। कार्यकारी दल ने, आरक्षणों को सख्ती से तथा आशानुकूल रूप से और संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार क्रियान्वित करने के लिए एक अधिनियम की जरूरत का भी सुझाव दिया है। केवल कार्यकारी दल ने ही नहीं, बल्कि श्री एलायापेरूमल की अध्यक्षता में एक समिति ने भी इस बात की सिफारिश की है कि इन आरक्षणों को कार्यान्वित करने के लिए एक अधिनियम होना चाहिए। यहां यह कहना असंगत न होगा कि हमारी सरकार द्वारा नियुक्त किए गए अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग ने भी एक अधिनियम, विशेषतौर से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण को कार्यान्वित करने के मामले में बनाए जाने का सुझाव दिया है। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-

जातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति ने भी यही सुझाव दिया है। इसे देखते हुए मैं नहीं समझता कि सरकार अपने द्वारा नियुक्त किए गए दोनों आयोगों तथा समितियों की सिफारिशों से पीछे हटेगी और मुझे विश्वास है कि माननीय मन्त्री महोदय जो कि हमारी प्रिय प्रधानमन्त्री के नेतृत्व में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के हित के प्रति अत्यधिक समर्पित एवं निष्ठावान हैं—अनुसूचित जातियों तथा जिन्हें कि संविधान में प्राथमिकता दी गई है, अनुसूचित जनजातियों की रक्षा के लिए निश्चित रूप से सामने आयेंगे।

गत कुछ दिनों से हम, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण के बारे में विभिन्न वर्गों से कई टिप्पणियां सुन रहे हैं। मैं किसी का भी नाम नहीं लेना चाहता। परन्तु लोग सामने आ रहे हैं और आरक्षणों के विरुद्ध वक्तव्य दे रहे हैं। मैं इस सम्मानित सभा की जानकारी में यह बात लाना चाहूंगा कि इस प्रकार के एक व्यक्ति आंध्र प्रदेश के माननीय मुख्यमन्त्री हैं जो अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधि होने का दावा करते हैं और जिहोंने यह वचन दिया है कि वे अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए बहुत कुछ करेंगे। मैं इस सभा की जानकारी में यह बात भी लाना चाहूंगा कि गृह मन्त्रालय के निर्देशों की आंध्र प्रदेश में पूरी तरह अनदेखी की गई है। वर्ष 1982 में गृह मन्त्रालय ने सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिया था कि महत्वपूर्ण पदों पर अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों को तैनात किया जाय। आंध्र प्रदेश में, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित 5 से 6 जिला न्यायाधीश और 4 से 5 पुलिस अधीक्षक हुआ करते थे। दुर्भाग्यवश, आंध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के सभी अधिकारियों को हटा दिया है। यही कारण है कि हम एक अधिनियम बनाने के लिए कह रहे हैं ताकि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा की जा सके।

यदि गृह मन्त्रालय द्वारा दिए गए निर्देशों को कार्यान्वित नहीं किये जाते तो इनका पालन कौन करेगा। इनका पालन करने के लिए कुछ अवश्य किया जाना चाहिए वरना हम अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हितों की सुरक्षा नहीं कर सकते।

महोदया, हाल ही में आंध्र प्रदेश में "ए छपुवुलु माकूद्दू" एक फिल्म आई जिसका अर्थ था "हम ऐसी शिक्षा नहीं चाहते।" इसमें आरक्षण सम्बन्धी नीतियों को समाप्त करने की वकालत की गई है और अन्य वर्गों की अनुसूचित जातियों के प्रति भावनाओं को भड़काया गया है, और इसके सम्बन्ध में मुख्य मन्त्री जी द्वारा एक सन्देश भी दिया गया है कि यह एक दर्शनीय फिल्म है। उनके मन्त्रिमण्डलीय सहयोगी, सूचना मन्त्री, श्री हरिराम जोगय्या, ने सभा में एक वक्तव्य दिया कि इस फिल्म में आपत्तिजनक अंश हैं और निर्माता स्वेच्छा से फिल्म के उन आपत्तिजनक अंशों को निकालने के लिए आगे आए हैं।

श्री सूरजभान (अम्बाला) : सैंसर ने इसे कैसे पास कर दिया ?

श्री अनन्त रामुलु मल्लु : अतः ऐसी बातें हो रही हैं। यहां तक कि मुख्य मंत्री जैसे उच्च स्थान प्राप्त व्यक्ति, भी इस आरक्षण नीति के विरुद्ध वक्तव्य दे रहे हैं। अतः मैं भी यह अनुभव करता हूं कि ऐसे व्यक्तियों को दंण्ड देने के लिए कोई अधिनियम अवश्य होना चाहिए।

महोदया, इस प्रकार के जो वक्तव्य दिये जा रहे हैं, मैं उनके विस्तार में नहीं जाना चाहता। उनका कहना है कि आरक्षण की नीति के कारण कार्य कुशलता में गिरावट आ रही है। मैं कहना चाहूंगा कि डाक्टरों के तकनीकी व्यवसाय को लीजिए एम० बी० बी० एस० पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए लड़कों को आरक्षण नीति की सुविधाएं उपलब्ध हैं। आरक्षण केवल दाखिले तक ही सीमित है और यह आरक्षण परीक्षा पास करने के लिए नहीं है। मैं इस बात को कहता हूं कि अनुसूचित जातियों के छात्रों के ऐसे मामले हैं जो कई वर्षों तक परीक्षा पास नहीं कर सके क्योंकि वे परीक्षा पास करने के योग्य ही नहीं थे लेकिन वे अब परीक्षा पास कर गए हैं। अतः अयोग्यता का प्रश्न बिल्कुल ही नहीं उठता। प्रो० रंगा जी ने सुझाव दिया कि यह अयोग्यता इस कारण है क्योंकि सैंकड़ों वर्षों से यह लोग कष्ट पाते आ रहे हैं। अतः आप इन अनुसूचित जनजाति के लोगों के बीच आन्तरिक प्रतियोगिताएं शुरू कर सकते हैं। देश में हजारों स्नातकोत्तर जनजाति के लोग हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश उनके विरुद्ध टिप्पणियां की जा रही हैं।

मैं सदन को याद दिलाना चाहता हूं कि आरक्षण केवल आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर नहीं किए जाते अपितु अस्पृश्यता और सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर किए जाते हैं। आज भी ऐसे गांव हैं जहां अनुसूचित जाति के लोग गांव में होटल नहीं खोल सकते क्योंकि उनके होटल में चाय पीने के लिए कोई नहीं आएगा। आरक्षण जातीय पिछड़ेपन पर आधारित नहीं हैं अपितु यह सामाजिक पिछड़ेपन के कारण हैं, अतः हमें इन तथाकथित लोगों को समझाना चाहिए जो आरक्षण के विरुद्ध वक्तव्य देते हैं। उन्हें इन बातों को समझने का प्रयास करना चाहिए। यही कारण है कि प्रधान मन्त्री इसमें बहुत रुचि ले रही हैं। समानता को बनाए रखने, सामाजिक अन्याय को समाप्त करने, सामाजिक असन्तुलन को समाप्त करने, गरीबी को हटाने की उनकी इच्छा है, परन्तु दुर्भाग्यवश कुछ लोग वक्तव्य दे रहे हैं और आरक्षण को समाप्त करने की वकालत कर रहे हैं। यह बिल्कुल अनुचित है। मैं देश में सब विपक्षी दलों को केवल अपील करना चाहता हूं कि वह आरक्षण की समस्या पर गम्भीरतापूर्वक विचार करें।

महोदया, मैं आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधि होने के नाते यह स्पष्ट तौर पर कहना चाहूंगा कि हम नहीं चाहते कि आरक्षण की नीति हमेशा के लिए लागू रहे। ऐसा दिन अवश्य आएगा जब हम अपने पैरों पर खड़े हो सकेंगे। आप 1947 के और अब जनजाति विद्यार्थियों के प्रतिशत को देखें। इसमें प्रगति हुई है परन्तु जब तक यह सामाजिक कुरीति इस देश में जारी रहेगी और जब तक राजनैतिक दल के लोग अनुसूचित जनजाति के लोगों को अन्य वर्गों के बराबर नहीं समझेंगे, आरक्षण की नीति को जारी रखना होगा, और निश्चित रूप से संविधान की रक्षा करनी पड़ेगी और ऐसे लोगों से अनुसूचित जातियों द्वारा शोषण को रोकना पड़ेगा।

मुझे इसमें संशय नहीं है कि गृह मन्त्री श्री वेंकटसुब्बय्या के कुशल और सक्रिय नेतृत्व के आधीन आवश्यक कार्य पूरा किया जाएगा। वह आंध्र प्रदेश में कर्त्तव्य निष्ठ व्यक्ति हैं। उन्होंने स्वयं अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए काफी संख्या में स्कूलों की स्थापना की है। वह स्वयं अनेकों अनुसूचित जाति के लड़कों को लेकर आए हैं। इस सदन द्वारा व्यक्त विचारों की वह अवश्य प्रशंसा करेंगे। अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के हितों की सुरक्षा के लिए वह निश्चित रूप से एक व्यापक विधेयक लेकर इस सदन में आएंगे।

मैं आपका अधिक समय नहीं ले रहा। मैं केवल मुख्य मुद्दों का उल्लेख कर रहा हूं।

भारतीय प्रशासनिक सेवा में लड़कों की भर्ती के सम्बन्ध में कहते हुए मुझे गर्व हो रहा है कि बहुत संख्या में ऐसे लड़के हैं जो कि आई० ए० एस० की योग्यता सूची में आए हैं। उन्होंने समाज के अन्य वर्गों के साथ भाग लिया है। लेकिन दुर्भाग्यवश, वह लड़के जो योग्यता सूची में आए हैं, जो आशा से अधिक आगे निकल गए हैं, उन्हें भी आरक्षण नीति के अन्तर्गत रखा गया है। गृह मंत्री द्वारा इस पर विचार किया जाना चाहिए। सरकार को यह देखना चाहिए कि इन लड़कों को सामान्य कोटे के अन्तर्गत आना चाहिए।

मेरे मित्र ने राष्ट्रीयकृत बैंकों के सम्बन्ध में कहा है। कुछ बैंकों में यह 1 प्रतिशत भी नहीं है। यह इन बैंकों में काम करने वाले कुछ अधिकारियों के उत्साह और रुचि की कमी के कारण है, ये अधिकारी शिक्षित और प्रबुद्ध कहे जाते हैं और जो दूसरों के लिए उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। मैं नहीं समझता कि यह स्थिति हमेशा बनी रहेगी। गृह मंत्री निश्चित रूप से इन लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे और यदि आवश्यक हुआ तो इन बैंककारी संस्थानों को जो भी रियायतें दी जा रही हैं, उन्हें रोकने की कोशिश करेंगे।

प्रत्येक संस्थान में सम्पर्क अधिकारी की नियुक्ति का सुझाव अच्छा है। यह भारत सरकार के उपक्रम अथवा राज्य सरकार अन्य उपक्रम हो सकते हैं। परन्तु यहां कुछ स्वायत्त शक्तियां अवश्य होनी चाहिए। अन्यथा सम्पर्क अधिकारी, जिसे काम करने के लिए नियुक्त किया जाएगा, उसे अवर सचिव अथवा उप सचिव के अधीन काम करना होगा, वह अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर सकेगा।

संविधान के अन्तर्गत अनुसूचित जाति और जन-जाति के लोगों के लिए आयुक्त का पद है। यह एक स्वायत्तशासी संस्था है। लेकिन दुर्भाग्यवश, वह पद अभी तक भरा नहीं गया है। मैं गृह मन्त्री जी से निवेदन करता हूं कि वह इस पहलू की ओर विशेष रूप से देखें। संवैधानिक प्रावधान सहित अनुसूचित जाति और जन जाति सम्बन्धी आयुक्त के पद का सृजन केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जातियों के हितों की सुरक्षा के लिए किया गया था, यह पद भारत के राष्ट्रपति के अधिकार-क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। राष्ट्रपति आयुक्त की नियुक्ति करते हैं। यह पद कुछ समय से रिक्त पड़ा है। पिछली बार, माननीय मंत्री श्री सेठी जी ने वाद विवाद का जवाब देते हुए सदन को आश्वासन दिया था कि वह इस काम को करने के लिए एक व्यक्ति को नियुक्त कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि माननीय गृह मन्त्री जी यह देखने के लिए आवश्यक कदम उठायेंगे कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के लोगों की शिकायतों को दूर करने के लिए आयुक्त शीघ्र (पद ग्रहण) करें।

नियुक्ति प्राधिकारियों के सम्बन्ध में मुझे यह कहते हुए खेद होता है कि ऐसे अनेक प्राधिकरण हैं जो आरक्षण नीति को अमल में नहीं ला रहे हैं। निश्चित ही, श्री सूरजभान ने अपने विधेयक में कुछ उपायों का सुझाव दिया है। लेकिन इसके साथ ही गृह मंत्रालय ने भी न केवल भारत सरकार के मंत्रालयों को ही काफी संख्या में दिशा-निर्देश जारी किए अपितु सभी राज्य सरकारों और सार्वजनिक उपक्रमों को भी दिशा-निर्देश दिए हैं। उन्हें सूची बनाने के लिए कहा गया ; उन्हें निश्चित समय पर प्रकाशित किया जाए। उन्हें इनको हर तीसरे माह राज्य सरकारों को प्रस्तुत करने के लिए कहा गया ; विभागों द्वारा सरकार ने केन्द्रीय सरकारों को ये सूचियां प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। परन्तु भारत सरकार—विशेष रूप से गृह मन्त्रालय द्वारा बार-बार अनुदेश दिए जाने के बावजूद भी—कुछ विभागों ने आशा के अनुकूल समय-समय पर इन्हें प्रस्तुत नहीं किया है। वे अनुदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं

और इस तरह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जातियों के लोगों के हितों की उपेक्षा कर रहे हैं। -

मैं गृह मंत्रालय द्वारा किए गए उपायों का हार्दिक स्वागत करता हूं। इसी के साथ मैं मंत्री जी से पुनरीक्षण के कार्य को परिवीक्षक कक्ष को सौंपने का निवेदन करता हूं। यह परिवीक्षक कक्ष गृह मंत्रालय में पहले ही है। इस परिवीक्षक कक्ष को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों की नियुक्ति, सेवा सम्बन्धी मामलों और उन्नति की सम्भावना सम्बन्धी मामलों का भी पुनरीक्षण करने दिया जाए।

अब मैं आन्ध्र प्रदेश सरकार के बारे में कुछ शब्द कहना चाहता हूं। आप जाएं और जिला मुख्यालयों में स्थिति की जांच करें। वहां आरक्षण की नीति शून्य है। यदि आप सचिवालय आएं, यदि आप उप सचिव, संयुक्त सचिव, अवर सचिव, अनुभाग अधिकारी इत्यादि की श्रेणी की स्थिति देखें, आप देखेंगे कि वे आरक्षित भर्ती की नीति को केवल शुरू की अवस्था में ही अपनाते हैं। यह आरक्षण की नीति वहां केवल प्रारम्भ की अवस्था में ही है। उसके बाद नहीं। परन्तु गृह मंत्रालय द्वारा स्पष्ट अनुदेश दिए गए हैं। आरक्षण की नीति को सभी श्रेणियों निम्न श्रेणी लिपिक से लेकर अवर श्रेणी लिपिक, अनुभाग अधिकारी, अवर सचिव, उप सचिव, संयुक्त सचिव और यहां तक कि सचिव के पद तक भी अमल में लाया जाना चाहिए। परन्तु इस आरक्षण की नीति को, केवल आन्ध्र प्रदेश में ही नहीं अपितु कुछ अन्य राज्यों और यहां तक कि केन्द्रीय सरकार के कुछ मंत्रालयों में भी अमल में नहीं लाया जा रहा।

कुछ दिन पहले माननीय मन्त्री जी ने इस सदन के माननीय सदस्य द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जातियों के लोगों के लिए आशुलिपिक के पद हेतु विशेष परीक्षा लिए जाने सम्बन्धी उठाए गए प्रश्न के उत्तर में एक आश्वासन दिया। मुझे सुनकर बहुत खुशी हुई। उन्होंने अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए विशेष परीक्षा लिए जाने और उनके रिक्त पदों की पूर्ति के लिए विशेष परीक्षा लिए जाने के सम्बन्ध में बहुत कार्य किया। मुझे खुशी है कि माननीय प्रधानमंत्री ने इस संबंध में निर्देश दिए। इसलिए मैं माननीय गृह मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह कृपया इस काम को परिवीक्षक कक्ष के सुपुर्द कर दें ताकि वह समय-समय पर इस समस्या की समीक्षा कर सकें।

महोदय, यहां कुछ निश्चित अधिकारियों के सुपुर्द यह कार्य किया गया गया है। इसके साथ ही, मुझे विश्वास है कि अकेले अनुसूचित जातियों के व्यक्ति ही अनुसूचित जातियों के लोगों के हितों की रक्षा कर सकते हैं। ऐसे अनेकों अन्य लोग हैं जिन्होंने इन लोगों के हितों की रक्षा के लिए बहुत कुछ किया है। उदाहरण के लिए डा० अम्बेडकर को केवल इसलिए इतनी उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं हुई कि वह अनुसूचित जाति से सम्बन्ध रखते थे अपितु महाराजा, जिन्होंने शिक्षा प्राप्त करने में उन्हें बहुत सहायता दी थी, द्वारा प्राप्त सहायता और मार्गदर्शन के कारण वह इतने ऊंचे उठे। इसी प्रकार महात्मा गांधी जी ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जातियों के लोगों के हितों की सुरक्षा के लिए बहुत कार्य किया। मेरे राज्य में रंगा जी और अन्य अनेक हैं, और मैं बहुत से देश भक्तों के नाम बता सकता हूं, जिन्होंने इन लोगों के लिए बहुत कुछ किया। अतः यह केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के चुने हुए प्रतिनिधियों की ही जिम्मेदारी नहीं है अपितु अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की सभी लोगों की भी जिम्मेदारी है कि वे आगे आकर इन लोगों की भलाई का कार्य करें।

अब, पदोन्नतियों और आरक्षण के प्रश्न को लेकर, मैं बताना चाहूंगा कि इसमें कोई शक नहीं

कि आरक्षण शुरू में भर्ती-स्तर पर किए जा रहे हैं। लेकिन जब पदोन्नति का सवाल आता है तो वहां गोपनीय रिपोर्टों को आधार बनाया जाता है। इसके बारे में मुझे भी मालूम है क्योंकि मैंने स्वयं सरकारी सेवा की है और मैं कुछ समय तक सरकारी कर्मचारी रहा हूं। लेकिन, दुर्भाग्यवश ऐसे बहुत से मामले है जहां आप देखेंगे कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की गोपनीय रिपोर्टें देखना कतई उचित प्रतीत नहीं होता। कुछ हद तक इन कारणों को आप सब लोग जानते हैं। मैं नहीं कहता कि इन सभी लोगों की गोपनीय रिपोर्टें बहुत अच्छी हैं। किन्तु मैं एक बात कहना चाहूंगा कि इसके लिए एक निष्पक्ष समिति होनी चाहिए जिसे सम्बन्धित विभागों के साथ कोई कार्य नहीं करना है, उसे चयन करने का उत्तरदायित्व सौंपा जाना चाहिए। यह इन लोगों की पदोन्नतियों के मामले में निश्चित रूप से निष्पक्ष भूमिका निभाएगा।

महोदय, इन लोगों के लिए भिन्न-भिन्न विभागों में रिक्तियां आरक्षित हैं। इन रिक्तियों को भरने के लिए अनेक विज्ञापन दिए जाते हैं। किन्तु योग्य और पात्र उम्मीदवार न मिलने के कारण इन रिक्तियों को नहीं भरा जा सका। अतः मेरा सुझाव है कि इन रिक्तियों को भरने के लिए सरकार सम्पूर्ण देश के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को ये रिक्तियां अधिसूचित करे और वे वहां से इन्हें आगे विभिन्न कालेज-प्राधिकारियों को भेजें। उसी समय, इन पदों का स्थानीय समाचार पत्रों में भी विज्ञापन दिया जाना चाहिए। मैं नहीं सोचता कि इन जातियों के उम्मीदवारों की कमी है। हमारी प्रधानमन्त्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी के प्रगतिशील नेतृत्व और योग्य मार्गदर्शन में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों में जागृति है।

महोदय, इसमें कोई सन्देह नहीं है कि पूरे देश में हजारों छात्रावास केन्द्र खोले गए हैं इन छात्रावासों से काफी संख्या में लड़के प्रशिक्षण लेकर आए हैं। यदि इन लड़कों को उचित और पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जाए तो मुझे इसमें संदेह नहीं है कि ये लड़के ऊपर उठ सकते और साथ ही सामान्य उम्मीदवारों का मुकाबला कर सकते हैं। अतः मैं विश्वास नहीं करता, यदि वे कहते हैं कि कोई उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है। मैं बलपूर्वक कहता हूं कि उम्मीदवार उपलब्ध हैं। मैं यह कहने का साहस करता हूं कि सरकारी विभागों तथा सरकारी उपक्रमों में विभिन्न पदों के लिए पात्र उम्मीदवार उपलब्ध हैं। महोदय, यह नोट करना बहुत ही सन्तोषप्रद है कि आपने इन लड़कों के लिए प्रशिक्षण केन्द्र खोले हैं। श्री सूरजभान जी अपने विधेयक में इन लड़कों के लिए विशेष प्रशिक्षण केन्द्रों का सुझाव दिया है। इन लोगों को प्रशिक्षण देने, उन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवा पाठ्यक्रम के लिए प्रशिक्षण देने, उन्हें भारत सरकार तथा अन्य विभागों और सरकारी उपक्रमों में विभिन्न श्रेणियों के पदों के लिए प्रशिक्षण देने की व्यवस्था गृह मंत्रालय में पहले ही की जा चुकी हैं। किन्तु साथ ही मुझे यह कहते हुए खेद है कि ये प्रशिक्षण केन्द्र अपेक्षाओं के अनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं। अतः मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे दोषी कर्मचारियों पर अंकुश लगाने, उन्हें दण्डित करने तथा समय-समय पर जारी होने वाले सरकारी निदेशों की अवहेलना करने के लिए सख्ती के साथ समुचित कार्रवाई करने की कृपा करें। मुझे हर्ष है कि श्री सूरजभान जी ने एक विधेयक पेश किया है किन्तु साथ ही मैं समान रूप से आशावान हूं कि माननीय मंत्री जी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएंगे और शीघ्र ही व्यापक विधेयक भी लेकर आएंगे ताकि भविष्य में इस देश के अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्ति माननीय मंत्री जी के योग्य मार्ग दर्शन के अधीन उज्ज्वल भविष्य को लेकर आगे बढ़ सके।

*श्री अजित बाग (सीरमपुर) : सभापति महोदय, मैं श्री सूरजभान जी द्वारा प्रस्तुत किए गए विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। किन्तु यह खेद का विषय है कि स्वतंत्रता के उन वर्षों के बाद भी इस पवित्र सभा-भवन में हमें ऐसे विधेयक पर वाद-विवाद करना है। मैंने सत्तारूढ़ दल के अनेक सदस्यों के भाषण सुने हैं और उन्होंने नौकरियों में आरक्षण के प्रश्न पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों पर किए जाने वाले अत्याचारों तथा कई प्रकार के अन्य तिरस्कारपूर्ण व्यवहार किए जाने का वर्णन किया है। उन्होंने अस्पृश्यता की प्रथा के बारे में भी उल्लेख किया था। यह खेद का विषय है कि स्वतन्त्रता के 37 वर्ष बाद भी यह समस्या स्थिर बनी हुई है और हमें इस प्रकार का विधेयक आगे लाना पड़ रहा है तथा सत्तारूढ़ दल और सरकार की ओर से राजनीतिक इच्छा के अभाव के कारण अनुसूचित जातियों और पूर्ण अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिए आरक्षण हेतु आन्दोलन करना पड़ रहा है।

महोदया, इस सन्दर्भ में मैं बताना चाहूंगा कि इस विधेयक पर बोलने वाले सत्तारूढ़ दल के किसी भी सदस्य ने इसका विरोध नहीं किया है। उन्हें विधेयक के उद्देश्यों और कारणों, जिनकी वजह से माननीय सूरजभान जी को यह विधेयक प्रस्तुत करने के लिए बाध्य होना पड़ा है, के विरुद्ध कुछ कहना भी नहीं है। किन्तु इस विधेयक पर बोलते हुए, उन्होंने इस आशंका पर भी संकेत दिया है कि यह विधेयक स्वीकार नहीं किया जाएगा क्योंकि यह विपक्ष के सदस्य द्वारा रखा गया है। इसके बावजूद, उन्होंने अपने मंत्री जी से प्रार्थना की है कि वे अपना इसी प्रकार का विधेयक रखें और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिए नौकरियों में आरक्षण के मामले में श्री सूरजभान जी द्वारा वर्तमान विधेयक में सुझाए गए उपायों को प्रभावी बनाएं।

बाद में अपने भाषण में मैं इस समस्या के समाधान के लिए कुछ उपाय सुझाऊंगा। आज सत्तारूढ़ दल ने देश को उस चौराहे पर लाकर खड़ा किया है जहां पर सारा देश छिन्न-भिन्न हो गया है, और विभिन्न प्रकार की जातियों, पन्थों, सम्प्रदायों और धर्मों में विभाजित हो गया है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कमजोर लोगों का शोषण किया जा रहा है और उनके न्यायोचित अधिकारों से उन्हें वंचित किया जा रहा है। इस स्थिति में हम अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों के नौकरियों में आरक्षण सम्बन्धी विधेयक तथा उन्हें कार्यान्वित करने और व्यावहारिक रूप देने के लिए इस विधेयक के प्रस्तावक द्वारा दिए गए सुझावों का भी समर्थन करते हैं।

आरक्षण के मामले में यह कहते हुए मुझे प्रसन्नता है कि पश्चिम बंगाल में वामपंथी मोर्चे की सरकार के सत्ता में आने के बाद अपनी सीमित शक्तियों के दायरे में एक कानून लागू किया है जिसके द्वारा उन्होंने झूठे तर्क के इस आरक्षण पर कि उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं थे आदि, अनारक्षण का प्रतिबन्ध लगा दिया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने निर्धारित किया है कि इस सम्बन्ध में नियमित नामावली बनाई रखी जाए और आरक्षित पदों पर उन नामावलियों के अनुसार नियुक्तियां की जानी चाहिए। यदि उपयुक्त उम्मीदवार नहीं मिलते हैं तो समय सीमा बढ़ाई जाए और रिक्तियां वर्ष प्रति वर्ष जोड़ते चले जाएं। पश्चिम बंगाल में इस तरह का कानून बनाया गया है। इस प्रकार के उपाय दूसरे बहुत से राज्यों में नहीं अपनाए गए हैं जैसाकि सत्तारूढ़ दल के माननीय सदस्यों ने कहा था और

*मूल बंगला के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

अपने-अपने राज्यों की मौजूदा स्थिति का हवाला दिया था। देश के बहुत से राज्यों में ऐसा कोई कानून नहीं बना है।

पदोन्नति के विषय के बारे में बहुत-सी बातें कही गई हैं। महोदया, पदोन्नति के बारे में मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जब अनारक्षित पद पर एक वरिष्ठ कर्मचारी अपनी वरीयता के आधार पर पदोन्नति का हकदार हो जाता है किन्तु आरक्षित कोटे का अन्य व्यक्ति उसे लांघ जाता है और पदोन्नति हो जाता है तो अलगाव और ईर्ष्या की भावनाएं स्वाभाविक रूप से उभर आती हैं। यह स्थिति इसलिए उत्पन्न हो जाती है क्योंकि नौकरियों में आरक्षित पदों पर नियुक्ति के मामले में भारी जमाव उत्पन्न हो जाता है। जब तक इस बकाया-सूची का निपटान नहीं होता ऐसी समस्याएं उत्पन्न होती रहेंगी। अत: हम सरकार से मांग करते हैं इस जमाव का निपटान शीघ्रता से होना चाहिए तथा पदोन्नतियों के आरक्षित कोटे को भरने के लिए नए पदों का सृजन किया जाए। यह मेरा संशोधन और सिफारिश है और मैं आशा करता हूं कि मेरे मित्र, श्री सूरजभान जी इसे स्वीकार करेंगे। अभी कुछ देर पहले मेरे मित्रों में से एक ने कहा कि पिछले चार वर्षों में 25,000 अरक्षित पदों को अनारक्षित किया गया है। इस प्रकार यह धोखा दिया जा रहा है और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को वंचित किया जा रहा है। यदि हम इस प्रक्रिया को रोकने में समर्थ हो भी गए, तो अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के कितने लाख बेरोजगारों को नौकरियां दी जा सकती हैं? कारण यह है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों में उनकी संख्या बहुत कम है जो चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए भी पर्याप्त न्यूनतम राशि प्राप्त कर पाते हैं। ऐसे कुछ लोग अनुसूचित जातियों में तो चाहे मिल जाएं किन्तु अनुसूचित जनजातियों में व्यावहारिक रूप से कोई भी उपलब्ध नहीं हो पाता। उसका कारण यह है कि अनुसूचित जनजातियों के लोग अधिकतर वन्य क्षेत्रों तथा भीतरी पिछड़े क्षेत्रों में रहते हैं जहां व्यावहारिक रूप से उनकी शिक्षा की सुविधाएं विद्यमान नहीं हैं। इसलिए अधिक संख्या में ये लोग ऐसी नौकरियों के लिए नहीं आते। इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्रों में हम देखते हैं कि जो भागीदार किसान, भूमिहीन कृषि-मजदूर आदि कमजोर वर्गों के हैं और जो शिक्षित नहीं हैं, और जो शहरों में नहीं जा सकते, और जो नौकरियों के लिए मुकाबला नहीं कर सकते, वे अधिकतर अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोग हैं। और इनकी संख्या सबसे अधिक है। हमारा देश कृषिप्रधान देश है जहां अधिकतर लोग अपनी रोजी के लिए भूमि पर निर्भर करते हैं। इनमें से सबसे गरीब, कृषि मजदूर बटाईदार किसान आदि, अधिकांश अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के लोग हैं। अब हमें उनकी आर्थिक दशा को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। यदि उन्हें भूमि का स्वामित्व और उनके द्वारा उगाए गए कृषि उत्पादन में एक उचित हिस्सा दिया जाए केवल तभी वे अपना आर्थिक और सामाजिक स्तर ऊंचा उठा सकेंगे और वे अपने बच्चों को शिक्षा प्रदान कर सकेंगे। इन गरीब लोगों का आर्थिक उत्थान सबसे महत्वपूर्ण बात है और इसे उच्च प्राथमिकता दी जाए। केवल तभी उन्हें प्रगति के रास्ते पर ले जाना सम्भव होगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि मूल समस्या का सम्बन्ध भूमि सुधार के प्रश्न से है। जब तक गरीब कृषि मजदूरों और बटाईदार कृषकों को भूमि का स्वामित्व नहीं दिया जाएगा और उनके द्वारा किए गए कृषि उत्पादन पर उनका अधिकार नहीं होगा तब तक उनकी हालत नहीं सुधरेगी और वे अपने बच्चों तथा अपने आपको शिक्षित नहीं कर सकेंगे और नौकरियों में पदों के लिए मुकाबला नहीं कर सकेंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि मूल समस्या का सम्बन्ध सही भूमि सुधार और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उन लोगों के आर्थिक उत्थान से है, जो अधिकतर भूमि-हीन, कृषि मजदूर और बटाईदार कृषक हैं। जब तक इन लोगों को भूमि का स्वामित्व तथा उत्पादन का

अधिकार नहीं दिया जाएगा उनका आर्थिक स्तर ऊंचा नहीं हो सकता और वे नौकरियों के लिए मुकाबला करने हेतु पर्याप्त शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते।

6.00 म० प०

सभापति महोदया : श्री बाग आप अगली बार अपनी बात जारी रख सकते हैं। अब हमें नियम 193 के अधीन चर्चा करनी है।

6.0 1/2 म० प०

देशी भाषा समाचार एजेन्सियों में कथित आर्थिक संकट, जिसके फलस्वरूप "समाचार भारती" में हड़ताल और तालाबंदी तथा "हिन्दुस्तान समाचार" के मजदूरों द्वारा हड़ताल का नोटिस

सभापति महोदया : अब श्री महोहम्मद असरार अहमद नियम 193 के अधीन चर्चा करें।

श्री मोहम्मद असरार अहमद (बदायूं) : महोदया, मैं देशी भाषा समाचार एजेन्सियों में कथित आर्थिक संकट जिसके फलस्वरूप "समाचार भारती" में हड़ताल और तालाबन्दी तथा "हिन्दुस्तान समाचार" के मजदूरों द्वारा हड़ताल की पूर्व सूचना और इस मामले में सरकार द्वारा की गई कार्रवाई पर चर्चा आरम्भ करता हूं इस सम्बन्ध में जितनी गन्दगी है, उसको छोड़ते हुए, मुख्य-मुख्य बातों की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इस समय हमारे पास चार एजेन्सियां हैं—हिन्दी की समाचार भारती और हिन्दुस्तान समाचार तथा अंग्रेजी की पी० टी० आई० और यू० एन० आई०। ये और जुबानों को भी कवर करती हैं। मगर दुख की बात है कि जहां इन एजेन्सियों के मन्थली या सालाना खर्चे का 90 प्रतिशत भाग सरकार वहन करती है, रोजाना इस सदन में डिस्कशन होती है कि हिन्दी को आगे बढ़ाया जाए तथा हमारे गांवों में मासमीडिया तक हिन्दी में खबरें पहुंचाई जाती हैं, लेकिन हिन्दी एजेन्सियों का सिर्फ 25 प्रतिशत भाग सरकार वहन करती है, जबकि अंग्रेजी एजेन्सियों का शत-प्रतिशत भाग। मेरा सरकार से सुझाव है कि इन हिन्दी की दोनों एजेन्सियों को अधिक से अधिक रुपया देकर इनके काम को बढ़ाने की चेष्टा करें ताकि हमारी महामाननीय श्रीमती इन्दिरा गांधी जी के बीस सूत्री कार्यक्रम को इम्पलीमैंट करने में आसानी हो, सरकार को इससे काफी मदद हो सकती है।

इसके बाद यहां लॉक-आउट और स्ट्राइक आदि का जिक्र हुआ है। कोई भी आदमी लौक-आउट, स्ट्राइक या डिमौन्सट्रेशन तब तक नहीं करता, जब तक कि उस पर फिजीकली या मैंटली टौर्चर न किया जाए। समाचार भारती में कर्मचारियों की महीनों की तनखवाह गायब कर दी गई है, कर्मचारी खाने तक के लिए भूखों मर रहे हैं। फिर यदि वहां लौक-आउट, स्ट्राइक आदि होती है तो वह हो सम्भावित है। आखिर सरकार इतने दिनों तक क्यों चुप रही। जबकि उसका थोड़ा-बहुत कन्ट्रोल उस पर था। फिर भी इतने दिनों तक क्यों सोती रही, किसने सोने को बाध्य किया। जिन कर्मचारियों या अधिकारियों को इसके लिए दोषी ठहराया जा सकता है, उनके विरुद्ध पता नहीं सरकार ने कोई कार्य-

वाही की या नहीं की। हमें सिर्फ इतना मालूम हुआ है कि कर्मचारियों और प्रबन्धकों के बीच कोई समझौता हुआ है। लेकिन समझौते तो होते रहते हैं, लेकिन उनको सही तरीके से कभी इम्पीमेंट नहीं किया जाता। अब तक 15-20 रोज गुजर जाने के बाद भी उस फैसले की इम्पलीमैंट नहीं किया जा सका है। उस तरफ किसी का ध्यान नहीं है।

इसके अतिरिक्त मास-मीडिया के जरिए से, टैलैक्स और टैलीप्रिन्टर के जरिए से खबरें भेजी जाती हैं, मगर समाचार भारती हो या हिन्दुस्तान समाचार, सभी के कनैक्शन कटे हुए हैं और बहुत थोड़े से शेष हैं। हमें बगैर काम के तनख्वाहें देनी पड़ती हैं। इसके लिए सरकार ने अब तक कोई सर्वे नहीं किया कि कैसे इसके काम को आगे बढ़ाया जा सकता है और वास्तव में इन एजेन्सियों का काम बढ़ रहा है या नहीं। यदि सिर्फ तनख्वाहें देने से ही इन एजेन्सियों का काम सुधारा जा सके तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता। मगर जो तरीके से सामग्री वहां होनी चाहिए, जो चीजें होनी चाहिएं, वे ठीक काम कर रही हैं या नहीं, हमें देखना चाहिए। दूसरी बात मेरी यह समझ में नहीं आती कि जब हम किसी काम पर आज एक लाख खर्च करते हैं, तो कुछ समय बाद उसके लिए दो लाख या उससे भी ज्यादा खर्चे की आवश्यकता होगी, क्यों जब उसका काम बढ़ेगा तो हमें ज्यादा बजट चाहिए, लेकिन इन एजेन्सियों का बजट कई सालों से वहीं का वहीं टिका हुआ है। हिन्दुस्तान समाचार और समाचार भारती को 17 लाख रुपया मिलता है और यू० एन० आई० तथा पी० टी० आई० को एक करोड़ रुपया। जहां तक शहरों तक खबरें पहुंचाने का काम है, ठीक है, यह पैसा एक सीमा तक कुछ उद्देश्य की पूर्ति करता हो, लेकिन जब खबरों को जल्दी फैलाने का सवाल हमारे सामने आता है तो एक ही हल हो सकता है कि पी० टी० आई० को समाचार भारती से जोड़ दिया जाए और यू० एन० आई० को हिन्दुस्तान समाचार से। इससे एक ओर तो खर्चे में कमी आयेगी और उसके साथ-साथ खबरें शीघ्रता के साथ पहुंचाने में हमें आसानी हो जाएगी। मगर सरकार ने इस पर भी अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया। इसलिए मैं कहूंगा कि यह जो फर्क है रुपये का दोनों में वह क्यों है ? आज भी जितने कर्मचारी हैं उनको पूरी तनख्वाह नहीं मिल सकी और भूखों मर रहे हैं। रोज सदन में होता है कि भूखों को, शेड्यूल्ड कास्ट्स को इतना रुपया देते हैं। तो क्या इन एजेन्सीज में काम करने वाले शेड्यूल्ड कास्ट्स से भी गिरे हुए हैं और उनको पूछा तक नहीं जाता ? रोज कहते हैं कि न्यूज एजेन्सीज चाहे रूलिंग पार्टी की हों या विरोधी दल की वह सही खबरें नहीं छापती हैं। तो दुनिया का कायदा है जब उनका पेट नहीं भरेगा तो वह सही खबरें नहीं छापेंगी।

इमरजेंसी के पहले सरकार ने इन एजेन्सीज के दो टुकड़े कर दिये थे। उसके बाद जनता सरकार ने 4 कर दिए। अगर फिर इनके दो टुकड़े हो जाएं तो बहुत-सी मुसीबतों से छुटकारा मिल सकता है। सरकार ने जब प्रैस कमीशन बैठा रखा है, उनकी दो मुख्य रिकान्डेशन्स हैं। सरकार यहां कहती है कि हम उनको इम्पलीमैंट करेंगे। लेकिन अभी तक तो इम्पलीमैंट नहीं हुई। तो मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि उनकी नीति क्या है ? आया इन संस्थाओं को आप जिन्दा रखना चाहते हैं या नहीं ? और अगर चाहते हैं तो किस तरीके से ? इसका एक हल और भी हो सकता है कि स्वयं सरकार अपने कंट्रोल में ले ले और अपनी तरफ से चलाये। क्योंकि जिस तरह से "हिन्दुस्तान समाचार" और खासतौर से इस सरकार ने वी० जे० पी० के हाथ में बेचा था उस पर सब कंट्रोल वी० जे० पी० या आर०एस०एस० का है, उसमें अपोजीशन के ही कर्ताधर्ता हैं, लेकिन रुपया हमारा जाता है। हम चाहते हैं कि इस सोसाइटी को तोड़कर के एक नई सोसाइटी बनाई जाए।

इसी तरह से एक मांग यह भी है कि जनरल मैनेजर हो या कोई और उन्होंने भ्रष्टाचार किया। मैं उसे गिनाना नहीं चाहता, मगर इतना चाहता हूं कि उसकी जांच अवश्य जांच करायें ताकि भ्रष्टाचार दूर हो सके।

इसके अतिरिक्त मैं यह जानना चाहता हूं जब मैंने काल अटेंशन दिया था और इसको कन्वर्ट कर दिया गया 193 में बगैर मुझसे पूछे, मैं खड़े का खड़ा रह गया, मैंने मूव भी नहीं किया और अपोजीशन ने मांग की कि इसको 193 में कर दिया जाए और उपाध्यक्ष महोदय ने जबरदस्ती आज 15 दिन के बाद पूरे 6 बजे मुझे यहां पर आना पड़ा। हमारे उपाध्यक्ष महोदय तो मन्त्रियों को बचायेंगे, लेकिन मेरी बात कभी नहीं सुनेंगे। मैं खड़े होकर कहना ही चाहता था मगर उन्होंने कहा हां, हां। मुझे इसका दुख है।...

सभापति महोदया : अब आप विषय पर आइये।

श्री मोहम्मद असरार अहमद : इसलिए मैं चाहूंगा सरकार इस सिलसिले में अपनी नीति को बताये।

श्री कृष्ण प्रताप सिंह (महाराजगंज) : सभापति महोदय, इस देश में मात्र दो हिन्दी संवाद समितियां हैं। (1) समाचार भारती और (2) हिन्दुस्तान समाचार।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : नहीं "यूनीवार्त" भी है।

श्री कृष्ण प्रताप सिंह : ठीक है। मगर इन दो की हालत अत्यन्त चिन्ताजनक है और हर वर्ष अपनी चिन्ता हम व्यक्त करते हैं और सरकार भी समय समय पर आश्वासन देती है और कुछ न कुछ कार्यवाही करती है। "हिन्दुस्तान समाचार" का प्रश्न हम लोगों ने कालिंग अटेंशन के माध्यम से इसी सदन में उठाया था जिसमें श्री भागवत झा आजाद ने आश्वासन दिया था कि हम इसका प्रबन्ध सरकार के हाथ में लेकर चलायेंगे, अगर उनके संगठन से हमारा समझौता नहीं होता है। समझौता नहीं हुआ और उसके बाद "हिन्दुस्तान समाचार" का प्रबन्ध दिल्ली प्रशासन ने अपने हाथ में ले लिया परन्तु उसमें कहां सुधार हुआ है, इस पर मैं बाद में आऊंगा।

"समाचार भारती" एक महत्वपूर्ण संवाद समिति है, जिसकी स्थिति आज बिगड़ी हुई है। इस पर हमें गम्भीरता से सोचना है कि कौन से ऐसे कारगर कदम उठाए जायें जिससे ये दोनों संवाद समितियां फिर से पुनरुज्जीवित हों?

हमारे एक माननीय सदस्य ने कहा कि एक को पी० टी० आई० से जोड़ दिया जाए और एक को यू० एन० आई० से जोड़ दिया जाए। मेरा ख्याल है कि यह दोनों हिन्दी की समाचार एजेन्सियां हैं, इसलिए इनकी व्यवस्था अलग रहनी चाहिए और मेरा सुझाव है कि आप "समाचार भारती" और "हिन्दुस्तान समाचार" को एक साथ जोड़कर एक निगम बनाइये क्योंकि हर वर्ष सरकार इन्हें आर्थिक सहायता देती है और केवल कुप्रबन्ध के कारण ही हम समझते हैं कि हम इसको चलाने में सफल नहीं हो पाए हैं।

आप एक निगम बनाकर इसकी देखरेख अपने हाथ में लें। इस तरह की रिपोर्ट प्रेस कमीशन की है, कुलदीप नैय्यर कमेटी ने सिफारिश की है और पत्र समाचार संगठन ने भी इसी तरह की सिफारिश की है। इसलिए हम समझते हैं कि सरकार को इसे मानने में कोई दिक्कत नहीं होगी।

"समाचार भारती" में हमारे देश की राज्य सरकारों का 90 प्रतिशत हिस्सा है। जैसा मैंने बताया "हिन्दुस्तान समाचार" आपने दिल्ली प्रशासन को सौंपा है, लेकिन इसके बाद भी हमें कारगर ढंग से इसमें सफलता नहीं मिली है। इसके दो तीन कारण हैं :—

ढाई वर्ष में इसके 4 प्रशासक बदले गये हैं, उनमें कोई वरिष्ठ पत्रकार नहीं लिया गया।

8 मैनेजर बदले गए हैं और एक महा-प्रबन्धक को 16 दिन में ही बर्खास्त कर दिया गया।

नालायक लोगों की बहाली की गई।

उर्दू, मराठी, गुजराती, उड़िया, असमिया, तेलुगु, पंजाबी और बंगला में समाचार देने के लिए उनको कोई सहायता नहीं दी गई।

प्रेस आयोग की दोनों रिपोर्टों को रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया।

कुलदीप कमेटी की रिपोर्ट पर भी कोई विचार नहीं हुआ।

गृह-मन्त्रालय और शिक्षा मंत्रालय के भाषा विकास कोष से कोई मदद नहीं दी गई।

अंग्रेजी समाचार एजेन्सीज को आर्थिक सहायता दी जाती है। ये कारण हैं जिससे हिन्दुस्तान समाचार की स्थिति में हम काफी सुधार नहीं कर पाए हैं।

इसके अधिग्रहण के बाद, दिल्ली प्रशासन के हाथ में जाने के बाद जो रिपोर्ट है, वह एक नजर में मैं आपके सामने रखना चाहता हूं :—

इसमें ग्राहकों की संख्या अधिग्रहण के पहले 165 थी और उसके बाद 115 है। मासिक राजस्व पहले 2 लाख 10 हजार था और बाद में वह 1 लाख 80 हजार है। अन्य स्रोतों से आय पहले 30 हजार प्रति माह थी और बाद में शून्य है। वेतन बकाया पहले 3 महीने का था और आज 13 महीने का है। बोनस बकाया पहले 2 वर्ष का था और अब 4 वर्ष का है। भविष्य निधि बकाया पहले साढ़े 4 लाख थी और आज 10 लाख। कर्मचारी राज्य बीमा बकाया पहले 1 करोड़ 20 लाख थी, आज 2 करोड़ 7 लाख है। डाक-तार विकास का बकाया पहले 9 लाख था, आज 18 लाख है।

इस तरह से हम देखते हैं कि इसमें भी हम व्यापक सुधार नहीं कर पाये। इसलिए मेरा सुझाव है कि दोनों एजेन्सियों को मिलाकर एक निगम बनाइए और इसका प्रबन्ध अपने हाथ में लीजिए।

कुशल-पत्रकारों को इसमें भेजिये ताकि इसको पुनरुज्जीवित किया जा सके और जो सस्ते व

सुलभ ढंग से हिन्दी भाषा में या अन्य भाषाओं में जिला स्तर तक समाचार छापते हैं, जो अखबार निकालते हैं, उनको भी मदद मिले और सस्ती दर पर उनको समाचार मिलें। इसलिए इन दोनों एजेन्सियों को मजबूत करने में सरकार को सचेष्ट होना चाहिए।

श्री जयपाल सिंह कश्यप (आंवला) : सभापति महोदय, समाचार भारती और हिन्दुस्तान समाचार, हिन्दी की ये दो प्रमुख एजेन्सियां जिस संकट से गुजर रही हैं और उनके साथ जिस तरह का व्यवहार अब तक हुआ है, उससे प्रतीत होता है कि इस देश में हिन्दी की जो उपेक्षा हो रही है, ये संस्थाएं भी उस उपेक्षा का शिकार हो रही हैं।

प्रेस और विशेष रूप से देश की भाषाओं से सम्बन्धित प्रेस को अधिक बढ़ावा मिलना चाहिए, लेकिन जिस तरह से इन एजेन्सियों को हड़ताल और तालाबन्दी के संकट से गुजरना पड़ रहा है, मनमाने ढंग से लोगों को निकाला जाता है, नियुक्तियों में भी घपला हो रहा है और घाटा बराबर बढ़ता जा रहा है, उससे प्रकट है कि उनका एडमिनिस्ट्रेशन अपने कर्त्तव्य-पालन में असफल रहा है और यह चिन्ता का विषय है।

पत्रकारिता हमारे प्रजातंत्र का स्तम्भ और आधार है। जहां हम लेजिस्लेचर, जुडिशरी और एक्सीक्युटिव को महत्व देते हैं, वहीं पर हमारे यहां फ्री प्रैस भी होना चाहिए। लेकिन वहां पर फ्री प्रैस कैसे हो, जहां पत्रकार अपनी रोजी-रोटी के लिए जूझ रहे हों ?

हिन्दी हमारे देश की राष्ट्रभाषा है, जिससे देश की एकता हो सकती है। उस भाषा के साथ गुजराती, बंगला, तेलुगु, उर्दू और मराठी आदि हमारे राज्यों की भाषायें जुड़ी हुई हैं। अंग्रेजी इस देश की भाषा नहीं है। यहां ऐसे हालात पैदा कर दिए गए हैं, जिनमें अंग्रेजी खूंटा गाड़ कर बैठ गई है। लेकिन अगर हिन्दी और राज्यों की भाषाओं को विकास का मौका मिला होता, तो वे जन-जन तक पहुंची होती और उससे देश के लोगों की ज्ञान-वृद्धि हो गई होती।

मैं पूछना चाहता हूं कि हिन्दी तथा राज्यों की भाषाओं से सम्बन्धित इन समाचार एजेन्सियों के साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है। इंगलिश की एजेन्सियों को 30, 90 लाख रुपए आकाशवाणी और दूरदर्शन से दिलाए जाते हैं, जबकि हिन्दी की इतनी उपेक्षा की जा रही है कि उसकी समाचार एजेन्सी को केवल 6, 7 लाख रुपए मिलते हैं। वास्तव में हमें हिन्दी और देशी भाषाओं का पोषण करना चाहिए और उन्हें दस बारह गुना अधिक सहायता देनी चाहिए, लेकिन उनसे सम्बन्धित एजेन्सियों को केवल नाम-मात्र की सहायता दी जाती है। अंग्रेजी देश के जन-जन की भाषा नहीं है। वह देश के देहात और कस्बों में नहीं पढ़ी जाती। देश का बहुत बड़ा वर्ग उसको समझ नहीं पाता है। उसको बढ़ाने के लिए सरकार लाखों रुपए की व्यवस्था करे और हिन्दी की उपेक्षा करे, यह बहुत चिन्ता का विषय है।

अभी कुछ दिन पहले टेलिविजन पर बताया गया कि समाचार भारती और हिन्दुस्तान समाचार की एक परामर्शदात्री समिति बनी है, उसका अध्यक्ष इस सदन के माननीय सदस्य, श्री अरुण नेहरू को बना दिया गया है।

आचार्य भगवान देव (अजमेर) : श्री अरुण नेहरू का उनके साथ कोई संबंध नहीं है। कोई पेपर

किसी बात को छाप देता है, तो वह वास्तविकता नहीं हो जाती। इसका खंडन हो चुका है। इस तरह की गलत-बयानी करना उचित नहीं है।

श्री जयपाल सिंह कश्यप : या तो माननीय सदस्य इस्तीफा दे देंगे या मैं इस्तीफा दे दूंगा अगर रेडियो, टी० वी० पर यह न्यूज न आई हो ? यह बात भी सही है कि अगले ही समाचार में उसका खण्डन भी किया गया था।

आचार्य भगवान देव : जब खण्डन कर दिया गया था तो उसको यहां पर कहने और गलत-बयानी करने की क्या जरूरत है? (**व्यवधान**)

श्री जयपाल सिंह कश्यप : टेलीविजन पर यह समाचार आता है कि इस परामर्शदात्री समिति का अध्यक्ष श्री अरुण नेहरू को नियुक्त कर दिया गया है।

सभापति महोदय : वह बात तो खत्म हो गई, उसको आप क्यों दोहरा रहे हैं?

श्री जयपाल सिंह कश्यप : सभापति महोदय, प्रश्न यह उठता है कि उस समाचार का खण्डन करने की आवश्यकता क्यों पड़ी ? इसका मतलब यही है कि कुछ ऐसे खेल खेले जा रहे हैं जिससे कि इन हिन्दी समाचार एजेन्सियों को कुछ लोगों द्वारा सत्ता का लाभ उठाकर अपने कब्जे में रखा जा सके।

जहां तक इनके कर्मचारियों की स्थिति का संबंध है, कितने लोगों को निकाला गया है, किस तरह से भर्ती की गई है और कितने अर्से से उनको वेतन नहीं मिल रहा है ? सरकार को तुरन्त ही दोनों हिन्दी एजेन्सियों की सुरक्षा के लिए, उनको संरक्षण देने के लिए और उनको जीवित रखने के लिए इतनी व्यवस्था अवश्य करनी चाहिए कि वे जीवित रह सकें। यदि यह एजेन्सियां जीवित नहीं रहती हैं तो यह हमारी भाषा और हमारे देश का अपमान होगा। उनको जीवित रखना हमारा कर्तव्य है और उसके लिए सरकार को सहायता करनी चाहिए। हिन्दी भाषा के प्रचार के लिए सरकार ऐसा करती है, विदेशों के भी चक्कर लगाए जाते हैं तो हमारे देश की जो एजेन्सियां हैं उनके लिए सरकार के द्वारा कम से कम एक करोड़ रुपए की व्यवस्था होनी चाहिए और उनको जीवित रखने का प्रयास किया जाना चाहिए। आज एक संस्था दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले है और दूसरी एजेन्सी को आपरेटिव के अधीन चल रही है। उनमें इतनी हानि हो रही है कि एक एक साल के वेतन नहीं दिए जा सके हैं। इनके अलावा जो दूसरी समाचार एजेन्सियां हैं, अंग्रेजी भाषा की, उनमें 90 और 99 परसेन्ट तक शेयर राज्य सरकारों के हैं जबकि इन एजेन्सियों में घाटा रहता है, पत्रकार नुकसान में रहते हैं। यदि सरकार उनको स्वयं नहीं चला सकती तो एक निगम बना दिया जाए। प्रेस कमीशन ने अपनी सिफारिशों में एक सिफारिश यह भी की थी। प्रेस कमीशन की सिफारिशों को लागू करने में आप क्यों हिचकिचा रहे हैं ?

जहां तक इन एजेन्सियों के प्रति भेदभाव बरतने का सम्बन्ध है, अखबारों के जो मालिक हैं, वे अंग्रेजी टेलिप्रिंटर के लिए 20 हजार शुल्क देते हैं जबकि हिन्दी अखबार वाले 1700 रुपया ही देते हैं, यह कितना बड़ा भेदभाव है ? किस तरह से हिन्दी को दबाया जा रहा है और किस तरह से इन एजेंसीज को दबाने की कोशिश की जा रही है ? इसके जो संवाददाता हैं वह पार्ट-टाइम चल रहे हैं, उनको वेतन के नाम पर बहुत कम मिलता है। जिला, तहसील तथा अन्य स्तरों पर जो पार्ट-टाइम रिपोर्टर काम

करते हैं उनकी कोई सुरक्षा नहीं है, उनका वेतन नाम-मात्र का है, 40-50 रुपए में वे कैसे काम चला सकते हैं ? इन संवाददाताओं पर भी पालेकर एवार्ड लागू किया जाना चाहिए और उनको वही वेतन व सुविधायें मिलनी चाहिए जिससे कि वे पत्रकारिता का काम सही एवं सुचारु रूप से कर सकें। एक विश्वास पैदा हो सके, वरना हम निष्पक्ष स्वतन्त्रता पत्रकारिता को इस देश में दे नहीं पायेंगे।

अभी समाचार भारती के महाप्रबन्धक ने इस्तीफा दिया है, जिसकी मांग बराबर कर्मचारियों और संवाददाताओं द्वारा रही है कि उनको पद से हटाया जाए। कहा जाता है कि उन की वजह से भ्रष्टाचार, कदाचार सारे का सारा चल रहा था। उनके कामों की वजह से एजेंसी फेल हो रही थी। मैं चाहता हूं कि इस बारे में सी० बी० आई० की इन्क्वायरी होनी चाहिए। जो लोग दोषी पाए जायें, उनको सजा दी जानी चाहिए। श्री यू० एस० गांधी द्वारा कभी एक नाम से और कभी दूसरे नाम से टेलीफोन होते रहे हैं और गलत काम करते रहे हैं। दुर्भाग्य से हमारे देश में ऐसे लोग भी हैं, जो गलत नामों से काम कर सकते हैं। यह बड़े शर्म की बात है, इस पर मन्त्री महोदय को ध्यान देना चाहिए।

जहां तक इसको जीवित रखने का सवाल है, यदि आप इसको निगम नहीं बना सकते हैं तो यू० एन० आई० और पी० टी० आई० एजेंसी के साथ एक-एक को जोड़ दीजिए। ताकि वे जीवित रह सकें और उनका काम सुचारु रूप से चल सके। कानून में भी ऐसी व्यवस्था कर दीजिए कि संवाददाताओं, प्रेस रिपोर्टर्स के कर्मचारियों का शोषण न हो सके। कानून इतना कमजोर है कि पालेकर एवार्ड आने से पहले ही सैकड़ों-लाखों कर्मचारियों को हटा दिया गया। इसकी वजह से हर जिले में सैकड़ों लोग प्रभावित हुए हैं। अनेक संवाददाता और पत्रकार इसके शिकार हुए हैं। संसद में भी मामला आया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं की गई। उनको कोई इन्साफ नहीं मिल पाया। समाचार भारती के निर्देशक मण्डल द्वारा यह कोशिश की जा रही है कि सामूहिक रूप से त्याग पत्र दे दिया जाए। ऐसा खेल खेला जाए ताकि संवाददाताओं और कर्मचारियों से बदला लिया जा सके। उन को इस तरह से विघटित कर दिया जाए कि कुछ लोगों को दूसरी एजेन्सी में ले लिया जाए। इस ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। जिस तरह से बोर्ड आफ डायरेक्टर्स सामूहिक त्याग पत्र देकर डिजोल्व करने पर तुले हुए हैं, उनके ऐसा करने से पहले ही सरकार को ठोस कदम उठाना चाहिए। जिन लोगों को अभी तक वेतन नहीं मिला है, जो बोनस उनका तय है, इसको अदा करने के लिए सरकार को अपने पास से व्यवस्था करनी चाहिए।

यह मामला कई मन्त्रालयों से जुड़ा हुआ है। सूचना मन्त्री, शिक्षा मन्त्री, श्रम मन्त्री और गृह मन्त्री—चारों मन्त्री बैठकर इस संबंध में परामर्श करके एक निष्कर्ष पर पहुंचे, ताकि इन दोनों समाचार एजेन्सियों की रक्षा हो सके और उन्हें संरक्षण मिल सकें। वैसे श्रम मन्त्री, श्री विरेन्द्र पाटिल और राज्य मन्त्री श्री धर्मवीर द्वारा इसके समाधान के लिए प्रयास भी किया गया है। संवाददाताओं और कर्मचारियों द्वारा उनको दिल से धन्यवाद दिया है। मैं समझता हूं कि यदि इस समस्या के समाधान की इच्छा है, तो इसके समाधान में अधिक समय नहीं लगेगा।

इन शब्दों के साथ, मैं चाहता हूं कि आप जल्दी से जल्दी दोनों एजेंसियों की समस्याओं के समाधान के लिए गोल मेज कान्फ्रेंस बुलायें, उसमें उनके प्रतिनिधि, मालिक या डायरैक्टर्स वगैरह बैठें। और सरकार के चारों मन्त्रालयों के प्रतिनिधि बैठकर सारी समस्याओं की चर्चा करके उनका कोई समाधान निकालें। यही कहते हुए मैं माननीय मन्त्री जी का विशेष रूप से इस ओर ध्यान दिलाता हूं ताकि इस

समस्या का समाधान जल्द से जल्द हो जाना चाहिए और इन समाचार एजेन्सियों को संरक्षण मिलना चाहिए।

श्री डी० पी० यादव (मुंगेर) : सभापति महोदया, मैं इन दो एजेन्सियों के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों के भाषण बड़े ध्यान से सुन रहा था। उन्होंने कुछ सुझाव भी दिये हैं। मुझे कोई नया सुझाव नहीं देना है। मैं चाहता हूं कि ये दोनों समाचार एजेन्सियां फले-फूले, पनपें और बढ़ें। कैसे बढ़ें—यह सम्यक रूप से माननीय मन्त्री जी को सोचना है। हिन्दी का विकास हो, हिन्दी समाचार एजेन्सियों में लगे हुए लोग किसी न किसी तरह से अपनी प्रतिष्ठा कायम रखते हुए इसकी सेवा कर सकें—ऐसी मैं विनती करूंगा।

मैं अभी श्री जयपाल सिंह कश्यप का भाषण सुन रहा था, मुझे विशेष कुछ नहीं कहना है, लेकिन इधर समाचार भारती को लेकर कुछ बातें अखबारों में आई हैं, उनके जनरल मैनेजर को लेकर कुछ बातें आई हैं। मैं किसी व्यक्ति के पक्ष या विपक्ष में या बचाव में बोलने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं लेकिन मैं यह जरूर कहना चाहूंगा कि जो व्यक्ति इस सदन का सदस्य न हो, उस पर डायरैक्ट एलीगेशन लगाना हम लोगों की मर्यादा के अनुरूप नहीं होगा। समाचार भारती या हिन्दुस्तान समाचार, जो भी एजेंसी हो या उसके जो भी कर्मचारी हों, चाहे वे जैनरल मैनेजर हों या संवाददाता हों या पीअन हो, अगर उन्होंने कोई अपराध किया है, कोई गलती की है, तो उस पर प्रापर एन्क्वायरी होनी चाहिए तथा उसके लिए नियम बने हुए हैं। इसमें कम्पनी ला अफेअर्स का मामला उठता है, कम्पनी ला अफेअर्स वाले उसको देख सकते हैं। मन्त्रालय भी इसमें इन्टरफीअर कर सकता है, एक इण्डिपेण्डेन्ट बोर्ड बना सकता है, वह भी एन्क्वायरी कर सकता है, लेकिन जो व्यक्ति इस सदन का सदस्य नहीं है उस पर डायरैक्ट एलीगेशन लगाना उचित नहीं है।

जहां तक इन दोनों समाचार एजेन्सियों की वित्तीय स्थिति का सवाल है, मैं देख रहा हूं ये प्रायः घाटे में चल रही हैं। आज से नहीं 1980 से इनमें घाटे की प्रक्रिया चल रही है। इसके एम्पलाइज, खास कर संवाददाता जो इन एजेन्सियों में लगे हुए हैं, दूरदराज के शहरों में या जिलों में लगे हुए हैं—उनको बहुत परेशानी है। उनके सामने जीवन-यापन का सवाल पैदा होता है। उन्हें कैसे विश्वास दिलाया जाय कि कल उनका भविष्य खराब नहीं है—यह आपको अवश्य सोचना चाहिए। उनका भविष्य खराब न हो, वे दृढ़ता से, मजबूती से निष्पक्ष समाचार दे सकें और हिन्दी की सेवा कर सकें—इस तरह की व्यवस्था हमको करनी चाहिए।

मैं विशेष न कह कर यही सुझाव देना चाहता हूं—मन्त्रालय के स्तर पर एक छोटी समिति गठित कर लें जिसके सामने सभी पक्षों को बुलाकर उनकी बात सुन लें। एम्पलाइज, मैनेजमैन्ट, बोर्ड आफ डायरैक्टर्स सबको सुने और जो फैसला आप करें आपका वह फैसला अन्तिम हो। किसी इण्डिपेन्डेंट स्माल कमेटी से जांच करवा लें और उसके जो सुझाव आवें उनको अमल में लायें। इन्हीं चन्द शब्दों के साथ में मांग करता हूं कि इन दोनों एजेन्सीज को मजबूत बनाने के लिए, सुदृढ़ बनाने के लिए, सरकार शीघ्र उपाय करे।

श्री रामलाल राही (मिसरिख) : अधिष्ठाता महोदया, मुझे घर जाना था, आपने मुझे बुलाकर

जो कृपा की है उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। मुझे बहुत ज्यादा नहीं कहना है—इस बात का दुःख होता है कि इस देश में जिसकी राष्ट्रभाषा हिन्दी है, वहां हिन्दी में समाचार निकालने वाली एजेन्सीज संकटग्रस्त हों, उनमें काम करने वाले संकटग्रस्त हों और वे घाटे में चली रही हो और उनकी उपेक्षा वे और समाचार एजेन्सियां जो उस भाषा में चल रही है जिसको विदेशी भाषा कहा जाता है, वे अच्छे ढंग से चल रही हों, उनकी हर तरह से मदद की जाती हो—यह इस देश के लिए और इस सरकार के लिए बड़े शर्म की बात है। मैं तो यह मान कर चलता हूं कि इस देश से अंग्रेज चले गए लेकिन अंग्रेजियत नहीं गई। हम आज भी अंग्रेजी सरकार के रास्ते पर चल रहे हैं और माफ कीजिए अगर मैं यह बात कहूं कि उस रास्ते पर केवल इसलिए चल रहे हैं और अंग्रेजी को हमने इसलिए अपनाया है कि आम व्यक्ति इस देश की सरकार की भाषा, सरकार का काम, सरकार की चालाकी, सरकार की चतुराई और किस तरह से वह लूट-खसौट का काम करती है, उसको आम जनता न जान सके क्योंकि वह अंग्रेजी पढ़ी-लिखी नहीं है। आज आम आदमी अंग्रेजी नहीं जानता गांव की अपनी भाषा जानता है और इस देश का 75 परसेन्ट व्यक्ति ऐसा है, जो हिन्दी को जानता है, समझता है, लिख लेता है, पढ़ लेता है और बाकी जो 25 प्रतिशत हैं, वे ऐसे लोग हों जो हिन्दी लिख न पाते हों लेकिन समझ तो वे भी लेते हैं। तो मेरा यह आरोप है कि इन 37 सालों में आप ने हिन्दी को प्रोत्साहन केवल इसलिए नहीं दिया कि इस देश के 70 करोड़ लोग आपकी चालाकी और चतुराई को न समझ सकें।

'हिन्दुस्तान समाचार' और 'समाचार भारती', इन दोनों एजेन्सियों के मामले मेरे पास भी जाए थे और जब मामला मुझे मालूम हुआ, तो मुझे याद है, मेरे पास कापी भी है, कि 14-12-83 को मैंने प्रधान मन्त्री जी को ब्यौरे के साथ यह दो पेज का पत्र लिखा और इस पत्र की कापी सूचना और प्रसारण राज्य मन्त्री को भी भेजी। प्रधान मन्त्री जी के पास से मेरे पास यह जवाब आया कि मैंने इसको संबंधित मन्त्री को भेज दिया है और वे उस मामले को तय करें और सुनिश्चित करें। मन्त्री जी की ओर से उनके पी०ए० का जवाब मेरे पास यह आया कि मन्त्री जी अभी हैं नहीं, जब आएंगे, तो उनके सामने पेश किया जाएगा। मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि यह पत्र 14-12-83 का है और तीन महीने से ज्यादा हो गए हैं लेकिन मन्त्री जी ने यह मुनासिब नहीं समझा कि उनको जो पत्र प्रधान मन्त्री जी ने भेजा है, उसको देखें और पढ़ें कि उसमें क्या है और यह देखें कि क्या संकट है क्या मुसीबत है तो यह उपेक्षा क्यों की जा रही है। वे इसके बारे में क्या मदद कर सकते हैं, इसकी उनको कोई चिन्ता नहीं है और कोई कार्यवाही उन्होंने आज तक नहीं की है। अगर की होती, तो मुझे लिखते और उसकी जानकारी मुझे होती। दोनों ऐजेन्सियां संकट में चल रही हैं। हमारे मित्र बता रहे थे और उन्होंने आंकड़े भी दिए हैं और मुझे भी मालूम है कि इनकी ग्राहक संख्या घट रही है और इन एजेन्सियों की मासिक आय घट रही है और टेलीप्रिन्टर का लाखों रुपया बकाया पड़ा हुआ है। अगर मैं आपको एक बात बताऊं तो आपको बड़ा ताज्जुब होगा। आप सम्भवतः जानते होंगे कि इन दोनों एजेन्सियों के जो हिस्से हैं, 95 प्रतिशत सरकार ने खरीद लिए हैं और इन एजेन्सियों के चलाने वालों को उसने अपने कब्जे में कर लिया है। सरकार की नीयत खराब है। अगर सरकार ने 95 फीसदी हिस्सा ले लिया है और उनके नियंत्रण में लोग काम कर रहे हैं, तो क्या वजह है कि घाटे में ये एजेन्सियां चल रही हैं। इससे साफ जाहिर है कि इसके पीछे राजनीतिक कारण हैं और राजनीतिक कारणों से इन एजेन्सियों को बताया जा रहा है लेकिन इस देश की सरकार को माननीय श्रम मन्त्री जी को, प्रधान मन्त्री जी को और सूचना मन्त्री जी को यह समझना चाहिए कि हम भारतीय हैं, हिन्दुस्तानी हैं, हमने इस देश की भाषा को हिन्दी स्वीकार किया है और

हिन्दी में छपने वाले पत्र और पत्रिकाएं तथा समाचार, जो आम आदमी तक पहुंचते हैं और आम आदमी को आपकी कथनी और करनी को बताते हैं, अगर वे मर जाएंगें, तो फिर आपके पास क्या रह जाएगा। किसी देश में राष्ट्र भाषा के सम्मान में एक छोटी सी कहानी कहना चाहूंगा। उसके बाद मैं अपनी बात समाप्त कर दूंगा। सन 1978 में मुझे जी० डी० आर० जाने का मौका मिला। पूर्वी जरमनी में मैंने कई जगह जाकर देखा, बहुत जगह लोगों से मिला। मैं आपको बताना चाहता हूं कि वहां पर अंग्रेजी पढ़ने और जानने वाले लोग थे, लेकिन मीटिंगों में बैठकों में एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं था जो अंग्रेजी में बात कर रहा हो। हमारे यहां तो घर में चाहे कुछ भी करते हों लेकिन यहां तो अंग्रेजी के अलावा बात नहीं करेंगे। जरमनी में एक यूनिवर्सिटी में वहां के डीन ने प्रोफेसरों में हम लोगों को स्वागत करने के लिए बुलाया। शाम को 6 बजे सब लोग पहुंचे। सबने स्वागत किया और अपनी-अपनी बात कही। इसके बाद श्री बी० सी० महन्ती जो अब स्वर्गवासी हो चुके हैं, वे जब अंग्रेजी में बोलने लगे तो सारे प्रोफेसर और डीन खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि ये आप क्या बोल रहे हैं। यह कौन-सी भाषा है। आपकी राष्ट्र भाषा हिन्दी है बहुत तोड़-मरोड़ करके जवाब देने की कोशिश की कि बहुभाषी देश हैं हमारी उड़िया है, पंजाबी है, तमिल है, लेकिन उन्होंने कहा कि आपकी कौन-सी भाषा है। आप किस प्रदेश के हैं। आप जिस प्रदेश के हैं आप उसी भाषा का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं? हमें शर्म है कि आप हिन्दुस्तान के लीडर बनकर के आए हैं और इस तरह से विदेशी भाषा का इस्तेमाल करते हैं।

आजादी के 37 सालों के बाद भी आप देश को भाषा के नाम पर बदनाम कर रहे हैं मेरा आरोप है कि यह जानबूझकर किया जा रहा है। ये दोनों एजेंसियां हिन्दी का विकास कर रही हैं। इनके द्वारा पत्र-पत्रिकाएं छपकर आम जनता तक पहुंचती हैं उसमें आप अवरोध पैदा करना चाहते हैं ताकि यह बन्द हो जायें उन तक आपकी आवाज न पहुंचे और आप इसी तरह से लूट का राज करते रहें। इसी तरीके से नम्बर एक और नम्बर दो के नागरिकता का जीवन बिता रहे हैं। लोग इस देश में रहें। नम्बर एक के राज करने वाले हैं और नम्बर दो के गांव में रहने वाले राज करने वालों का प्रयास है वे न जान पाएं कि आप यहां पर किस तरह से ऐशो-आराम की जिन्दगी बसर कर रहे हैं। आप हम लोग कैसे बंगलों में रहते हैं। किस तरह से आप लोग हवाई जहाज में सफर करते हैं। किस तरह से हम लोग गाड़ी में सफर करते हैं। ये सब बातें वे लोग न जान सकें।

अधिष्ठाता महोदय, मेरा निवेदन है कि ये दोनों एजेंसियां आज बड़े संकट में हैं। श्रम मन्त्री और सूचना और प्रसारण मन्त्री को एक हफ्ते के अन्दर प्रधानमन्त्री जी से परामर्श करना चाहिए और इसका हल निकालना चाहिए। इनका घाटा पूरा किया जाना चाहिए। ये दोनों एजेंसियां चलाई जाएं। 95 प्रतिशत हिस्से सरकार ने इसके खरीद लिए हैं। अगर आप इसको नहीं चला पा रहे है तो निगम को सौंप दीजिए। एक निगम बना दीजिए। अंत में मैंने जो पत्र लिखा था उसको दो मिनट में आपकी आज्ञा से पढ़कर अपनी बात समाप्त करता हूं। मैंने इस पत्र में लिखा था कि क्या कठिनाई है इसका समाधान क्या है। 30 वर्ष पुरानी संवाद समिति को नियमित रूप से चलाने के लिए क्या उपाय किए जाएं, इस पर विचार किया जाए। यह पत्र मैंने प्रधानमन्त्री जी को लिखा था।

सभापति महोदया : पत्र मत पढ़िए, आप अपने शब्दों में बता दीजिए। पत्र का उल्लेख तो आपने कर ही दिया है।

श्री रामलाल राही : दूसरा यह था कि क्या इस संवाद समिति को चलाने के लिए अतिरिक्त साधनों की आवश्यकता है। यदि हां तो सरकार इसमें कुछ योगदान कर सकती है, इस पर विचार हो। ये बातें मैंने अपने पत्र में लिखी थीं। इस संवाद समिति की जर्जर स्थिति को देखते हुए नई नियुक्तियां करने के क्या कारण है ? इस पर विचार होना चाहिए। घाटे पर चल रही यह संवाद समिति कैसे ऐसी स्थिति में आए कि घाटा पूरा हो, कर्मचारी नियमित रूप से वेतन पा सकें तथा जो बकाया इस संवाद समिति पर विभिन्न प्रकार का बढ़ गया है, वह कैसे अदा किया जा सके। विभिन्न स्थानों पर काम करने वाले जिन लोगों को इस संवाद समिति के प्रशासकों ने बर्खास्त किया है, उस पर विचार हो और उनकी पुरानी सेवाओं को देखते हुए उनको पुनः पूर्ववत लेने पर विचार हो। अन्त में, निवेदन करना चाहूंगा कि यह लैटर विस्तार से मैंने लिखा था। अगर इस पर विचार किया होता तो कुछ काम चल जाता। बड़ी खुशी हुई कि आज सदन में इस विषय पर चर्चा हो रही है। इन दोनों एजेन्सियों की आर्थिक स्थिति को सुधारने का काम किया जाए। एक निगम बनाया जाए, जिसके तहत ये दोनों एजेन्सियां काम करें। हिन्दी का प्रचार-प्रसार हो, हिन्दी समाचार सारे देश के अन्दर फैले। लोग, उसे पढ़ें और राष्ट्रभाषा हिन्दी के प्रति लोगों के मन में आदर पैदा हो।

श्री चन्द्रपाल शैलानी (हाथरस) : परम आदरणीया सभापति जी, यह बड़ी विडम्बना है कि आजादी के 37 सालों के बाद भी अपने देश की भाषा हिन्दी ही नहीं बल्कि देश की जितनी भी भाषाएं हैं, वे सुचारु रूप से काम नहीं कर पा रही हैं। हमारे देश में हजारों की संख्या में पत्र-पत्रिकाएं निकलती हैं। लेकिन, जितना सर्कुलेशन अंग्रेजी अखबारों या पत्रिकाओं का है, उतना हिन्दी या दूसरी भाषाओं का नहीं है। इसका मतलब यह है कि हम अपने देश की भाषा में कोई काम नहीं करना चाहते या हमको अपनी भाषा प्यारी नहीं है। यही वजह है कि हिन्दी तथा दूसरी भाषाओं का जो स्टेटस होना चाहिए, वह नहीं है। प्रैस ट्रस्ट आफ इंडिया और यू० एन० आई० के विषय में आज तक यह सुनने को नहीं मिला कि ये बहुत ज्यादा आर्थिक संकट से गुजर रही हो या कभी उनका काम ठप्प हुआ हो या उनके कर्मचारियों के रास्ते में किसी प्रकार की बाधाएं आई हो। कुछ वर्षों से हम यह सुन रहे हैं कि समाचार भारती और हिन्दुस्तान समाचार की आर्थिक स्थिति अच्छी होनी तो दूर रही, जिस तरह की पहले थी, वैसी भी नहीं हैं। हर रोज इनके कर्मचारी तन्खवाह, बोनस, एडवान्स व पेमेंट आदि के लिए रोते रहते हैं। दिल्ली में इनके लोग रहते हैं, उनके बारे में यह पता लगाया जाए कि उन्हें कितनी तन्खवाह मिलती है और किस तरह से वे जीवन-यापन करते हैं ? जब दस-दस महीनों से उनको तन्ख्वाह नहीं मिलेगी तो वे किस प्रकार से अपनी गुजर-बसर करेंगे ? अगर एक मजदूर को कहा जाए कि भूखे रहकर काम करो तो वह कितना काम करेगा ? ईमानदारी से करेगा या बेईमानी से करेगा ? इसका अन्दाज, आप स्वयं, पूरा सदन और देश की जनता लगा सकती है। पत्रकार चाहे किसी भी एजेन्सी में काम करते हों या अखबार में उनके काम को मैं बड़ा जोखिम का काम समझता हूं। क्योंकि अगर सीमाओं पर युद्ध हो रहा हो, या समुद्र में तूफान अथवा चक्रवात आ रहे हों, नदियों में बाढ़ आ रही हों या कहीं दंगा फसाद हो रहा है। पत्रकार किसी की परवाह नहीं करता, वह अपनी ड्यूटी को निभाता है। भले ही चाहे उसे कोई चोट लगे या उससे भी कोई बुरा अन्जाम निकले, लेकिन वह अपनी जान को जोखिम में डालकर समाचार एकत्रित करके लाता है और पूरी दुनिया देश और जनता को उन समाचारों से अवगत कराता है। इसलिए मैं पत्रकार के काम को बड़ी महानता और बहादुरी का काम समझता हूं। लेकिन जब उसको पेट भर रोटी न मिले, कई महीनों तक उसे तनख्वाह न मिले तो उसके दिल पर क्या बीतेगी, वह आप अच्छी

तरह से अन्दाजा लगा सकते हैं।

6.50 म० प० **(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)**

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं अभी तक यह नहीं समझ पाया हूं कि जब केन्द्रीय सरकार भरपूर मदद देती है, राज्य सरकारें भरपूर मदद देती हैं, इसके अलावा समाचार भारती के प्रबन्धक बैंकों से ओवर ड्राफ्ट लेते हैं, कस्टमर्स से पैसा लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी घाटे में चलते हैं। मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि आखिर इसके पीछे कारण क्या है, जिसकी वजह से यह एजेन्सी घाटे में चल रही है और ठीक तरह से अपने कर्मचारियों को मेन्टेन नहीं कर पा रही है। यदि इस मामले की गहराई में जाया जाए तो एक ही बात सामने आती है कि इसके प्रबन्ध में कहीं-न-कहीं गड़बड़ी है। यहां मैं अपनी जुबान से कोई अपशब्द नहीं कहना चाहता, मैं नहीं चाहता कि कोई ऐसी बात कहूं जो किसी को बुरी लगे, मैं नहीं चाहता कि कोई मेरी बात को दूसरे मायनों में ले, लेकिन इतना जरूर है कि समाचार भारती महत्वपूर्ण संस्था होते हुए भी इसकी आर्थिक स्थिति खराब है और उसको ठीक करने के लिए कोई प्रयत्न नहीं किये जा रहे है, तो इसकी जड़ में जाना पड़ेगा और उस कमी को दूर करना पड़ेगा। श्रीमन्, मैंने बहुत से लोगों से यह बात सुनी, अखबारों में भी पढ़ा और अनेक सोर्सेज से पता लगाया कि इस संस्था के प्रबन्ध में बहुत ज्यादा गड़बड़ी है। इसमें चाहे जनरल मैनेजर हों, एडीटर हों या कोई दूसरे पदाधिकारी हों, वे अपनी ड्यूटी को सही तरीके से, ईमानदारी और वफादारी के साथ, अंजाम नहीं दे रहे हैं और इस एजेन्सी के हित में काम नहीं कर रहे हैं। गत 21 मार्च को, जब समाचार भारती के कर्मचारियों ने अपने वेतन की मांग करते हुए, कलमबन्द हड़ताल की तो उसी दिन 21 मार्च को तीन बजे वहां के जनरल मैनेजर ने बगैर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अनुमति के, बिना अध्यक्ष से अनुमति लिए, उसमें ताला डाल दिया और गैर-कानूनी तरीके से वहां से चले गए। इस कारण वहां तालाबन्दी हो गई। फिर हड़ताल हुई और इससे उस एजेन्सी के कर्मचारियों में रोष और असन्तोष व्याप्त हो गया। मेरा कहने का मतलब है कि जब वहां ऐसी स्थिति हैं, तो उसका समाधान कब तक होगा। जब तक हमारे देश में हिन्दी में काम नहीं होने लगेगा तब तक यह समस्या हल होने वाली नहीं है। क्योंकि हमारे देश में अधिकतर लोग हिन्दी या अपनी भाषाओं में काम करते हैं। बहुत कम लोग अंग्रेजी समझते और बोलते हैं। अंग्रेजी जानने वाले अधिकतर बड़े-बड़े शहरों में रहने वाले कुछ लोग ही हैं। वरना ज्यादातर लोग देहातों में रहते हैं और अपनी-अपनी भाषाएं या हिन्दी का प्रयोग करते हैं। वे अंग्रेजी नहीं समझते। हमारे देश में अनेकों छोटे-छोटे अखबार निकलते हैं और वहां पर इन एजेन्सियों के द्वारा ही समाचार जाते हैं। इसलिए हिन्दी की दोनों एजेन्सियों को ज्यादा-से-ज्यादा प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। लेकिन जब इनके प्रबन्ध में ही गड़बड़ी है तो सरकार को उसका हल ढूंढ़ना चाहिए।

श्रीमन्, जहां तक इस एजेन्सी का सम्बन्ध है, पिछले पांच साल से इसके हिसाब का औडिट नहीं कराया गया है और लगभग इतने ही समय से इसकी आम सभा की बैठक भी नहीं हुई है और कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पूर्व प्रबन्धक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग नहीं बुलाते। यहां तक कि अपने उच्च अधिकारियों या पदाधिकारियों से परामर्श भी नहीं करते। अपनी मनमानी चलाते हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इस एजेन्सी के सामने दयनीय स्थिति उत्पन्न होने के कारण इसकी लगभग 35 न्यूज सेण्टर्स बन्द हो चुकी हैं और 9 से ज्यादा दफतरों में तीन महीने से लेकर 18 महीनों तक का

लोगों को नेतन नहीं मिला है। यह सारी चीजें हैं जिन पर सदन को गम्भीरता से विचार करना चाहिए। अगर सरकार समय रहते नहीं चेती और कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो कहीं यह एजेन्सीज बन्द न हो जाएं। इन्हें जिन्दा रखना देश हित में जरूरी है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वह इस विषय पर गम्भीरता से विचार करे और जल्दी-से-जल्दी कर्मचारियों के नेताओं को बुलाकर बातचीत करे और उनकी समस्याओं, परेशानियों को सुनकर जल्दी-से-जल्दी दूर करे। मेरा सुझाव है कि जितने कर्मचारियों की तनख्वाह बाकी है वह तुरन्त दी जाए ताकि उनमें काम के प्रति दिलचस्पी पैदा हो और वह ईमानदारी से अपनी ड्यूटी अंजाम दे सकें।

सरकार के पास इन एजेन्सियों के स्थाई हल के लिए क्या कार्यक्रम है? क्या सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि इनका प्रबन्ध अपने हाथ में ले? यदि हां, तो कब तक अपने हाथ में ले लेगी और यदि नहीं तो सरकार को क्या दिक्कतें हैं वह बताये।

इस एजेन्सी के जनरल मैनेजर के खिलाफ बड़ी गम्भीर शिकायतें हैं। विदेश में जाने, होटलों में रहने, जरूरत से ज्यादा पैसा खर्च करने के और फंड्स का दुरुपयोग करने के। और हमें चाहे उतनी शिकायतें न हों, लेकिन कर्मचारियों को ज्यादा शिकायतें हैं जिनकी वजह से यह एजेन्सी चल रही है। मैं जानना चाहता हूं कि, कहा जाता है कि जनरल मैनेजर ने इस्तीफा दे दिया है, क्या सरकार उनके कार्यकलापों की सी०बी०आई० द्वारा जांच कराना चाहती है? यदि हां, तो इसकी घोषणा कब तक कर दी जाएगी। इन एजेन्सीज को जिन्दा रखने और आर्थिक रूप से समृद्धशाली बनाने और कर्मचारियों की मुसीबतों को दूर करने का सरकार का परम कर्तव्य है, आप उनकी समस्याओं को हल करें और अगर मैनेजमेंट में गड़बड़ी करने वाले लोग हैं तो उन्हें ढूंढ़कर उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए और जो ईमानदारी से देश और एजेन्सी के हित में काम करते हैं ऐसे कर्मचारियों की हर तरह से मदद की जानी चाहिए।

इन शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, इस समय सात बज रहे हैं। इस विषय पर छः सदस्यों को बोलना है। केवल वही सदस्य बैठे हुए हैं जिन्होंने बोलना है। इसमें कुछ अपवाद भी हैं। अपवाद सभी चीजों में मिलेंगे। मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि उनमें से प्रत्येक 7 से 10 मिनट से अधिक समय न लें। तभी मन्त्री आठ बजे उत्तर दे सकते हैं। वे भी कुछ समय लेंगे और हम 8.30 म०प० तक सभा स्थगित कर सकेंगे। आप सभी अवश्य सहयोग दें।

अब, प्रो० रूप चन्द पाल।

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : आपने कहा है कि इस चर्चा में छः या सात सदस्य भाग लेंगे और केवल वही यहां बैठे हुए हैं। कृपया इसे कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दें, क्योंकि इससे गणपूर्ति का प्रश्न पैदा होता है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने यह बात नोट कर ली है। लेकिन मैंने स्पष्ट संख्या नहीं बताई है।

7.00 म० प०

प्रो० रूप चन्द पाल (हुगली) : देशी भाषा समाचार एजेन्सियों 'हिन्दुस्तान समाचार' तथा 'समाचार भारती' में बहुत गम्भीर स्थिति पैदा हो गई है। हड़ताल की पूर्व-सूचनाएं दी गई हैं। सभी को डर है कि तालाबन्दी हो जाएगी तथा कर्मचारियों को विवश होकर हड़ताल पर जाना पड़ेगा। यह है स्थिति···

ये दो देशी भाषा एजेंसियां अब तक के सबसे खराब संकट में घिर गई हैं। यह स्थिति रातों-रात पैदा नहीं हुई है। आप इसका इतिहास जानते हैं। आपको आपात-स्थिति के दिन याद हैं···

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप नहीं भूले हैं तो मैं भी नहीं भूला हूं।

प्रो० रूप चन्द पाल : **'समाचार'** के विलय के परिणामस्वरूप यह निर्णय किया गया था कि कार्यरत लोगों के वेतन में अन्तर को दूर करने के लिए सरकार को कुछ सहायता अनुदान देना चाहिए और इसके लिए एक सूत्र तय किया गया था और यह भी तय किया गया था कि इस सूत्र की गणना कैसे की जाए। यह कहा गया था कि यह 14-4-78 से प्रभावी होगा और पहले तीन वर्षों में सरकार 100 प्रतिशत भुगतान करेगी तथा तदुपरांत तीन वर्षों के लिए 25 प्रतिशत की दर से वार्षिक कटौती की जाएगी। लेकिन इसी बीच पालेकर पंचाट की घोषणा कर दी गई और अब यह समस्या उठ खड़ी हुई है। यह अक्तूबर, 1980 या उसके आसपास की बात है। इसलिए, यह प्रश्न पैदा हुआ कि पालेकर पंचाट के अनुसार वेतन कैसे निर्धारित किया जाए। इस सम्बन्ध में कुछ जटिलता पैदा हुई और अन्ततः यह निर्णय किया गया कि समाचार के भूतपूर्व कर्मचारी, जो सेवा में बने रहें, उनके मामले में विभेदक 1-4-80 तथा 30-9-80 की अवधि के बीच निर्धारित किया जाएगा और इस सूत्र के अनुसार बातें तय की गयीं। लेकिन इन दो देशी भाषा एजेंसियों का प्रबन्ध इस ढंग से चलाया जा रहा था कि एक सहकारी संस्था थी तथा दूसरी सहकारी संस्था की बजाय एक नियमित संगठित एजेन्सी थी। दोनों एजेन्सियां रुग्ण हो गयीं। हमारे देश में उद्योग रुग्ण हो जाते हैं। और ऐसा होने में कौन-कौन से कारकों का योगदान होता है? जैसा कि अन्य उद्योगों के मामले में होता है और जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक की एक रिपोर्ट में कहा गया है, यह अधिकतर कुप्रबन्ध के कारण होता है। यहां भी इस सहकारी 'हिन्दुस्तान समाचार' में कुप्रबन्ध के कारण हुआ। कुप्रबन्ध के कारण उनका अधिग्रहण करना पड़ा। प्रशासन को हटा दिया गया और उसके स्थान पर प्रशासकों की नियुक्ति करनी पड़ी तथा तीन से अधिक प्रशासक नियुक्त किए गए। कुप्रबन्ध—कैसा कुप्रबन्ध? धन अन्यत्र लगाना, भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी—ये सभी चीजें चलती रहीं। लेकिन सरकार, जिस पर हमारे जैसे विशाल देश में देशी भाषा समाचार एजेन्सी विकसित करने का उत्तरदायित्व है और वह भी ऐसे समय में जब यह एजेन्सी स्वयं सरकार के नियन्त्रणाधीन थी, सरकार ने इन देशी भाषा समाचार एजेन्सियों को बचाने के लिए उपयुक्त समय पर उचित कदम नहीं उठाए। इसलिए प्रश्न यह पैदा होता है कि क्या सरकार को इसकी जानकारी नहीं थी? और यदि सरकार को यह मालूम था तो उसने ऐसी स्थिति क्यों पैदा होने दी? क्या यह राजनीतिक तौर पर किसी तरह से विलय के प्रश्न से जुड़ा हुआ है या सरकार के मन में कोई बात है और वह चाहती है कि ये दोनों एजेन्सियां समाप्त हो जाएं। मूल बात यह है कि ये बन्द होने के कगार पर हैं। चूंकि श्रम मन्त्री यहां उत्तर देने के लिए मौजूद हैं, मैं उन प्रश्नों

में नहीं जा रहा हूं जो श्रम मन्त्रालय के अन्तर्गत नहीं आते। देशी भाषा समाचार एजेन्सियों के बारे में, आकाशवाणी तथा दूरदर्शन द्वारा इन एजेन्सियों को किए जाने वाले भुगतान के सूत्र के बारे में तथा अनेकों अन्य कारकों के बारे में सरकार की नीति पर कई बार बहस हो चुकी है, लेकिन हम कर्मचारियों के हित के बारे में चिन्तित हैं। बहुत से कर्मचारी, जिन्होंने इन देशी भाषा समाचार एजेन्सियों की कई वर्षों तक समर्पित सेवा की है तथा राष्ट्र की यथासम्भव सर्वोत्तम क्षमता से सेवा की है, भुखमरी का सामना कर रहे हैं। हम जानना चाहते हैं कि सरकार इन समाचार एजेन्सियों तथा इनके कर्मचारियों को बचाने के लिए क्या कदम अविलम्ब उठा सकती है। उनकी स्थिति बहुत ही खराब है। महीनों से वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। तीन से पांच वर्षों का बोनस नहीं दिया गया है और डाक तथा तार विभाग को देय राशि कई लाख रुपए है। ग्राहकों की संख्या गिरती जा रही है। इन सभी बातों का उल्लेख किया जा चुका है और इसलिए मैं उनमें नहीं जाऊंगा।

प्रश्न यह है कि उन्हें कैसे बचाया जाए। एक सुझाव यह है कि इनका विलय करके एक स्वायत्त निगम स्थापित कर दिया जाए। मेरा प्रश्न यह है कि सरकार को कौन सी नीति अपनानी चाहिए। एक स्वतन्त्र देश में सरकार को एक देशी भाषा समाचार एजेन्सी के विकास को प्रोत्साहन देना चाहिए। विगत में विभिन्न अवसरों पर मन्त्रियों ने ऐसे बयान दिए हैं जिनसे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि कम-से-कम प्रत्यक्षत: सरकार यह चाहती है कि देशी भाषा समाचार एजेन्सियां पनपें। दो-तीन दिन पहले एक प्रश्न के उत्तर में श्रम मन्त्री ने दिए गए सहायता अनुदान के सम्बन्ध में आंकड़े दिए थे और आंकड़ों से पता चलता है कि सहायता अनुदान में वृद्धि हुई है। अपने वचन के अनुसार सरकार कुछ दे रही है, लेकिन क्या इतना ही काफी है ? इन समाचार एजेन्सियों को बचाने के लिए यह काफी नहीं है। मैं सरकार की नीति के बारे में बात कर रहा हूं। सरकार को आज अपनी नीति की घोषणा करनी होगी। सरकार को इन दो देशी भाषा की **समाचार एजेन्सियों** को बचाने के लिए उठाऐ जाने वाले कदमों के बारे में हमें सूचित करना चाहिए।

जब सरकार की नीति से देशी भाषा समाचार एजेन्सियां सुरक्षित होंगी, तभी कर्मचारी सुरक्षित हो सकते हैं। यह पहली बात है।

दूसरे, जैसे कि मैंने कहा है, यह कोई रातों-रात रुग्ण नहीं हुई है बल्कि इसमें कई वर्ष लगे हैं और ऐसा प्रबन्धकों की गलतियों तथा सरकार की गलत नीति के कारण हुआ है। शायद सरकार ऐसा चाहती थी। उत्तर देते समय मन्त्री मेरे आरोप का खण्डन कर सकते हैं। यह पहले ही कहा जा चुका है कि एक भूतपूर्व महा-प्रबन्धक ने गम्भीर धोखाधड़ी की थी तथा गम्भीर प्रकार के दुर्विनियोग किया था। इसमें अधिकतर धन सरकार का होता है। चाहे यह राज्य सरकार हो या केन्द्र सरकार, यह सरकारी धन है। इसलिए, कईयों ने अभी कुछ चीजों की मांग की है। मैं भी एक मांग रख रहा हूं। परसों मन्त्री महोदय ने कहा था कि 'समाचार भारती कर्मचारी यूनियन' से उन्हें एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है जिसे कम्पनी कार्य मन्त्री को भेज दिया गया है। मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि इस बारे में उचित जांच करवाई जाए। उन्हें कर्मचारियों तथा अन्य लोगों के दिल से यह गलतफहमी या ऐसी धारणा दूर करनी चाहिए कि जिस आदमी ने धोखाधड़ी की है तथा धन का गबन किया है, उसे उचित सजा नहीं दी गई।

देशी भाषा समाचार एजेन्सियों में कथित आर्थिक संकट, जिसके फलस्वरूप "समाचार भारती" में हड़ताल और तालाबंदी तथा "हिन्दुस्तान समाचार" के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल करने का नोटिस

मेरा कहना यह है : हड़ताल की पूर्व-सूचनाएं मिल चुकी हैं। तालाबन्दियां होने वाली हैं। कई महीनों से कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया गया। वे भूखों मर रहे हैं। कम-से-कम आज मन्त्री जी को कुछ घोषणा करनी चाहिए। यदि उनकी भविष्य निधि तथा कर्मचारी राज्य बीमा आदि के देयों का नहीं तो कम-से-कम उनके वेतन तथा मजदूरी का तुरन्त भुगतान किया जाना चाहिए। आप इन सभी समस्याओं पर एक बैठक में चर्चा कर सकते हैं। लेकिन, कम-से-कम उनके वेतन का भुगतान फौरन किया जाना चाहिए ताकि उन्हें भुखमरी से बचाया जा सके। उन्हें बन्दी तथा तालाबन्दी रोकने के लिए तुरंत कदम उठाने चाहिए। मुझे आशा है कि मन्त्री महोदय वाद-विवाद का उत्तर देते समय इन मुद्दों का उत्तर देंगे।

आचार्य भगवान देव (अजमेर) : उपाध्यक्ष जी, हिन्दुस्तान समाचार समिति और समाचार-भारती की जो दयनीय स्थिति है उसके कारण कर्मचारियों को काफी दिनों से वेतन व अन्य सुविधायें नहीं मिल रही हैं। यह स्थिति दुःखदाई है और इसको दूर करने का प्रयास होना चाहिए। जितनी जल्दी हो सके, इसको किया जाना चाहिए क्योंकि भारत सरकार की यह नीति रही है, बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत कि देश के हर व्यक्ति को रोजी-रोटी मिले और हर नौजवान को रोजगार मिले। इस प्रकार के जो पत्रकार और विचारक हैं उनकी ऐसी दयनीय स्थिति हो तो उसको कोई भी पसन्द नहीं करेगा। जितनी जल्दी हो सके सरकार को इसका हल ढूंढ़ना चाहिए।

विरोधी पार्टियों की ओर से जो दोषारोपण किया गया कि सरकार दोषी है उससे मैं सहमत नहीं हूं। एक विरोधी दल के माननीय सदस्य ने कहा कि 95 परसेन्ट राज्य सरकारों के शेयर हैं, सेन्ट्रल गवर्नमेंट का कोई शेयर नहीं है—यह बात बिल्कुल निराधार है। मुझे पता है कि हिन्दुस्तान समाचार समिति और दूसरी एजेंसियां जब खराब हालत में थीं तो हमारी प्रधानमन्त्री और कांग्रेस सरकार ने इमर्जेन्सी के टाइम पर—इन एजेंसियों में काम करने वाले कर्मचारियों की दयनीय स्थिति न रहे, उनको अधिक साधन और सुविधायें मिलती रहें—इसके लिए सभी एजेंसियों को संगठित करके एक समाचार एजेंसी बनाई थी लेकिन उसको विरोधी दल के लोगों ने ही पसन्द नहीं किया। और आज यही लोग कह रहे हैं कि यदि ये एजेंसियां नहीं चलती हैं तो किसी को भी टी० आई० और किसी को यू० एन० आई० के साथ जोड़ दिया जाए। यही तो हम भी चाहते थे, यही हमारी नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी और हमारी सरकार चाहती थी लेकिन आपने ही उसको पसन्द नहीं किया। ·····**·····अलग-अलग विचार थे, सभी अपना-अपना प्रभुत्व चाहते थे···(**व्यवधान**)···चुप करके बैठो, बीच में बोलना नहीं है नहीं तो हवा निकाल दूंगा। तुम्हारी और तुम्हारी पार्टी की भी। (**व्यवधान**) आप बैठ जाइए, क्यों बीच में बोलते हो ? इस तरह बोलने का क्या हक है ? (**व्यवधान**)** मत करो, तुमको बोलने का कोई हक नहीं है।

श्री सत्य नारायण जटिया (उज्जैन) : वह **···शब्द का प्रयोग कर रहे हैं।

वह असंसदीय शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। इसे कार्यवाही वृत्तांत से निकाल देना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं कार्यवाही वृत्तांत देखूंगा। कृपया बैठ जाइए।

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

यदि यह असंसदीय शब्द है तो इसे कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

आचार्य भगवन देव : बिल्कुल···**···कर रहे हो, तुम क्यों बोल रहे हो। मैं फिर कह रहा हूं तुम···**···कर रहे हो। बीच में बोलने का कोई हक नहीं है। (**व्यवधान**)

श्री सत्य नारायण जटिया : उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इनका यह तानाशाही रवैया नहीं चलेगा। (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : यदि कुछ असंसदीय होगा तो इसे कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा। आप यही चाहते हैं न।

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : श्रीमन्, क्या मैं विपक्षी सदस्यों से यह अनुरोध कर सकता हूं कि जब एक माननीय सदस्य बोल रहे हों तो उसमें हस्तक्षेप करने के लिए उन्हें आपसे अनुमति लेनी चाहिए ?

(**व्यवधान**)

श्री सत्य नारायण जटिया : बूटा सिंह जी मैं आदरपूर्वक पूछता हूं कि···**···क्या मतलब होता है ?

आचार्य भगवान देव : जब मैं बोल रहा था, तो मैं असभ्य शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा था।

श्री बूटा सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य मुझ से ज्यादा अनुभवी हैं। मैं तो आपसे यह रिक्वैस्ट कर रहा हूं कि आप यदि इण्टरवीन करना चाहते हैं, तो पहले आप चेयर से आज्ञा लीजिए। वे बैठ जाते हैं तो आप इंटरवीन करिए। ···**···

इससे ज्यादा मैं नहीं समझता हूं।

···(**व्यवधान**)···

आचार्य भगवान देव : मैं समझा देता हूं। मैं···**···समझा देता हूं।

श्री सत्य नारायण जटिया : क्या ये मेरा आफिसर है जी मैं—**···समझा देता हूं। यह कोई इस्तेमाल करने की भाषा है।···**···

उपाध्यक्ष महोदय : हम इन चीजों का समाधान कर सकते हैं।

(**व्यवधान**)

**अध्यक्ष पीठ के आदेशनुसार कार्यवाही-वृत्तन्त से निकाल दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री देव, आपको केवल पीठ को ही सम्बोधित करना चाहिए।

श्री सत्य नारायण जटिया : यदि ये सम्मान नहीं करना चाहते हैं, तो इनका भी सम्मान नहीं होगा।·····**·····करने से कोई बड़ा आदमी हो जाता है।···(**व्यवधान**)···

आचार्य भगवान देव : जिनके सिद्धान्त आपस में परस्पर न मिलें और अलग-अलग विचारधारा रखते हों, उनका साथ नहीं रखा जा सकता है। यह एक कहावत है कि···**···विभिन्न सिद्धान्तों के लोग थे, कोई काम्यूनिस्ट था, कोई जनसंघी था और कोई लोकदल का था···(**व्यवधान**)···ये समझ नहीं पा रहे हैं।···(**व्यवधान**)···

श्री सत्य नारायण जटिया : ···**···ठिकाना नहीं है···(**व्यवधान**)···

श्री मधूसूदन वैराले (अकोला) : आप यह कहिए—कहीं की ईट कहीं का रोड़ा भानुमती ने कुनबा जोड़ा—यह संसदीय है।

आचार्य भगवान देव : आपने बिल्कुल सही कहा है। आपने व्याख्या कर दी, इसलिए आपको धन्यवाद। इमरजेंसी में इस समाचार को बनाया गया था। आज दोनों एजेंसियों की शिकायत हो रही है। जनता पार्टी के शासन में समाचार का जो संगठन बनाया गया कि कोई कर्मचारी दुखी न हो, कोई परेशान न हो और उनके वेतन उनको मिलते रहें—इस प्रकार की सरकार ने योजना बनाई। जिसको इन लोगों ने तोड़ा और उसी की आज वकालत कर रहे हैं। कोई पी० टी० आई० या यू० एन० आई० के साथ जुड़ सकता है या नहीं यह तो नियम ही बताएगा। क्योंकि कोई को-आपरेटिव बेसिस पर हैं, कोई स्वतन्त्र है और किसी ने प्रान्तीय सरकारों से कुछ मदद ली है और किसी ने प्राइवेट व्यक्ति से मदद ली है। उसमें कितना कोई इन्टरफैयर कर सकता है यह तो अलग बात है। नियम ही बतायेंगे और सरकार ही बताएगी कि क्या हो सकता है।

एक बात जरूर है, हिन्दुस्तान समाचार समिति जब जनता पार्टी का शासन आया, उस में जनरल मैनेजर द्वारा मनमाने ढंग से अपना प्राइवेट कारोबार शुरू किया। उनके ही कर्मचारियों ने उनके खिलाफ आन्दोलन किया। मैं भी कर्मचारियों के बुलाने पर दो-तीन बार वहां पर गया था। वे बड़े दुखी थे। समय न होने की वजह से मैं विस्तार से व्याख्या नहीं कर रहा हूं। जनरल मैनेजर वहां से गया और उस समय जनता पार्टी के शासन में उसको फर्स्टक्लास मकान दिया गया। बूटा सिंह जी ध्यान देकर मेरी बात सुनिए। पंडारा रोड का मकान अभी भी उनके पास है, यद्यपि उनका अब इस समाचार एजेंसी से कोई सम्बन्ध नहीं है। बल्कि आज जो इस समाचार एजेंसी के कर्मचारी हैं, जो इसकी सेवा कर रहे हैं उनको मकान तो दूर, तनख्वाह भी नहीं मिल रही है।

श्री बूटा सिंह : कौन रह रहे हैं?

आचार्य भगवान देव : बालेश्वर अग्रवाल, जो पहले इसके जैनरल मैनेजर थे। मैं और भी

**अध्यक्षपीठ से आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

व्यक्तियों के नाम दे सकता हूं जिनको अनेक सुविधायें दी गयीं, लेकिन जिनका हक है उनको स्थान नहीं मिल रहा है। इसके बारे में सोचना पड़ेगा। इस एजेंसी की हालत बिगड़ी, इसमें अव्यवस्था पैदा हुई, सरकार ने प्रयास किया कि उसमें सुधार किया जाय। कई बार लोग आये, श्री वसन्त साठे जी के पास भी आये, हमारे पास भी आये और आज भी भगत जी से मिलते हैं श्रम मन्त्री जी से मिलते हैं तथा अन्य लोगों से भी मिलते हैं। सहानुभूति के साथ उनसे बातें होती हैं, लेकिन सरकार कुछ नियमों में बंधी हुई है, उनमें कुछ सुधार करना है। मैं चाहता हूं—सरकार दोनों एजेन्सीज को पूर्ण रूप से टेक-ओवर कर लें, क्योंकि उनके कर्मचारियों को रोजी-रोटी अवश्य देनी चाहिए।

अभी एक माननीय सदस्य ने समाचार भारती के बारे में कुछ बातें उठाई। मैं जानता हूं उसकी स्थिति बहुत खराब थी और हाल में जो उसके जनरल मैनेजर थे, वे त्यागपत्र देकर चले गए, क्योंकि वहां ऐसी विचित्र स्थिति है कि जो पानी पीता है, उसको फिर पीना ही पड़ता है। जिम्मेदारी सम्भालने पर ही पता लगता है कि क्या-क्या दिक्कतें सामने आती हैं। जहां तक मुझे पता है—इसके दो डायरेक्टर्स डा० सिंधवी और रमेश चन्द्र—इन दो व्यक्तियों की एक कमेटी जांच कर रही है। रिजर्व बैंक के डायरैक्टर मि० गनेशन भी उसमें हैं। वहां पर गलत काम हुआ है या सही काम हुआ है—वह कमेटी जांच करेगी। यहां पर कहा गया है कि सी० बी० आई० से जांच करायें--हर चीज की जांच सी० बी० आई० करे यह भी कोई उचित सुझाव नहीं है। जो भी जांच होगी वह सब सामने आयेगी लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूं—किसी व्यक्ति पर इस तरह से आक्षेप नहीं लगाना चाहिए। अगर कोई गलत काम किया गया है तो जांच करने के बाद जो भी कार्यवाही हो सकती है वह अवश्य करनी चाहिए। लेकिन मैं यह जरूर चाहता हूं कि हिन्दी की इन दोनों एजेन्सियों की जो दयनीय स्थिति है उससे मैं बहुत दुखी हूं, क्योंकि राष्ट्रभाषा को उसका उचित महत्व मिले, इस तरह का प्रयास मैं रात-दिन करता रहा हूं। मेरी मातृभाषा सिन्धी है, लेकिन इस देश की राष्ट्र भाषा हिन्दी है और उसकी ये दोनों एजेन्सियां इस तरह की दयनीय स्थिति में रहें—यह हमें मन्जूर नहीं हैं। मैं चाहता हूं कि इनके लिए आवश्यक कदम, डायनैमिक कदम शीघ्र उठाना चाहिए और दोनों एजेन्सियों को टेक-ओवर करके इसके कर्मचारियों को तुरन्त राहत मिले—इस तरह का प्रयास करना चाहिए। भारत सरकार के पहले इस तरह के कई संस्थान हैं, जैसे शान्ति निकेतन है, कलकत्ता की एक लाइब्रेरी है, उनका टेक-ओवर किया है ताकि वे ठीक तरह से चल सकें। मैं चाहता हूं और विरोधी पक्ष के लोग भी चाहते हैं कि इनको जोड़ दिया जाय, इनको मिला दिया जाय। इस तरह का प्रयास फिर से किया जाय जिससे इनको एक एजेंसी बनाकर राष्ट्रभाषा को फिर से वह गौरवपूर्ण स्थान दिलाया जाय, अन्यथा हमारा सिर शर्म से झुक जाता है जब हम इस तरह से इन एजेंसियों और इनके कर्मचारियों की हालत देखते हैं। मैं आशा करता हूं हमारे श्रम मन्त्री जी, भगत जी तथा स्वयं प्रधान मन्त्री जी इनके लिए कुछ करने का प्रयास करेंगे। मैं जानता हूं आज भी वहां पर अनेक निष्ठावान, ईमानदार और राष्ट्रीय विचारधारा के लोग बैठे हुए हैं—ऐसे निष्ठावान व्यक्तियों को इन एजेंसियों का काम सौंपना चाहिए जो इसके कार्यों को अच्छी तरह से जानते हैं।

एक माननीय सदस्य ने हमारे लोक सभा के एक माननीय सदस्य श्री अरुण नेहरू का उल्लेख किया है कि वे हिन्दुस्तान समाचार के साथ सम्बन्धित हैं। उन्होंने बिलकुल गलत बयानी की है। श्री अरुण नेहरू जी ने सार्वजनिक रूप से इसका खण्डन किया है, उनका इस एजेंसी से कोई सम्बन्ध नहीं है।

इन शब्दों के साथ मैं पुनः भारत सरकार से चाहता हूं कि वह तुरन्त उचित कार्यवाही करके इन दोनों एजेंसियों को अच्छी तरह से चलाने के लिए कोई शक्तिशाली तुरन्त कदम उठाए।

धन्यवाद ।

श्री जगन्नाथ पाटिल (ठाणे) : उपाध्यक्ष महोदय, तीन दिन पहले ही लेबर और और रिहैबी-लिटेशन मिनिस्ट्री पर जो चर्चा हो रही थी, उस समय मैंने कहा था कि सरकार की कथनी और करनी में फर्क है। अगर सरकार की कथनी और करनी में फर्क न होता, तो आज सदन के सामने 'समाचार भारती' और 'हिन्दुस्तान समाचार' पर बहस करने का मौका यहां नहीं मिलता लेकिन सरकार हमेशा बीस-सूत्री कार्यक्रम का नारा लगाती है कि मजदूरी के लिए, गरीबों के लिए, पीड़ितों के लिए, दलितों के लिए हम काम करना चाहते हैं लेकिन यह बात सही नहीं है।

'हिन्दुस्तान समाचार' और 'समाचार भारती' यह हिन्दी भाषी न्यूज एजेन्सी हैं और अगर यह हिन्दुस्तान में काम नहीं करेंगी तो क्या रूस में काम करेंगी या अमेरिका में काम करेंगी। तो मैं सरकार से आह्वान करता हूं कि इन बातों को ध्यान में रखकर दोनों एजेन्सियों को मिला कर एक निगम बनाया जाए जैसा कि प्रेस कमीशन ने सुझाव दिया है और निगम बना कर इन दोनों संस्थाओं में जो काम करने वाले 400, 500 कर्मचारी हैं, उनको संरक्षण दें। मैंने यहां बैठे-बैठे सदन में सदस्यों की उपस्थिति गिनी और जो पत्रकार हैं, जोकि आज उपस्थित हैं, उनकी संख्या को भी देखा, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनके मुकाबले में माननीय सदस्य आधे भी उपस्थिति नहीं होंगे। हम लोग जो चर्चा में भाग लेते हैं उनसे ज्यादा दिलचस्पी हमारे पत्रकार भाई दिखा रहे हैं क्योंकि उनके जो पत्रकार भाई हैं, उनकी रोजी रोटी डूब रही है और उनको छः महीने से और एक साल से तन्खवाह नहीं मिल रही है।

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : यह एक अवांच्छनीय टिप्पणी है।

अध्यक्ष महोदय : मैं देखूंगा।

श्री जगन्नाथ पाटिल : एक संस्था के महाप्रबन्धक ने इस्तीफा दे दिया है और इसकी जांच करने की मांग अन्य सदस्यों ने भी उठाई है। मैं इसको दोहराना नहीं चाहता और 'हिन्दुस्तान समाचार' में जैसे कि मन्त्री मंडल ने पिछड़े चार-साढ़े-चार सालों में कई बार रीसफलिंग हुई है, इसी तरह से इसमें और समाचार भारती में मैनेजरों की रीसफलिंग हुई है, प्रशासकों की री-सफलिंग हुई है। री-सफलिंग का मामला नहीं होता अगर अच्छे आदमी काम करने के लिए बैठे होते। हम हिन्दुस्तान में रहने वाले हिन्दू अनडिवाइडेड फैमीली के घर चलाने वाले लोग हैं और जब एच० यू० एफ० का मामला होता है, तो जो घर चलाने वाला होता है अगर वह अच्छा आदमी होता है तो घर ठीक से चलता है लेकिन अपने देश की पंथ प्रधान ऐसे मामलों में दिलचस्पी नहीं लेती हैं और इस कारण पंजाब का मसला जो 13 बार यहां पर उठाया गया है, वह यहां 13 बार उठने पर भी हल नहीं हो रहा है और कोई रास्ता उसके हल नहीं निकल रहा है। इसी तरह की बात 'समाचार भारती' और 'हिन्दुस्तान समाचार' के बारे में है। इनके मैनेजरों और प्रशासकों की री-सफलिंग से यह मामला हल नहीं हो हो सकता। इसलिए मेरा कहना यह है कि इन दोनों संस्थाओं का एक निगम बनाना बहुत जरूरी है।

इस चर्चा को प्रारम्भ करते हुए सम्मानित सदस्य श्री मोहम्मद असरार अहमद ने यह कहा कि 'हिन्दुस्तान समाचार' के कर्मचारी बी० जे० पी० और आर० एस० एस० से लगन रखने वाले लोग हैं। मुझे इतिहास की एक बात याद आती है कि मुगलों के घोड़े जब पानी पीने जाते थे और पानी को अगर वे छूते नहीं थे, तो उनका सैनिक, उनका सरदार उनसे पूछता था कि क्या इसमें तुमको घनाजी नानाजी दिखाई दे रहा है। यही बात यहां पर लागू होती है। हर बात में आर० एस० एस० और बी० जे० पी० के नाम को जोड़ दिया जाता है।

श्री मोहम्मद असरार अहमद : मैंने यह नहीं कहा। मैंने कर्मचारियों के सम्बन्ध में नहीं कहा। मैंने कहा है कि मैनेजमेंट से आर० एस० एस० और बी० जे० पी० का कब्जा है। ये अपनी गलत बात को वापिस लें। (व्यवधान)

श्री जगन्नाथ पाटिल : इसलिए मैंने यह बात कही। महात्मा गांधी के प्रतीक थे तीन बन्दर— बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, इस बात के प्रतीक थे। अब महात्मा गांधी का जमाना नहीं रहा। अब तो इन्दिरा गांधी जी का जमाना है। इसलिए मैं इन प्रतीकों में एक बात और जोड़ना चाहता हूं कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो और चौथा बुरा मत करो।

इतना ही मैं मन्त्री जी को कहना चाहता हूं। समाचार भारती और हिन्दुस्तान समाचार के कर्मचारियों के कल्याण के लिए जल्दी से जल्दी एक निगम बनाया जाए, ताकि उनकी रोजी-रोटी बच सके। इतना ही कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : उपाध्यक्ष जी, भारतीय संविधान के अनुसार हमारा जनतन्त्र विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका सम्बन्धी तीन खम्भों पर खड़ा है। पूंजीवादी देशों में यह सबसे बड़ा जनतन्त्र है, परन्तु चौथे खम्भे के अभाव में हमारे जनतन्त्र का पांव समान रूप और ठीक से जम नहीं सकता। इसलिए, समाचार पत्रों को जनतन्त्र का चौथा खम्भा माना जाता है। अगर समाचार पत्र जन भावनाओं का प्रकटीकरण ठीक प्रकार से, निष्पक्ष रूप से और जन आकांक्षाओं, आशाओं की पूर्ति के लिए करें तो निश्चित रूप से हमारा जनतन्त्र सुदृढ़ और समृद्धशाली बन सकता है।

परन्तु क्या समाचार पत्र अपनी इस महत्वपूर्ण भूमिका को ईमानदारी एवं निष्पक्षता के साथ निभा रहे हैं ? नहीं। आज देश के अधिकांश समाचार पत्रों पर इजारेदार पूंजीपतियों का शिकंजा कायम है। उनके चैन आफ न्यूजपेपर चल रहे हैं जिनका उद्देश्य देश में पूंजीवादी व्यवस्था को मजबूत बनाने एवं शोषण दोहन की व्यवस्था को कायम रखना है। इसलिए, ऐसे समाचार पत्रों को समाजवाद बड़ा डरावना और खौफनाक मालूम पड़ता है। समाजवाद के बदले वे लूट खसोट की व्यवस्था सर्वदा के लिए बनाए रखना चाहते हैं। वे इस बात का उचित नहीं समझते कि देश में वामपक्षी एवं जनवादी शक्तियों को बल मिले और वर्तमान सरकार को गद्दी से हटाकर समाजवादी विचारधारा में विश्वास करने वाली सरकार की स्थापना हो सके। इसलिए इजारेदारों के समाचार पत्र बराबर इन शक्तियों को खरी खोटी सुनाने एवं जनमानस में उन्हें भद्दा एवं देश का दुश्मन साबित करने में लगे रहते हैं। इसके विपरीत जो छोटे समाचार पत्र हैं उनकी आर्थिक स्थिति दयनीय होने के कारण वे अपनी अपेक्षित भूमिका अदा नहीं कर पाते।

देशी भाषा समाचार एजेन्सियों में कथित आर्थिक संकट, जिसके फलस्वरूप "समाचार भारती" में हड़ताल और तालाबन्दी तथा "हिन्दुस्तान समाचार" के कर्मचारियों द्वारा हड़ताल करने का नोटिस

समाचार एजेन्सियों को भी ऐसी ही दशा है। एक जमाने में समाचार भारती और हिन्दुस्तान समाचार को समाचार एजेन्सियों में प्रमुख और महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था लेकिन कालांतर में उनकी दशा शनैः शनैः खराब होती गई। उनके संचालक उनकी सारी संपत्ति को खा-पका गए। नतीजा यह होने लगा कि उनमें काम करने वाले श्रमजीवी पत्रकारों एवं कर्मचारियों को वेतन बोनस आदि की सुविधाएं देने में भी कठिनाइयां होने लगीं।

समाचार-भारती को प्रत्येक वर्ष भारत सरकार एवं राज्य सरकारों की ओर से लाखों-करोड़ों रुपए दिए जाते रहे जिन्हें उसके प्रबन्धक डकार गए। हवाई-जहाजों में देश-विदेश की सफर करते रहे और पंच सितारा होटलों में रंगरेलियां मनाते रहे। फलस्वरूप खून-पसीना बहाकर उसमें देश के कोने-कोने में काम करने वाले श्रमजीवी-पत्रकारों एवं कर्मचारियों को अपने को जिन्दा रखने के लिए वेतन तक नहीं दिए गए। यह जानकर क्रोध आता है कि, उन्हें तीन माह से नौ माह तक के वेतन नहीं देकर उन्हें भुखमरी का शिकार बनाया गया। उनके लिए पालेकर अवार्ड भी लागू नहीं किया गया। उनका तीन वर्षों का बोनस भी देय है। नियमों के अनुसार वर्षों तक उनके प्राविडेन्ट फण्ड, ई० एस० आई० आदि के रूप में काटी गयी करोड़ों की राशि को भी जमा नहीं किया गया। कहते हैं कि, समाचार-भारती के जनरल मैनेजर करीब एक लाख रुपये खा गए और कर्मचारियों को एक पैसा भी नहीं दिया। कहते हैं कि, धन के अभाव में पिछले अढ़ाई वर्षों के दरम्यान इसके 27 समाचार केन्द्र बन्द हो चुके हैं। धन के घोटाले के कारण ही कर्मचारियों को वेतन नहीं दिए जा सके, मकानों के किराये अदा नहीं किए गए, बिजली और टेलीफोन के बिलों का भुगतान नहीं किया गया। फलस्वरूप कहीं-कही उसकी सम्पत्ति तक को जब्त कर लिया गया। फिर भी, कर्मचारियों को भुगतान नहीं किया गया।

समाचार भारती का हिसाब-किताब नहीं रखा जाता और धन खर्चने की सारी शक्ति केवल एक व्यक्ति, जनरल मैनेजर के हाथ में केन्द्रित है। वह अपने टेलीफोन बिलों का भुगतान तो समय पर करते रहते हैं, पर कर्मचारियों और एजेंसी के टेलीफोन बिलों का भुगतान दो वर्षों से अधिक दिनों से नहीं किया गया है। इस प्रकार समाचार भारती की स्थिति दिनोंदिन बद से बदतर होती गयी। अपनी इस स्थिति से उबरने के लिए उनके सामने आन्दोलन करने के सिवाय क्या चारा रह गया था? अतः उन लोगों ने 21 मार्च से "कलम-बंद" आन्दोलन शुरू किया। परन्तु, दुख है कि उनकी कठिनाइयों का हल निकालने के बजाय प्रबन्धकों ने एजेन्सी में तालाबन्दी कर दी, जो निश्चित रूप से ट्रेड यूनियन कानूनों का उल्लंघन था। ऐसी स्थिति में कर्मचारियों के सामने समाचार एजेन्सी के अहाते में लेट कर विरोध करने के सिवाय दूसरा क्या रास्ता बच गया था? इस बात की आशंका है कि समाचार-एजेन्सी में तालाबन्दी करने के पूर्व प्रबन्धकों ने आर्थिक घोटाले के सभी सबूती कागजातों को या तो नष्ट कर दिया है या उन्हें गायब कर दिया गया है। कर्मचारियों की यह मांग सर्वथा उचित है कि, समाचार-भारती में व्याप्त सम्पूर्ण भ्रष्टाचार एवं घोटाले की जांच सी० बी० आई० द्वारा करवायी जाए। इस बात पर भी प्रतिबन्ध लगा दिया जाए कि एजेंसी के जनरल मैनेजर बैंक खाते का इस्तेमाल नहीं करें। खबर है कि, एजेन्सी के जनरल मैनेजर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। मैं इसे कर्मचारियों की जीत मानता हूं। परन्तु, प्रश्न यह है कि, कर्मचारियों के वेतन, बोनस, दूसरे बकाया, बन्द केन्द्रों को चालू करने, पालेकर अवार्ड को लागू करने की दिशा में क्या कार्यवाही की गई है? तालाबन्दी तो समाप्त कर दी गयी पर सी० बी० आई० से जांच करने के बारे में क्या हुआ? समाचार एजेंसी ठीक से चले इसके लिए योजना क्या है?

आर्थिक घोटाला करने वालों के विरुद्ध कौन-सी कानूनी कार्यवाही की गयी है ? हिन्दुस्तान समाचार की स्थिति तो और भी खराब है। प्रारम्भ से उस पर आर० एस० एस० का कब्जा था। उसके स्वनामधन्य प्रबन्धक जाते-जाते उसकी सारी सम्पत्ति हड़पकर उसे कंगाल बनाते गए। नई व्यवस्था की गयी। एक सांसद को उसका सर्वेसर्वा नियुक्त किया गया। फिर भी, उसकी स्थिति में सुधार नहीं हुआ और कर्मचारियों के वेतन आदि के लाखों रुपये बकाया पड़े हैं। वें, दर-दर के भिखारी और भुखमरी के शिकार हैं। ट्रेड यूनियन कानूनों का उल्लंघन किया जा रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान समाचार की स्थिति में सुधार लाने और कर्मचारियों के बकाये के भुगतान व नियमित रूप से वेतन आदि देने की दिशा में कौन-सी कार्यवाहियां की गयी हैं ? यहां यह कहना अप्रासंगिक नहीं होगा कि, पटना से प्रकाशित सेठ बिड़ला के "सर्चलाइट" और "प्रदीप" में पालेकर अवार्ड को अब तक लागू क्यों नहीं किया गया है ? उनके विरुद्ध कौन-सी कार्यवाही की गयी है? पटना से प्रकाशित अधिकांश उर्दू अखबारों में भी अब तक पालेकर अवार्ड लागू नहीं किया गया। ऐसा क्यों ? सरकार ने इस दिशा में कौन-सी कार्यवाही की है ? और कौन से समाचार पत्र ऐसे हैं जिन्होंने पालेकर अवार्ड को लागू नहीं किया है और उनके विरुद्ध कौन-सी कार्यवाही की गयी है ? राजभाषा हिन्दी समृद्ध बन सके इसके लिए हिन्दी समाचार पत्र एजेंसियों को सरकार की ओर से पूरी मदद मिले, ऐसी व्यवस्था की जाए ? अंग्रेजी समाचार एजेन्सियों के साथ इन्हें सम्बद्ध करके इस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकती।

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : हिन्दी हमारे देश की सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। यह हमारी राजभाषा भी है। और हिन्दी प्रेस संख्या और परिचालन दोनों में आगे है। इसलिए समाचार भारती और हिन्दुस्तान समाचार इन दोनों हिन्दी समाचार एजेंसियों में चल रहे कुप्रबन्ध के प्रति सरकार की घोर उदासीनता के बारे में जानकर मन को बहुत पीड़ा होती है।

हम सूचना और संचार की एक नई विश्व-व्यवस्था की बात करते आ रहे हैं। हम नई दिल्ली में अन्तर्राष्ट्रीय दूर संचार माध्यमों के सम्मेलन आयोजित करते रहे हैं। हम गुटनिरपेक्ष देशों का संचार माध्यम सम्मेलन आयोजित करते रहे हैं और इसी प्रकार अपनी चिन्ता व्यक्त कर रहे हैं और हम सूचना तथा संचार की नई विश्व व्यवस्था के विकास के लिए अपना अंशदान करने को अधीर हो रहे हैं। लेकिन हमारा घर ही अव्यवस्थित है। इसलिए मैं इस बात पर जोर देकर कहता हूं कि जब तक अपने देश को सुव्यवस्थित नहीं कर लेते तब तक भारत सूचना और संचार की नई विश्व व्यवस्था के लिए मुश्किल से अपना अंशदान कर सकता है। इन दोनों समाचार एजेंसियों के वर्तमान प्रबन्ध से बड़ा धक्का लगा। मैं आरोपों की सूची पर नहीं जाऊंगा क्योंकि पहले के अध्यक्षों ने भी आपका ध्यान इस ओर दिलाया है। वेतन बकाया पड़े हैं। प्रबन्धकों और स्टाफ के बीच सम्बन्ध तनावपूर्ण चल रहे हैं। बहुत-सी शाखाएं बन्द हो गई हैं। बिलों के भुगतान की अदायगी न कर सकने के कारण डाक-तार प्राधिकारियों ने एक से अधिक बार टेलीप्रिण्टर्स सुविधा निलम्बित कर दी है। भवनों का किराया अदा नहीं किया गया है जिसके गम्भीर परिणाम निकलेंगे। भूतपूर्व महाप्रबन्धक के खिलाफ भी गबन के गम्भीर आरोप पाए गए हैं। यह जानकर बड़ी हैरानी होती है कि राजधानी में कर्मचारियों के वेतन कई महीनों तक अदा नहीं किए गए जो लोग अन्य क्षेत्रों में काम कर रहे हैं उन्हें 1 वर्ष से अधिक समय से वेतन नहीं मिल रहा है। इस दर्द-विदारक स्थिति से दिल को बड़ी पीड़ा होती है कि एक ओर तो कर्मचारियों को उनकी बकाया राशि का भुगतान नहीं किया गया है दूसरी ओर महाप्रबन्धक विदेशी दौरों पर भारी

रकम खर्च कर रहे हैं। और इनका आनन्द ले रहे हैं। कर्मचारी भूखों मर रहे थे और महाप्रबंधक विदेश यात्राओं का मजा ले रहे थे। पूर्ववक्ताओं ने पहले ही भविष्यनिधि—आदि के सम्बन्ध में बहुत-सी अनियमितताओं का उल्लेख किया है। वहां इस प्रकार की इतनी अव्यवस्था है जिसे माफ नहीं किया जा सकता है।

मैं समाचार भारती के नागपुर कार्यालय के सम्बन्ध में एक मिसाल का उल्लेख करता हूं। हमने वहां पूर्णतया क्रूरता देखी। इसकी सेवाएं प्राप्त करने के लिए एक भावी खरीददार ने प्रारम्भिक रकम अदा कर दी थी, बाद में उसे निराश होना पड़ा। वह न्यायालय में चला गया। प्रबन्धकों ने अपने मामले की पैरवी के लिए एक वकील नियुक्त करने की भी परवाह न की और न्यायाधीश ने इकतरफा फैसला कर दिया, दिवानी जज ने आदेश दिये कि समाचार भारती के नागपुर कार्यालय की पूरी सम्पत्ति भावी अंशदाता के हवाले कर दी जाए। लेकिन कार्यालय की सम्पति में, टेलीप्रिन्टर भी समाचार एजेन्सी के नहीं थे क्योंकि उन्हें डाक-तार विभाग से किराए पर लिया गया है। वहां की ऐसी दुखद दशा है।

मैं केरल की स्थिति का भी उल्लेख करता हूं, केरल राज्य में समाचार भारती का कार्यालय अप्रैल, 1979 में त्रिवेन्द्रम में स्थापित किया गया था। वहां पर बहुत थोड़ी-सी तन्खाह में छः महीने के प्रशिक्षण पर थोड़े से कर्मचारी नियुक्त किए गए थे। लेकिन छः महीने बाद भी वे अपने स्थायी होने के आदेश प्राप्त करने में असफल रहे। कर्मचारियों को पक्का करने के लिए स्थायी आदेशों, तथा वेतनमान संशोधन के सम्बन्ध में केरल कार्यालय के प्रभारी प्रबन्धक ने नई दिल्ली प्रधान कार्यालय से निरन्तर सम्पर्क किया लेकिन उसके सभी प्रयास बेकार रहे, यह जानकर बड़ी हैरानी होती है कि नई दिल्ली के मुख्यालय ने केरल कार्यालय के प्रबन्धक को जिला प्रतिनिधि नियुक्त करने के लिए हिदायतें भेजी थी और कोटायम तथा इर्नाकुलम जिलों में जिला प्रतिनिधि नियुक्त किए गए थे लेकिन दिल्ली मुख्यालय ने न तो उन्हें नियुक्ति आदेश भेजे और ना ही उन्हें कोई पारिश्रमिक दिया और भवन का किराया कभी भी नहीं अदा किया गया। भवन के मालिक ने भवन का कब्जा वापस ले लिया। इसीलिए अपने टेली-प्रिन्टरों और अन्य वस्तुओं को लेकर सारे कर्मचारी एक छोटे कमरे में चले गये। वहां ऐसी दशा है। सभी बातों के बारे में क्रूरता और निरन्तर उदासीनता ही देखने को मिलती है। सूचना और प्रसारण मन्त्री को एक ज्ञापन दिया गया था, वे 3 जुलाई, 1983 को त्रिवेन्द्रम गए थे—लेकिन इसकी हमें जरा जानकारी नहीं कि इस पर भी कोई कार्यवाही की गई।

मुझे कुछ बातें कहनी हैं। जैसा मैं कह चुका हूं प्रबन्ध की स्थिति में यह गिरावट एक रात में नहीं बल्कि धीरे-धीरे आई है। सरकार को ज्ञापन दिए गए थे, आन्दोलन भी चलाया गया था, मेरा विश्वास है कि हिन्दुस्तान समाचार के दो सदस्य भूख हड़ताल पर भी बैठे थे। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि उस समय जो धीरे-धीरे स्थिति बिगड़ती जा रही थी उसके सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई। मुझे यह कहते खेद हो रहा है कि इन दोनों संस्थाओं में कर्मचारियों की शिकायतों के प्रति निरन्तर और इन दो संस्थानों में गम्भीर वित्तीय तथा प्रशासनिक अनियमितताओं के प्रति निरन्तर निर्दयतापूर्ण और उपेक्षा दिखाई गई। जैसा कि मैं कह चुका हूं कि भूतपूर्व महाप्रबन्धक के विरुद्ध गम्भीर आरोप हैं। उनकी स्वतन्त्र रूप से जांच होनी चाहिए—इसके बारे में कुछ कदम उठाए जाने चाहिए। केवल त्यागपत्र अथवा नौकरी से निकालना ही सन्तोषजनक न होगा। हम सरकार से यह

जानना चाहते हैं कि इस विशेष मामले में क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है। मैं इस बात पर बल दूंगा कि इस मामले में थोड़ा आंशिक रूप से कार्यवाही करने से काम नहीं चलेगा। तदर्थ निर्णय लेने या थोड़ा कार्यवाही करने का भी कोई फायदा नहीं होगा। निसन्देह वेतन की नियमित अदायगी सुनिश्चित की जानी चाहिए, भविष्य निधि और अन्य बातों में की गई अनियमितताओं की जांच होनी चाहिए, उचित पारिश्रमिक नियमित रूप से अदा किया जाना चाहिए, पिछली अनियमिताओं और दुरुपयोगों के विरुद्ध भी कदम उठाए जाने चाहिए—लेकिन स्थिति का यह एक पहलू है।

इस सभा के माध्यम से सरकार का यह दायित्व है कि वह इसके द्वारा उठाए जाने वाले सभी कदमों की जानकारी दे ताकि ये दोनों समाचार एजेन्सियां खूब फलें फूलें। कुछ सदस्यों ने इन दोनों समाचार एजेन्सियों को सरकार द्वारा हाथ में लेने का सुझाव भी दिया। मैं उसका समर्थन नहीं करूंगा। मैं इस बात में विश्नास नहीं रखता कि समाचारों पर सरकार का नियन्त्रण और अनुशासन हो।

उपाध्यक्ष महोदय : इन दोनों संस्थाओं के वाणिज्यिक पहलू को किसी ने भी नहीं छुआ हैं। अन्य बातों को एक तरफ छोड़कर यदि आपके पास इस बारे में कोई सूचना है तो सदन को भी उससे अवगत कराएं कि क्या यह लाभ में चल रही हैं? अन्य संस्थाओं की तरह उनके पास भी काफी ग्राहक हैं उसके बारे में क्या स्थिति है?

श्री जी० एम० बनातवाला : हमें पता चला है कि 35 केन्द्र बन्द किए जा चुके हैं, यही बहुत काफी है।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या यह कुप्रबन्ध के कारण हुआ है अथवा वे प्रबन्ध ठीक ढंग से नहीं चला सके?

श्री जी० एम० बनातवाला : 35 केन्द्र कुप्रबन्ध के कारण बन्द किए गए थे। इसलिए आर्थिक सक्षमता का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि हिन्दी प्रेस संख्या और खपत दोनों में सबसे आगे है। अतः आर्थिक सक्षमता का कोई प्रश्न नहीं है। वहां उचित प्रबन्ध होना चाहिए वास्तव में बहुत कुछ कर्मचारियों व उनके द्वारा उपभोक्ताओं के लिए तैयार की जाने वाली कहानियों और समाचारों के स्तर पर भी निर्भर करेगा। अभी वहां की दशा इतनी खराब हैं और स्तर इतना घटिया है कि हिन्दी समाचारपत्र अंग्रेजी समाचार-पत्रों से रिपोर्ट, कहानियां लेकर उनका अनुवाद करती हैं जो सचमुच एक श्रमसाध्य काम है। इन दोनों एजेन्सियों में काम कर रहे लोगों को स्तर सुधारने के सम्बन्ध में आपस में सहयोग करना चाहिए—और इन दोनों एजेन्सियों की आर्थिक सक्षमता सुनिश्चित करने के लिए यह निसन्देह आवश्यक है।

मैं सरकार से पूछ रहा था कि वे हमें बताएं—उन्होंने क्या कदम उठाए हैं अथवा जब यह शिकायतें सरकार के ध्यान में लाई गई जब दुरुपयोग और गम्भीर आर्थिक व वित्तीय अनिमितताएं सरकार के ध्यान में लाई गई थी। तब उन्होंने क्या कार्यवाही की थी, सरकार को हमें बताना चाहिए कि उन्होंने क्या कार्यवाही की है। अन्यथा हम यह निष्कर्ष निकालने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि सरकार की ओर से निरन्तर अविवेकता पूर्ण रवैया अपनाया गया है।

एक सुझाव पेश किया गया है कि एक निगम बनाया जाए और इस पर बारीकी से विचार किए जाने की आवश्यकता है। एक स्थायी हल ढूंढा जाना चाहिए ताकि सभी चीजों के लिए एक मजबूत आधार बन सके। मुझे आशा है कि सरकार इन सभी मुद्दों पर सदन को सन्तुष्ट करेगी।

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : श्री बनातवाला ने कानूनी पक्ष पर विस्तार से चर्चा की है। मैं उन्हें दुहराऊंगा नहीं। समाचार भारती अथवा हिन्दुस्तान समाचार के बारे में बात करने से पहले मैं महाप्रबन्धक के बारे में कहना चाहूंगा जिसने न केवल समाचार एजेन्सियों में लूटपाट मचा रखी है बल्कि उसने सरकार को चुनौती दी है। पहले तो मैं आपको फैज अहमद फैज का एक शेर सुनाना चाहता था। हालांकि यह भिन्न सन्दर्भ में है। यदि मैं वह शेर सुनाता हूं तो उस पक्ष के लोग समझेंगे कि हम हर समय सरकार की आलोचना करते रहते हैं। इसलिए मैं इसे नहीं सुनाता। शेर यह है—

बने हैं अहले-हवस मुद्दई भी, मुन्सिफ भी,
किसे वकील करें, किससे मुन्सिफी चाहें ?

मुझे खेद है कि यह उर्दू में है और आप उर्दू नहीं समझते। फैज ने यह कहा है। लेकिन इसका कारण यह नहीं है कि भारत सरकार समाचार भारती अथवा हिन्दुस्तान समाचार में काम कर रहे लोगों के हितों के विरुद्ध है।

श्री बूटासिंह : श्रीमान् उन्होंने आपसे एक वकील और एक जज नियुक्त करने के लिए पूछा है। महोदय, मेरा प्रस्ताव है क्यों न श्री बनातवाला वकील हों और प्रो० सोज न्यायाधीश हों।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : मैं नहीं मान सकता कि मैं न्यायाधीश हो सकता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : सरकार की ओर से प्रस्ताव रखा गया है क्या उससे सहमत होंगे।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : न तो मैं न्यायाधीश हो सकता हूं और ना ही वकील, महोदय, मैं नहीं कहता कि भारत सरकार समाचार भारती और हिन्दुस्तान समाचार में काम कर रहे लोगों की दयनीय स्थिति पर आनन्द ले रही है, किन्तु मेरा कहना है कि महाप्रबन्धक के व्यवहार से समाचार एजेन्सियां और उनके कर्मचारी ही नहीं बरबाद हुए हैं बल्कि उसने भारत सरकार के लिए भी चुनौती दी है क्योंकि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। श्रीमान् मेरे पास एक आरोप-पत्र है इसे मैं आपको दिखाना चाहता हूं। यह समाचार भारती के कर्मचारियों की ओर से है। अब चाहे कुछ भी आरोप हों उन्हें सब कुछ लिखित रूप में कहने का अधिकार है और इस आरोप-पत्र को जांच आयोग के समक्ष रखा जाना चाहिए। यह चाहे केन्द्रीय जांच ब्यूरो हो या कोई अन्य एजेन्सी, जिसे भी श्रम मन्त्रालय तय करे, लेकिन यह आरोप-पत्र है जिसका महाप्रबन्धक को जबाब देना होगा। जैसा कि श्री बनातवाला ने कहा है या तो वह त्यागपत्र दे वरना उसे नौकरी से बर्खास्त किया जाए कम से कम मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं कि वह त्यागपत्र देने की मनःस्थिति में है या नहीं लेकिन उसे छोड़ा नहीं जा सकता।

देशवासियों को ये सब बातें जाननी चाहिए क्योंकि ये अत्यधिक गम्भीर आरोप हैं। आरोप ये हैं कि वह कहानी बनाते हैं और गुप्त रूप से कार्य सारांश को बदल देते हैं, वह निदेशक मण्डल को गुमराह

करते हैं और उस पर भ्रष्टाचार के आरोप भी हैं। अतः बरखास्त कर देना कोई सजा नहीं है। हो सकता है उसे जेल हो, परन्तु उसके व्यवहार की जांच की जानी चाहिए।

महोदय, **समाचार भारती** में राज्य सरकार भी शेयरधारी हैं। यह बहुत ही गम्भीर आरोप है कि जब सरकार का पैसा इसमें लगा हुआ है तो इसके लेखों की भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परिक्षक द्वारा क्यों नहीं कभी भी लेखा परिक्षा की गई? अतः माननीय श्रम मन्त्री से मेरा अनुरोध है कि उन्हें महा प्रबन्धक के व्यवहार की जांच के लिए एक विशेष जांच समिति नियुक्त करनी चाहिए मुझे इस बात की बहुत ही प्रसन्नता है केन्द्र सरकार तथा कांग्रेस आई के कुछ नेताओं ने श्री आदिक से त्याग पत्र देने को कहा है। मैं उस मामले को यहां नहीं उठाऊँगा परन्तु सारा देश अनुनय कर रहा था और जानना चाहता था कांग्रेस आई की उच्च कमान की प्रतिक्रिया क्या होगी। उन्हें ध्यान देना चाहिए कि महा-प्रबन्धक ने एक प्रकार की मनमानी की है जिसके लिए उसे सजा मिलनी चाहिए और देशवासियों को जानना चाहिए कि देश में क्या हो रहा है।

महोदय, वहां पर कतिपय कर्मचारियों को कुछ बकाया राशि का भुगतान किया जाना है। मैं अपनी बात इसी मुद्दे से शुरू कर रहा हूं। आप जानते हैं कि महंगाई के दिनों में गुजारा करना अत्यधिक मुश्किल है। इसलिए हम आशा करते हैं कि माननीय मन्त्री जी यहां वक्तव्य दें और भुगतान किए जाने का समय निश्चित करें।

दूसरे में, मैं सुझाव दूंगा कि इन दो एजेंसियों को मिलाकर एक कर देना चाहिए तथा इसके स्थान पर एक ऐसा निगम अथवा एजेंसी होनी चाहिए, जोकि विलयन के बाद सक्षम हो।

महोदय, चूंकि आप हिन्दी नहीं समझते हैं, मैं अपने जन्म स्थान बारामुला का एक उदाहरण आपको देना चाहूंगा। वहां पर लोग उत्तेजित हैं क्योंकि जनसंख्या को देखते हुए जम्मू और कश्मीर में यह सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है, फिर भी 75,000 की आबादी वाले इस क्षेत्र में सिर्फ 180 अंग्रेजी अखबार **हिन्दुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस** आते हैं। हो सकता है अब इनकी संख्या 200 हो क्योंकि मेरे पास चार महीने पुराने आंकड़े हैं। किन्तु उस छोटे से नगर में 2,500 उर्दू, हिन्दी तथा अन्य अखबार आते हैं। सम्पूर्ण देश में भी यही अनुपात होना चाहिए। अगर हम हिन्दुस्तान के लोगों तक पहुंचना चाहते हैं तो यह सिर्फ हिन्दी के माध्यम तथा उर्दू अथवा अन्य प्रादेशिक भाषाओं के माध्यम से ही होगा। इसलिए **समाचार भारती** का महत्त्व है चाहे हम जो भी नाम इसे दें। इसका अर्थ है, भारत के लोग अथवा जो भी व्यक्ति वहां कार्यरत हैं, एक निर्णय लें इसे एक ही एजेंसी होना चाहिए क्योंकि अगर यह **हिन्दुस्तान समाचार** तथा **समाचार भारती** है तो इनमें एक प्रकार की प्रतिस्पर्धा होगी क्योंकि ये नई एजेंसियां हैं और ये स्वस्थ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। उनकी प्रतिस्पर्धा कटु अस्वस्थ होगी। अतः इस स्थिति से बचने के लिए, इसे एक ही एजेंसी होना चाहिए और उस एजेंसी को सक्षम होना चाहिए क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि देश में क्या हो रहा है। इसे अंग्रेजी समाचार एजेंसी से अधिक सक्षम होना चाहिए। इसलिए इसे एक निगम होना चाहिए। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि वे समय के अनुसार चलें तथा देशवासियों का मार्गदर्शन करें। इस प्रकार के उर्दू समाचार पत्रों में खबरें पुरानी होती हैं। क्योंकि वे 'इण्डिया टुडे', 'सनडे' तथा अन्य अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्रों तथा पत्रिकाओं से खबर लेते हैं और एक समाचार-पत्र बन जाते हैं। अगर यह एक सक्षम समाचार एजेंसी होगी तो देश के सभी भागों के लोगों को ताजे समाचार मिलेंगे और हमें अत्यधिक लाभ होगा।

मुझे आशा है कि माननीय मन्त्री जी मेरे सुझावों का जवाब देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, भारतीय जनता पार्टी की ओर से श्री जगन्नाथ पाटिल बोल चुके हैं, एक विशेष मामले के रूप में मैं श्री जाटिया को दो मिनट बोलने के लिए दूंगा।

श्री सत्य नारायण जटिया (उज्जैन) : उपाध्यक्ष जी, आप मेरे प्रति बड़ी सहानुभूति रखते हैं। जिसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

हमारे समक्ष जो विषय है वह विषय है अभिव्यक्ति का, अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता हमें मिली है और जिस प्रकार से इसको बिगाड़ा जा रहा है यह हमारे लिए बड़ा कष्टदायक है। सरकार की जो नीति रही होगी, रही होगी और सरकार जो हुकूमत चलाती है उसकी नीति रहती है कि फूट डालो और राज करो। लेकिन यहां पर फूट डालने की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए और बिगाड़ने की नहीं, हम सुधारने की बात करते हैं। कोई समृद्ध हो, सुखी हो तो उससे हमें प्रसन्नता होनी चाहिए। इसमें विदेश का कोई कारण नहीं है। यदि कोई औद्योगिक इकाई घाटे में चल रही हों तो उनको भी सरकार अपने हाथ में लेकर सुधारने का प्रयास करती है, उन इकाइयों में भी केवल उनका आउट-पुट नहीं देखा जाता है बल्कि अन्य बहुत सारी बातों पर भी ध्यान दिया जाता है। यहां पर यह तो कोई उद्योग भी नहीं है बल्कि यह तो देश की सेवा है, नेशन की-सर्विस के लिए हिन्दी की सेवा है जिसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। गांधी जी और संविधान ने जो निदेश दिया है उन सारी मान्यताओं को पूरा करने का हमारा संकल्प है और उस संकल्प को पूरा करने के काम में जो लगे हैं उन्हीं के साथ यदि अत्याचार हो, अन्याय हो, उनकी बातों को सुना न जाए तो मैं समझता हूं उससे बढ़कर और कोई खराब बात हो नहीं सकती है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि इस एजेंसी वाले मामले को आप एक सीमित दायरे में ही मत सोचिए—यह तो आपकी बात को, जनता की बात को जनता तक पहुंचाने काम करती हैं और आम लोगों की आवाज बनती हैं। जो लोग अपने खून को पसीना बनाकर काम करते हैं वे अलग प्रकार के श्रमिक होते हैं, ये लोग अपना खून जलाकर स्याही बनाकर समर्पण की भावना से अपना कर्त्तव्य निभाते हैं। सारे देश के लिए वे बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं। और समाचार भारती के लोगों ने जो संघर्ष किया है वह कलमकारों के इतिहास में बड़ी अनोखी बात होगी। किसी भी संघर्ष में नुकसान तो होता ही है किन्तु संघर्ष एक सोपान होता है आगे आने वाली बातों को तय करने के लिए और इसलिए मैं उन समस्त लोगों को उसके लिए बधायी देता हूं। हिन्दुस्तान समाचार में बीच कोई सज्जन आए थे, उनसे लोग असंतुष्ट रहे होंगे, उनके अपने क्रिया-कलाप रहे होंगे, सरकार के पक्ष की बात सोचते रहे होंगे और वह बात बनी नहीं होगी। हरएक बात को सरकार के नजरिए से सोचना ठीक नहीं है। अभिव्यक्ति के माध्यम को कैसे सशक्त बनाया जाए—वही बात कहनी चाहिए। प्रेस आयोग ने जो सिफारिशें दी हैं उनको पूरा करवाने का काम सरकार का है। प्रेस आयोग की सिफारिशों को कब तक सरकार लागू करेगी—इसका उत्तर यहां पर पाटिल साहब देने की कृपा करेंगे। मैं चाहता हूं कि उन लोगों का जो वेतन बकाया है वह फौरन मिलना चाहिए क्योंकि बिना वेतन के, बिना पारिश्रमिक के काम चल नहीं सकता है। केवल सिद्धान्तों से गाड़ी नहीं चल सकती और न केवल भाषणों से काम चलेगा। आप चाहें कि वे सेवा तो करें परन्तु भूखे रहकर तो भूख उनको सेवा करने ही नहीं देगी। बिना पारिश्रमिक, भूखे रहकर वे देश की सेवा नहीं कर सकते हैं।

संघर्ष में जो परिणाम होते हैं, उसके तत्पर रहते हैं। इसलिए मैं पूछना चाहता हूं कि उनके पुराने वेतन देने के लिए आप क्या व्यवस्था करने जा रहे हैं ? उपाध्यक्ष महोदय आपने भी श्रमिकों का प्रतिनिधित्व किया है, इसलिए मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि इसको ठीक करने के लिए आप क्या उपाय करने जा रहे हैं ?

हिन्दी समाचार एजेंसी श्रम मंत्रालय का विषय है और दूसरा सूचना और प्रसारण मंत्रालय का भी है। इनमें समन्वय स्थापित करके आप इन समाचार एजेंसियों को किस प्रकार सक्षम बनाएंगे ? एक बार पुनः आग्रह करते हुए उन कर्मचारियों को उनके अधिकार प्राप्त हों सरकार तत्काल कार्यवाही करेगी। उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो समय दिया उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्रम एवं पुर्नवास मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : चर्चा में कुल 13 सदस्यों ने भाग लिया है। सभी माननीय सदस्यों के विचारों को मैंने बहुत ही ध्यान से सुना है। अधिकांश सभी माननीय सदस्यों ने दोनों हिन्दी समाचार एजेंसियों—**समाचार भारती** तथा **हिन्दुस्तान समाचार**—की बिगड़ती हुई स्थिति पर गम्भीर चिन्ता व्यक्त की है।

बहुत से माननीय सदस्यों ने सुझाव दिए हैं कि इन दोनों हिन्दी एजेन्सियों को सक्षम बनाया जाना चाहिए और इन एजेन्सियों को सक्षम बनाने का उत्तरदायित्व सरकार का होना चाहिए तथा इन दोनों एजेन्सियों को पुनर्जीवित करने के लिए आवश्यक कदम उठाये जाने चाहिएं।

कुछ सदस्यों ने सुझाव दिया है कि इन दो एजेन्सियों को मिलाकर एक निगम बना दिया जाना चाहिए। कुछ सदस्यों का सुझाव था कि एक एजेन्सी को पी०टी०आई० के साथ मिला दिया जाए तथा दूसरी समाचार एजेन्सी को यू०एन०आई० के साथ मिला दिया जाना चाहिए। कुछ माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया है कि सरकार को इन दोनों समाचार एजेन्सियों को सीधे अपने नियन्त्रण में ले लेना चाहिए और सारा कार्य उन्हें ही करना चाहिए।

जहां तक समाचार भारती के मामले का संबंध है। 23 मार्च, 1984 को राज्य सभा में इस पर चर्चा हुई मैंने एक वक्तव्य दिया दिल्ली प्रशासन से समाचार भारती के सम्बन्ध में मैंने जानकारी एकत्र करने की कोशिश की। मेरे पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार, समाचार भारती के कर्मचारी 22 मार्च, 1984 को हड़ताल पर गये। कर्मचारियों का कहना था कि उन्होंने हड़ताल नहीं की। दूसरी ओर महाप्रबन्धक ने ताले बन्दी की घोषणा कर दी। प्रबन्धकों तथा महाप्रबन्धक का कहना था कि उन्होंने तालाबन्दी की घोषणा नहीं की थी अपितु (परिसर) में जिस समय कर्मचारी हड़ताल पर गए तब कार्यालय उपकरणों का नुक्सान होने के खतरे की आशंका से उन्होंने सिर्फ परिसर में ताला लगा दिया था। महोदय, राज्य-सभा में इस पर विस्तारपूर्वक चर्चा की चर्चा की गई थी। चर्चा का जवाब देते वक्त मैंने राज्य सभा सदस्यों को आश्वासन दिया कि मैं श्रमिक संगठन के प्रतिनिधियों तथा प्रबन्धकों के प्रतिनिधियों के साथ भी चर्चा करूंगा और मैं अपनी तरफ से इस झगड़े को सुलझाने तथा सौहार्दपूर्ण निपटारे के लिए पूरी कोशिश करूंगा तथा अपने प्रभाव का प्रयोग करूंगा। तदर्थानुसार, 26 मार्च, 1984 को मैंने श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधियों को चर्चा के लिए आमंत्रित किया। उस दिन श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ मैंने अलग से विस्तृत चर्चा की और उन्होंने सुझाव दिया कि निदेशक मण्डल के

सभापति के साथ मेरे कक्ष में एक चर्चा होनी चाहिए। तुरन्त ही मैंने अपने कर्मचारियों को निदेशक बोर्ड के सभापति से सम्पर्क करने को कहा और सौभाग्यवश सभापति भी मिल गए। और मैंने सभापति को उसी दिन शाम को अपने कक्ष में आने के लिए राजी कर लिया। और श्रमिकों के प्रतिनिधियों तथा **समाचार भारती** के निदेशक बोर्ड के सभापति के बीच मेरी उपस्थिति में चर्चा हुई। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि सभापति तथा श्रमिकों के प्रतिनिधियों के बीच एक समझौता हुआ और उन्होंने, मेरी उपस्थिति में, सामान्य स्थिति पुन: स्थापित करने के लिए कतिपय प्रस्ताव बनाये। सुबह जब श्रमिकों के प्रतिनिधि अलग से मुझसे मिले तो उन्होंने महा प्रबन्धक के विरुद्ध शिकायतें कीं और वे महाप्रबन्धक के विरुद्ध आरोपों का ज्ञापन देने के लिए तैयार थे। मैंने उन्हें बताया कि श्रम मन्त्री तथा मेरा मन्त्रालय आरोपों से सम्बन्धित नहीं हैं और मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहूंगा कि समाचार-भारती एक कम्पनी है और हिन्दुस्तान समाचार एक सहकारी समिति है। मैं यह इसलिए बता रहा हूं कि कुछ सदस्यों ने सुझाव दिया कि इन दोनों को मिला कर एक निगम बनाना चाहिए। किन्तु एक कम्पनी है— मैं नहीं जानता यह पब्लिक लिमिटेड कम्पनी है अथवा प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी तथा दूसरी सहकारी समिति अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत एक सहकारी समिति है। जब श्रमिकों के प्रतिनिधियों ने शिकायत की, तो मैंने कहा, "अगर आपके पास महाप्रबन्धक के खिलाफ गबन तथा कुप्रशासन के आरोपों का ज्ञापन है, तो मैं इसे विधि, कम्पनी कार्य मंत्री को भेजूंगा।" तदनुसार, उन्होंने एक ज्ञापन दिया और मेरे मंत्रालय ने उस पर उचित कार्यवाही करने के लिए 28 मार्च, 1784 को कम्पनी कार्य विभाग को भेज दिया।

श्री जी० एम० बनातवाला : तो आप मात्र एक डाकखाना हैं। श्रमिक के हित में, आपको इसके बारे में आगे मालूम करना चाहिए और आपको सिर्फ तकनीकियों में न जाकर अपनी रुचि दिखानी चाहिए आपको उनसे सम्पर्क करना चाहिए कि वहां क्या हो रहा है।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : महोदय, उनमें इन्तजार करने का धैर्य नहीं है। मैंने कहा कि मुझे ज्ञापन 26 तारीख को दिया गया था और उस ज्ञापन को संबंधित मंत्रालय को भेजने तथा उस पर उचित कार्यवाही करने के लिए मैंने 48 घंटे से अधिक का समय नहीं लिया अर्थात् 28 मार्च को भेज दिया था। आज, 19 अप्रैल है। आवश्यक कार्यवाही करने के लिए संबंधित मंत्रालय को हमें कुछ समय देना चाहिए। और अभी एक महीना भी नहीं हुआ है। जैसा कि मैं बता चुका हूं कि मैंने इसे आगे भेज दिया है। मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन देना चाहता हूं कि मैं निश्चित रूप में इस मामले को आगे बढ़ाऊंगा। मैं पहले ही उस पर कार्यवाही कर चुका हूं और मैं संबंधित मंत्रालय से पूछूंगा उन्होंने क्या कार्यवाही की है और क्या वे इसकी जांच करवाने जा रहे हैं अथवा नहीं। वे सक्षम अधिकारी हैं। मैं सक्षम अधिकारी नहीं हूं।

श्री रामातार शास्त्री : क्या श्रम नियमों का कोई उल्लंघन हुआ था या नहीं? आप उससे संबंधित हैं।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : मैं उस पर भी आ रहा हूं। इसीलिए मैंने महा प्रबन्धक के विरुद्ध कुप्रबन्ध, कुप्रशासन तथा गबन के बारे में लगाए गए आरोपों के ज्ञापन को कम्पनी विधि विभाग को भेज दिया है। चूंकि यह एक कम्पनी है, इसलिए महाप्रबंधक तथा प्रबंधकों के विरुद्ध सिर्फ कंपनी विधि विभाग ही

कार्यवाही कर सकता है। वे सक्षम अधिकारी हैं। अत: मैंने इस मामले में आवश्यक कार्यवाही करने का अनुरोध करते हुए ज्ञापन को आगे भेज दिया। हमारे द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में मैं एक-एक करके बता रहा हूं।

निदेशक बोर्ड के सभापति के साथ हुए समझौते के अनुसार जैसा कि दिल्ली प्रशासन से मुझे मालूम हुआ है, निदेशक बोर्ड की 3 तथा 4 अप्रैल 1984 को बैठक हुई थी, इसके पश्चात्, मुझे पता चला कि बोर्ड ने तत्कालीन महाप्रबन्धक के त्यागपत्र को स्वीकार करने का निश्चय किया। उसका त्यागपत्र स्वीकार कर लिया गया है। न सिर्फ उन्होंने तत्कालीन महाप्रबन्धक का त्यागपत्र स्वीकार किया अपितु उन्होंने श्रमिकों के सुझाव पर जहां तक मुझे मालूम है, बोर्ड ने श्रमिकों के एक मनोनीत व्यक्ति को नियुक्त किया है। अत: वर्तमान महाप्रबंधक कर्मचारियों का मनोनीत व्यक्ति है जो कि **समाचार भारती** में कार्यरत हैं। मुझे मालूम हुआ है कि **समाचार भारती** कार्यालय अब खुल गया है; तथा वहां पर स्थिति सामान्य हो गई है तथा वेतन के वितरण के लिए व्यवस्था की जा रही है।

मुझे बताया गया है कि वे बहुत शीघ्र सामान्य समिति की बैठक बुलाने जा रहे हैं।

उसके बाद, माननीय सदस्यों ने कर्मचारियों को बोनस, मजूरी, वेतन और अन्य लाभ दिए जाने के बारे में जानना चाहा है। जहां तक दिल्ली का सम्बन्ध है, मेरे पास जानकारी है। दिल्ली में कर्मचारियों को वर्ष 1981 का बोनस मिल गया है। गैर-श्रमजीवी पत्रकारों को 1981 का आंशिक बोनस मिल गया है और श्रमजीवी पत्रकारों को 1981 का आंशिक बोनस मिल गया है। 1982 का बोनस नहीं दिया गया है।

श्री सत्यनारायण जटिया : बोनस की दर क्या है?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : निम्नतम बोनस है। कम्पनी बहुत बुरी स्थिति में है। निम्नतम बोनस से अधिक वे कैसे दे सकते हैं? श्रमिकों को जो भी बोनस देना बाकी था वे दे चुके हैं। एक श्रेणी के श्रमिकों को वे 1981 को पूरा बोनस दे चुके हैं और दूसरी श्रेणी के श्रमिकों को वे 1981 के बोनस का आंशिक भुगतान कर चुके हैं। 1982 के बोनस का भुगतान अभी नहीं किया गया है ओर 1983 का बोनस अभी देय नहीं हुआ है। बोनस के बारे में यह स्थिति है।

वेतन के सम्बन्ध में, सभी श्रेणियों के श्रमिकों को दिसम्बर 1983 तक का वेतन दे दिया गया है। गैर श्रमजीवी पत्रकारों को जनवरी 1984 तक का वेतन दिया जा चुका है। फरवरी 1984 से वेतन देय है। दिल्ली कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों के बारे में यह स्थिति है।

विभिन्न राज्यों और संघ शासित प्रदेशों से भी सूचनायें एकत्र करने का मैंने प्रयास किया। कुछ राज्य सरकारों ने सूचनाएं भेजी और कुछ ने नहीं क्योंकि वे अभी सूचना एकत्र कर रहे हैं। किन्तु मुझे प्राप्त सूचनाओं के आधार पर मैं केवल इतना कह सकता हूं कि राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में काम करने वाले कर्मचारियों की स्थिति बहुत बुरी है। दिल्ली कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों की स्थिति की तुलना में हिन्दुस्तान समाचार के राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों की स्थिति बहुत बुरी है क्योंकि कुछ मामलों में तो महीनों से कर्मचारियों को वेतन, बोनस

और अन्य लाभ, कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है। मैंने कुछ सूचनाएं एकत्र कर ली हैं और विभिन्न राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों से अभी मैं सूचनायें एकत्र कर रहा हूं।

वित्तीय स्थिति के सम्बन्ध में, जैसा कि अनेक माननीय सदस्यों ने स्वीकार भी किया है, समाचार भारती की वित्तीय स्थिति बहुत बुरी है।

मैं उनसे पूर्णत: सहमत हूं कि समाचार भारती की वित्तीय स्थिति अत्यधिक बुरी है, संतोषजनक भी नहीं है। मैं फिर से कुछ आंकड़े दे सकता हूं। यह आंकड़े मैंने दिल्ली प्रशासन से एकत्र किए हैं। बैंक ऋण, सरकारी ऋण, वेतन, भविष्यनिधि और कर्मचारी राज्य बीमा इत्यादि सहित संचित देयताएं अब तक 62 लाख रु० हैं। यह समाचार भारती की संचित हानि है। उसका मासिक व्यय लगभग 3 लाख रु० है और मासिक आय 1-1/2 लाख रु० है। इसका अर्थ है कि प्रत्येक मास 62 लाख रु० की संचित हानि के अलावा लगभग 1½ लाख रु० की हानि भी उन्हें हो रही है।

श्री जी० एम० बनातवाला : बहुत बुरा प्रबंध है।

श्री बीरेन्द्र पाटिल : श्री रामावतार शास्त्री बकाया भविष्यनिधि के बारे में जानना चाहते हैं। समाचार भारती के बकाया भविष्यनिधि की राशि 7,08,170,95 रु० हैं जो उन्हें देनी ही होगी। उन पर इतना बकाया है।

कर्मचारी राज्य बीमा की 2,10,000 रु० की राशि बकाया है जो उन्होंने नहीं दिया है और हमारे अधिकारी उनके विरुद्ध मुकदमे चला चुके हैं। मुकदमे चलाए जा रहे हैं। मामले लंबित हैं और कुछ मामलों में प्रमाणपत्र जारी कर दिए गए हैं।

खैर, बकाया राशि की वसूली के लिए भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा के अधिकारी आवश्यक पग उठा रहे हैं। वर्तमान स्थिति में और इन दो संस्थानों की स्थिति को देखते हुए, मैं नहीं जानता कि बकाया राशि की वसूली हो पायेगी या नहीं।

हिन्दुस्तान समाचार के बारे में कुछ माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए। यह एक सहकारी समिति है। यह 1948 में बनाई गई थी। 1981-82 में, इसके कर्मचारियों तथा अन्य लोगों ने प्रबन्धन के विरुद्ध कुछ शिकायतें की थीं। हिन्दुस्तान समाचार के विरुद्ध कुप्रबन्ध और दुर्विनियोग की बहुत-सी शिकायतें सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार से की गयीं। कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि इसका अधिग्रहण दिल्ली प्रशासन द्वारा कर लिया गया है। यह कहना सही नहीं है कि हिन्दुस्तान समाचार का अधिग्रहण दिल्ली प्रशासन द्वारा कर लिया गया है। सही स्थिति यह है कि समिति पंजीकरण अधिनियम के अधीन दिल्ली प्रशासन के पंजीयक ने 10 मई, 1982 को हिन्दुस्तान समाचार का अधिक्रमण करके एक प्रशासक की नियुक्ति कर दी क्योंकि समिति पंजीकरण अधिनियम के अधीन जब भी प्रबन्धन के विरुद्ध कुप्रबन्ध, अनियमितताओं के गम्भीर आरोप हों, पंजीयक को अधिक्रमण करने की शक्ति है। इस कार्य में उसने अपनी शक्तियों का प्रयोग किया। मैं माननीय सदस्यों से सहमत हूं कि अनेक प्रशासक नियुक्त किये गये थे किन्तु वे थोड़े समय ही पद पर रहे, त्यागपत्र दिया और पद छोड़ गए।

आजकल, सहकारी समितियों का उप-पंजीयक इसका प्रशासक है :

श्री सत्यनारायण जटिया : यह सीधे सरकार के अधीन है ।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : सरकार ने इस सम्बन्ध में कुछ नहीं किया है । श्री सत्यनारायण जटिया यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि क्योंकि इसका अधिक्रमण किया गया तथा सहकारी समितियों के पंजीयक को प्रशासक नियुक्त किया गया अत: यह दिल्ली प्रशासन के अधीन है । यह सही स्थिति नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय : इसका प्रबन्ध उप पंजीयक द्वारा किया जाता है । सरकार द्वारा इसका अधिग्रहण किया गया है । यह अब भी एक सहकारी संस्था है । इसका प्रबन्ध उप पंजीयक को दे दिया गया है ।

श्री वीरेन्द्र पाटिल : पंजीयक द्वारा निलम्बन किए जाने के बाद जब भी यह एक सहकारी समिति है । उप पंजीयक काम कर रहा है और एक प्रशासक के रूप में समिति के कार्यों की देखरेख कर रहा है । सही स्थिति यह है ।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : सहकारी समितियों का पंजीयक सरकारी कर्मचारी है या नहीं ?

(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र पाटिल : प्रो० सैफुद्दीन सोज को यह बताना मैं आवश्यक नहीं समझता हूं कि सहकारी समिति अधिनियम के अधीन बहुत सी समितियों का अधिक्रमण और निलम्बन किया गया है और उनके प्रबन्ध को ले लिया गया है । जब भी समितियां निलम्बित की जाती हैं, उसका अर्थ यह नहीं होता हैं कि सरकार ने समिति का अधिग्रहण कर लिया है । यह अर्थ नहीं लिया जा सकता है ।

बोनस के सम्बन्ध में, हिन्दुस्तान समाचार में, बोनस और वेतन का भुगतान नहीं किया गया है । मैं समझता हूं कि समाचार भारती की तुलना में इनकी स्थिति और भी बुरी है । किन्तु मुझे बताया गया—और कर्मचारी भी इस स्थिति से अवगत हैं, कि बकाया वेतन के भुगतान के सम्बन्ध में एक फरवरी, 1984 को कर्मचारियों और प्रबन्धन के बीच एक विस्तृत समझौता किया गया और मैं समझता हूं कि आजकल कर्मचारियों को प्रबन्धन से कोई खास शिकायत नहीं है । जहां तक मेरा सम्बन्ध है, हिन्दुस्तान समाचार के कर्मचारियों ने अब तक मुझसे कोई शिकायत नहीं की है क्योंकि वे महसूस करते हैं कि 1 फरवरी, 1984 को कर्मचारियों और प्रबन्धन के बीच जो समझौता हुआ था, प्रबन्ध उस समझौते को कार्यान्वित करने का प्रयास करेगा । अत: हमें कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

श्री सत्यनारायण जटिया : क्या अब उन्हें वेतन मिल रहा है ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : जैसा कि मैंने कहा, बोनस, वेतन आदि के सम्बन्ध में एक समझौता किया जा चुका है । उस समझौते की एक प्रति मेरे पास है, यदि आप चाहते हैं तो मैं इसे सभा-पटल पर रखने के लिए तैयार हूं क्योंकि मैं सभा का अधिक समय लेना नहीं चाहता हूं, पहले ही 8.30 बज चुके हैं ।

अब मैं माननीय सदस्यों को हिन्दुस्तान समाचार की वित्तीय स्थिति बताऊंगा : 31 मार्च, 1984 को संचित हानि लगभग 60 लाख रु० ; वर्तमान चालू घाटा 39.84 लाख रु० ; अब तक कुल घाटा 99.84 लाख रु० ; चालू वार्षिक व्यय 58,08,000 रु० ; वार्षिक आय 18.24 लाख रु० ; बकाया भविष्य निधि 10,75,201.75 रु०; बकाया कर्मचारी राज्य बीमा राशि 1,25,439.35 रु०। उनकी स्थिति भी उतनी ही बुरी है।

माननीय सदस्यों ने बार-बार यह पूछा था कि इन दोनों संगठनों को पुनर्जीवित करने के लिए सरकार क्या करने वाली है और सरकार इन समाचार एजेन्सियों की पूरी-पूरी सहायता क्यों नहीं करती। यद्यपि मेरे मन्त्रालय का इससे सम्बन्ध नहीं है, हमारा सम्बन्ध केवल वेतन, पालेकर पंचाट का कार्यान्वयन और यदि कोई शिकायत, विवाद, तालाबन्दी, हड़ताल इत्यादि हो तो उससे है। मैं पहले से ही यह बात जानता था कि इस चर्चा में भाग लेने वाले अधिकतर सदस्य इस मुद्दे पर जोर देंगे क्योंकि इन दोनों समाचार एजेन्सियों की वित्तीय स्थिति से वे भी अवगत हैं और वे जानना चाहते हैं कि सरकार ने इस बारे में क्या किया है और क्या करने वाली है इसीलिए, मैंने सूचना और प्रसारण मन्त्रालय से सूचनाएं एकत्र करने का प्रयास किया। जो भी सूचनाएं मुझे उपलब्ध हुई हैं, मैं माननीय सदस्यों को बता सकता हूं।

अप्रैल, 1978 में **समाचार** को उसके मूल घटकों अर्थात प्रेस ट्रस्ट ऑफ इण्डिया, यूनाइटिड न्यूज ऑफ इण्डिया, हिन्दुस्तान समाचार और समाचार भारती में विघटित करने के परिणामस्वरूप यह निर्णय किया गया था कि इन समाचार एजेन्सियों को मजबूत आधार पर अपने कार्यों को पुनरारम्भ करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाए और यह वित्तीय सहायता सूचना और प्रसारण मन्त्रालय द्वारा दी गई। मार्च, 1979 में टेलीप्रिंटर खरीदने के लिए हिन्दुस्तान समाचार और समाचार भारती प्रत्येक को 8.50 लाख रु० का विकास ऋण—गैर-आवर्ती अनुदान सहायता—दी गई थी। ऋण की अदायगी सात बराबर वार्षिक किस्तों में की जानी थी। पहली वार्षिक किस्त ऋण जारी होने के दो वर्ष बाद से दी जानी थी। एजेन्सियों को अपना कार्य पुनः आरम्भ करने के लिए आवश्यक विभिन्न मदों पर किए जाने वाले व्यय को ध्यान में रखते हुए हिन्दुस्तान समाचार और समाचार भारती की अनुदान सहायता के रूप में क्रमशः 4,50,000 रु० और 3,25,000 रु० का पुनर्वास अनुदान दिया गया था। इन एजेन्सियों द्वारा इसकी अदायगी नहीं की जानी थी। यह पूर्णतः अनुदान-सहायता थी। उसके बाद, नई सेवाओं के विकास के लिए हिन्दुस्तान समाचार और समाचार भारती को क्रमशः 3,50,000 रु० और 3,46,000 रु० तदर्थ अनुदान के रूप में दिए गए थे। यह भी पूर्णतः अनुदान-सहायता थी, इसकी अदायगी भी एजेन्सियों द्वारा नहीं की जानी थी।

महोदय, सूचना एवं प्रसारण मन्त्रालय ने सहायक अनुदान दिया है, क्योंकि इस विलयन की समाप्ति के पश्चात यह मन्त्रालय 15-4-78 से छः वर्ष तक की अवधि के लिए कर्मचारियों के वेतन में अन्तर का भुगतान करने के लिए सहमत हो गया है। यह अन्तर कर्मचारियों द्वारा 'समाचार' में ली गई परिलब्धियों और उन परिलब्धियों के बीच अन्तर के आधार पर होगा जो वे अपनी-अपनी एजेन्सियों में लेते, यदि 'समाचार' का गठन न होता। लेकिन इसमें यह शर्त है कि पहले तीन वर्षों में 100% वेतन का अन्तर सरकार देगी और बाद में अगले तीन वर्षों में 25% की दर से वार्षिक कटौती की जायेगी। जो सहायक अनुदान दिया गया है उसका वर्ष-बार ब्यौरा मैं नहीं देना चाहता-- मेरे पास हर वर्ष के

आंकड़े हैं कि कितनी रकम **हिन्दुस्तान समाचार** को दी गई है और कितनी रकम **समाचार भारती** को दी गई है। मैं केवल एक-मुश्त आंकड़े ही दे सकता हूं। वर्ष 1978-79 से 1983-84 तक और वित्तीय वर्ष 1983-84 के अन्त तक सूचना एवं प्रसारण मन्त्रालय से **हिन्दुस्तान समाचार** को 37,73,187.67 रुपये और **समाचार भारती** को 25,15,738 74 रुपये मिले। ये वह वित्तीय सहायता अथवा सहायक अनुदान है जो सरकार ने दिया है।

कुछ माननीय सदस्यों ने द्वितीय प्रेस आयोग—उसकी रिपोर्ट और उसकी सिफारिशों का हवाला दिया है। द्वितीय प्रेस आयोग ने अनेक सिफारिशें की हैं। मेरे विचार से ये सिफारिशें सौ से भी अधिक हैं। परन्तु भारतीय भाषा के समाचार-पत्रों के सम्बन्ध में एक सिफारिश है। मैं इस सिफारिश का उद्धरण पढ़ता हूं :—

> "यद्यपि, भारतीय भाषाओं में कुशल समाचार सेवा की व्यवस्था के लिए न तो मौजूदा एजेन्सियों ने और न ही भारतीय भाषाओं के समाचार-पत्रों ने कोई सन्तोषजनक योजना का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है तथापि सिफारिश करते हैं कि एक सांविधिक निगम का गठन किया जाना चाहिए।"

द्वितीय प्रेस आयोग द्वारा की गई उक्त सिफारिश सहित सभी सिफारिशें विचाराधीन हैं और अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है। सूचना एवं प्रसारण मन्त्रालय से मुझे यही सूचना मिली है।

मैं माननीय सदस्य श्री बनातवाला से सहमत हूं और हम इस बात से भी पूरी तरह सहमत हैं कि प्रेस की स्वतन्त्रता में हमारा पूरा विश्वास है। हम चाहते हैं कि प्रेस सरकारी प्रभाव से पूर्णतः स्वतन्त्र हो। इसलिए, यह कहने का कोई सवाल ही नहीं है कि आप निगम क्यों नहीं बनाते, आप इन्हें अपने हाथ में क्यों नहीं ले लेते, आप इन दो समाचार एजेंसियों का राष्ट्रीयकरण क्यों नहीं कर देते ? दूसरी ओर जैसा कि माननीय सदस्यों ने और श्री बनातवाला ने सुझाव दिया है और मेरा भी यही विचार है कि हिन्दी के भी अनेक समाचार-पत्र हैं। आज पी०टी०आई०और यू०एन०आई०की क्या स्थिति है ? सभी समाचार-पत्र पी०टी०आई० और यू०एन०आई० के सदस्य हैं। इसी प्रकार, हिन्दी के सभी समाचार-पत्र इकट्ठे क्यों नहीं हो जाते और इन भाषा समाचार एजेंसियों को कुशलतापूर्वक चलाने की बात क्यों नहीं सोचते? वे एकजुट हो सकते हैं। मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि मैं सूचना एवं प्रसारण मन्त्रालय के साथ इस समय कोई वायदा करने की स्थिति में नहीं हूं और न ही मैं यह वायदा करने के लिए सक्षम हूं। वे इस विषय पर गम्भीरता से क्यों नहीं सोचते ? जब हम यह कहते हैं कि हिन्दी हमारी राष्ट्रभाषा है और हमें इसका प्रचार करना चाहिए और हिन्दी के समाचार-पत्र ज्यादा छपने चाहिएं—यदि स्थिति ऐसी है तो इन दो समाचार एजेन्सियों को भारी वित्तीय सहायता दिये जाने के बावजूद भी इन्हें घाटा क्यों हो रहा है और ये कुशलता से क्यों नहीं चलाया जा रहा है ? यदि ये एजेन्सियां कुशलता से नहीं चल रही हैं तो मैं श्री बनातवाला की इस बात से सहमत हूं कि इन दो समाचार एजेन्सियों की प्रबन्ध-व्यवस्था में कहीं कुछ खराबी है। यदि पी० टी० आई० और यू० एन० आई० का कार्य कुशलता से चल सकता है तो इन दो एजेन्सियों का कार्य कुशलता से क्यों नहीं चल सकता ? माना कि मौजूदा प्रबन्धन खराब हैं तो हिन्दी समाचार-पत्र वाले एकजुट हो सकते हैं और इन एजेन्सियों को अपने हाथ में ले सकते हैं और उन्हें

कुशलतापूर्वक चला सकते हैं या उन्हें एक साथ मिलाने पर विचार कर सकते हैं—क्योंकि हमारी कठिनाई यह है कि एक तो कम्पनी है और दूसरी समिति । यदि वे एक होना चाहते हैं तो हम उनके रास्ते में रोड़ा नहीं अटकाएंगे । यदि वे एक हो जाते हैं तो हम इस बात का स्वागत करेंगे, लेकिन हम उन्हें मजबूर नहीं कर सकते । हम उन्हें निदेश नहीं दे सकते । क्योंकि यह अन्ततः प्रबन्धकों का मामला है, इस मामले पर कर्मचारियों को निर्णय करना है, कि क्या वे एक साथ मिलना चाहते हैं । यदि हिन्दी के समाचार-पत्र इन एजेन्सियों को अपने हाथ में लेना चाहते हैं और उन्हें कुशलता से चलाना चाहते हैं, जैसे पी०टी०आई० और यू०एन०आई० चल रहे हैं तो हम इसका भारी स्वागत करेंगे । और यदि कोई प्रस्ताव हों तो भेजें । इसलिए, मैं नहीं समझता कि इस विषय पर मुझे कुछ और अधिक कहना है । अन्त में, मैं केवल इतना कह सकता हूं कि सरकार की यह सतत नीति रही है कि भाषा समाचार एजेन्सियों सहित सभी समाचार एजेन्सियों की पूर्ण स्वायत्तता पर बल दिया जाये । वित्तीय अर्थक्षमता और परिचालनिक कार्यकुशलता सुनिश्चित करने के लिए प्रबन्ध सम्बन्धी उचित नीतियां अपनाना उनके अपने प्रबन्धकों का दायित्व है । इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस बहस में भाग लिया है ।

श्री जी० एम० बनातवाला : महोदय, यह बहस अपर्याप्त है । आप कृपया उत्तर देने के लिए सूचना एवं प्रसारण मन्त्री, कम्पनी कार्य मन्त्री तथा गृह मन्त्री को बुलाएं ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप इसके लिए सूचना दें । सभा अब शनिवार 1 । बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है ।

8.37 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा शनिवार 21 अप्रैल, 1984/1 वैशाख, 1906 (शक) के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

प्रबन्धक, मित्तल प्रिण्टर्स, के-13, नवीन शाहदरा, दिल्ली-32 द्वारा मुद्रित